वार्षिक रिपोर्ट
2005-2006

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली

विषय सूची

		पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
	प्रस्तावना		(i) - (v)
अध्याय I			
आर्थिक कार्य विभाग			
(i)	आर्थिक प्रभाग	1	1
(ii)	बैंकिंग तथा बीमा प्रभाग	2 तथा 3	2
(iii)	बजट प्रभाग	4	42
(iv)	पूंजी बाजार, पेंशन सुधार तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग	5	43
(v)	एशियाई विकास बैंक प्रभाग	6	55
(vi)	फंड बैंक प्रभाग	7	60
(vii)	विदेश व्यापार प्रभाग	8	61
(viii)	सहायता लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्रभाग	9	64
(ix)	प्रशासन प्रभाग	10	65
(x)	द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग	11	66
(xi)	एकीकृत वित्त प्रभाग	12	70
(xii)	संगठन चार्ट		
अध्याय II			
व्यय विभाग			
(i)	संस्थापना प्रभाग	1	71
(ii)	वेतन अनुसंधान एकक	2	71
(iii)	योजना वित्त-I	3	71
(iv)	राज्य योजना स्कीमें	4	72
(v)	वित्त आयोग प्रभाग	5	74
(vi)	योजना वित्त-II	6	76
(vii)	कर्मचारी निरीक्षण एकक	7	76
(viii)	लागत लेखा शाखा	8	77
(ix)	महालेखा नियंत्रक	9	79
(x)	सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान (आई.एन.जी.ए.एफ.)	10	81
(xi)	केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय	11	81
(xii)	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	12	83
(xiii)	लोक शिकायत निवारण मशीनरी तथा नागरिक इंटरफेस	13	84
(xiv)	संगठन चार्ट		85
अध्याय III			
राजस्व विभाग			
(i)	सामान्य	1	86
(ii)	राजस्व मुख्यालय प्रशासन	2	88
(iii)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड	3	88
(iv)	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	4	106
(v)	स्वापक नियंत्रण प्रभाग	5	116
(vi)	केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो	6	119
(vii)	प्रवर्तन निदेशालय	7	120
(viii)	गैर कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति के समपहरण के लिए व्यवस्था	8	122
(ix)	बिक्री कर अनुभाग	9	123
(x)	आर्थिक सुरक्षा एकक	10	124

		पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
(xi)	वित्तीय सूचना एकक-भारत (आईएफयू-आईएनडी)	11	124
(xii)	एकीकृत वित्त प्रभाग	12	125
(xiii)	राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	13	126
(xiv)	सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति	14	126
(xv)	समपहृत संपत्ति के लिए अपील अधिकरण	15	127
(xvi)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपील अधिकरण	16	127
(xvii)	आयकर समझौता आयोग	17	128
(xviii)	सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग	18	128
(xix)	आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण	19	129
(xx)	अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर)	20	130
(xxi)	सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	21	131
(xxii)	वित्त मंत्री के बजट भाषण, 2005-06 के माध्यम से घोषित राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण नीति संबंधी पहलों को कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई	22	134
(xxiii)	ई-प्रशासन गतिविधियां	23	136
(xxiv)	लोक शिकायत निवारण तंत्र	24	141
(xxv)	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम का विकास	25	142
(xxvi)	महिलाओं से सम्बन्धित बजट/महिला सशक्तिकरण	26	142
(xxvii)	विकलांग क्षेत्र और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए कार्य	27	142
(xxviii)	केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड	28	143

अध्याय IV

विनिवेश विभाग

(i)	कार्य और संगठनात्मक ढांचा	144
(ii)	संगठनात्मक ढांचा	146

वित्त मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभ्युक्तियां

	अनुबंध	147

प्रस्तावना

इस रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय की वर्ष 2005-2006 की गतिविधियों की समीक्षा की गई है। यह मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाने सहित संपूर्ण देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों से संबंधित है। यह मंत्रालय राज्यों को संसाधनों के अंतरण सहित केंद्रीय सरकार के व्यय का विनियमन करता है। इस अध्याय में वर्ष 2005-2006 के दौरान इस मंत्रालय के महत्वपूर्ण क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

इस मंत्रालय में चार विभाग हैं, अर्थात्:-

I. आर्थिक कार्य विभाग;
II. व्यय विभाग;
III. राजस्व विभाग;
IV. विनिवेश विभाग;

I. आर्थिक कार्य विभाग;

आर्थिक वृद्धि

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) जो राष्ट्रीय लेखा आंकड़े संकलित करता है, ने आधार वर्ष 1993-94 की पूर्ववर्ती श्रृंखला के स्थान पर आधार वर्ष 1999-2000 की नई श्रृंखला शुरू की है। अर्थव्यवस्था गत वर्ष की अभिवृद्धि की रफ्तार पर बढ़ती रही जहां त्वरित अनुमानों ने वर्ष 2004-05 में 1999-2000 की स्थिर कीमतों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाई जबकि 2004-05 में 1993-94 की कीमतों पर संशोधित अनुमानों के अनुसार यह दर 6.9 प्रतिशत थी और पूर्ववर्ती वर्ष में 8.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2004-05 के त्वरित अनुमानों के अनुसार, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र, उद्योग और सेवा क्षेत्र में गत वर्ष की क्रमशः 10.0 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत की तुलना में 0.7 प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह मौसम द्वारा दिए गए झटकों को सहने में अर्थव्यवस्था की समुत्थान शक्ति को इंगित करती है।

वर्ष 2004-05 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में 7.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि खनन तथा उत्खनन (5.8%), विनिर्माण (8.1%), निर्माण (12.5%), व्यापार, होटल, रेस्तरां (8.1%), परिवहन, भण्डारण और संचार (14.8%), वित्तीय सेवाएं (9.2%) और सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाओं (9.2%) में हुई वृद्धि के कारण हासिल की गई है। तथापि, वर्ष 2004-05 में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र ने 0.7 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की।

केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा 1993-94 की कीमतों पर जारी तिमाही अनुमान स.घ.उ. की वास्तविक अभिवृद्धि 2005-06 की पहली (अप्रैल-जून) और दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाहियों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी तिमाहियों में क्रमशः 7.6 प्रतिशत व 6.7 प्रतिशत की अभिवृद्धि की तुलना में क्रमशः 8.1 प्रतिशत और 8.0 प्रतिशत रही है। अप्रैल-सितम्बर 2005-06 में समग्र अभिवृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 7.1 प्रतिशत की तुलना में 8.1 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2005-06 के पूर्वार्ध में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों, उद्योग व सेवा क्षेत्रों की अभिवृद्धि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में क्रमशः 2.1 प्रतिशत, 7.6 प्रतिशत व 8.8 प्रतिशत की क्षेत्रवार अभिवृद्धि दरों की तुलना में क्रमशः 2.0 प्रतिशत, 8.6 प्रतिशत और 10.0 प्रतिशत होने का अनुमान है।

वर्ष 2004-05 में, त्वरित अनुमानों के अनुसार, बचत दरें और निवेश दरें गत वर्ष की तुलना में अधिक हैं। चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, सकल घरेलू बचतें 2003-04 के 28.9 प्रतिशत के स्तर से सुधरते हुए 2004-05 में 29.1 प्रतिशत हो गई हैं और सकल घरेलू पूंजी निर्माण 2003-04 के 27.2 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 30.1 प्रतिशत हो गया।

कीमतों में मुद्रास्फीति और कृषि में घटनाक्रम

थोक मूल्य सूचकांक (डबल्यू पी आई) के संदर्भ में, वार्षिक बिन्दु-दर-बिन्दु मुद्रास्फीति दर 2003-04 में 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 5.1 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2005-06 की शुरूआत 2 अप्रैल 2005 को 5.7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति की दर से हुई जिसने 27 अगस्त, 2005 तक ह्रासमान प्रवृत्ति दर्शायी जब यह अंतः वर्ष के 3.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। तत्पश्चात मुद्रास्फीति की दर संयत रूप से बढ़ी और यह 5 प्रतिशत से नीचे बनी रही। दिनांक 21 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष पहले दर्ज की गई 5.4 प्रतिशत की तुलना में मुद्रास्फीति दर 4.5 प्रतिशत पर महत्वपूर्ण रूप से कम थी। 52 सप्ताह की औसत मुद्रास्फीति की दर दिनांक 21 जनवरी, 2006 को पिछले वर्ष की 6.5 प्रतिशत की तुलना में 4.7 प्रतिशत पर कम दर्ज की गई। विनिर्मित उत्पादों व ईंधन, विद्युत, बिजली और स्नेहकों दोनों के लिए मुद्रास्फीति दरें 21 जनवरी 2006 की स्थिति के अनुसार एक वर्ष पहले की क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 7.9 प्रतिशत थीं। तथापि, प्राथमिक वस्तुओं की मुद्रास्फीति दर एक वर्ष पहले दर्ज की गई 1.0 प्रतिशत की तुलना में 5.7 प्रतिशत पर अधिक दर्ज की गई।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.) के बिल्कुल विपरीत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) स्थिर व संतुलित रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खाद्य मदों का डब्ल्यू.पी.आई. की तुलना में सी.पी.आई. में अधिक भारांश है और सामान्य तौर पर इन मदों की कीमतों में वृद्धियां पिछले वर्ष व चालू वर्ष में संतुलित रही हैं। वर्ष 2004-05 में 3.8 प्रतिशत पर औसत सी.पी.आई. मुद्रास्फीति 2004-05 में 6.5 प्रतिशत पर औसत डब्ल्यू.पी.आई मुद्रास्फीति की तुलना में काफी कम थी। चालू राजकोषीय वर्ष की शुरूआत 5 प्रतिशत की समग्र सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर से हुई जो मार्च, 2005 में 4.2 प्रतिशत के स्तर से बढ़ी थी। सी.पी.आई. मुद्रास्फीति दर दिसंबर, 2005 में पिछले वर्ष के इसी महीने में 3.8 प्रतिशत की तुलना में 5.6 प्रतिशत पर डटी हुई थी।

सरकार की स्फीतिकारी-रोधी नीतियों में कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन; गरीबों पर भार कम करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद एवं आयात शुल्कों का यौक्तिकीकरण; उदार शुल्क व व्यापार नीतियों के माध्यम से संवेदी मदों का प्रभावी पूर्ति-मांग प्रबंधन; और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।

कृषि

समूचे देश के लिए पहली जून से 30 सितंबर, 2005 तक मौसमी वर्षा इसके दीर्घावधि औसत (एलपीए) का 99 प्रतिशत हुई थी। चार एक समान क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की मौसमी वर्षा (जून से सितंबर) 20 प्रतिशत कम हुई थी। मध्य भारत, उत्तर-पश्चिम भारत और दक्षिण प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा एल.पी.ए. का क्रमशः 110 प्रतिशत, 90 प्रतिशत और 112 प्रतिशत थी। संचयी वर्षा (जून-सितंबर) 8 मौसम-विज्ञान उपमंडलों में अधिक, 25 में सामान्य और 3 में कम हुई थी।

समग्र खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 2005-06 के दौरान पिछले वर्ष के 103.32 मिलियन टन (चौथा अग्रिम अनुमान) की तुलना में 105.25 मिलियन टन (पहला अग्रिम अनुमान) के स्तर पर होने का अनुमान है। खरीफ का चावल उत्पादन 73.83 मिलियन टन होने की संभावना है। खरीफ के मोटे अनाजों का उत्पादन 26.44 मिलियन टन अनुमानित है।

उद्योग और अवसंरचना क्षेत्र में घटनाक्रम

अप्रैल से नवंबर, 2005 की अवधि के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। विनिर्माण क्षेत्र, जिसका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 79 प्रतिशत भारांश बैठता है, ने इस वृद्धि में मुख्य योगदान किया है। अप्रैल से नवंबर, 2005 की अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 9.4 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान विनिर्माण क्षेत्र की तुलनात्मक अभिवृद्धि 9.1 प्रतिशत थी। तथापि, खनन और बिजली क्षेत्रों ने पिछले वर्ष के 5.1 प्रतिशत व 6.6 प्रतिशत के आंकड़ों की तुलना में क्रमशः 0.5 प्रतिशत और 4.9 प्रतिशत की न्यून अभिवृद्धि दर दर्ज की है।

पूंजीगत सामान ने चालू राजकोषीय वर्ष (अप्रैल से नवंबर) में अब तक पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलनीय अवधि में 12.9 प्रतिशत की तुलना 15.9

प्रतिशत की प्रभावशाली अभिवृद्धि दर्ज की है। बुनियादी सामान की अभिवृद्धि दर अप्रैल-नवंबर, 2004 के दौरान 5.9 प्रतिशत से मामूली रूप से सुधरकर अप्रैल-नवंबर, 2005 के दौरान 6.0 प्रतिशत हो गई। मध्यवर्ती सामान के मामले में अभिवृद्धि की दर में मंदी हुई थी जो 7.3 प्रतिशत से गिरकर 3.0 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता सामान क्षेत्र पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के 11.2 प्रतिशत की तुलना में 12.9 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। एक महत्वपूर्ण विशेषता चालू वर्ष में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ सामान का बेहतर कार्य निष्पादन थी जिसने पिछले वर्ष (अप्रैल-नवंबर) में 9.7 प्रतिशत की तुलना में 12.8 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की है।

विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत अलग-अलग स्तर पर "अन्य विनिर्माण उद्योगों" ने अप्रैल-नवंबर, 2005 के दौरान 23.3 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर दर्ज की। इस अवधि के दौरान वस्त्र उत्पाद (पहने जाने वाली पोशाकों सहित) 21.6 प्रतिशत की दर से बढ़े। अन्य उद्योग समूह जिन्होनें 10 प्रतिशत से अधिक अभिवृद्धि दर्ज की उनमें मादक पेय, तंबाकू और संबद्ध उत्पाद, सूती वस्त्र, बुनियादी रसायन और रासायनिक उत्पाद (पैट्रोलियम और कोयले के उत्पादों के सिवाय), बुनियादी धातु और मिश्रधातु उद्योग, परिवहन उपस्कर व कलपुर्जे तथा मशीनरी और परिवहन उपस्करों को छोड़कर अन्य उपस्कर शामिल हैं।

अवसंरचना

परिवहन की सेवाओं (रेलवे, सड़क, पत्तन, नागर विमानन); बिजली पारेषण और वितरण; संचार (दूरसंचार और डाक); जलापूर्ति एवं स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को शामिल करते हुए उच्च कोटि की अवसंरचना खासकर पिछड़े राज्यों में उच्च विकास दर की शुरूआत करने और दर को स्थायी बनाए रखने व गरीबी के उन्मूलन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है।

वर्ष 2005-06 के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में मिले जुले परिणाम देखे गए। छः अवसंरचना उद्योगों के सूचकांक, जिनका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारांश 27 प्रतिशत बैठता है, ने अप्रैल-दिसंबर, 2005 के दौरान 4.5 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्ज की जो अप्रैल-दिसंबर 2004 के दौरान दर्ज की गई 6.4 प्रतिशत की अभिवृद्धि की तुलना में कम है। कच्चे तेल उत्पादन में अभिवृद्धि की ऋणात्मक दर दर्ज की गई। इस अवधि में सीमेंट उत्पादन में भी तेजी आई।

मौद्रिक प्रवृत्तियां और घटनाक्रम

वर्ष 2005-06 के दौरान (20 जनवरी, 2006 तक), स्थूल मुद्रा ($एम_3$) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 9.2 प्रतिशत की तुलना में 13.2 प्रतिशत की अधिक दर पर बढ़ी। 20 जनवरी, 2006 को वर्षानुवर्ष आधार पर $एम_3$ वृद्धि 16.4 प्रतिशत थी जो कि पिछले वर्ष की इसी तारीख को 13.9 प्रतिशत थी। 20 जनवरी, 2006 तक $एम_3$ की वृद्धि वर्ष 2005-06 हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के वार्षिक नीति विवरण में निर्दिष्ट 14.5 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से अधिक है। $एम_3$ के प्रमुख संघटकों (जनता के पास मुद्रा, माँग और बैंकों में सावधि जमा) में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में अधिक वृद्धि दर्ज की गई। स्रोतों के बीच चालू वर्ष में $एम_3$ की वृद्धि अधिकांशतः वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में वृद्धि की वजह से हुई।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (20 जनवरी, 2006 तक) प्रारक्षित मुद्रा ($एम_0$) में भी पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 6.7 प्रतिशत की तुलना में 9.4 प्रतिशत की अधिक दर पर वृद्धि हुई। 20 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार, प्रारक्षित मुद्रा में वर्षानुवर्ष वृद्धि पिछले वर्ष की इसी तिथि को 15.3 प्रतिशत की तुलना में 14.9 प्रतिशत पर कम थी। हाल के वर्षों में प्रारक्षित मुद्रा के स्रोतों के सापेक्ष महत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण जो 2002-03 तक प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि में सहायक रहा था, अब एक महत्वपूर्ण कारक नहीं रहा। देश में विशाल पूँजी प्रवाहों के कारण भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपतियाँ (एन.एफ.ए.) प्रारक्षित मुद्रा वृद्धि के मुख्य निर्धारक के रूप में उभरी हैं। चालू वर्ष में 20 जनवरी, 2006 तक एन.एफ.ए. में पिछली इसी अवधि की तुलना में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मौद्रिक नीति को चलाने में भारतीय रिजर्व बैंक के सामने दो प्रमुख विचारों में सामंजस्य स्थापित करने की चुनौती थी। इस आधार पर कि मुद्रास्फीति आपूर्ति प्रेरित होती है, यह तर्क दिया गया कि नकदी को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष मौद्रिक नीतिगत कार्रवाई इस तथ्य को देखते हुए जल्दबाजी की कार्रवाई हो सकती है कि उद्योग अभी मन्दी के चरण से बाहर आ रहा था। साथ ही, अतिरिक्त नकदी के असर और तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि के अपूर्ण अन्तरण के कारण जबर्दस्त ऋण-वृद्धि तथा इसके दूसरे दौर के असर से जुड़ी अनिश्चितताओं की स्थितिओं के बावजूद, मुद्रास्फीति को लेकर उनकी उम्मीदें दबी हुई थीं। वर्ष 2005-06 के दौरान 20 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार, मूल्य स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत खपाई गई अतिरिक्त नकदी 37,280 करोड़ रु. थी। एमएसएस कार्रवाइयों के बावजूद, अधिशेष नकदी की स्थिति की परिणति एलएएफ के तहत रिवर्स-रिपो की मात्रा में वृद्धि में हुई जो मार्च 2005 के 29,809 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर अगस्त, 2005 में 34,832 करोड़ रु. हो गई। मूल्य के मोर्चे पर अतिरिक्त नकदी के संभावित परिणामों को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्तूबर, 2005 के दौरान रिवर्स रिपो दर में 25 आधार-बिन्दुओं की वृद्धि की जो 5.0 प्रतिशत से बढ़कर 5.25 प्रतिशत हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने वार्षिक नीति विवरण 2005-06 (23 जनवरी, 2006) की तीसरी तिमाही समीक्षा में, बृहत-आर्थिक स्थितियों के मूल्यांकन के बाद, नियत रिवर्स रिपो दर में तत्काल प्रभाव से 25 आधार बिन्दुओं की वृद्धि की जिससे वह 5.50 प्रतिशत हो गई। इसका असर सकारात्मक रहा। रिवर्स रिपो की मात्रा 27 जनवरी, 2006 को 40 करोड़ रु. पर पहुंच गई। तंत्र में नकदी की कमी हो जाने से रिपो (एलएएफ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक का सन्निवेशन शुरू किया गया है।

बैंक ऋण

वर्ष 2004-05 में बैंक ऋण में देखी गई वृद्धि चालू वर्ष के दौरान भी जारी रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए सकल बैंक ऋण, जिसमें खाद्य और खाद्य-भिन्न ऋण शामिल होते हैं, में चालू वर्ष (20 जनवरी, 2006 तक) में 24.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष की तदनुरूप अवधि में यह आंकड़ा 20.7 प्रतिशत था। तथापि, चालू वर्ष (20 जनवरी, 2006 तक) में खाद्य ऋण में 6.8 प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि इसके विपरीत गत वर्ष में 15.2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई थी।

चालू वित्तीय वर्ष (20 जनवरी, 2006) में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश में 3.3 प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि गत वर्ष की तदनुरूप अवधि में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चालू वर्ष में निवेशों में हुई कम वृद्धि मुख्यतया वाणिज्यिक क्षेत्र को मिलने वाले बैंक ऋण में हुई अधिक वृद्धि और केन्द्रीय सरकार द्वारा कम बाजार उधार लेने के चलते सरकारी प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने निवेशों को हटाने के कारण हुई।

विदेशी क्षेत्र

वर्ष 2004-05 में भारत के भुगतान संतुलन के संरचनात्मक संघटन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। लगातार तीन वर्षों तक अधिशेष की स्थिति के बाद भारत के भुगतान सन्तुलन की चालू लेखा स्थिति चालू वर्ष के दौरान घाटे की स्थिति में पहुंच गई। वस्तु निर्यातों और आयातों के बीच बढ़ते असन्तुलन, जिसकी प्रतिपूर्ति अधिशेष अदृश्य प्राप्तियों (निवल) से नहीं की गई, के कारण उत्पन्न हुआ यह घाटा जहां अर्थव्यवस्था में निवेश की बढ़ती मांग को रेखांकित करता है, वहीं इतनी बड़ी मात्रा का घाटा हाल के समय में बहुत अधिक रहा है। चालू लेखा शेष में हुआ यह परिवर्तन जो 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.3 प्रतिशत के समतुल्य अधिशेष के स्तर से कम होकर 2004-05 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 0.8 प्रतिशत तक हो गया, वर्ष के दौरान लेखे के संघटन में उल्लेखनीय परिवर्तन दर्शाता है चालू लेखा घाटे की स्थिति में बना हुआ है जहां घाटे का आकार चालू वर्ष के पूर्वार्ध (अप्रैल-सितम्बर, 2005-06) के दौरान गत वर्ष की तदनुरूप अवधि के घाटे से लगभग 27 गुणा बैठता है।

वर्ष 2004-05 के दौरान चालू लेखे में हुए इस परिवर्तन के साथ पूंजी लेखे का उल्लेखनीय सुदृढ़ीकरण हुआ। पूंजी लेखे के अधिशेष में पिछले वर्ष के स्तर में 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इस वृद्धि ने प्रारक्षित मुद्रा के उपचयों की रफ्तार पर चालू लेखा घाटे के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक शून्य कर दिया। 2004-05 के दौरान प्रारक्षित भण्डारों के संचयन अन्ततः 2003-04 के दौरान हुए संचयनों से अस्सी प्रतिशत से अधिक थे, जिससे विश्व में प्रारक्षित भण्डारों की सबसे बड़ी धारक अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत का दर्जा बना रहा। वर्ष 2003-04 की तुलना में जब ऋण-अन्तर्प्रवाह निवल अन्तर्प्रवाहों में रूपान्तरित हो

गए थे, वर्ष 2004-05 के दौरान ऐसे अन्तर्प्रवाहों में तेजी से वृद्धि हुई और इससे प्रभावशाली विदेशी निवेश अन्तर्प्रवाहों से अच्छा समर्थन मिलने के चलते पूंजी लेखा अधिशेष के आकार में और वृद्धि हुई।

वर्ष 2004-05 के दौरान चालू लेखे में घाटे के बावजूद, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के कुल भण्डार में वर्ष के दौरान 26.1 बिलियन अमरीकी डालर (भुगतान-संतुलन के आधार पर) की वृद्धि हुई। वर्ष 2004-05 के अन्त में, भारत के कुल विदेशी मुद्रा भण्डार जिनमें विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां (एफसीए), सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति (आरटीपी) शामिल है) 141.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर थे जो मार्च, 2004 के अन्त के 113.0 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 28.5 बिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि को प्रतिबिम्बित करते हैं। 27 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार, भारत के कुल विदेशी मुद्रा भण्डार (जिनमें विदेशी मुद्रा परिसम्पतियां (एफसीए), सोना, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित ट्रांश स्थिति (आरटीपी) शामिल है) 139.5 बिलियन डालर के स्तर पर थे।

भारत कुछ समय से मुख्यतया बाजार निर्धारित विनिमय दर नीति का पालन कर रहा है जिसमें भारतीय रुपए को वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजारों में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप संचलन करने दिया जाता है। वर्ष 2004-05 में अमरीकी डालर की तुलना में रुपए में लगभग 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसने 44.93 रुपए का वार्षिक औसत मूल्य दर्ज किया। तथापि, अन्य मुद्राओं के मुकाबले रुपए ने अधिकृत रूप से ह्रास की प्रवृत्ति दर्शाई। वर्ष 2004-05 में चार प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अधिकृत रूप से रुपए द्वारा दर्शाई गई वृद्धि/ह्रास की प्रवृत्ति वर्ष 2005-06 के दौरान उलट गई। वर्ष 2005-06 के दस महीनों की समाप्ति पर, अर्थात् अप्रैल-जनवरी, 2006 तक गत वर्ष की तदनुरूप अवधि से तुलना करने पर रुपए में अमरीकी डालर की तुलना में लगभग 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2004-05 में डालर के रूप में तथा सीमा-शुल्क आधार पर भारत के निर्यातों में 26.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गयी तथा निर्यात 80 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर को पार कर गया। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तथा वर्ष 2004-05 में घरेलू उत्पादन में वृद्धि, विशेषतया 9.1 प्रतिशत के स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र में पुनरूत्थान से इस स्तर को हासिल करने में मदद मिली। 2005-06 की प्रथम तीन तिमाहियों के दौरान 18.1 प्रतिशत की वृद्धि दर पर निर्यात वृद्धि की दर बनी रही। निर्यात वृद्धि में पैट्रोलियम तथा अन्य जिंसों के मूल्यों में वृद्धि के कारण भी सहायता मिली। वृद्धि व्यापक आधार वाली थी, जोकि अधिकांश क्षेत्रों में सुस्पष्ट थी। यद्यपि संयुक्त राज्य अमरीका भारत का अकेला सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बना हुआ है, तथापि, इसके हिस्से में 2004-05 तथा 2005-06 (अप्रैल-अक्तूबर) में कमी आयी। चीन 2005-06 में भारत के दूसरे सबसे प्रमुख भागीदार के रूप में उभरकर सामने आया है तथा भारत के निर्यातों में चीन तथा हांगकांक का संयुक्त हिस्सा 9.4 प्रतिशत है, जो कि संयुक्त राज्य अमरीका के 10 प्रतिशत के हिस्से के करीब है।

2004-05 के दौरान भी पण्य आयातों की उच्च वृद्धि पूर्ववर्ती वर्षों की तरह बनी रही तथा कुल आयात 109.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2004-05 में निर्यातों में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह 1980-81 के पश्चात सर्वाधिक वृद्धि थी तथा मुख्यतया पेट्रोलियम उत्पादों एवं अन्य जिंसों के मूल्य में तीव्र वृद्धि के कारण हुई। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान आयात वृद्धि में कमी आयी, तथापि वृद्धि 27.3 प्रतिशत के स्तर पर उच्च बनी रही। पी.ओ.एल. आयातों में वृद्धि मूल्य प्रेरित थी, न की मात्रा प्रेरित। यद्यपि पी.ओ.एल. आयातों में अमरीकी डालर मूल्य के रूप 45.1 प्रतिशत वृद्धि हुई, तथापि आयातों की मात्रा में मात्र 6.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। तेल-भिन्न आयातों में 30.9 प्रतिशत वृद्धि तथा तेल-भिन्न स्वर्ण-भिन्न आयातों में 31 प्रतिशत वृद्धि हुई। 2005-06 (अप्रैल-अक्तूबर) में आयातों में वृद्धि बनी रही, भले ही यह 27.3 प्रतिशत के स्तर पर मन्द गति से हुई, जिसमें पी.ओ.एल. में मुख्यतया मूल्य वृद्धि के कारण 45.4 प्रतिशत वृद्धि हुई और पी.ओ.एल. की मात्रा संबंधी वृद्धि मात्र 1.6 प्रतिशत हुई। 2005-06 के प्रथम नौ महीनों में तेल-भिन्न आयातों की वृद्धि भी कम हुई तथा इसमें 20.1 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा तेल-भिन्न स्वर्ण-भिन्न आयातों में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई। आयातों की वृद्धि के लिए पी.ओ.एल. आयातों के अतिरिक्त सोना एवं चांदी, पूंजी वस्तुओं तथा निर्यात सम्बद्ध मदों के आयात में वृद्धि भी उत्तरदायी थी।

व्यापार घाटे में हाल के वर्षों में देखी गयी विस्तार की प्रवृत्ति 2004-05 में 28.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गयी। 2005-06 की प्रथम तीन तिमाहियों में पण्य आयात घाटा 2004-05 के सम्पूर्ण वर्ष के आंकड़े को पार कर गया है और 28.6 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया है। तेल-भिन्न व्यापार संतुलन, जो कि अधिशेष की स्थिति में हुआ करता था, 2004-05 में ऋणात्मक हो गया तथा 2005-06 में ऋणात्मक बना रहा। इसके लिए अधिकांशतः देश में 2004-05 तथा 2005-06 (अप्रैल-सितम्बर) में स.घ.उ. में क्रमशः 6.9 प्रतिशत तथा 8.1 प्रतिशत की वृद्धि तथा इन्हीं अवधियों में विनिर्माण उत्पादन में क्रमशः 9.1 तथा 9.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ आर्थिक कार्यकलापों में तेजी के कारण आयातों के लिए उच्च मांग उत्तरदायी है।

अप्रैल, 2005 में घोषित विदेश व्यापार नीति 2004-09 के वार्षिक परिशिष्ट में अतिरिक्त नीतिगत पहलों को शामिल किया गया है तथा निर्यात प्रक्रिया का और सरलीकरण किया गया है। एक अन्तर्राज्यीय व्यापार परिषद की स्थापना के द्वारा राज्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के लिए समर्थकारी वातावरण प्रदान करने में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। प्रक्रियागत सुविधा एवं सहज अनुवीक्षण के लिए अग्रिम लाइसेंसों की विभिन्न श्रेणियों का एकल श्रेणी में विलय कर दिया गया है। परिशिष्ट में कृषि क्षेत्र से निर्यातों को और बल दिया गया है। घोषित की गयी अन्य नीतियां थीं-सभी कृषि एवं बागान जिंसों के निर्यात पर उपकर को समाप्त किया जाना, विशेष कृषि उपज योजना का विस्तार करके इसमें कुक्कुट-पालन एवं डेयरी उत्पादों को शामिल किया जाना। कुछ अन्य उपायों, जिनसे कृषि क्षेत्र में निर्यातों तथा रोजगार को बढ़ावा मिलने की संभावना है, में कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जेड) के लिए बैंक गारंटी को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जाना, निर्यात संवर्धन पूंजी वस्तु (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत कृषि निर्यातों के लिए निर्यात देनदारियों में कमी तथा नौवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए विशेष पैकेज शामिल है। वार्षिक परिशिष्ट के अनुसार 2004-05 में निर्यातों द्वारा सृजित वर्धित प्रत्यक्ष रोजगार 10 लाख नौकरियां हैं तथा वर्ष के दौरान निर्यात गतिविधि के तदनुरूप सृजित कुल नियोजन 1 करोड़ नौकरियां थीं। 2009 तक 150 बिलियन डालर के निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति से एक करोड़ और नौकरियां सृजित होंगी। व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख नीतिगत घटना जून 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) अधिनियम का पारित होना था। एस.ई.जेड योजना निर्यातों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी एवं असुविधा रहित माहौल प्रदान करने तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) को आकर्षित करने तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आरम्भ की गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन हो सकता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) विशेष रूप से वर्णित शुल्क मुक्त विदेशी अंतः क्षेत्र हैं तथा व्यापार संचालनों तथा शुल्कों एवं प्रशुल्कों के प्रयोजनार्थ इनके साथ मान्यता प्राप्त विदेशी क्षेत्र का व्यवहार किया जाता है। एस.ई.जेड. अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए ए.ई.जेड, नियमावली तैयार की जा रही है। इस अधिनियम में डेवलपरों के साथ ही विनिर्माताओं के लिए आकर्षक राजकोषीय प्रोत्साहनों एवं कर रियायतों की व्यवस्था है।

भारत का विदेशी ऋण सितम्बर अंत, 2005 में मार्चांत, 2005 के 123.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 124.3 बिलियन अमरीकी डालर था। सितम्बर-अंत, 2005 में यद्यपि दीर्घावधिक ऋण राशि 116.0 बिलियन अमरीकी डालर थी, तथापि अल्पावधिक ऋण की राशि 8.3 बिलियन अमरीकी डालर थी। विदेशी ऋण के प्रमुख संकेतकों में वर्षानुवर्ष सुधार जारी रहा। वर्ष के दौरान स.घ.उ. से विदेशी ऋण का अनुपात मार्च-अंत, 2004 के 17.8 प्रतिशत के स्तर से गिरकर मार्च-अंत, 2005 में 17.4 प्रतिशत हो गया। सकल चालू प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ऋण शोधन वर्ष 2003-04 के दौरान 16.3 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2004-05 में 6.2 प्रतिशत हो गया। अंतर्राष्ट्रीय तुलना के रूप में भारत के विदेशी ऋण की स्थिति सहज बनी हुई है।

सामाजिक क्षेत्र विकास

ग्रामीण विकास सहित सामाजिक सेवाओं पर केंद्र सरकार का व्यय 1995-96 को 18,240 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005-06 (ब.अ.) में 66,690 करोड़ रुपए हो गया। तथापि, सामान्य सरकार (केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को मिलाकर) के सामाजिक क्षेत्रों पर कुल व्यय चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में 2000-01 में 6.3 प्रतिशत से घटकर 2005-06 (ब.अ.) में 5.7 प्रतिशत हो गया।

II. व्यय विभाग

व्यय विभाग केन्द्रीय सरकार और राज्य वित्तपोषण से संबंधित मामलों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का निरीक्षण करने के लिए नोडल विभाग है। विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में सभी प्रमुख स्कीमों/परियोजनाओं (योजना और गैर-योजना दोनों) के पूर्व स्वीकृत मूल्यांकन, राज्यों को स्थानांतरित केन्द्रीय बजटीय संसाधनों की राशि का रखरखाव करना; वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन; वित्तीय सलाहकारों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन का निरीक्षण करना; वित्तीय नियमों, विनियमों और आदेशों तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियों/अवलोकनों की मानीटरिंग; केन्द्रीय सरकारी लेखों को तैयार करना; केन्द्रीय सरकार में कार्मिक प्रबंधन के वित्तीय पहलुओं का प्रबंधन; सार्वजनिक सेवाओं और संघटनात्मक पुनःपरिचालन की लागतों और मूल्यों को नियंत्रित करने में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को सहायता देना; तथा सार्वजनिक व्ययों के निर्गतों और परिणामों के इष्टतम के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करना शामिल है। विभाग, मंत्रालय के संसद से संबंधित कार्य को शामिल करते हुए वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों के समन्वय का भी प्रबंध करता है। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद में है।

विभाग के लिए कार्यसूची (i) संस्थानिक सुधारों जैसे विकेन्द्रीयकरण, सरलीकरण, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं ई-गर्वनेंस के 5 घोषणा पत्रों सहित प्रधानमंत्री द्वारा व्यय विभाग के लिए तैयार किए गए थ्रस्ट क्षेत्रों (ii) बजट 2005-2006 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए वित्त मंत्री राजकोषीय नीति योजना विवरण (एफ.पी.एस.एस.) द्वारा घोषित व्यय प्रबंधन पर शुरूआत, (iii) राजकोषीय सुधारों से संबंधित 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों द्वारा उपलब्ध फ्रेमवर्क द्वारा निर्देशित थी। व्यय विभाग का उद्देश्य एक ओर जहां वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ बनाना है, वहीं दूसरी तरफ वित्तीय निर्णय को तैयार करने में शीघ्रता लाना है।

III. राजस्व विभाग

1. राजस्व विभाग , प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व के संबंध में नियंत्रण का कार्य करता है । विभाग को केन्द्रीय बिक्री कर स्टेम्प शुल्क तथा अन्य संगत आर्थिक कानूनों से संबंधित अधिनयमनों में दिए गए नियामक उपायों के प्रशासन तथा प्रवर्तन का कार्य भी सौंपा गया है । अफीम और उसके उत्पादों का उत्पादन तथा निपटान कार्य भी विभाग के पास हैं ।

2. कर नीतियां देश के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने, अर्थव्यवस्था की लगातार वृद्वि प्राप्त करने, वृहत आर्थिक स्थिरता और सामाजिक क्षेत्र में निवेशों के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन देने के लिए सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने हेतु बनाई जाती है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 2005-06 के बजट में उपयुक्त परिवर्तन किए गए थे । इन परिवर्तनों के ब्यौरे पैराग्राफ 3.3 और 4.11 में दिए गए है ।

3. वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान सामाजिक आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सरकार के दृढ़ निश्चय को देखते हुए तस्करी कर अपवंचन, आदि के विरुद्ध देश भर में अभियान जारी रहा । इस वर्ष अन्य देशों की आसूचना/प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय के प्रयास भी जारी रहे ।

4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, आर्थिक आसूचना, आर्थिक अपराधों के क्षेत्र में संबंधित विनियामक एजेंसियों के बीच आदान-प्रदान एवं समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है । ब्यूरो को कोफेपोसा अधिनियम, 1974 (विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारक अधिनियम) का समग्र प्रशासन तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाइयों के अनुवीक्षण का कार्य भी सौंपा गया हैं । वर्ष 2005-2006 के दौरान आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के बारे में संबंधित प्रवर्तन एजेंसियों को सूचना उपलब्ध कराई गई । ताकि अपराधियों पर कार्रवाई की जा सके आर्थिक अपराधों के रूझानों का भी विश्लेषण किया गया और कोफेपोसा अधिनियम, 1974 को तत्परता से लागू किया गया ताकि तस्करी की विभीषिका और विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी की समस्या से निपटा जा सकें ।

5. आयकर विभाग के देश भर में स्थित कार्यालयों के द्वारा कर अपवचंकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहा। वित्तीय वर्ष 2005-2006 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान कुल 1913 (अनंतिम) तलाशी वारंट जारी किए गए जिसके परिणामस्वरूप 226.16 करोड़ (अनंतिम) की परिसंपत्तियां जब्त की गई और 4929 (अनंतिम) सर्वेक्षण किए गए जिनमें से 981.71 करोड़ रूपये (अनंतिम) की राशि उद्घाटित अतिरिक्त आय की थी । जहां तक निर्धारितियों का संबंध है 5.62 लाख नये निर्धारिती इसी अवधि में जोड़े गए।

6. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों ने भी शुल्क अपवंचन के विरूद्ध तत्परता के साथ अपना अभियान जारी रखा । वित्तीय वर्ष 2005-2006 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन 4286 मामलों और सीमा शुल्क अपवंचन के 593 (अनन्तिम) मामलों का पता लगाया गया जिसमें क्रमशः 2351.17 करोड़ रूपये तथा 643.14 करोड़ रूपये (अनन्तिम) की राशि संलिप्त थी। तस्करी के विरूद्ध अभियान बेरोकटोक जारी रहा । देश के भीतर तथा बाहर निषिद्ध माल की तस्करी रोकने के लिए तटीय भूमि सीमाओं सहित सभी आयुक्तालय तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के प्रभारी सचेत बने रहे । इसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2005-2006 (नवम्बर,2005 तक) के दौरान 25271 (अनन्तिम) तस्करी के मामलों में 508.78 करोड़ रूपये मूल्य का माल बरामद किया गया ।

IV. विनिवेश विभाग

विनिवेश मंत्रालय को 27 मई, 2004 से वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग में परिवर्तित कर दिया गया था और इसे विनिवेश से संबंधित वे सभी काम सौंपे गए हैं जो पहले विनिवेश मंत्रालय द्वारा निष्पादित किए जाते थे। जनवरी 2006 में विनिवेश विभाग को राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराए गए विनिवेश से प्राप्त अर्थागम के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति से संबंधित कार्य भी सौपा गया है।

सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में सरकार की नीति की रूप-रेखा दी गई है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी का विनिवेश शामिल है। इस समय, बड़े, लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने और सूचीबद्ध, लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (नवरत्नों के अलावा) में चुनिन्दा आधार पर इक्विटी के छोटे भागों की बिक्री करने पर जोर दिया जा रहा है।

सरकार ने एक "राष्ट्रीय निवेश कोष " का गठन किया है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को जमा कराया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष को भारत की संचित निधि से अलग रखा जाएगा और संग्रह को कम किए बिना स्थायी आय प्रदान करने के लिए इस कोष की प्रबन्ध व्यवस्था चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के म्युच्युअल फण्डों द्वारा व्यावसायिक तौर पर की जाएगी। राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75% हिस्से का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय निवेश कोष की शेष 25% वार्षिक आय का उपयोग उन लाभप्रद तथा पुनरूद्धार योग्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा जो पर्याप्त आय प्रदान करते हैं ताकि विस्तार/विविधिकरण के वित्त पोषण के लिए उनके पूंजी आधार को बढ़ाया जा सके।

अध्याय I

आर्थिक कार्य विभाग

1. आर्थिक प्रभाग

1.1 आर्थिक प्रभाग आर्थिक नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को विशिष्ट सलाह देता है। यह प्रभाग मौजूदा आर्थिक नीतियों का अनुवीक्षण करता है और अर्थव्यवस्था में बृहत-प्रबंध और सुधारों से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह देता है।

1.2 अपने एक नियमित कार्यकलाप के रूप में, आर्थिक प्रभाग वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, जो केन्द्रीय सरकार के बजट के संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व संसद में प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक समीक्षा की जाती है। यह हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी करता है तथा नीतियों का गहन मूल्यांकन करता है। पिछले वर्षों में आर्थिक समीक्षा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वार्षिक कार्यनिष्पादन के एक प्राधिकृत स्रोत और उपयोगी सार संग्रह की प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है।

1.3 यह प्रभाग केन्द्रीय सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण भी प्रकाशित करता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें केन्द्रीय सरकार तथा इसके विभागीय उपक्रमों की बचतों, सकल पूंजी निर्माण तथा मुख्य कार्य शीर्षों के अन्तर्गत विकास और उपभोग संबधी व्यय के परिमाण का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।

1.4 इस प्रभाग की मासिक आर्थिक रिपोर्ट में वर्तमान आर्थिक घटनाओं के संबंध में संक्षिप्त दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है और इससे अर्थव्यवस्था के निष्पादन को मॉनीटर करने में सहायता मिलती है। यह रिपोर्ट मंत्रिमंडल तथा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में परिचालित की जाती है। यह प्रभाग प्रति मास "चुने हुए आर्थिक संकेतक" तैयार करता है, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित अद्यतन आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। इस प्रभाग द्वारा समय-समय पर अवसंरचना क्षेत्र के निष्पादन, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, मूल्य स्थिति, कर वसूली की प्रवृत्तियों, भुगतान संतुलन और मौद्रिक स्थितियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियां भी तैयार की जाती हैं। यह प्रभाग प्रमुख आर्थिक परिवर्तनों के संबंध में अल्पावधिक पुर्वानुमान लगाने का कार्य भी करता है।

1.5 अपने सलाह देने के कार्यों के रूप में आर्थिक प्रभाग महत्वपूर्ण नीति संबंधी विषयों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां और पृष्ठभूमि प्रलेख तैयार करता है और सरकार द्वारा गठित परामर्शदात्री समितियों और कार्यकारी दलों की बैठकों के लिए सारांश भी तैयार करता है। आर्थिक प्रभाग के अधिकारी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.), विश्व बैंक एवं डब्ल्यू.टी.ओ. आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आए हुए विभिन्न शिष्टमंडलों के साथ परामर्श में हिस्सा लेते हैं। यह प्रभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के आर्थिक एवं सांख्यिकीय स्कंधों के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करता है।

1.6 आर्थिक प्रभाग का कार्य निम्नलिखित एककों के अन्तर्गत गठित किया गया है:-

1. विदेशी क्षेत्र
2. लोक वित्त तथा राजकोषीय नीति
3. उद्योग तथा अवसंरचना
4. कीमतें तथा कृषि
5. समन्वय एकक
6. सामाजिक क्षेत्र
7. मुद्रा एवं पूंजी बाजार

1.7 विदेशी क्षेत्र एकक भारत के विदेश व्यापार में उभरती हुई प्रवृत्तियों और भुगतान संतुलन की स्थिति को मानीटर और उसकी समीक्षा करता है। यह सरकार की आयात-निर्यात नीति, बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं, व्यापार उदारीकरण और आर्थिक सहयोग से संबंधित विभिन्न वार्ताओं और चर्चाओं में वाणिज्य मंत्रालय के साथ सहयोग करता रहा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईबीआरडी, डब्ल्यू.टी.ओ. और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की बैठकों से भी सम्बद्ध है। यह विदेशी ऋण की मॉनीटरिंग और प्रभावी प्रबंधन के लिए तथा वहनीय भावी उधार स्तरों की योजना बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। यह आई.एम.एफ. द्वारा स्थापित, विशेष डाटा प्रसार मानकों को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण है जिसके लिए भारत ने 1.1.1997 से अभिदान किया। विदेशी क्षेत्र एकक पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भुगतान संतुलन पर कार्य दल रिपोर्ट तैयार करने में भी सहायता करता है।

1.8 वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में गठित विदेशी ऋण प्रबन्धन एकक (ईडीएमयू) विदेशी ऋण को मॉनीटर करने तथा प्रबन्धन कार्रवाई करने वाला शीर्ष एकक है। यह एकक आईएमएफ के विशेष डाटा प्रसारण मानकों के तहत अपेक्षा के अनुपालन में सितम्बर और दिसम्बर को समाप्त दो तिमाहियों के विदेशी ऋण संबंधी आंकड़े जारी करने के अलावा, नियमित आधार पर भारत के विदेशी ऋण की प्रास्थिति रिपोर्ट भी प्रकशित करता है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय तुलना के साथ-साथ वार्षिक विदेशी ऋण आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण भी होता है।

1.9 लोक वित्त तथा राजकोषीय नीति एकक, लोक वित्त तथा केन्द्रीय सरकार के बजटीय कार्यों से संबंधित मामलों का कार्य करता है। केन्द्र और राज्यों के वित्त से संबंधित आंकड़े भी इस एकक में संकलित किए जाते हैं। यह एकक अंतर्राष्ट्रीय मानकों में विहित किए गए अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को सरकारी वित्त के आंकड़े प्रस्तुत करता है। यह एकक वार्षिक रूप से दो बहुत महत्वपूर्ण सार्वजनिक दस्तावेजों को तैयार करता है: "केन्द्रीय बजट का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण" जो बजटीय लेन-देनों के मूल्यांकन के लिए दो प्रकार के वर्गीकरणों के प्रतिसंदर्भ की सुविधा देता है और "भारतीय लोक वित्त के आंकड़े" जो आर्थिक श्रेणियों द्वारा वर्गीकृत केन्द्र और राज्य सरकारों की राजस्व और व्यय की स्थिति प्रस्तुत करता है। इस एकक में स्थायी समिति, संसदीय परामर्शदात्री समिति और प्राक्कलन समिति की बैठकों के लिए लोक वित्त के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियां तैयार की जाती हैं। यह केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के लिए संसाधन के प्राक्कलन से भी जुड़ा हुआ है। यह एकक सरकार की कर नीतियों के बनाने की प्रक्रिया से सम्बद्ध है। विशेष रूप से यह कर सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में व्यापार और उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एसोसिएशनों से प्राप्त विभिन्न बजट-पूर्व ज्ञापनों का परीक्षण करता है। इन अभ्यावेदन की कर-नीतियों के बनाने में साम्यता और कार्यकुशलता के मामलों को ध्यान में रखते हुए अधिक विस्तृत आर्थिक परिवेश में परीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त यह एकक सरकार से बाहर आर्थिक अनुसंधान में संलग्न उन संस्थाओं के साथ निकट सम्पर्क तथा सहयोग भी बनाए रखता है जो बृहत-आर्थिक प्रतिदर्श, नीति और आर्थिक मामलों के विश्लेषण के क्षेत्र में कार्य करती है। यह एकक बृहत आर्थिक समुच्चयों के निष्पादन को भी मॉनीटर करता है तथा उससे उत्पन्न आवश्यक नीतिगत सम्बन्धी मामलों को निपटाता है।

1.10 उद्योग एकक बृहत् और क्षेत्रीय, दोनों स्तरों पर उद्योग से संबंधित नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। यह एकक औद्योगिक उत्पादन और इसके निष्पादन में प्रवृत्तियों को लगातार मॉनीटर तथा उनकी समीक्षा भी करता है। यह घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेश वातावरण, औद्योगिक रुग्णता और औद्योगिक संबंधों का भी विश्लेषण करता है।

1.11 मूल्य तथा कृषि एकक, मूल्य स्थिति को मॉनीटर करता है तथा इसके संबंध में सूचित करता है और आपूर्ति प्रबंधन, विशेषकर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, सामान्य मूल्य नीतिगत मामलों तथा कृषि क्षेत्र से संबंधित नीतिगत मामलों पर सलाह देता है। यह एकक फसलों और चुनिंदा वस्तुओं के लिए

न्यूनतम समर्थन मूल्य को नियत करने तथा सामान्य मूल्य स्तर तथा कृषि क्षेत्र से संबंधित अन्य नीतिगत मामलों पर मूल्य प्रभारों को प्रभाव जैसी मूल्य संबंधी नीतिगत मदों के संबंध में अन्य मंत्रालयों के प्रस्तावों की भी जांच करता है। यह यूनिट कीमतों की मॉनीटरिंग से संबंधित सचिवों की समिति की सहायता करता है। यह एकक मूल्यों की स्थिति पर एक साप्ताहिक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके बाद मासिक सारांश तैयार किया जाता है जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में घट-बढ़ शामिल होती है और जो नीति निर्माण के लिए प्रतिसूचना का काम करता है। यह एकक खाद्य और कृषि वस्तुओं से संबंधित मूल्य निर्धारण नीतियों पर सरकार को सलाह भी देता है।

1.12 समन्वय एकक को बृहत-आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार, समन्वय, प्रबंध सूचना प्रणाली, कम्प्यूटरीकरण और आर्थिक प्रभाग के आन्तरिक प्रशासन से संबंधित कार्य सौंपा गया है। यह आर्थिक समीक्षा के कार्य का समन्वय करता है और बजट-पूर्व बैठकों की व्यवस्था भी करता है। यह एकक वरिष्ठ अधिकारियों, प्रधानमंत्री के कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय आदि के प्रयोग के लिए समय-समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर टिप्पणियां भी तैयार करता है। यह एकक प्रभाग की वार्षिक कार्य योजना को तैयार और मॉनीटर भी करता है।

1.13 सामाजिक क्षेत्र एकक गरीबी, रोजगार, ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम इत्यादि जैसे सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित अन्य विषयों पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां तैयार करता है। यह एकक सरकार को सामाजिक क्षेत्रों में विशिष्ट नीतिपरक मामलों पर सलाह देता है, सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर रिपोर्टों, प्रारुप नीति पत्रों/मंत्रिमंडल टिप्पणियों, बजट प्रस्तावों आदि की पुनरीक्षा भी करता है।

1.14 मुद्रा और पूंजी बाजार एकक मंत्रालय को मुद्रा और ऋण नीति के संबंध में परामर्श देता है और पूंजी और वित्तीय बाजार के घटनाक्रम से संबंधित मुद्दों को देखता है। यह एकक मुद्रा आपूर्ति ($एम_3$), सरकार को बैंक ऋण, वाणिज्यिक क्षेत्रों को बैंक ऋण और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाओं और ऋण वृद्धि जो अर्थव्यवस्था में नकदी स्तर को प्रभावित करती है, की आवधिक रूप से पुनरीक्षा और अनुवीक्षण करता है।

बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग

2. बैंकिंग प्रभाग

2.1.1 संगठन एवं भूमिका

बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग का संबंध सरकार की उन नीतियों से है जो वाणिज्य बैंकों, बीमा कंपनियों एवं सावधि ऋणदात्री संस्थाओं के क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं। इस प्रभाग के शीर्षस्थ अधिकारी, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव हैं जिनकी सहायता अपर सचिव (वित्तीय क्षेत्र), तीन संयुक्त सचिव एवं एक आर्थिक सलाहकार करते हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के प्रस्ताव

2.2.1 माननीय वित्त मंत्री द्वारा 2005-06 के अपने बजट भाषण में घोषित संशोधनों को प्रभावी बनाने तथा भारतीय रिजर्व बैंक को परिचालनगत लचीलापन प्रदान करने के लिए बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2005 को वाणिज्य एवं सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक की विनियामक शक्ति को मजबूत करने के विचारार्थ 13 मई, 2005 को लोक सभा में पेश किया गया था। प्रस्तावित कानून मताधिकार पर लगे प्रतिबंधों को भी समाप्त करता है। यह कानून किसी बैंकिंग कंपनी को किसी कंपनी को किसी प्रकार का ऋण या अग्रिम देने की प्रतिबद्धता पर लगे प्रतिबंधों के संदर्भ में धारा 20 के उपबंधों से छूट प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सक्षम बनाता है तथा उन्हें किसी न्यूनतम निर्दिष्ट सीमा के बिना एसएलआर को विनिर्दिष्ट करने में भी सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह कानून भारतीय रिजर्व बैंक को लोकहित में सहकारी बैंकों के खातों की विशेष लेखा जांच इत्यादि का आदेश देने में भी सक्षम बनाता है।

2.2.2 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन

मौद्रिक नीति के और अधिक लचीला संचालन को सुकर बनाने के लिए सीआरआर की सीमा को समाप्त करने तथा पुनर्खरीद, प्रतिपुनर्खरीद अथवा अन्य प्रकार से उधार देने अथवा उधारकर्ता प्रतिभूतियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के लिए आरबीआई अधिनियम, 1934 को संशोधित करने हेतु एक विधेयक को 13 मई, 2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था।

2.2.3 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में संशोधन

पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या को दो से चार तक बढ़ाने एवं शेयरधारक निदेशकों की संख्या को तीन तक सीमित करने तथा आर्थिक रूप से कमजोर बैंकों के लिए वित्तीय पुनर्गठन प्राधिकरण की स्थापना करने तथा बैंकों के बोर्ड के लिए लचीलापन बढ़ाने में अन्य आवश्यक बदलाव करने एवं सरकारी अभिनियंत्रण में सुधार करने के लिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संथा विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को 16 अगस्त, 2005 को लोक सभा में पेश किया गया था।

2.3.1 बैंकिंग सेवा में ग्राहक की संतुष्टि

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पूर्व गर्वनर श्री एस.एस.तारापूर की अध्यक्षता में विभिन्न सेवाओं के लिए प्रक्रिया एवं कार्य-निष्पादन लेखा से संबंधित एक समिति का गठन किया है। पुनः विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के संबंध में ग्राहक सेवाओं में व्यापक सुधार हेतु सहयोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को दिसम्बर, 2003 में अपने बैंकों में तदर्थ समितियों को गठित करने की सलाह दी थी। जून,2004 में बैंकों को उनके द्वारा गठित तदर्थ समिति में गैर-सरकारी अधिकारियों को शामिल करने की भी सलाह दी गई थी। बैंकिंग प्रणाली में कंपनी नियंत्रण को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को निरंतर आधार पर बोर्ड में ग्राहक सेवा समिति गठित करने की सलाह दी है जो समिति उनके द्वारा दी गई अच्छी ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए समर्पित हो।

बैंकों से कहा गया है कि निरंतर रूप में बैंकों के शीर्ष प्रबंधन द्वारा हस्तक्षेप एवं बोर्ड द्वारा ग्राहक सेवाओं का प्रभावशाली निरीक्षण आवश्यक होगा। बैंकों को सभी श्रेणियों के ग्राहकों के लिए सदैव ग्राहक की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने एवं ग्राहक संतुष्टि की स्तर में सुधार लाने के लिए नवीन उपाय शुरु करने की भी सलाह दी गई है।

प्रत्येक बैंक ने सामान्यतः महाप्रबंधक के स्तर के एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है, जो विभिन्न शिकायतों की जांच करेंगे। प्रत्येक बैंक ने ग्राहकों को दी जाने वाली विभिन्न बैंकिंग सेवाओं को प्रकाशित करने के लिए एक सिटिजन चार्टर को भी तैयार किया है तथा इसमें शिकायत निवारण तंत्र भी निहित है।

2.3.2 संशोधित बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना

बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 1995 से परिचालन में है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के तहत कार्य करती है। बैंकिंग ओमबड्समैन एक स्वंतत्र निकाय है जिसे विवादों को शीघ्र एवं कम खर्च में निपटाने के लिए कानूनी शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर में 15 बैंकिंग ओमबड्समैन की नियुक्ति की है। सामान्य तौर से इस प्रणाली को शिकायतों को यथा संभव शीघ्रता से संतोषजनक रूप से निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए नामोद्दिष्ट किया जाता है। कोई भी ग्राहक जिसकी शिकायत का बैंक द्वारा संतोषजनक रूप से निवारण नहीं किया जाता,वह बैंकिंग ओम्बड्समैन से सम्पर्क कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत सरकार से परामर्श कर वर्ष 2002 में मध्यस्थ एवं समाधान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन के साथ इस योजना को संशोधित किया है जिससे बैंकिंग ओम्बड्समैन को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए समय-समय पर दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी किये जाते हैं जिनमें ग्राहकों को इस योजना से अवगत कराया जाता है। बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से यह सुनिश्चित करने के लिए यह अनुरोध किया गया है कि अनावश्यक आपत्तियां न बतलाकर बैंकिंग ओमबड्समैन के अधिनिर्णय का सम्मान किया जाए। योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से बैंकिंग ओमबड्समैन योजना को और परिशोधित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिशोधित योजना को अधिसूचित किया जाएगा और यह जनवरी, 2006 में लागू की जाएगी।

2.3.3 गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियां

गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की गतिविधियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिमित की जा रही हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के निवेशकों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की गई है। इसलिए, जनता/निवेशकों के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस की गई थी। अन्य बातों के साथ-साथ, वर्तमान विधायी ढांचे की पर्याप्तता की जांच करने तथा ग्राहक की शिकायतों से संबंधित प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से संबंधित कृतिक बल का गठन किया था। कृतिक बल ने अलग-

अलग क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न विधानों और सुझावों पर विचार किया और जमाकर्त्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए व्यापक सिफारिशें कीं। कृतिक बल की सिफारिशों को प्रभावी बनाने तथा कतिपय प्रावधानों के प्रशासन में आने वाली कतिपय बाधाओं को दूर करने के लिए केद्र सरकार ने एक नया विधान वित्तीय कंपनी विनियमन विधेयक, 2000 अधिनियमित करने का निर्णय लिया था। इस विधेयक में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्त्ताओं/निवेशकों के हितों की सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। इस विधेयक को 13 दिसम्बर, 2000 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे स्थायी वित्त समिति को भेज दिया गया था जिसने 30 जून, 2003 को माननीय अध्यक्ष महोदय को अपनी रिपोर्ट दे दी।

इस समिति की सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सरकार के विचाराधीन हैं। फरवरी, 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से जनता की जमाराशियां सिर्फ बैंकों द्वारा स्वीकार की जाएंगी और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित गैर-बैंक संस्थागत स्रोतों से या पूंजी बाजार में जाकर संसाधन जुटाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2004-05 की वार्षिक मौद्रिक नीति की मध्यावधि समीक्षा में यह घोषणा की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इस दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए, यह महसूस किया जाता है कि इस समय वित्तीय कंपनियों के लिए अलग से विधान की कोई आवश्यकता नहीं है।

यह महसूस किया गया है कि भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां अनन्य भूमिका निभा रही हैं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। लेकिन, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए किराया खरीद की पूर्ण अवधारणा विकसित नहीं हुई है। ग्राहक वित्त की शुरूआत भी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने की थी, न कि बैंकों ने। इसलिये तीव्रता से यह महसूस किया जाता है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मजबूत बनाया जाना चाहिए और विनियमों के अध्यधीन अपेक्षाकृत अधिक भूमिका दी जानी चाहिए। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी विनियामक परिवर्तनों के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार कर रहा है,विनियामक परिवर्तनों की सिफारिशें करने के लिए इस प्रभाग के अधिकारियों और भारतीय बैंक संघ और एनबीएफसी के अधिकारियों का एक छोटा समूह गठित किया गया है। इस समूह के निर्णायक विचारों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

इस प्रकार, यह देखा जा सकेगा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के विनियमन के लिए अलग विधान की आवश्यकता है या नहीं इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

2.3.4 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कार्यसंचालन हेतु कानूनी ढांचे का प्रावधान है। इस अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक को आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के कार्य संचालन को विनियमित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 अप्रैल, 2003 के उपर्युक्त अधिनियम के तहत प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्निर्माण कंपनियों के विनियम हेतु मार्ग-निर्देश/ निदेश जारी किये हैं।

इस समय देश में तीन आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां हैं,जिनके नाम हैं - ऐसेट्स रिकन्सट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (एआरसीआईएल),ऐसेट्स सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन (एएसआर) - जिसका पंजीकृत कार्यालय मुम्बई में है, तथा ऐसेट्स केयर इन्टरप्राइज लि. (एसीई)- जिसका पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है।

2.3.5 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश/ विदेशी संस्थागत निवेश

सरकार ने 8 नवम्बर, 2005 को आस्ति पुर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की इक्विटी पूंजी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) अब से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एफडीआई माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों की इक्विटी पूंजी में भारत में निवेश के लिए पात्र व्यक्तियों/कंपनियों से प्राप्त आवेदनपत्रों पर विचार करेगा :

(क) अधिकतम विदेशी इक्विटी चुकता पूंजी के 49% से अधिक नहीं होगी।

(ख) जहां कहीं अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा किया गया निवेश इक्विटी के 10% से अधिक होगा, वहां आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 3(3) (च) के उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

केवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की ही अनुमति होगी, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति की दो वर्ष बाद पुनरीक्षा की जाएगी।

11 नवम्बर, 2005 से भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश करने की अनुमति दी गई है। विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूति प्राप्ति योजना की प्रत्येक श्रृंखला के 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकता है, बशर्ते प्रतिभूति प्राप्ति योजना की प्रत्येक श्रंखला में एकल एफआईआई का निवेश निर्गम के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। एफआईआई निवेश संबंधी नीति की प्रत्येक वर्ष बाद पुनरीक्षा की जाएगी।

2.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र के लिए पर्याप्त संस्थागत ऋण सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने एवं सहकारी ऋण ढ़ांचे के लिए एक वैकल्पिक माध्यम सृजित करने के विचारार्थ 26 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश के प्रावधानों तथा प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना 1975 में की गई थी। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार देशभर के 523 जिलों में 196 आरआरबी अपनी 14484 शाखाओं के नेटवर्क के साथ कार्यरत हैं।

आरआरबी में भारत सरकार, संबंधित राज्य सरकार एवं प्रायोजित बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंक, 4 आरआरबी को छोड़कर) का संयुक्त स्वामित्व होता है। आरआरबी के लिए जारी पूंजी में क्रमशः 50%, 15% एवं 35% के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी होती है। आरआरबी का परिचालन क्षेत्र अधिसूचित क्षेत्र तक सीमित होता है। आरआरबी अधिकांशतः छोटे एवं सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों एवं ग्रामीण कारीगरों को ऋण देता है।

2.4.2 जमाराशि एवं अग्रिम

आरआरबी के जमाराशि आधार में 11.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार यह जमाराशि 56,350.34 करोड़ रुपए थी जबकि 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार यह जमा राशि 62,143.00 करोड़ रुपए हो गई है। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार आरआरबी द्वारा संवितरित कुल ऋण 21, 082.47 करोड़ रुपए है जबकि पिछले वर्ष यह संवितरण 15, 579.05 करोड़ रुपए था, इस प्रकार इसमें 35.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4.3 वित्तीय परिणाम

वर्ष 2004-05 का वित्तीय परिणाम दर्शाता है कि आरआरबी ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत वित्तीय मध्यवर्ती बनने की राह पर हैं। वित्तीय परिणाम के अनुसार लाभ कमाने वाले आरआरबी की संख्या में पिछले वर्ष के 163 में वृद्धि होकर 31 मार्च, 2005 तक की स्थिति के अनुसार 167 हो गई है। पिछले वर्ष 163 आरआरबी ने 952.33 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया था जबकि वर्ष 2004-05 के दौरान 167 आरआरबी ने 904.43 करोड़ रूपए का लाभ अर्जित किया है। केवल 29 आरआरबी को 153.96 करोड़ रुपए की हानि हुई है।

इन बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों में कमी आयी है। 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत 12.61% था जो घटकर 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 8.53% रह गया है। इसके अतिरिक्त, मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता में पिछले वर्षों में उत्तरोतर सुधार हुआ है जो 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार 57 प्रतिशत था जबकि 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार यह 77 प्रतिशत हो गया है।

आरआरबी से जुड़े स्व-सहायता समूह (एसएचजी) की संख्या में वृद्धि हुई और यह वर्ष 2003-04 के 4,05,998 से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 5,63,846 हो गई। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार आरआरबी द्वारा एसएचजी को संवितरित बैंक ऋण की कुल राशि 2099.54 करोड़ रुपए थी तथा उसके पुनर्वित्त की राशि 967.30 करोड़ रूपए थी।

व्यापक पुनर्गठन कार्यक्रम के रूप में वर्ष 1994-95 से आरआरबी का पुनपूंजीकरण शुरु किया गया था। मार्च, 1999-2000 तक 187 आरआरबी को शेयरधारकों (भारत सरकार/प्रायोजक बैंक एवं राज्य सरकारों) से कुल 2188.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

2.4.4 नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता

मौसमी कृषि कार्य हेतु अल्पावधि ऋण सीमा के लिए नाबार्ड की मंजूरी में वर्ष 2004-05 के दौरान 48 प्रतिशत की यथेष्ट वृद्धि दर्ज हुई (122 आरआरबी को 2001.95 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये) जबकि पिछले वर्ष 123 आरआरबी को 1346.61 करोड़ रुपए की राशि का अनुमोदन किया गया था। ऋण बीमा का उपयोग पिछले वर्ष 2003-04 के लिए लगभग 69% की संस्वीकृत सीमा की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान भी प्रशंसनीय (संस्वीकृत सीमा का 89 प्रतिशित) रहा।

निवेश ऋण ने भी पिछले वर्ष में अपेक्षित सुधार दर्ज किया। आरआरबी द्वारा लिए गये 2049.11 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता वर्ष 2004-05 के दौरान नाबार्ड द्वारा संवितरित कुल पुनर्वित्त सहायता का 28.9% बैठता है जबकि पिछले वर्ष नाबार्ड द्वारा प्रदत्त 1589.35 करोड़ रुपए का ऋण पुनर्वित्त कुल निवेश का 20.9% था।

2.4.5 आरआरबी का पुनर्गठन/विलय

आरआरबी के पुनर्गठन के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि प्रायोजक बैंक को आरआरबी के कार्यनिष्पादन के लिए जवाबदेय ठहराया जाना चाहिए। जो आरआरबी नये शासन मानदंड को अपनायेंगे तथा जो विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करेगें वे अपने पुनर्गठन के लिए सरकार से निधि प्राप्त करने के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, पूंजी आधार में वृद्धि करने, बढे पैमाने पर संसाधनों एवं अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने इत्यादि के लिए राज्य में एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित आरआरबी के समामेलन की प्रक्रिया शुरुकर दी गई है। 27 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार 10 राज्यों में 11 बैंकों द्वारा प्रायोजित 47 आरआरबी को 16 समामेलित सत्ताओं में समामेलन के लिए आरआरबी अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (1) के तहत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

2.5 एसएमई नीति संबंधी संक्षिप्त नोट

2.5.1 एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में बढ़ोतरी करने संबंधी नीतिगत पैकेज की घोषणा 10 अगस्त, 2005 को संसद में की गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ लघु एवं मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण में वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20% की वृद्धि करने के लिये एसएमई के निधीनयन हेतु स्व-लक्ष्य निर्धारित करना शामिल है। इसका लक्ष्य एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को वर्ष 2009-10 अर्थात् 5 वर्ष की अवधि में दुगुना करना है। लघु उद्योग इकाई के लिए ऋण, जो वर्ष 2004-05 के लिए 67,600 करोड़ रुपए है उसे बढ़ाकर वर्ष 2009-10 तक 135,000 करोड़ रुपए किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में अनुदेश जारी किये हैं जिनमें सभी बैंकों से कहा गया है कि वे नीतिगत उपायों का कार्यान्वयन करें। इस नीति संबंधी पैकेज की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं:

2.5.2 बैंकों द्वारा एसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए स्व-लक्ष्य निर्धारित करना

भारत सरकार ने एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह को वर्ष-दर-वर्ष न्यूनतम 20% वृद्धि करने का संकेत दिया है। इसका लक्ष्य, एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को वर्ष 2004-05 के 67,600 करोड़ रुपए से दुगुना कर 2009-10 तक अर्थात् 5 वर्ष की अवधि में 135,200 करोड़ रुपए करना है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) समय-समय पर विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाये जाने पर जोर देता रहा है। हाल में किया गया उपाय लघु उद्यम वित्तीय केद्र योजना (एसईएफसी) है जिसके तहत सिडबी पहचान किये गये समूहों में एसएमई के लिए वाणिज्य बैंक शाखाओं के साथ सह-वित्त-पोषण करेगा।

2.5.3 एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की लागतों को युक्तिसंगत बनाने के लिए उपाय

बैंक ऋण की लागत जिसे उद्यम के ऋण रेटिंग के साथ जोड़ा जाना है, सहित पारदर्शी रेटिग प्रणाली को अपनाकर एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। सिडबी ने एसएमई क्षेत्र के प्रस्तावों के जोखिम आकलन के लिए ऋण मूल्यांकन एवं रेटिंग (सीएआरटी) एवं जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम) तथा व्यापक रेटिंग मॉडल विकसित किया है। बैंक इन मॉडलों का लाभ उठाने के लिए इन्हें उपयुक्त मान सकता है तथा अपने लेन-देन लागतों को कम कर सकता है, जैसा कि सिडबी ने इन्हें अपनी शाखाओं को पहले ही भेज दिया है।

2.5.4 एसएमई क्षेत्र के लिए औपचारिक ऋण की पहुंच बढ़ाने के उपाय

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक को प्रतिवर्ष अपनी प्रत्येक अर्द्ध-शहरी/शहरी शाखा द्वारा औसतन कम से कम 5 नये लघु/मझौले उद्यमों को शामिल कर ऋण प्रदान करने के लिए ठोस उपाय करना है।

2.5.5 एसएमई क्षेत्र के वित्त पोषण के लिए समूह आधारित दृष्टिकोण

लेन-देन लागत में कमी, जोखिम को कम करने इत्यादि के कारण एसएमई क्षेत्र के वित्त-पोषण के लिए दृष्टिकोण आधारित समूह के कारण उपचित होने वाले लाभों को दृष्टिगत रखते हुए, बैंक इसे महत्व वाले क्षेत्र के रूप में ले सकता है तथा एसएमई को वित्त-पोषित करने के लिए इसे अधिक से अधिक अपना सकता है। समूहों के लिए जोखिम रूपरेखा तैयार करने के लिए सिडबी एवं आईबीए ने आवश्यक कदम उठाये हैं तथा बैंकों के लिए ये रिपोर्टें उनके ऋण निर्णयों के लिए बहुत अधिक महत्व वाली होंगी।

2.5.6 एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र एवं एक-बारगी निपटान (ओटीएस) योजना

भूमंडलीकरण/उदारीकरण तथा घरेलू एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण एसएमई क्षेत्र में रुग्णता की समस्या आम है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्य बैंकों की बहियों में अधि-संख्य उधार खाते, विभिन्न कारणों से दबाव में हैं। बैंकों को पुराने एनपीए की वसूली करने तथा अपने तुलन-पत्रों का मिलान करने साथ ही एसएमई के उधारकर्ताओं को राहत/रियायत देने में सक्षम बनाने के लिए बैंक खातों में 10 करोड़ रुपए तक के बकाया राशि वाले खातों को शामिल करते हुए एसएमई क्षेत्र हेतु एकबारगी निपटान (ओटीएस) योजना एवं ऋण पुनर्गठन तंत्र की घोषणा की गई है।

2.5.7 ऋण वसूली अधिकरण

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के अशोध्य ऋणों के त्वरित न्यायनिर्णयन एवं वसूली के लिए बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के अशोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के उपबंधों के तहत ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) की स्थापना की गई है। 31.12.2005 तक की स्थिति के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर देशभर में उनतीस ऋण वसूली अधिकरण एवं पांच ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण कार्यरत हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान दर्ज मामले, निपटाये गये मामले एवं वसूल की गई राशि का ब्यौरा निम्नांकित है-

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	दर्ज मामलों की संख्या	अंतर्ग्रस्त राशि	निपटाए गए मामलों की संख्या	की गई वसूली
2003-04	9327	13968.03	10354	4520.77
2004-05	7627	19302.37	8988	4395.42
2005-06 (31.12.2005 तक)	4784	13726.97	6147	8010.75

2.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड

2.6.1 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के तहत एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी, जिसे औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रमों का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2003 के अनुसार 1 अक्तूबर, 2004 से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई लिमिटेड) नामक वाणिज्य बैंकिंग कंपनी ने बदल दिया था। परिवर्तन के बाद आईडीबीआई लिमिटेड ने अपने विकास बैंकिंग से संबंधित अधिदेशित कार्यकलापों के अलावा वाणिज्य बैंकिंग कारोबार शुरु किया है। आईडीबीआई लिमिटेड संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार भारत सरकार कंपनी की प्रमुख शेयर धारक रही है। सरकार का आईडीबीआई लिमिटेड में पण 53% है।

वाणिज्य बैंक में परिवर्तन से पहले आईडीबीआई लिमिटेड बड़े एवं मझौले औद्योगिक उद्यमों को वित्त प्रदान करने वाली अग्रणी विकास वित्त संस्था थी।

वाणिज्य बैंकिंग में प्रवेश और अपनी अनुषंगी का स्वयं में ही विलय करने के बाद आईडीबीआई लिमिटेड ने अपना उत्पाद क्षेत्र (बास्केट) का विस्तार किया है और साथ ही वह विविध जमा उत्पादों, व्यापार वित्त, नकदी प्रबंधन सेवाओं, कोष उत्पादों, निवेश उत्पादों की पेशकश करता है।

2.6.2 **वित्तीय निष्पादन**

आईडीबीआई के लेखा वर्ष 2004-05 में 1 अक्तूबर, 2004 से 31 मार्च, 2005 तक 6 माह की अवधि शामिल है। यह वित्तीय वर्ष 2003-04 का 6 माह अर्थात 30 सितम्बर, 2004 तक विस्तार करने के कारण है, ताकि यह आईडीबीआई को बैंकिंग कंपनी में बदलने की तारीख के अनुरूप हो।

वित्तीय वर्ष 2004-05 (अक्तूबर, 2004 - मार्च, 2004) के दौरान बैंक के कार्य संचालन के परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 288.5 करोड़ रुपए था। कर के लिए 40.7 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के बाद और 59.5 करोड़ रुपए के आस्थगित कर को ध्यान में रखते हुए कर पश्चात लाभ (पीएटी) 307.3 करोड़ रुपए था। बैंक के वित्तीय वर्ष 2004-05 (अक्तूबर, 2004 - मार्च, 2005 के छः माह की अवधि से संबंधित) के लिए इक्विटी पूंजी पर 7.5% का लाभांश चुकाया। आईडीबीआई को बैंक में बदलते समय सरकार ने लगभग 9,200 करोड़ रुपए की मूल निधि से दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि बनाई थी, जिसमें आईडीबीआई ने समान राशि की दबावग्रस्त आस्तियां अंतरित की थी।

भारतीय रिजर्व बैंक के 9% के निर्धारित मानदंडों की तुलना में आईडीबीआई लिमिटेड का पूंजी पर्याप्तता अनुपात मार्च, 2005 के अंत में 15.5% था। स्तर-I का पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी 11.9% के उच्च स्तर पर था।

2.6.3 **भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड, कोलकाता**

संसद के अधिनियम के तहत गठित पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को बदल कर मार्च, 1997 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड (आईडीबीआई) नामक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है और रुग्ण औद्योगिक उपक्रमों के पुनर्वास हेतु 1971 में स्थापित भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आईआरसीआई) लिमिटेड से इसका उदगम हुआ है।

2.6.4 **कार्य**

यह संस्था औद्योगिक कंपनियों को वित्तीय सहायता देती थी। निधियों की उच्च लागत और बढ़ती हुई अनुपयोज्य आस्तियों के कारण आगे के परिचालन संभव नहीं थे। फलस्वरूप आईआईबीआई के व्यावसायिक कार्यकलाप प्रतिबंधित हैं।

2.6.5 **व्यावसायिक प्रोफाइल**

आईआईबीआई की 225 करोड़ रुपए की सम्पूर्ण चुकता इक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित की जाती है। 221.08 करोड़ रुपए की चुकता अधिमानी शेयर पूंजी विभिन्न बैंकों, संस्थाओं आदि द्वारा धारित की जाती हैं। दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार इसकी व्यावसायिक आस्तियां लगभग 487 करोड़ रुपए (32.90%) की निवल अनुपयोज्य आस्तियों सहित लगभग 1,482 करोड़ रुपए थी। कंपनी की मालियत (-)343.28 करोड़ रुपए है।

2.6.6 **आईएफसीआई लिमिटेड**

आईएफसीआई बड़े और मझौले उद्यमों को संस्थागत ऋण देने के लिए एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित भारत की प्रथम औद्योगिक विकास वित्त संस्था है। इसे 01 जुलाई, 1993 को एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर दिया गया था।

वर्ष 2004-05 के दौरान आईएफसीआई ने पुनर्गठन का कार्य किया जहां इसने अपना ध्यान मुख्य रूप से अपनी आस्ति-देयता असंतुलनों को कम करने के लिए अपने तुलन-पत्र के पुनर्गठन पर केंद्रित किया है। इस अवधि के दौरान आईएफसीआई ने अपनी पुनर्गठन प्रक्रिया के भाग के रूप में कोई सहायता मंजूर नहीं की थी। उक्त अवधि के दौरान संवितरित सहायता 91 करोड़ रुपए तक सीमित थी। ये संवितरण मुख्यतः समर्थित प्रतिष्ठानों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूतियों के अनुसार दायित्व के कारण थे। संचयी रूप से 31 मार्च, 2005 तक आईएफसीआई ने 4866 परियोजनाओं के लिए कुल 46,159 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और 44,409 करोड़ रुपए संवितरित किए थे।

वर्ष 2004-05 के दौरान आईएफसीआई को पिछले वर्ष के दौरान हुई 3,230 करोड़ रुपए की निवल हानि की तुलना में 324 करोड़ रुपए की निवल हानि हुई। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार संचयी हानियां 4698 करोड़ रूपए थी। 30 सितम्बर, 2005 को समाप्त छमाही के लिए निवल हानि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 82 करोड़ रुपए की तुलना में 56 करोड़ रुपए थी।

2.6.7 **भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक)**

भारत के विदेश व्यापार का वित्तपोषण करने, उसे सहज बनाने और उसका संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए संसद के अधिनियम के द्वारा 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए देश की प्रमुख वित्तीय संस्था है। भारतीय निर्यात-आयात बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।

मार्च 2005 (वित्तीय वर्ष 2004-05) को समाप्त वर्ष के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक ने विभिन्न उधार कार्यक्रमों के अंतर्गत 15,833 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए थे जबकि 2003-04 के दौरान यह राशि 9,266 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान संवितरणों की राशि 11,435 करोड़ रुपए थी जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष के दौरान 6,957 करोड़ रुपए थी। ऋण आस्तियां 31 मार्च, 2004 के 10,775 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2005 को 13,410 करोड़ रुपए हो गई। वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान 229 करोड़ रुपए के करोपरांत लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान करोपरांत लाभ 258 करोड़ रुपए था जो 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। सरकार को पिछले वर्ष के 47 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2004-05 में 65 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया गया। पूंजी जोखिम आस्ति अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार 23.5 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 21.6 प्रतिशत था।

वर्ष (2004-05) के दौरान भारतीय निर्यात-आयात बैंक की सहायता से 198 भारतीय निर्यातकों द्वारा 64 देशों में कुल 7,945 करोड़ रुपए के 570 ठेके हासिल किए गए थे। अप्रैल-दिसम्बर, 2005 के दौरान बैंक ने 144 भारतीय निर्यातकों द्वारा हासिल 56 देशों में कुल 9,781 करोड़ रुपए के 419 ठेकों को सहायता दी थी।

2.6.8 **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक**

लघु उद्योग क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने, उनका वित्तपोषण और विकास करने तथा साथ ही समान क्रियाकलापों में लगी अन्य संस्थाओं के कार्यों में समन्वय के लिए वर्ष 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना एक मुख्य वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। अत्यन्त छोटे, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों सहित लघु उद्योग क्षेत्र की भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सिडबी ने नई परियोजनाओं की स्थापना, विद्यमान एककों के विस्तार, विवधीकरण, आधुनिकीकरण और पुनर्वास, विपणन संबंधी क्रियाकलापों, जोखिम सहायता तथा माइक्रो ऋण आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त योजना तैयार की है। इस क्षेत्र को सिडबी की वित्तीय सहायता के तीन आयम हैं: (i) प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से लघु एवं मझौले उद्यमों को अप्रत्यक्ष सहायता, (ii) सिडबी के अपने कार्यालयों के माध्यम से प्रत्यक्ष सहायता और (iii) विकास एवं समर्थन सेवाएं। वित्तीय वर्ष 2006 के दौरान पिछले तदनुरूपी वर्ष के दौरान क्रमशः 6,661 करोड़ रूपए और 4,232 करोड़ रुपए की तुलना में दिसम्बर 2005 तक क्रमशः 8,156 करोड़ रुपए और 5,883 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर एवं संवितरित की है।

2.6.9 **वर्ष 2005-06 (दिसम्बर 2005 तक) के दौरान किए गए प्रमुख उपाय**

एसएमई के वित्त पोषण एवं विकास से संबंधित विश्व बैंक के नेतृत्व वाली बहु एजेन्सी/बहु-क्रिया-कलाप वाली परियोजना

एसएमई के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने तथा ऋण की मांग के समर्थन के लिए सिडबी की भारत में एसएमई के वित्त पोषण एवं विकास से संबंधित परियोजना के लिए विश्व बैंक से समझौता-वार्ता समाप्त हुई 1 यह विश्व बैंक एवं डीएफआईडी, यू. के, केएफ डब्ल्यू एवं जीटीजेड जर्मनी जैसे अन्य साझेदार के नेतृत्व वाली एक बहु अभिकरणों/बहु क्रियाकलाप वाली शीर्ष परियोजना है। यह 1000 करोड़ रुपए की परियोजना है तथा इसके तीन संघटक नामतः (i) स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा (ii)जोखिम सहभागिता सुविधा तथा (iii) तकनीकी सहायता हैं। आशा है कि वृद्धिशील ऋण प्रवाह के अतिरिक्त इस परियोजना के अलग-अलग संघटक एसएमई की क्षमता एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ायेगें तथा देशभर में अतिरिक्त उत्पाद एवं रोजगार के सृजन में सहायता करेगें। विश्व बैंक के साथ हुए 120 मिलियन यूएस डॉलर के समझौते

की स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा में से बैंक ने एसएमई को आगे उधार देने के लिए 100 मिलियन यूएसडॉलर पहले ही आहरित कर लिया है। इस परियोजना के तहत ऋण के मांग संबंधी पक्षों को पूरा करने के लिए तकनीकी सहायता के कार्यान्वयन की शुरूआत कर दी गई है।

2.6.10 **एसएमई के लिए जोखिम पूंजी**

एसएमई के जोखिम पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के विचारार्थ सिडबी ने सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों के सहयोग से अक्टूबर, 2005 में 500 करोड़ रूपए की राष्ट्रीय स्तर की जोखिम पूंजी निधि की स्थापना की है। एसएमई संवृद्धि निधि के नाम से जानी जाने वाली इस निधि का उपयोग जीव-विज्ञान, हल्के इंजीनियरिंग, खुदरा बिक्री, खाद्य प्रसंस्करण, आईटीएवं आधारभूत ढ़ांचे से संबंधित सेवा जैसे क्षेत्रों में संवृद्धि में इक्विटी एवं इक्विटी से सम्बद्ध लिखतों में निवेश के लिए किया जा रहा है।

2.6.11 **लघु उद्यम वित्तीय केद्र**

इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के पश्चात सिडबी ने बैकों के कार्यनीति संबंधी मैत्री के लिए एक तंत्र तैयार किया है। इस नई व्यवस्था का अभिप्राय सिडबी की शाखाओं एवं समूहों के रूप में अवस्थित बैंकों के बीच बेहतर सहयोग को सुकर बनाना है जिससे कि परस्पर समझौता शर्तों के आधार पर सह-वित्त पोषण किया जा सके। बैंक ने अब तक सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र के ग्यारह बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।

2.6.12 **एसएमई क्षेत्र के लिए ऋण रेंटिंग एजेन्सी**

सिडबी ने अन्य बैंकों, सीआईबीआईएल एवं डून एवं ब्रेडस्ट्रीट के सहयोग से एसएमई क्षेत्र के लिए विशेषीकृत रेटिंग एजेंसी की स्थापना की है। इस नई सत्ता का नाम "भारतीय लघु एवं मझौले उद्यम रेंटिंग एजेन्सी लि. (एसएमईआरए)" है जिसे 5 सितम्बर, 2000 को शुरु किया गया था। इस अभिकरण का लक्ष्य एसएमई को अर्थक्षम, विश्वसनीय एवं स्वतंत्र रेटिंग देने पर ध्यान देना हे जिससे उन्हें अपनी ऋण रेटिंग को बढ़ाने में सहायता मिलेगी तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उधार देने के लिए उन्हें समर्थ बनायेगी।

2.6.13 **व्यष्टि वित्त**

दिसम्बर, 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार बैंक के व्यष्टि वित्त उपायों के तहत कुल संचयी संवितरण 432 करोड़ रूपए था, इसमें दो लाख एसएचजी शामिल थे, जिससे 26 लाख गरीबों जिनमें अधिकतर महिलाएं थी, को लाभ मिला। मार्च 2006 तक यह संचयी सहायता 600 करोड़ रूपए को पार कर जाएगी।

2.6.14 **लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास**

दिसम्बर, 2005 के अंत तक की स्थिति के अनुसार सीजीएस के तहत 36,108 लघु उद्योग/अत्यंत लघु उद्योगों के संदर्भ में गारंटी दी गई, इसमें 846 करोड़ रूपए की कुल ऋण सहायता शामिल थी। 31 दिसम्बर, 2005 तक की स्थिति के अनुसार इस निधि का कारपस 1057 करोड़ रूपए था इस निधि का लक्ष्य मार्च 2006 के अंत तक 1000 करोड़ से अधिक ऋण सहायता को शामिल करते हुए 38,000 इकाईयों को शामिल करना है।

2.7 बैंकिंग प्रभाग, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

2.7.1 बैंकिंग प्रभाग, अपने प्रभाग के अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के 27 बैंकों और 7 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक में राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से समय-समय पर प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

2.7.2 बैंकिंग प्रभाग में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यरत है। यह समिति भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करती है और राजभाषा नीति एवं राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए निर्देश जारी करती है। ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं अपने प्रधान कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग संबंधी अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट बैंकिंग प्रभाग को भेजती हैं। बैंकिंग प्रभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में इन प्रगति रिपोर्टों की भी समीक्षा की जाती है। वर्ष 2005-06 के दौरान, इस प्रकार की 4 बैठकें क्रमशः 18.5.2005, 29.8.2005, 16.11.2005 तथा 13.1.2006 को आयोजित की गई। भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अपनी भी राजभाषा कार्यान्वयन समितियां हैं, जिनकी हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित बैठकें होती हैं। इसके अलावा, 25 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां भी विभिन्न नगरों में स्थित बैंकों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर नजर रखती है।

2.7.3 इसके अतिरिक्त बैंकिंग तथा बीमा प्रभाग में हिन्दी में किए जा रहे कामकाज की समीक्षा के लिए संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन भी किया गया है। इस समिति की अब तक तीन बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

2.7.4 विभिन्न स्तरों पर की गई समीक्षाओं के परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में वृद्दि हुई है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जा रहे हैं तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का पूरा अनुपालन किया जा रहा है। फार्म तथा अन्य प्रक्रिया साहित्य को भी द्विभाषी रूप में मुद्रित करवाया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्तियां तथा सार्वजनिक सूचनाएं द्विभाषी रूप में जारी की जाती हैं। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा वार्षिक रिपोर्टें तथा गृह पत्रिकाएं भी द्विभाषी प्रकाशित की जा रही हैं। इसके अलावा, कुछ बैंकों द्वारा हिन्दी पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं।

2.7.5 बैंकिंग प्रभाग, राजभाषा कार्यान्यवन समिति द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार, किसी ज़िले विशेष में जिन बैंकों की शाखाएं अपना 80% से अधिक कार्य हिन्दी में कर रही हैं, वे ज़िले 'हिन्दी ज़िले' घोषित किए जाते हैं। विभिन्न बैंकों द्वारा अब तक 489 जिले 'हिन्दी ज़िले' घोषित किए जा चुके हैं। कुछ बैंकों ने तो 'क' क्षेत्र के कुछ राज्यों को भी उपर्युक्त तरीके से 'हिन्दी ज़िले' घोषित कर दिया है।

2.7.6 वर्ष के दौरान, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की अधिसूचित शाखाओं/कार्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 28,562 हो गई है। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत यथा अपेक्षित अपने विभागों या शाखाओं में कुछ अनुभाग अपना पूरा काम हिन्दी में करने के लिए भी विनिर्दिष्ट कर दिए हैं।

2.7.7 संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिश पर अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के 'क' और 'ख' क्षेत्र में स्थित अधिकांश प्रशिक्षण केन्द्र, कुछ तकनीकी पाठ्यक्रमों को छोड़कर, अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को या तो पूर्णतः हिन्दी में चला रहे हैं या हिन्दी तथा अंग्रेजी, मिली-जुली भाषा में। हैंड आउट तथा प्रशिक्षण सामग्री भी हिन्दी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।

2.7.8 बैंक और वित्तीय संस्थाएं छोटी-छोटी शब्दावलियां तथा ऐसी पुस्तिकाएं प्रकाशित करने के अलावा, जिनमें राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, वार्षिक कार्यक्रम, हिन्दी पत्रों, मानक टिप्पणियों और मसौदों के नमूने दिए होते हैं, अपने कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण देने हेतु हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित करती हैं। बैंकिंग प्रभाग भी समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करता है।

2.7.9 संसद और संसदीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त कागजात, मंत्रिमंडल के लिए मासिक सारांश तथा सभी मंत्रिमंडल नोट बैंकिंग प्रभाग में द्विभाषी रूप में ही तैयार किए जाते हैं।

2.7.10 बैंकिंग प्रभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष के दौरान बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के 15 प्रधान कार्यालयों का निरीक्षण किया गया, ताकि राजभाषा नीति की विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया जा सके।

2.7.11 'हिन्दी पखवाड़ा-2005' के दौरान अलग-अलग वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

2.8 प्राथमिकता क्षेत्र उधार

भारतीय वाणिज्य बैंकों से अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र की परियोजना को उधार देना अपेक्षित होता है। इसमें से, बैंकों को अपने एनबीसी का 18 प्रतिशत कृषि को उधार देना भी अपेक्षित होता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकें (पीएसबी) के बकाया प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम मार्च, 2004 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 244456 करोड़ रुपए से 26.85 प्रतिशत बढ़कर मार्च, 2005 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 310093 करोड़ रुपए हो गए। इस स्तर पर मार्च प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 43.2 प्रतिशत थे। हालांकि अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में वृद्धि 28274 (27.8 प्रतिशत) हुई पिछले वर्ष की तुलना में कृषि को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अग्रिमों में, सम्मिलित रूप से, अधिकतम (33.21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। मार्च, 2005 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार कृषि को अग्रिम एनबीसी के 15.7 प्रतिशत थे।

पीएसबी के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का क्षेत्र-वार विघटित ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। कृषि व कमजोर वर्गों को अग्रिमों का बैंक-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

2.8.2 महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण

औपचारिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुंच बनाने में भारतीय महिलाओं को आ रही कठिनाइयों की पहचान करते हुए तथा महिलाओं के लिए ऋण आपूर्ति में सुधार करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया था कि वे दिसम्बर, 2000 में 13 सूत्री कार्य योजना को लागू करें। उपर्युक्त कार्य योजना के तहत बैंकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सलाह दी गई कि वे मार्च, 2004 तक 3 वर्षों के भीतर महिलाओं को ऋण देने के लिए अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 5% को निर्धारित करें।

2. बैंक महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी नीतियों/दीर्घावधि योजनाओं को पुनर्निर्धारित करते हुए समुचित प्रयत्न करते रहे हैं। मार्च, 2001 के अंत तक निवल बैंक ऋण के 2.36% के रूप में महिलाओं के लिए ऋण में वृद्धि हुई जो मार्च, 2005 के अंत तक 5.44% हो गया है और जून, 2005 तक 5.47% तक हो गया। इसके अतिरिक्त, विशेषीकृत शाखाओं की स्थापना, प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को सरल बनाते हुए, लिंग-भेद ऋण जरूरतों पर बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों का अभिविन्यास, महिलाओं के लिए उपलब्ध जागरूकता कार्यक्रमों/प्रचार अभियान शुरू करते हुए, महिलाओं के लिए उद्यमशील विकास कार्यक्रम आयोजित करते हुए, विद्यमान योजनाओं को मजबूती देते हुए, महिला उद्यमियों को ऋण सुविधा देने में एनजीओ/एसएचजी की सहभागिता इत्यादि रखते हुए बैंकों के मुख्य कार्यालयों एवं कुछ शाखाओं में महिला कक्ष स्थापित करने में प्रगति हुई है।

3. स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजेएसवाई), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) इत्यादि जैसी भारत सरकार की विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं स्वरोजगार योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जा रही है।

4. महिलाओं के लिए बैंक ऋण तक पहुंच बनाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण चैनल स्वसहायता समूह (एसएचजी) हैं। जुलाई, 2005 तक की स्थिति के अनुसार बैंक से जुड़े एसएचजी की कुल संख्या 16,53,047 है। बैंकों से जुड़े 90 प्रतिशत से अधिक समूह केवल महिला समूह हैं।

5. सहकारी बैंकों की स्थापना करने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवेश संबंधी मानदंडों (ईपीएन) में महिला बैंकों को कुछ रियायतें (शुरुआत में 5 वर्षों के लिए) दी हैं। मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान में 119 महिला बैंक हैं।

2.9 सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से विकलांगों का प्रतिनिधित्व।

2.9.1 31.12.2005 की स्थिति के अनुसार 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अनुषंगी बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक में अ.जा. एवं अ.ज.जा., भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग एवं अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित था :-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग

श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	से संबंधित कर्मचारियों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा	अ.पि.व.*
अधिकारी	258543	40076	14186	6570
लिपिक	344426	55776	17114	11436
अधीनस्थ कर्मचारी	148343	37550	9896	33453
सफाई कर्मचारी	39784	22576	2494	3136
कुल	791096	155978	43690	54595

* *8.9.1993 के बाद।*

2. भूतपूर्व सैनिक

श्रेणी	नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या
अधिकारी	2120
लिपिक	8990
अधीनस्थ कर्मचारी	33453
सफाई कर्मचारी	93
कुल	44656

3. शारीरिक रूप से विकलांग

श्रेणी	दृष्टिहीन	बहरे एवं गूंगे	शारीरिक रूप से विकलांग	कुल
अधिकारी	97	83	1988	2168
लिपिक	544	742	4136	5422
अधीनस्थ कर्मचारी	134	223	1581	1938
सफाई कर्मचारी	7	27	314	348
कुल	782	1075	8019	9876

2.10 लाभप्रदता - सरकारी क्षेत्र के बैंक

2.10.1 31 मार्च, 2004 एवं 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सरकारी क्षेत्र के सभी 27 बैंकों को 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कुल 15,170 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ जबकि 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष में यह लाभ 16,546 करोड़ रुपए था।

वर्ष 2004 एवं 2005 के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों का परिचालन लाभ एवं निवल लाभ निम्नांकित है:

(करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	31 मार्च, 2004		31 मार्च, 2005	
	परिचालन लाभ	निवल लाभ	परिचालन लाभ	निवल लाभ
स्टेट बैंक समूह	14363	5619	15260	5676
राष्ट्रीयकृत बैंक	25112	10928	23431	9494
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल	39475	16546	39413	15170

भारतीय स्टेट बैंक समूह को पिछले वर्ष के 14,363 करोड़ रुपए की तुलना में 2004-05 के दौरान 15,260 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ हुआ। भारतीय स्टेट बैंक समूह का निवल लाभ वर्ष 2003-04 के 5619 करोड़ रुपए की तुलना में 2004-05 में 5676 करोड़ रुपए था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष के 25,112 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2004-05 में 23,431 करोड़ रुपए का संयुक्त परिचालन लाभ दर्ज किया था। वर्ष 2004-05 के दौरान निवल लाभ 9,494 करोड़ रुपए था, यह लाभ 31 मार्च, 2004 को समाप्त वर्ष में 10,928 करोड़ रुपए था।

वर्ष 2004-05 के दौरान समूह के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का परिचालन लाभ 39,413 करोड़ रुपए है, यह लाभ वर्ष 2003-04 के दौरान 39,475 करोड़ रुपए था। वर्ष 2004-05 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल निवल लाभ 15,170 करोड़ रुपए है, यह लाभ 2003-04 के दौरान 16,546 करोड़ रुपए था।

2.10.2 भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं की कार्यप्रणाली

30 सितम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों की कुल संख्या 31 है जिनकी शाखाओं की संख्या 245 है। ये बैंक 19 देशों में हैं। चार बैंकों की 10 या इससे अधिक शाखाएं हैं जबकि 12 बैंक केवल एक ही शाखा से परिचालन कर रहे हैं। विदेशी बैंकों की शाखाएं 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 35 स्थानों पर परिचालन कर रही हैं। भारत में 12 अतिरिक्त शाखाओं को खोलने के लिए विद्यमान विदेशी बैंकों को अनुमति दी गई है, इनमें से अब तक एक शाखा खोली गई है।

विदेशी बैंकों ने भारत में अपने प्रतिनिधि कार्यालयों की भी स्थापना की है। 30 सितम्बर, 2005 तक की स्थिति के अनुसार 13 देशों के 27 बैंकों ने भारत में प्रतिनिधि शाखाएं खोली हैं। बैंको डी साबाडेल एस ए ने अगस्त 2004 में अपना कार्यालय खोला था। वर्तमान में भारत में शाखाओं अथवा प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से 58 बैंक कार्यरत हैं।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44क के तहत सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन (एसएमबीसी) की भारतीय शाखाओं का स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक की भारतीय शाखाओं में विलय कर दिया गया। परिणामस्वरूप, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(6)(ख) की शर्तों के अनुसरण में सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन को 1 मार्च, 2005 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से निकाल दिया गया।

20 अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार, चौदह भारतीय बैंक - सरकारी क्षेत्र के नौ बैंक तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के पांच बैंक - अपनी 101 शाखाओं (6 अपतटीय बैंकिंग इकाइयों सहित), 6 संयुक्त उद्यमों, 17 अनुषंगियों तथा 30 प्रतिनिधि कार्यालयों सहित 42 देशों में परिचालनरत हैं। बैंक आफ बड़ौदा की विदेश में सबसे अधिक शाखाएं हैं, उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक आफ इंडिया की शाखाएं हैं।

भारतीय बैंकों का विदेशी परिचालन (20 अक्तूबर, 2005 की स्थिति के अनुसार)

बैंक का नाम	शाखा	अनुषंगी	प्रतिनिधि कार्यालय	संयुक्त उद्यम बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6
बैंक आफ बड़ौदा	39	7	3	1	50
भारतीय स्टेट बैंक	24	5	8	3	40
बैंक आफ इंडिया	20	1	3	1	25
पंजाब नैशनल बैंक	1	-	4	1	6
इंडियन बैंक	3	-	-	-	3
इंडियन ओवरसीज बैंक	5	1	-	-	6
यूको बैंक	4	-	-	-	4
केनरा बैंक	1	1	2	-	4
सिंडिकेट बैंक	1	-	-	-	1
भारत ओवरसीज बैंक	1	-	-	-	1
आईसीआईसीआई बैंक लि.	2	2	6	-	10
इंडस्इंड बैंक लि.	-	-	2	-	2
बैंक आफ पंजाब	-	-	1	-	1
एचडीएफसी बैंक लि.	-	-	1	-	1
कुल	101	17	30	6	154

2.10.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

ब्याज दर चक्र में सुधार के संदर्भ में समीक्षा करने पर वर्ष 2004-05 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र का संपूर्ण वित्तीय कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा। बैंक निरंतर पर्याप्त परिचालन एवं निवल लाभ अर्जित करते रहे यद्यपि यह लाभ पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। तथापि, कम लाभ मुख्य रूप से संपूर्ण लाभ के दृढ़िकरण कारण कम राजकोषीय लाभ को परिलक्षित करता है। बढ़ी हुई ऋण प्रमात्रा ने निवल ब्याज आय में तीव्र वृद्धि अब्याजी आय में तीव्र गिरावट के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। कुल मिलाकर, बैंक ब्याज दरों में वृद्धि के प्रभाव को सहन करने में सक्षम थे।

बैंकों के संविभाग के विविधीकरण के साथ ही व्यापार आय एवं शुल्क आधारित आय जैसे अन्य आय पिछले कुछ वर्षों में बैंकों के आय के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में विकसित हुए हैं। तथापि, 2004-05 के दौरान मुख्यतः व्यापार आय में कमी एवं बाजार-दर-बाजार (एमटीएम) हानियों के कारण "अन्य आय" में 15.1 प्रतिशत (स्थानांतरण प्रभाव को छोड़कर) की तीव्र गिरावट आई है। पिछले वर्ष इस आय में 25.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

बैंकों में अब्याजी आय के शेयर, कुल आय में वर्ष 1993 में 10.7 प्रतिशत से 2003-04 में 21.5 प्रतिशत की लगातार वृद्धि दर्शाने के पश्चात् वर्ष 2004-05 में 18.0 प्रतिशत की तीव्र गिरावट दर्ज हुई।

बैंकों की संपूर्ण आय में पिछले वर्ष के 6.7 प्रतिशत की तुलना में 2004-05 में 1.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई (स्थानांतरण प्रभाव को छोड़कर)। वृद्धिशील आधार पर वर्ष 2004-05 के दौरान कुल आय में ब्याज आय का अंशदान 310.00 प्रतिशत था, यह अंशदान वर्ष 2003-04 में 31.3 प्रतिशत था, अन्य आय का अंशदान ऋणात्मक था।

बैंक समूहों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आय में उच्च दर से वृद्धि हुई। उसके बाद आय वृद्धि में गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों का स्थान आता है। विदेशी बैंकों की आय में नाममात्र की वृद्धि हुई वहीं गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंकों की आय में ब्याज आय में अल्प वृद्धि के कारण कमी आई जो अन्य आय में तीव्र गिरावट द्वारा हुए समायोजन से अधिक था। सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों की आय में भी सुधार हुआ क्योंकि रिजर्व बैंक ने बैंकों को अधिक समय बीत जाने पर कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की कुछ श्रेणियों के क्रम में वृद्धि के आधार पर आय की पहचान करने की अनुमति दी थी।

एससीबी के परिचालन लाभ में पिछले वर्ष के 29.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2004-05 में 3.1 प्रतिशत तक की कमी आई है जो मुख्यतः अब्याजी आय में कमी के प्रभाव को परिलक्षित करता है। बैंक समूहों में वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंकों एवं विदेशी बैंकों के परिचालन लाभ में कमी आई है जबकि भारतीय स्टेट बैंक समूह तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के परिचालन लाभ में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2004-05 में विगत वर्ष में हुई 30.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में निवल लाभ में 7.0 प्रतिशत (स्थानांतरण प्रभाव को छोड़कर) की गिरावट आई है। एक ओर जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंकों एवं विदेशी बैंकों के निवल लाभ में कमी आई है, वहीं भारतीय स्टेट बैंक समूह तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के निवल लाभ में वृद्धि हुई है। प्रावधानों एवं संभाव्यताओं में तीव्र कमी के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के निवल लाभ में तीव्र वृद्धि हुई है।

2.10.4 आस्ति गुणवत्ता : एनपीए

आस्ति गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार के कारण ऋण वृद्धि में तीव्र वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की प्रवृति की तरह वर्ष 2004-05 के दौरान एससीबी के एनपीए में कमी उनमें हुई बढ़ोतरी से अधिक थी। गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों को छोड़कर यह प्रवृति सभी बैंक समूहों में पाई गई। मार्च 2004 की समाप्ति एवं मार्च 2005 की समाप्ति के मध्य एससीबी के सकल एनपीए (स्थानांतरण प्रभाव को छोड़कर) में 6,485 करोड़ रूपए की कमी आई।

एनपीए से निपटने के लिए बैंकों के पास उपलब्ध कई विकल्पों के आलोक में बैंक अधिक मात्रा में एनपीए की राशि वसूलने में सक्षम रहे हैं। बेहतर औद्योगिक वातावरण ने बेहतर वसूली स्थिति में सहायता प्रदान की है। वर्ष 2004-05 में बैंकों द्वारा उत्साही पुनर्गठन के उपाय ने भी एनपीए के स्तर को कम करने में सहायता की। भारतीय आस्ति पुनर्निर्माण निगम (एआरसीआईएल) की स्थापना ने बैंकों को अपने एनपीए की वसूली करने के प्रयास में बड़ी सहायता प्रदान की है। वर्ष 2004-05 के दौरान कई बैंकों एवं कुछ वित्तीय संस्थाओं ने 15,343 करोड़ रूपए मूल्य के एनपीए को एआरसीआईएल को बेच दिया है।

एससीबी के सकल ऋण एवं अग्रिमों में तीव्र वृद्धि के साथ एनपीए की वसूली में अपेक्षित सुधार से सकल अग्रिम अनुपात की तुलना में सकल एनपीए में मार्च 2005 के अंत में 5.2 प्रतिशत की तीव्र कमी आई। सकल एवं निवल एनपीए में कमी सभी बैंक समूहों में परिलक्षित होता है।

मार्च 2005 की समाप्ति पर गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंकों के संबंध में निवल एनपीए अनुपात सबसे अधिक (2.7 प्रतिशत) था, उसके पश्चात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों एवं विदेशी बैंकों का निवल एनपीए अनुपात सबसे अधिक था। मार्च 2005 की समाप्ति पर 88 में से 51 बैंकों (पिछले वर्ष के 38 बैंकों की तुलना में) के निवल अग्रिम अनुपात की तुलना में

निवल एनपीए 2 प्रतिशत से कम था। निवल अग्रिम अनुपात की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक निवल एनपीए वाले बैंकों की संख्या मार्च 2005 के अंत तक घटकर चार हो गई, पिछले वर्ष यह संख्या नौ थी। ये सभी चार बैंक विदेशी बैंक समूह से हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान एनपीए के लिए अपेक्षाकृत कम प्रावधान होने के कारण एनीपए अनुपात में कमी का श्रेय एनपीए की अधिक वसूली एवं आस्ति के अनुपयोज्य बनने में कमी को जाता है। निरपेक्ष रूप से "संदिग्ध" श्रेणी वाले अनुपयोज्य आस्तियों में वृद्धि हुई जबकि निम्न स्तरीय श्रेणी वाले अनुपयोज्य आस्तियों में तीव्र कमी आई है, जो मार्च 2005 को समाप्त वर्ष से आस्ति वर्गीकरण मानदण्ड में बदलाव को परिलक्षित करता है वहीं किसी भी आस्ति को तब संदिग्ध माना गया जब वह आस्ति 18 महीने के पूर्ववर्ती मानदण्डों की तुलना में अब 12 महीने के लिए एनपीए हो। तथापि, निवल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में संदिग्ध श्रेणी वाले एनपीए में अपेक्षित कमी आई है।

सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एनपीए को तीन व्यापक क्षेत्रों यथा, प्राथमिकता क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र एवं गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल एनपीए की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में एनपीए के भाग में मार्च 2004 के अंत के 47.5 प्रतिशत से मार्च 2005 के अंत में 48.9 प्रतिशत तक की आंशिक वृद्धि हुई। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में लघु उद्योगों के एनपीए के भाग में कमी आई। हालांकि वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के एनपीए के भाग में वृद्धि हुई फिर भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के एनपीए के भाग में कमी आई है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में कृषि, लघु उद्योग एवं आय प्राथमिकता क्षेत्र जैसे प्राथमिक क्षेत्र के सभी तीन घटकों के कारण एनपीए के भाग में वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों के एनपीए की संपूर्ण राशि में कमी आई है। वर्ष 2004-05 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र के कुल एनपीए में गैर-प्राथमिकता क्षेत्र का भाग 75.0 प्रतिशत पर स्थिर रहा।

2.10.5 पूंजी पर्याप्तता

मार्च 2005 को समाप्त वर्ष में एससीबी का कुल सीआरएआर लगभग पिछले वर्ष के स्तर (12.9 प्रतिशत) तक रहा। बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार से संबंधित नई आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद यह अनुपात निर्धारित अपेक्षाओं से निरंतर उपर रहा है। इस वास्तविकता के बावजूद कि समवर्ती वर्ष के दौरान संविभाग एसएलआर प्रतिभूतियों से ऋण में अंतरित हो गया, फिर भी वर्ष के दौरान टीयर-I संघटक में कुछ सुधार देखा गया। उच्च जोखिम भार सहित ऋण संविभाग में तीव्र वृद्धि आवास एवं ग्राहक ऋण के लिए लागू किया गया जिससे जोखिम भारित आस्तियों में 33.4 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तथापि, बैंकों का पूंजी आधार जोखिम भारित आस्तियों की तीव्र वृद्धि के साथ-साथ बढ़ता रहा। एक सीमा तक इसे घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों की बेहतर पहुंच द्वारा प्राप्त किया गया।

पिछले वर्षों में सीआरएआर में सतत् वृद्धि हुई है। हालांकि मार्च 1998 को समाप्त वर्ष तथा मार्च 2002 को समाप्त वर्ष के बीच अधिकांश वृद्धि टीयर-II संघटक में वृद्धि का परिणाम था। फिर भी, टीयर-I एवं टीयर-II पूंजी का मिश्रण मोटे तौर पर टीयर-I संघटक के कुल सीआरएआर के दो तिहाई होने के कारण स्थिर रहा। सीआरएआर को बनाए रखने के लिए बैंकों ने मुख्यतः प्रतिधारित उपार्जन पर भरोसा किया है, यद्यपि कुछ बैंकों ने अपने प्रतिधारित उपार्जन को पूंजी निर्गमों का समर्थन बंद कर दिया है।

बैंक समूहों में गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के सीआरएआर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई जिसके कारण वे अन्य बैंक समूहों के समकक्ष आ गए। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के सीआरएआर ने वर्ष के दौरान आंशिक सुधार दर्ज किया। भारतीय स्टेट बैंक समूह, गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक एवं विदेशी बैंकों के सीआरएआर में कमी आई है।

2.10.6 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकारी निर्गम 2004-05 द्वारा संसाधन जुटाना

पूंजी बाजार में पहुंच बना रहे सरकारी क्षेत्र के दो बैंक - पंजाब नैशनल बैंक (80 करोड़ रूपए) एवं देना बैंक (80 करोड़ रूपए) थे। गैर-सरकारी क्षेत्र के पांच बैंक जिन्होंने वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर जारी किए थे, वे थे - आईसीआईसीआई बैंक (3500 करोड़ रूपए), आईएनजी वैश्य बैंक (307 करोड़ रूपए), कर्नाटक बैंक लि. (162 करोड़ रूपए), सेंचुरियन बैंक (91 करोड़ रूपए) एवं साउथ इंडियन बैंक लि. (48 करोड़ रूपए)। इसके अतिरिक्त, गैर-सरकारी क्षेत्र के दो बैंकों (यूटीआई बैंक एवं सेंचुरियन बैंक) ने भी वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जीडीआर निर्गम के माध्यम से 1,472 करोड़ रूपए जुटाए।

2.10.7 बैंकों में सरकार की इक्विटी धारिता

31.3.2005 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकार की धारित राशि एवं इक्विटी पूंजी की मात्रा निम्नांकित है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	बैंक	कुल इक्विटी	शेयधारिता				उपलब्ध खाली स्थान
			सरकार	%	अन्य	%	
1	ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	192.54	128.00	66.48	64.54	33.52	15.48
2	देना बैंक	286.82	146.82	51.19	140.00	48.81	0.19
3	बैंक आफ बड़ौदा	293.26	196.00	66.83	97.26	33.17	15.88
4	बैंक आफ इंडिया	639.00	489.00	77.00	150.00	23.00	26.00
5	कार्पोरेशन बैंक	120.00	82.00	68.33	38.00	31.67	17.33
6	सिंडिकेट बैंक	471.97	346.97	73.52	125.00	26.48	22.52
7	आंध्रा बैंक	400.00	250.00	66.67	150.00	33.33	15.67
8	पंजाब नेशनल बैंक	315.30	182.24	57.80	133.06	42.20	6.80
9	यूनियन बैंक आफ इंडिया	460.12	280.00	60.85	180.12	39.15	9.85
10	केनरा बैंक	410.00	300.00	73.17	110.00	26.83	22.17
11	इलाहाबाद बैंक	446.70	246.70	55.23	200.00	44.77	4.23
12	इंडियन ओवरसीज बैंक	544.80	333.60	61.24	211.20	38.76	10.24
13	विजया बैंक	459.24	259.24	59.80	200.00	40.20	8.8
14	यूको बैंक	599.36	399.36	74.98	200.00	25.02	23.98
15	बैंक आफ	430.52	330.52	76.77	100.00	23.23	25.77
16	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1124.14		100			49.00
17	इंडियन बैंक	4573.96		100			49.00
18	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1810.87		100			49.00
19	पंजाब नेशनल बैंक	243.10		100			49.00

2.10.8 पूंजी की वापसी

वर्ष 2005-06 के दौरान पंजाब नेशनल बैंक ने भारत सरकार को 30 करोड़ रुपए की पूंजी वापस की।

2.10.9 सरकारी क्षेत्र के बैंकों का समेकन

सर्वविदित है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक देशभर के कुल बैंकिंग कारोबार का लगभग 76% कारोबार करते हैं। बैंकिंग उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए नए उपायों पर विचार किया जा रहा है ताकि बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त बदलाव लाया जाए। नए उपायों के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने एवं मूल्य वर्धन के लिए कार्यनीति के एक भाग के रूप में समेकन का गंभीरता से मूल्यांकन कर रहे हैं। व्यापक वित्तीय क्षेत्र सुधार के लिए नरसिम्हन समिति ने 1991 की अपनी रिपोर्ट में बैंकिंग क्षेत्र के समेकन का सुझाव दिया था। पुनः इस सुझाव पर विचार करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने बैंकिंग उद्योग में समेकन के लिए कानूनी, विनियामक एवं अन्य संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए एक कार्य समूह की नियुक्ति की थी। कार्य समूह ने अक्तूबर, 2004 में सरकार को अपना सुझाव दे दिया है।

पिछले कार्यनिष्पादन, कार्यबल एवं अन्य संसाधनों के संदर्भ में समेकन से अर्थव्यवस्था के स्तर में वृद्धि होगी। भारतीय बैंकों के आकार में बड़े होने से उन्हें अर्थव्यवस्था के भूमंडलीयकरण से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा से जूझने में समर्थ बनने में भी मदद मिलेगी। बड़ा आकार जोखिम प्रबंधन के लिए भी आवश्यक है। छोटे एवं कमजोर बैंक को अपने कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात एवं उच्च एनपीए के

कारण प्रणालीगत जोखिम रहता है। समेकन क्षमता वृद्धि के लिए समयबद्ध आवश्यकता है जिससे आय में सृजन होगा तथा देश के जीडीपी में संवृद्धि होगी। समेकन के लिए पहल स्वयं बैंकों के प्रबंधन द्वारा की जानी है, जिसमें उभयनिष्ठ शेयरधारक के रूप में सरकार सहायक की भूमिका निभाती है। सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकन संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

भारतीय बैंक संघ ने सिफारिश की है कि सरकार को राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ उन्हें मजबूत बनाने के लिए समेकन संबंधी प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। सरकार ने संकेत दिया है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किये गये विशेष प्रस्ताव पर विचार करेगी। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का किसी अन्य राष्ट्रीकृत बैंक में विलय इत्यादि के माध्यम से समेकन का कोई भी प्रस्ताव संबंधित बैंकों के प्रबंधन तथा सरकार, जो उभयनिष्ठ शेयरधारक के रूप में सहयोगी की भूमिका में है, से आना चाहिए। सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकन संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस संदर्भ में बैंकों के बोर्डों को विलय होने वाली कंपनियों/समेकित हो रही कंपनियों के सहक्रिया स्तरों के स्तर पर निर्णय लेना होगा।

किसी भी विलय संबंधी प्रस्ताव का समर्थन करते समय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि विलय होने वाले बैंकों के पणधारकों एवं कर्मचारियों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा की जाए।

3 जून, 2005 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने उन्हें सुझाव दिया कि किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व समेकन की आवश्यकता एवं उनके लाभ के संबंध में (बैंकों के) संघों को उपयुक्त ढंग से सुग्राही बनाया जाए तथा उनकी आशंकाओं का निवारण किया जाए।

पुनः 18 नवम्बर, 2005 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री ने इस पर बल दिया कि बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी पणधारी सुग्राही बनाए जाएं। समेकन के पक्ष में सहमति प्राप्त करने के लिए बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ बातचीत जारी रखें तथा इसमें और भी गंभीरता लाएं।

2.10.10 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता

भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीयकरण होने तथा निजी बैंकों, जो अधिक कुशल हैं तथा जिनके पास बेहतर तकनीकी एवं प्रबंधकीय संसाधन है, के आगमन के साथ ही सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास अधिक कुशलतापूर्वक कारोबार करने के लिए परिचालन में अधिक लचीलापन होना चाहिए। प्रमुख पणधारक के रूप में सरकार की इच्छा ऐसी स्वायत्तता के लिए गुंजाइश करने एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समान अवसर क्षेत्र प्रदान करने का है। इसी संदर्भ में प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी रूपरेखा तैयार की गई है।

उचित विचार-विमर्श के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबंधक एवं परिचालनगत स्वायत्तता संबंधी एक पैकेज की घोषणा 22.02.2005 को की गई है। इन स्वायत्तता संबंधी उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैः-

(i) सम्पूर्ण कारोबारी नीति के भाग के रूप में नए कारोबार शुरू करना।

(ii) कंपनियों अथवा कारोबारों का उपयुक्त अधिग्रहण करना, गैर अर्थक्षम शाखाओं को बंद/विलय करना, विदेशी कार्यालय खोलना, अनुषंगिया स्थापित करना एवं एक ही तरह के कारोबार से बाहर निकलना।

(iii) स्टाफिंग पैटर्न, भर्ती नियुक्ति, स्थानान्तरण, प्रशिक्षण, पदोन्नतियों इत्यादि सहित बैंकों से संबद्ध सभी मानव संसाधन मुद्दों का निपटारा करना।

(iv) कारोबार की प्रमात्रा एवं अन्य संगत कारकों के आधार पर शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदण्ड निर्धारित करना।

(v) अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, न्यूनतम अर्हता मानदंड एवं विभिन्न श्रेणियों के लिए पदोन्नति/भर्ती के तौर-तरीके निर्धारित करना।

(vi) निवेशकों, जमाकर्ताओं एवं अन्य पणधारियों के साथ परस्पर सम्पर्क स्थापित करने के लिए, विदेशों का दौरा करना।

(vii) बैंक अधिकारियों के लिए जवाबदेही एवं जिम्मेदारी की नीति तैयार करना तथा इसी नीति के अनुसार भ्रष्ट बैंक अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करना। नीति रूपरेखा में सभी कदाशय कार्यों के लिए कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए किन्तु यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वाणिज्यिक कार्यकलापों से संबंधित निर्णय लेने के दौरान सदाशय चूक हो जाती है।

बेहतर कार्यनिष्पादन वाले मजबूत बैंकों को निम्नांकित क्षेत्रों में और भी स्वायत्तता दी गई हैः

(i) महाप्रबंधकों के अतिरिक्त पदों का सृजन।

(ii) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति संबंधी निर्णय।

(iii) कर्मचारी कल्याण कोष में अंशदान की जाने वाली राशि से संबंधित निर्णय।

सांविधि केन्द्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) एवं शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के मामले में भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्तता दी गई है तथा अब सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड निम्नांकित विकल्प का प्रयोग कर सकते हैंः-

(i) सरकारी क्षेत्र के बैंक क्रमशः भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) तथा भारत के सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) से सीधे ही सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक एव शाखा लेखा परीक्षकों का नाम प्राप्त कर सकते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से उन्हें नियुक्त कर सकते हैं।

अथवा

(ii) वर्तमान प्रचलन का अनुसरण किया जा सकता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार से परामर्श कर एससीए की नियुक्ति कर सकता है।

तथापि, एससीए एवं शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक से संबंधित मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाना जारी रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संदर्भ में एससीए एवं शाखा लेखा परीक्षकों का पैनल बनाने के मानदंडों को निर्धारित करना भी जारी रखेगा।

2.10.11 भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए रूपरेखा

भारतीय रिजर्व बैंक ने 28.02.2005 को भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए रुपरेखा जारी की है। भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति संबंधी रूपरेखा की प्रमुख विशेषता निम्नांकित हैः-

रुपरेखा को दो चरणों में बांटा गया हैः

प्रथम चरण के दौरान मार्च, 2005 एवं मार्च, 2009 के बीच विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वाधिकृत बैंकिंग अनुषंगी (डब्ल्युओएस) की स्थापना कर अथवा विद्यमान शाखाओं को डब्ल्युओएस में परिवर्तित कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दी जाएगी।

इसे सुकर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किये हैं। इन मार्गनिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक विदेशी बैंकों के स्वामित्व पैटर्न, वित्तीय सुदृढ़ता, पर्यवेक्षी रेंटिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रेणी जैसे पात्रता मानदंड शामिल है। डब्ल्युओएस के पास न्यूनतम 300 करोड़ रुपए अर्थात 3 बिलियन रूपए की पूंजीगत आवश्यकताएं होंगी तथा उन्हें उनके लिए मजबूत कंपनी अभिशासन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। शाखा विस्तार के लिए डब्ल्युओएस को एक वर्ष में 12 शाखाओं को खोलने की विद्यमान डब्ल्युटीओ प्रतिबद्धताओं से परे जाने संबंधी लचीलेपन तथा कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में शाखा विस्तार को तरजीह के साथ विदेशी बैंकों की विद्यमान शाखाओं के समान माना जाएगा। रिजर्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय प्रचलनों तथा देश की आवश्कताओं के संगत डब्ल्युओएस के परिचालनों के लिए डब्ल्युटीओ के समान बाजार पहुंच एवं राष्ट्रीय संसाधन परिसीमा तथा अन्य उपयुक्त परिसीमा को भी निर्धारित कर सकता है।

इस चरण के दौरान पात्र विदेशी बैंकों द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों में शेयर धारिता के अधिग्रहण की अनुमति केवल उन बैंकों तक सीमित होगी जिसकी पहचान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्गठन के लिए की गई है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक संतुष्ट हो कि संबंधित विदेशी बैंक द्वारा इस प्रकार का निवेश निवेशक बैंक में सभी पणधारकों के दीर्घकालित हित में होगा तो वह ऐसे अधिग्रहण की अनुमति दे सकता है। यदि भारत में शाखा वाले विदेशी बैंक द्वारा इस प्रकार का अधिग्रहण किया जाता है तो उन्हें "एक संस्था के रुप में

उपस्थिति" सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम छः महीने की अवधि प्रदान की जाएगी।

द्वितीय चरण की शुरूआत प्राप्त अनुभव की समीक्षा बैंकिंग क्षेत्र में सभी पणधारियों के साथ उचित परामर्श करने के पश्चात अप्रैल, 2009 में होगी। समीक्षा में डब्ल्युओएस के लिए राष्ट्रीय संसाधन के विस्तार से संबंधित मुद्दे, पण को कम करने तथा द्वितीय चरण में विदेशी बैंक द्वारा भारत में गैर सरकारी क्षेत्र के किसी भी बैंक के विलय/अधिग्रहण की अनुमति देने की जांच होगी।

2.10.12 गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक के स्वामित्व एवं अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने 28.02.2005 को गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व एवं अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए स्वामित्व एवं अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं निम्नांकित हैः-

(i) गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के परम स्वामित्व एवं नियंत्रण को पूरी तरह बदल दिया गया है। हालांकि, परिवर्तित स्वामित्व विशेष सुविधा वाली निधि के दुरूपयोग एवं अबुद्धिमतापूर्ण प्रयोग के जोखिम को कम करता है फिर भी यह प्रभावी विनियम का विकल्प नहीं है। इसके अतिरिक्त निरंतर आधार पर उचित एवं उपयुक्त मानदंड में बैंकिंग क्षेत्र में पर्याप्त निवेश, उपयुक्त पुनर्गठन एवं समेकन को सुनिश्चित करने के मार्ग में अभिभावी विचार होना चाहिए। परिवर्तित स्वामित्व की लक्ष्य प्राप्ति में सुव्यवस्थित ढंग से इन मूलभूत उद्देश्यों का ध्यान रखा जाएगा तथा इस प्रक्रिया को उचित समय में प्रचारित किया जाएगा।

(ii) महत्वपूर्ण शेयरधारक (अर्थात 5 प्रतिशत एवं इससे अधिक के शेयर धारण वाले) शेयरों के आंबटन एवं अंतरण के लिए अभिस्वीकृति संबंधी 3 फरवरी, 2004 के दिशानिर्देशों में दिए गए अनुसार उपयुक्त है।

(iii) निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक जो बैंक के कार्यों को देखते हैं, वे 25 जून, 2004 के परिपत्र में दिए गए अनुसार उपयुक्त है तथा बेहतर कंपनी अभिशासन सिद्धान्तों का पालन करते हैं।

(iv) गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास इष्टतम परिचालनों एवं सुव्यवस्थित सुस्थिरता के लिए न्यूनतम पूंजी/निवल सम्पत्ति है।

(v) नीति एवं प्रक्रिया पारदर्शी एवं उपर्युक्त है।

2.10.13 बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यय विदेश निवेश

औद्यगिक नीति एवं उन्नयन विभाग ने 5 मार्च, 2004 को बैंकिंग कंपनियों में एफडीआई जुटाने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यय निवेश की स्थिति निम्नांकित रूप में होगीः

1. गैर सरकारी क्षेत्र में एफडीआई की सीमा एफआईआई द्वारा निवेश सहित स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत 49% से बढ़कर 74% हो गई है। अपने ही देश में वित्तीय विनियामक द्वारा नियंत्रित बैंकिग कंपनियों को 100% इक्विटी धारित करने की अनुमति दी गई है।
2. एफआईआई निवेश सीमा लगातार 49% के भीतर होगी।
3. विदेशी बैंकों के पास या तो शाखा या अनुषंगी शाखा की अनुमति होगी, दोनो की नहीं ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 28.02.2005 को गैर सरकारी क्षेत्र में स्वामित्व एवं अभिशासन से संबंधित दिशानिर्देश तथा भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति की रूपरेखा जारी की है।

2.11 आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)

2.11.1 वर्ष 2005-06 के दौरान सीआरआर को 5.0 प्रतिशत बनाये रखा गया।

2.11.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) :

वाणिज्य बैंकों के एसएलआर में कोई बदलाव नहीं हुआ, अक्तूबर,1997 से यह अनुपात निवल मांग एवं मीयादी देयताओं के न्यूनतम 25 प्रतिशत सांविधिक पर है।

2.11.3 स्थायी चलनिधि सुविधा :

26 अक्तूबर, 2005 को रेपो दर के 6.00 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत मे बदलने के परिणाम स्वरूप स्थायी चलनिधि सुविधा 26 अक्टूबर, 2005 से अनुसूचित बैंकों एवं प्राथमिक विक्रेताओं को 6.25 प्रतिशत पर उपलब्ध करायी गई। पुनः 24 जनवरी,2006 से रेपो दर को 6.50 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने के कारण बैंकों एवं प्राथमिक विक्रेताओं को स्थायी चलनिधि सुविधा 24 जनवरी,2006 से 6.50 प्रतिशत पर उपलब्ध है। वित्तीय प्रणाली में चलनिधि के संचालन में चलनिधि समायोजन सुविधा की अंतर्विष्ट श्रेष्ठता के साथ ही बैंक एवं प्राथमिक विक्रेता चलनिधि समायोजन सुविधा से संबंधित विद्यमान प्रधान तत्वों पर भरोसा करने की ओर अभिमुख हुए हैं।

2.11.4 चलनिधि समायोजन सुविधा योजना

परिवर्तनशील बाज़ार परिस्थितियों के अंतर्गत अल्पकालिक चलनिधि को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा जून 2000 में औपचारिक रूप से शुरूकी। इस योजना ने चलनिधि प्रदान करनेवाली उच्चस्तर पर रिपो दर व्यवस्था और चलनिधि का शोषण कर लेने वाली निम्नस्तर पर रिवर्स रिपो दर व्यवस्था के बीच, एक रात्रि की मांग मुद्रा दर के लिए अनौपचारिक ब्याजदर की सीमा निश्चित करके अल्पावधिक मुद्रा बाज़ार दरों को स्थिर बनाने में मदद की। इस व्यवस्था ने मौद्रिक नियंत्रण की प्रत्यक्ष साधन पर निर्भरता कम करने में भी मदद की जिससे रिज़र्व बैंक अधिकाशतः बाजार आधारित अप्रत्यक्ष साधनों से मौद्रिक नीति का संचालन कर सका।

नवंबर 2004 से रिज़र्व बैंक दैनिक रिपो/रिवर्स रिपो नीलामियो के माध्यम से, जिनके लिए शनिवार को छोड़कर अन्य सभी कार्यदिवसो में पूर्वाह्न 9.30 बजे और 10.30 बजे के बीच बोलियाँ प्राप्त हो जाती हैं, चलनिधि समायोजन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा बाजार के भागीदारो के सुझाव पर, चलनिधि के प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए 28 नवंबर 2005 से एक दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा भी आरंभ की गई है। इसके लिए अपराह्न 3.00 बजे से 3.45 बजे के बीच बोलियाँ प्राप्त हो जाती हैं। इस दूसरी सुविधा में भी वही प्रमुख बातें शामिल हैं जो पहली सुविधा में हैं। फिर भी पहली सुविधा और दूसरी सुविधा से सम्बंधित समायोजन अलग-अलग और सकल आधार पर किए जात हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि अनुभव के आधार पर दूसरी सुविधा की समीक्षा की जा सकती है और आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन किए जा सकते हैं।

अल्पावधिक निधियों की माँग और आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने के मामले में मुद्रा बाजार भलीभाँति काम करते रहे तथा कुल मिलाकर बड़े बाजरों में अत्यधिक चलनिधि की समस्या पैदा नहीं हुई। मुद्रा बाजार की ब्याजदरें 2005-06 के दौरान (मध्य जनवरी 2006 तक) ज्यादातर मौद्रिक नीति के रूझान के अनुरूप रहीं। मुद्रास्फीति के प्रभावों को स्थिर बनाने के लिए जब मौद्रिक नीति के अंतर्गत नपे-तुले कदम उठाए गए तब मुद्रा बाजारों के विभिन्न खंडों में ब्याजदरें मौद्रिक नीति संबंधी उपायों के अनुरूप हो गईं। वर्ष के प्रारंभिक नौ महीनों में समग्र सीमांत चलनिधि, जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा के स्तरों से स्पष्ट हुआ, अधिशेष की स्थिति में रही। फिर भी उभरते चलनिधि परिदृश्य के आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक ने सितंबर 2005 से आरंभ करके बाजार में चलनिधि उपलब्ध कराना आरंभ कर दिया। इससे, दिसंबर 2005 में 7.1 बिलियन अमरीकी डालर की डंडिया मिलेनियम डिपाज़िट देयता के मोचन से पहले, चलनिधि के प्रबंधन में मदद मिली।

2.11.5 इंडिया मिलेनियम डिपाज़िट का मोचन

मध्यावधिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति के रूझान को बरकरार रखते हूए, असंतुलन पर नियंत्रण रखने के लिए, इंडिया मिलेनियम बांड के मोचन के कारण चलनिधि प्रबंधन किया गया। मोचनों के कारण होनेवाले धन के बहिर्वाह से उत्पन्न समस्या का मुकाबला इस संबंध में किए गए विधिवत उपायों से किया गया। दिसंबर 27-29, 2005 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार से लगभग 7.1 बिलियन अमरीकी डालर की कुल विदेशी मुद्रा भारतीय स्टेट बैंक को बेची जो लगभग रू33,000 करोड़ के बराबर थी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए अपेक्षित रूपया संसाधनों की व्यवस्था कर रखी थी। चलनिधि में अस्थायी कभी, साथ ही इंडिया मिलेनियम बांडों का मोचन, अग्रिम कर भुगतानों के कारण होनेवाले बहिर्वाहों, और अनवरत अधिक ऋण दिए जाने की स्थिति के चलते चलनिधि की कमी की समस्या का समाधान, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में प्रतिदिन औसतन लगभग रू23,000 करोड़ की राशि रिपो (द्बितीय चलनिधि समायोजन सुविधा सहित) के जरिये उपलब्ध कराकर किया गया। एक ही समय में इंडिया मिलेनियम डिपाज़िट संबंधी इतनी बड़ी देयता का भलीभाँति मोचन इस बात का द्योतक है कि हमारे वित्तीय बाजारों की सुदृढ़ता बढ़ रही है तथा हमारे द्बारा शुरू की गई चलनिधि समायोजन सुविधा भी सुदृढ है। जनवरी

2006 के पहले सप्ताह में अल्पावधिक मुद्रा बाजार दरों में काफी गिरावट आई जो इंडिया मिलेनियम डिपाज़िट के भलीभाँति मोचन का द्योतक थी, यद्यपि ये दरें बाद में बढ़ गइंदं जो सरकारी प्रतिभूतियो की निर्धारित नीलामियों से पैदा होने वाले दबाव का द्योतक हैं।

2.11.6 **वाणिज्यिक पत्र**

वाणिज्यिक पत्रों के निर्गम पर देय स्टांप ड्यूटी को संगत बनाने के लिए, जैसा कि संघीय बजट 2005-06 में घोषित किया गया था, 30 नवंबर 2005 को एक अधिसूचना जारी करके स्टांप ड्यूटी को तर्क-संगत बना दिया गया है। वाणिज्यिक पत्रों पर अब स्टांप ड्यूटी एक समान दर से लागू होगी, निदेशकों का प्रारंभिक वर्ग चाहे कुछ भी हो। वर्ष 2005-06 (मध्य जनवरी 2006 तक) के दौरान वाणिज्यिक पत्र बाजार में उछाल की प्रवृत्ति बनी रही। वाणिज्यिक पत्रों की बकाया राशि अप्रैल 2005 के रू15,598 करोड़ से बढ़कर मध्य जनवरी 2006 में रू17,235 करोड़ हो गई। वाणिज्यिक पत्रों पर डिस्काउंट का रेंज अप्रैल 2005 के 5.50-6.65 प्रतिशत से बढ़कर मध्य जनवरी 2006 में 6.50-7.75 प्रतिशत तक पहुँच गया।

2.11.7 **बैंक दरः**

बैंक दर 6.0 प्रतिशत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2.11.8 **पुनः खरीद दर :**

प्रचलित व्यष्टि अर्थव्यवस्था एवं संपूर्ण मौद्रिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैक ने 29 अप्रैल, 2005 से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियत प्रतिपुनर्खरीद दर को 25 आधार बिंदु बढ़ाकर 5.00 प्रतिशत कर दिया। तथापि, प्रतिपुनर्खरीद दर एवं पुनर्खरीद दर के बीच की खाई को 29 अप्रैल, 2005 से 125 आधार बिंदु से 100 बिंदु तक 25 आधार बिंदु कम किया गया। तदनुसार ही, पुनर्खरीद दर (चलनिधि अंतःक्षेप) 6.00 प्रतिशत पर बना रहा।

इसके अतिरिक्त, प्रचलित मौद्रिक स्थितियों की समीक्षा करने पर रिजर्व बैक ने नियत प्रतिपुनर्खरीद दर को 26 अक्टूबर, 2005 से 5.25 प्रतिशत तक 25 आधार बिंदु की बढ़ोतरी की। साथ ही, एलएएफ के तहत नियत पुनर्खरीद दर को भी 6.25 प्रतिशत तक बढ़ाया गया। प्रतिपुनर्खरीद दर एवं पुनर्खरीद दर के बीच का विस्तार 100 आधार बिन्दु पर बना रहा।

चालू व्यष्टि अर्थव्यवस्था एवं संपूर्ण मौद्रिक स्थितियों की पुनर्समीक्षा करने पर रिजर्व बैंक ने नियत प्रतिपुनर्खरीद दर में 24 जनवरी, 2006 से 5.50 प्रतिशत तक 25 आधार बिंदु की बढ़ोत्तरी की तथा उसी तारीख से नियत पुनर्खरीद दर को 6.50 प्रतिशत तक बढ़ाया।

2.11.9 **जमा ब्याज दर :**

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का मीयादी जमा दर समाप्त मार्च, 2004 के 3.75-6.00 प्रतिशत से खिसक कर समाप्त मार्च 2005 को 2.75-7.00 प्रतिशत तक आ गयी तथा दिसम्बर, 2005 तक यह और खिसक कर 2.00-7.00 प्रतिशत तक आ गयी।

2.11.10 **उधार संबंधी ब्याज दर :**

अब तक 2005-06 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं विदेशी बैंकों की आधार प्राथमिक उधार दरें (बीपीएलआर) क्रमशः 10.25-11.25 प्रतिशत, 11.00-13.50 प्रतिशत एवं 10.00-13.50 प्रतिशत एवं 10.00-14.50 प्रतिशत तक के बीच बना रहा।

नवम्बर, 2003 की मध्यावधि समीक्षा में की गई घोषणा के अनुसरण में आधार प्राथमिक उधार दर (बीपीएलआर) प्रणाली को लागू किया गया था। इन वर्षों में, बीपीएलआर प्रणाली इस प्रकार विकसित हुई है जिससे इन अपेक्षाओं की पूर्ण पूर्ति नहीं हुई है। प्रतिस्पर्धा के कारण ऋण के अधिकांश भाग को बीपीएलआर के संरेखण से अलग तथा अपारदर्शी तरीके से मूल्य निर्धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। परिणामस्वरूप, इससे बीपीएलआर की संदर्भित दर के रूप में भूमिका को क्षति पहुंची। इसके अतिरिक्त, लोगों का मानना है कि कंपनियों के लिए ऋणों का कम मूल्य निर्धारण होता है जबकि कृषि एवं छोटे एवं मझौले उद्यमों के लिए उधार का अधिक मूल्यनिर्धारण हो सकता है रिजर्व बैंक को बैंकों से कई अनुरोध भी प्राप्त हुए हैं जिनमें बीपीएलआर प्रणाली की समीक्षा का सुझाव दिया गया है। इसलिए, सम्पूर्ण ऋण चक्र में वित्तीय मध्यस्थता के विभिन्न चरणों में लागतों की बेहतर ढांचागत एवं खंड-वार विश्लेषण के माध्यम से ऋण के मूल्य निर्धारण के चालू क्रियाविधियो एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। तदनुसार ही, भारतीय रिजर्व संघ से बीपीएलआर प्रणाली की नये सिरे से समीक्षा करने तथा ऋण के उपयुक्त मूल्य निर्धारण के लिए पारदर्शी दिशानिर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2.11.11 **खाद्य ऋण :**

खाद्य ऋण "एकल खिड़की" प्रणाली के अंतर्गत 65 बैंकों के एक सहायता संघ द्वारा संवितरित की जाती है जिसका नेतृत्व भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), (भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के 7 अनुषंगी बैंक, सरकारी क्षेत्र के अन्य 20 बैंक, गैर सरकारी क्षेत्र के 16 बैंक तथा 21 राज्य सहकारी बैंक) करते है। वर्तमान में प्रभारित ब्याज की दर (अर्थात सहायता संघ में पांच बड़े बैंकों की प्राथमिक उधार दरों का औसत) 9.1 प्रतिशत हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा एकल चूक गारंटी लागू किए जाने के बाद 11 अगस्त, 2004 से भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के लिए ऋण के संदर्भ में ब्याज की दर को और घटाकर 8.15 प्रतिशत कर दिया गया। 20 जनवरी, 2006तक की स्थिति के अनुसार कुल खाद्य ऋण बकाया 41,197.98 करोड़ रूपए है।

2.11.12 **निर्यात ऋण**

रूपया निर्यात ऋण पर ब्याज दरों की उच्चतम सीमा में, हर मामले में 26 सितंबर 2001 से लागू की गयी 1 प्रतिशत की कटौती 30 अप्रैल 2006 तक और बढ़ा दी गयी है। निर्यात ऋण पर ब्याज दरों पर से नियंत्रण हटाने की नीति के अनुसरण में 1 मई 2003 से दूसरे स्तर अर्थात् पोतलदानपूर्व ऋण के लिए 181 से 270 दिन की ऋण-अवधि तथा पोतलदानोत्तर ऋण के लिए 91 से 180 दिन की अवधि के लिए ब्याज की दरों को मुक्त कर दिया गया है और उन्हें बैंकों द्वारा अपने बोर्ड के अनुमोदन के अधीन निर्धारित किया जाएगा। पोतलदानपूर्व स्तर पर बैंकों के निर्यात ऋण का वितरण जुलाई-जून 2003-04 के 163440 करोड़ रूपये से बढ़कर जुलाई-जून 2004-05 के दोरान 179130 करोड़ रूपये और पोतलदानोत्तर स्तर पर जुलाई-जून 2003-04 के दौरान 148262 करोड़ रूपये से बढ़कर जुलाई-जून 2004-05 के दौरान 171479 करोड़ रूपये हो गया।

2.11.13 **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मानदंड एवं कोड से संबंधित स्थायी समिति द्वारा गठित परामर्शदात्री समूह की सिफारिशों की समीक्षा : प्रगति एवं आगामी कार्य सूची संबंधी रिपोर्ट**

रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 2004 में उपर्युक्त रिपोर्ट को लोगों के बीच रखा था। अंन्तिम रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की जा रही है। इस समीक्षा में मौद्रिक एवं वित्तीय नीतियों, राजकोषीय पारदर्शीता, आंकड़ों के प्रचार प्रसार, बैंकिंग पर्यवेक्षण, प्रतिभूति बाजार विनियमों, बीमा बाजार विनियमों, दिवालिया संबंधी कानून, कंपनी अभिशासन, लेखाकरण एवं लेखापरीक्षा भुगतान समझौता प्रणाली एवं बाजार संबंधी निष्ठा को शामिल करते हुए विचार करने वाले 11 परामर्शदात्री/तकनीकी समूह द्वारा की गई सिफारिशों के क्रम में हुई प्रगति को शामिल किया जाएगा। इन क्षेत्रों में हुई संगत वैश्विक विकास की भी समीक्षा की जा रही है।

2.11.14 **निर्यातकों के लिए गोल्ड कार्ड योजना**

भारत सरकार (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ परामर्श करके वर्ष 2003-04 की निर्यात-आयात नीति में निर्दिष्ट किया था कि ऋण पाने की योग्यता रखने के साथ अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले निर्यातकें को सर्वोत्तम शर्तों पर निर्यात ऋण सुलभ कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गोल्ड कार्ड योजना बनायी जाएगी। तदनुसार, चुनिडदा बैंकों और निर्यातकों के परामर्श से गोल्ड कार्ड योजना बनाई गई। इस योजना में निर्यातकों के कार्यनिष्पादन के रिकार्ड के आधार पर उन्हें कुछ अतिरिक्त लाभ देने पर ध्यान दिया गया है। अपने अच्छे ट्रैक रिकार्ड के आधार पर गोल्ड कार्ड धारक को आसान और अधिक सक्षम ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

i) अपने ट्रैक रिकार्ड और ऋण पात्रता के अनुरूप गोल्ड कार्ड धारक निर्यातकों को अन्य निर्यातकों की तुलना में बैंकों से ब्याज दर सहित बेहतर शर्तों पर ऋण प्राप्त होगा।

ii) मंजूरी की शर्तों को पूरा करने के अधीन स्वतः नवीनीकरण के लिए प्रावधान सहित 3 वर्ष की अवधि के लिए "सैद्धांतिक रूप में" सीमाएँ मंजूर की जाएंगी।

iii) अचानक प्राप्त हुए आदेशों का निष्पादन करने की त्वरित ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा के लिए अनुमानित सीमा के कम से कम 20 प्रतिशत की तत्काल सीमा अतिरिक्त रूप से उपलब्ध करायी जा सकती है।

iv) बैंकों द्वारा कार्ड धारकों के नये आवेदनों के लिए 25 दिनों में/15 दिनों में सीमाओं का नवीनीकरण तथा तदर्थ सीमाओं का निपटान 7 दिनों के भीतर शीघ्रतापूर्वक किया जाएगा।

v) गोल्ड कार्ड धारकों को विदेशी मुद्रा में पैकिंग ऋण देने के मामलों में वरीयता दी जाएगी।

vi) गोल्ड कार्ड धारकों के संबंध में, पोतलदानोत्तर रूपया निर्यात ऋण के लिए 90 दिनों तक लगाई जाने वाली रियायती ब्याज की दरें अधिकतम 365 दिनों की अवधि के लिए भी उसी दर से लगाई जा सकती हैं।

vii) भारतीय निर्यातकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (लिबोर) + 0.75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी विशिष्ट समय पर निर्यातकों को उधार देने के लिए बैंक के पास पर्याप्त डॉलर उपलब्ध न हो तो इस प्रयोजन हेतु अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा उधार पर बैंक द्वारा 0.1 प्रतिशत की सपाट दर पर सेवा प्रभार लगाया जा सकता है।

2.11.15 **चाय उद्योग**

यह स्मरण योग्य है कि चाय उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री मधुकर की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की रिपोर्ट के आधार पर कतिपय राहत उपाय, जो मुख्यतः बैंक द्वारा दिए गए उधारों के भुगतानों की अवधि के पुनर्निर्धारण से संबंधित थे, चाय उद्योग को अगस्त 2002 में प्रदान किए गए थे। इसके बाद छोटे चाय उत्पादकों तथा बॉट लीफ कारखानों की समस्याओं के अध्ययन के लिए अलग-अलग कार्यदलों का गठन किया गया था तथा इनकी सिफारिशों का भी बैंकों ने कार्यान्वयन किया। भारतीय बैंक संघ ने भी चाय उद्योग के लिए फरवरी 2004 में कुछ अतिरिक्त राहत उपाय लागू किए जिनका बैंक कार्यान्वयन कर रहे हैं।

2.11.16 **कॉफी उत्पादक**

वर्ष 2004-05 के दौरान प्राप्त मूल्य पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्राप्त मूल्यों से अधिक होने के बावजूद कॉफी उत्पादकों के लिए कम कीमतों की समस्या बनी रही। उच्च कीमतों के लाभ कतिपय प्रमुख कॉफी उत्पादक जिलों में कीटकों के आक्रमण शुरू होने तथा सूखा पड़ने के कारण कुछ हद तक नगण्य हो गये। कॉफी उत्पादक संघों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2004 में कॉफी उत्पादकों को अतिरिक्त राहत उपाय लागू किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, कतिपय शर्तों के अधीन उत्पादकों द्वारा बैंकों से लिए गए अग्रिमों के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में छूट शामिल थी। लगातर बनी हुई समस्याओं को देखते हुए, भारत सरकार और बैंकों ने जून 2005 में कॉफी उत्पादकों को ब्याज के संबंध में राहत प्रदान की।

2.11.17 **तम्बाकू व्यापारी**

बैंकों से व्यापारियों द्वारा लिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू किए गए राहत उपायों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मांग में हुई अत्यधिक कमी के परिणामस्वरूप कतिपय तम्बाकू व्यापारी अत्यधिक स्टॉक के संचयन की समस्या से उबर नहीं पाए। यह स्मरण योग्य है कि तम्बाकू व्यापारियों की समस्याओं पर विचार करने के लिए श्री बी. वसंतन, भूतपूर्व अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, आंध्रा बैंक की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2003 में कतिपय राहत उपाय घोषित किए थे। भारतीय तम्बाकू व्यापारी संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति, आंध्र प्रदेश को सूचित किया कि वे उन तम्बाकू व्यापारियों के खातों के पुनर्गठन संबंधी आवेदनों पर विचार करें, जिनके खातों का बैंकों द्वारा 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकरण किया गया है।

2.11.18 **आवास**

समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली के व्यक्तिगत आवास वित्तपोषण में 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि हो रही है। यद्यपि उच्चतर मूल प्रभाव के कारण प्रतिशत के क्रम में वृद्धि अपेक्षाकृत कम थी, फिर भी 30 सितम्बर, 2005 को समाप्त छमाही के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण क्षेत्र में पूर्ण वृद्धिशील ऋण-बकाया पिछले वर्ष के तदनुरूप अवधि के आंकड़े की तुलना में अधिक था।

तालिका 1 : आवास वित्त में कुल ऋण-बकाया

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	अप्रैल 2004 - सितम्बर 2004	अप्रैल 2004 - मार्च 2005	अप्रैल 2005 - सितम्बर 2005
निरपेक्ष वृद्धि	19447	45204	21250
प्रतिशत वृद्धि	21.74	50.54	15.78

स्रोतः *भारत में बैंक की प्रवृत्ति और प्रगति तथा स्थलेतर विवरणी पर रिपोर्ट।*

वर्तमान में व्यक्तियों द्वारा मकान बनाने के लिए ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों, शहरी और महानगरीय क्षेत्रों में बैंकों द्वारा 15 लाख रु तक प्रदान किए गए ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आवास क्षेत्र (प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र) को दिया गया ऋण मार्च 2004 के अन्तिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 76582.43 करोड़ रु से बढ़कर मार्च 2005 कके अन्तिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 110283.43 करोड रु हो गया, जिससे 33,701 करोड़ रु (44.1) की वृद्धि परिलक्षित होती है। अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, जिनमें अन्य के साथ-साथ आवास और छोटे सड़क और जल परिवहन चालक सम्मिलित हैं, में भी वर्ष 2003-04 की तुलना में वर्ष 2004-05 के दौरान 34880 करोड़ रु लगभग 41% की वृद्धि हुई है।

साथ ही, रिज़र्व बैंक ने दिनांक 20 जुलाई 2004 के परिपत्र द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे आवास के लिए प्रत्यक्ष उधार के अन्तर्गत बंधक रखी गई प्रतिभूतियों (एमबीएस) पर उनके द्वारा किए गए निवेश को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत करें, बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हों :-

i) प्रत्यक्ष आवास ऋण के संबंध में वे सामूहिक आस्तियाँ जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने की परिभाषा के अनुरूप हों;

ii) प्रतिभूतिकृत ऋण आवास वित्त कम्पनियों/बैंकों द्वारा दिए गए हों; तथा

iii) बंधक रखी गई प्रतिभूतियाँ (एमबीएस) दिनांक 24 मई 2002 के बैंपविवि. के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.106/21.01.002/2001-02 के पैराग्राफ 3 में दी गई शर्तें पूरी करते हैं।

2.11.19 **लघु उद्योग क्षेत्र**

लघु उद्योग (एसएसआइ) उद्योग क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत में लघु उद्योगों को एक अलग पहचान दी गई है तथा सरकार साने इस क्षेत्र के उच्च प्राथमिकता इस आधार पर दी है कि देश की संतुलित और निरन्तर आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। यह क्षेत्र मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन, राष्ट्रीय आय के साम्यिक वितरण, उद्योगों के क्षेत्रीय वितरण, पूंजी और उद्यम कौशल के संग्रहण तथा निर्यात आय मे ंअंशदान करके आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है।

लघु उद्योग और अनुषंगी इकाइयाँ वे इकाइयाँ हैं जो निर्माण, प्रक्रिया अथवा वस्तुओं के परिरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा जिनमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश (मूल लागत) 1 करोड़ रु से अधिक नहीं है। इनमें, अन्य के साथ-साथ वे इकाइयाँ भी सम्मिलित हैं जो खनन और उत्खनन, मशीनरी की सर्विसिंग और मरम्मत के क्षेत्र में कार्यरत हैं। लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने कतिपय विशिष्ट मदों के अन्तर्गत हौज़री, हाथ के औजार, दवा और फार्मास्युटिकल उद्योग, लेखन सामग्री तथा खेल कूद के सामान वाले उद्योगों को लघु उद्योग के रूप में वर्गीकृत करने हेतु 1 करोड़ रु की निवेश सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रु कर दिया है।

लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार केवल लघु उद्योग क्षेत्र में निर्माण किए जाने हेतु आरक्षित मदों का अनारक्षण कर रही है। लघु उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28 मार्च 2005 को उक्त सूची से 108 मदों का अनारक्षण किए जाने के साथ, केवल लघु उद्योग क्षेत्र में निर्माण किए जाने हेतु आरक्षित मदों की संख्या 506 रह गई है।

हालांकि, घरेलू वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने के लिए कोई उप लक्ष्य निर्धारित नहीं है, घरेलू बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करना कि लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई निधि का 40% उन इकाइयों को उपलब्ध कराया जाए जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 लाख रूपए तक है तथा 20% उन इकाइयों को उपलब्ध कराया जाए जिनका संयंत्र और मशीनरी में निवेश 5 और 25 लाख रूपए के बीच है तथा शेष 40% अन्य लघु उद्योगों को दिया जाए। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने के लिए निवल बैंक ऋण का 10% उप लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

छोटे और मध्यम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने में उधार के संबंध में माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा दि.10 अगस्त 2005 को की गई घोषणा के फलस्वरूप रिजर्व बैंक ने दि.19 अगस्त 2005 के परिपत्र के माधआयम से सभी

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया कि वे आवश्यक कार्रवाई करें।बैंकों द्वारा तैयार की जाने वाली नीति में लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को वित्तपोषण हेतु स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करें, प्रति वर्ष अपनी प्रत्येक अर्ध शहरी/शहरी शाखा में औसत कम से क 5 नए छोटे/मध्यम उद्यमों को उधार देने के सधन प्रयास करना, ऋण की कीमत निर्धारित करना, संपार्श्विक अपेक्षाओं (5 लाख रु तक के ऋणों पर संपार्श्विक न मानी जाने की शर्त के अधीन) छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तपोषण हेतु समूह आधारित दृष्टिकोण अपनाना, और बैंक उधार की लागत की पारदर्शक रेटिंग प्रणाली जो उद्यम के कारडिट रेटिंग से सहलग्न हो, अपनाकर छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए ऋणों की लागत को युक्तिसंगत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना शामिल होगा। मध्यम उद्यमों के आधिक्य ावाले पहचान किए गए समूहों/केद्रों में एसएमई विशिष्ट शाखाओं की स्थापना किए जाने के अतिरिक्त, इन राज्यों के बारे में सभी निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बेंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को दिनांक 25 अगस्त 2005 के परिपत्र द्वारा, आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया।

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र को 10 करोड़ रु से कम अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए एक बारगी समझौते संबंधी दिशानिर्देश भी जारी किए थे। दिशानिर्देशों में छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र में लंबे समय से चल रही अनर्जक आस्तियों के एक बारगी समझौते के लिए एक ऐसा तंत्र होगा जो सरल हो और जिसमें भेद भाव न हो। तदनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी पात्र लघु और मध्यम उद्यमों को उन शर्तों पर ऋण के पुनः निर्धारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो बैंकिंग क्षेत्र में कम्पनी ऋण पुनः निर्धारण तंत्र के समान अनुकूल हों।

लघु उद्योग को ऋण उपलब्ध कराने पर कार्यकारी दल (गांगुली कार्यदल) की सिफारिशों के आधार पर विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार के लक्ष्यों में कमी के बजाय सिडबी के पास रखी जाने वाली जमाराशियों पर ब्याज दर को समग्र लक्ष्य (निवल बैंक ऋण का 32%) अथवा लघु उद्योग उप लक्ष्य में समग्र कमी (10 प्रतिशत) और निर्यात ऋण (12 प्रतिशत) में से जो भी अधिक हो को कमी की सीमा के प्रतिलोभ ढंग से निम्नानुसार संलग्न किया गया है।

क्र. सं.	समग्र लक्ष्य (निवल बैंक ऋण के 32%) अथवा लघु उद्योग उप लक्ष्य में कुल कमी (10 प्रतिशत) तथा निर्यात ऋण (12 प्रतिशत) जो भी अधिक हो, में कमी	सिडबी के पास रखी जाने वाली संपूर्ण जमा राशि पर ब्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)
1.	2 प्रतिशतता पाइंट से कम	बैंक दर-1 प्रतिशतता पाइंट
2.	2 और अधिक लेकिन 5 प्रतिशतता पाइंट से कम	बैंक दर-1 प्रतिशतता पाइंट
3.	5 और अधिक, लेकिन 9 प्रतिशतता पाइंट से कम	बैंक दर-1 प्रतिशतता पाइंट
4.	9 प्रतिशतता पाइंट और अधिक	बैंक दर-1 प्रतिशतता पाइंट

विदेशी बैंकों द्वारा सिडबी के पास रखी गई जमाराशियों की अवधि तीन वर्ष होगी।

वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर महोदय द्वारा, समूह में बैंक शाखाओं और सिडबी के बीच अनुकूल गठबंधन की योजना तैयार करने के संबंध में की गई घोषणा के अनुसरण में लघु उद्योग मंत्रालय तथा बैंकिंग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सिडबी, भारतीय बैंक संघ तथा चयनित बैंकों के परामर्श से एक योजना "छोटे उद्यम वित्तीय केद्र" तैयार की गई है और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बीच कार्यान्वयन हेतु परिचालित की गई है।

2.11.20 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (स्वजशरोयो)

यह योजना 1 दिसंबर 1997 से भारत के सभी शहरी एवं अर्ध-शहरी नगरों में परिचालित है। अन्य घटकों में, योजना में दो उप योजनाएं हैं जहां बैंक ऋण सम्मिलित है अर्थात् शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूसेप) और शहरी क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम (डीडब्ल्यूसीयूए)।

हिताधिकारियों की पहचान शहरी स्थानीय निकायों द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण के आधार पर की गई है। योजना के अंतर्गत महिलाओं को न्यूनतम 30% की सीमा तक, शारीरिक रूप से विकलांगों को 3% और अजा/अजजा को उनकी स्थानीय जनसंख्या के अनुपात की न्यूनतम सीमा तक सहायता दी जाती है। योजना केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 75:25 आधार पर निधीकृत है। यूसेप के अंतर्गत, आंशिक रूप से रोजगारप्राप्त और बेरोजगार शहरी युवक जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से नीचे है और जो नवीं कक्षा तक शिक्षित हैं तथा जो यूएलबी सूची में सम्मिलित हैं को बैंक ऋणों की सहायता मिलती है। बैंक 50,000/- रु लागतवाली परियोजनाओं का वित्तपोषण करते हैं। सरकार द्वारा परियोजना लागत की 15%, सब्सिडी, जो अधिकतम 7,500/- रु के अधीन हो, दी जाती है। उधारकर्ता के परियोजना लागत का 5% मार्जिन राशि के रूप में देना होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज प्रभारित किया जाएगा। भागीदारी की अनुमति भी है। डीडब्ल्यूसीयूए के अंतर्गत महिला हिताधिकारी समूहों में स्वरोजगार के अवसर चुन सकते हैं। समूह में कम से कम 10 शहरी गरीब महिलाएं होनी चाहिए। समूह 1,25,000/- रु या परियोजना लागत का 50% जो भी कम हो, की सब्सिडी पाने के लिए पात्र हैं।

वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05, 2005-06 (सितंबर 2005 तक) के दौरान योजना के अन्तर्गत वाणिज्य बैंकों का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार रहाः

(लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृति		संवितरण	
	सं.	राशि लाख में	सं.	राशि लाख में
2002-03	81912	24026.70	67353	19262.71
2003-04	73887	22756.45	59648	17439.73
2004-05	61890	19926.83	48798	15067.08
2005-06 (सितम्बर 2005 तक)	22030	7182.78	17639	5426.43

आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए गए अनुसार

2.11.21 प्रधानमंत्री रोजगार योजना

यह योजना 2 अक्तूबर 1993 को आरंभ की गई थी तथा शुरुमें यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू थी। 1 अप्रैल 1994 से यह पूरे देश में लागू है। योजना का उद्देश्य 18 से 35 वर्ष के आयु वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में पात्र आयु वर्ग 18-40 वर्ष है। ऊपरी आयु सीमा में अजा/अजजा, भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक रूप से विकलांग तथा महिलाओं का 10 वर्ष की छूट है। योजना के अन्तर्गत पात्र होने के लिए हिताधिकारी की पारिवारिक आय 40,000/- रु वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा ाहिताधिकारी के माता-पिता भी 40,000/- रु से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंकों को अनुमति है कि वे दिनांक 21 नवंबर 2002 से अविवाहित लड़कियों के माता-पिता/परिवार के मुखिया को सह-उधारकर्ता बना सकते हैं। उधारकर्ता उसे क्षेत्र का निवासी 3 वर्ष से अधिक अवधि से होना चाहिए। मेघालय में विवाहित पुरुषों के लिए आवासीय मानदण्डों में उसी प्रकार छूट दी गई है जिस प्रकार देश के अन्य भागों में विवाहित ॉायों को दी गई है।

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता VIII वीं कक्षा उत्तीर्ण है। हिताधिकारी को 5% मार्जिन राशि लानी होगी तथा सरकारी द्वारा परियोजना लागत का 15% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। यह भी प्रावधान है कि मार्जिन राशि और सब्सिडी, परियोजना लागत का 20% होगा। सब्सिडी की अधिकतम सीमा, उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर, शेष राज्यों में 7500/- रु होगी। उत्तर पूर्व के सात राज्यों में सब्सिडी की राशि 15000/- रु होगी। मानदण्डों में छूट सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तरांचल राज्यों को भी दी गई है। अब इस योजना में आर्थिक रूप से सद्गाम सभी गतिविधियाँ, कृषि और संबंधी गतिविधियों सहित, लेकिन फसल उगाने/खाद खरीदने इत्यादि जैसे प्रत्यक्ष कृषि परिचालनों को छोड़कर; शामिल की गई हैं।

कारोबार क्षेत्र में 1 लाख रु तथा अन्य क्षेत्रों में 2 लाख रु तक की परियोजनाएँ बैंकों द्वारा वित्त प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी। साझेदारी फम्र के लिए 10 लाख रु तक की परियोजनाएँ शुरु की जा सकती हैं तथा ऋण की राशि व्यक्तिगत पात्रता की सीमा तक उपलब्ध होगा।

अजा/अजजा के लिए 22.5% तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण उपलब्ध है। महिलाओं तथा अन्य पिछड़े वर्गों को वरीयता दी जानी है। बैंकों को सूचित किया गया हे कि वे अल्पसंख्यकों को उचित और पर्याप्त

हिस्सा देना सुनिश्चित करें। 1 लाख रु तक की परियोजनाओं के लिए कोई तृतीय पक्ष/संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है तथा योजना के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रिम माना जाएगा।

वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (जनवरी 2006 तक) के दौराकन योजना का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपए में)

कार्यक्रम	स्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण	
वर्ष	सं.	राशि	सं.	राशि
2001-2002	237392	153918	189860	118480
2002-2003	228031	149699	190521	119847
2003-2004	264012	167890	219444	136755
2004-2005	293729	86959	215650	130835
2005-2006 (जनवरी 2006 तक)	55746	35938	32640	19725

2.11.22 **अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण उपलब्ध कराना**

वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि अल्पसंख्यक समुदायों यथा सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज़ोराष्ट्रियन और बुध्दिस्ट के सदस्यों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तथापि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए उप लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए लक्ष्य विशेष रूप से निर्धारित न किए जाने के बावलूद उपलब्ध आँकड़ों से ज्ञात होता है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन समुदायों को उपलब्ध कराया गया ऋण वर्ष 2003-04 में 3581.21 करोड़ रु से बढ़कर 2004-05 में 4608.24 करोड़ रु हो गया।

(राशि करोड़ रुमें)

वर्ष	ऋण की राशि
2002-2003	237508
2003-2004	358121
2004-2005	4608.24

2.11.23 **उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास**

मार्च 2003, 2004 और 2005 को समाप्त वर्ष के दौरान उत्तर पूर्व राज्यों में स्वग्रास्वयो, स्वजशरोयो आार एसएलआरएस के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कार्यनिष्पादन नीचे दर्शाया है:

(राशि लाख रुपए में)

	2002-03				2003-04				2004-05			
	स्वीकृत		संवितरित		स्वीकृत		संवितरित		स्वीकृत		संवितरित	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
स्वग्रास्वयो	लागू नहीं	4941.89	19960	1781.9	लागू नहीं	6815.58	32914	2532.8	लागू नहीं	6559.7	60561	6057.1
स्वजशरोयो	3891	1737.8	3582	1585.9	3720	1705.1	3673	1610	1754	630.2	1664	595.7
एसएलआरएस	53	7.8	53	7.7	47	5.9	41	5.5	35	4.9	35	4.8

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से प्राप्त आंकडे।

2.11.24 **प्रधान मंत्री रोजगार योजना**

वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 और 2005-06 (जनवरी 2006 तक) के दौरान प्रधान मंत्री योजना का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

कार्यक्रम	स्वीकृत ऋण		संवितरित ऋण	
वर्ष	सं.	राशि	सं.	राशि
2001-2002	7378	5716	5980	4588
2002-2003	8539	6883	6595	5115
2003-2004	12584	9107	10306	7591
2004-2005	15471	13346	6252	4078
2005-2006 (जनवरी 2006 तक)	5103	3600	4120	2415

आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए अनुसार।

अतिरिक्त जानकारी

2.11.25 **स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाइ)**

ग्राम विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 1999 से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन समेकित ग्रामीण विकास योजना और उसके विविध कार्यक्रमों जैसे, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (ड्वारा), ग्रामीण कारीगरों को सुधारे गए साधनों की आपूर्ति (सिट्रा), गंगा कल्याण योजना (जीकेवाइ) और मिलियन कूप योजना (एमछब्ल्यूएस) को मिलाकर किया। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना समूह दृष्टिकोण पर केद्रित होगी तथा सहायता का मुख्य हिस्सा ब्लॉक स्तर पर पहचान की गई 4-5 गतिविधियों के लिए है तथा ब्लॉक में बनाए गए समूहों में 50% समूह महिलाओं के होने चाहिए। योजना में हिताधिकारियों की प्रशिक्षण, ऋण, मूलभूत सुविधाओं और विपणन आवश्यकताओं पर जोर दिया गया हे तथा इसका कार्यान्वयन वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है।

योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में व्यष्टि उद्यम स्थापित करना तथा प्रत्येक सहायताप्राप्त परिवार को बैंक ऋण तथा सरकारी सब्सिडी के मिश्रण से आय सृजन करने वाली आस्तियाँ उपलबध कराके गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

वर्ष 2004-05 योजना के कार्यान्वयन का छठा वर्ष था तथा योजना के अन्तर्गत 1084749 स्वरोजगारियों को बैंक ऋण प्राप्त हुआ जिसकी राशि 95813.48 लाख रु थी तथा स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत मार्च 2005 के अन्त तक सरकार द्वारा की गई सब्सिडी की राशि 38101.05 लाख रु थी। कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न लिखित उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं: अजा/अजजा 50%, महिला 40% और शारीरिक रूप से विकलांग 3%। कुल सहायताप्राप्त स्वरोजगारियों में से अजा/अजजा के 285395 (26.30 प्रतिशत), महिलाएँ 338391 (31.19 प्रतिशत) और 10126 (0.93 प्रतिशत) शारीरिक रूप से विकलांग थे।

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 (सितंबर 2005 तक) के दौरान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित वाणिज्य बेंकों का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

(राशि लाख रुपए में)

वर्ष	कुल संवितरित ऋण	कुल संवितरित राशि
2002-03	719293	73361.13
2003-04	991062	84080.98
2004-05	1084749	95813.38
2005-06 (सितम्बर, 2005तक)	417121	34633.63

आंकड़ों में अनूसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्दिष्ट किए अनुसार अलग-अलग व्यक्तियों और स्वयं सहायता समूहों को संवितरित राशि सम्मिलित है।

2.11.26 **स्वच्छकारों की मुक्ति और पुनर्वास योजना (एसएलआरएस)**

योजना वर्ष 1993 में आरंभ की गई और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यान्वित है। योजना मे केंद्र सरकार और राज्य सरकार 50:50 अनुपात में भाग लेते हैं। योजना का उद्देश्य स्वच्छकार और उनके आश्रितों को मैला ढोने के वर्तमान घृणित व्यवसाय से मुक्त करके उनका पुनर्वास करना है। योजना में सभी स्वच्छकार और उनके आश्रित (देश के अनुसूचित जाति के स्वच्छकार और अनुसूचित जाति से इतर स्वच्छकार) सम्मिलित हैं। योजना के अंतर्गत 50,000/- रुपए तक की परियोजनाएं वित्तपोषित की जा सकती हैं। सब्सिडी उधारकर्ताओं को परियोजना लागत का 50%, 10,000 रुपए अधिकतम के अधीन, उपलब्ध है। उधारकर्ता राज्य अनूसचित जाति विकास निगम से 4% की वार्षिक ब्याज दर पर परियोजना लागत की 15% मार्जिन सहायता ले सकते हैं। 6500 रुपए तक के सभी ऋण का 4% रियायती दर पर विभेदक ब्याज दर ऋण के रूप में माने जाएंगे। तथापि जहां ऋण राशि 6500 रुपए से अधिक हो, पूरे ऋण के लिए ब्याज दर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ऋण के लिए जमानत केवल आस्तियों से अर्जित दृष्टिबंधक ही होगी। राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम का आस्तियों पर अपनी मार्जिन राशि ऋण सहायता कवर करने के लिए

दूसरा प्रभार/समरूप प्रभार होगा। ऋण की चुकौती 3 से 7 वर्ष के भीतर करनी चाहिए, (छूट की अवधि 6 माह से अधिक न हो) जो अर्जित आस्तियों की अवधि और हिताधिकारियों की चुकौती क्षमता पर निर्भर होगी।

वर्ष 2004-05 के दौरान, योजना के अन्तर्गत कुल 10206 आवेदन प्राप्त हुए, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा मार्च 2005 तक 8209 मामलों में संवितरण किया गया जिसकी राशि 1574.22 लाख रु थी। साथ ही, वर्ष 2005-06 (सितंबर 2005 तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने योजना के अन्तर्गत 4619 आवेदन स्वीकृत किए जिनमें से 3878 मामलों के संबंध में संवितरण किया गया जिसकी राशि 496.99 लाख रु थी।

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 (सितंबर 2005 तक) के दौरान योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य निष्पादन निम्नानुसार हैः

(लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृत		संवितरण	
	सं.	राशि लाख में	सं.	राशि लाख में
2002-03	12705	2361.75	11467	2016.75
2003-04	9556	1870.80	7852	1378.81
2004-05	10206	2134.40	8209	1574.22
2005-06 (सितम्बर, 2005 तक)	4619	761.19	3878	496.99

आंकड़े अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा दिए अनुसार।

2.11.27 **शैक्षिक ऋण**

रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2001 में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को लागू करने के लिए शैक्षिक ऋण योजना परिचालित की है। उक्त योजना भारतीय बैंक संघ द्वारा योग्य विद्यार्थियों को भारतीय बैंक संघ द्वारा योग्य विद्यार्थियों का भारत में तथा विदेश में उच्चतर शिक्षा के लिए बैंकिंग प्रणाली से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार की गई है। इसकी विशेषताएँ निम्नानुसार हैः

क) इसमें भारत में और विदेशों में विद्यालय और महाविद्यालय में पाठ्यक्रम शामिल हैं।

ख) भारत में अध्ययन हेतु 7.5 लाख रु तथा विदेशों में अध्ययन हेतु 15 लाख रु का ऋण प्रदान किया जाएगा।

ग) 4 लाख रु तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन राशि अथवा संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है।

घ) 4 लाख रु तक के ऋणों पर ब्याज दर मूल उधार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 4 लाख रु से अधिक के ऋण पर मूल उधार दर अ1% तथा

ङ) पाठ्यक्रम की अवधि समाप्त होने के बाद 5-7 वर्ष की अवधि में देय।

वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-05 के लिए अपने केंद्रीय बजट में घोषणा की कि विद्यार्थी की ओर से संतोषजनक गारंटी दिए जाने पर 7.5 लाख रु तक के शैक्षिक ऋण पर संपार्श्विक प्रतिभूति से छूट प्रदान की जाए। भारतीय बैंक संघ ने वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि वे शैक्षिक ऋण के लिए संपार्श्विक अपेक्षाओं से निम्नानुसार छूट प्रदान करें।

i)	4 लाख रु तक	कोई प्रतिभूति नहीं
ii)	4 लाख रु से अधिक और 7.5 लाख रु तक	संतोषजनक तृतीय पक्ष गारंटी के रूप में संपार्श्विक
iii)	7.5 लाख रु से अधिक	समुचित मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा माता-पिता/अभिभावक/तृतीय पक्ष गारंटी के साथ किस्तें चुकाने के लिए भविष्य में होने वाली विद्यार्थी की आय

2.11.28 **राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) की गतिविधियां एवं परिचालन**

1. **संसाधन**

बैंक ने विविध स्रोतों का दोहन करके एक अल्प लागत संसाधन आधार बनाने के अपने सतत प्रयासों को जारी रखा, जहां निधियां अधिमान अवधियों के लिए प्रतियोगी दरों पर उपलब्ध हैं। इस वर्ष (जुलाई, 2004-जून, 2005) के दौरान निम्न प्रकार से बंधपत्र जारी करके संसाधन जुटाए गए थे।

2.11.29 **पूंजी अभिलाभ (कैपीटल गेन) बंधपत्र**

बैंक ने पूंजी अभिलाभ (कैपीटल गेन) बंधपत्र जारी करके निधियां जुटाना जारी रखा। ये पूंजी अभिलाभ (कैपीटल गेन) बंधपत्र वार्षिक रूप से संदेय 5.25% वार्षिक की लाभांश (कूपन रेट) दर से जारी किए गए थे और इनकी अवधि 7वर्ष थी तथा प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में क्रय-विक्रय का विकल्प था और 5.10% पर पूंजी अभिलाभ (कैपीटल गेन) बंधपत्र 5 वर्ष की अवधि तथा प्रत्येक 3 वर्ष के अंत में क्रय-विक्रय के विकल्प सहित जारी किए गए थे। बंधपत्र 30 नवम्बर, 2004 तक थे। 01 दिसम्बर, 2004 से, पूंजी अभिलाभ (कैपीटल गेन) बंधपत्रों पर ब्याज दर ढांचे में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :-

(वार्षिक प्रतिशत)

अवधि	(3 वर्षों के अंत में क्रय-विक्रय के विकल्प सहित) 5 वर्षों के लिए	5 वर्षों के अंत में क्रय-विक्रय के विकल्प सहित) 7 वर्षों के लिए
1.12.04 से 15.02.05		
(1 करोड़ रुपए की राशि तक)	5.35	5.50
(1 करोड़ रुपए और अधिक की राशि के लिए)	5.45	
16.02.05 से 15.04.05*	5.45	5.50
16.04.05 से अब तक	5.25	5.35

* *1 करोड़ रुपए तक की राशि और 1 करोड़ रुपए और अधिक की राशि के बीच ब्याज की दर में अंतर 16 फरवरी, 2005 से दूर कर दिया गया था।*

30 जून, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान पूंजी अभिलाभ (कैपीटल गेन) बंधपत्रों के माध्यम से 2997.32 करोड़ रूपए जुटाए गए थे।

2.11.30 **कर योग्य बंधपत्र**

इस वर्ष में, कर योग्य बंधपत्रों के माध्यम से 1100 करोड़ रूपए की कुल राशि जुटाई गई थी।

2.11.31 **वाणिज्यिक पेपर**

इस वर्ष में बैंक ने वाणिज्यिक पेपरों के 9 निर्गम निकाले। वाणिज्यिक पेपरों का अंकित मूल्य 50 करोड़ रुपए से लेकर 300 करोड़ रुपए तक था और पेपरों की अवधि 81 दिनों से लेकर 365 दिनों तक थी। यथा 30 जून, 2005 को, 769.61 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक पेपर बकाया थे।

2.11.32 **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बंधपत्र**

नवम्बर, 04 में, बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के स्थिर दर कर योग्य बंधपत्रों की श्रृंखला I एवं II जारी करके 250 करोड़ रूपए की एक रकम जुटाई। इन बंधपत्रों की अवधि क्रमशः चार एवं तीन वर्ष थी और एक वर्ष के अंत में क्रय-विक्रय का विकल्प था। ये बंधपत्र 1 वर्ष के भारत सरकार के (अर्ध-वार्षिक) आधार पर 10 आधार बिंदुओं के क्रय-विक्रय के अंतर से जारी किए गए थे।

2.11.33 **01 जुलाई से 10 दिसम्बर, 2005 के दौरान के घटनाक्रम**

बैंक ने 01 जुलाई से 10 दिसम्बर, 2005 की अवधि के दौरान पूंजी अभिलाभ (कैपीटल गेन) बंधपत्रों के माध्यम से और 1407.39 करोड़ रूपए जुटाए। यथा 10 दिसम्बर, 2005 को स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा सुविधा के अधीन 1424.55 करोड़ रूपए की एक राशि बकाया थी।

16 अगस्त, 2005 से हमारे पूंजी अभिलाभ (कैपीटल गेन) बंधपत्रों के ब्याज दर ढांचे में निम्नलिखित परिवर्तन हुए -

	3 वर्ष के अंत में क्रय/विक्रय विकल्प सहित 5 वर्षों के लिए	3 वर्षों के अंत में क्रय/विक्रय के विकल्प सहित 7 वर्षों के लिए
16.04.05 से 15.08.05	5.25% वार्षिक	5.35% वार्षिक
15.08.05 से अब तक	5.50% वार्षिक	5.60% वार्षिक

2.11.34 **अभिनियोजन**

क. पुनर्वित्तः वर्ष 2004-05 के दौरान, कुल 7500.04 करोड़ रूपए का पुनर्वित्त संवितरित किया था जबकि पिछले वर्ष इसका संवितरण 3252.90

करोड़ रुपए का था। इस वर्ष के संवितरण ने लगभग 131% की एक वृद्धि दर्ज की है।

इसमें स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अधीन प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को संवितरित आवास ऋणों के संबंध में दी गई 3536.16 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता शामिल है। यह पुनर्वित्त सहायता वर्ष के दौरान 7500.04 करोड़ रुपए के कुल पुनर्वित्त संवितरण 47% पर थी। ग्रामीण आवास के संवर्धन के लिए बैंक ने 50 आधार बिंदुओं की एक ब्याज रियायत पर अपना पुनर्वित्त उधार दिया जिसके परिणामस्वरूप योजना के अधीन संवितरण में पर्याप्त वृद्धि हुई।

2.11.35 **आवास वित्त कंपनियों को अल्पावधि वित्तीय सहायता के लिए योजना**

जहां राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनियों को पुनर्वित्त सहायता उनकी ओर से संवितरित किए गए आवास ऋणों के संबंध में देता है, वहीं इन संस्थानों को अपनी अल्पावधि चलनिधि की अपेक्षाएं प्रतियोगी बाज़ार के स्रोतों से पूरी करनी पड़ती हैं। इस ज़रूरत को पूरी करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों को सामान्य व्यापार के क्रम में उत्पन्न होने वाली अल्पावधि चलनिधि की अपेक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2003-04 में एक योजना प्रारम्भ की थी।

वर्ष 2004-05 में, 562.20 करोड़ रुपए का संवितरण अल्पावधि योजना के अधीन ही किया गया था।

बैंक की पुनर्वित्त योजना में 1 जुलाई, 2005 से निम्नलिखित आशोधन किए गए थे:

- आवास वित्त कंपनियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में, पुनर्वित्त सहायता के लिए ग्राह्य ऋण की उच्चतम सीमा 50 लाख रुपए पर नियत की गई है।
- बैंकों के मामले में निवल अनुपयोज्य आस्तियों के निवल अग्रिमों के मानदंड को वर्तमान 10% के स्तर से कम करके 5% कर दिया गया है।
- पुनर्वित्त की अधिकतम अवधि वर्तमान 15 वर्षों के स्तर से घटाकर 10 वर्ष कर दी गई है। ऐसा शहरी सहकारी बैंकों, राज्य के सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में किया गया है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में पुनर्वित्त सहायता के लिए ग्राह्य ऋण की उच्चतम सीमा वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है।
- वर्ष 2003-04 में प्रारम्भ की गई आवास वित्त कंपनियों के लिए अल्पावधि वित्तीय सहायता योजना में बाज़ार की प्रतिक्रिया और ग्राहक की जानकारी के आधार पर आशोधन किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने आवास वित्त कंपनियों के लिए अल्पावधि योजना के अधीन वर्ष 2004-05 में 562.20 करोड़ रुपए संवितरित किए जबकि पिछले वर्ष 84 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे।

2.11.36 **जुलाई-नवम्बर, 2005 के घटनाक्रम**

बैंक ने जुलाई-नवम्बर, 2005 के 5 महीने की अवधि में 1017.81 करोड़ रुपए संवितरित किए। नवम्बर, 2005 के अंत में, राष्ट्रीय आवास बैंक का संचयी संवितरण 21659.11 करोड़ रुपए हो गया था।

ख. परियोजना वित्त: इस वर्ष में, बेंक ने 12 परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त संस्वीकार किया। परियोजना वित्त के अधीन संवितरण 27.17 करोड़ रुपए हो गया था। अब तक इस सहायता से निर्मित आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 46,222 है।

संचयी रूप से, जून, 2005 के अंत तक बैंक ने 384 परियोजनाएं संस्वीकृत की है। इनकी परियोजना लागत 2808.14 करोड़ रुपए और ऋण संघटक 1971.58 करोड़ रुपए था। इन 384 परियोजनाओं में से, 228 परियोजनाएं पुनर्वित्तपोषण के रास्ते के माध्यम से वित्तपोषित की गई थी और शेष 156 परियोजनाएं प्रत्यक्ष वित्त (विंडो) के माध्यम से वित्तपोषित की गई थीं। अब तक बैंक ने परियोजना वित्त के रूप में 658.30 करोड़ रुपए संवितरित किए हैं जिनमें से पुनर्वित्त के रूप में 245.79 करोड़ रुपए संवितरित किए गए थे और शेष रहे 412.52 करोड़ रुपए यथा प्रत्यक्ष वित्त दिए गए थे। उन आवासीय इकाइयों, जिन्होंने राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त किया है, की कुल संख्या 1,99,445 और उन उपखंडों, जो आवासीय परियोजना विकास में शामिल थे, की कुल संख्या 17,936 है।

परियोजना वित्त की अन्य प्रमुख विशेषताएं

- व्यष्टि वित्त संस्थानों की आवासीय ज़रूरतों को पूरी करने में सहायता करने के लिए अपने प्रथम प्रयास में, बैंक ने एक ग़ैर-सरकारी संगठन स्पार्क समुदाय निर्माण सहायक को धारावी, मुम्बई में गंदी-बस्ती निवासियों के लिए 147 फ्लैटों के निर्माणार्थ ऋण संवितरित किया।
- इस वर्ष में, बैंक ने तिरुपति में महिलाओं के एक स्वयंसेवी संघ 'श्री पद्मावती महिला अभ्युदय संगम' को तिरुपति के विभिन्न स्थानों पर गंदी-बस्तियों में 300 मकानों के निर्माणार्थ अपना प्रथम ऋण संस्वीकार किया।
- शेयर (एसएचएआरई) माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड नामक हैदराबाद के व्यष्टि वित्त संस्थान को 10.80 करोड़ रुपए महिला ग्रुप के सदस्यों के 4500 मकानों के निर्माण और उन्नयन के लिए संस्वीकृत किए थे।
- आंध्रप्रदेश के तटीय क्षेत्र में सुनामी पीड़ित लोगों की सहायतार्थ, 70 करोड़ रुपए की संस्वीकृति आंध्रप्रदेश राज्य आवास निगम लिमिटेड को 40,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए दी गई थी।
- बैंक ने आधारिक एवं ग्रामीण आवास पर एक पुस्तिका जारी की है। यह पुस्तिका एक व्यापक दस्तावेज़ है जिसमें नीतिगत सापेक्ष महत्व, तकनीकी एवं वित्तीय विषय, लागत प्रभावी निर्माण तकनीक और लागत का अनुमान एवं नियोजन सहित ग्रामीण आवास के विभिन्न पहलू शामिल हैं। यह पुस्तक ग्रामीण आवासीय परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण आवास में विभिन्न अभिकरणों की सहायतार्थ तैयार की गई है। इस पुस्तक का विमोचन ग्रामीण आवास के सम्माननीय मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने जून, 2005 में किया था।
- राष्ट्रीय आवास बैंक ने उन अभिकरणों, जो उनकी ओर से चलाई जा रही परियोजनाओं के लिए प्रत्यक्ष वित्त का लाi उठाते हैं, के मूल्यांकन के लिए व्यापक ऋण-पात्रता निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) प्रतिमान (मॉडल्स) अंगीकार किए हैं। इन निर्धारण प्रतिमानों (मॉडल्स) में राज्य आवास बोर्ड, नगर निगम, ग़ैर-सरकारी संगठन/व्यष्टि वित्त संस्थान, निजी क्षेत्र कर्मचारी आवास शामिल हैं। नए प्रतिमान (मॉडल) के अनुसार अभिकरणों के पात्रता निर्धारण (रेटिंग) के अतिरिक्त, बैंक की ओर से परियोजनाओं का भा पात्रता निर्धारण (रेटिंग) किया जाता है।

2.11.37 **01 जुलाई - 15 दिसम्बर, 2005 के दौरान के घटनाक्रम**

01 जुलाई-15 दिसम्बर, 2005 की अवधि में कुल 374.65 करोड़ रुपए की लागत वाली 3 परियोजनाओं के लिए 366.00 करोड़ रुपए का परियोजना वित्त संस्वीकृत किया गया था। इस अवधि में, 105.30 करोड़ रुपए की एक राशि संवितरित की गई थी। बैंक ने सुनामी पीड़ितों के लिए विशेष योजना भा तैयार की जिसके अधीन 70.00 करोड़ रुपए की एक विशेष सहायता संस्वीकार की गई थी। 20.00 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त पहले ही संवितरित की जा चुकी है।

2.11.38 **विनियमन एवं पर्यवेक्षण**

विनियामक विषय

लोकहित में इसे अनिवार्य समझकर और आवास वित्त कंपनियों को विनियमित करने के प्रयोजनार्थ, बैंक ने इस वर्ष में, निम्नलिखित पहलुओं पर, आवास वित्त कंपनियों को अपने निर्देश जारी/आशोधित किए :-

(i) किसी सार्वजनिक जमाराशि पर (3 वर्षों की निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद) परिपक्वता पूर्व पुनर्भुगतान पर संदेय ब्याज की दर उस ब्याज की दर से दो प्रतिशत कम होगी जो उस अवधि में जमाराशि पर लागू होती है जिस अवधि में राशि जमा रही है अथवा उस अवधि के लिए कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, तब न्यूनतम दर से तीन प्रतिशत कम जिस पर सार्वजनिक जमाराशियां उस आवास वित्त कंपनी द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

(ii) किसी भा आवास वित्त कंपनी के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है कि वह जमाराशि की परिपक्वता की तारीख से कम से कम दो महीने पहले जमाकर्ता को जमाराशि की परिपक्वता का विवरण सूचित करें।

(iii) उसी हैसियत में एकमात्र/प्रथम नामित जमाकर्ता के खाते में बकाया सभा जमालेखा मिला दिए जाएंगे और परिपक्वतापूर्व पुनर्भुगतान के उद्देश्य से एक जमालेखा माने जाएंगे।

(iv) जमाराशियों के परिपक्वतापूर्व पुनर्भुगतान के प्रसंग में, आवास वित्त कंपनियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् सामान्य रूप से चल रही आवास वित्त कंपनी और समस्यामूलक आवास वित्त कंपनी।

(v) सामान्य रुप से चल रही कोई आवास वित्त कंपनी केवल अपने एकमात्र विवेक पर, निश्चित अवरुद्धता अवधि के बाद, किसी सार्वजनिक जमाराशि के परिपक्वतापूर्व पुनर्भुगतान की अनुज्ञा दे सकती है और परिपक्वतापूर्व समाप्ति के बाद जमाकर्ताओं द्वारा अधिकार के रुप में दावा नहीं किया जा सकता है।

(vi) समस्यामूलक आवास वित्त कंपनियों को किसी भा सार्वजनिक जमाराशि परिपक्वतापूर्व पुनर्भुगतान करने से अथवा निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त सार्वजनिक जमाराशियों के लिए कोई ऋण स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया हैः

क. जमाकर्ता के निधन के मामले में, अथवा

ख. समग्रता में "लघु जमाराशि" के मामले में (लघु जमाराशि को किसी सार्वजनिक जमाराशि की ऐसी समग्र राशि जो आवास वित्त कंपनी की सभा शाखाओं मे उसी हैसियत से एकमात्र अथवा प्रथम नामित जमाकर्ता के नाम बकाया 10,000/-रुपए से अनधिक सार्वजनिक जमाराशि के रुप में की गई है)।

ग. 10,000/-रुपए से अनधिक की राशि तक किसी आपात प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए जमाकर्ता को समर्थ बनाना।

(vii) केद्र/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत आवास/परियोजना ऋणों को शून्य प्रतिशत का एक जोखिम भार समनुदेशित किया गया है। तथापि, जहां गारंटी का अवलम्बन लिया गया है और संबंधित सरकार गारंटी के अवलम्बन के बाद 90 दिनों से अधिक की अवधि में व्यतिक्रम में बनी रहती है, वहां 100 प्रतिशत का जोखिम भार समनुदेशित किया जाता है।

(viii) सार्वजनिक जमाराशि स्वीकार/धारित करने वाली और 100 करोड़ रुपए का आस्ति आकार रखने वाली आवास वित्त कंपनियों को सांविधिक अर्थसुलभ आस्तियों पर त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने से मुक्त कर दिया है।

(ix) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास हेतु निधियों के संस्थागत प्रवाह में वृद्धि हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, किसी भा कृषक को अथवा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसकी आय फसल कटने पर निरादर करती है, को प्रदत्त सावधि ऋण को यथा अनुपयोज्य आस्ति माना जाएगा। यदि मूलधन की किस्त अथवा उस पर ब्याज (i) देय तारीख से परे दो फसलों के मौसम के लिए अदत्त रहता है यदि उधारकर्ता की आय अल्पावधि फसल पर निरादर करती है अथवा (ii) देय तारीख से परे एक फसल के मौसम के लिए यदि उधारकर्ता की आय लम्बी अवधि की फसल पर निरादर करती है (अर्थात् फसल का मौसम एक वर्ष से लम्बा है)।

2.11.39 **इस वर्ष में जारी किए गए दिशा-निर्देश**

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बैंक ने इस वर्ष में निम्नलिखित दिशा-निर्देश भी जारी किए :-

(i) काले धन को वैध बनाने से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 और वित्तीय धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने में सहायता के लिए प्रणालियां और क्रियाविधियां रखने की ज़रूरत के प्रसंग में, काले धन को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) और संदिग्ध गतिविधियों को पहचानने के लिए, बैंक ने आवास वित्त कंपनियों को "अपने ग्राहक को जानिए" संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

(ii) वित्त वर्ष 2004-05 से आवास वित्त कंपनियों को रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन निर्मित आरक्षित निधि से (20% के सांविधिक न्यूनतम से अधिक) पूर्वतम वर्ष में किसी व्यापारिक उद्देश्य से तुलन-पत्र में उपयुक्त प्रकटीकरण के अध्यधीन जमा की गई अधिक राशि निकालने की अनुज्ञा दे दी गई है।

जिन आवास वित्त कंपनियों ने पूर्वतम वर्षों में केवल सांविधिक न्यूनतम राशि अंतरित की है, उन्हें चयनित रूप से इन शर्तों के अध्यधीन अनुपयोज्य आस्तियों के लिए प्रावधान के उद्देश्य हेतु आरक्षित निधि से धन निकालने की अनुज्ञा दी जाएगी कि लाभ एवं हानि लेखा में कोई नामे शेष नहीं है, ऐसे आहरण के कारण स्पष्ट रूप से तुलन-पत्र में बताए जाते हैं और ऐसे मामलों में राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्व अनुज्ञा उपयोग से पहले लेनी आवश्यक होती है।

(iii) जो आवास वित्त कंपनियां जमाराशियों का विवरण रखती हैं, केद्रीकृत कंप्यूटर डाटा बेस पर जैसा कि निर्देशों में अपेक्षित है, उन्हें ऐसा करते रहने की अनुज्ञा दे दी गई है बशर्ते कि सार्वजनिक जमाराशि का प्रमाणीकृत विवरण संबंधित शाखाओं को भेजा जाता है, त्रैमासिक आधार पर सूचना अद्यतन की जाती है, अर्थात् यथा 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को प्रत्येक वर्ष भेजी जाती है और इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है कि शाखाएं जमा खाते नहीं खोलती हैं। किसी तिमाही से संबंधित जानकारी संबंधित शाखा के पास अनुवर्ती तिमाही की 10वीं तारीख से पहले पहुंच जानी चाहिए।

(iv) आस्थगित कर आस्तियां निर्मित करने के परिणामस्वरूप तुलन-पत्र में कोई मूर्त आस्ति जोड़े बिना टियर-I पूंजी में वृद्धि होती है। तदनुसार, आवास वित्त कंपनियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आस्थगित कर-आस्ति को टियर-I पूंजी/निवल स्वाधिकृत निधि के परिकलन के उद्देश्य के लिए नहीं समझा जाना चाहिए।

2.11.40 **आवास वित्त कंपनियों का पंजीकरण**

1 अप्रैल, 2005 से 14 दिसम्बर, 2005 तक की अवधि में, पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करने के और आवेदनों की प्राप्ति के साथ आज की तारीख को 44 आवास वित्त कंपनियां थीं जिन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक ने पंजीकरण का प्रमाण-पत्र दे दिया है। 44 आवास वित्त कंपनियों में से, 23 को सार्वजनिक जमाराशियां स्वीकार करने की अनुज्ञा के साथ पंजीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

आज की तारीख तक, 11 आवास वित्त कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किए जा चुके हैं इनमें वे 2 कंपनियां भा शामिल हैं जिनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र समीक्षा अवधि के दौरान कर दिए गए थे। रा.आ.बैंक राष्ट्रीय बैंक अधिनियम की धारा 29ए के तहत इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है।

2.11.41 **सार्वजनिक जागरूकता के लिए उपाय**

सार्वजनिक जागरुकता के लिए अपने प्रयासों के प्रति, बैंक ने अखिल भारतीय स्तर के प्रमुख समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया जिसका प्रयोजन जनता को यह सूचित करना था कि कोई भा आवास वित्त कंपनी राआबैंक अधिनियम, 1987 की धारा 29ए के अन्तर्गत रा.आ.बैंक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना आवास वित्त संस्थान का कारोबार नही कर सकती है। वर्ष के दौरान बैंक ने तीन अन्य सार्वजनिक नोटिस जारी किए जिनके द्वारा जनता को उन आवास वित्त कंपनियों के बारे में सूचित किया गया जिन व्यैक्तिक आवास वित्त कंपनियों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किए गए और पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए प्रस्तुत जिनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए।

2.11.42 **अन्य विनियामक प्राधिकारियों के साथ समन्वय**

रा.आ.बैंक का पर्यवेक्षण का कार्य प्रमुख होने के कारण, भा.रि.बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य स्तरीय एजेंसियों के साथ अपेक्षंति समन्वय किया। वर्ष के दौरान, बैंक ने भा.रि.बैंक द्वारा अपने विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित 16 राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकों में भाग लिया। इन बैठकों के आयोजन का उद्देश्य संबंधित विभिन्न विनियामक प्राधिकरणों की आवास वित्त कंपनियों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, जहां सार्वजनिक हित की परिचालनात्मक नीति भा अपनाई जाती है, के सक्रिय सहयोग को सुनिश्चित करना है।

2.11.43 आवास वित्त कंपनियों का पर्यवेक्षण

वर्ष के दौरान, बैंक ने राआबैंक अधिनियम, 1987 की धारा 34 के अन्तर्गत 16 आवास वित्त कंपनियों का विनियामक निरीक्षण किया। इसके अतिरिक्त, 4 आवास वित्त कंपनियों का निरीक्षण उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29ए के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में किया गया।

राआबैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत निर्मित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, बैंक द्वारा राआबैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के अन्तर्गत 1 अक्तूबर, 2004 से दांडिक प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया।

रा.आ.बैंक विभिन्न राज्यों में बाजार आसूचना के द्वारा सूचना एकत्र करता है। इससे उन आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलती है जिन्होंने या तो पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन नहीं किया या जिनका पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गये और वे अभी भी तथा कथित रूप में बाजार में कारोबार कर रही हैं। रा.आ.बैंक विभिन्न राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समाचार पत्रों में आवास वित्त कंपनियों के बारे में सार्वजनिक नोटिस भा प्रकाशित करता रहता है। यह जन हित और जनता को गलता सूचना से बचाने के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2.11.44 संवर्धन एवं विकास

रा.आ.बैंक द्वारा इक्विटी साझेदारी

रा.आ.बैंक इक्विटी सहायता देने के लिए बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवास वित्त कंपनियों को इक्विटी सहायता देता है। इन दिशा-निर्देशों में वर्ष 2004-05 के दौरान संशोधन किए गए जो निम्नानुसार हैं

- मुख्यतः मेट्रो/शहरी क्षेत्रों की आवास वित्त कंपनियों की चुकता पूंजी के 25% तक
- मुख्यतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग/ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराने वाली आवास वित्त कंपनियों की चुकता पूंजी के 50% तक
- अधिकार निर्गम के मामले में, रा.आ.बैंक प्रीमियम मूल्य पर अ।दिान कर सकता है
- रा.आ.बैंक 5 वर्ष पूरे होने के बाद या उससे पूर्व जब कभा वह उचित समझे, अपनी धारिता का विनिवेश कर सकता है।

यथा 30.6.2005 को, रा.आ.बैंक ने 4 आवास वित्त कंपनियों में इक्विटी सहभागिता की। वर्ष 2004-05 के दौरान, किसी भा आवास वित्त कंपनी की इक्विटी सहभागिता नहीं की गई।

2.11.45 "धोखाधड़ी प्रबंधन कक्ष" की स्थापना

बैंक ने आवास वित्त कंपनियों से आवास ऋणों के मामले में की गई धोखाधड़ी के बारे में आवास वित्त कंपनियों से सूचना एकत्र करने के लिए एक "धोखाधड़ी प्रबंधन कक्ष" की स्थापना की है। इस प्रयोजनार्थ, बैंक ने वर्ष के दौरान एक विस्तृत परिपत्र जारी किया जिसमें कारणों एवं प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। सभा आवास वित्त कंपनियों को धोखाधड़ी की घटना से बचने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई करने और उचित नियंत्रण करने के लिए सूचित किया गया है।

2.11.46 आवास वित्त कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की बैठक

वर्ष के दौरान, आवास वित्त कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ बंगलौर में अगस्त 2004 और फिर नई दिल्ली में मई 2005 को बैठक आयोजित हुई। कुछ मुद्दों जैसे आवास वित्त कंपनियों के संसाधन जुटाने की चुनौतियां, बंधक ऋणों के प्रतिभूतिकरण, स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना, आवास वित्त प्रक्रिया संबंधी दस्तावेजों का मानकीकरण, आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 में संशोधन, आवास वित्त कंपनियों का भौगोलिक दृष्टि से बंटवारा, आवास ऋणों के मानकीकरण पर समिति की सिफारिशें और धोखाधड़ी वाले कारोबार संबंधी सूचना में भागीदारी विषयों पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा की गई।

2.11.47 प्रशिक्षण

आवास वित्त क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के उपाय स्वरूप, बैंक इस क्षेत्र के कार्मिकों के लिए आवास वित्त से जुड़े मामलों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने आठ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें विभिन्न संस्थानों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आवास वित्त उद्योग से संबंधित विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के अतिरिक्त, ये कार्यक्रम प्रतिभागियों तथा राआबैंक के बीच विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए मंच भा उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ही एक कार्यक्रम "ओरियंटेशन प्रोग्राम फॉर हाउसिंग फाइनेंस" में पड़ोसी देश बांगलादेश के प्रतिभागियों ने भा भाग लिया।

बैंक ने आवास वित्त पर विभिन्न संस्थानों को अपने स्टाफ के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संकाय सहायता भा की। बैंक ने संस्थानों के विभागीय (इनहाउस) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करने एवं विषय-वस्तु के बारे में भा सहायता की। वर्ष के दौरान, ग्रामीण विकास बैंकर संस्थान को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों के लिए आयोजित उनके विशेषज्ञ कार्यक्रम में संकाय सहायता की। इसके अतिरिक्त, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लि., पंजाब नेशनल बैंक, रेपको होम फाइनेंस लि. तथा नवार्ड को भा संकाय सहायता उपलब्ध कराई गई।

2.11.48 स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोगों को आवास वित्त की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 1997-98 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना आरंभ की गई थी। योजना के अन्तर्गत नया मकान बनाने या मौजूद मकान के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का अनेक प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों जैसे आवास वित्त कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सहकारी क्षेत्र के संस्थानो के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते है और रा.आ.बैंक निगरानी एजेंसी होने के नाते प्रत्येक प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को लक्ष्यों का उप-आबंटन करता है।

वर्ष 2004-05 के दौरान, योजना के तहत प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की कार्य निष्पादकता सराहनीय रही, इस दौरान प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा कुल 2,58,562 इकाइयों का वित्त पोषण किया गया जबकि राष्ट्रीय लक्ष्य 2.50 लाख आवासीय इकाइयों का था। 2003-04 की 97.50% के मुकाबले यह 103% की उपलब्धि एक रिकार्ड थी।

योजना के अन्तर्गत प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की श्रेणी-वार निष्पादकता नीचे तालिका में दर्शाई गई हैं

संस्थान	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि का औसत	
	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
आवास वित्त कंपनियां	1,05,500	92,250	71,697	74,001	68%	80%
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1,32,000	1,57,750	1,71,180	1,84,262	130%	117%
सहकारी क्षेत्र के संस्थान	12,500	---	876	299	7.00%	
कुल	2,50,000	2,50,000	2,43,753	2,58,562	97%	103%

चालू वित्त वर्ष 2005-06 के लिए, भारत सरकार द्वारा 2,75,000 इकाइयों के वित्त पोषण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2.11.49 प्रतिभूतिकरण

राष्ट्रीय आवास बैंक ने 30 जून, 2005 तक छह आवास वित्त कंपनियों और एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए 38,008 व्यैक्तिक आवास ऋणों के तेरह आरएमबीएस निर्गम जारी किए, जिसमें कुल 763.26 करोड़ रु संवितरित किए गए, इस कारोबार में रा.आ.बैंक की भूमिका न्यासी (रा.आ.बैंक द्वारा घोषित विशेष प्रयोजन माध्यम न्यासियों को) की मानी गई है।

2.11.50 नए आरएमबीएस निर्गम :

वर्ष के दौरान, राआबैंक ने आवासीय बंधक समर्थित प्रति।झतियों के तीन निर्गम पूरे किए जिनमें एक आवास वित्त कंपनी द्वारा 99.33 करोड़ रु राशि के 2892 आवासीय ऋण रा.आ.बैंक की पूर्व गारंटी के साथ दिए गए। भारतीय पूंजी बाजार में रा.आ.बैंक की गारंटी युक्त ये प्रथम आरएमबीएस निर्गम थे जिन्हें अमरीका के फैनी मई एवं प्रे।डी मेक (Fannie Mae & Freddie Mac) जैसे संस्थानों द्वारा जारी आवासीय बंधक समर्थित प्रति।झतियों के आधार पर तैयार किया गया था।

2.11.51 **आरएमबीएस से संबंधित निर्गम नीति :**

वर्ष 2004-05 के केंद्र सरकार के बजट घोषणा में प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) में संशोधन किया गया ताकि प्रतिभूतिकृत ऋणों और प्रतिभूतिकृत बंधक ऋणों को एससीआरए में पात्र "प्रतिभूतियां" की परिभाषा के तहत शामिल किया जा सके, आरएमबीएस को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने एवं क्रय-विक्रय करने में सुविधा की दृष्टि यह एक प्रमुख पहल है। इस उपाय से आवासीय बंधक ऋणों के लिए गौण बाजार के विकास को नया प्रोत्साहन मिलने की संभावना है जिसके फलस्वरूप देश में भारतीय आवास वित्त प्रणाली एवं आवास स्वामित्व की वृद्धि और विस्तार होगा।

वर्ष के दौरान, रा.आ.बैंक ने देश में अमरीका की Fannie Mae के अनुसार गौण बंधक संस्थान के विकास का अध्ययन करने के लिए एशिया विकास बैंक तथा आवास विकास वित्त कार्पोरेशन लि. से एक करार किया है।

2.12 **कृषि ऋण :**

2.12.1 तीन वर्ष में कृषि ऋण की उपलब्धता दुगुनी करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 18 जून, 2004 को अनेक उपायों की घोषणा की थी। वर्ष 2003-04 के दौरान इस क्षेत्र को 86,981 करोड़ रु के संवितरण की तुलना में वर्ष 2004-05 में वास्तविक संवितरण 1,24,122 करोड़ रु के हुए थे, इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 42.7% की वृद्धि हुई। वर्ष 2005-06 में दिसम्बर, 2005 तक 119,114 करोड़ रु के संवितरण हो चुके हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान (दिसम्बर, 2005 तक) विपत्तिग्रस्त किसानों, बकाया राशि वाले किसानों को ऋण राहत और छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एक बारगी निपटान के रूप में प्रति पैकेज कुल 3015 करोड़ रु उपलब्ध कराया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 के दौरान (दिसम्बर,2005 तक) बैंकों ने किसानों के लिए अग्रिम राशि के रूप में 28.26 करोड़ रु उपलब्ध कराए हैं, ताकि वे साहूकारों से लिए गये ऋण से मुक्त हो सकें।

कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए एजेन्सी-वार बुनियादी स्तर की ऋण उपलब्धता

(करोड़ रुपए में)

एजेंसी	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06*
सहकारी बैंक	18260	20718	23524	23636	26959	30814	28,946
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3172	4220	4854	6070	7581	11827	11,145
वाणिज्य बैंक	24733	27807	33587	39774	52441	81481	79022
अन्य एजेंसियां	103	82	80	80	---	---	---
कुल	46268	52827	62045	69560	86981	124122	119113

* *(31 दिसम्बर, 2005 तक)*

2.12.2 **किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)**

वर्ष 1998-99 में शुरु की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बैंकिंग प्रणाली के जरिए 580 लाख से अधिक कार्ड जारी किए जाने के साथ ही तेजी से प्रगति हुई है। इस योजना से किसानों को मौसमी कृषि कार्यों हेतु अल्पावधि फसल ऋणों की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिली है। फसल ऋण दिए जाने की मौजूदा सुविधाओं के अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के क्षेत्र में विस्तार किया गया है,ताकि इसमें कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए मियादी ऋण तथा उपभोग संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित संघटक शामिल किया जा सके। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग प्रणाली द्वारा किसानों को उनकी कृषि कार्य संबंधी आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त एवं समय पर ऋण सहायता दिए जाने तथा उत्पादन प्रयोजनों हेतु बैंक ऋण तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए ऋण सुपुर्दगी तंत्र को सरल बनाया जा रहा है और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के प्रयोग में अधिक लोच शुरु की जा रही है। बैंकों (वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने दिसम्बर, 2005 तक लगभग 5.8 करोड़ कार्ड जारी किए है, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रुपए में)

एजेंसी	31 मार्च, 2005 तक जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या	अप्रैल, दिसम्बर, 2005 के दौरान जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या
सहकारी बैंक	2.78	0.28
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0,56	0.11
वाणिज्य बैंक	1.76	0.31
कुल	5.10	0.70

2.12.3 **स्व सहायता समूह (एसएचजी)**

स्व सहायता समूह (एसएचजी) बैंक संयोजन कार्यक्रम देश में प्रमुख व्यष्टि वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। वर्ष 2004-05 के लिए 2.5 लाख स्व-सहायता समूहों को ऋण से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था और इस लक्ष्य की तुलना में वर्ष के दौरान 5.39 लाख स्व-सहायता समूहों को ऋण से जोड़ा गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2005-06 के लिए 3 लाख स्व-सहायता समूहों को ऋण से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी तुलना में 31 दिसम्बर तक 2.08 लाख स्व-सहायता समूहों को ऋण से जोड़ा गया है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी लगभग 90% है और समय पर चुकौती किया जाना इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता रही है।

2.12.4 **व्यष्टि वित्त**

बजट में की गई घोषणा का अनुसरण करते हुए व्यष्टि वित्त विकास निधि (एमएफडीईएफ) को व्यष्टि वित्त विकास एवं इक्विटी निधि के रूप में नामित किया गया है। एमएफडीईएफ में अतिरिक्त अंशदान भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और वाणिज्य बैंकों द्वारा 40:40:20 के अनुपात में किए जाने का प्रस्ताव है। व्यष्टि वित्त विकास एवं इक्विटी निधि के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है और व्यष्टि वित्त क्षेत्र के लिए विधान के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नाबर्ड ने एमएफआई के कोटि निर्धारण हेतु बैंकों को अनुदान देने का निर्णय लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष में 5 मिलियन डालर तक स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत व्यष्टि वित्त कार्यकलापों में लगे गैर-सरकारी संगठनों के लिए बाह्य वाणिज्यिक सुधार (ईसीबी) हेतु मार्गनिर्देश जारी कर दिए है।

2.12.5 **सहकारी ऋण ढांचा :**

सरकार ने सहकारी ऋण ढांचे को पुनरूज्जीवित करने के लिए सिफारिश हेतु प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित किया था। सरकार ने देश में अल्पावधि सहकारी ऋण ढांचे को पुनरूज्जीवित करने के लिए अन्य उपायों के साथ 13,596 करोड़ रु का वित्तीय पैकेज अनुमोदित कर दिया है। इसी कार्य बल को दीर्घावधि सहकारी ऋण संस्थाओ को पुनरूज्जीवित करने हेतु सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया था। कार्यबल की रिपोर्ट का मसौदा प्राप्त हो गया है और अंतिम रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की आशा हैं।

2.12.6 **ग्रामीण आधारिक विकास निधि (आरआईडीएफ)**

वर्ष 1995-96 के लिए केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रु की प्रारंभिक निधि से गामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) स्थापित की गई थी। (आरआईडीएफ-I) आरंभ में इस निधि का सृजन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि ऋण देने में वाणिज्य बैंकों की कमी पर आधारित उनके अंशदान से राज्य सरकार को ऋण देने के लिए किया गया था, ताकि वे उन विभिन्न प्रकार की आधारिक परियोजना को पूरा कर सकें, जिन्हें विगत में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु निधियों के अभाव में पूरा नहीं किया जा सका। वर्ष 2005-06 में आरआईडीएफ-XI 8000 करोड़ रु की मूल निधि से स्थापित किया गया है और दिसम्बर, 2005 तक 6098 करोड़ रु की राशि मंजूर कर दी गई है।

2.13 **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जो दिनांक 12.10.2005 से प्रभावी हुआ है, बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग में पूर्णस्रेण कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग ने क्रमशः बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग के संबंध में अधिनियम के तहत प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए सीपीआईओ और वैकल्पिक सीपीआईओ की नियुक्ति पहले ही कर दी है। वेबसाइट पर दी जाने वाली अपेक्षित सामग्री उस पर प्रदर्शित कर दी गई है। प्रभाग के अधिकारियों को जानकारी प्रदान करने के लिए अपर सचिव (वित्तीय क्षेत्र) की अध्यक्षता में दिनांक 26.10.2005 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें अधिनियम के प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया था, ताकि ऐसे अनुरोधों का समय पर निपटान करने के लिए प्रभाग के अंदर अपनाई जाने वाली आंतरिक प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान किया जा सके। दिनांक 31.12.2005 तक अधिनियम के तहत प्राप्त सभी अनुरोधों का निपटान कर दिया गया है।

2.13.1 बजट घोषणाओं से संबंधित कृत कार्रवाई रिपोर्ट 2005-06
बैंकिंग और बीमा प्रभाग
31.01.2006 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	पैरा सं.	घोषणा का पाठ	स्थिति रिपोर्ट	क्रियान्वयन की लक्ष्य तारीख
1.	34	सरकार गरीबों, खासकर ग्रामीण भारत और शहरी झोपड़-पट्टियों में रहने वालों, को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। ग्रामीण आधारिक विकास निधि जिसे पिछली जुलाई में पुनरूज्जीवित किया गया था, को चालू वर्ष की भांति वर्ष 2005-06 में भी 8,000 करोड़ रूपए का कॉरपस प्रदान किया जाएगा।	आरआईडीएफ के अंतर्गत 8000 करोड़ रूपए के राज्य-वार आबंटन को नाबार्ड द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है। आरआईडीएफ-XI के अंतर्गत वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों का अनुमोदन किया जा चुका है। 6097.60 करोड़ रूपए की परियोजनाओं को 31 दिसम्बर, 2005 तक मंजूर किया जा चुका है।	कार्रवाई पूर्ण
2.	48	सरकार अपना ध्यान वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा ग्रामीण परिवारों और कृषक परिवारों को ऋण, विशेष रूप से उत्पादन ऋण प्रदान किए जाने पर केंद्रित करना जारी रखेगी। खासकर कृषि ऋण में नवोन्मेष संभव है। मैं ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों, ग्रामीण छतरी और ग्रामीण ज्ञान केंद्र के आधारभूत ढांचे का उपयोग करके एजेंसी मॉडल अपनाने के लिए बैंकों को अनुमति दिए जाने के मामले की जांच के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध का प्रस्ताव करूंगा।	भारतीय रिजर्व बैंक ने, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सिविल सोयायटी संगठनों, ग्रामीण छतरी (कियोस्क) और ग्रामीण ज्ञान केंद्र के आधारभूत ढांचे का उपयोग करके एजेंसी मॉडल अपनाने के लिए बैंकों को अनुमति दिए जाने के मामले की जांच के लिए आंतरिक कार्यकारी समूह गठित किया है।	कार्रवाई पूर्ण
3.	49	जून, 2004 में मैने अपनी मंशा जाहिर की थी कि तीन वर्षों में कृषि संबंधी ऋण के प्रवाह को दुगुना किया जाए, मैंने 1,05,000 करोड़ रूपए के निर्देशक लक्ष्य की भी घोषणा की थी। ऐसा होते हुए भी चालू वर्ष में अवमूल्य कार्य-निष्पादन करने वाले सहकारी बैंक अपने सभी तीन अंगों के साथ 1,08,500 करोड़ रूपए की राशि संवितरित करेंगे। उसी के सदृश्य में वाणिज्य बैंकों, आरआरबी एवं सहकारी बैंकों को यह कहने का प्रस्ताव करता हूं कि वे 2005-06 में ऋण प्रवाह को और 30 प्रतिशत बढ़ाएं। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे उधारकर्ताओं को 50 लाख रूपए और बढ़ाए।	(i) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों का वित्त मंत्री जी के साथ हुई बैठक में वर्ष 2005-06 के दौरान 1,41,000 करोड़ रूपए को निर्धारित किया गया है। (ii) नाबार्ड को वर्ष 2005-06 में 50 लाख नये किसानों को केसीसी जारी करने का तिमाही लक्ष्य दिया गया है। नाबार्ड ने इस तिमाही लक्ष्य को सरकारी क्षेत्र के बैंकों को संचारित कर दिया है। (iii) 2005-06 (30 नवम्बर, 2005 तक) के दौरान कुल संवितरण 104782 करोड़ रूपए है।	
4.	50	कुछ अपेक्षाओं के साथ भारत में सहकारी बैंक अव्यवस्थित हैं। छः राज्य मध्यवर्ती सहकारी बैंक एवं 140 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 11 की अनुपालना नहीं करते है। उन्हें कृषि ऋण के लिए पुनर्वित्त हेतु पहुंच बनाने में भी कठिनाई होती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने सहकारी बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षित सुधारों की जांच के लिए एक कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इन सिफारिशों में शामिल हैं: • सहकारी ऋण संस्थाओं के संचयी हानियों को समाप्त करने तथा उनके पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता; • लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत पुनर्गठन; और • विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन लागू करने में भारतीय रिजर्व बैंक को समर्थ बनाने के लिए कानूनी ढ़ांचे में बदलाव। मैं इस रिपोर्ट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं परामर्श के लिए राज्य सरकारों का आह्वान करने तथा उन राज्यों में सिफारिशों को	राज्य सरकारों से परामर्श के आधार पर सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2005 को अल्पावधि ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे के पुनरूज्जीवन के पैकेज को अनुमोदित किया गया है तथा राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे अपनी इच्छा जाहिर करें।	

क्र. सं.	पैरा सं.	घोषणा का पाठ	स्थिति रिपोर्ट	क्रियान्वयन की लक्ष्य तारीख
		लागू करने की प्रक्रिया शुरुकरने का प्रस्ताव करता हूं, जो राज्य सिफारिशों को स्वीकार करने की इच्छा दर्शाते हैं।		
5.	52	स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का कार्यक्रम देशभर में व्यापक व्यष्टि वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। 48 वाणिज्य बैंकों, 196 आरआरबी एवं 316 सहकारी बैंकों सहित 560 बैंक इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। मैं आगामी वित्तीय वर्ष में ऋण-सम्बद्धता के लक्ष्य को 2 लाख एसएचजी से बढ़ाकर 2.5 लाख एसएचजी करने का प्रस्ताव करता हूं।	(i) वर्ष 2005-06 के लिए स्व-सहायता समूह की ऋण सम्बद्धता के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 लाख करने का निर्णय लिया गया है। (ii) नाबार्ड ने वर्ष 2005-06 में 3.00 लाख एसएचजी को ऋण से जोड़ने के तिमाही लक्ष्य की सिफारिश की है। वर्ष 2005-06 में 30 नवम्बर, 2005 तक के दौरान वित्तपोषित कुल एसएचजी की संख्या 1.88 लाख है।	कार्रवाई पूरी हो चुकी है (प्रगति की निगरानी की जा रही है)
6.	53	वर्तमान में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यष्टि वित्त संस्था (एमएफआई) बैंकों से वित्त प्राप्त करती हैं। एमएफआई कम आय वाले परिवारों एवं छोटे अनौपचारिक व्यवसायों को लघु ऋण एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करना चाहती है। सरकार बड़े पैमाने पर एमएफआई को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है। मेरा मानना है कि अगली कार्रवाई एमएफआई की पहचान करना, ऐसी संस्थाओं को वर्गीकृत करना एवं श्रेणीबद्ध करना तथा उधारदाता बैंकों एवं लाभार्थियों के बीच मध्यस्थता के लिए उन्हें सक्षम बनाना है। वाणिज्य बैंक अपनी ओर से लेन-देन सेवाएं प्रदान करने के लिए एमएफआई को "बैंकिंग प्रतिनिधि" के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। चूंकि एमएफआई को नयी पूंजी निवेश की आवश्यकता है इसलिए मैं विद्यमान 100 करोड़ रूपए वाली व्यष्टि वित्त विकास निधि को "व्यष्टि वित्त विकास एवं इक्विटी निधि" के रूप में नामोद्दिष्ट करने तथा कॉरपास को 200 करोड़ रूपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इस निधि का प्रबंध एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा जिसमें नाबार्ड, वाणिज्य बैंक, निधि संबंधी जानकारी वाले व्यवसायिकों के प्रतिनिधि होंगे। बोर्ड से उपयुक्त कानूनी सुझाव की मांग की जाएगी तथा मैं अगले वित्तीय वर्ष में मसौदा विधेयक को पेश करने की उम्मीद करता हूं।	(i) नाबार्ड ने एमएफआई के रेटिंग के लिए बैंको को अनुदान सहायता देने का निर्णय लिया है। (ii) एमएफडीईएफ को अतिरिक्त सहायता देने के लिए आरबीआई, नाबार्ड एवं वाणिज्य बैंकों द्वारा 40:40:20 के अनुपात में अंशदान करने का प्रस्ताव किया जाता है। (iii) व्यष्टि वित्त विकास एवं इक्विटी निधि संबंधी परामर्शदात्री बोर्ड का गठन कर लिया गया है। प्रारूप विधान के संबंध में आरबीआई, नाबार्ड एवं अन्य पणधारियों के साथ विचार -विमर्श किया गया है। प्रारूप विधान वित्त मंत्री जी को सौंप दिया गया है।	
7.	54	मैं भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध करता हूं कि वे बाह्य वाणिज्य उधार (ईसीबी) विंडो का प्रयोग करने के लिए व्यष्टि वित्त कार्यकलापों में लगे पात्र एनजीओ को समर्थ बनाने हेतु एक सुविधा-पटल खोलें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक सुरक्षणों सहित विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जाएंगे।	बाह्य वाणिज्य उधार (इसीबी) तथा स्वतः अनुमोदित मार्ग तहत व्यष्टि वित्त में लगे गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के लिए विस्तृत मार्ग-निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कर दिया गया है।	आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है। कार्रवाई पूरी हो गई है।
8.	62	सरकार हस्तकरघा बुनकरों के लिए जीवन बीमा योजना शुरुकर रही है जो 50,000 रूपए तक का बीमा कवर प्रदान करेगी। वर्तमान में, केवल 2 लाख बुनकर ही कवर किये जाते हैं। मैं अगले दो वर्षों में इस योजना के कवरेज को 20 लाख बुनकरों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं जिसके पूरी तरह से लागू होने पर 30 करोड़ प्रति वर्ष की लागत आएगी। सरकार बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा पैकेज को भी लागू कर रही है। यहां भी यह कवरेज केवल 25,000 बुनकरों के लिए ही है। मैं 30 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष की आवर्ती लागत पर इसे 2 लाख बुनकरों तक कवरेज को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इन दोनों नयी एवं व्यापक योजनाओं	वस्त्र मंत्रालय ने एसआईसी से परामर्श कर 20 लाख बुनकरों के लिए बीमा कवर तथा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के परामर्श से 2 लाख बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजना को अंतिम रूप दे दिया है।	कार्रवाई पूरी हो गई है।

क्र. सं.	पैरा सं.	घोषणा का पाठ	स्थिति रिपोर्ट	क्रियान्वयन की लक्ष्य तारीख
		के अनुमोदित होने पर मैं अपेक्षित निधियाँ प्रदान करने का प्रस्ताव करूंगा।		
9.	63	चीनी उद्योग वर्ष 2001 से ही वित्तीय दबाव झेल रहा है। देश के कुछ भागों में दो बार लगातार सूखा पड़ने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सरकार द्वारा नियुक्त टुटेजा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट की सावधानीपूर्वक जांच करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड से परामर्श करने के पश्चात् मैं चीनी उद्योग के पुनरूज्जीवन के लिए निम्नांकित वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव करता हूँ: • जो चीनी कारखाने वर्ष 2002-03 ईख मौसम में परिचालन कर रहे थे उन्हें पुनर्गठन के लिए सहायता दी जाएगी। नाबार्ड राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक,बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से परामर्श कर मूलधन एवं ब्याज के संबंध में दो वर्षों के अधिस्थगन एवं प्रत्येक इकाई की वाणिज्यिक क्षमता के संदर्भ में भुगतान की अनुसूची के साथ वित्तीय पैकेज देने के लिए एक योजना तैयार करेगा। • सरकार ने चीनी उद्योग निधि के लिए ब्याज की दर को बैंक दर से 2 प्रतिशत बिंदु तक पहले ही कम कर दिया है। मैं 21 अक्टूबर, 2004 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों पर लागू दर को निर्धारित करने का प्रस्ताव करता हूं। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) एवं नाबार्ड को एक योजना तैयार करने के लिए कहा जाएगा जिसके तहत अलग-अलग कारखाने अपने पूर्ववर्ती उच्च ब्याज ऋण के संदर्भ में बयाज की दर को पुनर्निधारित कर सकते हैं।	सरकार ने चीनी उद्योग के पुनरूज्जीवन के लिए वित्तीय पैकेज को अनुमोदित कर दिया है।	कार्रवाई पूरी हुई।
10.	83	मैंने वचन दिया था कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित करने के लिए व्यापक विधेयक बजट सत्र में पेश किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मैं इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है। • सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा को समाप्त करना तथा विवेकपूर्ण मानदंडों को निर्धारित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को लचीलापन प्रदान करना; • बैंकिंग कंपनियों को अधिमान शेयर जारी करने की अनुमति देना क्योंकि अधिमान शेयर पूंजी को बासेल मानदंडों के अनुसार विशिष्ट परिस्थितियों में विनियामक पूंजी के रूप में माना जा सकता है; • इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अच्छे प्रचलनों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों एवं उनकी अनुषंगियों के समेकित पर्यवेक्षण में सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रावधान करना; मैं भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 मे संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता हूं: • मौद्रिक नीति को और अधिक लचीला बनाने के लिए आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) की सीमाओं को समाप्त करना; और • पुनर्खरीद, प्रतिपुर्नखरीद एवं अन्य माध्यमों से प्रतिभूतियों को उधार लेने अथवा उधार देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को समर्थ बनना।	दिनांक 13.5.2005 को लोक सभा में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। वित्त संबंधी स्थायी समिति इस विधेयक की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट को संसद में पेश कर दिया गया है। सरकार समिति के सुझावों पर विचार कर रही है । दिनांक 13.5.2005 को संशोधन विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। वित्त संबंधी स्थायी समिति इस विधेयक की जांच कर रही है। समिति की रिपोर्ट को संसद में पेश कर दिया गया है। सरकार समिति के सुझावों पर विचार कर रही है।	कार्रवाई पूरी हो चुकी है। कार्रवाई पूरी हुई।

2.13.2 संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का न्यूनतम साझा कार्यक्रम (बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग)- 31.1.2006 की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उद्धरण	टिप्पणी	स्थिति
1.	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार असंगठित, अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों के समक्ष आने वाली समस्याओं की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग स्थापित करेगी। आयोग से इन उद्यमों को तकनीकी, विपणन और ऋण सहायता प्रदान करने के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए कहा जाएगा।	-	लघु उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार के दिनांक 20 सितम्बर, 2004 के संकल्प के तहत असंगठित क्षेत्र/अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के संबंध में राष्ट्रीय आयोग पहले ही गठित कर दिया है। इसके अलावा, इस मामले में हुई प्रगति की स्थिति लघु उद्योग मंत्रालय के पास उपलब्ध है।
2.	यूपीए सरकार कृषि, बागवानी, जल कृषि (एक्वाकल्चर), पुष्पोत्पादन, वृक्षारोपण, डेरी उद्योग और कृषि प्रसंस्करण के सतत विकास के लिए अधिकतम निवेश, ऋण और प्रौद्योगिक प्राथमिकता प्रदान करेगी, जिससे नई नौकरियों का अधिक सृजन होगा।	चालू वर्ष 2004-05 के दौरान 18 जून, 2004 को 1,05,000 करोड़ रूपए के लक्ष्य के साथ कृषि ऋण की उपलब्धता में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की गई थी।	2005-06 में कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों के लिए ऋण की उपलब्धता का लक्ष्य 1,41,000 करोड़ रूपए रखा गया है। 31 दिसम्बर, 2005 तक 1,19,114.41 करोड़ रूपए का संवितरण किया गया है।
3.	लघु उद्योग और स्वरोजगार के लिए तेजी से बढ़ती हुई ऋण सुविधाओं के साथ-साथ, यूपीए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सेवा उद्योग को अपने वास्तविक विकास तथा रोजगार की संभाव्यता को पूरा करने के लिए पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें साप्टवेयर और सूचना प्राद्योगिकी समर्थित सेवाएं, व्यापार, वितरण, परिवहन, दूरसंचार, वित्त और पर्यटन शामिल हैं।	कार्यक्रम में सूचीबद्ध गतिविधियों के लिए बैंक ऋण पहले से ही उपलब्ध हैं।	
4.	ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली की स्थिति में सुधार किया जाएगा। यूपीए सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अगले तीन वर्षों में ऋण की उपलब्धता दुगुनी हो जाए और संस्थागत ऋण द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों के कवरेज का पर्याप्त विस्तार हो। ग्रामीण ऋण की वितरण प्रणाली की समीक्षा की जाएगी।	वर्ष 2004-05 के बजट में अगले तीन वर्षों में कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता को दुगुना करने की घोषणा की गई थी।	i) वर्ष 2005-06 में कृषि ऋण के संवितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 1,41,000 करोड़ रूपए कर दिया गया है। ii) सहकारी ऋण ढांचे को पुनरूज्जीवित करने के लिए प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्य दल ने अल्पावधिक ऋण ढांचे के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उसे स्वीकार कर लिया गया है। अन्य सिफारिशों के साथ-साथ 13,596 करोड़ रूपए के वित्तीय पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। iii) उसी कार्यदल को दीर्घावधिक सहकारी ऋणदात्री संस्थाओं के पुनरूज्जीवन के संबंध में सिफारिशें करने का कार्य सौंपा गया है। कार्यदल ने रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत कर दिया है।
5.	ऋण के भार और कृषि ऋणों की उच्च ब्याज दरों को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।	जून 2004 में घोषित पैकेज में किसानों के लिए राहत के उपाय शामिल हैं, जैसे : (i) पीड़ित किसानों के लिए ऋण का पुनर्निर्धारण और नए ऋण। (ii) लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए एकबारगी निपटान। (iii) उन किसानों के लिए नया वित्त, जिनके पहले के ऋणों का समझौते या बट्टे खाते के माध्यम से निपटान कर दिया गया है। (iv) गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के ऋणी किसानों के लिए राहत के उपाय।	वर्ष 2005-06 में हुई प्रगति निम्नानुसार हैः पैकेज के अनुसार, 2005-06 के दौरान (दिसम्बर 2005 तक), पीड़ित किसानों, बकाया ऋणों वाले किसानों को ऋण राहत के रूप में और लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान के लिए कुल 3014.29 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 2005 तक बैंकों द्वारा किसानों को अग्रिमों के रूप में 28.26 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं, ताकि वे साहूकारों से लिए गए अपने ऋणों को चुकाने में सक्षम हो सकें।

क्र.सं.	न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उद्धरण	टिप्पणी	स्थिति
6.	फसल एवं पशुधन बीमा योजनाओं को अधिक कारगर बनाया जाएगा।	विद्यमान योजनाओं का मूल्यांकन करना आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उन्हें किस प्रकार और अधिक कारगर बनाया जा सकता है। तीन महीने की अवधि में रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए विशेषज्ञ दलों का गठन किया जा सकता है।	कृषि मंत्रालय ने विद्यमान फसल बीमा योजनाओं में सुधार का अध्ययन करने के लिए 31 अगस्त, 2004 को एक संयुक्त दल गठित किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी शेयरधारकों के साथ आगे परामर्श जारी है और आशा की जाती है कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ 2006 से कार्यान्वित की जाएगी।
7.	गरीब परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरु की जाएगी।	वित्त मंत्री ने अपने 2004-05 के बजट भाषण में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी। किसी व्यक्ति, पांच सदस्यों वाले परिवार और सात सदस्यों वाले परिवार को प्रति परिवार प्रति वर्ष क्रमशः 200 रुपए, 300 रुपए और 400 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है।	सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को सम्मिलित करने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना पहले ही शुरु कर दी है। चालू वित्तीय वर्ष में 31.12.05 तक कुल 53741 परिवार (178958 व्यक्ति) सम्मिलित किए गए हैं।
8.	यूपीए सरकार विशेष रूप से देश के पिछड़े और पारिस्थितिक दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों के आधार पर व्यष्टि वित्त योजनाओं का अधिक विस्तार करेगी।	2004-05 में 1.85 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण से संबद्ध करने के लक्ष्य सहित 31 मार्च, 2007 तक 5.85 लाख अतिरिक्त स्व-सहायता समूहों को ऋण से संबद्ध करने का निर्देशक लक्ष्य निर्धारित किया गया था।	2005-06 के लिए स्व-सहायता समूहों को ऋण से संबद्ध करने का लक्ष्य बढ़ाकर 3 लाख करने का निर्णय लिया गया है। 2005-06 के दौरान 31 दिसम्बर, 2005 तक ऋण से संबद्ध किए गए स्व-सहायता समूहों की कुल संख्या 2.08 लाख है।
9.	यूपीए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपाय करेगी कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों, जहां ऋण जमा अनुपात कम है, में पर्याप्त सुधार हो।	बेहतर ऋण जमा अनुपात सुनिश्चित करने के लिए, संबंधित क्षेत्रों की खपत क्षमता और आधारभूत सुविधा में सुधार करना आवश्यक है। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को राज्य सरकार के साथ कार्य करना आवश्यक है।	न्यूनतम साझा कार्यक्रम की मद सं.38 के कार्यान्वयन में, राज्यों/क्षेत्रों में कम ऋण जमा अनुपात की समस्या के स्वरूप एवं मात्रा की जांच करने और उसे दूर करने के उपायों का सुझाव देने के लिए नाबार्ड के प्रबंध निदेशक, श्री वाई.एस. पी. थोराट की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल गठित करने का निर्णय लिया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.2.2005 को भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। सरकार ने दल की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है। यह निर्णय लिया गया है कि अब बैंकों के ऋण जमा अनुपात की निगरानी निम्नलिखित पैरामीटरों के आधार पर विभिन्न स्तरों पर की जानी चाहिए:

संस्था/स्तर	सूचक
अलग-अलग बैंक प्रधान कार्यालय स्तर पर	सीयू + आरआईडीएफ
राज्य स्तर (एसएलबीसी)	सीयू + आरआईडीएफ
जिला स्तर	सीएस

ऋण जमा अनुपात की निगरानी करने और ऋण जमा अनुपात में वृद्धि करने के लिए निगरानी करने योग्य कार्य योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से, 40% से कम के ऋण जमा अनुपात वाले जिलों में डीएलसीसी की विशेष उप-समितियां (एसएससी) गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 9.11.2005 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को तदनुसार अनुदेश जारी किए हैं और उन्हें परिपत्र में यथा उल्लिखित आवश्यक उपाय करने का परामर्श दिया गया है।

क्र.सं.	न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उद्धरण	टिप्पणी	स्थिति
10.	लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक बड़े संवर्धनात्मक पैकेज की घोषणा शीघ्र की जाएगी। प्रमुख औद्योगिक समूहों में आधारभूत सुविधा के उन्नयन पर शीघ्र ध्यान दिया जाएगा।	लघु उद्योगों के लिए बड़ा संवर्धनात्मक पैकेज लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक है। तथापि, ब्याज दरों के विनियमन से बचा जाना चाहिए क्योंकि इससे ऋण की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।	भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता से संबंधित कार्य दल की सिफारिशों, जिसे डा. ए.एस. गांगुली द्वारा प्रस्तुत किया गया था, को स्वीकार कर लिया है और सभी बैंकों को निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए हैं : 1. एसएमई समूहों के संबंध में पूर्ण सेवा दृष्टिकोण; 2. कार्पोरेट से जुड़े एसएमई समूह माडलों को बैंकों द्वारा सक्रिय रूप से प्रवर्तित किया जाए। 3. सिडबी और अग्रणी बैंकों को एमएफआई और एनजीओ के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। 4. पर्वतीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में उच्चतर कार्यशील पूंजी सीमाएं उपलब्ध कराई जाएं। 5. ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए लिखतों की शुरुआत की जाए। लघु उद्योग मंत्रालय समूह वित्तपोषण सहित लघु उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु लघु उद्यमों के विकास के लिए व्यापक विधान लाने पर भी विचार कर रहा है।
11.	वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाई जाएगी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पूर्ण प्रबंधकीय स्वायत्तता दी जाएगी। ब्याज दरें निवेशकों एवं बचतकर्ताओं दोनों के लिए विशेष रूप से पेंशन भोगियों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रोत्साहक बनाई जाएगी।	वित्तीय क्षेत्र में आंशिक रूप से एफडीआई की अनुमति देकर और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इक्विटी में कमी करके प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सकती है। इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अधिक स्वायत्तशासी एवं व्यावसायिक बनाने में मदद मिलेगी। इस दिशा में पहले कदम के रूप में गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एफडीआई सीमा स्व अनुमोदित मार्ग के तहत 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, जिसमें 5 मार्च, 2004 की अधिसूचना के अनुसार वित्तीय संस्थाओं द्वारा किया गया निवेश शामिल है। इस संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णयानुसार भारतीय रिजर्व बैंक विस्तृत मार्गनिर्देशों को अंतिम रूप दे रहा है। उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के साथ पहले ही परामर्श किया जा रहा है। एक बार इन परामर्शों के पूरा होते ही, आशा है कि उपर्युक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य योजना को प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप दे दिया जाएगा।	प्रतिस्पर्द्धा संबंधी नीतिगत बाधाएं और साथ ही विनियामक बाधाएं कई उपायों द्वारा दूर की जा रही हैं। खासतौर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार नियम के पक्ष में व्यष्टि विनियमन से दृढ़ता से हटते हुए कंपनी अभिशासन पर बल दिया है। कंपनी अभिशासन में विस्तार एवं सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता बढ़ाने के लिए कुछ उपायों पर सरकार एवं रिजर्व बैंक के बीच चर्चा चल रही है। भारतीय बैंक संघ नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है और बोर्डों से अपेक्षा की जाती है कि इस संबंध में आवश्यक पहल करें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बजट में पहले ही विशेष सुविधा दे दी गई है। पेंशन निधियों के लिए विनियामक व्यवस्था पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। ब्याज दरों को अधिक लचीला बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि तथा लघु एवं मझौले उद्यमों को उचित दरों पर ऋण देने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधकीय स्वायत्तता के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को दिनांक 22.2.2005 को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंकों को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त करने के संबंध में स्वायत्तता प्रदान की गई है। बैंकों को दिए गए विकल्प निम्नलिखित हैं: (i) सरकारी क्षेत्र के बैंक भारत के नियंत्रक परीक्षक (सी एंड एजी) तथा संस्थान (आईसीएआई) से क्रमशः सांविधिक केन्द्रीय लेखाकारों और शाखा लेखाकारों के नाम सीधे प्राप्त कर सकते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से उन्हें नियुक्त कर सकते हैं। या (ii) मौजूदा प्रथा का अनुसरण किया जाए और भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार

क्र.सं.	न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उद्धरण	टिप्पणी	स्थिति
			के परामर्श से सांविधिक केन्द्रीय लेखाकारों की नियुक्ति करे। तथापि, एससीए और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक संबंधी मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाना जारी रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में एससीए और शाखा लेखा परीक्षकों की सूची हेतु मानदंड निर्धारित करना जारी रखेगा।
12.	इसके अतिरिक्त, विनियामक निकायों द्वारा गैर-सरकारी बैंकों एवं गैर-सरकारी बीमा कंपनियों पर डाले गए सामाजिक दायित्वों की निगरानी की जाएगी और उन्हें कड़ाई से लागू किया जाएगा।	इसे भारतीय रिजर्व बैंक और आईआरडीए के परामर्श से किया जाएगा।	इस प्रभाग ने आईआरडीए को लिखा है कि इन दायित्वों की सूक्ष्मता से निगरानी की जाए और सरकार को आवधिक रिपोर्टें भेजें। जहां तक गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का संबंध है, स्थिति निम्नलिखित हैः भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार उसने 26 जुलाई, 2004 को सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए परिपत्र जारी किया है, जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संबंधी उनके निर्देश दोहराए गए हैं और बैंकों को प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि और कमजोर वर्गों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने की सलाह दी गई है। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के विस्तार की प्रभावी निगरानी और 40% का लक्ष्य प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के अलावा एक कार्य योजना बनाई गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी बैंकिंग प्रणाली हो जिसके जरिए ग्रामीण ऋण प्रवाह को दुगुना किया जा सके और उसकी सूक्ष्मता से निगरानी की जा सके।
13.	विशेष रूप से शहरी सहकारी बैंकों और सामान्य रूप से बैंकों के विनियम अधिक प्रभावी बनाए जाएंगे।	इस प्रयोजन से बैंककारी विनियमन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन संबंधी कानून शीघ्र बनाए जाने आवश्यक हैं।	एक विधेयक दिनांक 13.5.2005 को पहले ही लोक सभा में रख दिया गया है और इसे जांच हेतु स्थायी समिति को भेजा गया हैं। समिति की रिपोर्ट संसद में रख दी गई है। सरकार समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।
14.	जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र में बने रहेंगे और अपनी सामाजिक भूमिका निभानी जारी रखेंगे।	मौजूदा नीति उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की है।	जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र में बने हुए हैं।
15.	सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूंजी बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि स्रोत जुटाए जा सकें और खुदरा निवेशकों को निवेश के अवसर दिए जा सकें।	राष्ट्रीयकृत बैंक इस उपाय का स्वागत करेंगे। उन्हें अपनी इक्विटी कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।	1. वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के लिए कार्य योजना बनाना तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए पूर्ण प्रबंधकीय स्वायत्तता का अंतरण करना उन प्रस्तावित कार्य नीतियों में से एक था जिनके लिए 1970/80 के अधिनियमों में संशोधन किया जाना था, ताकि न्यूनतम सरकारी इक्विटी 51% से कम करके 33% की जा सके। प्रधान मंत्री कार्यालय ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव पर माननीय प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैंः "इस मद का एनसीएमजी वचनबद्धता से कोई संबंध नहीं है, अतः इसे अलग से लिया जाना चाहिए। तथापि, इस संबंध में किसी भी निर्णय को यूपीए सरकार तथा वामपंथी समन्वय समितियों से विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाना है।" 2. अक्तूबर, 2004 से छः बैंकों ने सार्वजनिक

क्र.सं.	न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उद्धरण	टिप्पणी	स्थिति
			निर्गम जारी किए हैं, जिससे सरकार की इक्विटी का प्रतिशत और कम हो गया है तथा एक और राष्ट्रीयकृत बैंक के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम जारी करने की संभावना है।
16.	सभी विनियामक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिस्पर्द्धा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो। इन संस्थाओं को पेशेवर रूप से चलाया जाएगा।	भारतीय रिजर्व बैंक और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग के अधीन दो विनियामक संस्थाएं हैं। इन दो संस्थाओं के संबंध में स्थिति निम्नलिखित हैः i) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत कई सांविधिक शक्तियों को लागू किया है। इन शक्तियों में उपयुक्त अधिनियम के तहत विनियामक ढांचा एवं पर्यवेक्षण तंत्र दोनों शामिल हैं। जबकि विनियामक ढांचे में बैंकों के अनुपालनार्थ नीतिगत ढांचा दिया गया है, पर्यवेक्षी तंत्र में बैंक द्वारा नीति निर्धारण का अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी तंत्र के बारे में कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अपने विभिन्न उपबंधों के माध्यम से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा परिकल्पित विनियामक की भूमिका निभा रहा है। तथापि, कतिपय बैंकों से संबंधित हाल की गतिविधियों को देखते हुए, यह महसूस किया जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के कार्यकरण में गिरावट से बचने तथा बैंकिंग उद्योग में जनता के विश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए तंत्र को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक से इस पहलू की जांच करने के लिए कहा गया है ताकि विनियामक संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। ii) बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) आईआरडीए अधिनियम वर्ष 1999 में अधिनियमित किया गया था। आईआरडीए में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक तथा 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। 4 पूर्णकालिक सदस्यों में से 3 जीवन (लाईफ), साधारण (जेनरल) एवं बीमांकन (एक्चुरियल) क्षेत्र से होने चाहिए। इस प्रकार, आईआरडीए व्यावसायिक रूप से चलाया जा रहा है, विशेषीकरण के भाग के रूप में अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति एसीसी द्वारा की जाती है। बाजार में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए आईआरडीए ने 27 विनियम अधिनियमित किए हैं। आईआरडीए आवधिक रूप से इनके अनुपालन की निगरानी करता है।	स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
17.	वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का विस्तार किया जाएगा। सरकारी क्षेत्र को पूर्ण प्रबंधकीय स्वायत्तता दी जाएगी।	आंशिक रूप से एफडीआई को अनुमति देकर तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इक्विटी को कम करके वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का विस्तार किया जा सकता है। इससे सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्त एवं व्यावसायिक बनाने में भी सहायता मिलेगी। इस दिशा में पहले कदम के रूप में 5	(क) सरकार द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता के संबंध में आवश्यक मार्गनिर्देश दिनांक 8.9.2004 को जारी किए जा चुके हैं। (ख) प्रबंधकीय स्वायत्तता के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को दिनांक 22.2.2005 को

क्र.सं.	न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उद्धरण	टिप्पणी	स्थिति
		मार्च, 2004 की अधिसूचना द्वारा वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेश सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में एफडीआई सीमा को स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 49 % से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। इस संबंध में मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार "गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व एवं अभिशासन तथा भारत में विद्यमान विदेशी बैंकों के लिए रूपरेखा" के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 28.2.2005 को व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए गए थे। उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ से आवश्यक परामर्श लिया जा रहा है। एक बार इसके पूरा हो जाने पर, आशा की जाती है कि उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रधान मंत्री द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर एक कार्य योजना को समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा। बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का विस्तार करने के लिए एफडीआई सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है।	अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12 की उपधारा (2) में निर्धारित मताधिकार की वर्तमान सीमा को हटाने के संबंध में दिनांक 13.5.2005 को लोक सभा में संशोधन विधेयक पेश किया गया है। (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के समेकन के लिए कागजात तैयार किए गए हैं और सरकार के विचाराधीन हैं। वित्त मंत्री ने 3 जून, 2005 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ अपनी बैठक में यह सलाह दी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के समेकन/विलय संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व संबंधित बैंक का प्रबंधन यूनियनों को समेकन की आवश्यकता और लाभों से अवगत कराए, उनकी आशंकाओं को दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ 18 नवम्बर, 2005 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की प्रक्रिया को गति देने के लिए यह आवश्यक है कि सभी पणधारकों को सुग्राही बनाया जाए। समेकन के पक्ष में आम सहमति बनाने के लिए बैंकों से कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श जारी रखने के लिए कहा गया है। (ङ) इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीयकृत बैंकों को सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में स्वायत्तता प्रदान की गई है। बैंकों को निम्नानुसार विकल्प दिए गए हैं :- (i) सरकारी क्षेत्र के बैंक क्रमशः भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (सी एंड एजी) और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान से सीधे ही सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के नाम प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन से नियुक्त कर सकते हैं। या (ii) वर्तमान प्रथा का अनुपालन किया जा सकता है और भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार से परामर्श करके सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) नियुक्त कर सकता है। तथापि, एससीए और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के मानदण्ड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए जाते रहेंगे। सरकारी क्षेत्र के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक एससीए तथा शाखा लेखा परीक्षकों के पैनल तैयार करने का काम जारी रखेगा। **<u>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्गठन</u>** जहां तक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन का संबंध है,यह निर्णय लिया गया है कि प्रायोजक बैंकों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने पुनर्गठन के लिए सरकार से निधियां पात्र करने के पात्र होंगे, जो नए अभिशासन मानक अपनाते हैं और विवेकपूर्ण विनियमों का अनुपालन करते हैं। राज्य के भीतर एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन के उद्धेश्य से 47 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में समामेलन हेतु प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।

अनुबंध - I

(पैरा 2.8.1)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम

(अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र	खातों की संख्या (लाख में)							बकाया राशि (करोड़ रुपए)						
	जून 1969	मार्च 2000	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005*	जून 1969	मार्च 2000	मार्च 2001	मार्च 2002	मार्च 2003	मार्च 2004	मार्च 2005 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. कृषि	1.7	160	188	158	168	190	208	162	45296	53571	58142	70502	84435	112475
								(5.4)	(14.3)	(15.7)	(14.8)	(14.5)	(15.1)	(15.7)
(i) प्रत्यक्ष	1.6	157	185	153	165	188	191	40	34247	38137	44019	51484	62170	82613
								(1.30)	(10.8)	(11.2)	(11.2)	(10.6)	(11.1)	(11.5)
(ii) अप्रत्यक्ष	0.1	3	3	5	3	2	17	122	11049	15434	14123	19017	22265	29862
								(4.0)	(3.5)	(4.5)	(3.6)	(3.9)	(4.0)	(4.2)
II. लघु उद्योग	0.5	22	20	19	17	17	18	257	46045	48400	54268	52646	58311	67634
								(8.5)	(14.6)	(14.2)	(13.8)	(10.8)	(10.4)	(9.4)
III. अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम	0.4	81	80	81	88	94	85	22	30816	40791	59074	76638	101710	129984
								(0.7)	(9.7)	(12.0)	(15.0)	(15.8)	(18.1)	(18.1)
IV. प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को कुल अग्रिम #	2.6	265	288	258	273	301	319	441	127478	149116	171484	199786	244456	310093
								(14.6)	(40.3)	(43.7)	(43.5)	(41.2)	(43.6)	(43.2)
V. निवल बैंक ऋण	-	-	-	-	-	-	-	3016	316427	341291	394064	485271	560819	717304

* *आंकड़े अनंतिम।*

\# *औद्योगिक सम्पदा को स्थापित करने, साफ्टवेयर उद्योगों को ऋण, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, स्व-सहायता समूहों और उद्यम पूंजी आदि हेतु अग्रिम।*

टिप्पणी: *कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता दर्शाते हैं।*

अनुबंध - II

(पैरा 2.8.1)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और कमजोर वर्ग को दिए गए अग्रिम

(मार्च, 2005 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम		कुल कृषि अग्रिम		कमजोर वर्ग अग्रिम		प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को कुल अग्रिम	
		राशि	एनबीसी का %	राशि	एनबीसी का %	राशि	एनबीसी का %	राशि	एनबीसी का %	राशि	एनबीसी का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	इलाहाबाद बैंक	2973.60	14.24	939.50	4.50	3913.10	18.74	2210.35	10.59	9592.34	45.94
2	आन्ध्रा बैंक	2603.82	15.58	473.74	2.84	3077.56	18.42	1768.99	10.59	7070.29	42.31
3	बैंक आफ बड़ौदा	3246.96	10.96	1327.77	4.48	4574.73	15.45	2278.88	7.69	13524.11	45.67
4	बैंक आफ इंडिया	4883.00	14.18	2161.00	6.27	7044.00	18.68	4086.00	11.86	17682.00	51.33
5	बैंक आफ महाराष्ट्र	1101.42	8.86	725.22	5.83	1826.64	13.36	575.00	4.62	5306.41	42.67
6	केनरा बैंक	6227.00	10.83	2555.00	4.45	8782.00	15.28	3350.00	5.83	24777.00	43.11
7	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	3899.05	13.74	1860.69	6.56	5759.74	18.24	2927.65	10.32	14272.18	50.31
8	कार्पोरेशन बैंक	749.43	4.75	420.28	2.66	1169.71	7.41	505.46	3.20	6579.24	41.66
9	देना बैंक	801.52	7.16	947.19	8.46	1748.71	11.66	376.25	3.36	4754.73	42.46
10	इंडियन बैंक	2537.45	15.17	654.25	3.91	3191.70	19.08	1809.83	10.82	8105.41	48.46
11	इंडियन ओवरसीज बैंक	3129.72	13.55	1049.25	4.54	4178.97	18.05	2598.67	11.25	10449.64	45.26
12	ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	1712.10	7.20	1806.32	7.60	3518.42	11.70	1093.59	4.60	11081.44	46.61
13	पंजाब नेशनल बैंक	8269.07	14.48	3391.81	5.94	11660.88	18.98	6464.58	11.32	26468.93	46.34
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	912.85	13.69	351.03	5.26	1263.88	18.19	465.12	6.98	3096.41	46.44
15	सिंडिकेट बैंक	3346.42	14.64	791.73	3.46	4138.15	18.10	2313.62	10.12	10588.52	46.32
16	यूनियन बैंक आफ इंडिया	4392.18	11.60	1769.03	4.67	6161.21	16.10	2755.16	7.27	18588.67	49.08
17	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	959.00	8.32	590.00	5.12	1549.00	12.82	668.00	5.80	4509.00	39.14
18	यूको बैंक	2670.59	9.99	1112.41	4.16	3783.00	14.15	1201.82	4.50	10980.00	41.07
19	विजया बैंक	1220.01	8.75	617.30	4.43	1837.31	13.18	844.22	6.05	6176.38	44.29
	राष्ट्रीयकृत बैंक										
20	भारतीय स्टेट बैंक	16489.31	9.63	4037.00	2.36	20526.31	11.99	19732.28	11.53	62672.83	36.61
21	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	1869.54	15.81	277.32	2.35	2146.86	18.16	1087.75	9.20	5327.07	45.06
22	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1846.87	12.71	49.60	0.34	1896.47	13.05	777.47	5.35	6134.20	42.21
23	स्टेट बैंक आफ इंदौर	1393.18	15.28	273.25	3.00	1666.43	18.27	496.51	5.44	4083.04	44.77
24	स्टेट बैंक आफ मैसूर	1010.75	12.25	217.05	2.63	1227.80	14.88	0.00	0.00	3323.47	40.28
25	स्टेट बैंक आफ पटियाला	2146.00	14.45	745.00	5.02	2891.00	18.95	1489.00	10.03	6104.00	41.11
26	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	971.63	15.23	238.19	3.73	1209.82	18.96	247.59	3.88	2912.20	45.64
27	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1250.46	9.00	481.09	3.46	1731.55	12.46	525.16	3.78	5933.79	42.69
	स्टेट बैंक समूह	**26977.74**	**10.79**	**6318.50**	**2.53**	**33296.24**	**13.32**	**24355.76**	**9.74**	**96490.60**	**38.59**
	सरकारी क्षेत्र के बैंक	**82612.93**	**11.52**	**29862.02**	**4.16**	**112474.95**	**15.68**	**62648.95**	**8.73**	**310093.30**	**43.23**

टिप्पणी: *1. आंकड़े अनंतिम।*

2. एनबीसी-निवल बैंक ऋण।

3. प्रतिशतता की गणना के लिए अप्रत्यक्ष कृषि अग्रिम निवल के बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक ध्यान दिया जाता है।

स्रोत: *आंकड़े बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए।*

जून 2005 को समाप्त तिमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में महिलाओं को दिए गए ऋणों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपए में)

बैंक का नाम	निवल बैंक ऋण	महिलाओं को ऋण			महिलाओं के लिए ऋण				प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत महिलाओं को दिए गए ऋण							
					प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत		गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत		व्यष्टि ऋण के तहत		लघु उद्योगों के तहत		सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के तहत		अन्य	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	एनबीसी का %	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
इलाहाबाद बैंक	2225836	200000	132882.40	5.97	154000	98827.11	46000	34055.29	6000	1780.66	16000	20477.70	80000	13577.59	45000	62991.16
आन्ध्रा बैंक	1774900	295505	118828.00	6.69	218981	65708.00	76524	53120.00	78557	18558.00	2563	7590.00	58530	11297.00	79331	28263.00
बैंक आफ बड़ौदा	3312270	274418	156402.76	4.72	196995	98846.95	77423	57555.81	18008	4444.07	6403	2204.70	64955	13285.96	107629	78912.23
बैंक आफ इंडिया	3612927	298908	211770.00	5.86	203868	126687.00	95040	85083.00	125716	42077.00	5448	19341.00	60311	15059.00	72703	62568.00
बैंक आफ महाराष्ट्र	1300040	122452	65837.42	5.06	69565	42470.36	52887	23367.06	4450	2229.55	1079	1061.09	36164	10168.55	27872	29011.16
केनरा बैंक	5629400	675634	387900.00	6.89	581130	299100.00	94504	88800.00	123910	15600.00	11748	37800.00	153347	24300.00	445472	245700.00
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2783600	270695	150999.00	5.42	203693	98081.00	67002	52918.00	50803	22787.00	8706	16036.00	98698	34257.00	60438	41907.00
कार्पोरेशन बैंक	1804648	66175	65592.43	3.63	44654	42297.83	21521	23294.60	5164	1930.50	939	2086.20	6718	2874.68	32902	36155.97
देना बैंक	1155664	68610	36480.12	3.16	43819	25653.12	24791	10827.00	1922	1725.87	1592	1367.45	22780	4912.00	17525	17647.80
इंडियन बैंक	1672650	323905	122074.11	7.29	223329	85663.51	100576	36410.60	2530	704.13	1254	2466.32	35298	36266.16	184247	46226.90
इंडियन ओवरसीज बैंक	2408799	397990	133688.00	5.55	286552	78974.00	111438	54714.00	111755	27055.00	2885	8503.00	65907	19743.00	106005	23673.00
ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	2496344	90688	133488.00	5.35	69957	93760.22	20731	39727.78	10399	1793.88	1995	18310.95	23663	6859.63	33900	66795.76
पंजाब नेशनल बैंक	6041200	595593	350892.00	5.8	457984	246980.00	137609	103912.00	18013	8160.00	28957	40267.00	192005	49607.00	195250	148533.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	651188	41966	48301.00	7.42	26920	26348.00	15046	21953.00	1659	2749.00	1232	6041.00	13430	5488.00	10373	14139.00
सिंडिकेट बैंक	2462055	349801	173571.00	7.05	223110	109695.00	126691	63876.00	20646	8288.00	2574	9174.00	19456	5596.00	180434	86637.00
यूनियन बैंक आफ इंडिया	4005502	300125	205421.07	5.13	267896	156720.72	32229	48700.35	30868	7776.70	7345	34423.58	69014	19465.64	160669	95054.80
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	1260100	224033	64868.39	5.15	187967	45899.92	36066	18968.47	70814	7450.00	15883	5651.12	89443	19545.80	20782	15867.49
यूको बैंक	2686000	210331	83733.68	3.11	171741	59770.39	38590	23963.29	39619	8494.95	3208	8278.88	88726	17724.75	40188	25271.81
विजया बैंक	1382435	115265	79568.42	5.76	88103	52013.31	27162	27555.11	3239	1187.02	1861	3024.26	17366	4978.68	65637	42823.35
भारतीय स्टेट बैंक	18156061	1953881	915065.00	5.04	1655801	690115.00	298080	224950.00	343557	89274.00	179025	128908.00	271458	121221.00	861761	350712.00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	1209656	106349	78819.56	6.52	81378	55178.92	24971	23640.64	1799	395.61	4242	11730.96	13076	2398.51	62261	40653.84
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	1635728	401132	82510.00	5.04	250196	49935.00	150936	32575.00	93116	26086.00	3422	6602.00	26815	6299.00	126843	10948.00
स्टेट बैंक आफ इंदौर	944264	41612	39268.09	4.16	27944	19320.02	13668	19948.07	442	457.07	1868	3509.93	22975	6020.45	2659	9332.57
स्टेट बैंक आफ मैसूर	846015	88490	42553.00	5.03	52220	24140.00	36270	18413.00	18200	2370.00	3780	680.00	26030	17856.00	4210	3234.00
स्टेट बैंक आफ पटियाला	1576860	47208	88304.16	5.6	33595	37529.27	13613	50774.89	2238	2365.29	9148	2680.66	7416	8199.67	14793	24283.65
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	693104	49236	41239.00	5.95	26667	24882.00	22569	16357.00	700	50.00	3288	3855.00	6624	1779.00	16055	19198.00
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	1441376	113973	95632.00	6.63	78344	62834.00	35629	32798.00	8558	4695.00	11569	17378.00	14033	8065.00	44184	32696.00
कुल	**75168622**	**7723975**	**4105688.61**	**5.47**	**5926409**	**2817430.65**	**1797566**	**1288257.96**	**1192682**	**310484.30**	**338014**	**419448.80**	**1584238**	**486845.07**	**3019123**	**1659236.49**

जून 2005 को समाप्त तिमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में महिलाओं को दिए गए ऋणों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपए में)

बैंक का नाम	गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत महिलाओं को दिए गए ऋण				सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दिया गया ऋण											
	मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए तहत		अन्य		पीएमआरवाई						एसजेएसआरवाई					
					कुल बकाया राशि		महिलाओं को		प्रतिशत		कुल बकाया राशि		महिलाओं को		प्रतिशत	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
इलाहाबाद बैंक	200	6232.34	45800	27822.95	58000	38110.00	8000	4691.00	1379.00	12.31	17500	4710.00	3000	879.00	17.14	18.66
आन्ध्रा बैंक	41	8198.00	76483	44922.00	31923	13656.00	7102	3288.00	22.25	24.08	10150	2154.00	2305	567.00	22.71	26.32
बैंक आफ बड़ौदा	0	0.00	77423	57555.81	76512	30833.08	10024	3607.67	13.1	11.70	26032	4900.85	5904	929.85	22.68	18.97
बैंक आफ इंडिया	0	0.00	95040	85083.00	74446	33275.00	8985	3746.00	12.07	11.26	25094	4924.00	6337	1425.00	25.25	28.94
बैंक आफ महाराष्ट्र	223	48.59	52664	23318.47	35233	14301.75	5516	2232.55	15.65	15.61	9151	1782.50	2874	433.97	31.4	24.34
केनरा बैंक	1540	15600.00	92964	73200.00	64041	29895.00	8977	9250.00	14.0	30.94	13543	3070.00	9786	2108.00	72.26	68.66
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	2341	5833.00	64661	47085.00	98969	66874.00	16359	9528.00	16	14.00	39923	13532.00	7134	2829.00	18	21.00
कार्पोरेशन बैंक	2	143.00	21519	23151.60	13306	6336.57	2665	1318.70	20.03	20.81	2450	500.88	1074	223.89	43.84	44.70
देना बैंक	9	1.20	24782	10825.80	24173	9256.40	3720	1494.40	15.39	16.14	7442	1481.20	2224	371.10	29.88	25.05
इंडियन बैंक	174	144.27	100402	36266.33	26643	11251.19	4099	1688.62	15.32	15.00	6287	1269.89	384	56.97	6.1	4.48
इंडियन ओवरसीज बैंक	53	5071.00	111385	49643.00	37748	18005.00	7549	3601.00	20	20.00	16574	6915.00	5361	2213.00	32	32.00
ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	218	9746.81	20513	29980.97	26394	12133.63	4975	2262.03	18.85	18.64	7811	1824.60	1867	437.67	23.9	23.99
पंजाब नेशनल बैंक	322	7190.00	137287	96722.00	130475	59300.00	19743	7979.00	15	13.00	30849	8352.00	8191	1976.00	27	24.00
पंजाब एंड सिंध बैंक	14	3086.00	15032	18867.00	17171	9258.00	2909	2112.00	16.94	22.81	2933	863.00	632	201.00	21.55	23.29
सिंडिकेट बैंक	310	362.00	126381	63514.00	38799	17723.00	5020	2056.00	13	12.00	9665	2287.00	2721	760.00	28	33.00
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	471	7625.23	31758	41075.12	68733	35013.53	12380	6144.89	18	18.00	19526	7795.08	5871	1602.59	30	21.00
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	152	1232.12	35914	17736.35	33980	17002.42	6911	4538.10	20.34	26.69	3997	925.37	1086	199.15	27.17	21.52
यूको बैंक	15	530.00	38575	23433.29	47007	27345.62	9342	4813.81	19.87	17.60	14870	3118.47	3183	799.00	21.41	25.62
विजया बैंक	0	0.00	27162	27555.11	19453	8421.30	5068	2487.37	26.05	29.54	5345	1508.78	2299	400.89	43.01	26.57
भारतीय स्टेट बैंक	33920	25418.00	264160	199532.00	293301	168512.00	46723	32086.00	15.93	19.04	65146	26101.00	15621	9068.00	23.98	34.74
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	841	2942.00	24130	20698.64	21965	9379.06	1295	400.42	5.89	4.26	11441	2037.72	1561	249.85	13.64	12.26
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3261	1072.00	147675	31503.00	62301	34569.00	14618	3264.00	23.46	9.44	8009	1971.00	2132	410.00	26.62	20.80
स्टेट बैंक आफ इंदौर	26	871.20	13642	19076.87	14854	6480.88	3657	1379.19	25	21.00	9701	2562.16	1744	445.29	18	17.00
स्टेट बैंक आफ मैसूर	198	2784.00	36072	15629.00	28014	19899.00	4115	4394.00	14.68	22.08	8739	3873.00	1284	656.00	14.69	16.93
स्टेट बैंक आफ पटियाला	856	23495.21	12757	27279.68	45429	20585.40	3021	3316.31	6.65	16.11	3422	13857.80	887	1664.32	25.92	12.01
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	12468	7673.00	10101	8684.00	18696	2118.00	2652	230.00	14.18	10.86	8116	6274.00	1439	1084.00	17.73	17.28
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	4835	13813.00	30794	18985.00	16123	10174.00	6799	3400.00	42	33.00	3568	3656.00	572	934.00	16	26.00
कुल	**62490**	**149112**	**1735076**	**1139146**	**1423689**	**729709**	**232224**	**125309**			**387284**	**132247**	**97473**	**32925**		

जून 2005 को समाप्त तिमाही के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बहियों में महिलाओं को दिए गए ऋणों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(राशि लाख रुपए में)

बैंक का नाम	सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत दिया गया ऋण												महिलाओं को दिए गए कुल ऋण का अनुपयोज्य आस्तियां		
	एसजीएसवाई						अन्य								
	बकाया राशि		महिलाओं को		प्रतिशत		बकाया राशि		महिलाओं को		प्रतिशत				
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	एनपीए का %
इलाहाबाद बैंक	162000	32426.00	42000	6240.00	25.92	19.24	106000	8936.00	27000	1767.00	25.47	19.77	11000	5302.01	3.99
आन्ध्रा बैंक	34355	5181.00	9425	3075.00	27.43	59.35	97470	22573.00	39698	4367.00	40.73	19.35	2448	5683.00	4.78
बैंक आफ बड़ौदा	33892	7075.06	10088	1961.30	29.77	27.72	159155	36911.71	38939	6787.14	24.47	18.39	39274	9093.56	5.81
बैंक आफ इंडिया	179908	28282.00	36832	6898.00	20.47	24.39	65903	26095.00	8157	2990.00	12.38	11.46	35990	12880.00	6.08
बैंक आफ महाराष्ट्र	23986	6343.56	5695	1007.59	23.74	15.88	118278	70238.37	22079	6494.44	18.66	9.25	23634	5438.12	8.25
केनरा बैंक	35052	9266.00	34610	4950.00	98.74	53.42	152507	18949.00	99974	8065.00	65.55	42.56	75286	23200.00	6.11
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	131339	38081.00	30137	8444.00	23.00	22.00	174318	55111.00	45068	13456.00	26	24.00	32440	13927.00	9.00
कार्पोरेशन बैंक	3346	999.27	1598	590.60	47.76	59.10	11741	11825.73	1381	741.49	11.76	6.27	8835	3708.61	5.65
देना बैंक	38514	5690.00	9379	1190.00	24.35	20.91	25790	11302.40	7457	1856.50	28.91	16.43	18330	3820.48	10.47
इंडियन बैंक	42174	8303.27	6231	685.54	14.77	8.25	380781	79941.90	24584	33835.03	6.45	42.32	20907	8392.87	6.87
इंडियन ओवरसीज बैंक	34979	12850.00	29732	10922.00	85.00	85.00	59714	8342.00	23265	3007.00	39	36.00	38601	11818.00	8.84
ओरिएंटल बैंक आफ कामर्स	11433	2409.85	4006	931.88	35.04	38.67	4688	515.51	1894	253.41	40.4	49.16	12305	8839.94	6.62
पंजाब नेशनल बैंक	178296	30698.00	42819	9976.00	24.00	33.00	316188	123357.00	121252	29676.00	38	24.00	55479	22695.00	6.46
पंजाब एंड सिंध बैंक	11257	2595.00	3112	1032.00	27.65	39.77	22712	7193.00	6777	2143.00	29.84	29.79	7612	8854.00	18.33
सिंडिकेट बैंक	19950	5485.00	6074	2135.00	30.00	39.00	28686	4279.00	5641	645.00	20	15.00	25780	6588.00	3.80
यूनियन बैंक आफ इंडिया	63816	14694.31	21133	4913.32	33.00	33.00	95000	25274.50	29630	6804.84	31	27.00	35672	11393.02	5.55
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	59924	6936.35	34292	2877.96	57.23	41.49	247201	28228.18	47154	11930.59	19.08	42.26	30946	7706.12	11.88
यूको बैंक	150516	28486.04	57695	7334.73	38.33	25.75	77120	23001.90	18506	4777.21	24	20.77	30649	3906.99	5.00
विजया बैंक	5282	1633.24	2270	688.35	42.98	42.15	20791	6519.49	7729	1402.07	37.17	21.51	12370	5144.60	6.47
भारतीय स्टेट बैंक	395788	123390.00	66779	23521.00	16.87	19.06	787194	466489.00	142335	56546.00	18.08	12.12	120955	100931.00	11.03
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	29912	5718.77	4485	1005.83	14.99	17.59	28761	3952.64	5735	742.41	19.94	18.78			
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	42165	8999.00	9445	2587.00	22.40	28.75	5222	380.00	620	38.00	11.87	10.00	29220	3999.00	4.85
स्टेट बैंक आफ इंदौर	13546	3942.89	3078	669.14	23.00	17.00	20131	6640.32	14496	3526.83	72	53.00	4714	2044.70	5.20
स्टेट बैंक आफ मैसूर	4770	1517.00	2020	600.00	42.34	39.55	125488	42321.00	18611	12206.00	14.83	28.16	9944	3856.00	9.06
स्टेट बैंक आफ पटियाला	4984	3713.60	2040	818.11	40.93	22.03	191721	47986.40	1468	2400.93	0.77	5.00	23	75.00	0.08
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	14423	1469.00	2452	232.00	17.00	15.79	564	1841.00	81	233.00	14.36	12.66	260	1551.00	3.76
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	10656	4297.00	3505	1393.00	33.00	32.00	12502	6347.00	3157	2338.00	25	37.00	8959	5154.00	5.39
कुल	**1736263**	**400482**	**480932**	**106679**			**3335626**	**1144552**	**762688**	**219030**			**691633**	**296002**	

3. बीमा प्रभाग

3.1 **संगठन और भूमिकाः** भारत में बीमा प्रभाग बीमा उद्योग के, जीवन और गैर-जीवन बीमा, दोनों प्रकार के कार्यकलापों के लिए प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार है। बीमा प्रभाग के कार्यकलापों में बीमा मामलों के संबंध में नीति-निर्माण, बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (आई.आर.डी.ए.), 1999 का प्रशासन, सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के कार्यनिष्पादन की समय-समय पर समीक्षा और मानीटरिडग, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उनके बोर्डो के निदेशकों की नियुक्ति, बीमा कर्मचारियों की सेवा-शर्तों, राष्ट्रीयकृत बीमा निगम/कम्पनियों में सतर्कता कार्यकलापों का समन्वय करना, आई.आर.डी.ए. अधिनियम, 1999 के तहत नियमों को बनाना और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना शामिल है।

3.2 इस प्रभाग में एक अपर सचिव (वित्तीय क्षेत्र) के अधीन एक संयुक्त सचिव, एक निदेशक और चार अवर सचिव तथा चार अनुभाग हैं।

3.3 भारतीय जीवन बीमा निगम, जीआईसी पुनर्बीमा कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी, ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी सरकार के स्वामित्वाधीन वित्तीय संस्थाएं हैं और ये बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा अधिनियम, 1956, साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अधीन हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) अधिनियम, 1999 के अधीन एक सांविधिक निकाय है।

3.4 **मानव संसाधन विकासः** श्री जी.भुजबल, पूर्व निदेशक (बीमा) को सार्वजनिक प्रशासन में 31वें उन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (एपीपीए) के लिये मनोनत किया गया था। श्री ललित कुमार, उप सचिव (बीमा) को 30 जनवरी से 10 फरवरी, 2006 फलोरिना मालटा में बीमा प्रबंधन पर मालटा-कामनवैल्थ विकासशील देश प्रशिक्षण के लिये मनोनीत किया गया था।

3.5 **राजभाषा का प्रगामी प्रयोगः** भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और सार्वजनिक सरकारी क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के सभी कार्यालयों ने राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन करना सुनिश्चित किया है। निगमों/कंपनियों के सभी कार्यालयों में हिन्दी दिवस तथा हिन्दी पखवाड़ों का आयोजन किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऊटी के मंडल कार्यालय का दिनांक 1.10.2004 को, युनाइटेड इंडिया इंश्येरेंस कंपनी लिमिटेड, सिलवासा के शाखा कार्यालय का 7.1.2005 को तथा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बड़ोदरा के क्षेत्रीय कार्यालय का 1.1.2005 को दौरा किया तथा बीमा कंपनियों/निगम के राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की।

राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए जी आई सी के राजभाषा विभाग ने नियमित रूप से विभागों का निरीक्षण किया। जी आईद सी ने हिन्दी सप्ताह, आंतरिक कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं, सबसे अच्छा निष्पादन करने वाले विभाग को एमडी शील्ड का वितरण और गृह पत्रिका क्षितिज का प्रकाशन किया।

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साधारण बीमा (सरकारी क्षेत्र) संगठन (जिप्सा) की कंपनियों ने विभिन्न कार्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित कीं। विभिन्न केद्रों पर हिन्दी टंकण और आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों को नामित किया। मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और मंडलों/शाखाओं को योग्यता प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए।

3.6 **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याणः** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुरूप, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा जिप्सा कम्पनियों ने नियम बनाए हैं जिनके अन्तर्गत भर्ती तथा पदोन्नति के मामले तथा जहां कहीं भी लागे हों वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को छूट तथा रियायतें प्राप्त होती हैं।

कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों (डीओपीटी) के अनुपालन स्वरूप जीवन तथा गैर जीवन बीमा कंपनियों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पहले की रिक्तियों को भरने के लिये विशेष कार्यक्रम शुरु किया। कुल मिलाकर 72% तक पहले की रिक्तियों को भर लिया गया है। बाकी रिक्तियों को भरने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

जीआईसी और जिप्सा कंपनियों का डा. अम्बेडकर कल्याण न्यास, इन कंपनियों के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों की वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है जिससे कि उनके कल्याण में शैक्षिक तथा तकनीकी कौशल में सुधार हो। न्यास ने इस वित्तीय वर्ष में दादर मुम्बई स्थित चैत्य भूमि पर कल्याणकारी गतिविधियां चलाने के लिये दो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति वर्गों को 1.5 लाख रुपए दिये हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों को राष्ट्रीय बीमा अकादमी पुणे में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिये भी न्यास द्वारा लगभग 5 लाख रुपये मुहैया करवाये गये हैं।

3.7 एससी/एसटी-कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने अक्तूबर, 2004 और अक्तूबर, 2005 के दौरान युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस व भारतीय जीवन बीमा निगम के अर्न्तगत अनु जाति/अनु.जन जाति को रोजगार प्रदान करने तथा आरक्षण पर सरकारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा हेतु चेन्नई तथा गोवा का दौरा किया। सरकारी दिशा निर्देशों के मद्देनजर सेवा के मामलों में एससी/एसटी कर्मचारियों के हितों की देखभाल करने के लिये तथा विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिये कि इससे संबंधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन होता है, प्रत्येक कंपनी में एक प्रक्रिया निर्धारित कीगई है।

3.8 **जन शिकायतों को दूर करनाः** जीवन बीमा निगम में शाखा कार्यालयों में ग्राहक संपर्क अधिकारियों तथा मंडल कार्यालयों में ग्राहक संपर्क प्रबंधकों, जो विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, द्वारा पालिसीधारकें, एजेंटों, अन्य कार्यालयों तथा सरकारी एजेंसियों से प्राप्त शिकायतों का निपटान किया जाता है। व्यथित पॉलिसीधारक आसानी से बिना किसी पूर्व अनुमति के शिकयत निवारण अधिकारियों से सोमवार को 2.30 बजे से 4.30 तक मिल सकते हैं। शिकायत निवारण अधिकारियों के नाम अग्रणी समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

जिप्सा कंपनियों के प्रधान कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों ने ग्राहक सेवा के अनुभवी अधिकारियों के अधीन अलग से शिकायत निवारण विभाग स्थापित किये हैं। वर्ष 2004-05 की अवधि के दौरान कंपनियों का निष्पादन निम्नानुसार रहा है।

कम्पनी	1.4.2004 को लंबित शिकायतें	दर्ज की गई शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	31.3.2005 को लंबित शिकायतें
नेशनल	785	2465	2756	494
न्यू इंडिया	1032	1813	2269	576
ओरिएंटल	185	2004	2085	104
युनाइटेड इंडिया	317	955	887	385

3.9 **बीमा क्षेत्र में सुधारः** बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 के अधिनियम द्वारा बीमा क्षेत्र खोलकर तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का गठन करके बीमा सुधार की स्थापना की गई। प्राधिकरण के मुख्य कार्य बीमा कर्ता और बीमा मध्यस्थों काट लाइसेंस देना, वित्तीय और विनियामक पर्यवेक्षण, प्रीमियम की दरों को नियंत्रित और विनियमित करना और पालिसी धारकों के हितों की रक्षा करना है।

पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिये, ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति दायित्व एजेंटों, कापोरेट एजेंटों, ब्रोकरों और तृतीय पक्ष प्रशासकों को लाइसेंस देने के लिये प्राधिकरण ने विनियम बनाये हैं। यह विनियम,बीमा कम्पनियों के पंजीकरण, शोध क्ज्ञमता (सालिवैन्सी) सीमा के अनुरक्षण, निवेश और रिपोर्ट कार्यों की आवश्यकताओं के लिये बनाये गये विनियमन ढांचे के अतिरिक्त हैं। प्राधिकरण ने जो कि बीमाक्षेत्रों के विकास के लिये उत्त्रदायी है, बीमा क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण घटकों के अन्तर्गत निम्नलिखित कदम उठाये हैं।

3.9.1 **सूक्ष्म बीमाः** लम्बे समय से ग्रामीण और शहरी गरीबों की सामर्थ्य के अनुरूप बीमा उत्पादों की जरूरत महसूस की जा रही हैं। ग्रामीण शहरी गरीबों को दिये जाने वाले अथाह बीमा आवरण के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण ने अपनी विकास की 'भूमिका के रूप में' सूक्ष्म बीमा/लघु बीमा की अवधारणा को प्रस्तुत किया।

सूक्ष्म बीमा नियमों का लक्ष्य धबिन्दु समाज के लक्षित हिस्से को बीमा प्रदान करने के लिये नियम तथा ढांचा देना था। बीमा उत्पादों के वितरण और बीमे की पैठ को बेहतर बनाने के लिये, यह विनियम जीवन बीमा तथा गैर जीवन बीमा कंपनियों के बीच गठजोड़ हिस्सों की पैठ का प्रावधान करते है। अतः परस्पर विक्रय (क्रॉस सैलिंग) साधारणतया जिसकी अन्य बीमा उत्पादों के मामले में अनुमति नहीं है, सूक्ष्म बीमा के मामले में उसकी अनुमति दी गई। सूक्ष्म बीमा विनियमों में की गई, यह एक महत्वपूर्ण पहल है। ये विनियम लघु बीमा एजेंट को भी परिभाषित करते हैं जो कि स्वयं सेवी समूह लघु वित्तीय संस्थान तथा लघु गैर सरकारी संगठन हो सकते है। एजेंटों को लाइसेंस दिये जाने के वर्तमान नियमों में से एक मुख्य बदलाव यह है कि लघु बीमा एजेंटों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये पच्चीस घंटे का प्रशिक्षण लेना होगा जो कि वही बीमा कंपनी प्रदान करेगी जिनके साथ एजेंट जुड़ा हुआ है स्वं लघु एजेट को प्रमाणित एजेन्ट बनाने के कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस परिवर्तन का उद्देश्य ग्रामीण भारत में वितरण के तरीके में व्याप्त खाई को पाटना था जो कि कम लागत के उत्पाद को विपणन की दृष्टि से चिन्ता का विषय बना हुआ था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में एजेन्टों का मिलना एक चिरस्थाई समस्या रही है।

चूंकि लघु बीमा की सफलता के लिये वितरण अनेक महत्वपूर्ण कारकों में से एक है इसलिये प्राधिकर्ता ने लघु बीमा एजेन्टों को गरीबों के बीच बीमा को फैलाने के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। लघु बीमा एजेन्ट प्रस्ताव प्रपत्र एकत्र करने, बीमा कंपनियों में प्रीमियम जमा करवाने, दावे के निपटान में मदद तथा पॉलिसियों के रख-रखाव एवं प्रेषण का कार्य भी करेंगे। लघु बीमा एजेन्टों की बीमा कंपनियों की लागत पर ये सब कार्य पूरा करने के लिये क्षमता विकास कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षण दिया जायेगा। जीवन बीमा उत्पादों में चौथे वर्ष से आगे के लिये नवीनीकरण प्रीमियम पर कमीशन 7.5% से कम होकर दूसरे वर्ष में 5% रह जाता है, जबकि सूक्ष्म जीवन बीमा में प्रीमियम अदा किये जाने वाले वर्ष में जीवन बीमा उत्पादों पर कमीशन 20% तथा एकल लघु बीमा उत्पादों पर 10% ही स्थिर रहता है। गैर जीवन बीमा लघु उत्पादों पर कमीशन 15% ही है।

लघु बीमा के लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के लिये जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, प्राधिकरण ने बंदीबस्ती बीमा अधिकतम 50,000 रुपए तथा न्यूनतम 5000 रुपए रखा ताकि यह उनकी पहुंच से बाहर न हो। अवधि बीमा के मामलों में अवधि को 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि के साथ अधिकतम 15 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। अतिरिक्त आवरणों (राइडरर्स) की अनुमति नहीं होगी। लघु जीवन बीमा उत्पादों को यथा संभव सरल रखा जाए ताकि लोगों द्वारा उन्हें समझना आसान हो। साधारण बीमा के मामले में आवास पशुधन (लाइवस्टॉक) औजार आदि के आवरण को 5000 रुपए से 50,000 रुपए तक प्रति सम्पत्ति रखा गया। लघु बीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा का भी प्रावधान है जिनमें अधिकतम आवरण रु 30,000 होगा जबकि व्यक्तिगत न्यूनतम आवरण रुपए 5000 का है। परिवारों के लिये यह 10,000 है।

उक्त आधारित बीमा लघु बीमा विनियम बीमा कंपनियों को गरीबों तक बीमा पहुंचाने के लिये प्रेरित करेंगे, जो कि लघु बीमा अभिकर्ताओं बीमा कंपनियों और बीमा धारकों के लिये सामाजिक एवम आर्थिक रूप से युक्ति युक्त होंगे। लघु बीमा उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिये यह स्पष्ट किया गया है कि बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के तहत बीमाकर्ता के लिये निर्धारित समर्थित सामाजिक और ग्रामीण दायित्वों का ये हिस्सा हेगे।

3.9.2 **प्रशुल्क मुक्त युग हेतु खाकाः** प्रशुल्क मुक्त युग में बीमाकर्ताओं द्वारा गुणवत्ता युक्त आंकड़ों का सग्रंहण एवं रखरखाव सुनिश्चित करने तथा सहज आदान प्रदान की अपरिहार्यता के संदर्भ में आईआरडीए ने बीमालेखन, जोखिमों की दरों, पालिसी शर्तों और प्रतिबंधों, निगम अभिशासन और प्रशुल्क सलाहकार समिति के कार्यक्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कदमों से संबंधित एक मार्गदर्शिका प्रदान की है। संक्षेप में ये दिशानिर्देश जोखिमों की दरों के लिए आधुनिक एक्चुअरी/सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आवश्यक तथा संशोधित आन्तरिक योग्यताएं और कार्य प्रणालियों की आवश्यकता को दर्शाते हैं। मार्ग दर्शिका के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 से प्रशुल्क समाप्त हो जाएंगें।

मार्गदर्शिका (रोडमैप) में रेखांकित क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं द्वारा उठाए गए कदमों की प्रगति के आकलन के उद्देश्य से प्राधिकारी ने प्रशुल्क क्षेत्र में निर्विध्न आदान-प्रदान हेतु मार्ग दर्शिका समिति की स्थापना की है। समिति बाजार में बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य के विस्तार का आकलन करेगी।

3.9.3 **ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र में व्यवसायः** ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्रों की ओर से बीमाकर्ताओं के कर्तव्यों पर प्राधिकारी द्वारा विनियम निर्मित किए गए थे और वार्षिक आधार पर उन कर्तव्यों को पूरा करना सभी बीमाकर्ताओं के लिए वांछनीय है। बीमाकर्ताओं के लिए उनके प्रचालन के प्रारम्भिक वर्ष पर आधारित व्यवसाय का बीमालेखन करने के लिए विनियमों की आवश्यकता है। इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु विनियम इस मामले में पुनः दर्शाते हैं कि बीमाकर्ता के प्रथम वित्तीय वर्ष जो कि 12 मास से कम है, आनुपातिक प्रतिशत या लोगों की संख्या, जैसी भी स्थिति हो, बीमांकित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र में बीमांकित व्यवसाय की मात्रा वर्ष 2001-02 में अभिलेखित व्यवसाय से कम नहीं होनी चाहिए।

3.9.4 **जीवन बीमाकर्ताओं के कर्तव्यः** सभी 13 बीमाकर्ताओं ने जो कि पिछले 5 वर्षों के दौरान जीवन बीमा प्रचालन में है, अपने ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के कर्तव्यों को पूरा किया है। वर्ष में बीमांकित कुल पालिसियों के प्रतिशत के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा बीमांकित पालिसियों की संख्या उन पर लागू अनुबंधों के अनुसार थी।

सामाजिक क्षेत्र में आवरितों की संख्या निर्धारित दायित्वों से ऊपर थी। जीवन बीमा निगम के मामले में यह निर्धारित किया जाता है कि वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जारी पालिसायों का प्रतिशत 31 मार्च, 2002 को समाप्त लेखा वर्ष में किए गए बीमा व्यवसाय की मात्रा से न्यून नहीं होना चाहिए। बीमाकर्ता ने इस संबंध में अपने कर्तव्यों का अनुपालन किया। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ता द्वारा आवरित लोगों की संख्या वर्ष 2001-02 में आवरित लोगों की संख्या से अधिक थी। जीवन बीमा निगम असंगठित क्षेत्र में अपरम्परागत वर्गों तथा लोगों को लक्ष्य बनाकर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सामूहिक योजनाओं के माध्यम से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक आवरण का विस्तार कर रही हैं। सरकार द्वारा निर्मित एक अलग निधि के द्वारा कमजोर तबके को भी बीमा संरक्षण दिया जाता है। बीमा आवरण हेतु बिजली चालित करघा कामगारों, हस्तशिल्पियों और बुनकरों को आर्थिक मदद दी जाती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों एवं असंगठित श्रमिक को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। शिक्षा सहयोग योजना के अधीन उन बच्चों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, जिनके माता-पिता जन श्री बीमा योजना के अधीन आवरित हैं।

3.9.5 **जीवनेतर बीमाकर्ताओं के कर्तव्यः** सभी आठ निजी क्षेत्र के जीवनेतर बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2004-05 में अपने ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्र के कर्तव्यों को पूरा किया है। जबकि चार सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2004-05 हेतु ग्रामीण क्षेत्र के कर्तव्यों का अनुपालन किया है। बीमाकर्ताओं के कारणवश सामाजिक क्षेत्र के कर्तव्यों के अनुपालन में कमी आई थी। इन दो बीमाकर्ताओं द्वारा आवरित लोगों की संख्या वर्ष 2001-02 में आवरितों की

संख्या से कम थी, जो कि जीवनेतर सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए आधार बिन्दु (Bench Mark) वर्ष हैं। प्राधिकारी ने दोनों बीमाकर्ताओं से उस कमी पर स्पष्टीकरण मांगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने भारत सरकार की सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अधीन लोगों के जीवन को आवरित किया है जो कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में आरम्भ किया गया।

3.10 **वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनाः** एलआईसी अधिनियम, 1956 की धारा 29 के उपबंधों के अनुसार वर्ष 2004-2005 के लिए जीवन बीमा निगम की वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर दिनांक 23.12.2005 को रखी गई थी। वर्ष 2004-05 के लिए साधारण बीमा निगम और चार सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर दिनांक 23.12.2005 को रखी गई थीं।

3.11 **प्रदूषण का उपशमन और पर्यावरणीय कार्यकलापः** साधारण बीमा उद्योग में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण सभी चारों साधारण बीमा कंपनियां ग्राहकों को संबंधित सेवाएं प्रदान करके प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। विशेष रूप से तैयार की गई बीमा नीतियां जिसमें जनता की देयता संबंधी जोखिमों और प्रदूषण देयता जोखिमों को शामिल किया गया है। ग्राहकों की पहल पर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों और जोखिम के लिए प्रीमियम की दरों में छूट प्रदान की गई है और दुर्घटना होने पर जोखिमों को बढ़ने से रोकने के लिए विपत्ति प्रबंध प्रणाली के लिए भी छूट दी गई है। विशेष छूट की इस व्यवस्था का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण पर सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त सुरक्षा को प्रोत्साहित करना, प्रदूषण के जोखिमों को कम करना और पर्यावरण का संरक्षण करना है।

3.12 **विभिन्न संसदीय समितियों द्वारा निरीक्षणः** अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के अध्ययन दलों ने क्रमशः चेनै और गोवा स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी और जीवन बीमा निगम के अधिकारियों के साथ (अक्तूबर, 2004 व अक्तूबर, 2005 के दौरान) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं एवं उन कम्पनियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को रोजगार देने संबंधी विषयों पर चर्चा की।

3.13 **भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी):** जीवन बीमा निगम तत्कालीन जीवन बीमाकर्ताओं की परिसंपत्तियों और दायित्वों को अपने अधीन करके और देश में जीवन बीमा का कारोबार करने हेतु पहली सितम्बर, 1956 में स्थापित किया गया था। जीवन बीमा कारोबार के इस संगठन का मुख्य उद्देश्य देश में जीवन बीमा के संदेश को फैलाना तथा लोगों की जमा-पूंजी को राष्ट्र-निर्माण की गतिविधियों में लगाना था। बीमा क्षेत्र प्राइवेट जीवन बीमा कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुला हुआ है। यू.के., मारीशस तथा फीजी में अपने शाखा कार्यालयों के माध्यम से निगम विदेशों में भी कारोबार कर रहा है। शाखा परिचालनों के अतिरिक्त, निगम ने बहरीन, नेपाल तथा श्रीलंका में ख्याति प्राप्त भागीदारों के साथ संयुक्त रूप से विदेशी अनुषंगियां स्थापित की है।

जीवन बीमा निगम ने दिनांक 31.3.2005 के अनुसार प्रत्येक 1000 रुपए की बीमित राशि पर 20 रुपए से 71 रुपए तथा जीवन बीमा पालिसियों की योजना एवं शर्तों पर निर्भर करते हुए वार्षिकी के अंतर्गत प्रत्येक 1000 रुपए के नकदी विकल्प पर 18 से 30 रुपए तक की बोनस दरों की घोषणा की है। 1000 रुपए की बीमित राशि पर बीमा पालिसियों के लिए अंतरिम बोनस दरें 20 रुपए और 60 रुपए के बीच है। इसके अतिरिक्त निगम ने प्रत्येक 1000 रुपए की बीमित राशि पर 20 रुपए से 1400 रुपए, जो बीमित राशि की अवधि तथा बीमित राशि पर निर्भर है, अतिरिक्त बोनस की भी घोषणा की है।

उपर्युक्त नियमित प्रतिवर्ती बोनस के अतिरिक्त, एक विशेष एकबारगी प्रतिवर्ती बोनस 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार प्रतिवर्ती बोनस के लिए पात्र सभी पालिसियों के लिए घोषित कर दिया गया है। यह विशेष एकबारगी बोनस, पालिसियों के आरंभ होने की तारीख के आधार पर, 1000 रुपए की बीमित राशि पर 5 रुपए (वार्षिकी हेतु 1000 रुपए की नकदी विकल्प) से 1000 रूपए की बीमित राशि पर 50 रुपए (वार्षिकी हेतु 1000 रूपए की नकदी विकल्प) के बीच है।

31 मार्च, 2005 को जीवन बीमा निगम के 7 अंचल कार्यालय, 101 मण्डल और 2048 शाखा कार्यालय थे।

3.14 **प्रबंधन पर व्यय और व्यय का अनुपातः** प्रबंधन व्यय, नवीनीकरण व्यय अनुपात और पिछले 6 वर्षों का कुल अनुपात नीचे सारणी में दिए गए हैंः

वर्ष	प्रबंधन व्यय (करोड़ रुपए)	नवीनीकरण व्यय का अनुपात (%)	कुल व्यय का अनुपात (%)
2000-01	6802.99	2.40	19.90
2001-02	8778.30	4.20	17.72
2002-03	9619.71	#	17.53
2003-04	10920.34	#	17.30
2004-05	12439.93	#	16.57

** *वर्ष 2002-2003 और वर्ष 2003-2004 और 2004-05 के आंकड़ों को आईआरडीए के मार्गनिर्देशों के अनुसार पुनः समूहों में रखा गया है।*

\# *नवीनीकरण व्यय अनुपात नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाता है इसलिए इसका परिकलन नहीं किया गया है।*

3.15 प्रीमियम से आय और जीवन निधिः

पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल आय एवं जीवन बीमा निधि की वर्ष वार स्थिति के साथ-साथ पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि नीचे दी गई है-

वर्ष	कुल प्रीमियम आय (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
2000-01	34,877.30	21.20
2001-02	49,805.93	42.80
2002-03	54,602.37	9.63
2003-04	63,496.49	16.28
2004-05	75,083.37	18.25

वर्ष	जीवन निधि (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
2000-01	186,043.70	20.90
2001-02	232,900.94	24.20
2002-03	273,004.96	17.22
2003-04	321,753.53	17.86
2004-05	385,639.07	19.66

** *वर्ष 2002-2003, 2003-04 और 2004-05 के आंकड़ों को आईआरडीए के मार्गनिर्देशों के अनुसार पुनः समूहों में रखा गया है।*

निवेशः वर्ष 2004-05 के अन्त की स्थिति के अनुसार निगम के निवेश का वही मूल्य तथा ऋण बकाया, 2003-04 को समाप्त वर्ष में 4,13,800.95 करोड़ रुपए की तुलना में 343129.00 करोड़ रूपए था।

3.16 **नया कारोबार (व्यक्तिगत बीमा, सामान्य वार्षिकी,पेंशन, यूनिट लिंक्ड- बीमा प्लस भविष्य प्लस):** 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान जीवन बीमा निगम ने 239.73 लाख पालिसियों के अंतर्गत 187132.39 करोड़ रुपए का कारोबार किया जबकि पिछले वर्ष के दौरान 266.26 लाख पालिसियों के अर्न्तगत 199698.02 करोड़ रूपए का नया कारोबार किया गया। वर्ष 2003-04 में नए कारोबार की तुलना में पालिसियों में 10.01 प्रतिशत एवम् बीमित राशि के क्रम में 8.43 प्रतिशत कमी आई है।

3.17 **नए ग्रामीण कारोबार (व्यक्तिगत बीमा):** वर्ष 2004-05 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 46037.01 करोड़ रुपए का नया कारोबार किया जिसमें 54.84 लाख पालिसियों के अन्तर्गत बीमा सुरक्षा प्रदान किया गया जबकि 62.19 लाख पालिसियों के अन्तर्गत बीमा राशि 35651.99 करोड़ रुपए पिछले वर्ष के दौरान आईआरडीए द्वारा अनुमोदित ग्रामीण सामाजिक क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार था। यह पालिसियों की संख्या के आधार पर 11.81% कमी और बीमित राशि के आधार पर 29.12% की वृद्धि दर्शाता है जबकि पिछले वर्ष क्रमशः 17.85% व 22.79% रहा है।

3.18 **समूह बीमा कारोबारः** 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान नई और नवीकृत दोनों सामूहिक योजनाओं के अंतर्गत 136286.92 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया, जिसमें 306.50 लाख लोगों को बीमा कवच उपलब्ध कराया गया। पिछले वर्ष में 143398.20 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया था जिसमें 252.46 लाख लोगों को बीमा कवच प्रदान किया गया था। समूह अधिवर्षिता स्कीमों के अंतर्गत 0.43 लाख लोगों को 82.50 करोड़ रुपए की राशि की वार्षिता प्रदान की गई जबकि पिछले वर्ष के दौरान 1.72 लाख लोगों को 214.90 करोड़ रुपए की वार्षिता जारी की गई थी।

3.19 **सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** समाज के कमजोर तथा असुरक्षित वर्गो के लोगों को सामूहिक बीमा योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1988-89 में सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई। इन वर्गो के अनुमोदित व्यवसायों के लिए विभिन्न समूह बीमा योजनाओं के लिए इस निधि से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं के लिए अंतर्गत अब मृत्यु होने पर 25,000 रुपए तक के दुर्घटना लाभ सहित 5000 रुपए तक की बीमांकित राशि प्रदान करने का प्रावधान है। समाज के इन वर्गों से संबंधित अनुमोदित व्यावसायिक समूहों की संख्या 24 है, जो निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	व्यवसाय
1.	बीडी कामगार
2.	ईंट भट्ठा कामगार
3.	बढ़ई
4.	चर्मकार
5.	मछुआरे
6.	हमाल्स
7.	दस्तकार
8.	हथकरघा बुनकर
9.	हथकरघा और खादी बुनकर
10.	महिला दर्जीनिया
11.	चमड़ा और चर्मशोधक
12.	सेवा सहबद्ध कागज कर्मगार
13.	शारीरिक रूप से विकलांग स्वरोजगार
14.	प्राथमिक दूध उत्पादक
15.	रिक्शा चालक/आटो चालक
16.	सफाई कर्मचारी
17.	नमक उत्पादक
18.	तेंदू पत्ती तोड़ने वाला
19.	शहरी गरीब
20.	वन कामगार
21.	रेशम पालन
22.	ताड़ी बनाने वाला
23.	विद्युत करघा कर्मगार
24.	पहाड़ी क्षेत्र की महिलाएं

सामाजिक सुरक्षा निधि से प्रीमियम में 50 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जाती है। दिनांक 10 अगस्त, 2000 से यह योजना बंद कर दी गई तथा इसके स्थान पर जनश्री बीमा योजना लागू की गई। नये समूहों को सूचीबद्ध नहीं किया गया केवल पुराने पूर्व आवरित समूहों के नवीकरण को स्वीकार किया गया।

इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम द्वारा आईआरडीए/एसजीएसवाई के लाभानुभोगियों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि से पूर्णतः वित्तपोषित समूह बीमा योजनाओं का संचालन भी होता है।

जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले पांच वर्षो के दौरान निपटाए गए दावों की संख्या निम्नानुसार है-

वर्ष	दावों की संख्या	
	एसएसजीएस	आईआरडीपी/ एसजीएसवाई
2000-01	31975	3148
2001-02	36862	2188
2002-03	30041	1280
2003-04	31290	864
2004-05	25680	918

3.20 **जनश्री बीमा योजनाः** वर्ष 2000-2001 बजट में की गई सरकारी घोषणा के अनुपालन में एल आई सी ने 10 अगस्त, 2000 से जनश्री बीमा योजना नामक एक नई सामूहिक बीमा योजना शुरु की।

इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों यहां तक कि मामूली रूप से गरीबी रेखा के ऊपर रहने वालों को भी बशर्ते कि ये पहचान किए गए व्यवसायिक समूह के, लिये जीवन सुरक्षा प्रदान की जाती है। 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच व्यक्ति इसके पात्र होते हैं। ये समूह राज्य सरकार/नोडल एजेंसी के साथ सलाह मशविरा करके पहचाने और अधिसूचित किए जाएंगे। समूह की न्यूनतम सदस्यता 25 होनी चाहिए।

स्कीम में सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु पर 20,000 रुपए, 60 वर्ष का आयु प्राप्त करने से पहले दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थायी रूप से पूरी तरह विकलांगों के लिए 50,000 रुपए और आंशिक रूप से स्थायी विकलांग होने पर 25,000 रुपए का बीमा प्रदान करने का प्रावधान है।

प्रति सदस्य इसकी प्रीमियम राशि 200 रुपए है जिसमें से 50 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा निधि से और बकाया 50 प्रतिशत राशि सदस्य अथवा नोडल एजेंसी अथवा राज्य सरकार द्वारा अदा की जाती है। नोडल एजेंसी प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय प्रारंभिक राशि और अनुवर्ती रूप से प्रत्येक नवीनीकरण तिथियों में अदा करती हे। नोडल एजेंसी का मतलब पंचायत, एनजीओ, स्वयं सहायता समूह और कोई अन्य संस्थागत व्यवस्थाएं होंगी।

विद्यमान सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा स्कीमों (एसएसजी आईएस) के पास संशोधित शर्तों पर नई स्कीम खोलने का विकल्प है।

इसके शुरु किए जाने की अवधि से एलआईसी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन अनुमोदित 24 व्यावसायिक समूहों के अतिरिक्त 18 नए समूहों की उस की पात्रता के लिए पहचान कर ली है और अनुमोदन किया है नामतः

क्र.सं.	समूह
1.	खाद्य पदार्थ जैसे खांडसारी/चीनी
2.	कपड़ा
3.	लकड़ी के उत्पाद
4.	कागज उत्पाद
5.	चमड़ा उत्पाद
6.	मुद्रण
7.	रबड़ और कोयला उत्पाद
8.	मोमबत्ती उत्पाद
9.	खिलौना विनिर्माण
10.	कृषक
11.	परिवहन चालक संघ
12.	परिवहन कर्मचारी
13.	ग्रामीण गरीब

क्र.सं.	समूह
14.	निर्माण कामगार
15.	पटाखा कामगार
16.	नारियल परिष्कारक
17.	आंगनबाड़ी अध्यापक
18.	कोतवाल
19.	बागवानी कर्मगार

पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजीकृत जीवन की संख्या और जिनकी बीमा का नवीकरण किया गया उन जीवन की संख्या निम्नलिखित है

	2002-03	2003-04	2004-05
नए जीवन	6,36,744	17,32,357	18,19,933
नवीकृत विद्यमान जीवन	5,21,495	7,74,667	17,19,721
कुल	11,58,239	25,07,024	35,39,654

पिछले तीन वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या निम्नलिखित हैं-

वर्ष	दावों की संख्या
2002-03	9685
2003-04	15248
2004-05	16902

3.21 **कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001:** सरकार की 2001-2002 की बजट घोषणा के अनुपालन में एल आई सी ने कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, 2001 नामक समूह बीमा की स्कीम शुरु की।

स्कीम जीवन बीमा सुरक्षा, समय-समय पर एकमुश्त उतर-जीविता लाभ और कृषि कामगारों को पेंशन प्रदान करती है। 18 और 50 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्ति स्कीम में शामिल हो सकते हैं। स्कीम की शुरुआत के समय सदस्यों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए।

स्कीम में स्वाभाविक मृत्यु पर 20,000 रुपए, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले दुर्घटना के कारण मृत्यु/पूरी तरह स्थायी रूप से विकलांग होने पर 50,000 रुपए तथा दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से स्थायी विकलांग होने पर 25,000 रुपए प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त स्कीम में शामिल होने के प्रत्येक 10 वर्ष के अंत में सदस्य को एकमुश्त उत्तरजीविता लाभ दिया जाता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सदस्य को पेंशन दिया जाएगा।

सदस्य को प्रति वर्ष 365 रुपए का प्रीमियम अदा करना होता है,जो तिमाही अर्धवार्षिक रूप से देय होता है। सरकार सामाजिक सुरक्षा निधि के तहत दुगनी राशि देती है। क्योंकि ये सदस्य जनश्री बीमा योजना के तहत पात्र होते हैं। जनश्री बीमा योजना के तहत बीमा के लिए 50 प्रतिशत प्रीमियम अर्थात 100 रुपए सामाजिक सुरक्षा निधि से आहरित होता है। प्रारंभ और प्रत्येक नवीकरण की तारीख को नोडल एजेंसी प्रीमियम का भुगतान करती है। नोडल एजेंसी का मतलब ग्राम पंचायत है जो कृषि संबंधी कामगारों की पहचान करता है और न्यूनतम 20 के समूह में संगठित करता है और प्रीमियम के साथ एल आई सी को ब्यौरा भेजता है। यह स्कीम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के तहत बीमित जीवन की संख्या और बीमा सुरक्षा का नवीकरण किए गए जीवन की संख्या निम्नलिखित है-

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05
नए जीवन	1,09,993	7,061	-
वर्तमान नवीकृत जीवन	28,242	49,983	36,810
कुल	1,39,235	57,044	36,810

पिछले तीन वर्षों के दौरान एलआईसी द्वारा निपटाए गए दावों की संख्या निम्नलिखित हैः

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05
दावों की संख्या	103	271	169

यह स्कीम बंद कर दी गई है केवल नवीकरण ही किए जा सकते हैं।

3.21.1 **शिक्षा सहयोग योजना(एसएसवाई):** वर्ष 2001-02 के बजट में की गई सरकारी घोषणा के अनुसरण में, जीवन बीमा निगम ने जनश्री बीमा योजना के सदस्यों के बच्चों के लाभ के लिए शिक्षा सहयोग योजना शुरु की। इस योजना में छात्रवृत्ति के पूरक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रीमियम का भुगतान करने पर 300/- रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित छात्रवृत्तियों की संख्या निम्नलिखित हैः

वर्ष	छात्रवृत्तियों की संख्या
2002-03	47,313
2003-04	1,60,473
2004-05	1,74,179

3.22 **दावों का निपटानः** वर्ष 2004-2005 के दौरान जीवन बीमा निगम ने कुल 23642.54 करोड़ रुपए की राशि के 115.04 लाख दावों का निपटान किया। जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 19607.20 करोड़ रुपए की राशि के 103.53 लाख दावों का निपटान किया गया था। पिछले पांच वर्षों के दौरान देय बकाया दावों की प्रतिशतता निम्नलिखिति सारणी में दी गई हैः

वर्ष	वर्ष की अंत की स्थिति के अनुसार वर्ष के दौरान संदेय दावों की तुलना में बकाया दावों का प्रतिशत	
	संख्या का प्रतिशत	राशि का प्रतिशत
2000-01	1.67	3.58
2001-02	0.69	1.85
2002-03	0.23	1.11
2003-04	0.13	0.88
2004-05	0.14	0.80

3.23 **नए उत्पाद विकासः** निगम अपने सभी वर्गों के ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए अनेक उत्पाद प्रदान करता है। सभी आयु के वर्गों के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के लिए योजनाएं हैं। निगम अवधि बीमा बंदोबस्ती, आजीवन, पेंशन व विभिन्न उत्पादों का मिश्रण प्रदान करता है। वर्ष 2001 से बाजार आधारित निवेश योजनाओं वाले उत्पाद भी प्रदान किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अंत की स्थिति के अनुसार निगम के पास नये ग्राहकों को प्रदान करने के लिए 41 योजनाएं थी।

वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान जीवन बीमा निगम ने सात नई योजनाएं चलाईं। बीमा निवेश-2004-वफादारी तथा निश्चित चक्रवृद्धि के साथ एकल प्रीमियम आश्वासन योजना, भाजीबीनि की जीवन प्रमुख-लाभ बंदोबस्ती आश्वासन योजना के लाभ योजना के साथ सीमित भुगतान, भाजीबिनी की जीवन निधि लाभ योजना के साथ स्थगित वार्षिकी के साथ बंदोबस्ती आर्थिक सहयोग, भाजीबिनि की जीवन अनुराग-लाभ बंदोबस्ती आश्वासन योजना के साथ, भाजीबीनि की जीवन अक्षय III-तत्काल वार्षिकी योजना, भाजीबीनि की प्यूचर प्लस-यूनिट लिंक्ड आस्थगित पेंशन योजना एवं बीमा निवेश 2005-वफादारी तथा निश्चित चक्रवृद्धि के साथ एकल प्रीमियम आश्वासन योजना।

मूल्यांकनः जीवन बीमा निगम द्वारा दिनांक 31मार्च 2005 को अद्यतन वार्षिक मूल्यांकन किया गया। निम्नलिखित सरल प्रतिवर्ती बोनस दरें घोषित की गईः

योजना समूह	प्रीमियम भुगतान की अवधि	प्रतिवर्ती बोनस की दरें	अंतरिम आजीवन की दरें
आजीवन		71.00	66.00
धर्मादा समूह	< = 5	34.00	31.00
	6 से 10	34.00	31.00
	11 से 15	40.00	36.00
	16 से 20	45.00	40.00
	> = 21	50.00	46.00
मनी बैक	12	32.00	30.00
	15	32.00	30.00
	20	41.00	37.00
	25	45.00	42.00
जीवन सुरभि	15	35.00	32.00
	20	42.00	39.00
	25	50.00	47.00
जीवन मित्र और साथी	11 से 15	42	39
	16 से 20	46	43
	> = 21	51	47
सीमित प्रीमियम	< = 15	42	39
भुगतान धर्मादा	16 से 20	46	43
	> = 21	51	47
जीवन आनंद	< = 5	30	28
	6 से 10	34	31
	11 से 15	38	34
	16 से 20	43	39
	> = 21	47	43
जीवन रेखा	< = 5	50	46
	6 से 10	50	46
	11 से 15	45	42
	16 से 20	40	38
	> = 21	34	32
जीवन अनुराग	< = 10	20	-
	11 से 15	24	-
	16 से 20	28	-
	> = 21	30	-
नई जीवन धारा I	< = 5	18	18
	6 से 10	20	20
	11 से 15	24	24
	> = 16	28	28
नई जीवन सुरक्षा I	< = 5	18	18
	6 से 10	21	21
	11 से 15	26	26
	> = 16	30	30

* *प्रत्शाशित धर्मादा, मनीबैक, जीवन सुरभि, जीवन मित्र डबल और ट्रिपल कवर, जीवन साथी सीमित धर्मादा (एकल प्रीमियम सहित) जीवन आनंद और जीवन रेखा पालिसियों को छोड़कर।*

(2) **अन्तिम अतिरिक्त बोनसः** इसके अतिरिक्त प्रत्याशित धर्मादा, मनीबैक और जीवन सुरभि योजनाओं जो कुछ परिस्थितियों के अधीन अवधि/समय और बीमित राशि पर निर्भर करती है, को छोड़कर 1000 रुपए की बीमित पॉलिसियों के लिए 20 रुपए से लेकर 1400 रुपए की दरों पर अन्तिम अतिरिक्त बोनस की भी घोषणा की गई।

(3) एक-मुश्त विशेष प्रत्यावर्ती बोनसः घोषित एक-मुश्त प्रत्यावर्ती बोनस निम्नानुसार हैः

अवधि के दौरान आरंभ पॉलिसियों हेतु	प्रति 1000/- रुपए बोनस बीमित राशि/एनसीओ
31.03.1981 तक	50
01.04.1981 - 31.03.1982	45
01.04.1982 - 31.03.1983	40
01.04.1983 - 31.03.1984	35
01.04.1984 - 31.03.1985	30
01.04.1985 - 31.03.1986	26
01.04.1986 - 31.03.1987	24
01.04.1987 - 31.03.1988	22
01.04.1988 - 31.03.1989	20
01.04.1989 - 31.03.1990	18
01.04.1990 - 31.03.1991	16
01.04.1991 - 31.03.1992	14
01.04.1992 - 31.03.1993	12
01.04.1993 - 31.03.1995	10
01.04.1995 - 31.03.1997	8
01.04.1997 - 31.03.2001	6
01.04.2001 - 31.03.2005	5

3.24 **पुनर्बीमाः** वर्ष 2004-2005 के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम न्यूनतम लागत पर अधिकतम सुरक्षा प्राप्त करके निगम के जोखिम को कम करने के लिए तैयार किया गया था।

3.25 **विदेशी परिचालनः** निगम फिजी में सुवा और लौटोका, मारीशस में पोर्टलुई तथा युनाइटेड किंगडम में वेम्बले स्थित अपने शाखा कार्यालयों के जरिए सीधे ही कार्य करता है। वर्ष 2004-2005 के दौरान निगम की इन विदेशी शाखाओं में 13880 पालिसियां जारी की गई जिनमें 94.17 मिलियन अमेरिकी डालर की बीमाकृत राशि और 1.42 मिलियन अमेरिकी डालर की प्रथम प्रीमियम आय शामिल थी। 31 मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार विदेशी शाखाओं में चल रहा कुल कारोबार 99,998 पालिसियों के अन्तर्गत 436.50 मिलियन अमेरिकी डालर की बीमाकृत राशि थी।

एलआईसी गल्फ देशों में एलआईसी (अर्न्तराष्ट्रीय) सी के द्वारा, नेपाल में एलआईसी (नेपाल) लि. के द्वारा और श्रीलंका में एलआईसी (लंका) लि. संयुक्त रूप से कार्य करती है।

3.26 **भारतीय साधारण बीमा निगम(जीआईसी):** साधारण बीमा निगम की 3 नवम्बर, 2000 को भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में अनुमोदन किया गया। भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी सरकारी क्षेत्र के चार और अन्य निजी साधारण बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा की सहायता प्रदान करती है। निगम ने पूर्णरूपेण जीवन पुनर्बीमा का कार्य 1 अप्रैल 2003 से प्रारंभ किया। यह पुनर्बीमा की सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में अपना कार्य भारतीय बीमा उद्योग की ओर से समुद्री पोत पूल और टेरोरिज्म पूल के प्रबन्धन के माध्यम से कर रहा है। जीआईसी के पुनर्बीमा कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भीतर इस धारणा को आशावादी बनाना और पुनर्बीमा की पर्याप्त क्षमता का विकास करना है।

वर्ष के दौरान, निगम ने भारतीय बीमाकर्ताओं के सभी वर्ग के कारोबार के लिए अधिकतम सहायता प्रदान करना जारी रखा। इसने नई सुरक्षा द पीक रिस्क फैसिलिटी का लाभ पहुंचाया और वहीं पीएमएल की क्षमता को 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए किया। जीआईसी की देख-रेख वाले टेरोरिज्म पूल की क्षमता पहले की 200 करोड़ रूपए से बढ़कर 1.4.2004 से

300 करोड़ रुपए की गई। जीआईसी ने मालदीव, कानिया, मलेशिया, मारिशस, मध्यपूर्व अफ्रीका और श्रीलंका में कंपनियों की पुनर्बीमा कार्यक्रम की अगुवाई करना जारी रखा। यह आफ्रो-एशिया क्षेत्र में अधिमान्य पुनर्बीमाकर्ताओं के रूप में उभरा। वर्ष 2003-04 के दौरान निगम की निवल प्रीमियम आय पिछले वर्ष के 3832.79 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 4162.98 करोड़ रुपए हुई, इसके परिणाम स्वरूप 8.6% की वृद्धि हुई। दावों पर किया गया निवल कम व्यय पिछले वर्ष के 2744.40 करोड़ रुपए अर्थात 86.13 प्रतिशत की तुलना में 2895.36 करोड़ रुपए अर्थात 72.53 प्रतिशत था। निगम ने पिछले वर्ष के 261.47 करोड रुपए के लाभ की तुलना में 1038.00 करोड़ रुपए का लाभांश दर्ज किया। निगम ने वर्ष के लिए 30 प्रतिशत का लाभांश घोषित किया जो 64.5 करोड़ रुपए है।

लंदन और मास्को में स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से निगम की उपस्थिति विदेशी पुनर्बीमा कारोबार में है। पुनर्बीमा कारोबार के अलावा जी आई सी केनिडिया इंश्योरेंस कंपनी लि, केनिया तथा इण्डिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्रा.लि, सिंगापुर की शेयर पूंजी में अपनी भागीदारी जारी रखती है। निगम ने एलआईसी (मारीशस) ऑफ शोर लि., जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मारीशस में संयुक्त रूप से चलाई जाने वाली कंपनी है, की प्रारंभिक शेयर पूंजी में 30 प्रतिशत की धारिता ग्रहण की।

3.27 **सरकारी क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियाँ:** जी आई सी से अलग होने के बाद चार साधारण बीमा कंपनियां, नामतः नेशनल इंश्योरेंस कं लि., न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि., दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. और युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. ने एक संघ बनाया जो भारतीय साधारण पुनर्बीमाकर्ता (सरकारी क्षेत्र) संघ जिप्सा के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चारों कंपनियों के 96 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1373 मंडल कार्यालय, 2872 शाखा कार्यालय भारत में है। कंपनियों के 25 देशों में फैले हुये 44 समुद्र पार कार्यालय भी है। वर्ष 2004-05 के दौरान इन कंपनियों की सकल प्रीमियम आय वर्ष 2002-03 के दौरान 14,285 करोड़ रुपए की तुलना में 14,949 करोड़ रूपए थी, जो 4.65% की वृद्धि दर्शाती है। 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार इन कंपनियों का निवल मूल्य 8,422 करोड़ रु (7029 करोड़) रुपए था। वर्ष 2004-05 के लिए कर देने के बाद का लाभ वर्ष 2003-04 से 1,364 करोड़ रुपए से गिरकर 1,172 करोड़ रुपए रह गया। कंपनियों ने सरकार को 197 करोड़ रुपए (125 करोड़ रु) का कुल लाभांश का भुगतान किया है। निजी कंपनियों के प्रवेश करने से वर्षों से पीएसयू साधारण बीमाकर्ताओ का शेयर कम हो गया है। इन कंपनियों का बाजार शेयर वर्ष 2003-04 में 85.8% की तुलना में वर्ष 2004-05 में 77.49% हो गया है।

3.28 **सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना (यूएचआईएस) :** सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियां गरीब परिवारों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू कर रही है। योजना में समस्त परिवार के सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए 30,000 रुपए तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, परिवार के मुख्य अर्जक की दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 25,000 रुपए की मृत्यु बीमा और अर्जन करने वाला परिवार का सदस्य के अर्जन की हानि होने पर 50 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 15 दिन तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना का पुनः डिजाइन किया गया है, इसमें केवल बीपीएल परिवारों को लक्ष्य बनाया गया है। प्रीमियम आर्थिक सहायता को व्यक्तिगत के लिए 100 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए किया गया है, पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए 300 रुपए और सात सदस्य वाले परिवार के लिए 400 रुपए के रूप में बढ़ाया गया है। संशोधित प्रीमियम व्यक्तिगत के लिए 165 रुपए, पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए 248 रुपए और सात सदस्यों वाले परिवार के लिए 330 रुपए जो लाभों में किसी प्रकार की कटौती किए बिना है।

3.29 **भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसीएल):** दिनांक 20 दिसम्बर, 2002 को भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि की स्थापना फसल बीमा कारोबार को बढ़ाने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल की हानियों से किसानों को सुरक्षा मुहैया करने के लिए की गई थी। भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) नाबार्ड और सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों ने कंपनी के शेयर पूंजी में अंशदान दिया। कंपनी की प्राधिकृत पूंजी प्रारंभिक 200 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी सहित 1500 करोड़ रुपए है। कंपनी नई दिल्ली में स्थित है। कंपनी ने फसल बीमा का कारोबार करने के लिए 12 मार्च, 2003 को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त किया।

3.30 **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)**

भारत सरकार ने वर्ष 1999-2000 के रबी मौसम से इस उद्देश्य से यह योजना शुरू की है कि सूखा, बाढ़, ओला, चक्रवात, अग्नि, कीटों/रोगों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल की हानि के कारण किसानों को होने वाले नुकसान से उनकी रक्षा करने ताकि आगामी मौसम के लिए उनकी साख बनी रहे। यह योजना इस समय भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईजीएल) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना सभी किसानों , कर्जदार और कर्ज-मुक्त दोनों के लिए उनके खेत के आकार पर ध्यान न देते हुए उपलब्ध है। इसमें सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट और दालें) तिलहनो और वार्षिक वाणिज्यिक/ बागानी फसलों में से ग्यारह फसलें अर्थात गन्ना। इसमें सभी खाद्य फसलों (अनाज, मिलेट और दालें), तिलहनों और वार्षिक बागानी/ वाणिज्यिक फसलें हैं। जैसे कि गन्ना, आलू, कपास, अदरक, प्याज, हल्दी, मिर्च, जूट, कसावा, वार्षिक केला और अन्ननास, जीरा, लहसुन एनएआईएल के अन्तर्गत आवरित है। सभी वार्षिक बागानी/वाणिज्यिक फसलें गत उपज के आंकड़ों की उपलब्धता की शर्त के अधीन शामिल की जायेंगी खरीफ फसलों, बाजरा और तिलहनों के लिए प्रीमियम दरें बीमा राशि का 3.5 प्रतिशत अथवा बीमांकिक दरें जो भी कम हो, है, जबकि अनाज, मिलेट और दालों के लिए प्रीमियम दरें बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत दर बीमा राशि अथवा बीमांकिक दरें जो भी कम हों है। रबी फसल के लिए, गेहूँ की प्रीमियम दर बीमा राशि अथवा बीमांकिक दरें जो भी कम हो का 1.5 प्रतिशत है, जबकि अनाज, अन्य मिलेट और दालों की प्रीमियम दरें बीमा राशि अथवा बीमांकिक दरें, जो भी कम हो का 2 प्रतिशत है। छोटे और सीमांत किसानों के मामले में प्रीमियम में 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाती है। प्रीमियम में यह आर्थिक सहायता पाँच वर्ष में धीरे-धीरे समाप्त की जाएगी। वर्तमान में छोटे और सीमांत किसानों को प्रीमियम पर 10% आर्थिक सहायता उपलब्ध है।

वर्तमान में एनएआईएस को 23 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये राज्य, आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी हैं।

वर्ष 2004-05 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) का निष्पादन सम्बन्धी ब्यौरा नीचे दी गई सारणी में हैः-

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	विवरण	खरीफ 2004	रबी 2004-05	खरीफ 2005 **
1.	कृषक बीमा	12686814	3531045	11411106
2.	बीमित राशि	13169.95	3773.89	12118.74
3.	प्रीमियम	458.92	75.85	409.72
4.	चुकता दावे	666.82	77.49	0.00
5.	देय दावे	93.43	79.33	11.80

** *अनंतिम*

3.31 **लेखा परीक्षा पैराः** वर्ष 2005 में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और सरकारी क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों के विरुद्ध लेखा परीक्षा पैरा अनुबंध में दिए जा रहे हैं।

4. बजट प्रभाग

4.1.1 बजट प्रभाग केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों और विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के वार्षिक बजट (रेलवे को छोड़कर), अनुदानों की पूरक मांगें और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें तैयार करने तथा उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग लोक ऋण, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बाजार ऋणों, केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए और दिए गए उधारों की ब्याज दरों के निर्धारण, भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा भारत की आकस्मिकता निधि से संबद्ध मामलों का निपटान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का उत्तरदायित्व उस अनुदान में बचतों के पुनर्विनियोजन के लिए जहां वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है, अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करके सरकारी व्यय के प्रवाह को विनियमित करने तक बढ़ जाता है। यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) तथा अल्प बचत योजनाओं, राष्ट्रीय रक्षा निधि तथा बर्मा एवं स्टर्लिंग पेंशन से संबंधित मामलों का भी निपटान करता है। धर्मार्थ निधि कोषपाल से संबंधित कार्य भी बजट प्रभाग में किया जाता है।

4.1.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्त्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों, केन्द्र के लेखों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद के सम्मुख पेश करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को विभिन्न निकायों की लेखा परीक्षा (पुनः) सौंपने से संबंधित मामले भी इस प्रभाग द्वारा निपटाए जाते हैं। कैलेण्डर वर्ष 2005 के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 18 रिपोर्टें संसद के सम्मुख पेश की गई।

4.1.3 वित्त आयोग की स्थापना करने तथा वित्त आयोग की रिपोर्टों पर मंत्रिमंडल के आदेश प्राप्त करने सहित वित्त आयोग का कार्य भी इस प्रभाग द्वारा किया जाता है।

4.1.4 बजट प्रभाग "राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003" को लागू करने के लिए भी उत्तरदायी है, जिस पर राष्ट्रपति द्वारा 26 अगस्त, 2003 को स्वीकृति प्रदान की गई और जिसे 5 जुलाई, 2004 से लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत बनाए नियमों को भी उसी तारीख से प्रभावी बनाया गया है। मध्यावधि समीक्षा सहित तिमाही समीक्षा एफआरबीएम की अपेक्षानुसार संसद को प्रस्तुत की गई।

4.1.5 बजट प्रभाग अन्य मंत्रालयों/विभागों मे महिलाओं के लिए बजटीय व्यवस्था (जेंडर बजटिंग), के कार्यान्वयन के सरलीकरण का कार्य भी करता है।

4.2 लोक ऋण एवं नकदी प्रबंध

4.2.1 लगातार घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण केन्द्र सरकार के लोक ऋण में निरंतर वृद्धि देखी गई है। तथापि, कुछ अर्से से राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था की पद्धति में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है और बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरों पर घरेलू बाजार से सीधे उधारों पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है।

4.2.2 दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के जरिए केन्द्र सरकार का सामान्य उधार वर्ष 2005-06 के दौरान 139467 करोड़ रूपए (सकल) और 103836 करोड़ रूपए (35631करोड़ रुपए की वापसी अदायगी को घटाकर) होने का अनुमान लगाया गया था। इस अनुमान में बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम को शामिल नहीं किया जाना है। वर्ष के दौरान (31 जनवरी, 2006 तक) दिनांकित प्रतिभूतियों का वास्तविक निर्गम 115000 करोड़ रुपए (सकल) और 82370 करोड़ रुपए(निवल) रहा है। वर्ष के दौरान सरकार ने अपने प्रमुख उधारों की आवश्यकताओं के आधार पर अर्द्धवार्षिक निर्देशक बाजार उधार कैलेण्डर की घोषणा करने की नीति को जारी रखा।

4.2.3 दिनांकित प्रतिभूतियों के निर्गम के माध्यम से केन्द्र सरकार के बाजार उधारों की भारित औसत लागत वर्ष 1998-99 में 11.86 प्रतिशत से निरंतर कम होने के पश्चात वर्ष 2003-04 में 5.71 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 6.11 प्रतिशत और चालू वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 2005 तक, आगे और बढ़ कर 7.29 प्रतिशत हो गई। वर्ष के दौरान, 31 जनवरी, 2006 तक जारी बनी गई दिनांकित प्रतिभूतियों को भारित औसत परिपक्वता गत वर्ष की तद्नुरूप अवधि के दौरान 13.84 वर्षों की तुलना में 15.61 वर्ष हो गई है।।

4.2.4 केन्द्र सरकार की अर्थोपाय अग्रिम (डब्लूएमए) की सीमा को अप्रैल, 2005 से सितम्बर, 2005 की अवधि के लिए 10,000 करोड़ रूपए और अक्तूबर, 2005 से मार्च, 2006 तक की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रूपए पर बनाए रखा गया। अर्थोपाय अग्रिम और ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज की दरें 6.00 प्रतिशत की अपरिवर्तित बैंक दर के साथ क्रमशः 6.00 प्रतिशत और 8.00 प्रतिशत बनी रहीं। अर्थोपाय अग्रिम की पूर्व सीमाओं को बनाए रखने के बावजूद, केन्द्र सरकार ने दो अवसरों (3 मई, 2005 और 4 जून, 2005) को छोड़कर अर्थोपाय अग्रिम का सहारा नहीं लिया और वस्तुतः अधिकांश अवधि में अतिरिक्त की स्थिति में रही। केन्द्र सरकार की अतिरिक्त नकदी की स्थिति मुख्यतः रुप से राज्य सरकारों को अतिरिक्त रोकड़ शेष का 14 दिवसीय मध्यवर्ती राजकोषीय हुण्डियों में निवेश किए जाने के कारण थी।

4.2.5 केन्द्र सरकार ने 91 दिवस और 364 दिवस की परिपक्वता वाली राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी को जारी रखने के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अप्रैल, 2006 से 500 करोड़ रुपए की पाक्षिक अधिसूचित नीलामी राशि वाली 182 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों को फिर से शुरू किया है। जबकि 91 दिवसीय रोजकोषीय हुण्डियों की साप्ताहिक नीलामी की राशि 500 करोड़ रुपए पर बनाए रखा गया 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों की पाक्षिक नीलामी की अधिसूचित राशि को 1000 करोड़ रुपए बनाए रखा गया।

4.2.6 भारतीय रिजर्व बैंक को मुख्यतया बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अंतर्प्रवाह के कारण अर्थव्यवस्था में आई तरलता की स्थिति का बेहतर प्रबंधन करने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने बाजार स्थिरीकरण योजना से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें मुख्यतः यह व्यवस्था है कि भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर दिनांकित प्रतिभूतियों तथा राजकोषीय हुंडियों के माध्यम से निधियां उधार लेगी और इनको एक अलग खाते में रखेगी। इन निधियों को भारत सरकार द्वारा लिखतों के उन्मोचन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाएगी। इस योजना के अंतर्गत लिए गए उधार राजकोषीय घाटे को उधारों पर ब्याज/बट्टा देयताओं की सीमा तक प्रभावित करेगा। तथापि, मूलधन स्वयं राजकोषीय घाटे को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि जुटाई गई निधियां सरकार द्वारा उपयोग में नहीं लायी जाएंगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी हो गई है। 60000 करोड़ रुपए की कुल बकाया शेष राशि की प्रारम्भिक उच्चतम सीमा 80000 करोड़ रुपए कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए उच्चतम सीमा और प्रारंभिक सीमा को 80000 करोड़ रुपए पर बनाए रखा गया। 31 जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार एमएसएस के अन्तर्गत नियोजित कुल बकाया राशि 45139 करोड़ रुपए थी, जबकि 1 अप्रैल, 2005 को यह राशि 64211 करोड़ रुपए थी।

4.2.7 चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान, 18जनवरी, 2006 तक राज्य सरकार के सकल बाजार उधार 15,702 करोड़ रुपए थे जिसमें से 11186 करोड़ रुपए (71.2%) टैप इश्यु के जरिए और 4516 करोड़ रुपए(28.8%) नीलामी के माध्यम से थे। चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान 18 जनवरी, 2006 तक जारी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की भारित औसत आय 7.61% थी जबकि वर्ष 2004-05 की तद्नुरूपी अवधि में यह 6.38% थी।

4.2.8 सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2004 लोकसभा शीतकालीन सत्र के दौरान पुराने भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1920 को रद्द करने तथा मौजूदा लोक ऋण अधिनियम, 1944 को बदलने की मांग करते हुए पेश किया गया था। इसमें ऐसी विशेषताएं शामिल हैं जो आधुनिक तथा अस्थिर ऋण बाजार के लिए जरूरी हैं तथा यह दुर्वह और पुरानी कार्य विधियों को समाप्त करता है। वित्त संबंधी स्थायी समिति की सरकारी प्रतिभूति विधेयक, 2004 की जांच की है और कतिपय सिफारिशें दी हैं जिनकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

4.2.9 केन्द्र सरकार की नकदी प्रावधान प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के आन्तरिक ऋण प्रबंधन विभाग (आईडीएमडी) के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में एक उप-समूह गठित किया गया था जो पूर्व में 9 विभागों में शुरू की गई नकदी प्रबंधन प्रणाली संबंधी प्रायोगिक योजना की कार्य प्रणाली की जांच करेगा। सरकार ने चरणबद्ध कार्यान्वयन के लिए उप-समूह की सिफारिशों को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी है। 1 अप्रैल, 2006 से पन्द्रह अनुदानों की मांगो के संबंध में राजकोष नियंत्रण आधारित व्यय प्रबंधन प्रणाली सहित एक संशोधित नकदी प्रबंधन प्रणाली लागू की जा रही है।

4.2.10 व्यय में अपेक्षाकृत अधिक एकरूपता लाने तथा निधियों की पार्किंग को निरूत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को बजट अनुमान के 33% तक नियंत्रित करने, जो ऐसे मामलों में जहां यह बजट अनुमान से कम है, संशोधित अनुमान से अधिक न हो, तथा पूर्व निर्गमों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र पर जोर देने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

4.3 राष्ट्रीय बचत

4.3.1 लघु योजनाओं को केवल व्यक्तियों तक सीमित रखना

मूल अधिनियमों में जिसके तहत भारत सरकार की लघु बचत योजनाएं जैसे कि सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 और सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 जारी की गई हैं, वित्त अधिनियम, 2005 के माध्यम से संशोधन किया गया है ताकि इन योजनाओं में निवेश को केवल व्यक्तियों तक ही सीमित रखा जा सके। फलतः लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) सहित लघु बचत योजनाओं को प्रशासित करने वाले नियमों में भी संशोधन किया गया है और संशोधनों को दिनांक 13.05.2005 को अधिसूचित किया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 13.05.2005 से प्रभावी लघु बचत योजनाएं निवेश हेतु केवल व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। ये संशोधन उस समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार 13 मई, 2005 से पूर्व खोले गए लघु बचत खातों/जमाराशियों पर लागू नहीं होते। नियमानुसार ये खाते परिपक्वता की अवधि तक चलते रहेंगे। तथापि, परिपक्वता की अवधि के बाद इन खातों की अवधि को दिनांक 13 मई, 2005 को हुए संशोधनों के अधीन बढ़ाया जाएगा। जहां तक ऐसे डाकघर बचत बैंक खातों का संबंध है जिनकी परिपक्वता अवधि निर्दिष्ट नहीं है, योजना में यह प्रावधान करते हुए संशोधन किया गया है कि 27 जुलाई, 2005 से गैर-व्यक्तिगत खातों में कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की जाएगी और यह कि इन खातों की बकाया राशि 31 दिसम्बर, 2005 तक जमाकर्ता को वापस कर दी जाएगी। आगे यह व्यवस्था भी की गई है कि ऐसे गैर-व्यक्तिगत बचत खातों की जमाराशियों पर, यदि उन्हें आहरित नहीं किया गया है, 31 दिसम्बर, 2005 के बाद कोई ब्याज प्राप्त नहीं होगा।

4.3.2 डाकघर मासिक आय खाता (पीओएमआईए) योजना, 1987 में संशोधन

6 वर्षीय डाक घर मासिक आय खाता योजना, 1987 की परिपक्वता-पूर्व समाप्ति के लिए जुर्माने की दरों को युक्तिसंगत बनाने और जमाराशियों पर प्रभावी प्रतिफल अन्य तुलनीय बचत लिखतों के बराबर करने के लिए पीओएमआईए नियमावली, 1987 में संशोधन किया गया है और संशोधनों को 10 फरवरी, 2006 को अधिसूचित किया गया है। परिणामस्वरूप, पीओएमआईए खाते की समयपूर्व समाप्ति पर जुर्माने को जो इस समय खाता खोलने की तारीख से एस से तीन वर्षों के बीच समापन करने पर जमाराशि का 3.5 प्रतिशत है, 10 फरवरी, 2006 से घटाकर एक से तीन वर्ष की अवधि के बीच समापन करने पर 2 प्रतिशत और 3 वर्ष के बाद समय-पूर्व समाप्ति पर 1 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही परिपक्वता प्राप्ति पर जमाराशि का 10 प्रतिशत जो बोनस के रुप में देय है, 13 फरवरी, 2006 से खोले गए नए पीओएमआईए में जमाराशियों पर उपलब्ध नहीं होगा।

4.3.3. लघु बचत संग्रहण

वर्ष 2005-06 (दिसंबर,2005 तक) के दौरान सकल लघु बचत संग्रहण (सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जमा योजना के अन्तर्गत संग्रहणों को छोड़कर) पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1,25,722 करोड़ रुपए के संग्रहण की तुलना में 1,48,183 करोड़ रुपए था। इसी अवधि के दौरान निवल संग्रहण (जमाकर्ताओं को पुनःअदायगी घटाकर सकल संग्रहण) पिछले वर्ष के 67,773 करोड़ रुपए की तुलना में 62,040 करोड़ रुपए था। समग्र निवल संग्रहण राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (विधान सभा वाले) की सरकारों को उनके द्वारा जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि में निवेश के तौर पर अन्तरित किया जा रहा है। चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान 31 जनवरी, 2006 तक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों (विधान सभा वाले) को निवल लघु बचत संग्रहण के भाग के रूप में पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान अंतरित 74,318 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में 72,473 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है।

4.4 हिन्दी शाखा

4.4.1 संसद में बजट संबंधी सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए जाते हैं। उपर्युक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त हिन्दी शाखा द्वारा आर्थिक वर्गीकरण और वैदेश्विक ऋण की प्रास्थिति से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार की गई जिन्हें संसद में प्रस्तुत किया गया था।

4.4.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथानिर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों के अनुवाद भी रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान हिन्दी शाखा द्वारा किए गए। इनमें विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ किए गए करार, मंत्रीमंडल टिप्पणियां, संसदीय प्रश्न/आश्वासन, अधिसूचनाएं, स्थायी समिति/लोक लेखा समिति के कागजात, मंत्रिमंजल के लिए मासिक सारांश तथा विदेशी सहायता रिपोर्ट शामिल हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान हिन्दी शाखा ने 12 करारों का अनुवाद किया।

5. पूंजी बाजार, पेंशन सुधार और विदेशी वाणिज्यिक उधार प्रभाग

5.1 बाजार की दक्षता में सुधार लाने व प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की संरक्षा के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनेक प्रमुख नीतिगत पहलें की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) स्टाक एक्सचेंजों का निगमीकरण और पृथक्कीकरण

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यथेष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने और इस पर संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि ऐसा कारोबार के हित में और जनता के हित में भी होगा, 19 स्टॉक एक्सचेंजों की निगमीकरण तथा पृथक्कीकरण योजनाओं को अनुमोदित तथा अधिसूचित किया है। उसने यह भी अधिसूचित किया कि दो स्टॉक एक्सचेंज नामतः द ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहले ही निगमीकृत तथा पृथक्कीकृत स्टॉक एक्सचेंज हैं। ऐसा निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने और एक्सचेंजों में अधिक पारदर्शिता तथा दक्षता लाने के लिए किया गया।

(ii) व्यापक जोखिम प्रबंधन

निवेशक संरक्षण प्रक्रमों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत, सेबी ने मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की सहायक कंपनियों को भी शामिल करने के लिए दलाल, उप-दलाल और क्लांयट के बीच आदर्श त्रिपक्षीय करार से संबंधित दिशानिर्देशों को आशोधित किया। इन परिवर्तनों को 1 जून, 2005 से लागू किया गया। इसके अतिरिक्त, स्टॉक एक्सचेंजों के लिए एक व्यापक जोखिम प्रबंधन ढ़ांचा निर्धारित किया गया, जो 30 मई, 2005 से प्रभावी हुआ।

(iii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005

प्रतिभूत ऋण के कारोबार हेतु जिसमें रेहन समर्थित ऋण शामिल है, एक कानूनी ढांचे की व्यवस्था के संबंध में बजट 2005-06 में की गई घोषणा के अनुकरण में दिनांक 16-12-2005 को लोक सभा में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2005 पेश किया गया। यह विधेयक वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

(iv) एकीकृत बाजार निगरानी प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु हस्ताक्षरित करार

निगरानी कार्य की प्रभावोत्पादकता के वर्धन के लिए, सेबी ने भारत में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों तथा बाजार खंड़ों (इक्विटी तथा व्युत्पादों, दोनों सहित)में बाजार गतिविधियों के अनुवीक्षण हेतु एक व्यापक एकीकृत बाजार निगरानी प्रणाली (आई.एम.एस.एस) के क्रियान्वयन के लिए देशों के संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए है। प्रस्तावित आई.एम.एस.एस समाधान के मार्च, 2006 तक प्रचालनात्मक हो जाने की आशा है।

(v) "व्युत्पाद" संविदाओं में कारोबार हेतु कर लाभ

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी) ने एक नया नियम तैयार किया है, जिसके द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को विशिष्ट रुप से मान्यता दी जाएगी ताकि इन एक्सचेंजों में "व्युत्पाद" संविदा में कारोबार करने वाले निवेशकों को कर प्रयोजनों के लिए स्टॉकों में विकल्प और "फ्यूचर्स" संविदाओं में हुए लाभ तथा हानि को आय के अन्य स्रोतों से हुई लाभ और हानि के प्रति प्रतिसंतुलित करने का लाभ प्राप्त हो सके। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में सी.बी.डी.टी द्वारा मान्यता के लिए आवेदन करने वाले स्टॉक एक्सचेंज के पास व्युत्पाद कारोबार के लिए सेबी का अनुमोदन अवश्य होना चाहिए।

स्टॉक एक्सचेंज को अपनी प्रणाली में 7 वर्षों के लिए किए गए सौदों (नकद और व्युत्पाद बाजारों के संबंध में) एक सम्पूर्ण लेखापरीक्षा लेखा का अनुरक्षण भी करना होगा। अतिरिक्त रूप से, स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रणाली में एक बार पंजीकृत सौदों को न तो मिटाया जा सकता है और न ही आशोधित किया जा सकता है। साथ ही, क्लांयट के विवरण जिसमें अदितीय क्लांयट पहचान संख्या और स्थायी खाता संख्या शामिल है) को विधिवत् अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए और डाटाबेस में संग्रहित किया जाना चाहिए।

(vi) सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण) (डी.आई.पी) दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन

अर्हक संस्थागत बोलीदाताओं (क्यू.आई.बी) को आई.पी.ओ. का विवेकाधीन आवंटन समाप्त करने के लिए सेबी ने आई.पी.ओ. और सूचीयन दिशानिर्देशों संबंधी अपने विनियमों को संशोधित किया और शेयरों का वितरण दी गई बोलियों के समानुपातिक बना दिया। प्राथमिक प्रस्तावों में घरेलू म्यूचुअल फंड़ों हेतु 5% आरक्षण की शुरुआत भी की गई (50% क्यू आई.बी. आरक्षण के अंतर्गत) हालांकि उन्हें शेष 45% में क्यू.आई.बी. श्रेणी के अंतर्गत अलग से बोली लगाने की अनुमति भी दी गई। तथापि, सभी क्यू.आई.बी, द्वारा सभी संस्थागत बोलियों के लिए 10% का एकमुश्त भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा।

भारत क्यू.आई.बी. के लिए विवेकाधीन आवंटन को समाप्त करने और समानुपातिक आवंटन को शुरु करने वाला सबसे पहला देश बना। यह उपाय आवंटन को पारदर्शी बनाता है, विवेकाधीन आवंटन में दुष्प्रयोगों को दूर करता है और खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बही निर्माण निर्गमों में सृजित अतिवृद्धि को समाप्त करने में मदद करता है।

(vii) वार्ताकृत सौदा प्रणाली-इलैक्ट्रानिक आदेश मिलान (एन.डी.एस - ओ.एम) को शुरु किया गया

1 अगस्त 2005 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्ताकृत कारोबार प्रणाली में सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार हेतु इलैक्ट्रानिक आदेश मिलान प्रणाली शुरु की। इलैक्ट्रानिक आदेश मिलान प्रणाली (एन.डी.एस-ओ.एम)दूरभाष आधारित कारोबार प्रणाली के साथ-साथ एक्सचेंज-आधारित कारोबार प्रक्रम के साथ सह अस्तित्व में रहेगी।

(viii) जी.डी.आर/एफ.सी.सी.बी की नीति में संशोधन

31 अगस्त, 2005 को वित्त मंत्रालय ने ए.डी.आर/जी.डी.आर दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया ताकि इन्हें विशेषकर निर्गमकर्त्ता की पात्रता, के संदर्भ में सेबी दिशानिर्देशों के समनुरूप लाया जा सके ताकि दोनों बाजारों के बीच विनियामक अंतरपणन समाप्त किया जा सके और निगमित अभिशासन को सुदृढ़ किया जा सके। यह अनिवार्य किया गया कि ऐसी कंपनियों को भारत में पूर्व अथवा साथ-साथ सूचीयन की आवश्यकता होगी। कंपनियों को, जिन्होनें पहले ही ए.डी.आर/जी.डी.आर और एफसीसीबी जारी कर दिए है, यदि वे लाभार्जक हैं, वर्ष 2005-06 में भारत में अवश्य सूचीयन करना होगा। यह उल्लेख भी किया गया कि घरेलू पूंजी तक अभिगम करने से विवर्जित सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशों से निधियां जुटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विदेशी निर्गमों के कीमत निर्धारण को भी सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड़ों के अनुरूप संरेखित किया जाना था। सितंबर तथा नवम्बर 2005 में और संशोधन किए गए।

(ix) म्यूचुअल फंडों द्वारा ए.डी.आर/जी.डी.आर/विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश

सेबी ने एडीआर/जीडीआर, तथा अन्य विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंडों द्वारा किए जाने वाले निवेश के संबंध में संशोधन किए हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि म्यूचुअल फंड स्कीमों में, जहां प्रस्ताव दस्तावेजों में एडीआर/जीडीआर/विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी प्रकटन नहीं किया गया है, तब ऐसे मामलों में, एडीआर/जीडीआर/विदेशी प्रतिभूतियों में पहली बार निवेश करने से पूर्व, एएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि यूनिट धारकों को एक लिखित संसूचना भेजी जाए, जिसमें ऐसे निवेशों से संबंधित जोखिम कारकों का प्रकटन भी किया जाए। तथापि, यह प्रावधान वर्तमान म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए प्रयोज्य नहीं है, जहां एडीआर/जीडीआर/विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने संबंधित संगत प्रकटन पहले ही किया जा चुका है।

(x) एक्सचेंज कारोबारित व्युत्पाद संविदाओं में भागीदारी के लिए म्यूचुअल फंडों को अनुमति

द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में, सेबी ने म्यूचुअल फंडों को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के समान ही व्युत्पाद बाजारों में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया। तदनुसार, सूचकांक फ्यूचर्स, सूचकांक विकल्पों, स्टॉक विकल्पों और स्टॉक फ्यूचर्स विकल्पों और स्टॉक फ्यूचर्स संविदाओं में स्थिति सीमाओं के संबंध में म्यूचुअल फंड़ों को एक पंजीकृत एफआईआई के समतुल्य माना जाएगा। घरेलू म्यूचुअल फंडों द्वारा भागीदारी जो शून्य स्थिति से धीरे-धीरे बढ़ रही है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कारोबार को संतुलित करने का प्रयास करेगी।

(xi) हस्त प्रदत्त सौदों/परिदाय बनाम भुगतान को बंद करना

प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों के संरक्षण और प्रतिभूति बाजार के विनियमन और विकास के संवर्धन हेतु सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों, अभिरक्षकों तथा अन्य बाजार भागीदारों के परामर्श से एक परिपत्र जारी किया है कि स्टॉक एक्सचेंजों में निष्पादित सभी सौदों को, अब के बाद, 19 सितंबर, 2005 से प्रभावी स्टॉक एक्सचेंजों के समाशोधन निगम/गृह के माध्यम से निपटाया जाएगा। यह उपाय आभिरक्षकों को सभी एफआईआई कारोबारों (चयनित कारोबारों के बजाए) को दलाल के साथ द्विपक्षीय रूप से कार्य निपटाने के स्थान पर समाशोधन निगम के माध्यम से निपटाने के लिए बाध्य करता है। यह समाशोधन और निपटान के वैश्विक मानकों के अनुपालन में है। यह एफआईआई के लिए सौदे की लागतों को भी कम करता है।

(xii) अभौतिकीकरण प्रभारों का पुनरीक्षण

निवेशक समुदाय से प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसरण में और डीमेट रूप में प्रतिभूतियाँ धारण करने के लिए अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु, सेबी ने प्रयोज्य सांविधिक प्रभारों को छोड़कर सभी प्रभारों से मुक्त डीमैट माहौल में प्रवेश किया है तथा खाता खोलने के प्रभार, प्रतिभूतियों के क्रेडिट के लिए लेनदेन प्रभारों एवं अभिरक्षा प्रभारों के संबंध में प्रशुल्क संरचना का यौक्तिकीकरण किया। निक्षेपागारों/डीपी को 8 जनवरी 2006 को या इसमें पूर्व खाता बंदी लेनदेन तथा सामान्य नामी लेनदेन के बीच अंतर करने की आवश्यक प्रणालियों एवं प्रक्रिया विधियां तैयार कर लेने की सलाह दी गई थी ताकि वर्तमान माहौल में किन्ही समस्याओं से बचा जा सकें एवं निर्णय का सहज क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

(xiii) मेपिन आंकड़ाधार

बाजार भागीदारों तथा निवेशक आंकड़ाधार (मेपिन) से जुड़े मुद्दों की पुनः जांच करने के लिए गठित सेबी समिति ने केवल उन सभी बाजार भागीदारों, जिन्हे अभी अद्वितीय पहचान संख्याए प्राप्त करनी हैं, के लिए प्रकटनों का प्रयोग करते हुए जैव मीट्रिक भिन्न आधार पर प्रत्येक भागीदार को एक अद्वितीय आईडी समनुदेशित करने के लिए एक नए साफ्टवेयर का सुझाव दिया है। समिति ने महसूस किया कि पूर्ववर्ती विधि मंहगी थी तथा उस तक पहुँच का अभाव था। सेबी ने समिति की सिफारिशों तथा सेबी को दिए गए कुछ अन्य सुझावों की जांच करने तथा ऐसा समाधान निकालने की कार्रवाई शुरु कर दी है जो अद्वितीय निवेशक पहचान सुनिश्चित करे तथा साथ ही लघु निवेशकों को भी न्यूनतम कठिनाई हो।

सेबी बोर्ड ने 30 दिसम्बर 2005 में आयोजित अपनी बैठक में मेपिन से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए सेबी द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सेबी बाजार भागीदारों का केन्द्रीय आंकड़ाधार) विनियम, 2003 (मेपिन) के अंतर्गत अद्वितीय पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त करने के लिए नए पंजीकरण बहाल करने का निर्णय लिया।

पंजीकरण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। आरम्भ में, देश-जात व्यक्तियों के लिए जैव मीट्रिक छाप के साथ यूआईएन प्राप्त करने के लिए निर्धारित सीमा 1.00 लाख रुपए के कारोबार आदेश मूल्य की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपए या अधिक कर दी गई है। इस सीमा को प्रगामी रूप से घटाया जाएगा किफायती तरीके से ऐसी सुविधांए उपलब्ध कराने में सक्षम अभिकरणों को आंकड़ाधारों का अनुरक्षण करने का उत्तरदायित्व समनुदेशित किया जाएगा। 5.00 लाख रुपए से कम मूल्य के कारोबार आदेश के लिए निवेशकों के पास यह विकल्प होगा कि वे या तो आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या प्राप्त करले अथवा मेपिन के अंतर्गत यूआईएन प्राप्त करें। म्यूचुअल फंडो में निवेशको को यू.आई.एन. प्राप्त करने की अपेक्षा में छूट प्राप्त होगी। प्रवर्तक, जो कि निगमित निकाय है की परिभाषा भारतीय निकाय की तत्काल धारित कम्पनी तथा इसकी सहायक किसी भी सहायक कम्पनी, यदि वह भारत के अवस्थित हो, तक सीमित होगी। सूचीबद्ध कम्पनी या ऐसी कम्पनी, जिसका इरादा अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का है, द्वारा अपने प्रवर्तकों, निदेशकों, अधिकारियों, तथा नामोदिष्ट कर्मचारियों के साथ यूआईएन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। ये परिवर्तन मेपिन विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने के पश्चात् क्रियान्वित किए जाएंगे।

(xiv) ब्लॉक सौदे

सेबी ने ब्लॉक सौदों को 5 करोड़ रुपए मूल्य के या 5 लाख शेयरों के लिए न्यूनतम कारोबार के रूप में परिभाषित किया है तथा स्टॉक एक्सचेंजों में प्रति दिन प्रातः 9.55 से प्रातः 10.30 बजे के बीच इन ब्लॉक सौदों में कारोबार के लिए एक पृथक विंडो स्थापित की है। यह उपाय ब्लॉक सौदों में पारदर्शिता लाने, संभावित बाजार दुरुपयोग पर रोक लगाने के साथ साथ इन के निष्पादन के लिए बाजार की आवश्यकता को मान्य करता है।

(xv) एफआईआई निवेश के उदारीकरण संबंधी समिति

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह निर्धारित किया गया है कि एफआईआई को प्रोत्साहन दिया जाना जारी रहेगा जबकि आनुमानिक पूंजी के प्रवाह के प्रति वित्तीय प्रणाली की संवेदनशीलता को कम किया जाएगा। एनसीएमपी के क्रियान्वयन की समीक्षा करते समय सरकार ने निर्णय लिया कि इन मुद्दों की जांच करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया जाए तथा वह समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करे। तदनुसार, डा. अशोक लाहिड़ी, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया। रिपोर्ट 22 नवम्बर 2005 को प्रस्तुत की गई तथा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उसे वित्त मंत्रालय की वेबसाईट पर डाल दिया गया।

(xvi) लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए वैकल्पिक मंच

पूंजी बाजार से इक्विटी तथा ऋण जुटाने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक वैकल्पिक मंच का सृजन करने के संबंध में वर्ष 2004-05 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 2004 (2005 का सं.1) के माध्यम से विधायी संशोधन किए गए है तथा इंडोनेक्सट नामक वैकल्पिक कारोबार मंच की शुरुआत पहले ही 7 जनवरी 2005 को स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई (बी.एस.ई) में की जा चुकी थी।

(xvii) प्राथमिक बाजार

बही निर्माण निर्गमों के मामले में खुदरा व्यष्टि निवेशकों को शेयरों का आवेदन 25% से बढ़ाकर 35% करने के लिए सेबी द्वारा प्रकटन एवं निवेशक संरक्षण (डीआईपी) दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त 5% शेयरो के आवंटन को अर्हकता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं की श्रेणी के भीतर म्यूचुअल फंडों के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया। इसमें बाजार में खुदरा भागीदारी में वृद्धि होगी, खुदरा व्यष्टि निवेशक को ऐसे निवेशक के रूप में पुनः भाषित किया गया जो 1 लाख रुपए या इससे अनधिक मूल्य की प्रतिभूतियों के लिए बोलियों हेतु आवेदन करता है जबकि इसके लिए पूर्ववर्ती सीमा 50,000 रुपए थी।

(xviii) विदेशी वाणिज्यिक उधार

भारतीय रिजर्व बैंक ने उन योग्य गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) को जो सूक्ष्म वित्त संबंधी कार्यकलापों में कार्यरत है और जिनका विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने के लिए प्रधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ कम से कम 3 वर्ष के लिए उधारों के मामले में अच्छा संबंध है, वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वतः चालित मार्ग के तहत स्वीकृत अभीष्ट उपयोग हेतु 5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के विदेशी वाणिज्यिक उधार टुटाने में समर्थ बनाने के लिए एक विंडो शुरु की है। तत्पश्चात् गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों को बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं, सरकारीनिर्यात क्रेडिट एजेंसियों और अन्तर्राष्ट्रीय बैंको से 5 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले विदेशी वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि व आधारभूत ढ़ांचा परियोजनाओं को पट्टे पर दिए जाने के लिए आधारभूत ढ़ांचा उपकरणों के आयोत की वित्त व्यवस्था कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित कतिपय मानदण्डों को तुष्ट करने वाली आवास वित्त कम्पनियों को दी गई। अब यह निर्णय लिया गया है कि संपदा क्षेत्र में विनिर्माण कार्यकलापों ने लगी, वित्तीय शोधन क्षमता और अधतन लेखा परीक्षित तुलना-पत्रों वाली बहुराज्यीय सहकारी समितियों को अनुमोदन मार्ग के वहन ईसीबी जुटाने की अनुमति देने के लिए नीति में संशोधन किया जाए।

(xix) पेंशन सुधार

केन्द्र सरकार के नए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 से एक नई पेन्शन प्रणाली आरंभ की गई। बजट 2004-2005 में यह घोषणा की गई थी कि इस योजना के लिए विनियामक संरचना मुहैया कराने के लिए उपयुक्त कानून संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस घोषणा के अनुसरण में, 29 दिसम्बर, 2004 को पेंशन निधि विनियामक और विकास अध्यादेश, 2004 प्रख्यापित किया गया। इस अध्यादेश के स्थापन पर एक विधेयक 21 मार्च 2005 को संसद में पेश किया गया। इस विधेयक को वित्त संबंधे स्थायी समिति को सौंप दिया गया जिन्होनें बाद में अपनी रिपोर्ट दी।

(xx) गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि और उपदान-निधि के लिए निवेश संबंधी दिशानिर्देश

गैर-सरकारी भविष्यनिधि/अधिवर्षिता निधि एवं उपदान निधि के निवेश संबंधी दिशानिर्देशों को जनवरी, 2005 में संशोधित किया गया ता। महत्वपूर्ण संशोधनों में सक्रिय प्रबंधन हेतु पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में कुल पोर्टफोलियों का 10% तक उपयोग करने की अनुमति; भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड द्वारा जारी एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित संपार्श्विक उधार एवं ऋण दायित्व (सीबीएलओ) में निवेश; उन कम्पनियों के शेयरों में कुल पोर्टफोलियों के 5% तक निवेश करने की अनुमति, जिनके पास कम से कम दो क्रेटिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड ऋण रेटिंग प्राप्त हो; तथा निजी क्षेत्र के ऋण लिखतो, जिनके पास कम से कम दो क्रेडिट-रेटिंग एजेंसियों में निवेश ग्रेड रेटिंग प्राप्त हो तथा उनका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंडों की इक्वटी संबद्ध योजनाओं में 10 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति शामिल है।

(xxi) अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग

19 मई 2005 को फिक्स वे स्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की उपनी विदेशी मुद्रा रेटिंग के BB+ होने की पुष्टि की।

अगस्त 2005 में जापान क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी के स्थिर दृष्टिकोण के साथ BBB की अपनी रेटिंग की पुष्टि की। समीअधीन वर्ष के दौरान स्टैंडर्ड एवं पूअर से एक रेटिंग दल ने 25 अगस्त 2005 को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बैठक की। तदनंतर दिसम्बर 2005 में उन्होने घरेलू एवं विदेशी मुद्रा, दोनों पर स्थिर दृष्टिकोण के साथ बीबी+ की अपनी रेटिंग की पुष्टि की।

(xxii) भारतीय यूनिट ट्रस्टः- भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम के निरसन के अनुसरण में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का द्विभाजन किया गया तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 को संसद द्वारा दिसम्बर 2002 में अधिनियमित किया गया। निरसन अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट को दो शाखाओं में विभक्त किया जाएगा और विनिर्दिष्ट उपक्रम अर्थात् यूटीआई-I-जिसमें यूएस 64 शामिल है, के अंतर्गत आश्वासित प्रतिफल योजनाएं और विकास प्रारक्षित निधि अंतरित किए जाएगें तथा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक में विहित होंगे और उपक्रम अर्थात् यूटीआई-II जिसमें एन.ए.वी.(नैव) आधारित स्कीमें शामिल हैं एक निश्चित तारीख अर्थात् 1 फरवरी 2003 से विनिर्दिष्ट कंपनी में विहित होंगा।

भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और जीवन बीमा निगम यूटीआई-II के लिए प्रायोजक के रूप में चुने गए थे और यूटीआई-II को एनएवी आधारित स्कीमों के अंतरण के लिए प्रायोजकों के साथ भारत सरकार ने दिनांक 15-1-2003 को करार पर हस्ताक्षर किए थे। करार के अनुसार 1236.95 करोड़ रुपए के बिक्री प्रतिफल को अंतिम रूप दिया गया और वर्ष के दौरान प्रायोजकों द्वारा चुकाया गया।

5.2 विभिन्न परामर्शी बोर्डों तथा परिषदों सहित प्रभाग के कार्य/कार्यकरण के गठन के बारे में संक्षिप्त पैराः

5.2.1 पूंजी बाज़ार, और विदेशी वाणिज्यिक उधार तथा पेंशन सुधार प्रभाग मुख्यतः प्रतिभूति बाज़ारों के विकास तथा विनियमन को सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों को सूत्रबद्ध करने तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं पूर्वकालीन भारतीय यूनिट ट्रस्ट के कार्यकरण के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग पेंशन सुधार आरम्भ तथा समन्वित करने एवं विभाग के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए भी उत्तरदायी है। इस प्रभाग की आठ शाखाएं हैं अर्थात् पूंजी बाज़ार अनुभाग, स्टॉक एक्सचेंज अनुभाग, विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और पेंशन सुधार (पीआर) भाग तथा विनिमय प्रबंधन अनुभाग, संयुक्त संसदीय समिति और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अनुभाग (जेपीसीएण्डयूटीआई), सूचना का अधिकार सैल (आरटीआई) और सतर्कता शाखा।

5.2.2 पूंजी बाजार तथा स्टॉक एक्सचेंज अनुभागों के कार्यः

पूंजी बाजार प्रभाग से संबंधित प्रमुख विषय निम्नांकित हैंः

- प्राथमिक तथा द्वितीयक प्रतिभूति बाजारों से संबंधित नीतिगत मामले;
- प्रतिभूति बाजारों के विकास एवं विनियमन तथा निवेशक सुरक्षा से संबंधित नीतिगत मामले;
- घरेलू म्यूचुअल फंडों से संबंधित नीतिगत मामले;
- सेबी से संबंधित संगठनात्मक तथा प्रचालनात्मक मामले।

पूंजी बाजार तथा स्टाक एक्सचेंज अनुभागों द्वारा अभिशासित किए जाने वाले अधिनियम/नियम निम्नानुसार हैं :-

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 का खंड (च)

पूंजी बाजार प्रभाग को मुख्य रूप से अन्यों के अलावा सेबी, आर बी आई तथा अन्य अभिकरणों के परामर्श से पूंजी बाजार के विकास के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह वित्तीय एवं पूंजी बाजार संबंधी उच्च स्तरीय समन्वय समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है तथा सेबी बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से संबंधित सभी संगठनात्मक/प्रचालनात्मक मामलों के कार्य करता है। सेबी अधिनियम, 1992 के अंतर्गत सेबी बोर्ड में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व है। पूंजी बाजार अनुभाग मंत्रालय के प्रतिनिधि को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली मदों के बारे में निविष्टियां उपलब्ध कराता है। वित्त मंत्रालय का सेबी की प्राथमिक तथा द्वितीयक बाज़ार परामर्शी समितियों में भी प्रतिनिधित्व है। पूंजी बाज़ार से संबंधित नीतिगत मामलों के बारे में निविष्टयां इन माध्यमों से उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.2.3 वित्तीय तथा पूंजी बाज़ारों संबंधी उच्च स्तरीय समन्वय समिति (एचएलसीसीएफसीएम)

वित्तीय तथा पूंजी बाज़ारों संबंधी उच्च स्तरीय समन्वय समिति वित्तीय और पूंजी बाजारों में उत्पन्न अंतर-विनियामक मुद्दों संबंधी कार्य करने का एक मंच है, क्योंकि भारत वित्तीय क्षेत्र के लिए अनेकानेक विनियामक व्यवस्था का अनुसरण करता है। पूंजी बाजार प्रभाग इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। संयुक्त सचिव (पू.बा., वि.वा.उ., तथा पेंशन सुधार) एच एल सी सी एफ एम द्वारा यथापेक्षित पूंजी बाजार के नीतिगत मुद्दों की जांच करने, एच एल.सी सी एफ एम की बैठकों के लिए कार्यसूची को तैयार करने तथा इसके निर्णयों का परिशीलन करने के लिए के संयोजक भी हैं।

5.2.4 मुद्रा प्रबंधन अनुभाग के कार्य

मुद्रा नियंत्रण अनुभाग के कार्यों में मुख्यतया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (जो 1 जून, 2000 को प्रवृत्त हुआ) का प्रशासन देखना तथा विदेश यात्रा, विदेश में अध्ययन, कारोबारी दौरे, चिकित्सा उपचार, विदेशी नागरिकों द्वारा भारत में अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, भारत में विदेशी नागरिकों को रोजगार तथा विदेश में भारतीय निकायों द्वारा कार्यालय खोलने और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों तथा उनके उपक्रमों द्वारा विदेशी प्रिंट मिडिया में विदेश में विज्ञापन हेतु विदेशी मुद्रा जारी करने आदि से संबंधित नीतिगत विषयों को प्रशासित करना शामिल है। यह अनुभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मंत्रियों/अधिकारियों की विदेश यात्रा के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों/विधायकों/ अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विदेशी दौरों पर भी कार्रवाई करता है। इस अनुभाग में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने से संबंधित विषयों पर भी विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके कार्रवाई की जाती है।

5.2.5 विदेशी वाणिज्यिक उधार तथा पेंशन सुधार अनुभाग के कार्य

विदेशी वाणिज्यिक उधार एवं पेंशन सुधार प्रभाग (ईसीबी एंड पीआर प्रभाग) के मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं :-

- ईसीबी नीति और कार्यविधियों की आवधिक समीक्षा और निरूपण;
- जोखिम और देयता प्रबंधन और विनिमय विकास और ब्याज दर के लिए ओटीसी व्युत्पन्न उत्पाद/विदेशी मुद्रा और वस्तु मूल्य जोखिम प्रबंधन से संबंधित नीतिगत मामले;
- जहां कहीं आवश्यक हो, कर छूट दने और वापस लेने के लिए ऋण करारों की संवीक्षा और उससे संबंधित नीतिगत मामले;
- विदेशी सरकारी ऋण पुनर्संरचना और ऋण शोधन की लागत में कमी;
- अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों के साथ सरकारी ऋण मामलों और क्रेडिट रेटिंग के संबंध में चर्चा करना;
- अल्प/दीर्घावधि बीओपी पूर्वानुमानों और प्रबंधन में सहायता करना;
- अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों की गतिविधियों पर नजर रखना;

ईसीबी और पीआर प्रभाग का पेंशन सुधार अनुभाग पेंशन सुधार शुरू करने और उसमें समन्वय स्थापित करने; गैर-सरकारी भविष्य निधि, अधिवर्षिता और उपदान निधियों द्वारा निधि राशियों के निवेश संबंधी नीति तैयार करने; तथा विशेष जमायोजना से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। यह अनुभाग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से संबंधित मामलों और ईपीएफओ के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की, जिसमें संयुक्त सचिव (सीएम) भी एक सदस्य हैं, बैठकों के लिए कार्यसूची मदों को भी तैयार करता है। यह अनुभाग अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 2003 के संकल्प सं.5/7/2003-ईसीबी और पीआर के जरिए स्थापित किया गया था और जिसने दिनांक 1 जनवरी, 2004 से कार्य करना भी आरंभ कर दिया था, से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों पर कार्रवाई करता है। एनपीएस की संस्थागत संरचना के पूरी तरह व्यवस्थित हो जाने तक, केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ), जो कि नियंत्रक एवं महालेखाकार के अधीन है, एनपीएस के लिए अंतरिम केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) के रूप में कार्य कर रहा है। अंतरिम व्यवस्था की समीक्षा समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा की जाती है। ये समीक्षा बैठकें पेंशन सुधार अनुभाग द्वारा आयोजित की जाती हैं।

5.2.6 *जेपीसी और यूटीआई अनुभागों के कार्य*

जेपीसी और यूटीआई अनुभागों के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:

* स्टाक बाजार घोटाला, 2001 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की अनुशंसाओं पर प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और संसद में प्रस्तुत करना।
* भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण तथा निरसन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट से संबंधित सभी संगठनात्मक/प्रचालनात्मक कार्य।

5.2.7 सतर्कता शाखा के कार्य

संयुक्त सचिव(सीएम) आर्थिक कार्य विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। इस प्रभार में उन्हें सतर्कता शाखा द्वारा सेवा उपलब्ध करायी जाती है।

5.2.8 आर टी आई सैल के कार्य

आर.टी.आई. सैल, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में कार्रवाई करता है और जनता द्वारा आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित सूचना उपलब्ध करने की सुविधा देता है।

5.3. पिछले वर्ष तक निष्पादन/उपलब्धियों के संबंध में सूचना

5.3.1 हाल के वर्षों में पूंजी बाजार का और विकास करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ये निम्न प्रकार हैं:-

(i) स्टॉक एक्सचेंजों का निगमीकरण एवं पृथक्कीकरण

शेयर बाजार घोटाले संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने निवेशकों के हितों के संरक्षण और एक्सचेंजों में अधिक पारदर्शिता व दक्षता लाने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण तथा पृथक्कीकरण को क्रियान्वित करने की तात्कालिक आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में यह वचन दिया था कि वह इस नीतिगत सुधार के क्रियायान्वयन हेतु आवश्यक विधायी संशोधनों का प्रस्ताव करेगी। तदनुसार, अन्य बातों के अलावा स्टॉक एक्सचेंजों के निगमीकरण और पृथक्कीकरण को प्रभावी बनाने के लिए 12 अक्तूबर, 2004 को प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक, 2004 प्रख्यापित किया गया था। प्रतिभूति कानून (संशोधन) विधेयक, 2004 जिसमें इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जाना है, दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है और 2005 का अधिनियम संख्या 1 बन गया है।

(ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में भारत के लिए स्पष्ट तरजीह दिखाई है। भारतीय पूंजी बाजार को सुदृढ़ व आकर्षक बनाने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

* विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए पंजीकरण एवं प्रचालन प्रक्रियाविधि को सरल एवं त्वरित बनाया गया।
* सरकारी ऋण में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश की उच्चतम सीमा 1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1.75 बिलियन अमरीकी डॉलर की गई। निगमित ऋण में निवेश के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर की एक पृथक उप-सीमा का प्रावधान किया गया था।

(iii) सेबी (ब्याज देयता विनियमन) स्कीम, 2004

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जुलाई 2004 में सेबी (ब्याज देयता विनियमन) स्कीम, 2004 शुरु की थी ताकि नियमन अवधि के दौरान ब्याज के 20% हिस्से के साथ-साथ मूलधन की अदायगी करने पर बकाया संचयी ब्याज की माफी अनुमत कर टर्नोवर शुल्क के भुगतान के विवादास्पद मुद्दों का अंतिम रूप से निपटान किया जा सके।

(iv) प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी)

बजट 2004-2005 में एक नया कर अर्थात् प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शुरु किया गया। प्रतिभूति लेन-देन कर लागू करना, पूंजी बाजारों के लिए कर संरचना को युक्तिसंगत बनाने की कार्य नीति का एक हिस्सा था।

(v) तत्काल प्रक्रियान्वयन (एसटीपी)

भारत उन देशों में से एक देश है जिसने तत्काल प्रक्रियान्वयन (एसटीपी) आरम्भ किया है जो स्टॉक एक्सचेंजों में आदेश-प्रवाह और समाशोधन तथा निपटान की प्रक्रिया को पूर्णतः स्वतः चालित बना देगा।

(vi) वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2004 में प्रायोगिक आधार पर वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) शुरू की है। आरटीजीएस वास्तविक सुपुर्दगी बनाम भुगतान की अनुमति देगी जो बीआईएस और आईओएससीओ द्वारा मान्यताप्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है।

(vii) टी+2 चल निपटान

स्टॉक एक्सचेंजों को 1 अप्रैल, 2003 से सभी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए अनिवार्य रूप से टी +2 चल निपटान का अनुसरण करने का निदेश दिया गया था। समूचे भारतीय पूंजी बाजार ने इस निर्देश का सहज एवं निर्विघ्न तरीके से अनुपालन किया। यह उपाय बाजार में निपटान जोखिम को कम करना सुकर बनाएगा।

(viii) लेखाकरण मानकः- सूचीयन करार के अनुच्छेद 41 में संशोधन

भारतीय कम्पनियों के लेखाकरण मानकों तथा प्रकटन पद्धतियों को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप संशोधित किया गया है। भारतीय कम्पनियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अतिरिक्त लेखाकरण मानक निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटनों के रूप में होंगें:-

* एसोसिएटों तथा सहायक कम्पनियों में निवेश
* अर्धवार्षिक लेखापरीक्षित समेकित परिणामों की शुरूआत
* त्रैमासिक लेखापरीक्षा समीक्षा
* वार्षिक रिपोर्ट में व्यवसाय जोखिम रिपोर्ट की शुरूआत
* लेखापरीक्षा अर्हकता का अनिवार्य प्रकटन, लाभ एवं हानि पर उनके प्रभाव स्पष्टीकरणों सहित तथा वह तिथि जब तक इन्हें दूर किए जाने की आशा है तथा अन्य।

(ix) केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण

सेबी (केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण) विनियम 2003 में जारी किए गए थे। विनियमों में सेबी द्वारा केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण के गठन, किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीयन से पूर्व सीएलए से अनिवार्य अनुशंसा तथा सीएलए से अनुशंसा पत्र जारी करने से मना करने के मामले में सेबी तथा प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सेट) को अपील का प्रावधान किया गया है। सीएलए का गठन 9 अप्रैल, 2003 को किया गया था।

(x) स्टॉक एक्सचेंजों में ब्याज दर व्युत्पादों की शुरूआत

एक्सचेंज व्यापारिक तंत्र के लाभों को प्राप्त करने के दृष्टिगत माननीय वित्त मंत्री द्वारा 24 जून, 2003 को स्टॉक एक्सचेंजों में ब्याज दर वाले व्युत्पादों की शुरूआत की गई थी। एक्सचेंजों में ब्याज दर वाले व्युत्पादों में व्यापार की औपचारिकताओं के पहले कदम के रूप में आरम्भ में निम्नलिखित उत्पादों को शुरू किया गया है:- (i) 10 वर्षीय शून्य लाभ कूपन बांड फ्यूचर्स (ii) शून्य कूपन सांकेतिक राजकोषीय हुंडी संबंधी फ्यूचर्स। यह नीतिगत सुधार बाजार भागीदारों को जोखिम प्रबंधन के साधन उपलब्ध कराएगा।

(xi) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में संशोधनः

बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में ब्याज दर व्युत्पादों और सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार करने की अनुमति देने के लिए, दिनांक 28 अगस्त, 2003 को भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना के माध्यम से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, जिससे बैंकों को स्टॉक एक्सचेंजों में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जा सके। इसके अलावा, आगे, इसी अधिसूचना के माध्यम से प्रतिभूति दलालों को केवल एक पृथक विधिक निकाय के माध्यम से वस्तु व्युत्पाद बाजार में भाग लेने की अनुमति देने के लिए संशोधन किए गए हैं जो समय-समय पर वायदा बाजार आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट पृथक पूंजी पर्याप्तता, निवल मूल्य इत्यादि संबंधी मानक रखते हों।

(xii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 में संशोधन

सेबी द्वारा जांच तथा प्रवर्तन तंत्रों को सुदृढ़ करने, सेबी को संस्थागत रुप से सुदृढ़ करने के लिए, सेबी को प्रतिभूति बाजार के चूककर्ताओं के साथ जुड़े किसी मध्यवर्ती या व्यक्ति के परिसरों की तलाशी लेने तथा दस्तावेज जब्त करने की शक्तियां देने, सेबी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किन्ही नियमों या विनियमों का उल्लंघन करने वाले या उल्लंघन करने की संभावना वाले किसी व्यक्ति पर ऐसा उल्लंघन करने या करवाने पर रोक लगाने तथा उसे वर्जित करने की अपेक्षा करते हुए आदेश पारित करने इत्यादि के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 में संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेबी अधिनियम या नियमों अथवा विनियमों के उल्लंघन के लिए सेबी अधिनियम में विनिर्दिष्ट शास्तियों में पर्याप्त वृद्धि की गई है तथा अपीलीय प्राधिकरण को एकल सदस्यीय प्राधिकरण के स्थान पर त्रि-सदस्यीय निकाय बना दिया गया है।

(xiii) आदेश चालित स्क्रीनाधारित प्रणाली के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों के कारोबार को प्रचालन में लाना

सरकारी प्रतिभूतियों में सम्पूर्ण देश में खुदरा निवेशकों सहित निवेशकों की सभी श्रेणियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इक्विटियों में कारोबार किए जाने के समान तरीके से स्टॉक एक्सचेंजों में एक राष्ट्रव्यापी, अनाम, आदेश चालित, स्क्रीनाधारित कारोबार प्रणाली के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार 16 जनवरी 2003 को शुरु किया गया था।

(xiv) व्युत्पाद कारोबार

स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में कारोबार के साथ भारतीय इक्विटी बाजारों में व्युत्पाद कारोबार 9 जून, 2000 से शुरु हो गया है। स्टॉक इंडेक्स आप्शन तथा स्टॉक आप्शन क्रमशः जून तथा जुलाई, 2001में शुरु किए गए हैं। एकल स्टॉक फ्यूचर्स भी 9 नवम्बर, 2001 से शुरु किए गए हैं। ब्याज दर व्युत्पाद जून, 2003 में शुरू किए गए थे।

(xv) ईडीआईएफएआर

इलैक्ट्रानिक आंकड़ा तथा सूचना अभिलेखन एवं पुनःप्राप्ति प्रणाली की शुरुआत सेबी द्वारा 5 जुलाई 2002 को की गई ताकि वित्तीय विवरणों, कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्टों, शेयरधारिता पैटर्न विवरण, किसी विनियामक अभिकरण द्वारा कम्पनी के विरुद्ध की गई कार्रवाई इत्यादि सहित सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा सूचना का इलैक्ट्रानिक अभिलेखन सुकर बनाया जा सके।

(xvi) एडीआर/जीडीआर की दोहरी प्रतिमोच्यता

सेबी द्वारा आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किए जाने के पश्चात एडीआर/ जीडीआर की दोहरी प्रतिमोच्यता कार्यप्रचालन में लाई गई। इससे द्विमार्गी उन्मोचन संभव हुआ और विनियामक अंतरपणन घटकर लगभग नगण्य स्तर पर आ गया है और इस प्रकार भारतीय बाजार की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है।

(xvii) दो निक्षेपागारों के बीच आनलाईन संपर्क

सीडीएसएल व एनएसडीएल के बीच आन-लाईन संपर्क के माध्यम से अंतर-निक्षेपागार अंतरण संस्थापित किया गया। इससे व्यापार निपटान प्रक्रिया के सुदृढ़ होने व इसके तत्काल प्रक्रियान्वयन के अग्रदूत के रुप में कार्य करने की संभावना है।

(xviii) असूचीयन समिति

प्रतिभूतियों के असूचीयन संबंधी सेबी समिति ने, यह मानते हुए कि प्रतिभूतियों के असूचीयन के विरुद्ध स्वाभावतः कोई विवर्जन नहीं होना चाहिए, असूचीयन के संबंध में कार्रवाई करने के लिए व्यापक प्रावधानों के निर्माण, असूचीयन के लिए निकासी मूल्य का आकलन करने के लिए प्रतिवर्तित बही निर्माण प्रक्रिया को अपनाने, सूचीयन करार का अनुपालन करने के लिए कम्पनियों का असूचीयन करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को सशक्त बनाने तथा केन्द्रीय सूचीयन प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की। इन सिफारिशों से असूचीयन प्रक्रिया पारदर्शी, कार्यकुशल तथा निवेशक अनुकूल बन जाएगी। आवश्यक विनियामक ढांचा सुव्यवस्थित किया गया तथा सेबी दिशानिर्देशों को 2003 में जारी किया गया।

(xix) विदेशी विनियामकों के साथ समझौता ज्ञापन

सेबी ने सूचना की साझेदारी और पारस्परिक सहयोग के संबंध में वित्तीय सेवा आयोग, मारीशस और श्रीलंका के प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

(xx) ऋण बाजार के घटनाक्रम : कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत भारतीय समाशोधन निगम लि. (सी सी आई एल) नामक एक ऋण समाशोधन निगम 30 अप्रैल, 2001 को स्थापित किया गया और इसने 15 फरवरी, 2002 से सरकारी प्रतिभूतियों (रिपो सहित) में लेन-देनों के समाशोधन और निपटान संबंधी प्रचालन शुरु कर दिए हैं। एक इलैक्ट्रानिक वार्ताकारी कार्रवाई तंत्र (निगोशिएटिड डीलिंग सिस्टम-एन डी एस) (चरण-i) 15 फरवरी, 2002 से शुरु हो गया है।

(xxi) विदेशी वाणिज्यिक उधार

सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से समय-समय पर ईसीबी नीति की समीक्षा करती है ताकि भारतीय कॉरपोरेट विवेकी ऋण प्रबंधन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में बेहतर पहुंच हासिल करने हेतु समर्थ हो सके। 14 नवंबर, 2003 को घोषित ईसीबी से संबंधित कतिपय अस्थायी उपायों के स्थान पर अत्यधिक पारदर्शी एवं सरल नीति लाने की दृष्टि से जनवरी, 2004 में समीक्षा की गई थी और संशोधित नीति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 31 जनवरी, 2004 को अधिसूचित की गई थीं। समीक्षा की विशेषता, बिना किसी अनुमोदन के स्वतः चालित मार्ग पर 500 बिलियन अमरीकी डालर तक की ईसीबी की अनुमति देते हुए कॉरपोरेट क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाना था। न्यूनतम औसत परिपक्व अवधि के संबंध में समग्र लागत उच्चतम सीमा निर्धारित की गई थी।

ईसीबी के लिए किए गए उदारीकरण को ही विस्तार, कार्यविधियों आदि के संबंध में विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्डों (एफसीसीबी) के सम्बन्ध में भी विस्तारित कर दिया गया था।

5.3.2 पेंशन सुधार अनुभाग

सरकार ने, 23 अगस्त 2003 को प्रथम चरण में सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर केन्द्रीय सरकारी सेवा में नए भर्ती होने वालों के लिए में मौजूद परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली शुरु करने का लिए निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना के जरिए नयी पेंशन प्रणाली (एनपीएस) 1 जनवरी, 2004 से लागू की गयी थी। एनपीएस की विशेष प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैः

- यह परिभाषित अंशदान पर आधारित है। केन्द्रीय सेवा में नए भर्ती हुए कर्मचारी अपने वेतन और मंहगाई भत्ते के 10 प्रतिशत का अंशदान करते है जिसमें केन्द्र सरकार का बराबर का अंशदान होगा।
- एक बार नई पेंशन योजना लागू हो जाने पर कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की सुविधा न होने पर स्वैच्छिक टियर-II निकासी खाते का विकल्प प्राप्त होगा। सरकार इस खाते में कोई अंशदान नहीं करेगी.
- सामान्यतः कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में अथवा उसके बाद ही इस प्रणाली के टियर-I से निकासी करेंगे। निकासी के समय यह अनिवार्य होगा कि उनके पेंशन धन की 40 प्रतिशत राशि अधिवर्षिता की खरीद में निवेश की जाए जिससे कर्मचारी और उसपर आश्रित माता-पिता अथवा पति या पत्नि के लिए आजीवन पेंशन की व्यवस्था हो सके। पेंशन धन की शेष 60 प्रतिशत राशि कर्मचारी की निकासी के समय एकमुश्त दी जाएगी।
- नई प्रणाली में एक केन्द्रीय अभिलेख और लेखा तंत्र तथा निवेश के विकल्प पेश करने के लिए कई निधि प्रबंधक होंगे।

सांविधिक विनियामक पूर्ववर्ती के रूप में अन्तरिम पेंशन निधि विनियामक विकास एजेंसी का गठन 10 अक्तूबर, 2003 को किया गया और 1 जनवरी, 2004 से इस लागू कर दिया गया। इसके लिए एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई लेकिन बाद में उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया। श्री डी. स्वरूप को 5 वर्षों की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होने 1 अप्रैल, 2005 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

इसके पूरी तरह से लागू होने तक केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) महालेखा-नियंत्रक के अधीन एक अन्तरिम केन्द्रीय अभिलेख एजेंसी (सीआरए) के तौर पर कार्य कर रहा है। इस समय अंशदानों को सरकारी खाते में जमा किया जा रहा है जहां इन्हें सा.भा.नि. की समान दर पर प्रतिफल प्राप्त हो रहा है।

विश्व बैंक ने पेंशन सुधार कार्य के लिए भारत की विकास निधि से अनुदान मुहेया कराया है। इस अनुदान के तहत, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आईआईईएफ को, परामर्श देने एवं पेंशन सुधार कार्य में मदद देने के कार्य में लगाया गया। उन्होने पेंशन निधियां और सीआर के सम्बन्ध में अवधारणा संबंधी कागजात तैयार किए और उन पर लोगों के विचार जानने के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रस्तुत किया।

5.3.3 भारतीय यूनिट ट्रस्ट का पुनरुद्धार

पृष्ठभूमि

* मोटे तौर पर भारतीय यूनिट ट्रस्ट में तीन प्रकार की योजनाएं हैं; अर्थात, सामान्य निवल परिसंपत्ति मूल्य (एन.ए.वी) आधारित योजनाएं, यूनिट स्कीम-64 ((यू.एस.-64) और आश्वासित प्रतिलाभ योजनाएं (ए.आर.एस), जिन्हें सामान्यतः मासिक आय योजना (एम.आई.पी) के रूप में जाना जाता है।

* यू.एस-64, यू.टी.आई द्वारा प्रमोचित पहली योजना थी। यू.एस-64 की विक्रय और पुनर्खरीद कीमतें महत्वपूर्ण आस्तियों के मूल्य पर आधारित नहीं थी। इसके बजाय, एक प्रशासित मूल्य निर्धारित किया गया और योजना की वास्तविक आय के अननुरूप अत्याधिक उच्च दरों पर लाभांश घोषित किए गए। इससे प्रारक्षित राशियों में से निधियां निकालना आवश्यक हो गया।

* यू.टी.आई ने समय-समय पर कई मासिक आय योजनाओं (आश्वासित प्रतिलाभ योजनाओं)का निर्गमन किया है। इन्हें मूलतः दो श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है:- योजनाए जहां पूर्ण अवधि के लिए लाभांश और पूंजी दोनों की गारंटी दी गई हो और/अथवा जो वार्षिक लाभांश पुनःनिर्धारण विकल्प के साथ परिपक्व होने पर पूंजीगत गारंटी उपलब्ध कराती है।

यू.टी.आई अधिनियम का निरसनः

* यू.टी.आई अधिनियम के निरसन के अनुसरण में यू.टी.आई को द्विभाजित कर दिया गया और दिसंबर 2002 में संसद द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन), अधिनियम 2002 का अधिनियमन किया गया।

* निरसन अधिनियम ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट का द्विभाजन किया जाएगा और "विनिर्दिष्ट उपक्रम" अर्थात, यू.टी.आई-I, जिसमें यू.एस-64, आश्वासित प्रतिलाभ योजनाएं और विकास प्रारक्षित निधि शामिल है, को अंतरित किया जाएगा और सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक में विहित किया जाएगा, और "उपक्रम" अर्थात यू.टी.आई-II, जिसमें एन.ए.वी. आधारित योजनाएं शामिल है, एक निर्धारित दिन से एक विनिर्दिष्ट कंपनी में विहित होगा, जो 1 फरवरी, 2003 है।

* भूतपूर्व यू.टी.आई की पुनर्संरचना भूतपूर्व यू.टी.आई की विभिन्न आश्वासित प्रतिलाभ योजनाओं के मोचन तथा समय से पूर्व बंद करने के माध्यम से भारत सरकार की देयता को कम करने के उद्देश्य से तथा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि भारतीय पूंजी बाजार पर इस प्रक्रिया द्वारा प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निवेशकों को अपने अधिकारपूर्ण दावे प्राप्त हो जाएं।

* सरकार ने 1 फरवरी, 2003 से उपक्रम के अन्तरण हेतु भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, और भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ 15 जनवरी 2003 को एक करार पर हस्ताक्षर किए।

यू.टी.आई-I में घटनाक्रम

यू.एस-64

* 31 मई, 2003 को, यू.एस-64 समाप्त हो गया। यू.एस-64 के निवेशकों को 6.75% प्रति वर्ष के कूपन के साथ, जिसका भुगतान अर्द्ध-वार्षिक किया जाना था, सरकारी गारंटी प्राप्त पांच वर्षों के कर-मुक्त बांड़ों का विकल्प दिया गया। यू.एस-64, जो 5 वर्षों से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था, का अब इस प्रकार से समाधान किया गया है कि पूंजी बाजार पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के बिना निवेशकों को अपने दावे प्राप्त हो गए हैं।

आश्वासित प्रतिलाभ योजना (ए.आर.एस) को समय से पूर्व बंद करना

* 1 योजना को छोड़कर, सभी ए.आर.एस को पहले ही बंद किया जा चुका है। ये सभी ए.आर.एस निवेशकों को नकद अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी) अर्थात यू.टी.आई-I द्वारा जारी तथा भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त बांड़ों के निर्गमन के माध्यम से भुगतान करके किया गया है। वर्तमान में, केवल एक ए.आर.एस सूटी की बहियों में विद्यमान हैं। जो 30.6.2006 को परिपक्व हो जाएगी।

विशेष यूनिट स्कीम-99 (एस.यू.एस-99)

* दीपक पारेख समिति की सिफारिशों पर जून 1999 में एक विशेष यूनिट स्कीम (एस.यू.एस-99) सृजित की गई जिसमें यू.एस-64 के पी.एस.यू पोर्टफोलियो को जिसका 29 जून, 1999 को बाजार मूल्य 1,517 करोड़ रुपए था, 3,300 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य पर अन्तरित किया गया। केन्द्रीय सरकार ने 3,300 करोड़ रुपए मूल्य की ऐसी 5 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियां जारी करके इस स्कीम को पूरी तरह अभिदत्त किया जिन पर 11.24% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से ब्याज देय था।

* सरकार ने अब तक एस.यू.एस-99 के सब यूनिटों की पुनःखरीद कर ली है और उपचित ब्याज सहित शेयर खरीद का संचित शोधन मूल्य 6287.56 करोड़ रुपए था। इसके अलावा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए 165 करोड़ रखे गए हैं।

सरकार ने परिपक्वता पर (24.06.2004) 3,300 करोड़ रुपए मूल्य के विशेष प्रतिभूति बाण्ड़ों, का जो एस.यू.एस-99 स्कीम को पूर्णतः अभिदत्त करने के लिए जारी किए गए थे, धारक को सीधे भुगतान करके शोधन करने का निर्णय लिया।

5.4. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन/उपलब्धियों के बारे में सूचना

5.4.1 स्टाक एक्सचेंज अनुभाग

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यथेष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने और इस पर संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि ऐसा कारोबार के हित में और जनता के हित में भी होगा, 19 स्टॉक एक्सचेंजों की निगमीकरण तथा पृथक्कीकरण योजनाओं को अनुमोदित तथा अधिसूचित किया है। उसने यह भी अधिसूचित किया कि दो स्टॉक एक्सचेंज नामतः द ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, पहले ही निगमीकृत तथा पृथक्कीकृत स्टॉक एक्सचेंज हैं। यह प्रतिभूति बाजारों के आधुनिकीकरण के लिए उठाया गया एक प्रमुख कदम है। यह सभी स्टॉक एक्सचेंजों को लाभार्थ कंपनियां बनाता है, स्वामित्व, कारोबार अधिकारों और प्रबंधन का पृथक्कीकरण करके हित संघर्ष दूर करता है। भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसने सबसे कम संभावित समय में इस निगमीकरण एवं पृथक्कीरण को हासिल किया है।

इन स्कीमों की मुख्य विशेषताएं हैः

क. स्टॉक एक्सचेंज, जो व्यक्तियों का संघ है, को शेयरों द्वारा परिसीमित लाभार्थ कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा। ऐसे एक्सचेंज जो गारंटी द्वारा परिसीमित कंपनियां हैं, को शेयरों के जरिए परिसीमित कम्पनियों के रूप में पुनः पंजीकृत किया जाएगा।

ख. स्वामित्व और प्रबंधन अधिकार तथा कारोबारी अधिकार जो सदस्यता कार्डों से संबंधित हैं, का पृथक्कीकरण किया जाएगा। शेयर धारक के लिए कारोबारी सदस्य होना, और कारोबारी सदस्य के लिए शेयर धारक होना अनिवार्य नहीं है।

ग. सदस्यता कार्ड धारक एक्सचेंज के आरंभिक शेयर धारक होंगे जो यह सुनिश्चित करेगा कि 12 माहों के भीतर इसके कम से कम 51% इक्विटी शेयर ऐसी जनता द्वारा धारित हो जो कारोबारी अधिकार प्राप्त शेयर धारक नहीं है।

घ. कोई भी शेयर धारक जो कारोबारी सदस्य है को उसके द्वारा और उसके साथ संयुक्त रूप से कार्यरत व्यक्तियों द्वारा धारित मताधिकार सहित एक्सचेंज में मताधिकार की विशिष्ट प्रतिशतता से अधिक मत देने का अधिकार नहीं होगा।

ङ सदस्यता कार्ड धारक आरंभ में एक्सचेंज के कारोबारी सदस्य होंगे।

च कारोबारी सदस्यों का एक ही वर्ग होगा और उन्हें समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे तथा किसी व्यक्ति को कारोबारी सदस्यता देते समय अथवा उसका अभ्यर्पण स्वीकार करते समय पूंजी पर्याप्तता, जमा राशियों, शुल्कों आदि संबंधी एक समान मानदंड अपनाए जाएंगे।

छ एक्सचेंजों के शासी बोर्ड का गठन इस तरह से किया जाएगा कि कारोबारी सदस्यों के प्रतिनिधि इसकी कुल संख्या के एक चौथाई से अधिक न हों।

ज मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम को समाशोधन और निपटान कार्य आंतरित किए जाने तक, जो दो वर्षों के भीतर होगा कारोबारी सदस्य ही कारोबारों का समाशोधन और निपटान करेंगे।

झ एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल स्टॉक एक्सचेंज के कार्यचालन के लिए ही परिसम्पत्तियों और प्रारक्षित राशियों का उपयोग किया जाए।

*(ii) **व्यापक जोखिम प्रबंधन***

एक अन्य उपाय के रूप में सेबी ने ढांचा स्टॉक एक्सचेंजों के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन के क्रियान्वयन की तारीख को बढ़ाकर 30 मई, 2005 कर दिया है। पूर्ववर्ती तारीख 18 मई, 2005 थी। तदनुसार, जब तक एक्सचेंज 30 मई, 2005 से संशोधित जोखिम प्रबंधन ढांचा क्रियान्वित करने की स्थिति में न हो तब तक किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए कारोबार करना अनुमत नहीं होगा। मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की सहायक कंपनियों को भी शामिल करने के उद्देश्य से दलाल उप दलाल और ग्राहक के बीच त्रिपक्षीय आदर्श करार से संबंधित दिशानिर्देशों को भी विनियामक ने संशोधित किया है। इसके पहले इन सहायक कंपनियों को जो बी एस ई अथवा एन एस ई के पास दलालों के रूप में पंजीकृत थी जिसके सदस्य तक बी एस ई अथवा एन एस ई के उप दलाल बन जाते थे, त्रिपक्षीय करारों के क्रियान्वयन से छूट दी गई थी। ये परिवर्तन 1 जून, 2005 से लागू होंगे।

(iii) एकीकृत बाजार निगरानी प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए करार पर हस्ताक्षर

निगरानी कार्य की प्रभावोत्पादकता के वर्धन के लिए, सेबी ने भारत में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों तथा बाजार खंडों (इक्विटी तथा व्युत्पादों, दोनों सहित)में बाजार गतिविधियों के अनुवीक्षण हेतु एक व्यापक एकीकृत बाजार निगरानी प्रणाली (आई.एम.एस.एस) के क्रियान्वयन के लिए देशों के संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस प्रणाली में स्टॉक एक्सचेंजों से उपलब्ध (नकद और व्युत्पाद खण्ड) समाशोधन निगम और निक्षेपागारों में उपलब्ध डाटा का एक एकल एकीकृत बाजार निगरानी प्रणाली में एकीकरण करने की परिकल्पना की गई है। आई एम एस एस से सचेतकों का सृजन होगा जो सेबी की बाजार में हेराफेरी, भीतरी कारोबार और अन्य प्राकर की धोखाधड़ी, जो बाजार की अखंडता को भंग करते हैं, जैसे गम्भीर बाजार अतिक्रमणों की पहचान करने और पड़ताल करने में सहायता करेंगे। प्रस्तावित आई एम एस एस समाधान के मार्च, 2006 तक प्रचालनात्मक जाने की संभावना है।

*(iv) **"व्युत्पाद" संविदाओं में कारोबार हेतु कर लाभः***

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी) ने एक नया नियम तैयार किया है, जिसके द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को विशिष्ट रुप से मान्यता दी जाएगी ताकि इन एक्सचेंजों में "व्यत्पाद" संविदा में कारोबार करने वाले निवेशकों को कर प्रयोजनों के लिए स्टॉकों में विकल्प और "फ्यूचर्स" संविदाओं में हुए लाभ तथा हानि को आय के अन्य स्रोतों से हुई लाभ और हानि के प्रति प्रतिसंतुलित करने का लाभ प्राप्त हो सके। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में सी.बी.डी.टी द्वारा मान्यता के लिए आवेदन करने वाले स्टॉक एक्सचेंज के पास व्युत्पाद कारोबार के लिए सेबी का अनुमोदन अवश्य होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज को अपनी प्रणाली में 7 वर्षों के लिए किए गए सौदों (नकद और व्युत्पाद बाजारों के संबंध में) एक सम्पूर्ण लेखापरीक्षा लेखा का अनुरक्षण भी करना होगा। अतिरिक्त रूप से, स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रणाली में एक बार पंजीकृत सौदों को न तो मिटाया जा सकता है और न ही आशोधित किया जा सकता है। साथ ही, क्लांयट के विवरण जिसमें अद्वितीय क्लांयट पहचान संख्या और स्थायी खाता संख्या शामिल है) को विधिवत् अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए और डाटाबेस में संग्रहित किया जाना चाहिए।

*(v) **सेबी (प्रकटन और निवेशक संरक्षण) (डी.आई.पी) दिशानिर्देश, 2000 में संशोधन***

अर्हक संस्थागत बोलीदाताओं (क्यू.आई.बी) को आई.पी.ओ. का विवेकाधीन आवंटन समाप्त करने के लिए सेबी ने आई.पी.ओ. और सूचीयन दिशानिर्देशों संबंधी अपने विनियमों को संशोधित किया और शेयरों का वितरण दी गई बोलियों के समानुपातिक बना दिया। प्राथमिक प्रस्तावों में घरेलू म्यूचुअल फंड़ों हेतु 5% आरक्षण की शुरुआत भी की गई (50% क्यू आई.बी. आरक्षण के अंतर्गत) हालांकि उन्हें शेष 45% में क्यू.आई.बी. श्रेणी के अंतर्गत अलग से बोली लगाने की अनुमति भी दी गई। तथापि, सभी क्यू.आई.बी, द्वारा सभी संस्थागत बोलियों के लिए 10% का एकमुश्त भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा।

संशोधन की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैः-

(क) अर्हक संस्थागत क्रेताओं (क्यू आई बी) की श्रेणी के भीतर म्यूचुअल फंडो के लिए 5 प्रतिशत का विशिष्ट आवंटन;

(ख) म्यूचुअल फंड द्वारा पात्र बोलियों पर उक्त 5 प्रतिशत में विचार किया जाएगा तथा साथ ही क्यू आई बी श्रेणी के लिए आवंटन के निमित्त उपलब्ध शेष प्रतिशतता में भी विचार किया जाएगा;

(ग) क्यू आई बी से 10 प्रतिशत का मार्जिन संग्रहण किया जाना है; और

(घ) क्यू आई बी का आवंटन वर्तमान में खुदरा व्यष्टि निवेशकों और गैर संस्थागत निवेशकों के लिए किए जा रहे आवंटन की भांति समानुपातिक आधार पर किया जाना है।

*(vi) **वार्ताकृत सौदा प्रणाली-इलैक्ट्रानिक आदेश मिलान (एन.डी.एस - ओ.एम) को शुरु किया गया***

1 अगस्त 2005 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्ताकृत कारोबार प्रणाली में सरकारी प्रतिभूतियों में कारोबार हेतु इलैक्ट्रानिक आदेश मिलान प्रणाली शुरु की। इलैक्ट्रानिक आदेश मिलान प्रणाली (एन.डी.एस - ओ.एम)दूरभाष आधारित कारोबार प्रणाली के साथ-साथ एक्सचेंज-आधारित कारोबार प्रक्रम के साथ सह अस्तित्व में रहेगी। नए कारोबारी माडयूल का प्रयोग स्वैच्छिक है। यह प्रणाली परिशुद्ध रूप से आदेश चलित होगी, जिसमें सभी आदेशों का मिलान कठोर मूल्य/समय प्राथमिकता आधार पर विचार किया जाएगा। बेनामी आदेश मिलान प्रणाली में पहले अथवा कारोबार करते समय पक्षकारों की पहचान का खुलासा भी नहीं किया जाएगा। भारतीय समाशोधन निगम इस प्रणाली पर किए गए प्रत्येक कारोबार के लिए केन्द्रीय प्रतिपक्ष करार होगा। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग प्रणाली के तहत, किए गए कारोबार सीधे सी सी आई एल को निपटान के लिए तैयार अवस्था में जाएंगे। प्रथम चरण के दौरान एन डी एस-ओ एम वर्तमान एन डी एस सदस्यता धारी तथा भा. रि. बैंक द्वारा विनियमित सभी बैंकों प्राथमिक डीलरों तथा वित्तीय संस्थाओं की कारोबारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। अन्य एन डी एस सदस्यों को यह सुविधा अगले चरण में दी जाएगी। एन डी एस मित्र सदस्यों को एन डी एस ओ एम की सुविधा देने के विकल्प को त्रिचरण अभिगम में क्रियान्वित किया जाएगा जैसाकि सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(vii) जी.डी.आर/एफ.सी.सी.बी की नीति में संशोधन

31 अगस्त, 2005 को वित्त मंत्रालय ने ए.डी.आर/जी.डी.आर दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए एक प्रेस नोट जारी किया ताकि इन्हें विशेषकर निर्गमकर्त्ता की पात्रता, के संदर्भ में सेबी दिशानिर्देशों के समनुरूप लाया जा सके ताकि दोनों बाजारों के बीच विनियामक अंतरपणन समाप्त किया जा सकें और निगमित अभिशासन को सुदृढ़ किया जा सके। यह अनिवार्य किया गया कि ऐसी कंपनियों को भारत में पूर्व अथवा साथ-साथ सूचीयन की आवश्यकता होगी। कंपनियों को, जिन्होनें पहले ही ए.डी.आर/जी.डी.आर और एफसीसीबी जारी कर दिए है, यदि वे लाभार्जक हैं, वर्ष 2005-06 में भारत में अवश्य सूचीयन करना होगा। यह उल्लेख भी किया गया कि घरेलू पूंजी तक अभिगम करने से विवर्जित सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशों से निधियां जुटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विदेशी निर्गमों के कीमत निर्धारण को भी सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड़ों के अनुरूप संरेखित किया जाना था। सितंबर तथा नवम्बर 2005 में और संशोधन किए गए।

31 अगस्त, 2005 में हुए संशोधन के कारण उन भारतीय कंपनियों जिन्होंने 31 अगस्त, 2005 के पहले प्रमाणनीय" प्रभावी कदम उठाए थे और समुद्रपारीय निर्गमों की लागतों को वहन किया था, को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिए सरकार ने 14 सितम्बर, 2005 को आगे और अधिक संशोधन किए। तदनंतर, आगे यह निर्णय लिया गया कि बाजार में पेशकश करने वाली अथवा तत्काल अनुवर्ती पेशकश करने वाली कम्पनियों और ए डी आर/जी डी आर निर्गमों के माध्यम से साथ साथ (घरेलू निर्गम के 30 दिनों के भीतर) जहां ए डी आर/जी डी आर का मूल्य निर्धारण घरेलू कीमत के बराबर अथवा अधिक है, संशोधित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी। ए डी आर/जी डी आर बाजार में इस प्रकार साथ साथ अथवा तत्काल अनुवर्ती पेशकश करने वाली कम्पनियों को ऐसे निर्गम के लिए सेबी का अनुमोदन प्राप्त करना होगा जो घरेलु तथा ए डी आर/जी डी आर बाजारों में पेशकश की जाने वाली प्रतिशतता विनिर्दिष्ट करेगा।

यह भी स्पष्ट किया गया कि असूचीकृत कंपनियां जो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सार्वभौम निक्षेपागार प्राप्तियां/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड जारी कर चुकी हैं, और जिन्हें घेरलू बाजार में सूचीबद्ध होना है, के लिए 31 मार्च, 2006 तक ऐसा करना अपेक्षित होगा।

(viii) म्यूचुअल फंडों द्वारा ए डी आर/जी डी आर विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश

पूर्ववर्ती परिपत्रों के क्रम में सेबी ने एडीआर/जीडीआर तथा अन्य विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंडों द्वारा किए जाने वाले निवेश के संबंध में संशोधन किए हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि म्यूचुअल फंड स्कीमों में, जहां प्रस्ताव दस्तावेजों में एडीआर/जीडीआर/विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी प्रकटन नहीं किया गया है, तब ऐसे मामलों में, एडीआर/जीडीआर/ विदेशी प्रतिभूतियों में पहली बार निवेश करने से पूर्व, एएमसी यह सुनिश्चित करेगी कि इसका विज्ञापन राष्ट्रव्यापी परिचालन वाले एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में तथा साथ ही उस क्षेत्र जहां म्यूचुअल फंड का मुख्यालय स्थित है, की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र में दिया जाए। यूनिट धारकों को दी जाने वाली सूचना में ऐसे निवेश से संबंधित जोखिम के घटकों का भी प्रकटन किया जाएगा। तथापि, यह प्रावधान उन मौजूदा म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए लागू नहीं होगा जहां ए डी आर/जी डी आर विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी संगत प्रकटन पहले ही किया जा चुका है।

(ix) म्यूचुअल फंडों के एक्सचेंज कारोबारित व्युत्पाद संविदाओं में भाग लेने की अनुमति

द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुपालन में सेबी ने म्यूचुअल फंडों को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ आई आई) के समकक्ष व्युत्पाद बाजारों में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। तदनुसार,म्यूचुअल फंडों को सूचकांक फ्यूचर्स, सूचकांक विकल्पों, स्टॉक विकल्पों तथा स्टॉक फ्यूचर्स संविदाओं में स्थिति निर्धारण सीमाओं के संबंध में पंजीकृत एफ आई आई की तरह कारोबारी सदस्य माना जाएगा। म्यूचुअल फंडों की स्कीमों को एफ आई आई के उप खातों की तरह ग्राहकों का दर्जा दिया जाएगा। यह संशोधित नीति सभी नई स्कीमों पर लागू होगी जिन्हें अभी शुरू किया जाना है अथवा जिनके लिए बोली दस्तावेज अनुमोदनार्थ सेबी को भेजे गए हैं। व्युत्पादों और जोखिम घटकों में म्यूचुअल फंडों की स्कीमों के भागीदारी की सीमा और तरीके से संबंधित उपयुक्त प्रकटन पेशकश दस्तावेज में किए जाने हैं। किसी विशिष्ट अंतर्हित सूचकांक में सभी सूचकांक विकल्प संविदाओं में तथा सभी सूचकांक फ्यूचर्स संविदाओं में म्यूचुअल फंड की स्थिति सीमा प्रति स्टॉक एक्सचेंज 250 करोड़ रूपए अथवा सूचकांक विकल्पों में बाजार के कुल मुक्त ब्याज का 15% जो भी अधिक हो, के किसी विशिष्ट अंतर्हित सूचकांक में सभी विकल्प संविदाओं में मुक्त स्थितियों पर यह सीमा लागू होगी। सूचकांक व्युत्पादों में लघु स्थिति क्रय से अधिक बिक्री (शार्ट फ्यूचर्स, शॉर्ट कॉल एंड लांग पुट) म्यूचुअल फंड की स्टॉक धारिता से अनधिक होगी सांकेतिक मूल्य में) बिक्री से अधिक खरीद सूचकांक व्युत्पादों में लांग पोजीशन (लांग फ्यूचर्स, लांग काल्स और शार्ट पुट म्यूचुअल फंड (सांकेतिक मूल्य में) नकद, सरकारी प्रतिभूतियों, टी बिल तथा इसी प्रकार की धारिता से अनधिक होगी।

प्रत्येक म्यूचुअल फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के लिए समाशोधन सदस्य/ सदस्यों के नाम अधिसूचित किया जाना अपेक्षित है जिनके जरिए वह स्टॉक एक्सचेंज के लिए अपनी व्युत्पाद संविदा समाशोधित करेगा। तब स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड की प्रत्येक स्कीम को एक अद्वितीय ग्राहक कोड समनुदेशित करेगा। स्टॉक एक्सचेंज से एफ आई आई और उनक उप-खातों के लिए निर्धारितानुसार तरीके से ही स्कीमवार स्थिति सीमाओं का अनुवीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

(x) हस्त सुपुर्दगी सौदे/सुपुर्दगी बनाम भुगतान (डी वी पी) को समाप्त करना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने तथा प्रतिभूति बाजार के विकास और इसका विनियमन करने के उद्देश्य से सेबी ने एक परिपत्र जारी किया है। सेबी ने अवलोकन किया था कि कुछ संस्थागत निवेशक अपने कुछ लेन-देनों के निपटान के लिए अभी तक हस्त सुपुर्दगी सौदे/सुपुर्दगी बनाम भुगतान पर निर्भर रहते थे। यह हस्त सुपुर्दगी सौदों (डी वी पी) अनिवार्य रूप से द्विपक्षीय निपटान प्रक्रम हैं। स्टॉक एक्सचेंजों, अभिरक्षकों और अन्य बाजार भागीदारों के परामर्श से सेबी ने निर्णय लिया कि अब से स्टॉक एक्सचेंज पर निष्पादित सभी गृह स्टॉक एक्सचेंजों के लेनदेन समाशोधन निगम के जरिए निपटाए जाएंगे। यह 19 सितम्बर, 2005 से लागू हुआ।

(xi) अभौतिकीकरण प्रभारों की समीक्षा

निवेशक समुदाय से प्राप्त अभ्यावेदनों के अनुसरण में और डिमैट रूप में प्रतिभूतियां धारित करने के लिए अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए सेबी ने प्रतिभूतियों के क्रेडिट के लिए खाता खोलने संबंधी प्रभारों, अभिरक्षा प्रभारों और लेन-देन प्रभारों से संबंधित प्रशुल्क संरचना का यौक्तिकीकरण किया। प्रयोज्य सांविधिक प्रभारों को छोड़कर डिमैट वातावरण में प्रविष्टि को निःशुल्क बना दिया।

सेबी ने अवलोकन किया कि निक्षेपागार भागीदार (डी पी) एक डी पी से दूसरे डी पी मे प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए अंतरण प्रभार लगा रहे थे यद्यपि निक्षेपागार अथवा निक्षेपागार भागीदारों द्वारा खाता बन्द करने के कोई प्रभार नहीं लगाए गए थे। इसका अर्थ यह है कि कोई भी निवेशक, जो डी पी की सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, वह केवल एक लागत पर ही अपना बी ओ खाता किसी अन्य डी पी में अंतरित कर सकता है।

सेबी ने निर्णय लिया कि 9 जनवरी, 2006 से निक्षेपागार द्वारा डी पी पर कोई प्रभार नहीं लगाए जाएंगे तथा परिणामतः डी पी द्वारा लाभानुभोगी स्वामी (बीओ) पर कोई प्रभार नहीं लगाए जाएंगे। जब बी ओ खाते की अपनी सभी प्रतिभूतियों को उसी डी पी की किसी अन्य शाखा में अथवा उसी निक्षेपागार किसी अन्य डी पी अथवा किसी अन्य निक्षेपागार में अंतरण करता है बशर्ते कि उस डी पी में जहां बी ओ का खाते/के खाते अंतरित किए जाने हैं और अंतरणकर्ता डी पी के खाते एक ही तथा एक समान हों अर्थात सभी प्रकार से एक समान हो। यदि अंतरणकर्ता डी पी में बी ओ का खाता संयुक्त खाता है तो अंतरण किए जा रहे डी पी में भी बी ओ खाता स्वामित्व के उसी क्रम में संयुक्त खाता होना चाहिए।

सेबी ने निक्षेपागारों/डी पी को खाता बंद करने संबंधी लेन देन और सामान्य डेबिट लेन-देन के लिए बीच में अंतर दर्शाने के लिए 8 जनवरी, 2006 को या इससे पहले आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाएं तैयार करने की सलाह दी है जिससे कि वर्तमान माहौल में किसी समस्या से बचा जा सके और उपर्युक्त निर्णय का सरलता पूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(xii) ***मेपिन आंकड़ाधार***

बाजार भागीदारों तथा निवेशक आंकड़ाधार (मेपिन) से जुड़े मुद्दों की पुनः जांच करने के लिए गठित सेबी समिति ने केवल उन सभी बाजार भागीदारों, जिन्हे अभी अद्वितीय पहचान संख्याए प्राप्त करनी हैं, के लिए प्रकटनों का प्रयोग करते हुए जैव मीट्रिक भिन्न आधार पर प्रत्येक भागीदार को एक अद्वितीय आईडी समनुदेशित करने के लिए एक नए साफ्टवेयर का सुझाव दिया है। समिति ने महसूस किया कि पूर्ववर्ती विधि मंहगी थी तथा उस तक पहुँच का अभाव था। सेबी ने समिति की सिफारिशों तथा सेबी को दिए गए कुछ अन्य सुझावों की जांच करने तथा ऐसा समाधान निकालने की कार्रवाई शुरु कर दी है जो अद्वितीय निवेशक पहचान सुनिश्चित करे तथा साथ ही लघु निवेशकों को भी न्यूनतम कठिनाई हो।

सेबी बोर्ड ने 30 दिसम्बर 2005 में आयोजित अपनी बैठक में मेपिन से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए सेबी द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् सेबी बाजार भागीदारों का केन्द्रीय आंकड़ाधार) विनियम, 2003 (मेपिन) के अंतर्गत अद्वितीय पहचान संख्या (यूआईएन) प्राप्त करने के लिए नए पंजीकरण बहाल करने का निर्णय लिया।

पंजीकरण प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जाएगा। आरम्भ में, देश-जात व्यक्तियों के लिए जैव मीट्रिक छाप के साथ यूआईएन प्राप्त करने के लिए निर्धारित सीमा 1.00 लाख रुपए के कारोबार आदेश मूल्य की वर्तमान सीमा से बढ़ाकर 5.00 लाख रुपए या अधिक कर दी गई है। इस सीमा को प्रगामी रूप से घटाया जाएगा किफायती तरीके से ऐसी सुविधांए उपलब्ध कराने में सक्षम अभिकरणों को आंकड़ाधारों का अनुरक्षण करने का उत्तरदायित्व समनुदेशित किया जाएगा। 5.00 लाख रुपए से कम मूल्य के कारोबार आदेश के लिए निवेशकों के पास यह विकल्प होगा कि वे या तो आयकर विभाग का स्थायी खाता संख्या प्राप्त करले अथवा मेपिन के अंतर्गत यूआईएन प्राप्त करें। म्यूचुअल फंडो में निवेशको को यू.आई.एन. प्राप्त करने की अपेक्षा में छूट प्राप्त होगी। प्रवर्तक, जो कि निगमित निकाय है की परिभाषा भारतीय निकाय की तत्काल धारित कम्पनी तथा इसकी सहायक किसी भी सहायक कम्पनी, यदि वह भारत के अवस्थित हो, तक सीमित होगी। सूचीबद्ध कम्पनी या ऐसी कम्पनी, जिसका इरादा अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का है, द्वारा अपने प्रवर्तकों, निदेशकों, अधिकारियों, तथा नामोदिष्ट कर्मचारियों के साथ यूआईएन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। ये परिवर्तन मेपिन विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाने के पश्चात् क्रियान्वित किए जाएंगे।

5.4.2 पेंशन सुधार अनुभाग

बजट 2004-05 में यह घोषणा की गई थी कि 1.1.2004 को अथवा उसके बाद भर्ती किए गए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना हेतु एक विनियामक ढांचा मुहैया कराने के लिए संसद में एक उपयुक्त विधान पेश किया जाएगा। घोषणा के अनुरूप 29 दिसम्बर, 2004 को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2004 प्रख्यापित किया गया। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करते हुए विधेयक 21 मार्च, 2005 को संसद में पेश किया गया। विधेयक वित्त संबंध स्थाई समिति को भेजा गया। समिति ने 26 जुलाई, 2005 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशें संक्षेप में नीचे दी गई हैं:-

(i) टियर -I खाते से आहरण की अनुमति देना।

(ii) विधेयक में विशेष रूप से इस बात को स्पष्ट करना कि पेंशन निधियों में से एक पेंशन निधि सरकारी क्षेत्र से होगी।

(iii) ऐसे पेंशन निधि प्रबंधकों के चयन को तरजीह देना, जो प्रतिफल की गारण्टी देते हों और पूंजी सरंचना के लिए पूर्व अपेक्षाओं तथा पेंशन निधियों के चयन हेतु अनुभव के मानदण्ड और विधेयक के अन्य मध्यवर्तियों को निर्दिष्ट करना।

(iv) अभिदाताओं को सरकारी प्रतिभूतियों में 100 प्रतिशत निवेश का विकल्प उपलब्ध कराना और इसका उल्लेख विधेयक में करना।

(v) पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने से संबंधित कोई भी निर्णय विधान में उचित संशोधन करके ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए, और आगे यह कि इस तरह के निर्णय तथा पेंशन निधियों का देश के बाहर नियोजन करने से संबंधित निर्णय बीमा क्षेत्र पर लागू सम्बद्ध प्रावधानों से भिन्न नहीं होने चाहिए।

(vi) आईआरडीए की बीमा सलाहकार समिति के समान एक पेंशन सलाहकार समिति स्थापित की जाए।

(vii) प्राधिकरण के गठन को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए विधेयक की खण्ड 4 की पुनः अभिव्यक्ति करना; प्राधिकरण के सदस्यों का चुनाव अर्थशास्त्र अथवा वित्त अथवा विधि में अनुभव रखने वाले व्यवसायिकों में से किया जाए, अंशकालिक सदस्यों में एक सदस्य केन्द्र सरकार द्वारा नामजद हो।

(viii) टियर-I और टियर-II खातों के बीच अन्तर को विधेयक के खण्ड 20 में नई पेशन प्रणाली की बुनियादी अथवा अनिवार्य विशेषताओं के एक भाग के रूप में शामिल किया जाए; और

(ix) असंगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक विधान लागू किया जाए, जिसमें पी एफ आर डी ए की एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना करने के साथ साथ कार्य दल की पेंशन कवरेज भी शामिल होगी।

समिति की सिफारिशों की जांच कर ली गई है और समिति की सिफारिशों के आधार पर पी एफ आर डी ए विधेयक, 2005 में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विधेयक में प्रस्तावित है कि पी एफ आर डी ए का मुख्य अधिदेश केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित एन पी एस को विनियमित करना है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 और अन्य विधानों के तहत पहले से लागू पेंशन योजनाओं को पी एफ आर डी ए के विनियामक अधिकार क्षेत्र से विशेष रूप से बाहर रखा जाएगा। तथापि, अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत ऐसे अधिदेशी कार्यक्रम में शामिल व्यक्ति स्वेच्छा से एन पी एस में अतिरिक्त रूप से सहभागिता का विकल्प दे सकते हैं।

जैसाकि विधेयक में प्रस्तावित है, पी एफ आर डी ए, सैंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी (सी आर ए) और पेंशन निधियों सहित एन पी एस की संस्थागत संरचना स्थापित करेगा। इसके अलावा, विधेयक में यह प्रावधान है कि पी एफ आर डी ए पेंशन निधियों के लिए निवेश संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करेगा। इसमें कुछ प्रावधान हैं जो पी एफ आर डी ए को, कानून का उल्लघंन करने पर कठोर दण्ड लगाने और सृजित करने जिसका उपयोग पेंशन निधि योजनाओं के अभिदाताओं को शिक्षित बनाने और उनके हितों की सुरक्षा करने के लिए किया जाएगा, की शक्तियां प्रदान करते हैं।

क्रेडिट रेटिंग

19 मई, 2005 को फिच्स एक सुस्थिर दृष्टिकोण के साथ भारत की बीबी+ की अपनी विदेशी मुद्रा रेटिंग की पुष्टि की है। अगस्त 2005 में जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने एक सुस्थिर दृष्टिकोण के साथ बी बी बी की अपनी रेटिंग की पुष्टि की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, स्टैण्डर्ड एण्ड पूअर्स के एक रेटिंग दल ने 25 अगस्त, 2005 को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की। तत्पश्चात, दिसम्बर, 2005 में उन्होंने घरेलू और विदेशी मुद्रा दोनों पर एक एक सुस्थिर दृष्टिकोण से बीबी की अपनी रेटिंग की पुनः पुष्टि की।

एस एण्ड पी के अनुसार, मुख्य जोखिम भारत की कमजोर राजकोषीय स्थिति विशेष रूप से इसके भारी घाटे और राजकोषीय स्थिति में तेजी से उतार-चढ़ाव होने के कारण होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह माना कि वैट और सेवा कर लागू करने सहित कर उपायों और कठोर प्रशासन की वजह से सरकारी राजस्वों में और वृद्धि हुई है। उनके अनुसार, भारत की आर्थिक संभावनाए स्थिर हैं और मध्यावधि में जी डी पी में 7 प्रतिशत पर वृद्धि की संभावना, क्रमिक रूप से विनियंत्रण से लाभान्वित सक्रिय सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, व्यापार के उदारीकरण और आधारभूत ढांचे के तरीकों में सुधार के चलते सुदृढ़ हैं। एस एंड पी का यह विचार है कि अच्छी आर्थिक संवृद्धि और बढ़ती हुई बचत दरों से भारत के कमजोर सरकारी वित्त साधनों पर दबाव में कमी हुई है। आशा है कि भारत की लोचदार बाह्य स्थिति बनी रहेगी।

एस एण्ड पी के अनुसार रेटिंग संबंधी एक स्थिर दृष्टिकोण दर्शाता है कि घटकों की गति जैसे कि राजकोषीय स्थिति में संशोधन विदेशी क्षेत्र में सुधार और भारत की संभावित वृद्धि दर वृद्धि, क्रमिक रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सामान्य सरकारी घाटे में और कमी की जाए अथवा आर्थिक संवृद्धि की

प्रवृत्तियों में पर्याप्त रूप से तेजी लाई जाए तो भारत की रेटिंग को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि ऋण भार निरन्तर तेजी से बढ़ता चला जाता है तो वृहत आर्थिक अस्थिरता अथवा बाह्य स्थिति कमजोर होने का खतरा बढ़ जाएगा जिससे रेटिंग नीचे आ सकती है।

वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण के माध्यम से घोषित महत्वपूर्ण एन सी एम पी कार्यक्रमों तथा अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को क्रियान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई।

लघु निवेशकों के संरक्षण संबंधी विशेषज्ञ दल तथा उनकी बचतों के सुरक्षित निवेश के नए मार्ग।

लघु निवेशकों का और संरक्षण करने के उपाय सुझाने तथा उनके लिए नई बचत लिखतें शुरु करने, जिन्हें राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सरकारी प्रतिबद्धताओं के रुप में प्रतिष्ठापित किया गया था, के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया था। दल में, जिसके अध्यक्ष सेबी के तत्कालीन अध्यक्ष थे, आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि भी थे जिनमें स. स. (सी एम) एवं निदेशक (बजट) शामिल हैं। दल ने अपनी रिपोर्ट 29 जनवरी, 2005 को प्रस्तुत कर दी है जिसमें विभिन्न उपाय सुझाए गए हैं यथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एकल लोकपाल, निवेशकों को व्यावसायिक निवेश सलाह देने के लिए वित्तीय सलाहकारों पंजीकरण एवं विनियमन तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मंहगाई सूचकांक बचत योजना दल की अनुशंसाएं परीक्षणाधीन है।

दल की मुख्य अनुशंसाए निम्नामुसार हैः-

एफआईआई निवेश के उदारीकरण संबंधी समिति

राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह निर्धारित किया गया है कि एफआईआई को प्रोत्साहन दिया जाना जारी रहेगा जबकि आनुमानिक पूंजी के प्रवाह के प्रति वित्तीय प्रणाली की संवेदनशीलता को कम किया जाएगा। एनसीएमपी के क्रियान्वयन की समीक्षा करते समय सरकार ने निर्णय लिया कि इन मुद्दो की जांच करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया जाए तथा वह समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करे। तदनुसार, डा. अशोक लाहिड़ी, मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 22 नवम्बर, 2005 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट 22 नवम्बर 2005 को प्रस्तुत की गई तथा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए उसे वित्त मंत्रालय की वेबसाईट पर डाल दिया गया।

दल की मुख्य अनुशंसाए निम्नामुसार हैः-

I. एफ आई आई प्रवाहों को प्रोत्साहित करनाः

एफ आई आई प्रवाहों को प्रोत्साहन देने के सदंर्भ में एफ डी आई क्षेत्रक सीमाओं तथा एफ आई आई क्षेत्रक सीमाओं का संव्यवहार कठिनाई का एक पहलू है। विदेशी संस्थागत निवेश के उदारीकरण संबंधी समिति ने इन दोनो को पृथक करने की ओर लक्षित सुधारों का प्रस्ताव किया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के सामरिक निवेशों द्वारा एफ आई आई मार्ग के किसी संभावी दुरुपयोग का पी एन एवं उप-खातों के समुचित विनियमन के माध्यम में एफ आई आई के व्यापकाधारि, स्वरूप को कड़ाई से प्रवर्तित कर निवारण किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, एफआईआई निवेश की उच्चतम सीमा, यदि कोई हो, का परिकलन निर्धारित एफडीआई क्षेत्रक सीमाओं के अतिरिक्त किया जाएगा, वर्ष 1992 में एफआईआई निवेश पर 24 प्रतिशत लगाई थी जब एफआईआई अंतर्वाहों को दी जाने वाली अनुमति में एफडीआई सीमा शामिल नहीं थी, सुझाया गया उपाय इस मूल निर्धारण के समनुरूप हो गया, एक अंतवर्ती व्यवस्था के रूप में, संयुक्त उच्चतम सीमा की वर्तमान नीति, जहां भी वह विद्यमान है, एफडीआई एवं एफआईआई निवेश सीमाओं, दोनों के लिए जारी रहेंगे। तथापि संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से यह प्रयास किया जाना चाहिए कि यह संयुक्त उच्चतम सीमा पर्याप्त उच्च स्तरीय हो।

पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणता वाली इक्विटियों की अनुपलब्धता एफआईआई प्रवाहों को बाधित करती प्रतीत होती है। एफआईआई प्रवाहों को भारतीय बाजार में प्रतिभूतियों के अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निर्गम द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें में पी एम यू विनिवेश द्वारा सहायता मिलेगी, इसमें अवसंरचना क्षेत्र एवं दूरसंचार क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं का निष्पादन करने वाली कम्पनियों को भी घरेलू पूंजी बाजारों में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

II. एफ आई आई प्रवाहों की संवेदनशीलता

घरेलू संस्थागत निवेशकों का सुदृढ़ीकरण

इक्विटी बाजार में घरेलू पेंशन निधियों की सहभागिता बाजार संबंधी विचारों की विविधता को बढ़ाएगी। यह विद्यमान स्थिति की विसंगति को भी समाप्त कर देगी जहां विदेशी पेंशन निधियां भारतीय इक्विटी बाजार की व्यापक प्रयोक्ता हैं किन्तु घरेलू पेंशन निधियां नहीं है।

भागीदारी टिप्पणियां

पी एन के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी। सेबी के पास किसी जांच या निगरानी क्रिया के मामलें में अंतिम धारक/लाभानुभोगी या किसी भी समय किसी भी धारक के संबंध में सूचना प्राप्त करने की पूर्ण शक्तियां होनी चाहिए। एफ आई आई सेबी को सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगे।

सुरक्षा निधियां

यूरोप सहित संयुक्त राज्य अमरीका में तथा अन्यत्र सुरक्षा निधियों के संबंध में विनियामक घटनाक्रमों की सन्निकट निगरानी की जानी चाहिए ताकि बाद में किसी तिथि पर इन देशों के अनुभवों के आधार पर नीति का निर्माण किया जा सके। केवल उन निधियों को, जो अन्यथा सेबी (एफआईआई) विनियमों के अंतर्गत एफआईआई/उपखातों के रूप में पंजीकृत है, जारी रहने की अनुमति दी जाएगी।

एफआईआई तथा उप खातों पर उच्चतम सीमा

किसी भी एक एफआईआई द्वारा किसी भी एक फर्म में 10 प्रतिशत धारिता की विद्यमान सीमा को विस्तारित किया जाएगा ताकि किसी एक एफआईआई की धारिता तथा उस एफआईआई के अंतर्गत आने वाले ऐसे सभी उपखातों, जिनमें लाभानुभोगी स्वामित्व एफआईआई के समान है, की राशि शामिल हो सके। यह सिद्ध करने का दायित्व एफआईआई का होगा कि उपखाते का साझा स्वामित्व नहीं है। इस अपेक्षा को पंचवर्षीय अवधि में चरणबद्ध रूप में समाप्त कर दिया जाएगा जिसके लिए सीमा दिसम्बर 2005 तक 20 प्रतिशत 2006 तक 18 प्रतिशत, 2007 तक 16 प्रतिशत, 2008 तक 14 प्रतिशत, 2009 तक 12 प्रतिशत, तथा 2010 तक 10 प्रतिशत होगी।

पात्र निकायों को व्यापकाधारित बनाना

देश में निवेश करने के लिए व्यापकाधारित नीतियों का प्रोत्साहन बाजार विनियमन की नीति होने के कारण उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति विविधीकृत निवेशकों की श्रेणी से बाहर है। कुछ निकायों को, जिनके पास प्रतिष्ठित होने का जोखिम नहीं है अथवा जो विनियमित नहीं है, अनुमति देने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बाजार अखंडता की समस्याओं का निवारण करने के लिए ऐसे निकायों को पंजीकृत होने से प्रतिषिद्ध करना लाभकर है। ऐसे विद्यमान निकायों को अपना काम परिसमाप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा।

बाजार को स्थायित्व प्रदान करने के लिए प्रचालनात्मक नम्यता

भारत में विदेशी निवेश का स्थायित्व बढ़ जाएगा यदि एफ आई आई भावी इक्विटी प्रतिफलों के बारे में अपनी राय के आधार पर भारत में इक्विटी एवं ऋण निवेशों के बीच अंतरण कर सके। बांड बाजार में भाग लेने की एफ आई आई की अपेक्षाकृत अधिक नम्यता अधिक संतुलित कार्य नीतियों तथा इक्विटी एवं ऋण के मिश्रण को अभिप्रेरित करेगी। ऋण में ऐसा एफ आई आई निवेश वस्तुतः भारतीय विदेशी ऋण का भाग होगा किन्तु इसमें एक महत्वपूर्ण अंतर होगा नामतः यह कि ऐसा ऋण घरेलू मुद्रा में होगा, इस महत्वपूर्ण अंतर को ध्यान में रखते हुए, ऋण प्रवाहों पर प्रमात्रात्मक प्रतिबंध को प्रगामी रूप से संशोधित कर वार्षिक प्रवाह पर उच्चतम सीमा में परिवर्तित कर दिया जाएगा जबकि वर्तमान सीमा सकल पोर्टफोलियो मूल्य पर निर्धारित है।

कराश्रय स्थलों की नकारात्मक सूची

वित्तीय कार्य कृतिक बल की सिफारिशों के समनुरूप यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मान्यताप्राप्त बैंकिंग चैनलों के माध्यम से केवल निर्बंध धन को प्रतिभूति बाजार में अनुमत किया जाए। कराश्रय स्थलों की एक नकारात्मक सूची होनी चाहिए जिसके द्वारा इन क्षेत्राधिकारों में पंजीकृत कम्पनियों को एफ आई आई दर्जा प्राप्त करने से रोका जा सके।

ज्ञान गतिविधियां

आर्थिक कार्य विभाग "पूंजी प्रवाह तथा भारत का वित्तीय क्षेत्रः सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव एवं भारतीय साक्ष्य से सीख" संबंधी एक अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करेगा।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन संशोधन विधेयक, 2005)

प्रतिभूति संविदा (विनियमनन संशोधन विधेयक, 2005 को वर्ष 2005-06 के बजट में रेहन समर्थित ऋण सहित प्रतिभूत ऋण के कारोबार हेतु एक विधायी ढांचे की व्यवस्था के संबंध में की गई घोषणा के अनुसरण में 16.12.2005 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। यह बिल वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।

भारत में प्रतिभूतिकरण बाजार अभी अल्पविकसित है। यद्यपि दो प्रमुख विधायी पहले, नामतः राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में वर्ष 2000 में संशोधन, तथा एस ए आर एफ ए ई एस आई अधिनियम, 2002 का अधिनियमन किया, बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की सुविधा के अभाव में तेजी नहीं आई है। संभावी क्रेता परिपक्वता तक प्रतिभूति लेन देनों के संबंध में प्रमाण पत्र या लिखत को धारित रखने की संभावना से हतोत्साहित हो जाते हैं। इससे आवास वित्त कम्पनियों तथा बैंकों के व्यवसाय की अभिवृद्धि प्रतिबंधित हो जाती है। एन एच बी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण लेन देन एस सी आर अधिनियम में "प्रतिभूतियों" की परिभाषा में नहीं आते। इस प्रकार ऐसे लेनदेनों के संबंध में प्रमाणपत्रों या लिखतों का कारोबार स्टॉक एक्सचेंजों में नहीं किया जा सकता तथा ऐसे प्रतिभूत वित्तीय प्रमाणपत्रों या लिखतों के पास बहुत कम निकासी विकल्प बचते हैं। एस ए आर एफ ए ई एस आई अधिनियम के अंतर्गत जहां "प्रतिभूति प्राप्तियों" को प्रतिभूतियों की परिभाषा में शामिल किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रावधान केवल अर्हक संस्थागत क्रेताओं में क्रय और विक्रय को प्रति बंधित करते है। इसके अतिरिक्त एस ए आर एफ ए ई एस आई अधिनियम के अंतर्गत "प्रतिभूति प्राप्तियां" केवल भा. रि. बै. के पास पंजीकृत प्रतिभूतिकरण कम्पनी या पुनर्संरचना कम्पनी द्वारा ही जारी की जा सकती है। इससे प्रत्यक्षतः ऐसी प्राप्तियों में रूचि समाप्त हो जाती है तथा बाजार में बिल्कुल भी तेजी नहीं आई है।

प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के तहत प्रमाणपत्रों अथवा लिखतों के लिए प्रतिभूति बाजार की क्षमता को देखते हुए मुख्य संस्थागत भागीदारों और बाजार विशेषज्ञों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवणता और परामर्श किया गया, अन्य बातों के साथ साथ एस सी आर अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया गया

(i) "प्रतिभूतियों" की परिभाषा में प्रतिभूतिकरण प्रमाणपत्रों अथवा लिखतो को शामिल करना और उक्त उद्देश्य के लिए नया उप-खण्ड (अर्थात) एस सी आर अधिनियम 1956 की धारा 2 का उप खण्ड (ज) को शामिल करने की व्यवस्था करना।

(ii) प्रस्तावित प्रमाणपत्र अथवा लिखत जारी करने और इसकी प्रक्रिया के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना और इसके लिए उक्त उद्देश्य से एस सी आर अधिनियम 1956 में नई धारा 17क शामिल करने की व्यवस्था करना।

(iii) ऐसा तरीका जिसमें कि इस प्रकार के प्रमाणीकरण अथवा लिखत के अन्तर्विषय "प्रतिभूति" हो और लाभदायक हितों की प्राप्ति का खुलासा करने की व्यवस्था करना।

मुम्बई, अंतर्राष्ट्रीय वित्त केन्द्र के रूप में

अपने बजट भाषण के पैरा 90 में वित्त मंत्री ने मुम्बई को कैसे क्षेत्रीय वित्तीय केन्द्र बनाया जाए इस पर सरकार को परामर्श देने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के संबंध में घोषणा की है। इस समिति का गठन नवम्बर, 2005 में श्री परसी एस मिस्त्री, अध्यक्ष, आक्सफोर्ड अंतराष्ट्रीय समूह, की अध्यक्षता में किया गया है।

वर्ष 2005-06 की अन्य बजट घोषणाएं

विभिन्न कर और कर भिन्न प्रस्तावों की प्रक्रियान्वित किया गया और वर्ष 2005-06 के बजट में प्रस्ताव किए गए। इनका सार क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति के साथ नीचे दिया गया है।

(i) अपृथक्कीकृत स्टॉक एक्सचेंजों को निगमीकृत और पृथक्कीकृत स्टॉक एक्सचेंजों में परिवर्तित हो जाने वाली परिसम्पत्तियों के अप्रायोगिक अंतरण पर एक बारगी स्टाम्प शुल्क में छूट-दे दिया गया है।

(ii) कारपोरेट बांड बाजार के विकास में कानूनी, विनियामक, कर और बाजार डिजाइन मुद्दों की जांच करने के लिए कारपोरेट बांड और प्रतिभूतिकरण संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति 27.12.2005 को सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई और यह जांचाधीन है।

(iii) ओवर दि काऊन्टर व्युत्पादों को इस बाजार को और अधिक विकसित करने के लिए कानूनी वैधता देने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करना इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए आर बी आई (संशोधन) विधेयक, 2005 वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा गया है।

(iv) गृह व्यवस्था को बचत की नई लिखतें प्रदान करने के लिए स्वर्ण विनिमय कारोबारी निधि की शुरूआत 30.12.2005 को सेबी बोर्ड ने इसका अनुमोदन किया और उपयुक्त समय में इसका क्रियान्वयन होगा।

(v) विशिष्टीकृत स्टॉक एक्सचेंजों में व्युत्पादों में कारोबार को अव्यावहारिक लेन देन न समझना और व्युत्पाद बाजार का आगे और विकास करने के लिए आयकर अधिनियम, 1972 संशोधन/यह उसी समय से कर दिया गया है।

5.4.3 विदेशी वाणिज्यिक उधार

भारतीय रिजर्व बैंक ने उन योग्य गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को जो सूक्ष्म वित्त संबंधी कार्यकलापों में कार्यरत हैं और जिनका विदेशी मुद्रा का लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ कम से कम 3 वर्ष के लिए उधारों के मामले में अच्छा संबंध है, वित्तीय वर्ष के दौरान, स्वतः चालित मार्ग के तहत स्वीकृत अभीष्ट उपयोग हेतु 5 मिलियन अमरीकी डालर तक के विदेशी वाणिज्यिक उधार जुटाने में समर्थ बनाने के लिए एक विंडो शुरू की है। तत्पश्यात, गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों को बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं, प्रतिष्ठित क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं सरकारी निर्यात क्रेडिट एजेसिंयों और अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों से 5 वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि वाले विदेशी वाणिज्यिक उधार प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वे आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को पट्टे पर दिए जाने के लिए आधारभूत ढांचा उपकरणों के आयात की वित्त व्यवस्था कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित कतिपय मानदण्डों को तुष्ट करने वाली आवास वित्त कम्पनियों को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्ड जुटाने की भी अनुमति दी गई। अब यह निर्णय लिया गया है कि सपंदा क्षेत्र में विनिर्माण कार्यकलापों में लगी, वित्तीय शोधन क्षमता और अद्यतन लेखा परीक्षीत तुलन-पत्रों वाली बहुराज्यीय सहकारी समितियों को अनुमोदन मार्ग के तहत ई सी बी जुटाने की अनुमति देने के लिए नीति में संशोधन किया जाए।

5.4.4 यू.टी.आई. एवं जे पी सी अनुभाग

(i) 1 योजना को छोड़कर, सभी ए.आर.एस को पहले ही बंद किया जा चुका है। ये सभी ए.आर.एस निवेशकों को नकद अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (सूटी) अर्थात यू.टी.आई-I द्वारा जारी तथा भारत सरकार द्वारा गारंटी प्राप्त बांड़ों के निर्गमन के माध्यम से भुगतान करके किया गया हैं। वर्तमान में, केवल 1 ए.आर.एस सूटी की बहियों में विद्यमान है जो 30.6.2006 को परिपक्व हो जाएगी।

(ii) भारत सरकार तथा प्रायोजकों के बीच 15.1.03 को हस्ताक्षरित अंतरण करार के उपबंधों के अनुसार, एन ए बी आधारित स्कीमों के अंतरण के लिए बिक्री प्रतिफल 1236.95 करोड़ निर्णीत किया गया था। प्रायोजकों ने यह राशि सरकार को वर्ष के दौरान अदा की।

(iii) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों की संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में 19 दिसम्बर, 2002 को प्रस्तुत की गई थी। संयुक्त संसदीय समिति ने पैरा 3.31 में सिफारिश की थी कि सरकार छः माह के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट तथा तत्पश्चात् प्रत्येक छः माह में एक प्रगति रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करे जब तक कि सभी अनुशंसाओं पर कार्यान्वित कार्रवाई से संसद संतुष्ट न हो जाए। सरकार ने की गई कार्रवाई रिपोर्ट संसद में दिनांक 9.5.2003 को प्रस्तुत की थी। वर्ष के दौरान सरकार ने चौथी तथा पांचवी प्रगति रिपोर्टें संसद को जुलाई 2005 एवं दिसम्बर 2005 में प्रस्तुत की।

संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई कुल 276 सिफारिशों/अवलोकनो/ निष्कर्षों में से, 233 सिफारिशों पर कार्रवाई पहले ही पुरी हो चुकी है। इस प्रकार, लम्बित सिफारिशों की संख्या कम होकर 43 रह गई है।

5.4.5 आर टी आई प्रकोष्ठ

आर्थिक कार्य विभाग में एक प्रकोष्ठ का सृजन आर टी आई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है अर्थात विभाग को किए गए अनुरोधों संबंधी सूचना प्रस्तुत करना, निर्धारित शुल्क का संग्रहण तथा पी आई ओ विभाग एवं संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारियों के साथ आर टी आई के कार्य का समन्वयन।

21.2.06 तक आर्थिक कार्य विभाग में 40 अनुरोध प्राप्त हुए जिनमें से 36 अनुरोधों का निपटान कर दिया गया है। अधिनियम के अधीन प्रभारों के रूप में 2350 रूपए एकत्र हुए।

अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में, विभाग के ब्यौरे, इस के कार्य, कर्त्तव्य, शक्तियां, निर्णयन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विधियों के ब्यौरे नियम, विनियमन इत्यादि को विभाग की वेबसाईट में डाला गया था।

5.4.6 सतर्कता अनुभाग

वर्ष के दौरान दो ग्रेड "क" अधिकारियों, चार ग्रेड "ख" अधिकारियों, चार ग्रेड "ग" अधिकारियों और चार ग्रेड "घ" कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां शुरु की गई/जारी रखी गई थी।

एक ग्रेड "ख" अधिकारी पर सेवा से बरखास्तगी का दंड लगाया गया था। दूसरे मामले में, जिसमें एक ग्रेड "ख" अधिकारी संलिप्त थे, आरोपित अधिकारी की मृत्यु के कारण मामला बंद कर दिया गया था।

विभाग और इसके अधीनस्थ संगठनों में भ्रष्टाचार संभावित क्षेत्रों में सख्त निगरानी रखी गई थी। सुरक्षोपायों को और सुदृढ़ करने के लिए गृह मंत्रालय से प्राप्त सुरक्षा अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में भी लाया गया था।

सभी निलंबन मामलों की पुनरीक्षा और विभाग तथा दूसरे अधीनस्थ संगठनों में लंबित सर्तकता/अनुशासनिक मामले शीघ्र निपटाने के लिए विशेष प्रयास भी किए गए थे। सी वी सी से प्राप्त विशेष अनुदेश/मार्गनिर्देश कठोर अनुपाल, हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में भी लाए गए थे।

सतर्कता सत्पायन एकक ने भारत सरकार की टकसालों और प्रतिभूति मुद्रणालयों के कुल नौ संगठनों द्वारा धारित स्टाकों का भौतिक सत्यापन किया।

6. एशियाई विकास बैंक प्रभाग

6.1 मुद्रा और सिक्का प्रभाग

देश में नौ औद्योगिक एकक हैं जो मुद्रा एवं सिक्कों के उत्पादन में कार्यरत हैं। इनमें से चार टकसालें, दो नोट छपाई मुद्रणालय, दो प्रतिभूति मुद्रणालय और एक प्रतिभूति कागज़ कारखाना है। वित्त मंत्री के बजट भाषण का अनुपालन करते हुए सभी नौ एककों के भुगतान और लेखा कार्यालयों का पूरी तरह कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है।

सिक्कों का नया डिजाइन

सरकार ने फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में 1 रूपये और 2 रूपये मूल्य के सिक्कों की नई श्रृंखला और बाईमेटलिक में 5 रूपये और 10 रूपये के नये सिक्के जारी करने का निर्णय किया है। सिक्कों में तीन विषय अंकित रहेंगें। (i) विविधता में एकता (ii) संपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी (iii) मुद्रा।

स्मारक सिक्के

सरकार ने दांडी मार्च के 75 वर्ष पूरे होने और लाल बहादुर शास्त्री जन्मशती वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी किए हैं। महात्मा वसेश्वर पर और भारतीय स्टेट बैंक के पचास वर्ष पूरे होने पर भी स्मारक सिक्के जारी करने का निर्णय किया गया है।

सोना-चांदी की बिक्री

सरकार ने भारत सरकार की टकसालों में पड़े सोना (3.13 एम.टी.) और चांदी (लगभग 1600 एम.टी.) के भंडार के निपटान का निश्चय किया है। स्वर्ण के समस्त भंडार की बिक्री से प्राप्त राशि 183.90 करोड़ रुपए है और 1600 एम.टी. चांदी में से 31.12.2005 तक 732.71 करोड़ रुपए मूल्य की 788.93 एम.टी. चांदी बेची गई है।

प्रतिभूति मुद्रणालयों/कागज मिलों/सरकारी टकसालों का निगमीकरण

भारत सरकार ने अपने पूर्ण स्वामित्व वाले निगम सेक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (अनंतिम नाम) गठित करने का (1.10.2005 या सरकार द्वारा मान्य किसी अन्य तिथि से) निश्चय किया है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने, इस संबंध में निर्णय, अपनी 2.9.2005 की बैठक में लिया। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत सभी 9 प्रतिभूति इकाइयां यथा करेंसी नोट प्रेस, नासिक, बैंक नोट प्रेस, देवास, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक, प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद, सेक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मुम्बई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में भारत सरकार की टकसालें नवगठित निगम द्वारा अधिगृहित कर ली जाएगी। सभी नौ इकाइयों की परिसम्पत्तियां और देयताएं तथा कर्मचारी निगम को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

2. सरकार का सेक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया स्थापित करने का निर्णय व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) की सिफारिशों पर आधारित है। आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2000 में सौंपी थी। व्यय सुधार आयोग ने उल्लेख किया था कि वर्तमान इकाइयों में कई समस्याएं हैं जैसे कम उत्पादकता, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, पुरानी पड़ चुकी वित्तीय व्यवस्था और प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को अपनाने में देरी। नये निगम से संचालनात्मक प्रक्रिया युक्ति संगत बनेगी, जिससे सरकारी व्यय कों कम करने में मदद मिलेगी और निर्णय प्रक्रिया, संचालनात्मक लचीलेपन, अधिक कार्यकुशलता और उच्च उत्पादकता सभी में सुधार होगा।

3 निगमीकरण का प्रस्ताव पारित करते हुए, कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय उपलब्ध कराए गए हैं। नए निगम के गठित होने पर ऐसी कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया गया है जिससे कर्मचारियों की सेवा स्थितियों पर विपरीत प्रभाव पड़े। नये निगम द्वारा सभी नौ- प्रतिभूति इकाइयों के कर्मचारियों का अधिग्रहण वर्तमान शर्तों और स्थितियों पर ही किया जाएगा। कर्मचारी 2 वर्ष की अवधि के लिए मानित प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे। इस दौरान उन्हें निगम में आमेलन का विकल्प चुनने की अनुमति होगी। संशोधित अनुमान 2005-06 में निगम के लिए 700 करोड़ रूपये के बजट प्रावधान किए गए हैं।

स्टाम्प पेपरों को डिमेट करना

भारत सरकार ने स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एंजेंसी (सी आर ए) के चयन और नियुक्ति का कार्य भारतीय औद्यगिकी वित्त निगम (आई एफ सी आई) को सौंपा। आई एफ सी आई ने विशेषज्ञ समिति गठित की, जिसने उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय बोलियों के बाद, भारतीय स्टॉक धारिता निगम लि. (एस एच सी आई एल) को केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश की। तदनुसार, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रस्तावित कम्प्यूटरीकरण हेतु एस एच सी आई एल को केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया है। एस एच सी आई एल स्टाम्प शुल्क से संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था के कम्प्यूटरीकरण हेतु अपनी सेवाएं निर्माण-संचालन- अंतरण आधार पर देगा।

(2). एस एच सी आई एल द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था/ प्रणाली में अधिकृत वसूली केन्द्रों (एसीसी) की नियुक्ति, केन्द्रीय सर्वर का गठन, केन्द्रीय सर्वर से अधिकृत वसूली केन्द्रों को जोड़ना, उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय, महानिरीक्षक, स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन के कार्यालय और राजस्व विभाग तक पहुंच उपलब्ध कराना शामिल है। एसएचसीआईएल अधिकृत वसूली केन्द्रों से एक पेशगी राशि लेगा और सिस्टम में प्रत्येक एसीसी के लिए सीमा निर्धारित कर देगा।

(3) प्रणाली की सर्वप्रमुख विशेषता स्टाम्प सर्टीफिकेट में जोड़ी गई सुरक्षा विशेषताएं हैं। स्टाम्प पेपर और फ्रेंकिंग का स्थान ग्रहण करने वाले स्टाम्प सर्टीफिकेट में सिस्टम द्वारा सृजित एक खास अंक होगा। विशिष्ट अंक के अतिरिक्त, स्टाम्प सर्टीफिकेट में चाक्षुष वाटर मार्क होगा, माइक्रो प्रिंटिंग होगी

और 2 डी बार कोड होगा, स्टाम्प सर्टीफिकेट की फोटोप्रति नहीं की जा सकेगी क्योंकि फोटोप्रति में मूलप्रति के वाटरमार्क के बदले (कॉपी) शब्द होगा और माइक्रो प्रिंट भी धुंधला पड़ जाएगा। इससे भी बढ़कर , स्टाम्प सर्टीफिकेट के ब्यौरे वाली 2-डी बार कोड को कभी भी सुधारा/परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार, प्रस्तावित व्यवस्था से स्टाम्प शुल्क के कारण राजस्व में होने वाली समस्त हानि समाप्त हो जाएगी और राज्य को एक दोषरहित व्यवस्था प्राप्त होगी।

(4) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग की अध्यक्षता में वित्त/राजस्व सचिवों और सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 4 जनवरी, 2006 को नॉर्थ ब्लाक में हुई बैठक में एस एच सी आई एल ने विस्तृत प्रस्तुति (प्रेजेंटेशन) दी और प्रस्तावित व्यवस्था में राज्यों की भागीदारी हेतु राज्यों के प्रतिनिधियों से विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

संगठन के कार्यों के संबंध में संक्षिप्त पैराग्राफ

6.1.1 ***1924 में स्थापित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र)***

इसके दो एकक हैं अर्थात स्टाम्प मुद्रणालय और केन्द्रीय स्टाम्प डिपो। टिकट मुद्रणालय एकक डाक स्टेशनरी, डाक एवं गैर-डाक टिकटें, न्यायिक और गैर-न्यायिक स्टाम्प भा.रि.बैं./भारतीय स्टेट बैंक चेकों, बॉण्डों, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, प्रोमिजरी नोटों तथा ऐसे अन्य प्रतिभूति दस्तावेजों जो केन्द्र और राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों, वित्तीय निगमों तथा स्थानीय निकायों द्वारा अपेक्षित हों, के मुद्रण का कार्य करता है। यह एमआईसीआर और गैर-एमआईसीआर चेकों इत्यादि के मुद्रण का भी कार्य करता है। केन्द्रीय स्टाम्प डिपो एकक भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय के तैयार उत्पादों का भंडारण करता है और पूरे भारत के विभिन्न संगठनों को इनकी आपूर्ति करता है।

पिछले वर्ष और समीक्षाधीन वर्ष के निष्पादन/उपलब्धियों के संबंध में सूचना

(I) ***उत्पादन के आंकड़े***

(क)

(आंकड़े करोड़ में)

क्र. सं.	मदें	2003-2004	1.4.2005 से 31.10.05 उत्पादन
01.	पोस्ट कार्ड	0.177	1.4665
02.	साधारण लिफाफे	0.8774	...
03.	पंजीकरण लिफाफे	0.5560	0.579
04.	अंतर्देशीय पत्र	1.9386	0.3984
05.	हवाई डाक के लिए लिफाफे	0.2757	0.0055
06.	सार्वजनिक डाक टिकट	1.4453	1.21118
07.	विशेष स्मारक डाक टिकट	31निर्गम	0.2322531
08.	चिपकने वाली गैर डाक टिकटें	1.1184	0.7105325
09.	गैर-न्यायिक और सम्बद्ध स्टाम्प	8.7010	4.1136
10.	एनएससी/केवीपी (बचत दस्तावेज)	12.9006	7.4792
11.	गैर एम.आई.सी.आर. चैक	0.2923	0.002723
12.	एम.आई.सी.आर. चैक	4.3260	2.1868522
13.	विविध प्रतिभूति फार्म	1.3748	0.080535
14.	पासपोर्ट और संबद्ध पुस्तिकाएँ	0.2588	0.5262962
15.	स्टिकर/लेबल/कार्ड/सील	0.2740	0.0501

6.1.2 1982 में स्थापित प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)

यह डाक स्टेशनरी जैसे पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे तथा गैर-न्यायिक स्टाम्पों के मुद्रण का कार्य करता है तथा इनकी सभी दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ बिहार में आपूर्ति करता है। यह पूरे देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए केन्द्रीय उत्पाद स्टाम्प का भी मुद्रण कार्य करता है।

वर्ष 2004-2005 में और 31-12-2005 तक इस मुद्रणालय का मद-वार उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:-

(आंकड़े करोड़ में)

मद	2004-2005 उत्पादन	1-4-2005 से 31-12-05 उत्पादन
पोस्टकार्ड	28.54	16.44
अन्तर्देशीय पत्र कार्ड	7.47	1.20
लिफाफे	0.72	1.22
गैर-न्यायिक स्टाम्प	3.12	10.14
सशस्त्र बलों के पत्र आई.ए.एफ. 5	1.88	0.00
सशस्त्र बलों के पत्र आई.ए.एफ. 6	1.36	0.00
किसान विकास पत्र 1000 रुपए	0.30	0.00
भारतीय पोस्टल ऑर्डर	3.61	0.85
कोर्ट फीस स्टाम्प	0.00	0.16

6.1.3 1962 में स्थापित करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड (महाराष्ट्र)

करेंसी नोट प्रेस 5 रु., 10 रु., 100 रु., 500 रु. तथा 1000/- रु. मूल्यवर्ग के बैंक नोटों के मुद्रण का कार्य तथा आपूर्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के मांगपत्र के अनुसार करता है।

वर्ष 2005 के दौरान नोट अददों के उत्पादन संबंधी आंकड़े:-

मूल्यवर्ग	वर्ष 2004 के दौरान उत्पादन	वर्ष 2004 के दौरान जारी	वर्ष 2005 के दौरान उत्पादन	वर्ष 2005 के दौरान जारी
5 रु.	211,440,000	238,000,000	0	0
10 रु.	1,329,420,000	1,168,000,000	945,990,000	1,136,000,000
50 रु.	360,000,000	368,000,000	132,550,000	126,000,000
100 रु.	677,650,000	752,000,000	242,960,000	240,000,000
500 रु.	37,339,000	29,500,000	231,161,000	239,000,000
1000 रु.	77,440,000	82,300,000	0	0

6.1.4 वर्ष 1973 में स्थापित बैंक नोट प्रेस, देवास (मध्य प्रदेश):

बैंक नोट प्रेस, देवास, (मध्य प्रदेश) की स्थापना वर्ष 1973 में विशेष रूप से उत्कीर्ण आकृति प्रक्रिया से बैंक नोटों के मुद्रण हेतु की गई थी। आरम्भ में 1974 में पांच लाइनों वाली मशीनों के साथ प्रेस की स्थापना की गई थी और तभी से उक्त मशीनें निरंतर प्रयोग की जा रही हैं। ये मशीनें पुरानी हो गई है, प्रौद्योगिकी में अप्रचलित हैं, बेकार हो गई हैं, अनुत्पादक हैं और इन्होंने अपनी परिशुद्धता खो दी है। इसलिए इन पुरानी मशीनों की अक्षमता से नोटों की लागत में वृद्धि होती है। मशीनों की पांच लाइनों में से मशीनों की दो लाइनें 1996-97 में बदली गई थी। शेष मशीनों की तीन लाइनें प्रतिस्थापन की प्रतीक्षा में हैं।

उपर्युक्त कठिनाइयों तथा विषमताओं के बावजूद भी प्रेस ने वर्ष दर वर्ष प्रशंसनीय कार्य निष्पादन प्रदर्शित किया है, विशेष रूप से पिछले 6-7 वर्षों में, और यह प्रवृत्ति अभी जारी है। चालू वर्ष में, यद्यपि अप्रैल से दिसम्बर 2005 तक के 9 महीनों में से उत्पादन अवधि का लगभग आधा ही उपलब्ध था, फिर भी

बैंक नोट प्रेस ने 883.990 मि. अदद जो कि प्रथम तीन तिमाहियों का लगभग 45.33 प्रतिशत है, का प्रेषण किया है (वार्षिक मांग 2600 मि. अदद की है और 9 महीनों का (तीन तिमाहियों) समानुपात 1950 मि. अदद बैठता है)।

पुरानी पीढ़ी की मुद्रण मशीनों के लिए ड्राई ऑफसेट और इंटेग्लियो स्याही जैसी प्रतिभूति स्याहियों के उत्पादन के लिए मैसर्स एसआईसीपीए, स्विटजरलैंड से तकनीकी जानकारी के साथ स्याही कारखाने की भी स्थापना की गई थी। इस स्याही कारखाने से आपूर्तियों में सीएनपी, आईएसपी, एसपीपी, बीआरबीएनएमपीएल और अन्य सरकारी मुद्रणालयों जैसी सहयोगी इकाइयों के लिए द्रव स्याही (ग्रेव्योर) और ड्राई ऑफसेट स्याही शामिल है। बैंक नोटों के मुद्रण के लिए क्विक सेट इंटेग्लियो स्याहियों के विनिर्माण के लिए स्याही कारखाने द्वारा अभी क्विक सेट इंक प्रौद्योगिकी अधिग्रहीत नहीं की गई है। प्रतिभूति स्याहियों के विनिर्माण के अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों एवं जांच एजेन्सियों से बैंक नोट प्रेस को भेजे गए जाली करेन्सी नोटों के संबंध में विशेषज्ञ के विचार भी लिए जाते हैं। 1-4-2005 से 31-12-2005 तक की अवधि के दौरान 9910 मिलियन अदद जाली नोटों के संबंध में विशेषज्ञ टिप्पणी हेतु 144 मामले प्राप्त हुए।

6.1.5 1967 में स्थापित प्रतिभूति कागज कारखाना, होशंगाबाद (म.प्र.)

वर्ष 1967 में स्थापित प्रतिभूति कागज कारखाना, बैंक नोट कागज, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर और अन्य प्रतिभूति कागजों का निर्माण करता है और बैंक नोट प्रेस, देवास, करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड़ प्रतिभूति मुद्रणालय, होशंगाबाद भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लि., मैसूर और बीआरबीएन (प्रा.) लि. साल्बोनी की कागज से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस कारखाने की स्थापना से पूर्व प्रतिभूति कागज और बैंक नोट कागज की सम्पूर्ण जरूरतों को आयात द्वारा पूरा किया जाता था। वर्ष 2004-05 के दौरान 2297.5 मी. टन का उत्पादन हुआ और अप्रैल से दिसम्बर, 2005 तक चालू वर्ष के दौरान 1943.3 मी. टन का उत्पादन हुआ है। चालू वित्त वर्ष के दौरान एसपीएम ने यू/वी प्रकाश के अन्तर्गत पीले फ्लोरेसेंस वाले नए प्रतिभूति धागे के समावेशन, कागज के प्रतिभूति फाइबर और रासायनिक संवेदन जैसे नए प्रतिभूति पहलुओं सहित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर का नियमित उत्पादन /आपूर्ति आरम्भ कर दी है। एस पी एम बैंक नोट पेपर के प्रायोगिक उत्पादन में संशोधित प्रतिभूति पहलुओं के साथ सफल रहा है और जनवरी, 2006 में इसकी नियमित आधार पर आयोजना की गई है।

6.1.6 टकसालें

(i) चार सरकारी टकसालें 1829 में मुम्बई (महाराष्ट्र), 1952 में कोलकाता (पश्चिम बंगाल), 1903 में चेरलापल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) जो हैदराबाद में स्थापित की गई थी और 1997 में चेरलापल्ली में विस्तारित की गई तथा 1988 में नौएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थापित की गई थीं।

(ii) टकसालों का मुख्य कार्य देशीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सिक्कों की ढलाई करना है। परख विभाग जो मुम्बई और कोलकाता टकसालों से सम्बद्ध है, स्वर्ण, चांदी तथा सिक्कों, पदकों (मैडल), बिल्लों आदि के लिए मिश्र धातुओं की परख करता है। मुम्बई टकसाल स्मारक सिक्कों और तौल, परिमाण और विस्तार पैमानों का विनिर्माण करता है। यह स्वर्ण गलाने, शोधन और ढलाई का कार्य भी करता है। यह मुम्बई और कोलकाता टकसालों द्वारा संचालित संग्रहण तथा वितरण केन्द्रों के जरिए अशोधित स्वर्ण के बदले मानक छड़ों के विनिमय का काम भी करता है। कोलकाता टकसाल स्मारक सिक्कों तथा पदकों का निर्माण भी करता है।

(iii) **भारत सरकार टकसाल, कोलकाताः**

2005-06 के दौरान विभिन्न मूल्यवर्गों के सिक्कों का उत्पादन लक्ष्य 200 मिलियन अदद था जब कि वास्तविक उत्पादन (31.12.2005 तक) 100.1705 मिलियन अदद सिक्कों का हुआ है।

टकसाल ने वर्ष 2004-05 के दौरान रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि जैसे केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के लिए 1,04664 अदद पदकों का निर्माण किया और 1,02,353 अदद पदकों की आपूर्ति की।

2005-06 के दौरान (31.12.05 तक) 32,779 अदद पदकों का विनिर्माण किया गया तथा 29,718 अदद पदकों की आपूर्ति की गई।

वर्ष 2004-05 के दौरान इस टकसाल ने डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर स्मारक सिक्कों के 770 सेट तैयार किए (एक सेट में 100 रूपए, 50 रूपए. 10 रुपए, 2 रूपए प्रत्येक का एक-एक सिक्का होता है) "संत तुकाराम" के स्मारक सिक्कों के 3300 सेट तैयार किए (एक सेट में 100 रूपए, 50 रूपए. 10 रुपए, 2 रूपए प्रत्येक का एक-एक सिक्का होता है), 'भारतीय रेलवे के 150 वर्ष' पर 2 सिक्कों के सेट के 2710 सेट (100 रुपए और 2 रुपए), 'भारतीय डाक के 150 वर्ष' पर 160 अति महत्वपूर्ण सेट (100 रुपए और 1 रुपया), और 'दूरसंचार' के 150 वर्ष पर स्मारक सिक्कों के 35 अति महत्वपूर्ण सेट (100 रुपए और 2 रुपए) बनाए।

वर्ष 2005-06 के दौरान (31.12.2005 तक) इस टकसाल ने 'भारतीय रेलवे के 150' वर्ष पर स्मारक सिक्कों के 1565 सेटों,'भारतीय डाक के 150 वर्ष, पर स्मारक सिक्कों के 3100, 2 सिक्कों, 2 सिक्कों के सेटों के 100 अदद और 'लाल बहादुर शास्त्री जन्म शताब्दी' पर 2 सिक्कों के 20 अति महत्वपूर्ण सेटों (100 रुपए और 5 रुपए) का विनिर्माण किया।

(iv) **भारत सरकार टकसाल, नौएडा**

नौएडा टकसाल छोटे मूल्यवर्गों के सिक्कों का उत्पादन करता है। लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उत्पादन नीचे दिया गया हैः

(मिलियन अदद में)

मूल्यवर्ग	2001-2002		2002-2003		2003-2004		2004-2005		20042005 (31.12.05 की स्थिति के अनुसार)	
	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन	लक्ष्य	उत्पादन
5 रुपए	390	341	200	155	185	172	...	...	...	...
2 रुपए	260	198	400	13	350	442	...	7.4275	...	119.775
1 रुपया	360	470	550	791	375	226	...	234.9975	...	4.675
50 पैसे	140	143	50	113	...	...	...	...	...	...
25 पैसे	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10 पैसे	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़	**1150**	**1152**	**1200**	**1072**	**910**	**840**	**...**	**242.4250**	**...**	**16.6525**

(v) **भारत सरकार टकसाल, चैरलापल्ली, हैदराबाद**

वर्ष 2004-05 के लिए दोनों टकसालों का समग्र उत्पादन 300 मिलियन अदद सिक्कों के लक्ष्य की तुलना में 307.8035 मिलियन अदद सिक्के (सैफाबाद टकसाल-105.7335मिलियन अदद सिक्के और चैरलापल्ली टकसाल-202.0700 मिलियन अदद सिक्के) था। वर्ष 2005-06 के लिए सिक्कों का लक्षित उत्पादन 200 मिलियन अदद सिक्के हैं जिसमें से टकसाल ने 31.12.2005 तक 81.5250 मिलियन अदद सिक्कों (सैफाबाद टकसाल 18.9250 और चेरलापल्ली टकसाल 62.6000 मिलियन अदद सिक्के) का उत्पादन किया है।

सिक्कों के उत्पादन के अतिरिक्त, टकसाल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए विभिन्न स्वर्ण और चांदी के गोलाकार फलकों और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्, तिरुपति के लिए चांदी के डालरों का भी उत्पादन किया है।

भारत सरकार टकसाल, मुम्बई

(क) वर्ष 2004-05 के लिए सिक्कों का लक्षित उत्पादन 605 मिलियन अदद सिक्के था जिस की तुलना में टकसाल ने 296.4942 मिलियन अदद सिक्कों का उत्पादन किया। वर्ष 2005-06 के लिए सिक्कों का लक्षित उत्पादन 200 मिलियन अदद सिक्कों का है जिस की तुलना में टकसाल ने अभी तक (31-12-2005 तक) 68.6105 मिलियन अदद सिक्कों का उत्पादन किया है।

वर्ष 2005-2006 के दौरान टकसाल द्वारा उत्पादित स्मारक सिक्कों का विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	विषय	प्रूफ/ अपरिचालित	परिचालन के लिए
2005-2006	डांडी मार्च के 75 वर्ष	1.100/- रु. प्रत्येक 2. 5/- रु. प्रत्येक	5/- रुपये

(ख) 1-4-2005 से 31-12-2005 तक मुम्बई टकसाल में विनिर्मित पदकों, प्रतीकों (टोकन), ठप्पों, टीटीडी, गुरुवय्यूर एवं अत्तुकुल मंदिर के लिए (मुद्दों) तथा विभिन्न मानक स्टाम्पिंग उपस्करों के माप और तौल की आपूर्ति सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार की गईः

मदों का विवरण	1.4.2004 से 31.3.2005	1.4.2005 से 31.12.2005
1. पदक	53520 संख्या	28859 संख्या
2. ठप्पे	02 संख्या	32 संख्या
3. मुहरें	07संख्या	10 संख्या
4. पंच	36 सैट	78 संख्या
5. सी एन प्रतीक (टोकन)	20780	...
6. एक्रेलिक इन्सरटस	200 संख्या	...
7. प्लायर्स	10 संख्या	..
8. माप और तौल (सैट में)	3836 संख्या	3042 संख्या
9. माप और तौल (संख्या में)	98 संख्या	238 संख्या

(ग) स्वर्ण परिशोधन- मुम्बई टकसाल ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्वर्ण के परिशोधन और उसे गलाने का काम कियाः

क्र. सं.	विवरण	1.4.2004 से 31.3.2005 (भार ग्राम में)	1.4.2005 से 31.12.2005 (भार ग्राम में)
1.	स्वर्ण का परिशोधन	1,202177.100.	...
2.	जी.डी.एस. सहित स्वर्ण को गलाना	1,492284.600	1,312597.100
3.	जी.डी.एस/व्यापारी स्वर्ण का आबंटन	209,294.900	276,093.500
4.	जी.डी.एस. सहित स्वर्ण की ढलाई	699,947250	804,399.300

(घ) इस टकसाल में कुल 501,794x ग्राम में 5xग्राम/12xग्राम के विखंडित मूल्य वर्ग में संवर्ग सिक्कों के 3,29684 अदद का निर्माण किया और इन्हें निदेशक, लघु बचत, राजस्थान सरकार, जयपुर को संवितरित किया।

(ङ) मैसर्स एम एम टी सी लि. को बिक्री के लिए 3,133,451.800 ग्राम वजन की स्वर्ण मदें जारी की गई।

(च) मैसर्स एम एम टी सी लि. को बिक्री के लिए 87,735,842 xग्राम वजन की चांदी/ क्यू.ए. मदें जारी की गई।

6.2.1 एशियाई विकास बैंक (एडीबी)

64 सदस्य देशों की अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी वाला एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित किया गया था जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपीन्स में है। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। यह बैंक एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में अपने विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के काम में लगा है। इसके प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं :

(i) इसके विकासशील सदस्य देशों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए ऋण और इक्विटी निवेश करना;

(ii) विकास परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की तैयारी तथा निष्पादन हेतु तकनीकी सहायता और सलाहकार सेवाएं मुहैया कराना;

(iii) विकासशील सदस्य देशों में विकास नीतियों और योजनाओं को समन्वित करने में सहायता हेतु अनुरोधों का जवाब देना।

(iv) विकासशील सदस्य देशों में विकास नीतियों और योजनाओं को समन्वित करने में सहायता हेतु अनुरोधों का जवाब देना।

31 दिसम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार, बैंक के पूंजी भण्डार में भारत का अभिदान सभी सदस्य देशों के अभिदान का 6.383% हिस्सा बैठता है।

भारत ने 1986 में एडीबी के सामान्य पूंजी संसाधनों (ओसीआर) से उधार लेना शुरू किया। कैलेण्डर वर्ष 2005 के दौरान एडीबी बोर्ड ने भारत में 4 परियोजनाओं के लिए 1217.31 मिलियन अमरीकी डालर राशि के ऋण अनुमोदित किए हैं, नामतः-

	परियोजना का नाम	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1.	2159- छत्तीसगढ़ सिंचाई विकास	46.110
2.	2166- सुनामी आपात सहायता (क्षेत्र) परियोजना तथा 005- सुनामी आपात सहायता अनुदान	200.00
3.	2226- केरल दीर्घकालीन विकास परियोजना	221.200
4.	ग्रामीण सड़क क्षेत्र-II परियोजना	750.000
	जोड़	**1217.310**

बैंक के ऋण मुख्यत; ऊर्जा, परिवहन और संचार, वित्त, उद्योग, सिंचाई और सामाजिक आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए हैं। 31 दिसंबर, 2005 की स्थिति के अनुसार बैंक ने 15.328 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के 87 सरकारी क्षेत्र के ऋण सामूहिक रूप से स्वीकृत किए हैं। 45 ऋणों के समाप्त होने पर, सक्रिय पोर्टफोलियो में 32 ऋण शामिल हैं। 31.12.2005 तक कुल संवितरण 7.9 बिलियन अमरीकी डालर था। एशियाई विकास बैंक द्वारा चल रही। वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाएं दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

भारत ने (वर्ष 2005 के अंत तक) एशियाई विकास बैंक की तकनीकी सहायता विशेष निधि में परिवर्तनीय मुद्रा के रूप में 3.0 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है।

बैंक ने अपनी "ओसीआर विंडो" से ऋण देने के अलावा, भारत को तकनीकी सहायता भी प्रदान की है। बैंक की तकनीकी सहायता 1988 में 0.6 मिलियन अमरीकी डालर थी। 2005 के अंत तक भारत को 116.8 मिलियन अमरीकी डालर की कुल राशि प्राप्त हो चुकी है। प्रदान की गयी तकनीकी सहायता राशि में संस्थागत सुधार, कारगर तरीके से परियोजना कार्यान्वयन और नीतिगत सुधार तथा परियोजना तैयार करने के लिए सहायता शामिल है।

बैंक में भारत का प्रतिनिधित्व : बैंक के कुल 884 व्यावसायिक स्टाफ में से 59 भारतीय व्यावसायिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से 15 कर्मचारी बैंक में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, भारत बैंक के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक की स्थिति पर भी है-इसके क्षेत्र में भारत, बांग्लादेश, भूटान, लाओ पीडीआर, ताजिकिस्तान तथा अफगानिस्तान शामिल हैं। वित्त मंत्री एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत के गवर्नर हैं और सचिव (आ.का.) वैकल्पिक गवर्नर हैं।

उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एडीबी सहायता :

वर्ष 2005 के दौरान, एशियाई विकास बैंक ने उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए निम्नलिखित ऋण/तकनीकी सहायता अनुमोदित की है:-

ऋण

1. **ग्रामीण सड़क क्षेत्र** II **(इसमें असम राज्य भी शामिल है)**

तकनीकी सहायता

(मिलियन अमरीकी डालर)

1.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र शहरी विकास (चरण-II)	1.00
2.	उत्तर पूर्वी राज्य में सड़क एजेंसियों का विकास	0.90

अनुबंध-1

भारत में उनके सरकारी क्षेत्र में प्रचालन के अन्तर्गत भारत को (31-12-2005 की स्थिति के अनुसार) कुल ऋण

क्रम सं.	ऋण सं.	परियोजना	मूल राशि (मिलियन अमरीकी डालर)	अनुमोदन की तारीख
		समाप्त ऋण	7872.60	
		प्रभावी होने से पूर्व बंद कर दिए गए ऋण	89.30	
		ऋण हस्ताक्षरित हुए लेकिन बंद कर दिए गए	220.00	
		ऋण अनुमोदित हुए लेकिन हस्ताक्षरित नहीं हुए	305.70	
चल रही परियोजनाएं				
1.	1759	आवासन वित्त-II एनएचबी	40.00	21.9.2000
2.	1647	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना	250.00	3.12.1998
3.	1709	कर्नाटक शहरी विकास और तटीय पर्यावरण परियोजना	175.00	26.10.1999
4.	1720	शहरी पर्यावरणीय अवसंरचना सुविधा (आईसीआईसीआई)	80.00	17.12.1999
5.	1764	विद्युत सम्प्रेषण क्षेत्र परियोजना	250.00	6.10.2000
6.	1761	आवासन वित्त-II आईसीआईसीआई	80.00	21.9.2000
7.	1804	गुजरात विद्युत क्षेत्र परियोजना	200.00	13.12.2000
8.	1813	कोलकाता पर्यावरण परियोजना	250.00	19.12.2000
9.	1826	गुजरात भूकम्प पुनर्वास और पुनर्निर्माण	500.00	26.3.2001
10.	1839	पश्चिमी परिवहन गलियारा	240.00	20.9.2001
11.	1869	मध्यप्रदेश विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	200.00	6.12.2001
12.	1870	पश्चिम बंगाल गलियारा विकास	210.00	11.12.2001
13.	1871	राज्य स्तर पर निजी क्षेत्र अवसंरचना सुविधा (इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसिज लि.)	100.00	11.12.2001
14.	1968	राज्य विद्युत क्षेत्र सुधार परियोजना (पीएफसी)	150.00	12.12.2002
15.	1944	पूर्व-पश्चिम गलियारा परियोजना	320.00	26.11.2002
16.	1958	मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र विकास कार्यक्रम	30.00	5.12.2002
17.	1959	मध्य प्रदेश सड़क क्षेत्र विकास परियोजना	150.00	5.12.2002
18.	1981	रेल क्षेत्र सुधार परियोजना	313.60	19.11.2002
19.	2018	ग्रामीण सड़क क्षेत्र-I परियोजना	400.00	20.11.2003
20.	2029	राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा क्षेत्र-I परियोजना	400.00	4.12.2003
21.	2027	असम विद्युत क्षेत्र विकास परियोजना	100.00	10.12.2003
22.	2046	मध्य प्रदेश में शहरी जलापूर्ति एवं पर्यावरणीय कार्यान्वयन	200.00	12.12.2003
23.	2050	छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना	180.00	15.12.2003
24.	2152	विद्युत सम्प्रेषण क्षेत्र परियोजना	400.00	21.12.2004
25.	2141	असम शासन एवं जन संसाधन प्रबंधन क्षेत्र विकास कार्यक्रम	125.00	16.12.2004
26.	2142	असम शासन एवं जन संसाधन प्रबंधन क्षेत्र विकास परियोजना	25.00	16.12.2004
27.	2151	जम्मू और कश्मीर में अवसंरचना पुनर्वास के लिए बहु-क्षेत्रक परियोजना	250.00	21.12.2004
28.	2154	राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा क्षेत्र-II परियोजना	400.00	21.12.2004
29.	2166	सुनामी आपात सहायता क्षेत्र परियोजना	200.00	14.4.2005
30.	2159	छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना	46.10	29.3.2005
31.	2266	केरल दीर्घकालीन शहरी विकास परियोजना	221.20	20.12.2005
32.		ग्रामीण सड़क क्षेत्र II परियोजना	750.00	21.12.2005
		जोड़	**7235.90**	
		कुल सहायता	**15328.50**	

6.3 इन्फ्रास्ट्रक्चर अनुभाग

* आधारभूत ढांचे से संबंधित विविध क्षेत्रों जैसे सड़क, पत्तन, विमानपत्तन, रेलवे, कन्वेंशन केन्द्रों आदि में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2005-06 के बजट में अर्थक्षमता संबंधी सहायता के साथ एक बड़ी योजना घोषित की थी। अर्थक्षमता अंतर के वित्तपोषण के लिए सरकार ने अंशदान के रूप में आर्थिक कार्य विभाग के योजना शीर्ष के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इस योजना के अंतर्गत वित्तपोषित किए जाने वाले प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु अर्थक्षमता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ), प्रक्रिया अनुमोदन, और सांस्थानिक तंत्र को अधिसूचित कर दिया गया है।

* 2005-06 के बजट भाषण में, अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को लम्बी अवधि के ऋण उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) गठित करने की योजना की घोषणा की गई थी। एसपीवी गठिन करने की स्कीम अधिसूचित की गई और गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनी (आईआईएफसीएफ) निगमित की गई। वर्तमान में यह विषय बैंकिंग प्रभाग संभाल रहा है।

* केन्द्रीय क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु पीआईबी की तर्ज पर मूल्यांकन तंत्र अधिसूचित किया गया है। योजना के अंतर्गत पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए पीपीपी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) गठित की गई है।

* पीपीपीएसी और वीजीएफ योजनाओं के प्रशासन हेतु आर्थिक कार्य विभाग में पीपीपी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

6.4 पीओएल शाखा

पिछले वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए प्रमुख परिवर्तन

* ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) की विभिन्न संयुक्त जोखिम परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है जो विदेश में तेल उत्पादक ब्लॉकों में समुद्रपारीय इक्विटी तेल हासिल करने में ओवीएल को समर्थ बनाएंगी। सूडान, रूस, (सकलीन तथा कासगन) में बड़े निवेश प्रस्तावित हैं। ब्राजील, सीरिया, बांग्लादेश, आइवरी कोस्ट, इक्वेडोर, ईरान, म्यांमार, वियतनाम आदि में निवेशों के प्रस्ताव हैं।

* ओआईएल तथा आईओसी को प्रोत्साहित किया गया है कि वे उसी प्रक्रिया, जो ओवीएल के लिए लागू है, के माध्यम से विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के जरिए विदेशी तेल उत्पादन तथा अन्वेषण परिसम्पत्तियों में निवेश करें। ओआईएल तथा आईओसी ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय तेल उत्पादन एवं अन्वेषण खंडों में निवेश करने का प्रस्ताव किया है।

पूर्वोत्तर को सब्सिडियां: पूर्वोत्तर क्षेत्र में रिफाइनरियों को सब्सिडियां युक्तिसंगत आधार पर जारी की गई हैं। दूरदराज क्षेत्रों जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं, को एलपीजी तथा मिट्टी के तेल के लिए मालभाड़े पर सब्सिडियां दिया जाना जारी रहेगा।

7. फंड बैंक प्रभाग (यूएन तथा पीएसई शाखा सहित)

7.1 विश्व बैंक समूह

भारत विश्व बैंक समूह की चार संस्थाओं का सदस्य है अर्थात् 1. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी), 2.अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), 3.अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), 4. बहुपक्षीय निवेश गारन्टी अभिकरण (मीगा), लेकिन भारत इसकी पांचवी संस्था अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केन्द्र (आई.सी.एस.आई.डी) का सदस्य नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)

दिनांक 31.12.2004 तक की स्थिति के अनुसार, आई.बी.आर.डी. द्वारा भारत को ऋणों के रूप में दी गई सहायता की कुल मात्रा 26498.762 मिलियन अमरीकी डालर थी। 1.01.2005 से लेकर 31.12.2005 तक की अवधि के दौरान, 625 मिलियन अमरीकी डालर की नई सहायता हेतु वचनबद्धताएं अनुमोदित की गई। इस तरह यह 31.12.2005 तक 27123.762 मिलियन अमरीकी डालर के स्तर तक पहुंच गई। जिन क्षेत्रों के लिए आई.बी.आर.डी. सहायता दी गई है उनमें सड़के तथा राजमार्ग, ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (जल तथा सफाई सहित) तथा वित्तीय सेवा क्षेत्र शामिल है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.)

आई.डी.ए. द्वारा भारत को ऋणों के रूप में दी गई सहायता जिसके लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गए का कुल मूल्य दिनांक 31.12.2004 तक की स्थिति के अनुसार 28224.83 मिलियन अमरीकी डालर था। 1.1.2005 से 31.12.2005 तक की अवधि के दौरान, 645.00 मिलियन अमरीकी डालर की नई सहायता के लिए वचन बद्धताएं अनुमोदित की गई जिससे यह सहायता 31.12.2005 तक कुल मिलाकर 28869.83 मिलियन अमरीकी डालर हो गई है। जिन प्रमुख क्षेत्रों के लिए सहायता दी गई है वे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, निर्धनता उन्मूलन तथा आपदा-पश्च पुनर्निमाण परियोजनाएं।

(मिलियन अमरीकी डालर)

परियोजना का नाम	अनुमोदन/ हस्ताक्षर/वार्ता	आईबीआरडी द्वारा वचनबद्ध की तारीख	आईडीए द्वारा वचन-राशि	कुल राशि बद्ध राशि
आपात सुनामी पुनःनिर्माण परियोजना	3-05-2005	0.00	465.00	465.00
महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना	23-06-2005	325.00	0.00	325.00
तृतीय तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना	05-07-2005	300.00	0.00	300.00
तमिलनाडु अधिकारिता तथा निर्धनता उन्मूलन	12-07-2005	0.00	120.00	120.00
हिमाचल प्रदेश, मध्य हिमालय जलसंभर विकास परियोजना	13-12-2005	0.00	60.00	60.00
	जोड़	**625.00**	**645.00**	**1270.00**

भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ)

जुलाई, 1944 में ब्रेटन बुडम, यू.एस.ए., में आयोजित 44 राष्ट्रों के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (जिसे विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है) की स्थापना की गई थी। आई.एम.एफ. एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है जिसकी स्थापना एक सहकारी एवं स्थायी मौद्रिक ढाँचे के विकास के लिए की गई है। इस समय, 184 देश आई.एम.एफ के सदस्य हैं।

भारत आई.एम.एफ का संस्थापक सदस्य है। भारत ने 1993 के पश्चात् से आई.एम.एफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं ली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए सभी ऋणों की वापसी अदायगी 31 मई, 2000 को पूरी कर ली गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के 212 बिलियन एस.डी.आर के कुल कोटे में भारत का वर्तमान कोटा 4158.2 मिलियन एस.डी.आर (विशेष आहरण अधिकार) है जो कि 1.961% शेयर धारिता के बराबर है। कोटे पर आधारित भारत की सापेक्ष स्थिति 13 वीं है। तथापि, वोटिंग शेयर के आधार पर भारत (इसके संघटक देशों अर्थात् बंगलादेश, भूटान तथा श्रीलंका सहित) का स्थान 21वां है।

अनुच्छेद IV संबंधी परामर्श

करार की शर्तों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संबंधी अपने अधिदेश के भाग के रूप में आई.एम.एफ. द्वारा सामान्यतः वर्ष में एक बार अपने सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है जिसे अनुच्छेद **IV** संबंधी परामर्श कहा जाता है। अनुच्छेद **IV** संबंधी परामर्श दो चरणों में आयोजित किए जाते हैं। भारत के संबंध में अनुच्छेद **IV** संबंधी परामर्श का पिछला आयोजन अक्तूबर, 2005 में किया गया।

वित्तीय लेन-देन योजना(एफ.टी.पी.) में भारत की भागीदारी

भारत 2002 के अंत में आई.एम.एफ. की वित्तिय लेन-देन योजना में भाग लेने के लिए अल्पमत हो गया। अब भारत को मिला कर 43 देश इस योजना में भाग लेते हैं। इस योजना में भाग लेकर, भारत हमारे कोटा अंशदान के हिस्से के तौर पर अपनी रुपया धारिता के नकदीकरण के लिए आई.एम.एफ को अनुमति दे रहा है जिससे दुर्लभ-मुद्रा प्राप्त करके उसे अन्य सदस्य देशों, जो आई.एम.एफ के देनदार हैं, को उधार दिया जा सकें। 2002 से जनवरी, 2006 तक, भारत ने 493.230 मिलियन एसडीआर की खरीद की है तथा 351.474 मिलियन एसडीआर की चार पुनःखरीद की हैं।

एम.डी.आर.आई

भारत ने बहुपक्षीय ऋण राहत उपाय (एस.डी.आर.आई.) को सितम्बर,2005 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपनाया जहां आई.एम.एफ के अपने संसाधनों द्वारा

वित्तपोषित एम.डी.आर.आई. ऋण राहत को उन देशों को देने पर सहमति बनी जिनकी प्रति व्यक्ति आय 380 अमरीकी डॉलर प्रतिवर्ष या उससे कम है। इस राशि से ऊपर प्रति व्यक्ति आय वाले एच.आई.पी.सी. को अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संचालित, द्विपक्षीय योगदानों से एम.डी.आर.आई. राहत प्राप्त होगी।

2002 जनवरी, 2006 तक, भारत ने 493.230 मिलियन एमडीआर की खरीद की है तथा 351.474 मिलियन एमडीआर की चार पुनःखरीद की हैं।

एक्सोजेनस शॉक्स सुविधा (ई.एस.एफ)

सितम्बर 2005 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एक्सोजेनस शॉक्स सुविधा अपनाई। ई.एस.एफ. का उद्देश्य एक्सोजेनस शॉक्स झेल रहे कम वाले देशों को नीतिगत समर्थन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

भारत और जी 20

25 सितम्बर, 1999 को अग्रणी औद्योगिकृत राष्ट्रों के समूह-सात (जी-7) के वित्त मंत्रियों ने वाशिंगटन, डी.सी. में समूह-20 (जी-20) के गठन की घोषणा की और केन्द्रीय बैंक गवर्नरों का यह नया अंतर्राष्ट्रीय मंच 19 देशों, यूरोपीय संघ तथा ब्रेटन वुइस इंस्टीटयूशन (आई.एम.एफ. और विस्व बैंक) का प्रतिनिधित्व करता है.

वर्ष 2005 में, समूह-20 (जी-20) की मंत्रिस्तरीय बैठक 15-16 अक्टूबर (2005 को हैबेई, चीन में आयोजित की गई। इस बैठक के सत्रों के मुख्य विषय थे; ब्रेटन वुडस संस्थाओं के 60 वर्ष; कार्यनीति समीक्षा तथा सुधार कार्यक्रम; सहस्राब्दि विकासलक्ष्य; विकासात्मक सहायता तथा नवीन वित्तपोषण प्रणाली; जनसांख्यिकी चुनोतियां तथा प्रवास; विकास संबंधी नवीन दृष्टिकोण(जी-20 समझौता) भारत के वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम जन सांख्यिकीय चुनौतियां और प्रवास सत्र में मुख्य वक्ता थे।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम, (आई.एफ.सी.)

भारत आई.एफ.सी. का संस्थापक सदस्य है। आई.एफ.सी. विश्व बैंक की संबद्ध शाखा है जिसका उदेश्य विनिर्माण तथा अवसंरचना क्षेत्रों में निजी क्षेत्र तथा संयुक्त उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 31-12-2005 तक आई.एफ.सी. के कुल निवेश 19 कंपनियों में 587 मिलियन डालर मूल्य के थे।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

भारत अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) के मूल सदस्यों में से एक है। भारत सरकार ने आईएफएडी संसाधनों की छठी पुनःपूर्ति के लिए 15 मिलियन अमरीकी डालर (5 मिलियन डालर प्रत्येक की तीन समान किस्तों में) का अंशदान करने की वचनबद्धता की है। भारत सरकार ने आईएफएडी की छठी प्रतिपूर्ति के लिए पहली और दूसरी किस्त के रूप में दिसम्बर, 2005 तक 10 मिलियन अमरीकी डालर राशि की अदायगी की है। इसकी शुरूआत से लेकर दिसम्बर, 2005 तक भारत सरकार ने आईएफएडी संसाधनों में 57 मिलियन अमरीकी डालर का अंशदान किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि ने कृषि एवम् ग्रामीण विकास क्षेत्र की 19 परियोजनाओं के लिए लगभग 472.97 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता प्रदान की है। इनमें से 12 परियोजनाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं।

ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क (जी.डी.एन.)की स्थापना

भारत सरकार ने भारत में ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क की स्थापना करने की अनुमति दे दी है। जी.डी.एन. सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुपक्षीय अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करता है तथा विकासशील और परिवर्तनशील देशों में वहां के स्थानीय ज्ञान का संवर्धन करता है। भारत सरकार तथा जी.डी.एन. के बीच "जी.डी.एन. की स्थापना" संबंधी करार पर 28 अक्तूबर, 2005 को हस्ताक्षर किए गए।

7.2 यू.एन. शाखा :

भारत को यू.एन.डी.पी. सहायता

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में विकास सहयोग का सबसे बड़ा स्रोत है। यह विभिन्न दाता देशों के स्वैच्छिक अंशदानों से अपनी निधियां प्राप्त करता है। यू.एन.डी.पी. का समग्र उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता तथा महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण को उच्च प्राथमिकता के माध्यम में निर्वहनीय मानव विकास करना है। यू.एन.डी.पी. को भारत का वार्षिक अंशदान 4.5 मिलियन अमरीकी डालर का है।

देश सहयोग ढांचा

यू.एन.डी.पी. भारत की पंचवर्षीय योजना के समकालिक पंचवर्षीय देश सहयोग ढांचे (सी.सी.एफ) के माध्यम से अपनी विकास सहायता को सरणीकृत करता है। वर्तमान में देश सहयोग ढांचा-II (सी.सी.एफ.II) 4 विषयगत क्षेत्रों में संचालनरत है - (i) मानव विकास तथा लिंग समानता का संवर्धन करना (ii) विकेन्द्रीकरण के लिए क्षमता निर्माण (iii) गरीबी उन्मूलन तथा स्थायी आजीविका (iv) संवेदनशीलता अपचयन तथा पर्यावरण निर्वहनीयता। इस कार्यक्रम का कुल संसाधन आधार लगभग 190 मिलियन अमरीकी डालर का है। वर्तमान में, सी.सी. एफ के अतर्गत 39.26 मिलियन अमरीकी डालर की 21 परियोजनाएं चल रही है। इनमें से 3.30 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की 4 परियोजनाओं को वर्ष 2005-06 में आज की तिथि तक अनुमोदित कर दिया गया है।

7.3 पी.एस.ई. शाखा

विनिवेश नीति

पी.एस.ई अनुभाग भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम के संबंध में नीतिगत दस्तावेजों (सचिवों की समिति, विनिवेश संबंधी सचिवों के केन्द्रीय दल, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति) की जाँच करता है तथा उन पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करता है। यह विशिष्ट मुद्दों पर अंतर-मंत्रालयीन विचार विमर्श में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी करता है।

म्युनिसीपल निकायों द्वारा कर मुक्त बांडों का निर्गम

पी.एस.ई अनुभाग शहरी अवसंरचना में पूंजी निवेश के लिए संसाधन जुटाने हेतु म्युनिसीपल निकायों द्वारा कर मुक्त बांडो के निर्गम के लिए प्रस्तावों का प्रक्रियान्वयन करता है। वर्ष 2005-06 से, सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ऐसे कर मुक्त बांडों के माध्यम में जुटाई जा सकने वाली राशि पर कोई वार्षिक उच्चतम सीमा न लगाने का निर्णय लिया है।

8. विदेश व्यापार प्रभाग

1. विदेशी निवेश एकक

एफडीआई नीति

सरकार ने एक उदार एफडीआई नीति लागू की है तथा एक लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों को स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत रखा गया है। अन्यों में से, अधिकांश विनिर्माण एवं खनन क्षेत्र केवल कुछ अपवादों के साथ 100% स्वचालित मार्ग में हैं। राजमार्ग और सड़कें, बंदरगाह आंतरिक जलमार्ग एवं परिवहन, शहरी अवसंरचना भी 100% स्वचालित मार्ग में हैं। कतिपय इक्विटी सीमाओं के भीतर दूरसंचार, हवाई अड्डों, नागरिक उड्डयन एवं तेल व गैस पाइपलाइनों में भी एफडीआई अनुज्ञप्त है।

एफडीआई अंतर्वाह की अभिवृद्धि हेतु किए गए हालिया प्रयास

भारतीय उद्योग को और अधिक सुविधा प्रदान करने की सरकार की वचनबद्धता के अनुपालन में, एक लघु नकारात्मक सूची को छोड़कर सरकार ने स्वतः मार्ग के माध्यम से एफडीआई तक पहुँच के लिए अनुमति दे दी है। एफडीआई व्यवस्था को और उदार बनाने के लिए किए गए नवीनतम संशोधन निम्नानुसार हैं-

(i) "वायु परिवहन सेवाओं (घरेलू एयर लाईंस)" में एफ.डी.आई. की सीमा को बढ़ाकर स्व-चालित मार्ग के जरिए 49 प्रतिशत तक और अनिवासी भारतीयों के लिए 100 प्रतिशत तक करना। (विदेशी एयर लाइनों द्वारा किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इक्विटी सहभागिता की अनुमति नहीं दी गई है)

(ii) प्रेस नोट सं.18(1998) के अनुसार भारत में पूर्व उद्यमों/गठबंधनों के साथ विदेशी वित्तीय/तकनीकी सहयोगों के लिए स्व-चालित मार्ग के अंतर्गत विदेशी/तकनीकी सहयोगों से संबंधित दिशा-निर्देशों की समीक्षा करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी निवेश/तकनीकी सहयोगों के नए प्रस्तावों को क्षेत्रक नीतियों के अध्यधीन स्वचालित

मार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार आगे अनुमति दी जाएगीः-

- सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता केवल उन्हीं मामलों में होगी जहाँ विदेशी निवेशक का उसी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अंतरण/ट्रेड मार्क करार के लिए एक विद्यमान संयुक्त उद्यम है।
- उपर्युक्त मामलों में भी निम्नलिखित के संबंध में सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगीः

  (i) सेबी के साथ पंजीकृत उद्यम पूंजी निधियों के जरिए किए जाने वाला निवेश; अथवा

  (ii) जहाँ किसी भी पक्षकार द्वारा किए गए मौजूदा संयुक्त उद्यम निवेश 3 प्रतिशत से कम हैं; अथवा

  (iii) जहाँ मौजूदा उद्यम/सहयोग अक्रियात्मक हैं या रुग्ण हैं।

  जहाँ तक, 12 जनवरी, 2005 के प्रेस नोट की तारीख के बाद शामिल किए जाने वाले संयुक्त उद्यमों का संबंध है, संयुक्त उद्यम करार में एक हित टकराव खंड को संयुक्त उद्यम सहभागियों के हित की सुरक्षा के लिए शामिल किया जा सकता है ताकि किसी एक भागीदार के आर्थिक कार्यकलाप के उसी क्षेत्र में एक अन्य संयुक्त उद्यम अथवा पूर्णतया अपने स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी की स्थापना करने का इच्छुक होने पर संयुक्त उद्यम भागीदारों के हित की संरक्षा की जा सके।

(iii) दूरसंचार क्षेत्र में कतिपय सेवाओं (यथा आधारभूत, पब्लिक रेडियो ट्रंकड सेवाएं (पीएमआरटीएस), वैश्विक मोबाइल वैयक्तिक संचार सेवा (जीएमपीसीएस) और अन्य मूल्य वर्धित सेवाएं) में एफडीआई की उच्चतम सीमा को फरवरी, 2005 में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है। कुल संयुक्त विदेशी धारिता जिसमें भारतीय प्रवर्तकों/निवेश कम्पनियों की धारक कम्पनियों इत्यादि सहित उनमें एफआईआई/एनआरआई/ओसीबी, एफसीसीबी, एडीआर, जीडीआर द्वारा निवेश किन्तु जो इन तक सीमित नहीं है, रूपांतरणीय अधिमानी शेयर, आनुपातिक विदेशी निवेश शामिल है, 74% से अधिक नहीं होगी।

(iv) आर्थिक कार्यकलापों के सृजन, नए रोजगार अवसरों के सृजन तथा उपलब्ध आवास स्टॉक तथा निर्मित अवसंरचना में वर्धन करने के लिए एक साधन के रूप में टाऊनशिप, आवास, निर्मित अवसंरचना और संरचना विकास परियोजनाओं में निवेश को उत्प्रेरित करने के मद्देनजर सरकार ने टाउनशिप, आवास, निर्मित अवसरंचना, तथा संरचना विकास (जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, आश्रय-स्थल, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजन सुविधाएं, नगर और क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना शामिल होंगे, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं, जो निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अध्यधीन होंगीः

  क. प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्रफल निम्नानुसार होगाः

  (i) शोधित आवास प्लाटों के विकास के मामले में; 10 हेक्टेयर का न्यूनतम भू-क्षेत्रफल

  (ii) संरचना-विकास परियोजनाओं के मामले में, 50,000 वर्गमीटर का न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल

  (iii) संयोजन परियोजना के मामले में, उपर्युक्त दो शर्तों में से कोई भी एक शर्त ही पर्याप्त होगी।

  ख. निवेश आगे निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगाः

  (i) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों हेतु 10 मिलियन अमरीकी डालर का और भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम पंजीकरण। कंपनी का व्यवसाय आरंभ होने के 6 महीनों के भीतर निधियां निविष्ट की जानी होंगी।

  (ii) न्यूनतम पूंजीकरण के पूर्ण होने से 3 वर्षों की अवधि से पहले मूल निवेश को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। तथापि, एफआईपीएस के जरिए सरकार के पूर्व अनुमोदन से निवेशक को पहले ही निर्गमन की अनुमति दी जाएगी।

इस संबंध में डीआईपीपी द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

एफआईयू

सम्पर्क कार्यालय/शाखा कार्यालय

इस अवधि के दौरान विदेशी कंपनियो के शाखा और संपर्क कार्यालयों की स्थापना की प्रक्रियाविधि को और अधिक उदार बनाया गया है तथा कतिपय देशों से मामलों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक को, उन सभी क्षेत्रकों जिनमें स्वचालित अनुमोदन मार्ग के तहत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है, एलओ/बीओ के लिए सभी यथार्थ आवेदनों पर विचार करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई थी।

2. **आईसी अनुभाग**

वर्ष के दौरान, नीति को और उदार बनाया गया था और भारतीय निगमों/पंजीकृत सहभागी फर्मों को उनके निवल मूल्य का 200% तक विदेशी कम्पनियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है और 100 मिलियन अमरीकी डालर की मौद्रिक उच्चतम सीमा को हटा दिया गया है (भागीदारी फर्मों के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर)।

2. वर्ष 2005-06 के दौरान (अप्रैल-अगस्त 2005) समुद्रपारीय निवेश के लिए 912.54 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 685 अनुमोदन जारी किए गए थे।

3. वर्ष के दौरान, द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण करारों पर हंगरी और सउदी अरब के साथ हस्ताक्षर किए गए/अनुसमर्थन किया गया और करारों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए कनाडा, मेक्सिको, सेनेगल, बोसनिया, गुबाना, स्लोवेनिया, रोमानिया, ब्रुनेई, स्लोवेक गणराज्य और सार्क देशों के साथ वार्ताएं आयोजित की गई। अब तक 58 देशों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें से 48 का अनुसमर्थन किया गया है और अन्य अनुसमर्थन के विभिन्न चरणों में हैं।

3. **आईडीईएएस संभाग**

विदेशों को दी गई भारत सरकार की सहायता प्राप्त ऋण श्रृंखला

वर्ष 2005-2006 में (अप्रैल, 2005 से अब तक अर्थात् 25-01-2006 तक) एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के जरिए भेजे जाने हेतु भारत सरकार की सहायता प्राप्त ऋण श्रृंखला का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

(i) फिजी सरकार को 58 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला

(ii) मोजाम्बिक में एक परियोजना के लिए इरकान/राईट्स को 28 मिलियन अमरीकी डालर का आपूर्तिकर्ता ऋण।

(iii) श्रीलंका सरकार को 100 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(iv) बुरकीना फासो सरकार को 30.97 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(v) घाना सरकार को 60 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(vi) चाड सरकार को 50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(vii) माली सरकार को 27 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(viii) इक्वेटोरियल गिन्नी सरकार को 15 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण/श्रृंखला।

(ix) सेनेगल सरकार को 48 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(x) कोटे डीआईबोर सरकार को 26.8 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xi) माली सरकार और सेनेगल सरकार को 27.7 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xii) म्यांमार सरकार को 20 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xiii) होंडुरास सरसाक को 30 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xiv) नाइजर सरकार को 17 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xv) गाम्बिया सरकार को 6.7 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xvi) कम्बोडिया सरकार को 3.03 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xvii) टर्की में एक परियोजना के लिए मेसर्स इरकॉन को 130 मिलियन अमरीकी डालर का आपूर्तिकर्ता ऋण।

(xviii) कांगो सरकार को 33.5 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xix) गिन्नी विस्साउ सरकार को 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xx) सुडान सरकार को 350 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

(xxi) सुडान सरकार को 41.9 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला।

4. डब्ल्यू.टी.ओ. अनुभाग

वर्ष के दौरान आर्थिक सहयोग संबंधी डब्ल्यू.टी.ओ. करारों के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं से संबंधित अनेक मुद्दों, यथा गैट्स के अंतर्गत माडल अनुसूचियां तैयार किया जाना तथा मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत वार्ताएं, अन्य देशों के साथ वित्तीय सेवाओं को शामिल कर क्षेत्रीय व्यापार करारों पर विचार किया गया। वर्तमान में आर्थिक सहयोग संबंधी निम्नांकित करार विचाराधीन हैं:

(i) सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार जिसमें निवेश, वित्तीय सेवाएं आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं, को 29.06.05 को निर्णायक रूप दे दिया गया है।

(ii) सार्क सदस्य देशों के बीच परस्पर आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2004 में सार्क देशों के मध्य दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते (साफ्टा) पर हस्ताक्षर किए गए। साफ्टा संबंधी विशेषज्ञ समिति (सीओ.ई.), जिसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने चार शेष मुद्दों, नामतः उद्गम के नियम, संवेदी सूची, अल्पतम विकसित संविदाकारी राष्ट्रों (एम.सी.आर.एल.) के राजस्व क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु तंत्र तथा सहमति वाले क्षेत्रों में एल.डी.सी.एस. को तकनीकी सहायता देने के संबंध में वार्ताएं समाप्त कर दी हैं।

(iii) भारत-श्रीलंका विदेश व्यापार करार मार्च, 2000 से लागू हो गया है। इसने चार वर्षों की अवधि में व्यापार के परिमाण में तीन-चार गुणा वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। विद्यमान विदेश व्यापार करार की पहुंच बढ़ाने व सेवाओं आदि को और व्यापक बनाने के लिए जेएसजी अनुशंसाओं का अनुपालन करते हुए श्रीलंका के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (सीईसीए) पर बातचीत चल रही है। इससे दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनने की संभावना है।

वित्तीय सेवाओं, भारत के श्रीलंका को अनुरोध, श्रीलंका के भारत को अनुरोध संबंधी अनुबंध को अंतिम रूप देने पर चर्चा करने के लिए सीईए के अंतर्गत वित्तीय सेवा क्षेत्र संबंधी वार्ताओं का चौथा दौर 30-31 जनवरी, 2006 को श्रीलंका में हुआ था।

(iv) प्रधानमंत्री की जून 2003 में पेइचिंग यात्रा के दौरान यह निर्णय किया गया था कि अगले पांच वर्षों के दौरान भारत-चीन व्यापार के निवेश और अन्य आर्थिक आदान-प्रदान संबंधी उपायों के व्यापक विकास के कार्यक्रम तैयार करने और व्यापक आर्थिक सहयोग करार अपनाने की व्यवहार्यता की पड़ताल करने और इसके कार्यक्षेत्र की संरचना व कार्यान्वयन के बारे में सिफारिशें करने के लिए अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों के संयुक्त अध्ययन दल (जेएसजी) का गठन किया जाए। जेसजी ने अप्रैल, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। दोनों देशों के बीच वित्तीय बातचीत के लिए समझौता ज्ञापन पर अप्रैल, 2005 में हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(v) भारत को केंद्र मानते हुए विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 25-29 जनवरी, 2006 की दावोस, स्विट्जरलैंड में हुई थी। वित्त मंत्री ने वाणिज्य मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। विश्व आर्थिक मंच एक वार्षिक घटना है जिसमें सरकारों और व्यापार जगत के नेता मिलते हैं और विचार विमर्श करते हैं व विश्व की अर्थव्यवस्था की दिशा पर प्रभाव डालते हैं। ऐसी बैठके देशों में सुधारों, बृहद् आर्थिक मुद्दों, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यापार बढ़ाने वाली संभावित कार्यनीतियों, व्यवसाय, वातावरण और प्रतिस्पर्धात्मकता आदि पर केंद्रित होती हैं।

5. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) यूनिट

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग से आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय को इसके अंतरण के पश्चात दि.18-2-2003 के का.ज्ञा. 1/3/2003 एफ.आई.यू. के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है।

2. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में सरकार के सचिवों के केंद्रीय दल में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, अध्यक्ष।

(ii) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

(iii) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

(iv) सचिव, आर्थिक संबंध, विदेश मंत्रालय।

(v) सचिव, प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय (शामिल किया जा रहा है)।

3. यह बोर्ड, जब और जैसे आवश्यक होगा, भारत सरकार के अन्य सचिवों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों के उच्च अधिकारियों और उद्योग एवं वाणिज्य के व्यावसायिक विशेषज्ञों को सहयोजित करने मे सक्षम होगा। वर्तमान व्यवस्था में राजस्व विभाग के सचिव और लघु उद्योग विभाग के सचिव बोर्ड के स्थायी सहयोजित सदस्य हैं।

4. आर्थिक कार्य विभाग में एफआईपीबी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी सरकार की नीति क्रियान्वित करने वाला सचिवालय है। एफआईपीबी सचिवालय में प्राप्त सभी प्रस्तावों (सब तरह से पूर्ण) पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है और 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार का निर्णय संसूचित कर दिया जाता है।

5. पारदर्शिता लाने और प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बनाने के लिए सचिवालय में प्राप्त होने पर एफआईपीबी प्रस्तावों को वेबसाईट पर प्रस्तुत कर दिया जाता है। ज्योंही सक्षम प्राधिकारी द्वारा एफआईपीबी की बैठक की कार्यसूची अनुमोदित की जाती है, निवेशकों की सुविधा के लिए इसे वेबसाईट पर प्रस्तुत कर दिया जाता है। साथ ही, ज्योंही वित्त मंत्री द्वारा बैठक की कार्यसूची अनुमोदित होती है अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिए जाते हैं।

6. अप्रैल-दिसंबर, 2004 की अवधि के दौरान हुई 12 बैठकों में विचारित 733 प्रस्तावों और अनुमोदित 578 प्रस्तावों की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2005 में कुल 12 बैठकें आयोजित की गई जिनमें 474 प्रस्तावों पर विचार किया गया और 372 (370+2) प्रस्ताव अनुमोदित किए गए। इनमें शामिल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह वर्ष 2004 में 6663 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2005 में लगभग 7398.402 करोड़ रुपए का था।

7. सरकार ने एफडीआई प्रक्रियाविधि को और उदार बनाया है प्रेस नोट 2 (सीरीज, 2005) के तहत टाउनशिप, आवास, भवन, अवसंरचना और संरचना परियोजनाओं को विकसित करने के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक की अनुमति दी गई है। प्रेस नोट 4 (सीरीज, 2005) के तहत, स्वचालित रूट क्षेत्रों में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश के प्रत्यावर्तन को स्वचालित मार्ग से अनुमति दे दी गई है, बशर्ते कि उनका मूल निवेश विनिमेय मुद्रा में हो। प्रेस नोट 6 (सीरीज 2005) के तहत; एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं में 20% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है।

8. इसके अलावा, सरकार ने प्रेस नोट 18(1998 सीरीज) के तहत अधिसूचित दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है। और प्रेस नोट 1998 के प्रेस नोट 18 को प्रतिस्थापित कर दिनांक 12 जनवरी, 2005 के सं. 8/1/2003-एफसी (पार्ट) के तहत प्रेस नोट 1 (सीरीज 2005) जारी किया है।

9. प्रेस नोट 1 के अनुबंधों के अनुसार, इसके पश्चात् विदेशी निवेश/ तकनीकी सहयोग के लिए नए प्रस्तावों को अनुमति क्षेत्रक नीतियों के अध्यधीन स्वचालित मार्ग के अंतर्गत निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी :-

(i) सरकार का पूर्वानुमोदन केवल उन्हीं मामलों में अपेक्षित होगा, जहां विदेशी निवेशक का "उसी" क्षेत्र में कोई विद्यमान संयुक्त उद्यम है।

(ii) उन मामलों में भी, जहां विदेशी निवेशक के पास "उसी" क्षेत्र में एक संयुक्त उद्यम है, सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उद्यम पूंजी निधियों द्वारा किए गए निवेश सेबी के साथ पंजीकृत हैं; अथवा जहां किसी भी पक्षकार द्वारा किया गया वर्तमान संयुक्त उद्यम निवेश 3% से कम है अथवा जहां वर्तमान उद्यम/सहयोग निष्क्रिय अथवा रुग्ण है।

6. आई.ए. अनुभाग

रूस के साथ द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मामले

अंतः सरकारी वित्तीय दायित्वों के निपटान संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मास्कों में भारत-रूस संयुक्त कृत्तिक बल की दूसरी बैठक 26-28 अक्टूबर, 2005 को आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गईः

(i) पूर्ववर्ती यूएसएसआर और रूसी परिसंघ द्वारा भारत सरकार (रक्षा सेवाएं तथा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम) को प्रदत्त राज्य ऋणों से जुड़े अल्प भुगतान

(ii) रूस के बकाया ऋण का भुगतान

(iii) भारत में निवेश के लिए संचित रुपया। निधियों को प्रयुक्त करने के लिए विनिमेय पत्रों को अंतिम रूप देना।

(iv) पूर्ववर्ती यू.एस.एस.आर. तथा रूसी परिसंघ को वस्तुओं तथा सेवाओं के परिदाय के लिए भारतीय निर्यातकों के भुगतान दावों का निपटान।

(v) भारतीय राज्य टकसाल को रूसी राज्य स्वामित्वाधीन कम्पनी "मास्को मिंट" द्वारा प्रस्तुत दावा।

कोलम्बो प्लान की तकनीकी सहयोग योजना के तहत प्रशिक्षण

2. प्रत्येक वर्ष कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना के अंतर्गत कोलम्बाई योजना सदस्य देशों से अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 410 स्लॉट निर्धारित किए जाते हैं। प्रशिक्षण क्षेत्रों में मानव संसाधन विकास, लेखा परीक्षा तथा लेखा, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर शिक्षा, संसदीय मामले, ग्रामीण विकास, वस्त्र, जल संसाधन, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरी, वित्तीय प्रबंधन, बीमा आदि शामिल थे।

9. सहायता लेखा तथा लेखा-परीक्षा प्रभाग

यह प्रभाग, जो आर्थिक कार्य विभाग के विदेशी वित्त स्कंध का एक भाग है, विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं से भारत सरकार को प्राप्त विदेशी ऋणों/अनुदानों से सम्बन्धित विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इस प्रभाग द्वारा निपटाए जाने वाले कार्यकलापों में परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों तथा दाताओं के साथ विचार-विमर्श, परियोजनाओं से प्राप्त दावों पर कार्रवाई तथा विभिन्न दाताओं से निधियों के आहरण की व्यवस्था, प्राप्त किए गए विभिन्न ऋणों के मामले में भारत-सरकार की ऋण शोधन देयता का समय पर निर्वहन, ऋण-रिकार्ड, विदेशी ऋण सांख्यिकी का रखरखाव, विभिन्न प्रबन्ध सूचना रिपोर्टों का संकलन, विदेशी सहायता विवरणिका का वार्षिक आधार पर प्रकाशन, तथा सहायता प्राप्तियों और ऋण शोधन के बजट अनुमानों को तैयार करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग डीजीएफटी के तहत 40 लाइसेंस कार्यालयों (निर्यात संवर्धन क्षेत्रों सहित) द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए पंजीकृत निर्यातकों को जारी आयात लाइसेंसों की लेखा-परीक्षा करता है।

विगत वर्ष तक निष्पादन/उपलब्धियां

ऋण/क्रेडिट के रूप में वर्ष 2004-05 के दौरान सरकारी खाते में विदेशी प्राप्तियाँ 16192.86 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 13542.70 करोड़ रुपये थीं। 2004-05 में प्राप्त नकद अनुदान सहायता 2257.70 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 2433.50 करोड़ रुपये थी।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन/उपलब्धियां

वर्ष 2005-06 के दौरान (20 जनवरी, 2006 तक) विदेशी ऋण/क्रेडिट की निकासी 14540.58 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 9595.00 करोड़ रुपए थी और 20 जनवरी, 2006 तक प्राप्त की गई नकद अनुदान सहायता 2969.84 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 1980.75 करोड़ रुपए थी।

ई-गवर्नेंस

1. सहायता लेखा और लेखा परीक्षा प्रभाग के समस्त कार्यकलापों का अप्रैल, 1999 से कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है जो "एकीकृत कम्प्यूट्राइज्ड प्रणाली" (आईसीएस) नामक ऑन लाइन प्रणाली पर आधारित है। आईसीएस प्रणाली में ऋण चक्र, प्राप्ति और भुगतान दोनों के लिए विदेशी सहायता हेतु बजट तैयार करने, वार्षिक विदेशी सहायता पुस्तिका तैयार करने और अद्यतन सीएस-डीआरएमएस बनाए रखने से संबंधित सभी कार्यकलाप शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान आईसीएस को उपभोक्ता की अपेक्षा के अनुरूप परिष्कृत/ सुसज्जित किया गया है। ऑन-लाइन सिस्टम आईसीएस ने सभी कार्यकलापों की बारीकी से मानीटरिंग को सक्षम बनाने के अलावा इस कार्यालय की कार्यप्रचालन क्षमता को बढ़ाने में भी योगदान दिया है। इस प्रभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कम्प्यूट्रीकृत कार्य परिवेश में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

2. सभी ऋण प्रभागों, राज्य सरकारों, परियोजना प्राधिकरणों, दाताओं आदि के लाभार्थ वेबसाइट पता "एचटीटीपीः/फिनमिन.एनआईसीआईएन/सीएएए" के अंतर्गत इस प्रभाग द्वारा विदेशी सहायता पर एक विस्तृत वेबसाइट बनाई जा रही है। इस वेबसाइट पर दाताओं के अनुसार ऋण/उधार/अनुदान के अनुसार, राज्य-वार, क्षेत्रवार मासिक, तिमाही और वार्षिक आधार पर संवितरण की स्थिति से संबंधित व्यापक सूचना समाविष्ट है। वेबसाइट को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। वेबसाइट में समस्त दावों के चक्र अर्थात दावा प्राप्ति से लेकर एसीए जारी किए जाने तक को शामिल करते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दावों की अद्यतन स्थिति भी दिखाई गई है। इस दावा चक्र के अतिरिक्त, दि. 1.4.2002 से पीएफ-I प्रभाग द्वारा बनायी गयी एसीए निर्गम की एक एकमात्र विस्तृत रिपोर्ट वेबसाइट पर मुहैया करायी गयी है। इसके अतिरिक्त, वेबसाइट से विभिन्न पैरामीटरों पर विदेशी प्रभुसत्ता वाले उधारों के संबंध में संवितरित बकाया ऋणों पर भी जानकारी ली जा सकती है। यह अद्यतन स्थिति इस प्रभाग में बनाए गए "सर्वर" से उपलब्ध करायी गयी है। वेबसाइट में विभिन्न दाताओं से विदेशी सहायता के संवितरित बकाया ऋणों और उनकी शर्तों के अलावा विदेशी सहायता के समग्र पोर्टफोलियो से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी सूचना भी समाविष्ट है। विदेशी सहायता पुस्तिका की "साफ्ट कापी" किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा संदर्भ के लिए वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

3. राज्यों को एसीए जारी करने के मामले में तेजी लाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान पीएफ-I और नार्थ ब्लाक के पीएमयू प्रभाग के साथ ई-लिंक स्थापित किया गया है। ई-लिंक के माध्यम से परियोजनाओं हेतु एसीए निर्गमों की अद्यतन स्थिति की उपलब्धता आसान हो गयी है, जो अब राज्यों को एसीए के निर्गम की मानीटरिंग में आसानी हेतु उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

4. एक गतिशील वेबसाइट - ए ए ए डी एम ओ एफ. जी ओ वी. आई एन जिससे कोई भी प्रयोक्ता अपनी विशिष्ट जरुरतों के अनुसार परिवर्तित रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है, को भी एएएडी द्वारा कार्यान्वित किया गया है। संवितरण की व्यवस्था करने के लिए दावे की ई-प्रोसेसिंग और ऋण शोधन सेवाओं के लिए ई-बैंकिंग तथा वर्तमान दावों से विश्व बैंक द्वारा वसूल की गई लेखा-परीक्षा अस्वीकृतियों की जांच करने के लिए भी कार्य चल रहा है।

5. इस प्रभाग के लिए आईएसओ प्रमाणन का कार्य भी चल रहा है।

प्रभाग का संगठनात्मक चार्ट

सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक
↓
संयुक्त सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक
↓

उप सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक	उप सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक	उप सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक
↓	↓	↓
वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी

10. प्रशासन प्रभाग

I. **कार्यः** प्रशासन प्रभाग, विभाग के कार्मिकों एवं कार्यालय प्रशासन तथा विभाग एवं इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है।

II. **कर्मचारियों की संख्याः** 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारियों की संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है : -

क. 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	स्थायी	अस्थायी	अनु0जा0 के कर्मचारियों की संख्या	अनु0 ज0 जा0 के कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6
समूह -'क'					
(i) श्रेणी 'क' के निम्नतम स्तर के अधिकारियों को छोड़कर	238	236	2	26	15
(ii) श्रेणी 'क' के निम्नतम स्तर के अधिकारी	118	116	2	18	4
समूह-'ख',	846	840	6	145	43
समूह-'ग',	2302	2284	18	381	165
समूह-'घ', (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	678	673	5	165	53
समूह-'घ', (सफाई कर्मी)	227	226	1	163	11
अवर्गीकृत/ औद्योगिक कामगार	14946	14845	101	3044	1435

ख. 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार समूह-'ग' तथा 'घ' पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	भूतपूर्व सैनिक
समूह-'ग'	2302	172
समूह-'घ' (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	678	77
समूह-'घ' सफाई कर्मी	227	2
अवर्गीकृत/औद्योगिक कामगार	14946	228

ग. 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के नियोजन की स्थिति

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	विकलांग व्यक्तियों की संख्या वी.एच.	विकलांग व्यक्तियों की संख्या एच.एच.	विकलांग व्यक्तियों की संख्या ओ.एच.
समूह-'क'	356	-	-	9
समूह-'ख'	846	-	2	5
समूह-'ग'	2302	1	1	36
समूह-'घ'	905	6	2	14
अवर्गीकृत/औद्योगिक कामगार	14946	47	82	256

वी0एच0-दृष्टि विकलांग

एच0एच0-श्रव्य विकलांग

ओ0एच0-अस्थि विकलांग

III. सहायता अनुदान

वर्ष 2005-2006 के दौरान (31-01-2006 तक) सहायता अनुदान के रूप में निम्नलिखित राशि जारी की गई थीः

क्रम सं0	संस्थान का नाम	राशि	प्रयोजन
1.	औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान (आईएसआईडी)	15.00 लाख रू0	संस्थान के परिसर विकास के लिए।
2.	भारतीय आर्थिक संघ (आईईए)	5.00 लाख रू0	विशाखापट्टनम में 88वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने हेतु।
3.	मानव विकास संस्थान (आईएचडी)	5.00 लाख रु0	एक सेमिनार आयोजित करने हेतु।
4.	इंडियन इकोनोट्रिक सोसाइटी (आईईएस)	1.50 लाख रु0	अमृतसर में 42वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने हेतु।
5.	इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनोमिक रिलेशन्स (आईसीआरआईईआर)	15.00 लाख रु0	वर्ष 2005-2006 के दौरान समग्र शोध गतिविधियों हेतु।
6.	नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर)	50.00 लाख रु0	वर्ष 2005-2006 के दौरान प्रशासनिक खर्च पूरा करने हेतु।

IV. महिला कर्मचारियों की यौन-प्रताड़ना पर शिकायत समिति

आर्थिक कार्य विभाग (मुख्य) में महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए एक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति की संरचना निम्न प्रकार है -

1.	श्रीमती अनुराधा प्रसाद, निदेशक आर्थिक कार्य विभाग	अध्यक्ष
2.	डा0 जया कोठारी पिल्लै, महासचिव (एआईडब्ल्यूसी) महिला प्रतिनिधि)	सदस्य (गैर-सरकारी संगठन से
3.	सुश्री नीलम वोहरा, अवर सचिव आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4.	अवर सचिव (सतर्कता) आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य सचिव (पदेन)

V. सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाती रही। जैसा कि निर्दिष्ट है, वर्ष के दौरान संसद में सभी दस्तावेज द्विभाषी प्रस्तुत किए गए तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज दोनों भाषाओं में तैयार किए गए। वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग ने अनेक कदम उठाए।

(i) अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी/हिन्दी टंकण और आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए नामित किया गया।

(ii) कर्मचारियों को हिन्दी में अधिक कार्य करने के प्रोत्साहन के रूप में सितम्बर, 2005 के दौरान वार्षिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा इनमें उत्तीर्ण कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

(iii) विभाग द्वारा आर्थिक विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार योजना चलाई जा रही है।

(iv) 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के पुनीत अवसर पर माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने संदेश में मंत्रालय/इसके सभी अधीनस्थ व संबद्ध कार्यालयों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं व बीमा उपक्रमों में अधिकारियों व कर्मचारियों से अपना सरकारी कामकाज हिन्दी में करने की अपील की।

(v) सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में अधिकारियों व कर्मचारियों की हिचक दूर करने के उद्देश्य से हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

(vi) सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रेरित करने व उनमें जागरूकता लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए।

(vii) राजभाषा अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा वार्षिक कार्यक्रम और राजभाषा से संबंधित आदेशों और अनुदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण दल गठित कर विभाग के विभिन्न अनुभागों तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

VI. वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग

वित्त पुस्तकालय और प्रकाशन अनुभाग की स्थापना 1945 में हुई। वित्त पुस्तकालय मंत्रालय में केन्द्रीय अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है तथा मंत्रालय के सभी 3 विभागों के अधिकारियों, समय-समय पर गठित की गई तदर्थ समितियों और आयोगों तथा भारत के व अन्य बाहर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह पुस्तकालय मंत्रालय के प्रकाशन अनुभाग के रूप में भी कार्य करता है और भारत तथा विदेशों में विभिन्न संस्थाओं/व्यक्तियों की मांग पर सरकारी दस्तावेजों को उपलब्ध कराने व वितरण में समन्वय स्थापित करता है।

2. पुस्तकालय में आर्थिक व वित्तीय मामलों संबंधी दो लाख से अधिक पुस्तकों का विशिष्ट संग्रह है तथा इसमें प्रत्येक वर्ष 800 से भी अधिक पत्रिकाएं/समाचार पत्र आते हैं।

3. वित्त पुस्तकालय एक साप्ताहिक प्रकाशन "वीकली बुलेटिन"-एक विषय ग्रंथ सूची भी संकलित करता है जिसमें 200 जर्नलों/ समाचार- पत्रों से रूचि के लेखों को सूचीबद्ध किया जाता है।

11. द्विपक्षीय सहयोग प्रभाग

परियोजना प्रबन्धन एकक

परियोजना प्रबन्धन एकक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनीटर करता है और परियोजना विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को छोड़कर आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रशासित सभी विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित कार्रवाई करता है।

2. यह एकक राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र में संवितरणों की नियमित समीक्षा करता है और अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान हेतु उपाय करने, राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अग्रिम तौर पर जारी करने तथा अधिप्राप्ति प्रक्रिया को मजबूत बनाने से संबंधित कार्य करता है। यह एकक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के बजटीय अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने तथा योजना आयोग के साथ-योजनागत परिचर्चा करने से जुड़े समन्वय का कार्य भी करता है।

3. भारत सरकार ने 12 वें वित्त आयोग द्वारा की गई राज्यों को दोतरफा (बैक-टू बैक) आधार पर विदेशी सहायता देने से संबंधित सिफारिशों को मान लिया है। तद्नुसार 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात हस्ताक्षरित नई परियोजनाओं के मामले में विदेशी सहायता दोतरफा आधार पर दी जाएगी। हालांकि, यह निर्णय भी किया गया है कि चालू परियोजनाओं के लिए विशेष श्रेणी राज्यों को 10:90 के ऋण/अनुदान अनुपात में तथा गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को 70:30 अनुपात में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में विदेशी सहायता प्रदान करना जारी रखा जाए। वर्ष 2005-06 के दौरान (नवम्बर, 2005 तक) सरकारी तथा गैर-सरकारी खाते के अनुसार, 2004-05 की अवधि के 17147.231 करोड़ रूपए की तुलना में, विदेशी सहायता के रूप में कुल 8922.694 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई जिसमें से 429.743 करोड़ रुपए की राशि बैक-टू-बैक आधार पर थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के संबंध में 16.12.2005 की स्थिति के अनुसार 2005-06 के दौरान, 10609.33 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 4290.06 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

4. द्विपक्षीय विकास सहयोग से संबंधित नीतिः भारत की आर्थिक नीति में उदारीकरण और सुधारों की दिशा की पुष्टि करने के लिए भारत सरकार ने द्विपक्षीय विकास सहयोग की नीति की समीक्षा की है। द्विपक्षीय विकास सहायता सभी जी-8 देशों अर्थात् सं.रा. अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूसी परिसंघ के साथ-साथ यूरोपीय कमीशन से भी स्वीकृत की जाएगी। जहां तक जी-8 से भिन्न यूरोपीय संघ के अन्य देशों का संबंध है, ऐसे देशों से द्विपक्षीय विकास सहयोग स्वीकृत किया जाएगा जो भारत को न्यूनतम द्विपक्षीय सहायता पैकेज (25 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष) मुहैया कराएं। उपर्युक्त नीति में शामिल न किए गए अन्य देश पहले की तरह स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि को सीधे ही द्विपक्षीय सहायता मुहैया कराने पर विचार कर सकते हैं। इस नीति में गैर-सरकारी संगठनों और स्वायत्त संस्थाओं को द्विपक्षीय सहायता को सुसाध्य बनाने के लिए सरलीकृत प्रक्रिया भी शामिल है।

5. विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित कार्य, जो पहले विभिन्न क्रेडिट अनुभागों द्वारा किया जाता था, अब केन्द्रीकृत कर दिया गया है और दिनांक 15.9.2003 से परियोजना प्रबन्धन एकक (पीएमयू) को अन्तरित कर दिया गया है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समयबद्ध आधार पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है और वित्त मंत्रालय की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. एफआईएनएमआईएन. एनआईसी.आईएन.) पर दिखाया जाता है।

अपने साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग का विविरण निम्नवत् है-

यूनाइटेड किंगडम

1. परिचय

वर्ष 1958 से यू. के. भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता देता रहा है। वर्ष 1975 से, यू. के. सहायता अनुदानों के रूप में प्राप्त हुई है। वर्तमान में, यू. के. अनुदान देने वाला सबसे बड़ा द्विपक्षीय विकास भागीदार है। यू. के. की सहायता अंतराष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) संचालित करता है। डीएफआईडी की सहायता शिक्षा, गन्दी बस्ती सुधार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रकों में है। डीएफआईडी के प्राथमिकता प्राप्त राज्य आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं।

2. पिछले वर्ष तक कार्य निष्पादन/उपलब्धियां: वर्ष 2004-05 के दौरान यू. के. ने नए करारों पर हस्ताक्षर के माध्यम से 335 मिलियन पौंड (2680 करोड़ रूपए) की वचनबद्धता की है। यू. के. ने भारत सरकार के माध्यम से चालू परियोजनाओं के लिए 180.76 मिलियन पौंड (1466.08 करोड़ रूपए) की कुल राशि संवितरित की।

3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन/उपलब्धियों के बारे में सूचना: वर्ष 2005-06 के दौरान यू. के. ने चालू परियोजनाओं हेतु 30.10.2005 तक 48.121 मिलियन पौंड (384.968 करोड़ रूपए) की कुल राशि संवितरित की है। चूंकि ऐसे संवितरण खर्च किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में होते हैं; इसलिए पिछली तिमाही में कुल संवितरण के 50-60% हिस्से को ही हिसाब में लिया गया है। 15 दिसम्बर, 2005 तक कुल मिला कर 14 नई परियोजनाएं डीएफआईडी के समक्ष प्रस्तुत की गई। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान (30.11.2005 तक) नए करारों पर हस्ताक्षर के माध्यम से 109 मिलियन पौंड (872 करोड़ रुपए) की नई वचनबद्धताएं की गई हैं जो कि (i) स्वास्थ्य प्रणाली विकास उपक्रम कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल, तथा (ii) पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकेन्द्रीकरण को सुदृढ़ बनाने से संबंधित हैं।

4. लिए गए नीतिगत निर्णय

भारत सरकार ने जुलाई, 2004 में राज्य सरकारों के (क) ढांचागत संमजन कार्यक्रमों और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सुधार कार्यक्रमों हेतु विदेशी सहायता से जुड़े मुद्दों के बारे में नीतिगत निर्णय लिया । यह निर्णय किया गया था कि भारत सरकार अब के बाद राज्य सरकारों के ढांचागत समंजन कार्यक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सुधार कार्यक्रमों हेतु डीएफआईडी और अन्य द्विपक्षीय विकास प्रतिभागियों द्वारा वित्त पोषण के प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी। तथापि, भारत सरकार राज्य सरकारों के ढांचागत समंजन कार्यक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सुधार कार्यक्रमों हेतु द्विपक्षीय विकास प्रतिभागियों से तकनीकी सहायता हेतु प्रस्तावों पर विचार करेगी। यह निर्णय भी किया गया था कि डीएफआईडी और अन्य द्विपक्षीय भागीदारों से प्राप्त हो रही अनुदान सहायता का उपयोग मिलेनियम विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को पूरा करने के लिए सामाजिक क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया जाएगा।

नीदरलैंड्स

नीदरलैंड्स वर्ष 1962-63 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता देता रहा है। दिसंबर 1991 तक, डच सहायता में ऋण और अनुदान दोनों शामिल थे और यह मुख्यतः स्थानीय लागत वित्त प्रबंधन के लिए था। 1992 से, संपूर्ण डच सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है।

2. 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रतिस्थापित पुनः निर्धारित द्विपक्षीय विकास सहायता नीति के अंतर्गत डच से मिलने वाली ओडीए सहायता को बंद कर दिया गया है। नीदरलैंड जी-8 का सदस्य नहीं है। यूरोपीय यूनियन का सदस्य होने के नाते नीदरलैंड से ओडीए सहायता लेना पुनःआरम्भ किया जा सकता है बशर्ते कि वह भारत को प्रतिवर्ष-न्यूनतम 25 मिलियन डालर की द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान करने का वचन दे। अभी तक, नीदरलैंड ने हमारी नई नीति का प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

3. वर्ष 2004-05 और 2005-06 (नवबंर तक) के दौरान भारत सरकार के माध्यम से संवितरित डच सहायता क्रमशः 30.288 करोड़ रूपए और 29.62 करोड़ रूपए रही हैं।

स्विटजरलैंड

1. स्विटजरलैंड 1960 से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता प्रदान कर रहा है।

2. 2004-05 के दौरान स्विटजरलैंड ने भारत सरकार के माध्यम से 23.916 करोड़ रूपए की राशि (ऋण =14.329 करोड़ रुपए + अनुदान = 9.587 करोड़ रुपए) संवितरित की है।

इटली

1. इटली से भारत को द्विपक्षीय विकास सहायता 1976 में शुरू हुई थी जो अधिकांशतः संभरक ऋण के रूप में रही है। इटली सरकार पश्चिम बंगाल के 14 चुनिंदा नगरों में जलापूर्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंध परियोजना के निधि पोषण के लिए 25.82 मिलियन यूरो का उदार ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई है। पश्चिम बंगाल के 14 नगरों में जल और स्वच्छता प्रबंधन संबंधी परियोजना हेतु 25,822,845 यूरो के उदार ऋण के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आर्टीजिनकासा एसपीए (प्राधिकृत इटालियन बैंक) के साथ दिनांक 10.1.2006 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

2. वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) भारत सरकार के माध्यम से इतालवी सहायता के 110 संवितरण किए गए।

स्वीडन

भारत वर्ष 1964 से स्वीडिश द्विपक्षीय विकास सहायता प्राप्त कर रहा है। 1976 के पश्चात स्वीडिश सहायता अनुदानों के रूप में प्राप्त हो रही है।

स्वीडिश द्विपक्षीय विकास सहायता का संवितरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के बजट के माध्यम से स्वीडिश द्विपक्षीय विकास सहायता का कोई संवितरण नहीं हुआ है क्योंकि किसी भी चल रही स्वीडिश सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बजट के माध्यम से निधियां प्रदान नहीं की गई हैं।

स्वीडन जी-8 का सदस्य देश नहीं है। यूरोपीय यूनियन का देश होने के नाते, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हेतु विचार किए जाने के लिए, स्वीडन को प्रतिवर्ष न्यूनतम 25 मिलियन डालर सहायता राशि की वचनबद्धता करनी होगी। स्वीडन ने अभी तक हमारी नई नीति का प्रत्युत्तर नहीं दिया है।

जर्मनी गणराज्य संघ

जर्मनी भारत के सबसे बड़े द्विपक्षीय विकास सहयोग भागीदारों में से एक है। जर्मनी भारत को 1958 से वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। वित्तीय सहायता को जर्मन सरकार के विकास बैंक के एफ डब्ल्यू के माध्यम से मुख्यतः उदार ऋण, मिश्रित ऋण (वाणिज्यिक ऋण के साथ मिश्रित उदार ऋण) के साथ-साथ अनुदानों के रूप में प्रदान किया जाता है। तकनीकी सहायता को जर्मन सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम जर्मन तकनीकी सहयोग जीटीजेड के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

2. हाल ही के भारत-जर्मन वार्तालाप के दौरान निम्नलिखित नए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सहमति हुई है:-

(क) ऊर्जा

(i) ऊर्जा दक्षता

(ii) नवीकरणीय ऊर्जा जिसमें विद्युत क्षेत्र सुधारों हेतु संबंधित सहायता भी शामिल है।

(ख) पर्यावरणीय नीति, प्राकृति संसाधनों का संरक्षण और चिरस्थायी उपयोग।

(i) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

(ii) शहरी अवसंरचना सहित औद्योगिक और शहरी पर्यावरणीय प्रबंधन।

(ग) आर्थिक सुधार

निम्नलिखित पर विशेष ध्यान केन्दित करते हुए वित्तीय प्रणालियों और सेवाओं का विकास

(i) ग्रामीण वित्तपोषण (सूक्ष्म वित्तपोषण, सहकारी बैंकिंग आदि)

(ii) सामाजिक सुरक्षा वित्तपोषण

(iii) एसएमई विकास और वित्तपोषण

भविष्य में, स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत-जर्मन विकास सहयोग प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य परिचर्या वित्तपोषण, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा, देशव्यापी संक्रामक रोगों की रोकथाम (एचआईवी/एड्स, पोलियो) और संबंधित स्वास्थ्य क्षेत्र को सहायता जारी रहेगी।

3. वर्ष 2005 के लिए जर्मनी ने वित्तीय सहायता के रूप में 278.0 मिलियन यूरो की राशि (8.0 मिलियन यूरो उदार ऋण के रूप में, 10.0 मिलियन यूरो अनुदान के रूप में और 170.0 मिलियन यूरो सब्सिडी प्राप्त ब्याज ऋण के रूप में तथा 90.0 मिलियन यूरो विकास ऋण के रूप में) और तकनीकी सहायता के लिए अनुदान के रूप में 16.50 मिलियन यूरो की नयी वचनबद्धताएं की है। कुल संवितरण (2005-06 के दौरान तकनीकी सहायता को छोड़कर) (दिसम्बर, 2005 तक) 22.298 मिलियन यूरो हुआ था।

औद्योगिक और आर्थिक सहयोग पर भारत-जर्मन संयुक्त आयोग का 15वां सत्र 4-5अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विकास सहयोग पर भारत-जर्मन द्विपक्षीय परामर्श 10-11 मई, 2005 को नई दिल्ली में हुआ था। वित्त मंत्री ने 6-9 जून, 2005 के दौरान जर्मनी का दौरा किया था और जर्मन संघ के वित्त मंत्री, जर्मन संघ के आर्थिक और श्रम मंत्री तथा जर्मन संघ के विकास सहयोग मंत्री के साथ लाभप्रद बैठकें की। पहली ऊर्जा वार्ता 28-29 सितम्बर, 2005 को बर्लिन में आयोजित हुई। वार्ता की अगली बैठक 6 दिसम्बर, 2005 को नई दिल्ली में हुई थी। विकास सहयोग पर भारत-जर्मन की वार्षिक बातचीत 7-9 दिसम्बर, 2005 को नई दिल्ली में हुई थी।

यूरोपीय आयोग (ई सी)

यूरोपीय आयोग भारत को वर्ष 1976 से आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। भारत को मिलने वाली यूरोपीय आयोग की सहायता अनुदान के रूप में मिलती है और यह वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर केंद्रित है।

आरम्भिक अवस्था में ई सी की विकास सहायता परियोजना के वित्तपोषण के रूप में थी। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्रक कार्यक्रम के समर्थन के साथ ई सी ने अपनी कार्यनीति को बदलकर क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित कर दिया और अभी हाल ही में स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए राज्यों में अपने संसाधनों का अधिकांश भाग नियोजित करने के उद्देश्य से इन राज्यों में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया है।

छत्तीसगढ़ और राजस्थान को ई सी के "राज्य भागीदारी कार्यक्रम" (एस पी पी) के लिए संयुक्त रूप में चिन्हित किया गया है। एस पी पी के लिए दिनांक 25-02-04 को ई.सी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार ईसी छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों को 80-80 मिलियन यूरो के आवंटन के साथ एस पी पी के लिए 160 मिलियन यूरो मुहैया कराएगा। एस पी पी के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ को मिलने वाली ई सी सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्रों में होगी। राजस्थान को एसपीपी सहायता का केंन्द्र बिंदू, शुद्ध पेय जलापूर्ति होगा।

इस समय शिक्षा क्षेत्र (सर्वशिक्षा अभियान) और स्वास्थ्य क्षेत्र (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विकास कार्यक्रम) में क्रमशः 200 मिलियन यूरो और 240 मिलियन यूरो की ईसी सहायता के साथ दो केंद्रीय परियोजनाएं चल रही हैं।।

वर्ष 2004-05 के दौरान चल रही विकास सहयोग परियोजनाओं के लिए ई सी सहायता संवितरण 75.12 मिलियन यूरो था। 2005-06 के दौरान (31-10-2005 तक) 43.00 मिलियन यूरो का संवितरण हुआ है।

डेनमार्क

डेनिश सहायता निर्धनता उन्मूलन और सामाजिक क्षेत्र विकास में स्थानीय लागत परियोजनाओं के लिए अनुदानों के रूप में प्राप्त होती है। पिछले वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2004-05) के दौरान भारत सरकार के माध्यम से मिलने वाली डेनिश सहायता का कुल संवितरण 20.41 मिलियन डेनिश क्रोनर (15.68 करोड़ रुपए) हुआ था।

भारत सरकार ने डेनिश ऋणों पर कुल बकाया राशि को शामिल करते हुए डेनमार्क सरकार को 528.236 मि. डेनिश क्रोनर (लगभग 70.5 मि. अमरीकी डालर) और 1.259 मिलियन अ. डालर का पूर्वभुगतान किया है। डेनमार्क के संबंध में भारत पर अब कोई और ऋण दायित्व नहीं है।

डेनमार्क सरकार और भारत सरकार ने आपस में सहमत होकर 31.12.2005 तक भारत में डेनिश विकास कार्यक्रम को बंद कर दिया है।

फ्रांस

वर्ष 2002 तक फ्रांसीसी सहायता वाणिज्यिक, ऋण (50%) और राजकोषीय ऋण (50%) के मिश्रित ऋणों के रूप में उपलब्ध थी। वर्ष 2002 से फ्रांस ने वाणिज्यिक ऋण मार्ग को बंद कर दिया है। अब केवल राजकोषीय ऋण के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर फ्रासीसी सहायता प्रदान की जाती हैः-

- 23 से 30 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिए जाते हैं जिसमें
- 5 से 10 वर्ष की अनुग्रह अवधि शामिल हैं।
- ब्याज दर 2.6 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

फ्रांसीसी सहायता फ्रांस से वस्तुओं और सेवाओं से सम्बद्ध है।

वर्ष 2004-05 के दौरान फ्रैंच सहायता का कुल संवितरण 9.05 मिलियन यूरो (51.39 करोड़ रुपए) था। चालू राजकोषीय वर्ष के दौरान फ्रांस द्वारा 30.11.05 तक 3.20 मिलियन यूरो (17.35करोड़ रुपए) का संवितरण हुआ है।

नार्वे

भारत में नार्वे का द्विपक्षीय विकास सहायता कार्यक्रम केरल में तकनीकी विकास सहायता और वित्तीय सहायता के माध्यम से मत्स्य विकास के साथ 1952 में आरम्भ हुआ था।

वर्ष 1970 से नार्वे सहायता मुख्य रूप से सामाजिक और पर्यावरण क्षेत्रों में तकनीकी सेवाओं और स्थानीय लागत परियाजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त हो रही है।

वर्ष 2004-05 के दौरान नार्वे ने 1.83 मिलियन नार्वे क्रोनर (1.22 करोड़ रुपए) संवितरित किए हैं।

उत्तरी अमरीका (एनए) अनुभाग

उत्तरी अमरीका (एनए) अनुभाग में निम्नलिखित विषयों पर कार्रवाई की जाती हैः

(i) भारत को सं.रा. अमरीका की आर्थिक सहायता से संबंधित मामले तथा सं.रा. अमरीका/कनाडा से जुड़े अन्य क्षेत्रीय मामले। इस कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय विकास हेतु अमरीकी अभिकरण (यूएसएड)/द्विपक्षीय सहायता हेतु कनाडा की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) के लिए परियोजना प्रस्तावों की जांच और उन पर कार्रवाई किया जाना शामिल है, परियोजना करारों का मूल्यांकन और जांच, चल रही और कार्याभिमुखी परियोजनाओं की समीक्षा और मॉनीटरिंग, यूएसएड/सीडा के लिए विदेशी सहायता बजट की तैयारी और द्विपक्षीय सहायता संवितरण की मॉनीटरिंग किया जाना शामिल है।

(ii) भारत-अमरीका वित्तीय और आर्थिक मंच से संबंधित मामले

(iii) यूएस पब्लिक लॉ 480 के तहत सहायता से संबंधित मामले जिसके अन्तर्गत यूएसएड केयर/कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज इत्यादि जैसे विभिन्न संगठनों के जरिए वितरित की जाने वाली कृषि-वस्तुएं मुहैया कराता है।

(iv) भारतीय संस्थाओं/गैर-सरकारी संगठनों को फोर्ड फाउण्डेशन (एफएफ), कनाडा का अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र (आईडीआरसी) द्वारा अनुदान प्रदान किया जाना।

(v) सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा पर्यटन विभाग से संबंधित क्षेत्रीय प्रभार।

संयुक्त राज्य अमरीका

1. संयुक्त राज्य अमरीका वर्ष 1951 से भारत को आर्थिक सहायता देता आ रहा है। संयुक्त राज्य अमरीका की विकास सहायता अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अभिकरण के माध्यम से दी जाती है। वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमरीका की विकास सहायता अनुदान के रूप में है तथा परियोजना सहायता के रूप में उपलब्ध है।

2. वर्ष 2003-04 में संवितरित 50.19 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2004-05 में 36.799 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता संवितरित की गई।

3. पीएल-480 (शीर्षक-II) के अंतर्गत, संयुक्त राज्य अमरीका एकमुश्त अनुदान के रूप में कृषीय वस्तुएं देता रहा है। यूएस एआईडी ने वर्ष 2003-04 के दौरान संवितरित 55.319 मिलियन अमरीकी डालर की तुलना में वर्ष 2004-05 में 41.700 मिलियन अमरीकी डालर (मालभाड़ा सहित) की कुल राशि संवितरित की है।

4. आर्थिक कार्य विभाग भारत-अमरीका वित्तीय एवं आर्थिक मंच के लिए केन्द्रक अभिकरण है जो प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समन्वित समग्र भारत अमरीका आर्थिक वार्ता के अन्तर्गत चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत, संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के साथ विचारों का नियमित आदान-प्रदान किया जाता है। मंच की अंतिम (तीसरी) बैठक नई दिल्ली में 9 नवम्बर, 2005 को आयोजित हुई थी जिसकी सह-अध्यक्षता वित्त मंत्री और अमरीका के ट्रेजरी सेक्रेटरी ने की थी।

कनाडा

भारत को कनाडियन आर्थिक सहायता वर्ष 1951 में मिलनी शुरू हुई। अक्तूबर, 2003 तक, भारत को दी गई कुल सहायता लगभग 3 बिलियन कनाडियन डालर रही है। इस सहायता में मुख्यतया विकास सहायता, खाद्य एवं तकनीकी सहायता शामिल है। कनाडियन सहायता कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (सीडा) के माध्यम से दी जाती है। 1 अप्रैल, 1986 से यह सहायता अनुदानों के रूप में दी जा रही है।

सरकारी बजट के माध्यम से मिलने वाली सहायता नगण्य है। कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (सीडा) के भारत के लिए देशीय नीति कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं - भारत में आर्थिक और सामाजिक नीति संबंधी सुधारों को बढ़ावा देना; भारत के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ विकास को संवर्धित करने की क्षमता में योगदान देना और दोनों देशों के निजी क्षेत्रों के बीच एक दृढ़ आर्थिक संबंध बनाने में सहायता करना। सीडा ने भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु 2003-04 के 15.624 मिलियन कनाडियन डालर की राशि के मुकाबले 2004-05में 12.621 मिलियन कनाडियन डॉलर की राशि संवितरित की है।

अक्तूबर, 2003 में सीडा ने वर्ष 2006-2007 तक अपने चालू द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम को समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। भारत सरकार ने अक्टूबर, 2003 में 1966-1984 के दौरान भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के बदले 419.941 मिलियन कनाडियन डालर के सम्पूर्ण कनाडियन ऋण का पूर्व-भुगतान कर दिया है।

3. भारत सरकार ने भारत की आर्थिक नीति में उदारीकरण और सुधारों की दिशा की पुष्टि करने के लिए द्विपक्षीय विकास सहयोग संबंधी नीति की समीक्षा की है। दि. 20.09.04 को घोषित नीति के अनुसार द्विपक्षीय विकास सहायता यूरोपीय कमीशन के साथ-साथ कनाडा सहित सभी जी-8 देशों से स्वीकृत की जाएगी।

फोर्ड फाउंडेशन से सहायता

फोर्ड फाउंडेशन वर्ष 1952 से विभिन्न भारतीय गैर सरकारी संगठनों/संस्थाओं को स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, संस्कृति आदि के क्षेत्रों में परियोजनाओं/अध्ययन आदि के क्रियान्वयन हेतु अनुदान सहायता प्रदान करता आ रहा है। वर्ष 2004-05 में 90 परियोजना प्रस्तावों, जिनमें 14.207 मिलियन अमरीकी डॉलर का कुल अनुदान शामिल था, की तुलना में वर्ष 2005-06 में (सितम्बर, 2005 तक) 8.292 मिलियन डॉलर के कुल अनुदान वाले 37 परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके है।

कनाडा के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केंद्र (आईडीआरसी) से सहायताः-

आईडीआरसी कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण आदि के क्षेत्रों की परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2004-05 के कुल 1.895 मिलियन कनाडियन डॉलर अनुदान वाले 12 परियोजना प्रस्तावों की तुलना में वर्ष 2005-06 (दिसम्बर, 2005 तक) के दौरान 0.824 मिलियन कनाडियन डॉलर की सहायता अनुदान वाले 12 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।

जापान

जापान भारत को द्विपक्षीय विकास सहयोग की सर्वाधिक राशि उपलब्ध कराता है। भारत को जापानी द्विपक्षीय ऋण सहायता जेबीआईसी (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक), के माध्यम से प्राप्त होती है, जिसे पहले विदेशी आर्थिक सहायता निधि के नाम से जाना जाता था। (ओ ई सी एफ) के नाम अनुदान सहायता तथा तकनीकी सहयोग जेआईसीए (जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण) के माध्यम से प्राप्त होता है। वर्ष 2004-05 में जापान सरकार ने आठ परियोजनाओं के लिए 134,466 मिलियन येन (लगभग 5600 करोड़ रुपए) देने का वचन दिया था जो जापान सरकार द्वारा भारत को एक वित्तीय वर्ष में दी गई अब तक की सबसे बड़ी आधिकारिक विकास सहायता ऋण वचनबद्धता है। यह लगभग 5600 करोड़ रुपए का ऋण वित्तीय वर्ष 2004-05 में सभी बाह्य ऋण वचनबद्धताओं (22668.46 करोड़ रुपए) का 24.7 प्रतिशत है। यह वर्ष 2004-05 हेतु जापानी भूमंडलीय आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) वचनबद्धताओं का 19.2% है।

2. ओडीए ऋण अधिकांशतः परियोजना आबद्ध है जिनपर सामान्य परियोजनाओं के लिए ब्याज दर 1.3% प्रतिवर्ष तथा पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए 0.75% प्रतिवर्ष है। ऋणों की अवधि सामान्य श्रेणी के लिए 30 वर्ष तथा पर्यावरणीय श्रेणी के लिए 40 वर्ष है। ओडीए ऋणों के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक आर्थिक अवसंरचना क्षेत्रक जैसे विद्युत, सड़क और पुल, जल आपूर्ति और सफाई, शहरी यातायात और पर्यावरण एवं वन क्षेत्रक है।

3. वर्ष 2005-2006 (30.11.2005 तक) के दौरान 38 परियोजनाओं के लिए भारत को जापानी ओडीए का संवितरण 31.57 बिलियन येन (लगभग 1253.22 करोड़ रुपए) था। जापान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2005 के जापानी ओ डी ए ऋण पैकेज के अंतर्गत निधि प्रदान करने हेतु, निम्नलिखित दस परियोजनाओं का मूल्यांकन किया हैः

1. उड़ीसा वन क्षेत्र विकास परियोजना
2. हैदराबाद में हुसैन सागर झील का जीर्णोद्धार और प्रबंधन
3. पुरूलिया पंप्ड स्टोरेज (तृतीय चरण)
4. आर ई सी की ग्रामीण विद्युतिकरण परियोजना
5. कोलकाता महानगर क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना
6 बंगलौर जलापूर्ति परियोजना द्वितीय चरण
7. डी एम आर टी एस- द्वितीय चरण
8 बंगलौर मेट्रो
9. विशाखापट्टनम बंदरगाह में लौह अयस्क सुविधा का उन्नयन
10. स्वान नदी बाढ़ प्रबंधन और समेकित भू विकास एवं जल-संभर प्रबंधन परियोजना

4. अनुदान सहायता

जापान सरकार प्रति वर्ष लगभग 3-4 बिलियन येन की अनुदान सहायता प्रदान करता है। उड़ीसा राज्य में सरदार बल्लभाई पटेल स्नातकोत्तर संस्थान, बालरोग के सुधार हेतु परियोजना के लिए दिनांक 4.8.2005 को 830 मिलियन जापानी येन की अनुदान सहायता के लिए टिप्पणियों पर हस्ताक्षर किए गए तथा उनका विनिमय किया गया।

5. जापान के साथ तकनीकी सहयोग

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जेआईसीए) परियोजना टाइप तकनीकी सहयोग क्रियान्वित करता है, जिसमें वे अपने विशेषज्ञों को तकनीकी मार्गदर्शन के लिए भेजते हैं, भारतीय विशेषज्ञों को जापान में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा परियोजना क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपकरण की व्यवस्था करते हैं। वे परियोजना प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच के लिए विकास अध्ययन भी आयोजित करते हैं तथा क्षेत्रीय एवं अंचलीय विकास के लिए मास्टर प्लान भी तैयार करते हैं। यह भविष्य में जापानी ऋण अथवा अन्य विदेशी अभिकरण द्वारा क्रियान्वयन के लिए परियोजना पर विचार किए जाने को सुविधाजनक बनाता है। जेआईसीए भारतीय संगठनों द्वारा यथा अपेक्षित विशेषज्ञ व्यक्तियों तथा उपकरण की व्यवस्था भी करता है।

भारत में जेआईसीए के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हैं:-(i) जनस्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल, (ii) कृषि और ग्रामीण विकास (iii) पर्यावरण परिरक्षण और संरक्षण, तथा (iv) आर्थिक अवसंरचना का सुधार।

अक्टूबर, 2005 माह में जापान सरकार के व्यवहार्यता अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत 'हुगली नदी पर रायचक-कुकरहटी पुल और राष्ट्रीय राजमार्ग-41 और राष्ट्रीय राजमार्ग 117 को जोड़ने वाली सड़कों को चालू करने के लिए जापान सरकार द्वारा व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देने हेतु भारत सरकार और जापान सरकार के बीच मौखिक टिप्पणियों का आदान-प्रदान किया गया।

जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग अभिकरण साझेदारी कार्यक्रम, जिसमें भारतीय और जापानी गैर सरकारी संगठन शामिल है, 2001 में प्रारंभ हुआ था और इस वित्तीय वर्ष में 15.12.2005 तक एक प्रस्तुत समाशोधित किया जा चुका है।

6. आधारिक निधियन

जापान सरकार अपनी "आधारिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता" की योजना के अंतर्गत भारतीय गैर सरकारी संगठनों को लघु सहायता भी प्रदान करती है। इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 15.12.2005 तक आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 20 प्रस्ताव समाशोधित किए जा चुके हैं।

7. हरित सहायता योजना

जापान सरकार अपने अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से हरित सहायता योजना के अंतर्गत तकनीकी सहायता भी प्रदान करती है। इस योजना की प्रमुख नीति विकासशील देश को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों का सामना करने में उसके स्व-सहायता प्रयास के लिए सहायता देना है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से बचाव, अपशिष्ट पदार्थ उपचार तथा पुनर्चक्रण और ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत सहयोग के क्षेत्र हैं। अब तक जापानी हरित सहायता योजना पर छह नीतिगत संवाद आयोजित किए जा चुके हैं। सातवां नीतिगत संवाद शीघ्र ही आयोजित किए जाने की आशा है। हरित सहायता योजना के अंतर्गत स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएन) गतिविधि के अंतर्गत सबसे पहली परियोजना से संबंधित करार को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

8. जापानी विदेश सहयोग स्वयंसेवी (जेओसीवी) कार्यक्रम

12.8.2005 को जापानी भाषा और जूडो अनुदेशों के क्षेत्र में भारतीय नागरिकों हेतु जे ओ सी वी कार्यक्रम पुनः प्रारंभ करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग और जापान दूतावास के बीच टिप्पणियों के विनिमय पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम सिक्किम सहित उत्तरपूर्वी राज्यों, जम्मू और काश्मीर तथा गृह विभाग द्वारा प्रतिबंधित/संरक्षित घोषित क्षेत्रों को छोड़कर भारत के सभी इलाकों/क्षेत्रों के लिए खुला है। अब तक इस योजना के अंतर्गत विचार हेतु जापान सरकार के समक्ष चार प्रस्ताव रखे गए हैं।

आस्ट्रेलिया

भारत को आस्ट्रेलियाई विकास सहायता का प्रारंभ वर्ष 1951 में हुआ। इसे अब अंतराष्ट्रीय विकास के लिए आस्ट्रेलियाई अभिकरण (ऑस्एआईडी) के माध्यम से दिया जा रहा है। वर्ष 2003 में द्विपक्षीय विकास सहयोग पर भारत सरकार के नए दिशानिर्देशों के अनुसरण में ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय विकास सहयोग बंद कर दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु आस्ट्रेलियाई केन्द्र (एसीआईएआर) के माध्यम से सहयोगी अनुसंधान:- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) तथा राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) ने सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु आस्ट्रेलियाई केन्द्र (एसीआईएआर) के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं और नए परियोजना करारों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व आर्थिक कार्य विभाग द्वारा स्वीकृति की शर्त पर उन्हें अनुसंधान सहयोगात्मक परियोजनाओं पर ए सी आई ए आर से सहयोग जारी रखने की अनुमति दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में 15.12.2005 तक ए.सी. आई. ए. आर. निधियन के साथ राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर), नई दिल्ली तथा अर्थशास्त्र विभाग; मेलबोर्न विश्वविद्यालय के बीच "भारतीय कृषि में कृषीय व्यापार उदारीकरण तथा देशीय बाजार सुधार" नामक एक प्रस्ताव को समाशोधित किया गया है।

भारतीय गैर-सरकारी संगठनों को आस्ट्रेलियाई सहायता:- आस्ट्रेएआईडी अपने दक्षिण एशियाई समुदाय सहायता योजना (एसएसीएएस) के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में भारतीय गैर सकारी संगठनों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली आधारभूत परियोजनाओं के लिए लघु अनुदान सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2005 के दौरान इस योजना के अंतर्गत आस्ट्रेलियाई उच्च आयोग/आस्ट्रेएआईडी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

12. एकीकृत वित्त प्रभाग (संगठनात्मक चार्ट)

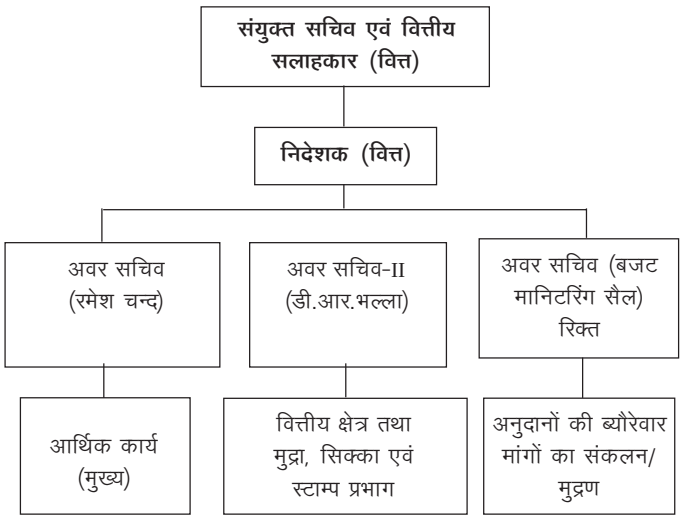

I एकीकृत वित्त शाखा

1. आर्थिक कार्य विभाग/बैंकिंग एवं बीमा प्रभाग इसके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों जैसे राष्ट्रीय बचत संगठन, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, अभिरक्षक का कार्यालय आदि सहित और करेंसी एवं सिक्का प्रभाग से प्राप्त व्यय संबंधी सभी प्रस्तावों की जांच एवं संवीक्षा।
2. बजट, मितव्ययता संबंधी अनुदेश आदि, बजट प्रस्तावों की संवीक्षा और अनुमोदन का कार्य जिसमें (क) आर्थिक कार्य विभाग, (ख) मुद्रा, सिक्का और स्टाम्प की मांगों तथा (ग) वित्तीय संस्थाओं को अदायगियों से संबंधित बजट की तैयारी करना शामिल है।
3. विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर गए आर्थिक कार्य विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के मामलों के अनुमोदन सहित प्रारूप वित्तीय मंजूरियों का पुनरीक्षण करना और समस्त मामलों में, विस्तारित डीएफपीआर में निहित उपबंधों के अनुसार प्रशासनिक प्रभागों को सलाह देना।
4. प्रारम्भिक चरण से ही काफी अधिक व्यय वाली योजनाओं के निर्माण में सहायता करना; ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित मांगों से संबंधित विस्तारित पीएसी/सीएण्डएजी प्रारुप लेखा-परीक्षा पैराग्राफों में उठाई गई लेखा-परीक्षा आपत्तियों का निपटान करना।
5. विस्तारित आईएफबी में निपटाई जाने वाली ऊपर लिखित तीन अनुदानों के संबंध में तिमाही खर्च की विस्तृत जांच/विश्लेषण।

II. बजट मानिटरिंग सैल

1. वित्त मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों का संकलन एवं मुद्रण।
2. वित्त मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों के संबंध में वित्त संबंधी स्थाई संसदीय समिति से संबंधित समन्वयन कार्य।
3. वित्त मंत्री द्वारा स्थाई समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में संसद के दोनों सदनों में दिए जाने वाले वक्तव्य से संबंधित संकलन एवं मुद्रण कार्य।
4. सी.एण्ड ए.जी. के लेखा परीक्षा पैराग्राफों और पी.ए.सी. की सिफारिशों के निपटान से संबंधित सांख्यिक मानिटरिंग प्रगति।
5. कार्यकारी एजेंसियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
6. प्रस्तुत करने के चैनलों और निपटान के स्तरों की समीक्षा।
7. शामिल की जाने वाली सामग्री, आर्थिक कार्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट तैयार करना।

1 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार

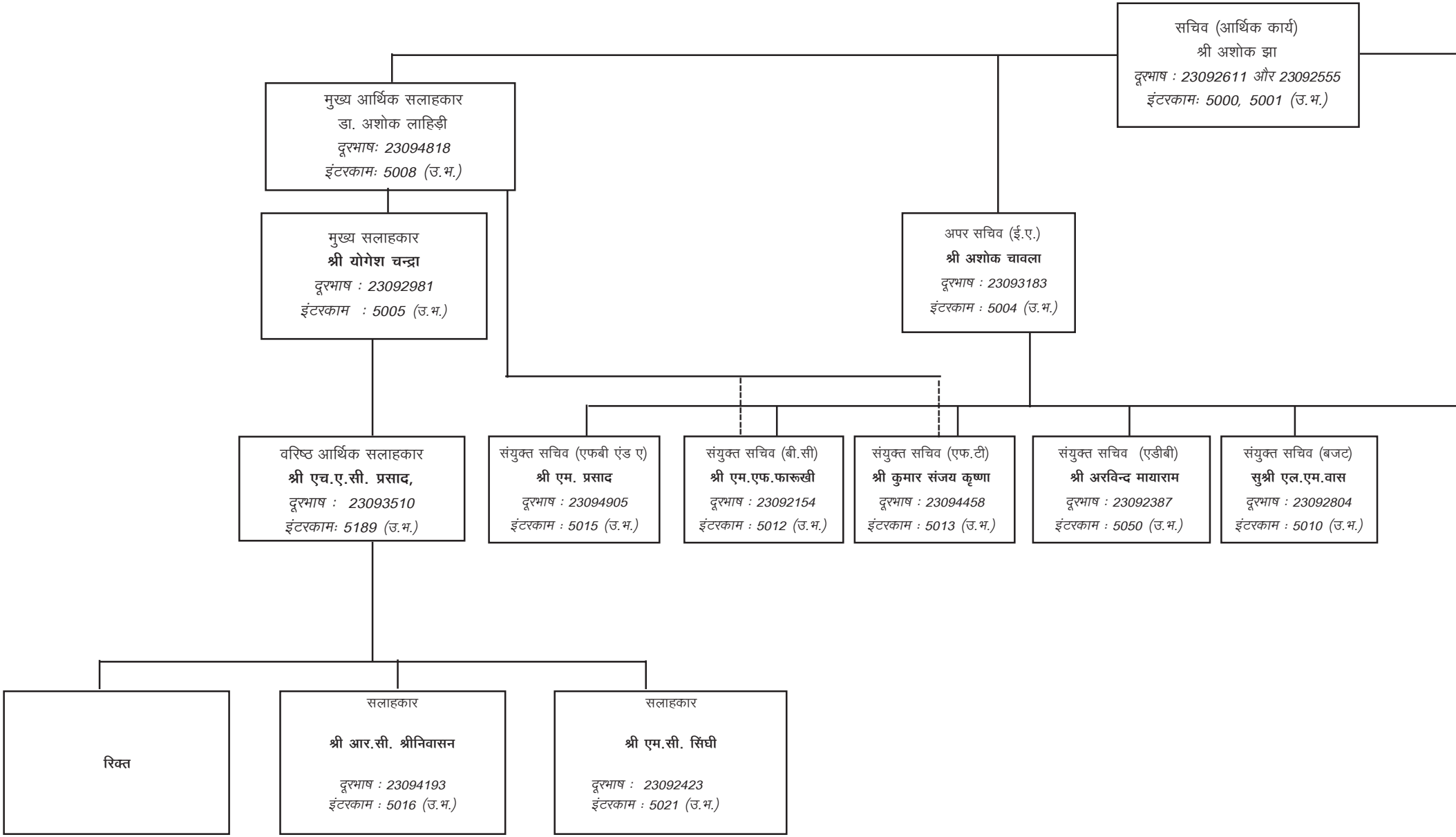

टिप्पणीः- **उ.भ.** - उत्तरी भवन, **जे.बी.** - जनपथ भवन, **जी.दी.बि.** - जीवन दीप बिल्डिंग।

आर्थिक कार्य विभाग का संगठन चार्ट

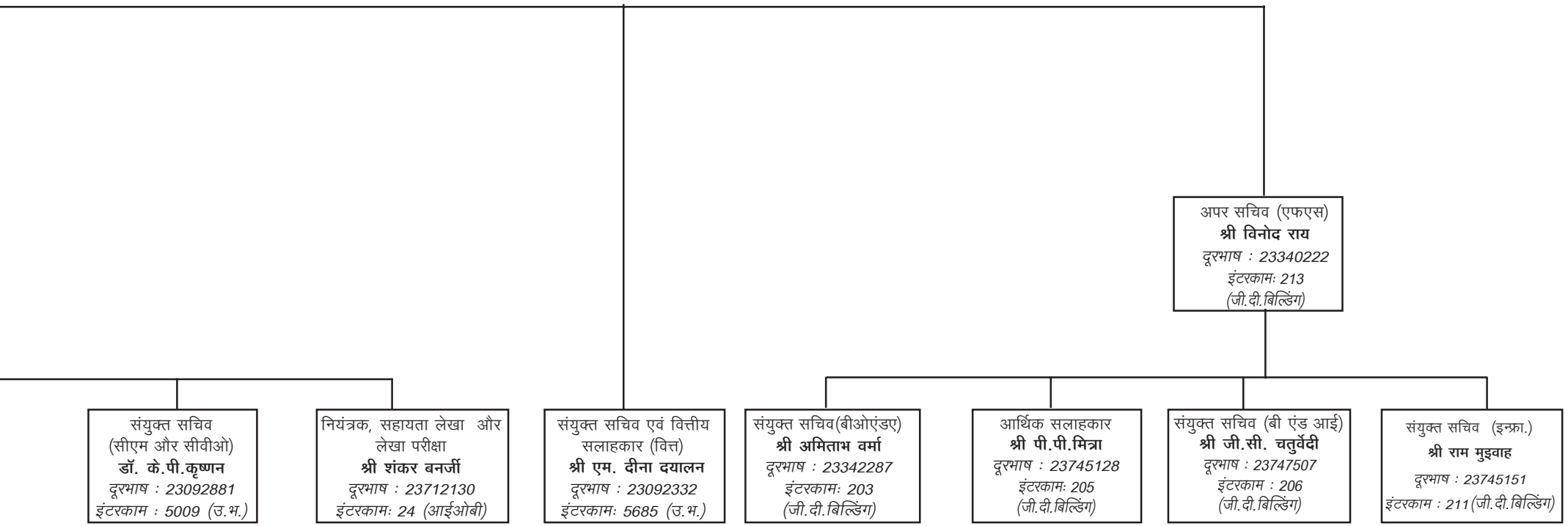

अध्याय II

व्यय विभाग

व्यय विभाग को आबंटित कार्य का निष्पादन संस्थापना प्रभाग; वेतन अनुसंधान एकक (पी.आर.यू.); योजना वित्त -**I** प्रभाग; वित्त आयोग प्रभाग; योजना वित्त-**II** प्रभाग; कर्मचारी निरीक्षण एकक; लागत लेखा शाखा (सी.ए.बी); महालेखा नियन्त्रक; सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान (आई.एन.जी.ए.एफ.); केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी.पी.ए.ओ.); राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.) और हाल ही में सृजित नीति एवं समन्वय स्कन्ध के माध्यम से किया जाता है।

1. संस्थापना प्रभाग

संस्थापना प्रभाग केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और केन्द्रीय सरकार के गैर-योजनागत व्यय के संबंध में वित्तीय नियमावली को लागू करने सहित नियमों और विनियमों को लागू करने में अहम भूमिका अदा करता है। यह प्रभाग केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ढांचे और ग्रेड के निर्धारण, वेतन-नीति के निर्धारण, वेतनमानों में संशोधन, पदों के सृजन, वेतन नियतन के मूलभूत सिद्धांतों, मकान किराया भत्ता, यात्रा/दैनिक भत्ता, महंगाई भत्ता तथा विभिन्न प्रकार के प्रतिपूर्ति भत्तों के बारे में कार्रवाई करता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन अथवा किसी अन्य कारण से उत्पन्न वेतन संबंधी विभिन्न समस्याओं तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्तशासी निकायों के कर्मचारियों को इसका लाभ देने तथा इनके संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त कानूनी/न्यायलयी मामलों को निपटाने का कार्य उपयुक्त तरीके से किया गया।

अधिप्राप्ति मानकों में संशोधन के लिए सितम्बर, 2003 में इस विभाग द्वारा एक अन्य कार्य दल का गठन किया था ताकि सरकार द्वारा वस्तुओं की अधिप्राप्ति में और अधिक पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता लाई जा सके और स्वेच्छानिर्णय की समाप्ति सुनिश्चित की जा सके। इस कार्य दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वस्तुओं, निर्माण कार्यों और परामर्शदायी सेवाओं के लिए अलग से निम्नलिखित कागजात तैयार करने के लिए तीन अलग-अलग कार्यदलों का गठन किया गया है:-

(i) नियम और प्रक्रिया पुस्तिका
(ii) बोली संबंधी कागजात
(iii) क्रेता के लिए दिशा-निर्देश
(iv) आपूर्तिकर्ता के लिए दिशा-निर्देश
(v) विभिन्न श्रेणियों के लिए मानक संविदा प्रारूपण

इन कार्यदलों ने वस्तुओं, निर्माण-कार्यों और परामर्शदायी सेवाओं के लिए नियम और प्रक्रिया पुस्तिका के प्रारूप प्रस्तुत कर दिए हैं, जिनकी जांच/प्रक्रिया जारी है।

व्यय विभाग के विषयों की सूची में एक मुख्य मुद्दा 01 जुलाई, 2005 से नए अद्यतन 'सामान्य वित्तीय नियमावली' की अधिसूचना थी। इन नियमों को पिछली बार 1963 में विस्तृत रीति से 1963 से संशोधित किया गया था और तब से इसके विभिन्न विषयों में अलग-अलग संशोधन किए गए थे। मौजूदा नियमों के साथ-साथ इनके अंतर्गत लिए गए विभिन्न सरकारी निर्णयों को वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग में नए संघटकों की उपलब्धता, बीमा, सामग्री स्रोतों, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार में हालिया विकास को ध्यान में रखते हुए एक कार्यदल (टास्कफोर्स) द्वारा पहली बार समीक्षा की गई थी और तद्नुसार बोझिल प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया, आवश्यक प्राधिकार उत्तरदायित्व को जिम्मेदार तथा शीघ्र निर्णय देने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार में सक्रिय पदाधिकारियों पर प्रत्यक्ष जवाबदेही सौंपी जाए। सरकारी कर्मचारियों को अग्रिमों (स.वि.नि. 1968 के अध्याय 14) से संबंधित प्रावधानों को सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 से अलग किया गया है और इसे एक अलग सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है। निधियों के पुनर्विनियोजन को निर्देशित करने वाले संशोधित मानकों को शीघ्र अधिसूचित किया जा रहा है।

पदों में 10 प्रतिशत की कटौती तथा एक वर्ष से अधिक रिक्त पड़े हुए पदों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.05.2001 के का.ज्ञा. के तहत् समाप्त करने पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त एक वर्ष के भीतर उत्पन्न हुई सीधी भर्ती के 1/3 रिक्त पदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बशर्ते कि ये पद मंत्रालय/विभाग की कुल संस्वीकृत पद संख्या के एक प्रतिशत से अधिक न हो। अब तक 2,86,751 पदों को समाप्त करने के लिए अभिज्ञात कर लिया गया है और इन अनुदेशों के परिणामस्वरूप, 2000-01 से 2005-06 के दौरान सीधी भर्ती के लिए लगभग 1,23,133 पदों को अभिज्ञात किया गया है। मंत्रालय/विभाग तथा इनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में छह महीने से अधिक रिक्त पड़े हुए सभी पदों की समीक्षा की जा रही है ताकि उन पदों को अभिज्ञात किया जा सके जो समाप्त किए जा सकते हैं।

वर्ष 2004-05 में प्रशासनिक स्कंध में प्रयोग के लिए कम्पोजिट पेरोल सॉफ्टवेयर (सी.पी.एस.) को शुरू किया गया था। सी.पी.एस. सॉफ्टवेयर में आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) के चार प्रमुख कार्य अर्थात वेतन, महंगाई भत्ते की बकाया राशि, आयकर एवं सामान्य भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव शामिल है। सॉफ्टवेयर के परिचालन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण रोकड़ अनुभाग के कर्मचारियों को उपलब्ध कराया गया है। सॉफ्टवेयर में मास्टर डाटा एंट्री कार्य पूरा किया गया है और सॉफ्टवेयर कार्यान्वयनाधीन है।

2. वेतन अनुसंधान एकक (पी.आर.यू.)

वेतन अनुसंधान एकक की स्थापना 1968 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों तथा केन्द्र शासित प्रशासन के कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रकार के भत्तों पर किए गए वास्तविक व्यय से तथा इन कर्मचारियों की संख्या से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और विश्लेषण करना है। यह एकक 'केन्द्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर लघु पुस्तिका (ब्रोशर)' नाम से एक वार्षिक पुस्तिका भी प्रकाशित करता है। यह ब्रोशर केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वेतन एवं विभिन्न प्रकार के भत्तों जैसे कि अपने नियमित कर्मचारियों के संबंध में महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता, समयोपरि भत्ता आदि पर किए गए व्यय के संबंध में सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराता है। इसमें स्वीकृत पदों और पदों की मंत्रालयवार और समूहवार संख्या की सूचना भी उपलब्ध कराई गई है। ब्रोशर में विषमता अनुपात अर्थात विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों के अधिकतम और न्यूनतम परिलब्धियों अनुपात शामिल है। इसके अतिरिक्त यह एकक, सरकार के प्रस्तावों और जे.सी.एम. की राष्ट्रीय परिषद के समक्ष आने वाले प्रस्तावों में निहित वित्तीय प्रभावों आदि की पड़ताल भी करता है।

इस एकक ने वर्ष 2003-04 के लिए ब्रोशर शृंखला का 26वां अंक सितम्बर, 2005 जारी किया है। वर्ष 2004-05 के लिए ब्रोशर से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

3. योजना वित्त-I प्रभाग

योजना वित्त-I प्रभाग योजना आयोग के साथ निकट समन्वय के साथ-साथ राज्यों के वित्त एवं योजना परिव्ययों संबंधी मामलों को भी देखता है, राज्यों में विकास कार्य को लागू करने के लिए यह राज्य सरकारों को निधियां जारी करता है, राज्यों के ओवरड्राफ्ट की क्लीयरेंस प्रदान करता है। यह प्रभाग राज्यों की अर्थोपाय एवं संसाधन स्थिति को मॉनिटर करता है तथा जब कभी वे अर्थोपाय संबंधी समस्याओं से जूझते हैं, तो उनको समय पर उचित कार्रवाई की सलाह भी देता है। राज्यों को आपदा राहत प्रदान किए जाने के मामलों की देखभाल भी यही प्रभाग करता है। इस संबंध में यह प्रभाग समय-समय पर वित्त आयोग द्वारा यथासंस्तुत स्कीमों का प्रतिपादन भी करता है और कृषि मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के परामर्श से निधियां जारी करता है। यह प्रभाग केन्द्र-राज्य और अंतर्राज्यीय वित्तीय संबंधों से संबंधित मामलों को देखता है तथा अंतर्राज्यीय परिषद, आंचलिक परिषदों एवं पूर्वोत्तर परिषद के लिए आदान सामग्री (इन्पुट्स) मुहैया कराता है और ऐसे विविध मुद्दों को भी देखता है जो राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंध रखते हैं, जैसे कि राज्यों के लिए आंतरिक सुरक्षा, विद्युत सुधार संबंधी मुद्दों, ऋण/उधार संबंधी मुद्दों, ऋण विनिमय स्कीमों और प्रत्याभूतियों से संबंधित मद।

4. राज्य योजना स्कीमें

सामान्य केन्द्रीय सहायता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को अनुदानों/ऋणों के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए अनुदान तथा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए अनुदान आदि जैसे अनुदानों को 'राज्य योजना' के अंतर्गत आने वाली विकासात्मक स्कीमों के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराई गई है। कुछ विशेष कार्यक्रमों के स्कीम-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

4.1 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी.वाई.)

इस स्कीम की शुरूआत 2000-01 में ग्रामीण स्तर पर वहनीय मानव विकास के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध कराने की दृष्टि से की गई थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य पेयजल, स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, विद्युतीकरण तथा पोषाहार पर ध्यान देना है। इस संबंध में राज्य योजना स्कीमों के लिए सकल अनुदानों और सकल ऋणों के तहत अनुदान शामिल हैं। 2001-02 से ग्रामीण सड़क घटक के तहत राज्य सरकारों को निधियों में से हिस्सा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है। पी.एम.जी.वाई. में चुनिंदा आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता आबंटित किए जाने की संकल्पना की गई है, ताकि वे सरकार के कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना, वी.एम.एस. कार्यक्रमों पर निर्मित कार्यक्रम है तथा साथ ही साथ केवल चुनिंदा मूलभूत सेवाओं के लिए उद्यम और संसाधनों को जुटाने की दिशा में प्रयासरत है। पी.एम.जी.वाई. के अंतर्गत आरंभ में प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल और पोषाहार आदि पांच घटक थे। वार्षिक योजना 2001-02 से इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण के रूप में एक (छठे) घटक को भी जोड़ा गया है।

4.2 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) तथा अन्नपूर्णा स्कीमें

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरूआत अगस्त, 1995 में वृद्धावस्था, रोजी-रोटी कमाने वाले मुखिया की मृत्यु और मातृत्व काल के दौरान होने वाली मृत्यु के मामलों में निर्धनों को सामाजिक सहायता का लाभ प्रदान करने के सामाजिक उद्देश्य से शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में हुई थी। इस कार्यक्रम की शुरूआत जीवन का न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा स्कीम पर राज्यों द्वारा पहले से ही मुहैया कराए जा रहे लाभों के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अतिरिक्त, अन्नपूर्णा स्कीम 1.4.2000 को उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई थी, जो पहले इस स्कीम में छूट गए थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जा रही है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की तीन स्कीमों के तहत पंचायत तथा जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करके लाभार्थियों की पहचान कराते हुए स्कीम को कार्यान्वित किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत निधियों का वितरण लाभार्थियों के बैंकों अथवा डाकघर बचत बैंकों के खातों अथवा डाक मनीआर्डर के जरिए किया जा सकता है। इसका वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा जैसी सार्वजनिक बैठकों में तथा शहरी क्षेत्रों में पड़ोस/मोहल्ला समितियों के द्वारा किया जा सकता है।

4.3 विशेष केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता

वार्षिक योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए संसाधनों के अंतर को पूरा करने के उद्देश्य से विशेषकर सामान्य केन्द्रीय सहायता और स्कीम विशिष्ट अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अलावा विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कुछ राज्यों को योजना आयोग द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता/योजना सहायता भी आबंटित की जाती है। यह सहायता किसी विशेष स्कीम के साथ संबद्ध नहीं है और यह सामान्य केन्द्रीय सहायता के प्रतिमान के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। सामान्यतः विशेष केन्द्रीय सहायता/विशेष योजना सहायता का आबंटन योजना आयोग द्वारा सकल बजटीय समर्थन (जी.बी.एस.) के रूप में किया जाता है। तथापि, कुछ अपवादी मामलों में अतिरिक्त आबंटन वित्त मंत्रालय की सहमति से भी किया जाता है।

4.4 विकास तथा सुधार सुविधा (राष्ट्रीय सम विकास योजना)

विकास तथा सुधार सुविधा, बाद में जिसका नाम बदल कर राष्ट्रीय सम विकास योजना रख दिया गया था, का प्रस्ताव 2004-05 के बजट में 2500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ रखा गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से कार्यक्रमों और नीतियों को सही ढंग से लागू करना है, जिससे विकास के अवरोध हटेंगे, विकास प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा जन-जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इस स्कीम के तीन घटक हैं नामतः (i) बिहार के लिए विशेष योजना; (ii) उड़ीसा के लिए अविभाजित कालाहांडी-बलांगीर-कोरापुट (के.बी.के.) जिलों के लिए विशेष योजना तथा (iii) राज्यों में सर्वाधिक पिछड़े जिलों में विकास संबंधी असंतुलन को दूर करने के लिए पिछड़ा जिला पहल कार्यक्रम को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया है।

4.5 बिहार के लिए विशेष योजना

इस घटक के अंतर्गत बिजली, गांवों को एक दूसरे से जोड़ना, सिंचाई, समेकित वाटरशेड विकास, एकीकृत समुदाय आधारित वन प्रबंधन, बागवानी हेतु विकास योजनाएं, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर, रिमोट सेंसिंग विकास तथा जी.आई.एस. प्लेटफार्म संबंधी अन्य आंकड़े, आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए निधि की व्यवस्था की जाएगी।

4.6 उड़ीसा के अविभाजित कालाहांडी-बलांगीर-कोरापुट जिलों के लिए विशेष योजना

यह विशेष योजना स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार सूखा बचाव, जीविकोपार्जन सहायता, संयोजकता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि मुख्य समस्याओं से निपटने पर केन्द्रित है। इस स्कीम के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में दी जा रही है।

4.7 पिछड़े जिलों में पहल कार्यक्रम (बी.डी.आई.)

राष्ट्रीय सम विकास योजना के इस घटक के तहत इस समय 147 जिले आते हैं। राज्य के भीतर पिछड़े जिलों की पहचान पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर की गई है, जिसमें चार पैरामीटर शामिल हैं जिनको समान महत्व दिया गया है (i) प्रत्येक कृषि मजदूर की पैदावार का मूल्य; (ii) कृषि मजदूरी दर; तथा (iii) जिलों में एस.सी./एस.टी. की जनसंख्या की प्रतिशतता; और (iv) देश के विभिन्न राज्यों में उग्रवाद से प्रभावित जिले। स्कीम के मुख्य उद्देश्य कृषि की कम उत्पादकता एवं बेरोजगारी संबंधी समस्याओं को दूर करना और भौतिक व सामाजिक अवसंरचना में संवेदनशील अंतराल को भरना है। इस स्कीम के अंतर्गत दसवीं योजना में प्रत्येक पिछड़े जिले को 45 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। कुल राशि तीन वर्षों में जारी की जाएगी, अर्थात् पिछड़े जिले के रूप में अभिज्ञात प्रत्येक जिले को प्रत्येक वर्ष 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत निधियां शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में ए.सी.ए. के तहत दी जाएंगी।

4.8 राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.)

राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) की शुरूआत झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वालों के जीवन-यापन की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर अगस्त, 1996 में की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य योजनाओं में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने शहरी स्लमों के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्याप्त और संतोषजनक जल आपूर्ति, सफाई, प्राथमिक शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्व-प्राथमिक व प्रौढ़ साक्षरता तथा गैर-औपचारिक शिक्षा सुविधा आदि प्रदान करना था। इस स्कीम में आवासीय, सामुदायिक सशक्तीकरण, कूड़ा-करकट व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा साथ ही साथ पर्यावरण सुधार और वहनीय सहायता प्रणाली के सृजन के जरिए विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों पर विशेष बल दिया गया है। इस स्कीम में सामुदायिक बुनियादी सुविधाएं, आवास के प्रावधान, शहरी निर्धन महिला प्रशिक्षण सशक्तीकरण, दक्षता स्तरोन्नयन तथा हिमायत तथा गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) की

अंतर्निहितता, समुदाय ब्लॉक कार्यालय (सी.बी.ओ.), निजी संस्थानों तथा अन्य निकायों पर भी ध्यान दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत, योजना आयोग राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सालाना निधियों का आबंटन करता है तथा वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त विभागों को अपने-अपने वार्षिक योजना के तहत निधियां जारी करते हैं। ये निधियां उन राज्यों को 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में अंतरित की जाती हैं, जो ग्यारह विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों से अलग हैं तथा जो ये निधियां 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण के रूप में सहायता करते हैं। राज्य नोडल अभिकरणों को उनके अपने-अपने नोडल अभिकरणों द्वारा अनुरोध करने पर अपने बजट प्रावधानों के तहत राज्य वित्त विभागों द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की जानी थी। योजना आयोग तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। पिछले वर्ष के लिए राज्यों से प्राप्त विभागीय वास्तविक व्यय को योजना व्यय में कमी के कारण चालू वर्ष के आबंटन में से गणना के लिए संसाधित किया जाता है।

4.9 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) की शुरूआत 1996-97 के दौरान राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) मुहैया कराने के लिए की गई थी ताकि उन बड़ी और बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाया जा सके, जिनमें ठोस प्रगति तो हुई थी लेकिन जिनकी क्षमता राज्यों की संसाधन-क्षमता के परे थी। बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं वाली श्रेणी अर्थात् केवल उन बड़ी और मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं को ही इस स्कीम के तहत अनुमति दी जाती है जिनका निर्माण कार्य एडवांस स्टेज पर है। विशेष श्रेणी के राज्यों और उड़ीसा के के.बी.के. जिलों में सर्फेस माइनर इरीगेशन स्कीमों के लिए विशेष छूट दी जाती है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता विशेष श्रेणी के राज्यों और उड़ीसा के वीके जिले के व्यय की हिस्सेदारी का पैटर्न 'सुधारात्मक राज्यों' के लि 1:0 (केन्द्रःराज्य) तथा अन्य राज्यों के लिए 3:1 (केन्द्रःराज्य) है। सामान्य श्रेणी के जिलों के लिए हिस्सेदारी पैटर्न 'सुधारात्मक राज्यों' के लिए 3:1 (केन्द्रःराज्य) तथा अन्य राज्यों के लिए 2:1 (केन्द्रःराज्य) है।

मार्च, 2004 तक इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों को कुल 14,700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत अनुदान घटक को शुरू किया गया तथा इसे एन.सी.ए. पैटर्न के अनुसार जारी किया गया था। तथापि, बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ऋण घटक को 01.04.2005 से समाप्त कर दिया गया है और राज्यों से इस स्कीम के अंतर्गत निधियों की ऋण आवश्यकता को बाजार से पैदा करने के लिए कहा गया है।

4.10 त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.)

इस स्कीम को वर्ष 2000-01 में अनुमोदित किया गया था तथा इसका नाम त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) रखा गया था। इसमें मुख्यतः नवीकरण एवं आधुनिकीकरण/जीवन विस्तारण (लाइफ एक्सटेंशन)/ थर्मल और हाइड्रो दोनों किस्म के विद्युत संयत्रों का स्तरोन्नयन, तथा ऊर्जा लेखांकन एवं मीटरिंग सहित सब ट्रांसमीशन एवं संवतिरण नेटवर्क का स्तरोन्नयन करना (33 के.वी. अथवा 66 के.वी. के नीचे) से संबंधित परियोजनाओं की परिकल्पना को शामिल किया गया है। परियोजनाओं का वित्तपोषण 90 प्रतिशत अनुदान के अनुपात में था तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 10 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान तथा गैर-विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को 50 प्रतिशत ऋण/गैर-विशेष वर्ग के राज्यों की परियोजना लागत को 50 प्रतिशत हिस्से का प्रबंधन आंतरिक संसाधनों के जरिए करना होगा अथवा पी.एफ.सी./आर.ई.सी./ वित्तीय संस्थाओं/सप्लायरों के क्रेडिट के ऋणों के माध्यम से करना होगा।

जून, 2003 में सरकार ने ए.पी.डी.पी. स्कीम के सुधार का अनुमोदन किया था तथा इस जारी स्कीम का पुनः नामकरण त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के नाम से किया गया। संशोधित स्कीम का मुख्य ध्यान शहरी एवं औद्योगीकृत क्षेत्रों में सघन विद्युतीकृत अंचलों में सब ट्रांसमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन के स्तर में वृद्धि तथा राज्य विद्युत बोर्डों की वाणिज्यिक क्षमता में सुधार करने पर है।

(क) **निवेश घटकः**- सब ट्रांसमीशन तथा संवतिरण प्रणाली को सुदृढ़ एवं स्तरोन्नयन करना। विशेष श्रेणी राज्य केन्द्रीय अनुदानों के रूप में अनुमोदित व्यय का 90 प्रतिशत प्राप्त करेंगे जबकि अन्य राज्य 50 प्रतिशत अनुदान लेंगे। शेष संसाधनों को बाजार ऋणों सहित राज्यों द्वारा उगाहा जाएगा।

(ख) **प्रोत्साहन घटकः**- एस.ई.बी./उपयोगिताओं द्वारा नकद हानियों को कम करने में वास्तविक कमी के 50 प्रतिशत तक राज्यों को अनुदान दिए गए। हानियों का परिकलन सब्सिडी के निवल रूप में हुआ है और राजस्व का परिकलन केवल निवल प्राप्तियों के आधार पर होगा। सकल हानि पर लेखाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा संगत सांविधिक लेखापरीक्षक के द्वारा किया जाएगा। प्रोत्साहन अनुदान का मात्र विद्युत क्षेत्र में सुधार उपयोग किया गया है।

4.11 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू. आर.एम.)

अभिनिर्धारित शहरों में अवसंरचनात्मक सेवाओं के एकीकृत विकास पर ध्यान देने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 03 सितम्बर, 2005 को 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' की शुरूआत की गई है। शहरी विकास मंत्रालय शहरी अवसंरचना तथा मिशन के अधिशासन; और लघु और मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास स्कीम पर उप मिशन-I को कार्यान्वित करेगा। मिशन को उद्देश्य निम्न का सुनिश्चित करना होगा।

- परिसंपत्तियों के सृजन और परिसंपत्तियों के बीच प्रभावी संयोजन (संबंध) बनाना, ताकि शहरों में सृजित की गई अवसंरचनात्मक सेवाओं का न केवल प्रभावी ढंग से रख-रखाव किया जाए बल्कि इन्हें अधिक समय तक आत्म-निर्भर बनाया जा सके।
- शहरी अवसंरचनात्मक सेवाओं की कमियों को पूरा करने के लिए निधियों के पर्याप्त निवेश को सुनिश्चित करना।
- अर्ध-शहरी क्षेत्रों, अत्यधिक वृद्धि, शहरी कॉरीडोरों सहित अभिनिर्धारित शहरों का योजनाबद्ध विकास ताकि शहरीकरण का दूर-दूर तक विस्तार किया जा सके।
- शहरी गरीबों के लिए संपूर्ण पहुंच पर जोर देते हुए नागरिक सुविधाओं और जनोपयोगी सेवाओं के प्रावधान को बढ़ाना।
- शहरी नवीकरण कार्यक्रम अर्थात् भीड़भाड़ को कम करने के लिए पुराने शहरों के क्षेत्र के पुनःविकास कार्य को शुरू करना।

इस मिशन की अवधि वर्ष 2005-06 की शुरूआत से सात वर्ष की होगी। इस अवधि के दौरान मिशन चयनित शहरों के सतत् विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। मिशन के कार्यान्वयन के अनुभव का मूल्यांकन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत से पहले शुरू किया जाएगा और यदि जरूरी हुआ तो कार्यक्रम में उचित रूप से संशोधन किए जाएंगे। इस स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

4.12 ऋण विनिमय स्कीम

ब्याज के भार की समस्या से राहत हेतु राज्यों की मदद करने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2002 में ऋण विनिमय स्कीम की घोषणा की थी। ऋण विनिमय स्कीम उच्च लागत वाले ऋणों को निम्न लागत वाले ऋणों में क्रमिक तौर पर बदलने के माध्यम से ब्याज भार को प्रभावित किया है। लघु बचतों की प्रतिभूतियों में सरकारी निवेश तथा अतिरिक्त खुले बाजार के ऋण राज्यों के विरूद्ध बकाया उच्च लागत के केन्द्रीय सरकार के ऋणों के लिए दो ऋण स्रोतों के तौर पर अभिनिर्धारित किए गए थे। इस स्कीम को 31 मार्च, 2005 को बंद कर दिया गया है। ऋण विनिमय के संबंध में प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं-

- 13 प्रतिशत के बकाया उच्च लागत वाले ऋण और 1,14,316.59 करोड़ रूपए से अधिक (31.02.2005 की स्थिति के अनुसार) के

बकाया ऋणों में से 31 मार्च, 2005 तक 1,02,033.59 करोड़ रूपए का विनिमय किया गया। पुनःअदायगी कुल राशि 1,15,126.50 करोड़ रूपए है जिसमें राज्यों द्वारा की गई सामान्य पुनःअदायगी के रूप में 13,092.91 करोड़ रूपए और 13 प्रतिशत से कम ब्याज दर वाले ऋणों के विनिमय के लिए राज्यों को 9,050.21करोड़ रूपए की अनुमति देना शामिल है।

- 13 प्रतिशत और इससे ऊपर के उच्च लागत ऋणों का विनिमय 28 में से 22 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और उत्तरांचल में अभी तक पूरा किया जाना है।

- ऋण विनिमय पूरा करने वाले राज्यों को 13 प्रतिशत से कम के बकाया भारत सरकार के ऋण के विनिमय के लिए अनुरोध करने पर लघु बचत ऋणों के 40 प्रतिशत तक के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है।

- शेष राज्यों के लिए अर्थात् असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और पश्चिम बंगाल जिसमें अभी तक उच्च लागत के ऋण का विनिमय पूरा नहीं हुआ है, पर बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

5. वित्त आयोग प्रभाग

वित्त आयोग प्रभाग, वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंध रखता है। बारहवें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा 01 नवम्बर, 2002 को डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने अपने मूल शासनादेश के सभी पहलुओं को कवर करते हुए 2005-10 की अपनी मुख्य रिपोर्ट 17 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत की। व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित मुख्य रिपोर्ट दोनों सदनों के पटल पर 26 फरवरी, 2005 को प्रस्तुत की गई थी। केन्द्रीय करों तथा प्रशुल्कों में शेयर का अंतरण, राजस्व खाते पर गैर-योजनागत अंतराल को पूरा करने के लिए सहायता अनुदान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और पुलों एवं सार्वजनिक भवनों का रख-रखाव, वन का रख-रखाव, विरासत संरक्षण और राज्य की विशेषीकृत आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान स्थानीय निकायों को वित्तपोषित करने के लिए राज्यों को अनुदान, आपदा राहत व्यय को वित्तपोषित करने और राज्यों को ऋण राहत देने के लिए सरकार ने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें

2005-10 की अवधि में कवर की गई सिफारिशों की मुख्य उपलब्धि निम्न हैं-

- बारहवें वित्त आयोग ने संस्तुति की है कि वर्ष 2000-05 के दौरान 29.5 प्रतिशत की तुलना में केन्द्रीय सरकार के सकल कर राजस्व के विभाज्य पूल के 30.5 प्रतिशत को वर्ष 2005-10 के दौरान राज्यों के बीच वितरित किया जा सकेगा।

- बारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2000-05 के दौरान, 58,588 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2005-10 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में 1,42,640 करोड़ रुपए की संस्तुति की है।

- ऋण समेकन के अंतर्गत, राज्यों को 31.03.2004 तक अनुबंधित तथा 31.03.2005 को बकाया ऋणों (1,28,795 करोड़ रुपए की राशि के) को समेकित किया जाएगा और नए सिरे से 20 वर्ष की अवधि के लिए पुनः निर्धारित किया जाएगा, जिसकी वापसी अदायगी 20 समान किस्तों में की जाएगी, और उन पर 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। यह तभी होगा जब राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाएगा और यह इस विधान के लागू होने के वर्ष से प्रभावी होगा।

- सभी राज्यों की अवार्ड अवधि के दौरान ब्याज भुगतान पर संचयी राहत तथा समेकन, पुनःअनुसूचन एवं ब्याज दर को 7.5 प्रतिशत कम करने के फलस्वरूप कम अदायगी कुल मिलाकर ब्याज भुगतान में 21,276 करोड़ रुपए और पुनर्भुगतान में 11,929 करोड़ रुपए बैठती है।

- ऋण को बट्टेखाते में डालने वाली स्कीम के अंतर्गत 31.03.2004 तक अनुबंधित और समेकित किए जाने के लिए सिफारिश किए गए केन्द्रीय ऋणों के संबंध में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक देय वापसी अदायगियां बट्टे खाते में डालने के लिए पात्र होंगी। वापसी अदायगी की बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि की मात्रा उस पूरी राशि से संबद्ध होगी जिसमें राजस्व घाटा अवार्ड अवधि के दौरान लगातार हर वर्ष कम किया जाएगा। सभी राज्यों के लिए पांच वर्षों की अवधि से अधिक के बट्टे खाते में डालने वाली उपयुक्त कुल राशि 32198.69 करोड़ रूपए है। इस स्कीम के तहत् ऋण राहत प्राप्त करने तथा साथ ही भविष्यलक्षी प्रभाव से लाभ पैदा करने के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान लागू करना एक जरूरी पहली शर्त होगी।

- दिसम्बर, 2005 तक 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र सरकार के समेकन के लिए 12 राज्यों के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है और राज्यों के लेखों के आवश्यक जमा खातों के आदेशों को जारी किया गया है।

- बारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संस्तुति की है कि योजना सहायता को विस्तारित करने के लिए गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में ऋणों और अनुदानों के बीच 70:30 के अनुपात और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में ऋण और अनुदान के बीच के अनुपात 10:90 की प्रणाली को समाप्त किया जाए और इसके स्थान पर योजना आयोग, राज्यों को योजना अनुदान प्रदान करने तक सीमित रखे और यह राज्यों के निर्णय पर छोड़ दे कि वे कितना और कहां से अर्थात् केन्द्र से अथवा बाजार से लेना चाहते हैं। इसको 01.04.2005 से प्रभावी किया गया। यदि कुछ वित्तीय तौर पर कमजोर राज्य बाजार से निधियां उगाहने में असमर्थ हों तो, केन्द्र इस प्रयोजन के लिए ऐसे राज्यों के उपयुक्त ऋण इस शर्त पर ले सकता है कि ब्याज दर केन्द्र के लिए ऋण की सीमान्त लागत में शामिल रहे। भारत सरकार द्वारा सिफारिशें स्वीकार कर ली गई थीं और तद्न्तर राज्यों के ऋण घटक के लिए बजट अनुमान 2005-06 में कोई प्रावधान नहीं है।

5.1 केन्द्रीय करों एवं प्रशुल्कों में हिस्से (शेयरों) का अंतरण

संविधान के अनुसार सभी करों (संसद द्वारा तैयार किए गए किसी कानून तथा अनुच्छेद 268 एवं 269 में संदर्भित प्रशुल्कों के अंतर्गत विशेष प्रयोजन के लिए लगाए गए संघ अधिशुल्क और उपकर को छोड़कर) की निवल प्राप्तियों की एक निर्धारित प्रतिशतता उन राज्यों को सौंपी जानी है जिनमें वह कर अथवा प्रशुल्क लगाया जाना है तथा उसे उन राज्यों में वितरित किया जाना है। पहली अप्रैल, 2005 से शुरू पांच वर्ष की अवधि के लिए आयोग ने हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों की 30.5 प्रतिशत की राशि से उन राज्यों में वितरित करने की सिफारिश की है, जहां केन्द्रीय कर लगाने हैं।

5.2 राजस्व लेखा पर गैर-योजनागत अंतराल को पूरा करने के लिए राज्यों को सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने आदर्शी आधार पर राज्यों के गैर-योजना राजस्व घाटे को मूल्यांकित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों द्वारा राजकोषीय क्षमता में कमियों को तो संशोधित किया गया है लेकिन पर्याप्त राजस्व प्रयास अथवा अत्याधिक व्यय को प्रोत्साहित नहीं किया गया है। बारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2005-10 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए आकलित घाटे की राशि के बराबर 56,855.87 करोड़ रुपए की राशि 15 राज्यों को गैर-योजना राजस्व घाटे के रूप में देने की सिफारिश की है। वर्ष

2005-06 के लिए संस्तुत राजस्व घाटा अनुदान 15,091.86 करोड़ रुपए है जिसे चालू वर्ष के दौरान राज्यों को जारी किया जाएगा। 12,711.29 करोड़ रुपए का गैर योजना राजस्व घाटा अनुदान 02.01.2006 तक जारी कर दिया गया है।

5.3 शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान

बारहवें वित्त आयोग ने व्यय पक्ष का ध्यान रख एक समान सिद्धांत का प्रयोग करते हुए राज्यों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए अनुदानों की संस्तुति की है। व्यय प्राथमिकता, समूह औसत से कम खर्च करने वाले समायोजित राज्यों को उनके डिस्टेंड (दूरस्थ) का 15 प्रतिशत कवर करते हुए सहायता अनुदान मुहैया कराया गया है। वित्त आयोग ने वर्ष 2005-10 की अवधि के लिए आठ राज्यों को शिक्षा क्षेत्र के लिए 10,171,65 करोड़ रुपए की धनराशि और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सात राज्यों को 5,887.08 करोड़ रुपए के धनराशि के अनुदानों की संस्तुति की है। यह सहायता अनुदान 12वें वित्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने पर जारी किए जाएंगे। राज्यों को शिक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 1,247.33 करोड़ रुपए राशि के अनुदानों तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में 518.30 करोड़ रुपए के अनुदानों को 02.01.2006 तक जारी कर दिया गया था।

5.4 सड़कों और पुलों, सार्वजनिक भवनों एवं वनों के रख-रखाव के लिए अनुदान

12वें वित्त आयोग ने निम्नानुसार सड़कों और पुलों, भवनों और वनों के रखरखाव के लिए अलग-अलग अनुदानों की संस्तुति की है-

(i) सड़कों और पुलों के रख-रखाव के लिए सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत मैदानों और पर्वतीय क्षेत्रों हेतु मानकों को अपनाने और समायोजन घटकों के लागू करने के पश्चात् 2006-10 की अवधि के लिए सड़कों और पुलों के रख-रखाव के लिए 15,000 करोड़ रुपए के अनुदान की संस्तुति की गई है।

(ii) वर्ष 2006-10 से सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव के लिए अनुदानों के बतौर 5000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की गई है।

(iii) वनों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2000-10 की अवार्ड अवधि के दौरान आयोग द्वारा 1,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गई है। वर्ष 2005-06 के लिए संस्तुत अनुदान 200 करोड़ रुपए है। इस क्षेत्र के अंतर्गत 02 जनवरी, 2006 तक 104.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। यह रख-रखाव अनुदान अतिरिक्त तौर पर राज्यों द्वारा किए जाने वाले सामान्य रख-रखाव व्यय के अतिरिक्त है। इन अनुदानों को आयोग द्वारा निर्धारित कुछ शर्तों के अनुसार जारी और खर्च किया जा रहा है।

5.5 ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए अनुदान

ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए वित्त आयोग ने अपनी अवार्ड अवधि 2005-10 के लिए 625 करोड़ रुपए की राशि के अनुदान की सिफारिश की है। इस अनुदान का प्रयोग ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों के प्रतिरक्षण और संरक्षण तथा इन स्थलों की यात्राओं को आसान बनाने के लिए पर्यटन आधारभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए भी किया जाएगा।

5.6 विशिष्ट जरूरतों के लिए अनुदान :

राज्यों की विशिष्ट जरूरतों के लिए 12वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान राज्यों की विशिष्ट समस्याओं के लिए 11वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के प्रतिमान के अनुरूप है। 12वें वित्त आयोग ने राज्यों की विशिष्ट जरूरतों के लिए अनुदान के रूप में 7100 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की है।

5.7 स्थानीय निकायों के लिए अनुदान :

12वें वित्त आयोग ने नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए तथा राज्यों की समेकित निधि को संवर्धित करने हेतु सहायता अनुदान के रूप में 2005-10 तक की अवधि के लिए 25,000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की है। इसमें से 20,000 करोड़ रुपए पी.आर.आई. हेतु तथा 5,000 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों के लिए है। 2005-06 के लिए 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गई है। 3 जनवरी, 2006 तक कुल 2,262.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.8 आपदा राहत कोष और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष

12 वें वित्त आयोग ने आपदा राहत कोष(सी.आर.एफ.) स्कीम को केन्द्र और राज्यों के 75 : 25 के अनुपात में अंशदान करने के वर्तमान स्वरूप में ही जारी रखने की सिफारिश की है। 2005-06 तक की अवधि के लिए सी.आर.एफ. में कुल 21,333.33 करोड़ रुपए की राशि है। आयोग ने 500 करोड़ रुपए के मुख्य कोष (कोर कोरपस) के साथ एन.सी.सी.एफ. स्कीम को अपने इसी रूप में जारी रखने की भी सिफारिश की है। इस निधि से होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क तथा विशेष उपकरों की वसूली से करना जारी रखा जा सकता है। वर्ष 2005-06 के लिए सी.आर.एफ.में 2,958.32 करोड़ रुपए के केन्द्रीय शेयर में से 6.1.2006 तक राज्यों को 1,923.42 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। एन.सी.सी.एफ. में से वर्ष 2005-06 के दौरान (21.12.2005 तक) राज्यों को असाधारण किस्म की आपदाओं के लिए 2,861.16 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। अब तक एन.सी.सी.एफ. से जारी की गई राशि के अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर को राज्य में भूकंप आने के बाद 200.28 करोड़ रुपए भी जारी किए गए हैं। यह राशि केन्द्रीय करों और प्रशुल्कों के अग्रिम शेयर के रूप में जारी की गई है तथा एन.सी.ए. का समायोजन एन.सी.सी.एफ. द्वारा जारी की गई धनराशि से होगा।

5.9 राज्यों के लिए राजकोषीय सुधार सुविधा :

12 वें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए ऋण समेकन और छूट स्कीम की सिफारिश की है। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एक द्वि-स्तरीय दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है :

- एक सामान्य ऋण राहत स्कीम जो उस वर्ष से सभी राज्यों के लिए उत्तरव्यापी प्रभाव से स्वीकार्य होगी, जिस वर्ष वे राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफ.आर.एल.) बनाएंगे। उपर्युक्त स्कीम 31.3.2004 तक राज्यों द्वारा अनुबंधित तथा 31.3.2005 तक बकाया केन्द्रीय ऋणों के समेकन की प्रक्रिया के जरिए 7.5 प्रतिशत की घटी ब्याज दर पर 20 वर्ष की नई अवधि हेतु शुरू की गई है। बारहवें वित्त आयोग ने अनुमान लगाया है कि केन्द्रीय ऋणों के समेकन के पश्चात् अवार्ड अवधि (2005-10) के दौरान सभी राज्यों को कुल मिलाकर ब्याज के भुगतान में 21,276 करोड़ रुपए तथा पुनर्भुगतान में 11,929 करोड़ रुपए की ऋण राहत दी गई है।

- केन्द्रीय ऋण राइट-ऑफ स्कीम(केन्द्रीय ऋणों के समेकन के पश्चात) निम्नलिखित शर्तों के साथ राजकोषीय निष्पादन से संबद्ध हैः अर्थात् (i) एफ.आर.एल. का अधिनियमन (ii) 2004-05 से प्रत्येक वर्ष राजस्व घाटे/ राजस्व अधिशेष में पिछले 3 वर्षों (अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04), जिसका आधार वर्ष 2003-04 बनता है, की औसत की तुलना में कटौती। इस प्रक्रिया में यदि राजस्व घाटे को 2008-09 तक पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए तो राज्यों को छूट का पूरा लाभ मिलेगा। अतः राजस्व घाटे में कटौती कम से कम समेकन के कारण ब्याज दर राहत के बराबर होनी चाहिए तथा राजकोषीय घाटे को अनुवर्ती वर्षों में भी 2004-05 के स्तर पर बनाए रखा जाए। इस स्कीम के तहत, 31.3.2004 तक अनुबंधित केन्द्रीय ऋणों, जिनके समेकन के लिए संस्तुति की गई है, पर 2005-06 से 2009-10 तक देय पुनर्भुगतान की राशि को बट्टे-खाते डाला जा सकेगा। बट्टे खाते डाली जाने वाली राशि की मात्रा सम्पूर्ण राशि से संबद्ध होगी, जिससे अवार्ड अवधि के दौरान प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में राजस्व घाटा कम होगा। राजस्व अधिशेष राज्यों और राजस्व घाटे वाले राज्यों के लिए अलग उपचार की संस्तुति की गई है।

  इन सिफारिशों के आधार पर विस्तृत दिशानिर्देश निरूपित करके राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। 16 राज्यों ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम प्रस्तुत कर दिए हैं। इस

प्रयोजन के लिए गठित केन्द्रीय मॉनिटरिंग समिति ने अब तक 13 राज्य सरकारों के बकाया ऋण को समेकित करने की सिफारिश की है।

राजकोषीय पारदर्शिता में और सुधार लाने के उपाय के तौर पर योजना वित्त-I प्रभाग और लेखा नियंत्रक (वित्त) के कार्यालय ने राज्यों के ऋण संबंधी आंकड़ों को जारी करने की पहल "(स्टेट लोन डाटा रिलीज इनीशिएटिव)" के संबंध में सहयोग दिया है। एक वेब बनाने में सक्षम मॉड्यूल तैयार किया गया था ताकि राज्यों द्वारा किए गए पुनर्भुगतानों, चूकों तथा ऋणों, अनुदानों एवं निवेशों के संबंध में बकाया राशि की सूचना विभाग द्वारा राज्यों को जारी की जा सके। प्रत्येक राज्य सरकार अब निम्नलिखित बातों का अवलोकन करने में समर्थ है :

- वित्त मंत्रालय के सम्पूर्ण कार्य की जानकारी, जिसमें मंत्रालय द्वारा जारी (योजना-वार/राज्य-वार) मासिक निर्मुक्तियों की विस्तृत रिपोर्ट शामिल है, वेबसाइट पर डाल दी गई है।
- सम्पूर्ण वर्ष (माह-वार/ऋण-वार) के लिए निर्धारित पुनर्भुगतान।
- वास्तविक पुनर्भुगतान की तुलना में उनके निर्धारित पुनर्भुर्गतान।
- ऋण विनिमय योजना के अंतर्गत उनके द्वारा प्रभावी पूर्व-भुगतान।
- वर्ष -दर-वर्ष आधार पर (ब्याज दर -वार/ऋण-वार) बकाया अधिशेष।
- पी.डी.एफ. आरूप में संस्वीकृतियों और आई.जी.सूचनाओं को डाल दिया गया है।

वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2004-05 से पूर्णतः सत्यापित और समाधित आंकड़े उपलब्ध हैं।

6. योजना वित्त - II प्रभाग

योजना वित्त-II प्रभाग, प्राथमिक रूप से केन्द्रीय योजना से संबंधित मामले देखता है। पी.एफ.-II प्रभाग वित्त मंत्रालय में खिड़की के रूप में कार्य करता है, जो केन्द्र सरकार की विकास संबंधी गतिविधियों की समीक्षा दोनों स्तरों अर्थात् -परियोजना स्तर तथा क्षेत्रीय नीति स्तर पर करता है। विकास योजनाओं और परियोजनाओं के संबंध में फोकस बेहतर परियोजना निरूपण, आउटपुट पर बल, डिलीवरेबल्स, ठोस आकलन, परियोजनाकरण (मिशन अवधारणा) तथा कन्वर्जेंस विकास संबंधी खर्च की गुणवत्ता में सुधार लाने पर रहा है।

सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनागत-स्कीमों/परियोजनाओं को तैयार करने, मूल्यांकन तथा उनके अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देश दिनांक 7.5.2003 के का.ज्ञा.सं.1 (2)/ पी.एफ.-II/ 03 के तहत जारी कर दिए गए हैं। 1.7.2003 से लागू इन दिशा-निर्देशों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों के लिए 50 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक लागत वाली सभी योजना स्कीमों/परियोजनाओं के संबंध में स्कीम/परियोजना के मूल्यांकन हेतु योजना आयोग का "सिद्धान्ततः" अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी अपेक्षित होगी।

योजना वित्त-II सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी.आई.बी.) के सचिवालय के तौर पर कार्य करता है। सार्वजिनक निवेश बोर्ड केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के बारे में निवेश संबंधी प्रस्तावों पर विचार करता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत 200 करोड़ रूपये तथा उससे अधिक लागत की केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर सार्वजिनक निवेश बोर्ड विचार करता है। सचिव (व्यय) सार्वजनिक निवेश बोर्ड के अध्यक्ष हैं तथा संयुक्त सचिव (योजना वित्त-II) बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। योजना वित्त-II प्रभाग व्यय वित्त समितियों (ई.एफ.सीज) और स्थायी वित्त समितियों (एस.एफ.सीज.) को वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए भी मुख्य केन्द्र (फोकल प्वाइंट) है।

दिनांक 01.01.2005 से 31.12.2005 तक की अवधि के दौरान, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में 43 ई.एफ.सी.बैठकों की अध्यक्षता की गई, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के योजना निवेश संबंधी प्रस्तावों/स्कीमों पर विचार किया गया, जिनकी लागत 68,111.86 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, पी.आई.बी. की 51 बैठकें हुई तथा सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं (आर.सी.ईज सहित) की सिफारिश की गई है, जिनका कुल पूंजी परिव्यय 168,068.33 करोड़ रुपए बैठता है। पी.आई.बी. द्वारा विचारित परियोजनाओं की मंत्रालय/विभागवार स्थिति निम्नवत है : -

मंत्रालय/विभाग	सं.	राशि(करोड़ रु में)
विद्युत मंत्रालय	15	27,152.63
कोयला विभाग	18	13,443.49
जहाजरानी मंत्रालय	4	4,405.40
नागर विमानन मंत्रालय	2	38,149.07
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2	6,549.74
भारी उद्योग विभाग	1	699.00
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	2	64,725.00
शहरी विकास मंत्रालय	1	4,685.00
इस्पात मंत्रालय	1	8,259.00
योगः	**48**	**168,068.33**

दिसम्बर, 2005 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सी.पी.एस.यूज.) की वार्षिक योजना हेतु वित्त प्रदान करने के लिए आन्तरिक संसाधनों (आई.आर.) और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ई.बी.आर.) का अनुमान लगाने के लिए की गई कार्रवाई के आधार पर वर्ष 2005-2006 (सं.अनु.) हेतु सी.पी.एस.यूज के पास संभावित तौर पर 158,742.85 करोड़ रूपए के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार, वार्षिक योजना 2006-07 (बजट अनुमान) हेतु आंका गया आई.एंड ई.बी.आर. 176,909.35 करोड़ रूपए है। योजना आयोग निर्धारित करता है कि किसी योजना के वित्त पोषण के लिए किस सीमा तक आई.आर./आई.एंड ई.बी.आर. का उपयोग किया जाएगा।

योजना वित्त-II प्रभाग खाद्य, उर्वरक एवं पेट्रोलियम सब्सिडी से संबंधित मामलों तथा महालेखा नियंत्रक के परामर्श से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वित्तीय संरचना से संबंधित मामलों को भी देखता है।

7. कर्मचारी निरीक्षण एकक (एस.आई.यू.)

कर्मचारी निरीक्षण एकक का गठन 1964 में प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ विकसित होते हुए निष्पादन मानकों और कार्य प्रतिमानों के अनुरूप सरकारी संगठनों की स्टाफिंग में किफायत बरतने के उद्देश्य से किया गया था। वैज्ञानिक और तकनीकी संगठन कर्मचारी निरीक्षण एकक के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन विभागाध्यक्ष द्वारा गठित समिति, जिसमें कर्मचारी निरीक्षण एकक का प्रतिनिधि मुख्य सदस्य होता है, ऐसे संगठनों की स्टाफिंग का अध्ययन करती है।

बदलते हुए परिदृश्य में तथा बेहतर व्यवस्था (गवर्नेंस) तथा उन्नत रूप से सेवाएं प्रदान करने पर सरकार द्वारा दिए जा रहे बल को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी निरीक्षण एकक की भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया है। संबंधित मंत्रालयों और स्वायत्तशासी संगठनों को उनकी संगठनात्मक प्रभावकारिता में सुधार लाने की दृष्टि से सहायता देने में एस.आई.यू. उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की स्थिति में आ गई है। नए अधिदेश के अनुसार, एस.आई.यू. अब संगठनात्मक प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, डिलीवरी प्रणाली, ग्राहक की सन्तुष्टि, कर्मचारियों के सरोकारों आदि क्षेत्रों को कवर करने तथा आदर्श संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाओं का पुनर्निर्धारण, संसाधनों का इष्टतम उपयोग एवं न्यूनतम क्यय से निष्पादन (आउटपुट)/प्रभावकारिता बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग की संभावनाओं का पता लगाने के अलावा विलम्ब पर काबू पाने का सुझाव देने के लिए प्राथमिक तौर पर संगठनात्मक विश्लेषणों का अध्ययन करेगा।

वर्ष 2005 के दौरान, कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 14,950 संस्वीकृत पदों एवं 682 अतिरिक्त पदों के सृजन को शामिल करते हुए 16 रिपोर्ट जारी की, जिनमें भारत में पासपोर्ट कार्यालयों में दो प्रतिमानक अध्ययन तथा विदेश में

भारतीय मिशनों/पदों में निष्पादित किए जा रहे कॉन्सुलर एवं वीजा कार्यकलाप शामिल हैं। स्टाफिंग अध्ययनों के फलस्वरूप 14950 स्वीकृत पदों में से 4025 पदों को अधिशेष पदों के रूप में अभिज्ञात किया गया। एस.आई.यू. ने 285 अतिरिक्त पदों के सृजन को औचित्यपूर्ण नहीं पाया। वर्ष के दौरान किए गए अध्ययनों के फलस्वरूप 42.94 करोड़ रूपए की वार्षिक बचत हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कुल 10659 पदों और 1 प्रतिमानक अध्ययन को शामिल करते हुए 10 स्टाफिंग अध्ययनों पर अनंतिम रिपोर्ट भी जारी की गई।

नई भूमिका के अनुसार, एस.आई.यू. ने आदर्श संगठनात्मक संरचना, प्रक्रियाओं का पुनर्निर्धारण एवं संसाधनों का इष्टतम उपयोग आदि की संस्तुति करने के उद्देश्य से क्यय विभाग के संस्थागत सुधारों/संगठनात्मक पुनर्गठन का अध्ययन शुरूकिया है। विदेश मंत्रालय ने भी ऐसा ही अध्ययन कराने की योजना बनाई है। इसके लिए विदेश मंत्रालय ने देश के ऐसे स्थानीय पासपोर्ट कार्यालयों, जहाँ एस.आई.यू. मददगार (फेसीलिटेटर) के रूप में सहयोग देगी, में पहले से ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया है।

8. लागत लेखा शाखा (सी.ए.बी.)

लागत लेखा शाखा एक व्यावसायिक एजेन्सी है, इसमें केवल उन लागत/सनदी लेखाकारों को रखा जाता है जो देश की छह केन्द्रीय लेखांकन सेवाओं में से एक भारतीय लेखा लागत सेवा के सदस्य होते हैं। प्रारंभ में इसकी स्थापना उत्पादन की लागत को सत्यापित करने और रक्षा खरीद सहित सभी प्रकार की सरकारी खरीद के उचित विक्रय मूल्य के निर्धारण हेतु की गई थी। अब इसकी विशेषज्ञ सलाह के विषय क्षेत्रों में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मूल्य निर्धारण, लागत निर्धारण की विकासशील प्रणालियां, लागत निर्धारण के प्रतिमान और मानक, लागत प्रबंधन और लागत कटौती, मूल्य निर्धारण संबंधी अन्तः मंत्रालयी विवादों को हल करना, मूल्य निर्धारण संबंधी नीतिगत मामले और सभी सम्बद्ध मुद्दे शामिल हैं।

मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय (सी.ए.बी.) पिछले कुछ वर्षों में लागत एवं प्रबंधन लेखांकन मामलों में से एक विशेषज्ञ समूह के रूप में उभरा है जो वित्तीय प्रबंधन, पूँजीगत पुनर्गठन, पूँजीगत गहन परियोजनाओं के मूल्यांकन, पुनर्वास परियोजनाओं, सुदृढ़ कार्यशील पूँजी प्रबंधन नीतियों आदि को तैयार करने और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक प्रबंधन संसाधनों का अनुप्रयोग से संबंधित मामलों में एक मुख्य व्यावसायिक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। उदारीकरण की अवधि के पश्चात् परिवर्तनशील स्थितियों के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में आ रही समस्याओं से उत्पन्न हो रहे विविध संदर्भों के अतिरिक्त लागत दक्षता अध्ययन और मूल्य निर्धारण हस्तक्षेप के मुख्य क्षेत्र बन जाने के फलस्वरूप इस शाखा की भूमिका बढ़ गई है। मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय (सी.ए.बी.)मूल्य, प्रतिमानक, लागत दक्षता निर्धारण आदि से संबंधित क्षेत्र में संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा संदर्भित सामान्य अध्ययनों के अतिरिक्त उपयोगकर्ता प्रभारों के क्षेत्र में अध्ययन कराने वाली एक नोडल एजेंसी भी है। उपयोगकर्ता प्रभारों के क्षेत्रों में पाँच प्रकार के अध्ययनों को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा राजकोषीय नीतिगत योजना कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में संदर्भित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में सुधार लाना और ऐसी सेवाएं मुहैया कराते हुए मंत्रालयों/विभागों में लागत जागरूकता विकसित करना है। इन अध्ययनों का उद्देश्य न केवल वर्तमान लागतों का निर्धारण करना है, बल्कि लागतों/घाटों को कम करने/नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक अर्थोपायों का पता लगाना और सुझाव देना भी है।

8.1 उपयोगकर्ता प्रभारों के क्षेत्रों में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अभिज्ञात अध्ययन

- निर्यात/आयात लाइसेंस आवेदन शुल्क, ई.पी.जेड से प्राप्तियां, व्यापार मेलों के लिए प्रवेश शुल्क— वाणिज्य मंत्रालय।
- मौसम विज्ञान विषयक प्रभार— विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग।
- एम.आर.टी.पी. अधिनियम के तहत शुल्क, पेटेन्ट शुल्क, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए शुल्क— औद्योगिक नीति एवं सवंर्धन विभाग।
- कम्पनी अधिनियम के तहत वसूल किए गए शुल्क एवं अन्य प्राप्तियां, संयुक्त स्टाफ कंपनियों का विनियमन, कंपनी कार्य विभाग की अन्य प्राप्तियां-कंपनी कार्य विभाग।
- पासपोर्ट एवं वीजा शुल्क— विदेश मंत्रालय।

इसके अतिरिक्त, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) द्वारा डाक संबंधी घाटा और शुल्क तथा अन्य प्रभारों से संबंधित अध्ययन भी प्रगति पर है।

भारतीय लागत लेखा सेवा (आई.सी.ए.एस.) के शीर्ष के रूप में मुख्य सलाहकार (लागत) अपने अधिकारियों के ज्ञान और कौशल के क्रमिक स्तरोन्नयन के लिए उनकी प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों के साथ-साथ संवर्ग प्रशासन से संबंधित मामलों को भी देखते हैं।

मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय (सी.ए.बी.) के मुख्य व्यावसायिक कार्यक्षेत्र निम्नलिखित हैं -

(i) चीनी, प्रिंट मीडिया, रसायनों, वस्त्रों, उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों की लागत/उचित मूल्य निर्धारित करने तथा इस संबंध में सिफारिशें करने जैसे इकाई विशिष्ट के साथ-साथ उद्योग स्तर के अध्ययन।

(ii) निरूपण मूल्यों के नियतन को सुसाध्य बनाने के लिए परिवर्तन लागत, पैकेजिंग प्रभारों और प्रप्रिया क्षति अध्ययन के लिए मानक और पेटा (हल) आदि के लिए युद्धपोत निर्माण मानक;

(iii) प्रणाली तथा टेरिफ (प्रशुल्क) संबंधित अध्ययन;

(iv) निर्यात के लिए आगत-निर्गत मानक, सब्सिडी संबंधी अध्ययन और सेवाओं का मूल्यांकन;

(v) अधिलागत और अधिसमय, विवाचन मामले, दक्षता एवं प्रतिस्पर्धा संबंधी अध्ययन;

(vi) स्वास्थ्य, शिक्षा, डाक और अन्य क्षेत्रों में उपभोक्ता प्रभार;

(vii) लागत, मूल्य निर्धारण, खरीद, विनिवेश, लागत लेखा परीक्षा, प्रतिस्पर्धा और अन्य संबंधित प्रकार्यों से जुड़ी हुई विभिन्न समितियों पर अभ्यावेदन;

(viii) मिश्रित मूल्य/लागत संबंधित मामलों को सुलझाने में केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को सहयोग देना;

(ix) विभिन्न सेवाओं/उत्पादों हेतु उचित मूल्यों को नियत करने में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता देना;

(x) मूल्य निर्धारण के विवादों को सुलझाने में निर्णायक (मध्यस्थ);

(xi) लागत/वित्तीय मामलों से संबंधित सरकार द्वारा गठित समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में कार्य करना;

(xii) नियमित तौर पर/वार्षिक आधार पर/एक समय पर क्रय करारों के कारण पैदा हुए सरकारी विभागों/सार्वजिनक क्षेत्र के उपप्रमों के बीच दावों की जांच;

(xiii) आपूर्तिकर्ता संगठनों के साथ मूल्यों पर आपसी विचार-विमर्श के लिए सरकारी विभागों को समर्थ बनाने में सरकार को आपूर्ति किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण करना;

(xiv) उत्पादों एवं सेवाओं के लिए उचित मूल्य/दरों की सिफारिश तथा प्रभारित मूल्य, प्रशुल्क आदि का उचित संरचना निर्धारण;

(xv) सरकारी विभागों एवं आपूर्तिकर्ता के बीच हुए इकरारनामों से जनित बढ़ते दावों की जांच;

(xvi) विभागीय उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों के लिए लागत लेखा प्रणाली।

(xvii) औद्योगिक उपक्रमों की लागत एवं निष्पादन लेखापरीक्षा।

(xviii) मंत्रालयों/विभागों द्वारा निर्धारित लागत/मूल्य की समवर्ती लेखापरीक्षा।

(xix) अधिगृहित व्यवसाय की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन।

(xx) सार्वजनिक क्षेत्र के उपप्रमों के शेयर।

लागत लेखा शाखा द्वारा जनवरी 2005 से दिसंबर, 2005 की अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अध्ययनों के लिए 46 नए संदर्भ प्राप्त हुए तथा मुख्य सलाहकार (लागत कार्यालय) द्वारा 102 अध्ययन पूरे कर लिए गए थे। वर्ष के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों का स्वरूप काफी अलग-अलग है। अतः इन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है :

(i) **उद्योग-वार अध्ययन**

- औषधीय उद्योग : डी.पी.सी.ओ. 1995 के तहत औषधि निर्माण के मूल्यों के नियतन को सरल बनाने हेतु परिवर्तन लागत, पैकिंग प्रभार एवं प्रक्रियागत हानि के लिए मानकों का निर्धारण। इस कार्य हेतु पूरे भारत में फैली या विनिर्माण इकाइयों की लागत प्रोफाइल, उत्पादन प्रक्रिया लागत का स्वरूप -नियत, परिवर्तनशील, अर्द्ध-परिवर्तनशील, पैकिंग प्रप्रिया आदि का विस्तृत विश्लेषण करना अनिवार्य बनाया गया।

- **चीनी उद्योग :** वर्ष 2004-05 से 2006-07 की अवधि हेतु मण्डलीकरण एवं उद्योग से संबंधित अन्य मुद्दे जैसे अन्य प्राचलों को देखने के अतिरिक्त लेवी-चीनी के उचित मूल्य नियत करने हेतु चीनी उद्योग की लागत संरचना।

(ii) **प्रणाली अध्ययन**

भारत सरकार के पाँच मुद्रणालयों अर्थात् मायापुरी, नासिक, राष्ट्रपति भवन, मैसूर और नीलोखेड़ी के बारे में वर्ष 2003-04 हेतु लागत निर्धारण की प्रणाली की समीक्षा और प्रति घंटा की सामान्य दर एवं ओवरहेड प्रतिशतता का नियतन।

(iii) • **उपभोक्ता प्रभार अध्ययन** :

(i) जैविक उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षा हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बॉयोलोजिकल, नोएडा द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का नियतन।

(ii) डिप्थीरिया, टिटनस, इन पर आधारित कुकर खांसी (परटुसिस) के सान्द्रा और टीकों, चेचक के टीकों एवं बी.सी.जी. के टीकों के मूल्यों का निर्धारण, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शासित केन्द्र द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम अर्थात् व्यापक प्रतिरक्षण कार्यप्रम के लिए टीके अपेक्षित हैं। चूँकि बजटीय आउटफ्लो मूल्य पर निर्भर करता है, इसलिए ये अध्ययन केन्द्रीय बजट से केन्द्र सरकार द्वारा देय प्रभारों की श्रेणी में आते हैं।

(iv) **एकल निविदा आधार अथवा सीमित स्रोतों से खरीदी गई वस्तुओं/ उपयोग में लाई गई सेवाओं के उचित मूल्य का निर्धारण**

(i) ए.सी.ए.एस.एच.एवं महिला विकास संगठन (डब्ल्यू.डी.ओ.) से अधिप्राप्त विभिन्न ऊनी/हथकरघा मदें।

(ii) वर्ष 2004-05 के दौरान सी.जी.एच.एस.औषधालयों को मैसर्स आई.एम.पी.सी.एल. द्वारा सप्लाई की गईं आयुर्वेदिक/यूनानी दवाइयों के मूल्यों की जाँच।

(v) **उत्पादों/सेवाओं, जहाँ सरकार उत्पादक/सेवा प्रदाता के साथ-साथ उपभोक्ता भी है, का उचित बिक्री मूल्य :**

(i) आँसू गैस इकाई(टी.एस.यू.)द्वारा विनिर्मित तथा विभिन्न केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों एवं राज्य पुलिस संगठनों द्वारा इस्तेमाल की गई आँसू गैस की युद्ध सामग्री (टी.एस.एम.) का मानक (बैंच-मार्क) निर्यात मूल्य निर्धारित करना।

वर्ष 1998-99 के दौरान, आई.एस.पी., नासिक द्वारा आपूर्तित डाक लेखन -सामग्री मदों का उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करना।

(vi) **अन्यों की ओर से एक सरकारी विभाग/एजेन्सी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए सेवा -प्रभारों का निर्धारण :**

(i) रबी 2002 सीजन के साथ-साथ कोपरा 2001, 2002 और 2003 सीजन के लिए सूरजमुखी बीजों की मूल्य समर्थन स्कीम (पी.एस.एस.) के संबंध में नेफेड द्वारा किए गए दावों की जाँच।

सुपारी, खजूर-तेल(ऑयल-पाम), प्याज, सी ग्रेड के सेब, हतकोरा के साथ-साथ अदरक की बाजार हस्तक्षेप योजना (एम.आई.एस.) के संबंध में किए गए दावों की जाँच।

(vii) **(संसद भवन परिसर और प्रधानमंत्री कार्यालय) में खान-पान की व्यवस्था हेतु सब्सिडी का निर्धारण।**

(viii) **विभाग की विनिर्माण करने वाली इकाइयों के मामले में प्रोद्भूत लेखांकन सिद्धांतों का तुलन-पत्र।**

वर्ष 2004-05 के लिए सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर के तुलन-पत्र एवं आय-व्यय लेखे तैयार करना।

(ix) **समवर्ती लेखापरीक्षा**

वर्ष 2005 के दौरान, विभिन्न उर्वरक कंपनियों की समान भाड़ा-दर/वृद्धि दावों की समवर्ती लेखापरीक्षा संबंधी 56 रिपोर्ट जारी की गईं थीं।

(x) **वर्ष 2005 के दौरान सी.ए.बी. द्वारा कराए गए अन्य विविध अध्ययन निम्नवत हैं -**

(i) नई दिल्ली और पुणे में भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की कार्यशालाओं के लिए ऊपरी दरों का नियतन।

(ii) अलग-अलग क्षारोदों (एल्कॉलाइड्स) के बिक्री मूल्य का नियतन।

(iii) अफीम के निर्यात मूल्य तय करने के लिए तरीके/प्राचल सुझाने हेतु अध्ययन।

(iv) सेवा-कर में कटौती - एफ.ओ.टी.एस.आई.आई.का अभ्यावेदन।

(v) एन.डी.पी.एल., बी.एस.ई.एस. यमुना पावर लिमिटेड एवं बी.एस.ई.एस.राजधानी पॉवर लिमिटेड के कर्मचारियों के खर्च को कम करने के लिए वी.आर.एस.स्कीम को लागू करने का इनके उपभोक्ता पर प्रभाव।

(vi) पोर्ट ब्लेयर में नई बोटलिंग संयंत्र हेतु सब्सिडी।

(vii) वर्ष 2005-06 के लिए फिल्म प्रसंस्करण प्रयोगशालाओं की लागत निर्धारित करना।

(viii) दर संविदा के तहत छह इलैक्ट्रो-क्लोरिनेटर्स रिकोस्टिंग मदों की आपूर्ति हेतु मैसर्स टिटेनर कम्पोनेट लिमिटेड, गोवा के साथ रेट कॉन्ट्रेक्ट।

(ix) एस.पी.बी.सिस्टम एवं बॉयो-मास के संबंध में दूरदराज के गाँवों में विद्युतीकरण हेतु मरम्मत आदि द्वारा पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले उपकरणों की लागत निर्धारित करना।

(xi) **किए जा रहे प्रमुख अध्ययन**

- श्रवण-विकलांगता हेतु अली यावर जंग संस्थान द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों का मूल्य-निर्धारण-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।

- विभिन्न डाक सेवाओं/उत्पादों की समीक्षा हेतु लागत -निर्धारण एवं इसके मूल्यों में संशोधन-डाक विभाग।

- 20 खुराकों वाली शीशी (वॉयल) के ओरल पोलियो वेक्सीन के उत्पादन का तकनीकी एवं लागत अध्ययन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

- एल्वेई इकाई, आई.आर.ई.एल. में थ्रस्ट ऑपरेशन से उत्पादित एवं भारत सरकार की ओर से भण्डारित थोरियम ओक्सोलेट की प्रसंस्करण लागत की प्रतिपूर्ति -परमाणु ऊर्जा विभाग।
- मैसर्स पेस्टिअर इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया, कन्नूर के लिए कम्प्यूटरीकृत लागत-निर्धारण प्रणाली विकसित करना- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।
- शुल्क संरचना एवं अन्य उपभोक्ता प्रभारों का अध्ययन- इग्नू (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)

(xii) मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय द्वारा कराए गए अध्ययन के कारण सरकारी राजकोष में अनुमानित बचत/बढ़ा हुआ राजस्व

वर्ष 2005 के दौरान मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार को हुई अनुमानित बचतों को निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है -

संक्षिप्त विषय	अनुमानित बचत/वृद्धिशील राजस्व
जैविक उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए शुल्क	69.23 लाख रुपए वार्षिक
एक्सप्रेस पार्सल डाकों की दरें	20 करोड़ रुपए वार्षिक
सी.जी.एच.एस.कार्ड की लागत	107.10 लाख रुपए (2004-05 हेतु)। सी.ए.बी. की सिफारिशों की स्वीकृति के आधार पर अतिरिक्त बचतें।*
चेचक के टीके	105.60 लाख रुपए
पोर्ट ब्लेयर में नए एल.पी.जी. बोटलिंग संयंत्र के लिए सब्सिडी	893.18 लाख रुपए वार्षिक
चीनी उद्योग की उचित लागत संरचना	42 करोड़ रुपए वार्षिक(10 प्रतिशत लेवी चीनी के साथ)

(xiii) प्रमुख समितियों का प्रतिनिधित्व

मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय के अधिकारियों ने वाणिज्यिक लेखांकन में विशेषज्ञता के कारण निम्नवत मुख्य बहु-विषयक अंतः मंत्रालयी/विशेषज्ञ समितियों के अध्यक्ष/सदस्यों के रूप में सेवा की है -

1. डी.ए.वी.पी. के विज्ञापनों के लिए मौजूदा दर ढाँचे की व्यापक समीक्षा करने तथा नई दर संरचना फार्मूले का सुझाव देने के लिए समिति।
2. राष्ट्रीय औषधीय मूल्यांकन प्राधिकरण, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग।
3. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.), फरीदाबाद, का गवर्नर मण्डल और सोसाइटी।
4. उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर में कटौती के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का गठन।
5. आँसू गैस इकाई, बी.एस.एफ., टेकनपुर का शासी निकाय।
6. अधिसमय एवं अधिलागत की जिम्मेवारी तय करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित स्थाई समितियां।
7. उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, उर्वरक विभाग।
8. परिवार कल्याण विभाग की प्रबंधन प्रणाली के नवीकरण के लिए परिचालन समूह।
9. बाजार हस्तक्षेप स्कीम के अंतर्गत कृषि जिन्सों की अधिप्राप्ति पर विचार करने के लिए समिति।
10. एच.डी.पी.ई.लिमिटेड द्वारा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए 400-पैक्स एवं 100 टन मालवाही पोत (कारगो वैसल) के निर्माण तथा लाइट हाउस एवं हल्के पोत विभाग के लिए लाइट हाउस टेंडर वेसल्स के प्रबोधन हेतु समिति।
11. भारतीय सर्वेक्षण की सेवाओं एवं उत्पादों के मूल्य/लागत निर्धारण का अध्ययन करने के लिए समिति।
12. अफीम की अधिप्राप्ति एवं निर्यात मूल्यों को निर्धारित करने के लिए तरीकों एवं प्राचलों के बारे में सुझाव देने के लिए कार्यकारी दल।
13. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) पर विदेश मंत्रालय के 13.94 करोड़ रुपए के बकाया दावों की जाँच करने के लिए समिति।
14. पेटेंट कार्यालय, पेटेन्ट महानियंत्रक, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में परिचालनों के व्यापक कम्प्यूटरीकरण हेतु सी-डी.ए.सी.(डैक) के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए समिति।
15. विभिन्न उत्पादों के संबंध में कंपनी कार्य विभाग द्वारा बनाए गए लागत लेखा नियमों के प्रारूप की जाँच करने के लिए गठित सलाहकार समिति।
16. सार्वजनिक क्षेत्र के उपप्रमों में सी.आई.एस.एफ. की तैनाती के कारण अग्रिम भुगतान प्रणाली के संबंध में नीति की समीक्षा हेतु समिति।
17. स्टाम्प एवं पंजीकरण के राज्य सचिवों की स्थाई समिति।
18. केन्द्र सरकार के भवनों/संस्थापनाओं में ऊर्जा बचाव के उपायों की परिचालन एवं कार्यान्वयन समिति।
19. विभिन्न टकसालों एवं मुद्रणालयों के लिए एक समान लागत निर्धारित करना एवं प्रोफार्मा तैयार करने के लिए समिति।
20. कंपनी कार्य विभाग के परामर्शदाता द्वारा तैयार प्रारूप विनियमों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की समिति।
21. उर्वरक विभाग के अंतर्गत आने वाली आस्तियों, भवनों आदि की मूल्यांकन समिति।
22. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.) की वित्तीय समिति।

(xiv) मुख्य सलाहकार लागत कार्यालय की बढ़ती हुई भूमिका

अब ध्यान (फोकस) बृहद स्तर पर लागत निर्धारित करने वाली तकनीकों पर अंतरित किया जा रहा है ताकि लागत तकनीकों का समग्र लाभ लागत/सब्सिडी को कम करने अथवा राजस्व बढ़ाने के लिए किया जा सके। परम्परागत क्षेत्रों के अतिरिक्त बहुत से क्षेत्र विशेषकर उर्वरक, खाद्य , पेट्रोलियम क्षेत्र अभिज्ञात किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप 400 से 600 करोड़ रुपए तक के राजकोष की वार्षिक बचत होगी तथा यह बचत ऐसे अध्ययनों के फलस्वरूप प्रोदभूत होने वाले अप्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त मुख्य सलाहकार समुद्र तट कार्यालय द्वारा कराए गए लागत आधारित अध्ययनों के परिणामस्वरूप होगी।

9. महालेखा नियंत्रक (सी.जी.ए.)

महालेखा नियंत्रक केन्द्र सरकार का शीर्षस्थ लेखांकन प्राधिकरण है, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के लेखों के स्वरूपों के निर्धारण के लिए संविधान के अनुच्छेद 150 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग कर रहा है। मोटे तौर पर महालेखा नियंत्रक को सौंपे गए कार्य निम्नवत हैं: -

- सम्पूर्ण केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए सामान्य सिद्धान्तों, लेखांकन के स्वरूप और प्रप्रिया से संबंधित नीति का निरूपण करना।
- सिविल लेखा संगठन का गठन करके केन्द्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों में भुगतान, प्राप्तियों और लेखा संबंधी मामलों में समन्वय एवं देखभाल करना।
- मंत्रालयों/विभागों में प्रबंधन लेखा प्रणालियों की शुरूआत करने में समन्वय एवं सहायता करना ताकि कुशल नकद प्रबंधन एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली के जरिए सरकारी संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

- सरकारी व्यय के वितरण एवं सरकारी प्राप्तियों के संग्रहण के लिए बैंकिंग व्यवस्था करना तथा संघ सरकार के नकद संतुलन के समाधान हेतु सेन्ट्रल बैंक के साथ पारस्परिकता।

- केन्द्र सरकार के मासिक एवं वार्षिक लेखों को समेकित करना तथा भारत सरकार द्वारा ठोस राजकोषीय नीति के निरूपण और कार्यान्वयन हेतु समग्र प्रयासों से ठोस वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रस्तुत करना।

- भारतीय सिविल लेखा संगठन के भीतर दोनों पर्यवेक्षी एवं ऑपरेशनल स्तरों पर अपेक्षित अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, तैनाती और कॅरियर प्रोफाइल प्रबंधन जैसे मानव संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करना।

महालेखा नियंत्रक कार्यालय, संघ सरकार के लेखों के मासिक और वार्षिक समेकन के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों, भुगतान, घाटे तथा इसको वित्तपोषित करने के संसाधनों की मासिक प्रवृत्ति का विस्तृत विश्लेषण प्रत्येक माह केन्द्रीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। समय बीतने के साथ-साथ दस्तावेज बजटीय अनुपालन के प्रबोधन और वित्तीय निर्णय लेने हेतु सहायक एम.आई.एस. संदर्भ के लिए एक अत्यन्त उपयोगी उपकरण के रूप में विकसित हो गए हैं। सार्वजनिक कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने के बारे में सरकार की नीति के साथ सामंजस्य रखने हेतु प्रतिमाह इन्टरनेट पर लेखा संबंधी आंकड़े जारी किए जाते हैं। आंकड़े एचटीटीपीः/सीजीए.निक.इन. और एचटीटीपीः/डब्ल्यूडब्ल्यू.डब्ल्यू.सीजीएइंडिया.ओआरजी वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं।

सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के विकास के अनुरूप, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय वित्तीय वर्ष के पूरा होने के दो माह के भीतर भारत सरकार के अस्थाई लेखे भी तैयार करता है। जिस व्यावसायिकता के साथ ये लेखे तैयार किए जाते हैं, उससे पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त हुए उच्चस्तरीय यथार्थ स्तर का पता चलता है, चूँकि अस्थाई लेखों और अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के बीच बहुत मामूली सा अंतर दिखलाई पड़ता है।

वर्ष 2003-2004 के लिए संघ सरकार वित्त और विनियोजन लेखे (सिविल) फरवरी, 2005 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे और 6 मई, 2005 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2005 की संघ सरकार (सिविल) रिपोर्ट संख्या 1 के साथ रखे गए थे। एक प्रकाशन, जिसमें सरकारी प्राप्तियों और व्यय की विस्तृत और प्रमुख विशेषताएं निहित हैं, "लेखा 2003-04 एक नजर में" नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया था।

महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में पूँजी पुनर्संरचना कक्ष, जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूँजीगत संरचना से संबंधित प्रस्तावों की जांच करता है, ने 2005-06 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 14 मामलों के लिए तकनीकी आदानों की जांच की और इन्हें मुहैया कराया।

संसद के समक्ष रखे गए राजकोषीय नीति संबंधी योजना विवरण में यह दर्शाया गया था कि मंत्रालयों से यह अपेक्षा है कि वे अपने मासिक आय-व्यय का सार (अपनी वेबसाइट के जरिए) आम जनता तक पहुंचाएंगे तथा विभिन्न राज्यों को जारी की गई स्कीमवार निधियों को उजागर करेंगे। इसका उद्देश्य कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाना और डिलीवरी तंत्र की दक्षता एवं उत्तरदायित्व का बढ़ाना है। इस उद्देश्य के अनुसरण में महालेखा नियंत्रक ने सुनिश्चित किया है कि सभी सिविल मंत्रालयों की लेखा ईकाइयां लोगों के विचार जानने के लिए विभिन्न राज्यों को जारी की गई स्कीमवार निधियों के विवरण के साथ-साथ अपने मासिक आय-व्यय का सार अपने वेबसाइट के जरिए एक कॉमन फॉरमेट में जारी करेंगी। मंत्रालय वांछित सूचना प्रत्येक माह के अंतिम कार्य-दिवस तक जारी कर रहे हैं।

इस विवरण में यह भी बताया गया है कि निधियां जारी करने की प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाए तथा इनके रूप में परिवर्तन किया जाए। यह कार्यालय उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्रों की सक्रिय रूप से मानिटरिंग कर रहा है। 71.42 प्रतिशत उत्कृष्ट उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्रों को स्वीकृति दे दी गई है।

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय को उन मंत्रालयों में निधियों के संवितरण को सरल एवं कारगर बनाना था, जो सामाजिक क्षेत्र के भारी व्यय को संभालते हैं एवं राज्यों स्वायत्तशासी निकायों को निधियां वितरित करते हैं। इसका उद्देश्य केन्द्र सरकार से 10 करोड़ रुपए से अधिक निधियां प्राप्त करने वाले निकायों को बैंकों में उपलब्ध नवीनतम इस्तेमाल के जरिए निधियों के प्रवाह को बढ़ाना है। तद्नुसार महालेखा नियंत्रक के कार्यालय ने इस मुद्दे को ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ उठाया ताकि बैंकों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी तरक्की और आई.टी. नेटवर्किंग का उपयोग करके इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा सकें। इन सभी तीन मंत्रालयों ने बैंकों के साथ परामर्श करके एक विस्तृत तंत्र प्रस्तुत किया है ताकि 24 से 48 घंटों में तीव्रता के साथ रुपए का प्रेषण किया जा सके और विशेषज्ञ दल द्वारा संस्तुत विश्लेषणात्मक मापदन्डों में उपयुक्त परिवर्तन किया जा सके। उप समूह अपनी रिपोर्ट को पूरी करने के अन्तिम चरण में है।

जेन्डर बजटिंगः वित्त मंत्री ने जुलाई, 2004 को दिए अपने बजट भाषण में सरकार में जेन्डर बजटिंग की शुरूआत के संबंध में विशेषज्ञ समूह की सिफारिश के बारे उल्लेख किया था। तदुपरांत 10 अनुदान मांगों के अंतर्गत बजटीय आबंटनों की जेन्डर संवेदनशीलता को विशिष्ट रूप से दर्शाने वाले विवरण को 2005-06 के बजट में शामिल किया गया था। वित्त मंत्री ने 2005-06 के बजट भाषण में भी उल्लेख किया था कि सभी विभागों को यथासमय जेन्डर बजट प्रस्तुत करने के साथ-साथ अत्यधिक लाभार्जन संबंधी विश्लेषण करना अपेक्षित होगा। सचिव(व्यय) की अध्यक्षता अंतःविभागीय समिति सरकार में जेन्डर बजटिंग के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को देख रही है। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली एक बड़ी समस्या लेखांकन संबंधी आंकड़ों के जेन्डर पृथक्करण हेतु पर्याप्त सूचना का अभाव रहा है। महालेखा नियंत्रक के कार्यालय, योजना आयोग, बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एन.आई.पी.एफ.पी.) के आहरण अधिकारियों के एक उप समूह का गठन किया गया है ताकि, बजट एवं लेखा संबंधी आंकड़ों के जेन्डर विनियोजन हेतु उपयुक्त वर्गीकरण तंत्र का सुझाव दिया जा सके।

9.1 महालेखा नियंत्रक द्वारा की गई अन्य मुख्य पहल

सरकारी लेखा प्रणाली के कुछ मुख्य क्षेत्रों के स्तरोन्नयन और आधुनिकीकरण की जरूरत स्वतः प्रमाणित है। इस प्रणाली को नवीनतम एवं सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के समान बनाने तथा उचित रूप से निर्मित लेखा प्रणाली बनाने की जरूरत है जिससे सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। सरकार ने सिद्धान्तः बारहवें वित्त आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि केन्द्र सरकार को 'लेखाकंन के प्रोद्भूत आधार की ओर धीरे-धीरे अग्रसर' होना चाहिए। तद्नुसार महालेखा नियंत्रक ने निम्नलिखित पहल की हैः

- चुनिंदा मंत्रालयों/संगठनों में प्रोद्भूत आधारित लेखांकन शुरु करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करवाना।
- लेखांकन वर्गीकरण के लिए आधुनिक, एकीकृत, बहुआयामी प्रणाली का विकास तथा
- सरकारी विभागों के लिए विकसित आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली का विकास करना।

इस दिशा में मुख्य कदम के तौर पर महालेखा नियंत्रक के कार्यालय ने सितम्बर, 2005 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में वरिष्ठ/मध्य स्तरीय सरकारी कर्मचारी जो कि वित्त मंत्रालय में लेखांकन मामलों पर नीति तैयार करने तथा समान मंत्रालयों में खातों के रख-रखाव तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेवार हैं, शामिल हुए। नकद से प्रोद्भूत आधारित लेखांकन में परिवर्तन के कार्यान्वयन पहलुओं तथा नई व्यापक वर्गीकृत प्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया।

यह महसूस किया गया है कि ये सुधार आने वाली दीर्घावधि में बेहतर किस्म की वित्तीय सूचना उपलब्ध करवाएगा जिससे कि बेहतर निर्णय-लेने,

सार्वजनिक संसाधनों के आबंटन तथा प्रबंधन में ज्यादा निपुणता लाने, जवाबदेही बढ़ाने तथा बेहतर निष्पादन प्रबोधन में उल्लेखनीय मदद मिलेगी।

सी.जी.ए. की सूचना प्रौद्योगिकी पहलः सिविल मंत्रालयों में सरकारी लेखा कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं :-

- **कॉम्पेक्टः** वेतन एवं लेखा कार्यालयों में प्रयोग के लिए। यह सॉफ्टवेयर भारत में सभी प्रधान लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित किया जा चुका है तथा इसने पहले के **इम्प्रूव** (आई.एम.पी.आर.ओ.वी.ई.) पैकेज की जगह ली है।
- **कॉन्टेक्ट/कॉन्टेक्ट (ओ.आर.ए.)ः** प्रधान लेखा कार्यालयों में लेखों के समेकन के लिए। यह सॉफ्टवेयर नए वैब आधारित पैकेज जो कि आने वाले समय में सभी प्रधान लेखा कार्यालयों में कार्यान्वित किया जाएगा, के बदले में लगाया जा रहा है।
- **गेन्स (जी.ए.आई.एन.एस.)ः** महालेखा नियंत्रक के कार्यालय में लेखों के समेकन और वार्षिक वित्त लेखों को तैयार करने तथा संघ सरकार के विनियोजन लेखों को तैयार करने के लिए। आरेकल (ओ.आर.ए.सी.एल.ई.) 6i- अक्षर आधारित प्लेटफार्म पर विकसित गेन्स का यह सॉफ्टवेयर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के साथ एस क्यू एल सर्वर में अपग्रेड किया जा रहा है। सी जी ए मुख्यालय के लेखांकन समेकन तथा रिपोर्टिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर का सिस्टम डिज़ाइन परिवर्तित (मॉडिफाई) किया जा रहा है।
- **वेब-साइटः** सी.जी.ए. के कार्यालय से संबंधित अन्य संबद्ध सूचना के अलावा इस कार्यालय की वेब साईट **डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू. सी जी ए आई एन डी आई ए. ओ आर जी** केन्द्र सरकार के वार्षिक तथा मासिक लेखों के दर्शाती है। साईट नियमित तौर पर अपडेट की जाती है तथा सभी नए आदेश तथा अधिसूचनाएं अपलोड की जाती हैं।

10. सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान (आई.एन.जी.ए.एफ) :

वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल मंत्रालयों/विभागों के लेखा कार्मिकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दिल्ली में फरवरी, 1992 में सरकारी लेखा एवं वित्त संस्थान (आई.एन.जी.ए.एफ.) की स्थापना की गई थी। यह संस्थान कोलकाता, चेन्नई और नवीं मुंबई में स्थित तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों की सहायता से अपने कार्यक्रम सम्पन्न करता है। सरकारी लेखों तथा वित्त से संबंधित मामलों में यह संस्थान केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी निकायों के कार्मिकों को भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। विदेश मंत्रालय के इंडियन टैकनिकल एण्ड इकोनोमिक कोओपरेशन (आई टी ई सी) प्रोग्राम तथा अफ्रीका के लिए स्पेशल कॉमनवेल्थ प्रोग्राम (एस सी ए ए पी) के तत्वावधान में यह संस्थान 1995 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जिसमें 63 देशों ने भाग लिया है। श्रीलंका से द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम के अलावा विकास प्रशासन का संस्थान दस वर्षों से है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस संस्थान ने दिसम्बर, 2005 तक 2072 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

हमारे पाठ्यक्रमों में हाल ही में हुए विभिन्न सार्वजनिक प्रशासनिक सुधारों यथा राजकोषीय जवाबदेही कानून, परिणाम बजट, सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 तथा सूचना का अधिकार कानून आदि को उपयुक्त स्तरों पर शामिल किया गया है। संस्थान ने अपने कैलेंडर में हिन्दी, ई-गवर्नेंस गतिविधियां, महिला सशक्तीकरण तथा जेंडर सेंसिटाइजेशन के साथ-साथ स्व-विकास पर कार्यक्रम शामिल किए हैं। विशेष तौर पर वित्तीय प्रबंधन के लिए सूचना तकनीक एप्लिकेशन में दोनों दिल्ली तथा प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

11. केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सी पी ए ओ)

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने गत वर्ष के दौरान निर्धारित समय सीमा में सभी पेंशन मामलों के भुगतान के साथ अपनी भूमिका सफलतापूर्वक निभाई। इस अवधि के दौरान सी पी ए ओ ने केन्द्रीय सरकारी सेवाओं, रक्षा (सुरक्षा बलों के अलावा), रेलवे, डाक एवं तार की सभी नई भर्तियों के साथ नई पेंशन स्कीम के लिए आंतरिक केन्द्रीय रिकार्ड कीपिंग के तौर पर आधारित दायित्वों का निर्वाह किया।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय जिसकी स्थापना 1.1.1990 को हुई थी 'प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से केन्द्रीय सरकारी सिविल पेंशनरों को पेंशन की अदायगी के लिए योजना' को अंजाम दे रहा है। इसके कार्य-कलापों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य शामिल हैं :-

- अनुदान के अंतर्गत बजट तैयार करना और उसके पश्चात् उसका लेखांकन करना
- विशेष सील प्राधिकरण (एस.एस.ए.)जारी करना
- बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतान की लेखापरीक्षा

जनवरी, 1990 में स्थापना के बाद 31 मार्च, 2005 तक 4,50,206 पेंशन के मामले अधिकृत किए गए। इसके अलावा इस अवधि के दौरान संशोधन/विनिमय/स्थानांतरण के 4,26,770 प्राधिकरण जारी किए गए। अप्रैल, 2005 तथा दिसम्बर, 2005 के बीच 31 दिसम्बर, 2005 तक इस कार्यालय ने पेंशन/संशोधन/विनिमय/स्थानांतरण के 38,684 मामले निपटाए। यह अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान करीब 50,000 मामले निपटाए जाएंगे।

नई पेंशन स्कीम के लिए आंतरिक केन्द्रीय विनियामक प्राधिकरण (सी आर ए) के तौर पर सी पी ए ओ सरकारी सेवाओं में हुई भर्तियों के डाटाबेस जनवरी 2004 से एकत्रित करके रख रहा है जिसके लिए रक्षा, रेलवे, डाक एवं तार विभागों की बहुत सी इकाइयों के साथ समन्वय की आवश्यकता है।

11.1 सी.पी.ए.ओ. में ई-गवर्नेंस गतिविधियां

सी.पी.ए.ओ. कंप्यूटरीकृत कार्यालय है। प्राधिकृत बैंकों को पेंशन का प्राधिकार और बजट तथा लेखा तैयार करना इसका प्रमुख कार्य है। पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्राप्ति के तुरन्त बाद ही मामले को डायरी कर उसे एक नया डायरी नं. दिया जाता है और सम्बद्ध प्राधिकारी अनुभाग को प्रविष्टि तथा सत्यापन के लिए भेज दिया जाता है। इसके पश्चात एस.एस.ए. (विशेष सील प्राधिकारी) मुद्रित की जाती है और विभिन्न बैंकों को भेजने के लिए प्रेषण शाखा में भेजी जाती है। उपर्युक्त सभी कार्य एक केन्द्रीय कंप्यूटर जिसके टर्मिनल हरेक अनुभाग में उपलब्ध हैं, के द्वारा किए जाते हैं। प्रक्रिया के दौरान किसी भी अवस्था में सी.पी.ए.ओ. में प्राप्त हुए मामले की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। स्वागत कक्ष में स्थापित पूछताछ कम्प्यूटर से अपना पी.पी.ओ. नम्बर बताकर कोई भी पेंशनभोगी अपने मामले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

एन.आई.सी. की सक्रिय तकनीकी सहायता से सी.पी.ए.ओ. ने अब अपनी एक वेब साइट एचटीटीपी/सीपीएओ.निक.इन. विकसित की है, जो 8 अक्तूबर, 2001 को प्रारंभ की गई थी। यह वेबसाइट पेंशन भोगियों के मामलों के बारे में सूचना प्रदान करती है। वे सी.पी.ओ. से पूछताछ कर सकते हैं तथा उनका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। यह वेबसाइट पेंशन से संबंधित अद्यतन परिपत्रों को भी प्रदान करती है और संबंधित साइट से जुड़ी हुई है।

डी.एस.आर. (डेली स्टेट्स रिपोर्ट) आपरेटर वार रिपोर्ट जैसी अनेक उपयोगी एम.आई.एस. रिपोर्टें तैयार की जाती हैं जो कार्यालय के कुशल तथा प्रभावी संचालन में प्रबंधन की सहायता करती हैं। इसमें प्रबंधन कार्यालय के विभिन्न अनुभागों जैसे प्राप्ति, प्रेषण, प्राधिकरण, कम्प्यूटर अनुभाग आदि में लंबित मामलों की जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। केवल दैनिक स्थिति रिपोर्टों की सहायता से विभिन्न अनुभागों की कमियों को जाना जा सकता है और यदि कोई गत्यावरोध हो तो उन्हें भी पहचान कर उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं।

पेंशन भुगतान तथा लेखाकरण को सरल और कारगर बनाने के लिए इस कार्यालय में बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी विकसित एवं कार्यान्वित किए गए हैं। इनमें निम्नवत शामिल हैं :-

(i) **पर्ल (पी ई ए आर एल)** :- इस कार्यालय में प्राप्त पेंशन मामलों का निपटान तथा विशेष सील प्राधिकरण जारी करने के लिए।

(ii) **कॉम्पेक्ट, पी ए ओ -2000**:- इस कार्यालय से संबंधित व्यय तथा पेंशन अनुदान के लिए मासिक लेखों को संकलित करने के लिए।

(iii) **ए जी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर** :- विभिन्न कोषों से पेंशन आहरण करने वाले पेंशनरों तथा संकलित वाउचरों तथा विभिन्न महालेखाकारों द्वारा प्राप्त दावों के निपटान के लिए डाटाबेस तैयार करने के लिए।

(iv) **सी आर ए सॉफ्टवेयर**:- नई पेंशन स्कीम से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त डाटा को समझकर अपने डाटाबेस में शामिल करने तथा समाधान हेतु विभिन्न रिपोर्टें तैयार करने के लिए।

(v) **डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर**:- पेंशनरों के सी पी ए ओ के डाटाबेस के साथ बैंक के डाटाबेस की तुलना के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा चुका है तथा इसके द्वारा डाटाबेस को सही करने तथा दोनों तरफ पूर्णतः अनुरूपी डाटाबेस तैयार करने के लिए अपवाद (एक्सेपशन) रिपोर्टें तैयार की जाती हैं।

शुरू किए गए इन सभी उपायों का मकसद पेंशन भुगतान तथा लेखाकरण प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तथा कागजी कार्रवाई में कमी लाना है जिससे कि इस कार्यालय के कामकाज की दक्षता तथा प्रभावकारिता को बढ़ाया जा सके।

11.2 नीति एवं समन्वय स्कंध

यह नव सृजित स्कंध विभाग से संबंधित कार्य संभालता है जो कि विशेष तौर पर किसी से संबंधित होने की जगह सभी से सामान्य रूप से संबंधित होते हैं। इसके अलावा यह की गई कई नई शुरूआतों यथा परिणाम बजट तथा राजकोषीय जवाबदेही के बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत् अन्य व्यय प्रबंधन उपायों का केन्द्र बिन्दु है। विशिष्ट गतिविधियों तथा आदेश में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परिणाम बजट का समन्वय, व्यय प्रबंधन नीति/योजना, व्यय प्रबंधन पर मितव्ययिता संबंधी अनुदेश तथा व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का प्रबोधन, सामान्य व्यय प्रबंधन से संबंध रखने वाली लोक लेखा समिति की सिफारिशें, व्यय विभाग को सौंपा गया राजकोषीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन अधिनियम से संबंधित कार्य, मासिक लेखों की समीक्षा, व्यय विभाग में सूचना का अधिकार, 2005 के कार्यान्वयन का समस्त समन्वय, व्यय विभाग के लिए सामान्य बजटीय समन्वय, व्यय विभाग में टिप्पणियों के लिए प्राप्त विधायी प्रस्तावों की जाँच, व्यय विभाग के दायरे में आने वाले लेखांकन मामले, विभाग की वार्षिक रिपोर्ट, व्यय विभाग से संबंधित रिपोर्टें/रिटर्न, विभिन्न समितियों तथा स्वायत्तशासी निकायों में व्यय विभाग का अभ्यावेदन, मंत्रिमंडल के लिए विविध नीति मामले तथा प्रस्ताव जोकि व्यय विभाग के किसी अन्य स्कंध/प्रभाग द्वारा विशिष्ट रूप से नहीं देखे जाते, शामिल हैं।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (बजट अनुमान 2005-06) के पैरा 100 में कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुधारने तथा डिलिवरी मैकेनिज़म की दक्षता तथा जवाबदेही को बढ़ाने की सरकार की इच्छा की घोषणा की थी। तदुपरांत, प्रधानमंत्री ने सभी केन्द्रीय मंत्रियों से क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों की जाँच करने तथा विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाले हमारे समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक के संबंध में निर्धारित तिमाही लक्ष्यों के साथ अपने वित्तीय परिव्ययों को वास्तविक परिणामों में बदलने का अनुरोध किया। उपर्युक्त घोषणाओं के अनुसरण में व्यय विभाग ने योजना आयोग की सक्रिय भागीदारी के साथ 25 अगस्त, 2005 को संसद में प्रस्तुत अपनी तरह के पहले परिणाम बजट 2005-06 के संकलन के लिए बहुत कार्य किया। बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में अल्पावकाश से पहले मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परिणाम बजट 2006-07 की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह आदेश जारी किए गए थे कि व्यय वित्त समिति तथा सार्वजनिक निवेश बोर्ड मूल्यांकन के लिए किसी भी स्कीम/परियोजना पर तब तक विचार नहीं करेंगे जब तक प्रस्ताव में अपेक्षित नतीजे तथा समय सीमाओं को स्पष्ट रूप से न दर्शाया जाए। नीति एवं समन्वय विंग स्वीकृति के उपरांत किए जाने वाले व्यय की समीक्षा, डिजाइन कमियों की स्थिति तथा व्यय प्रबंधन तथा कार्यान्वयन की गुणवत्ता में संपूर्ण रूप से सुधार लाने वाले मामलों पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित करने की तैयारी कर रहा है।

जैसे कि दिसम्बर, 2005 के लेखों की समीक्षा में दर्शाया गया है कि गैर-योजना व्यय में 6.7% की दर से तथा योजना व्यय में 16.5% की दर से हुई वृद्धि के कारण सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में विवेकपूर्ण परिवर्तन (शिफ्ट) हुआ है तथा खर्च करने की प्रक्रिया में भी सुधार हुआ है जबकि पहले वित्तीय वर्ष के अंत में इसके परिणामस्वरूप ज्यादा व्यय होता था। दिसम्बर, 2005 तक योजना व्यय पिछले 5 वर्षों की औसत के रूप में बजट के 59% तथा पिछले वर्ष के बजट के 56% की तुलना में बजट का 66% था। मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वह व्यय को चरणबद्ध तरीके से करें जिससे कि अन्त में निधियों की होने वाली बंचिंग को रोका जा सके। तथापि, राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के पास एकत्रित हुए 'अव्ययित बकाया' विचार का विषय रहा है तथा इस समस्या से निजात पाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों द्वारा जिला स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों के अंतरण हेतु ई-बैंकिंग की शुरूआत के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। यह अपेक्षित है कि जिला ग्रामीण विकास की सभी एजेंसियों को प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाए। अभिप्रेत प्रणाली के दो अलग-अलग उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कार्यान्वयन एजेंसियों के कार्यक्रमों की अहमियत को जानकर 'निधियों का शीघ्र अंतरण' तथा दूसरा उद्देश्य है उतनी ही शीघ्रता से मंत्रालयों की वास्तविक उपयोगिता का फीडबैक प्रदान करना। इसके अलावा, किसी भी निकाय (जिसमें राज्य सरकारें शामिल हैं) जिसने उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में चूक की है, को सहायता अनुदान जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा क्लीयरेंस लिए बगैर किसी भी निकाय को निधियाँ जारी नहीं की जाएँगी। 1 अप्रैल, 2002 से पहले जारी सभी अनुदानों के संबंध में संबंधित निकायों को अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का नोटिस दिया जाए जिसके पूरा न होने पर भविष्य में की जाने वाली निर्मुक्तियों में से राशि को काट कर सरकारी राजस्व में 'अनुपयोगी अनुदानों की वापसी' के रूप में जमा करा दिया जाए। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों के क्लीयरेंस के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया तथा 31.3.2004 तक जारी अनुदानों के लिए 41,997 करोड़ रूपए वाले 87,270 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से नवम्बर, 2005 तक 30,195 करोड़ रुपए वाले अधिकतम 41,496 उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

गैर-योजना, गैर- विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने, घाटों को कम करने तथा वित्तीय अनुशासन में सुधार लाने की दृष्टि से सभी मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाते हैं। 'बजट/व्यय प्रबंधन - मित्तव्ययिता उपायों, व्यय को युक्तिसंगत बनाने तथा राजस्वों की वृद्धि के लिए उपायों' पर इस तरह के नवीनतम दिशा-निर्देश 23 नवम्बर, 2005 को जारी किए गए थे। इन दिशा- निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यथोचित मितव्ययिता उपायों द्वारा वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में हुए वास्तविक व्यय की औसत की तुलना में कार्यालय मदों, विदेशी यात्रा, समयोपरि भत्ते/मानदेय , वाहनों को भाड़े पर लेने, टेलीफोन प्रभारों, ईंधन खपत, सेमिनार/संगोष्ठियों पर होने वाले व्यय को सीमित करना शामिल है। नए वाहनों की खरीद, नए पदों के सृजन, विदेशी यात्रा, संगोष्ठियों/सेमिनारों/कार्यशालाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों के स्थानांतरणों को शासित करने वाली पद्धतियाँ समीक्षाधीन हैं। मंत्रालयों/विभागों को किसी भी योजना स्कीम के तहत ऐसे अंतरणों (जैसे कि अनुरूपी निधियन) के साथ संलग्न स्थितियों एवं शर्तों की छूट पर निधियों को अंतरित करने से मना किया गया है। हवाई यात्रा तथा दूर संचार सेवाओं के लिए निजी क्षेत्र की सेवाएँ लेने के लिए लचीलेपन की अनुमति प्रदान की गई है। सभी लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों

को कहा गया है कि वे 20% की इक्विटी पर या करोत्तर लाभ के 20% में से न्यूनतम, इनमें से जो भी कम हो, पर निपटान योग्य लाभ की उपलब्धता पर आधारित न्यूनतम लाभांश घोषित करें। उपभोक्ता प्रभारों, अनुज्ञप्ति शुल्क, सेवा प्रभारों तथा शुल्कों की समीक्षा के आदेश दिए गए हैं। चल रहे सभी कार्यक्रमों तथा स्कीमों की ध्यानपूर्वक समीक्षा, जाँच तथा मूल्यांकन किया जाए जिससे कि उनकी निरंतर संगतता निर्धारित की जा सके।

12. राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एन.आई.एफ.एम.)

इस संस्थान की स्थापना प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं वित्तीय परामर्शदाता का कार्य करने, लेखा एवं लेखापरीक्षा, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी एवं उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्र के रूप में की गई है। जिन प्राथमिक उद्देश्यों के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई, वे निम्नलिखित हैं-

i) संस्थान के प्रबंधन की स्थापना और प्रशासन।

ii) वरिष्ठ तथा माध्यमिक स्तर पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ प्रतिभागी सेवाओं के समूह 'क' अधिकारियों के लिए अनवरत प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का आयोजन करने हेतु।

iii) उच्चतम स्तर की व्यावसायिक सक्षमता और व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रबंधन संस्थान के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में संस्थान स्थापित करने हेतु।

iv) लेखा, लेखापरीक्षा, वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन और उससे संबंधित विषयों के क्षेत्र में अनुसंधान परामर्शदात्री अध्ययनों को आरम्भ तथा बढ़ावा देने हेतु।

v) एसोसिएट सेवाओं/केन्द्र/राज्य सरकारों के अधिकारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संस्थानों के अधिकारियों के लिए वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु।

vi) अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजन करने तथा वित्त एवं लेखा, विशेषकर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में शेष बचे कार्य में हुई प्रगति के संदर्भ में उसे अद्यतन करने हेतु।

उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने सरकार में उच्च स्तर के वित्त कार्यों को सही ढंग से निपटाने की दृष्टि से छह केन्द्रीय ग्रुप 'क' और लेखा सेवाओं के परिवीक्षाधीनों को 10 माह का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सेवारत अधिकारियों को व्यापक और एकीकृत मध्य कैरियर व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अवसर भी उपलब्ध कराता है। विशेषकर सार्क देशों के अधिकारियों को दो वर्ष के (एम.बी.ए.) मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (फाइनेंस) में डिग्री पाठ्यक्रम के साथ आवश्यकता आधारित लघु अवधि प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी आयोजित करता है। ये पाठ्यक्रम व्यावसायिक विकास, विचारों के आदान-प्रदान को सुसाध्य बनाने, वित्तीय प्रबंधन की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा सरकार और वित्त प्रबंधकों और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से व्यवसायिकों को करीब लाने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। संस्थान ने सामान्य वित्तीय नियमावली की समीक्षा तथा लेखांकन की मौजूदा प्रणाली में बदलाव लाने और मानक प्रारूपों में वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न परामर्शदात्री परियोजनाओं को भी शुरू किया है।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है। सोसायटी की आम सभा के अध्यक्ष, भारत सरकार के वित्त मंत्री होते हैं। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी के प्रशासक मंडल की अध्यक्षता सचिव (व्यय) द्वारा की जाती है। इस संस्थान ने जनवरी, 1994 से अपना कार्य शुरू किया तथा इस संस्थान ने विभिन्न लेखा, लेखा परीक्षा और वित्तीय सेवाओं के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के बारह बैचों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। 13 वें बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों का प्रशिक्षण 9 जनवरी, 2006 से शुरू किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 44 सप्ताहों की है। इस संस्थान के कर्मचारियों की कुल संस्वीकृत संख्या (28 फैकल्टी पदों सहित) 85 है जिसमें से वर्तमान में 66 पद भरे हुए हैं।

12 वां व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नवम्बर, 2005 के दूसरे सप्ताह में पूरा हो गया था। इस कार्यक्रम में कुल 12 परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने भाग लिया। इन परिवीक्षाधीन अधिकारियों में से आई आर ए एस (05) , आई सी ए एस (04), आई डी ए एस (03) तथा आई पी एवं टी एफ ए एस (शून्य) थे। यह संख्या 4 परिवीक्षाधीनों के अगस्त, 2005 में पाठ्यक्रम को छोड़कर अन्य सेवाएँ ज्वाइन करने के बाद घट कर 8 तक रह गई। इसके अतिरिक्त, आई ए एवं ए एस के 7 परिवीक्षाधीनों ने अगस्त, 2005 में पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया (1 परिवीक्षाधीन के अन्य सेवा ज्वाइन करने के लिए त्याग पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् केवल 6 रह गए)।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान प्रत्येक वर्ष अलग-अलग अवधियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इस समय प्रबंधन विकास कार्यक्रमों (एम डी पीज़) का मुख्य ध्यान निम्न क्षेत्रों में है : (क) बजटीय एवं सार्वजनिक व्यय प्रबंधन (ख) सरकार में लेखांकन प्रणाली एवं वित्तीय प्रबंधन (ग) सामग्री तथा सेवाओं की अधिप्राप्ति (घ) निविदा और संविदा जारी करना (ड.) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (च) सामग्री, कार्यों और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए विश्व बैंक की प्रक्रियाएँ तथा मानक नियमावली (छ) साइबर अपराध तथा अपराध विज्ञान (ज) मूल्य वर्धित कर। इनमें से कुछ कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों, विदेशी सरकारों आदि द्वारा प्रायोजित हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि संस्थान द्वारा आयोजित विशेषीकृत पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करते हैं। वर्ष 2005 के दौरान 40 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान वर्ष 2002 से एम बी ए (वित्त) पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस वर्ष ए आई सी टी ई द्वारा मान्यता प्राप्त पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन बिजनस मैनेजमेंट (वित्तीय प्रबंधन) महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा से सम्बद्ध एम बी ए (वित्त) के पहले पाठ्यक्रम की जगह तैयार किया गया है। यह पाठ्यक्रम 6 फरवरी, 2006 से प्रारंभ है। इस पाठ्यक्रम में 22 सप्ताह की अवधि वाले चार सेमिस्टर हैं। पहले तीन सेमिस्टरों को क्लासरूम (कक्षा) टीचिंग के लिए रखा गया है। चौथा सेमिस्टर प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। संस्थान ने लुबयाना विश्वविद्यालय के सहयोग से लुबयाना स्लोवेनिया यूरोप में स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रोमोशन ऑफ इंटरप्राइजेज में 2 सप्ताह का सेमिनार रखा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समसामयिक मुद्दा पर प्रकाश डालना, उत्कृष्ट कारपोरेट प्रणाली के लिए व्यापक परिदृश्य तैयार करने में मदद करना , निगम तथा सार्वजनिक दोनों ही किस्म के प्रशासन के लिए शासन का मॉडल सुझाना है। यह कार्यक्रम वाणिज्यिक लेखांकन, सरकारी लेखांकन, वित्तीय प्रबंधन, सार्वजनिक वित्त, बजट तैयार करने, वित्तीय नीति प्रतिपादन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वित्तीय निर्णय निर्धारण और एम. आई. एस . जैसे क्षेत्रों में ज्ञान प्रदान करने एवं इस क्षेत्र में कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने मई, 2005 में 'वित्तीय सलाहकारों की जवाबदेही तथा भूमिका प्राधिकार' पर एक सेमिनार का आयोजन किया।

गत वर्ष में राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने निम्नलिखित परामर्शी परियोजनाओं को पूरा किया:-

- इग्नू को लेखों के नए मानक फॉरमेट अपनाने तथा अपने स्टाफ को लेखांकन तथा वित्तीय प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मार्गदर्शन दिया।
- जवाहर लाल विश्वविद्यालय के लिए लेखांकन तथा वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी की प्रोद्भवन प्रणाली के मानक फारमेट में बदलाव किया।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की संघटनात्मक पुनःसरंचना।
- बिशकेक किर्गिज गणतंत्र में नेशनल प्रोक्योरमेंट प्रशिक्षण केन्द्र (एन पी टी सी) का अध्ययन।

गत वर्ष के दौरान राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान को निम्नलिखित परामर्शी परियोजनाएँ प्रदान की गईं :

- डी एफ आई डी के वित्त पोषण के साथ उड़ीसा वित्तीय सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम संरचना/पाठ्यक्रम सामग्री का पुनर्निर्धारण।
- भूटान शाही सरकार के शाही प्रबंधन संस्थान की संस्थागत क्षमता को बढ़ाना।

उत्कृष्टता की तलाश में तथा शैक्षिक क्षेत्र में गुणवत्ता लाने की दिशा में वैश्विक तौर-तरीकों को अपनाते हुए राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने रीनिज-वेस्टफालिशर टी.यू.वी.ई.वी. (जर्मनी), के साथ विश्व प्रसिद्ध प्रमाणन निकाय टी.यू.सी.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से आई.एस.ओ.-9001 प्रमाण-पत्र लिया। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने गुणवत्ता मानकों की अपेक्षाओं को पूरा किया गया, जिसे दिनांक 6 जनवरी, 2001 को संस्थान के अध्यक्ष, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने ग्रहण किया। इस प्रणाली का दिनांक 30.10.2003 से आई.एस.ओ. 9001 से आई.एस.ओ. 9001-02 के मानक में उन्नयन कर दिया गया है।

पोस्ट ग्रेज्युएट डिप्लोमा इन बिजनस मैनेजमेंट (एफ एम) पाठ्यक्रम में योजना आयोग द्वारा वित्त पोषित 15 सीटें उत्तर -पूर्वी क्षेत्र के भागीदारों के लिए आरक्षित हैं।

कैम्पस 40 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसको प्रदूषण रहित करने के लिए इसे सुन्दर गुलाब के बगीचे और घास से प्रतिरोपित किया गया है, जिसमें अलग-अलग मौसमों के दौरान विभिन्न प्रवासी पक्षी भी आते हैं। संस्थान के कैम्पस में 12,000 से अधिक वृक्ष/पौधे पहले से ही प्रतिरोपित किए गए हैं। संस्थान में कैक्टस का एक मनोरम बगीचा भी विकसित किया जा रहा है।

13. **लोक शिकायत निवारण मशीनरी तथा नागरिक इंटरफेस :**

- एक लोक शिकायत निवारण मशीनरी जिसके निदेशक (शिकायत) प्रशासन के इंचार्ज संयुक्त सचिव हैं, विभाग में कार्यरत है। लोगों द्वारा प्राप्त शिकायतें नगण्य हैं।
- महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर एक 'शिकायत समिति ' का गठन किया गया है।
- प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के दिनांक 21.5.1998 के का.ज्ञा. सं. 33011/1/97-ओ एण्ड एम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ जन साधारण के लिए शुरू की गई अवार्ड स्कीम जोकि सेवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नवोन्मेषी तथा कार्यक्षम सुझावों से संबंधित है तथा इसे उपभोक्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए संयुक्त सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में तथा उप सचिव (प्रशा.) के सदस्य और अपर सचिव (प्रशा.) के रूप में इस विभाग में एक जाँच समिति का गठन किया गया है।

13.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को लागू करना :

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में इस विभाग द्वारा नियुक्त सी पी आई ओज तथा अपील प्राधिकरण इस प्रकार हैं :

प्रभाग का नाम	सी.पी.आई.ओ. का नाम तथा पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का नाम तथा पदनाम
योजना वित्त-II	श्री के.एम. गुप्ता, निदेशक	श्री विवेक रे, संयुक्त सचिव (यो.वि.II)
कर्मचारी निरीक्षण एकक	श्री ओम प्रकाश, निदेशक	श्री जी.पी. गुप्ता, मुख्य लेखा नियंत्रक (वित्त)
योजना वित्त-I	श्री बी.एस. भुल्लर, निदेशक	श्री वी.के. सेंथिल, संयुक्त सचिव (यो.वि.I)
वित्त आयोग प्रभाग	श्री राजन कुमार, निदेशक	श्री वी.के. सेंथिल, संयुक्त सचिव (यो.वि.I)
लागत लेखा शाखा	सुश्री अरुणा सेठी, निदेशक	श्री जे.के.पुरी, मुख्य सलाहकार (लागत)
कार्मिक प्रभाग	श्री मनीष कुमार, उप सचिव	श्री अतनु चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव (कार्मिक)
महालेखा नियंत्रक का कार्यालय	सुश्री रेनु देशपांडे, उप महालेखा नियंत्रक	श्री एम.जे. जोसफ, संयुक्त महालेखा नियंत्रक
केन्द्रीय पेंशन एवं लेखा कार्यालय	सुश्री बंधुला सागर, लेखा नियंत्रक	श्रीमती वंदना शर्मा, मुख्य नियंत्रक (पेंशन)
राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान	श्री संदेश कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	श्री ए.एन. चटर्जी, निदेशक, एन.आई.एफ.एम.

आर.टी.आई. अधिनियम के तहत् व्यय विभाग में 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का उपयोग

हिन्दी अनुभाग विभाग में भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है और सभी तरह के सामान्य आदेशों, संसद के प्रश्नोत्तरों सहित सदन के पटल पर रखी जाने वाली विभिन्न रिपोर्टों, मंत्री महोदय के पत्रों, भाषणों आदि के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के अनुवाद की व्यवस्था भी हिन्दी अनुभाग द्वारा की जाती है ।

विभाग में लगभग 98.9 प्रतिशत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त है । इस विभाग में अधिकांश अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगभग 30 से 76 प्रतिशत तक सरकारी कामकाज हिन्दी में किया जाता है । हिन्दी टंकण/आशुलिपि न जानने वाले टंककों/आशुलिपिकों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण दिलाने के लिए नियमित रूप से नामित किया जाता है । इस साल 10 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया तथा 8 कर्मचारियों को हिन्दी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया । विभाग में समय-समय पर हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को क्रमशः 500/- रुपए, 300/- रुपए और 200/- रुपए के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं । इस वर्ष 3 कार्यशालाओं का आयोजन करके 36 कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया ।

संसदीय समिति को विभिन्न निरीक्षण/साक्ष्य के दौरान दिए गए सभी दस आश्वासनों को पूरा किया जा चुका है ।

विभाग में हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु हिन्दी अनुभाग द्वारा 'व्यय पत्रिका' हिन्दी में प्रकाशित की जाती है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाली रचनाओं को इस साल भी क्रमशः 1000/- रुपए, 750/- रुपए तथा 500/- रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान करने की योजना है ।

नियमानुसार वर्ष 2005 में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें हुई, जिनमें विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायज़ा लिया गया ।

विभाग में 01 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2005 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें हिन्दी निबंध, टिप्पण/आलेखन और हिन्दी कविता और हिन्दी आशुभाषण तथा राजभाषा विषय पर अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अलग से संगोष्ठी तथा हिन्दी सुलेख प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पाने वाले विजेताओं को क्रमशः 1000/- रुपए, 800/- रुपए तथा 500/- रुपए के नकद पुरस्कार दिए गए ।

हिन्दी अनुभाग द्वारा वर्ष 2005 के दौरान 8 अनुभागों का राजभाषा निरीक्षण किया गया, जिनमें अनुभागों द्वारा हिन्दी कामकाज के दौरान आने वाले व्यावहारिक बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक सुझाव दिए गए ।

राजभाषा कार्यान्वयन को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए हिन्दी अनुभाग द्वारा व्यय विभाग में राजभाषा संपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें अनुभाग के अनुवादकों/अधिकारियों द्वारा अनुभागों के कामकाज का जायजा लिया गया एवं आवश्यक कदम उठाए गए ।

व्यय विभाग का संगठनात्मक चार्ट

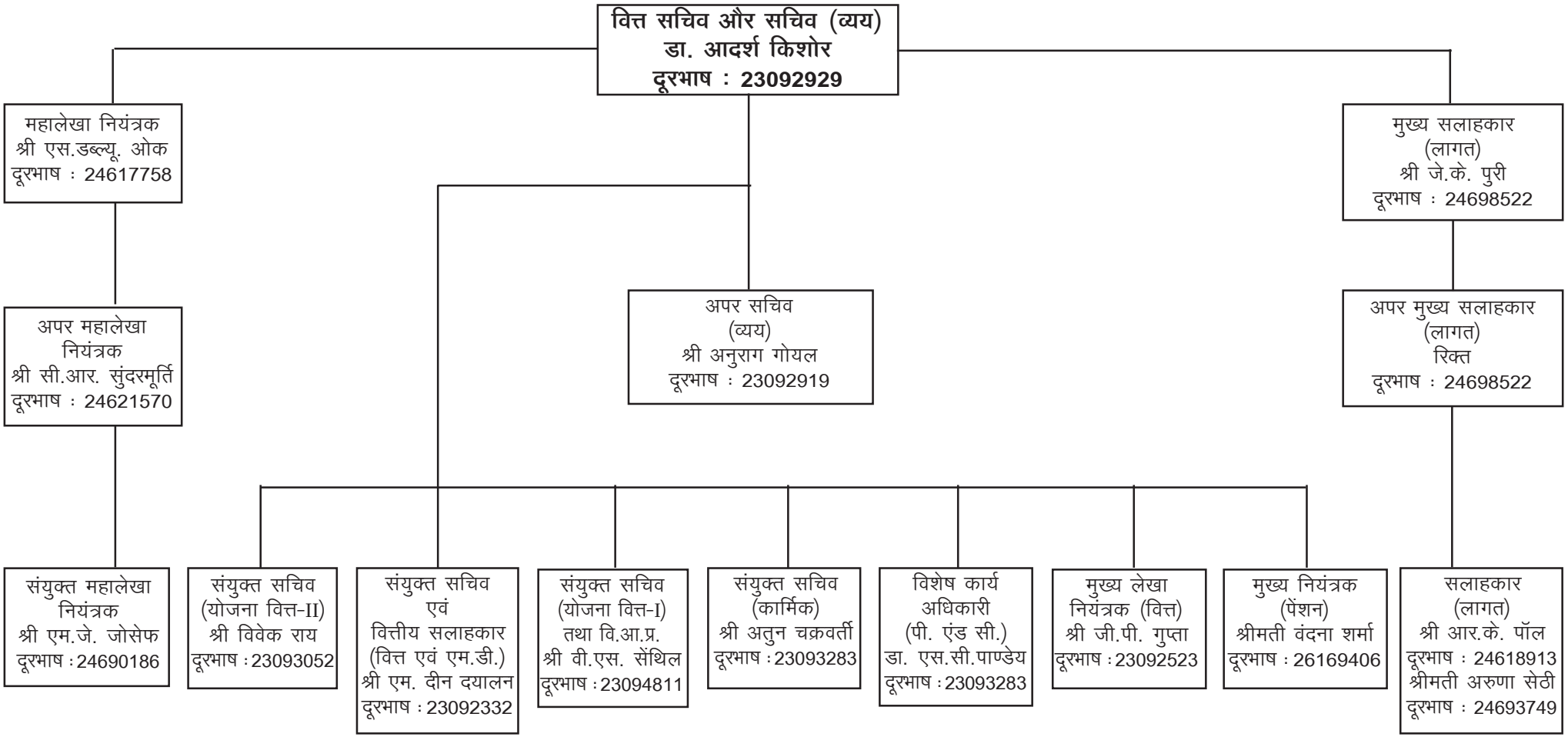

अध्याय - III

राजस्व विभाग

1. सामान्य

1.1 संगठन और कार्यकलाप

1.1.1 राजस्व विभाग सचिव(राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों के लगाने और संग्रहण के कार्य किए जाते हैं जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा अन्य अप्रत्यक्ष कर लगाने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्य क्षेत्र में आता है। ये दोनों कानूनी बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे। वर्तमान में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 6 सदस्य और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में पांच सदस्य हैं। ये सदस्य भारत सरकार के पदेन अपर सचिव भी होते हैं।

1.1.2 राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता हैः-

1. आयकर अधिनियम, 1961
2. धनकर अधिनियम, 1958
3. व्यय कर अधिनियम, 1987
4. बेनामी कारोबार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988
5. अधिलाभ कर अधिनियम, 1963
6. कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964
7. अनिवार्य जमा (आयकर दाता) योजना अधिनियम, 1974
8. वित्त (सं02) अधिनियम, 2004 (प्रतिभूति कारोबार कर लगाने से संबंधित) का अध्याय VII
9. वित्त अधिनियम, 2005 (बैंकिग नगद संव्यवहार 2005-2006 कर से संबंधित) का अध्याय VII
10. वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर से संबंधित) का अध्याय V
11. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले
12. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले
13. औषधीय और प्रसाधन निर्मित्तयाँ (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955
14. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956
15. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
16. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
17. तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम 1976
18. भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जहां तक यह संघ के अधिकार क्षेत्र में आता हो)
19. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 और
20. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और
21. धन शोधन अधिनियम, 2002

क्रम सं0 3,5,6 तथा 7 पर उल्लिखित अधिनियमों का प्रशासन उस अवधि से संबंधित मामलों तक सीमित है जब ये कानून प्रवृत्त थे।

1.1.3 यह विभाग निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों की देखभाल करता हैः-

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/ निदेशालय;
2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयुक्तालय/निदेशालय;
3. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो;
4. प्रवर्तन निदेशालय;
5. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो;
6. मुख्य कारखाना नियंत्रक;
7. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण;
8. आयकर समझौता आयोग;
9. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (समझौता आयोग);
10. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण;
11. आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;
12. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण;
13. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति; और
14. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति संपहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी।
15. वित्तीय आसूचना एकक, भारत (एफ आई यू-इंड)

1.1.4 गत वित्तीय वर्ष की समनुरूपी अवधि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की वसूली का तुलनात्मक ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

क्रम सं.	कर की प्रकृति	वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली गई राशि *(करोड़ रुपयों में)*		
		2004-2005 (दिस0, 04 तक)	2005-2006 (दिस0 05 तक)	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1.	निगमित कर	49,884.00	63,533.00	27.36%
2.	आयकर*	31,076.00	40,559.00	30.52%
3.	अन्य अप्रत्यक्ष कर	247.00	245.00	(-) 0.80%
4.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	68,421.25	75,019.64	9.64%
5.	सीमा शुल्क	41,212.21	47,715.11	15.78%
6.	सेवा कर	8,331.70	13,781.84	65.41%
	योग	**1,99,172.16**	**2,40,853.59**	**20.93%**

* *आयकर संग्रहण में फ्रिंज बैनिफिट कर, प्रतिभूति संव्यवहार कर एवं बैंकिंग नकद संव्यवहार कर शामिल है।*

1.1.5 राजस्व विभाग का संगठनात्मक चार्ट अगले पृष्ठ पर अनुबंध-I में दिया गया है।

2. राजस्व मुख्यालय प्रशासन

2.1 राजस्व विभाग का मुख्यालय विभाग से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मामलों, दोनों बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बोर्ड तथा के.प्र. कर बोर्ड) के बीच समन्वय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक वह संघ के क्षेत्राधिकार में आता है), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985(एन डी पी एस अधिनियम) तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण), अधिनियम 1976 (सफेम) (फोप) अधिनियम), विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम,1974 (कोफेपोसा) के प्रशासन का कार्य करता है। यह निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों को संभालता हैः-

क) प्रवर्तन निदेशालय

ख) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी ई आई बी)

ग) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी।

घ) मुख्य कारखाना नियंत्रक

ड) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो,

च) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट)

छ) समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण (ए टी एफ पी)

ज) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग (सी सी ई एस सी)

झ) आयकर समझौता आयोग (आई टी एस सी)

ञ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (ए ए आर)

ट) आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (ए ए आर)

ठ) सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति (एन सी पी एस ई डब्ल्यू)

ड) वित्तीय आसूचना एकक इंडिया (एफआईयू-आईएंडडी)

महानिदेशक (सी ई आई बी) सीधे राजस्व सचिव को रिपोर्ट करते हैं। सचिव (एन सी पी एस ई डब्ल्यू) अध्यक्ष, के0प्र0कर बोर्ड के माध्यम से राजस्व सचिव को रिपोर्ट करते हैं।

2.2 मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों पर भी कार्य किया जाता हैः-

I. निम्नलिखित की नियुक्तिः-

क) के0उ0शु0एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा के0प्र0कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य

ख) सम्पहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य

ग) सीस्टेट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य

घ) सी0शु0तथा के0उ0शु0 समझौता आयोग तथा आयकर/धनकर समझौता आयोग के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष तथा सदस्य

ड) सी0शु0/के0उ0शु0 तथा आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य

च) प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक

छ) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के महानिदेशक

ज) सक्षम प्राधिकारी (सफेम (एफ ओ पी) अधिनियम तथा एन डी पी एस अधिनियम)

झ) स्वापक आयुक्त

ञ) मुख्य कारखाना नियंत्रक

ट) निदेशक (एफ आई यू-इंड)

ठ) आयकर लोकपाल

II. राजस्व विभाग के अधीन आयोगों/समितियों की स्थापना करना

III. विभाग के अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण और विदेशों में कार्य के लिए भेजना।

IV. केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम अथवा किसी बोर्ड/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम आदि के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में भारतीय राजस्व सेवा/भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के मामलों पर कार्रवाई करना।

V. सीमा शुल्क सहयोग परिषद, ब्रूसेल्स (बेल्जियम) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को वार्षिक अंशदान के भुगतान हेतु स्वीकृति जारी करना।

न्यायमूर्ति आर0 एस0 पाठक जाँच प्राधिकरण

2.3 ईराक के तेल के बदले अनाज कार्यक्रम पर स्वतंत्र जाँच समिति (वोल्कर समिति) की रिपोर्ट में उल्लिखित कतिपय संविदाओं के विषय में जाँच के उद्देश्य से,भारत सरकार ने 11 नवम्बर, 2005 के संकल्प के द्वारा भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं अंतर्राष्ट्रीय न्याय के न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आर0एस0 पाठक की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जॉच प्राधिकरण गठित किया है । प्राधिकरण को "न्यायमूर्ति आर0एस0 पाठक जाँच प्राधिकरण" नाम दिया गया है । जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की कतिपय धाराओं को प्राधिकरण पर लागू कर दिया गया है । प्राधिकरण को जब तक सरकार इसे बढ़ा नहीं देती छह माह की अवधि के भीतर अपनी जाँच को पूरा करने और इसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया गया है ।

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

3.1 संगठन एवं कार्य

3.1.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का कार्य सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर लगाने और उनकी वसूली करने से संबंधित नीति तैयार करना, तस्करी और शुल्कों के अपवंचन की रोकथाम करना और सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,सेवा कर कार्यालयों से संबंधित सभी प्रशासनिक मामलों के संबंध में नीति तैयार करना है। बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों नामशः सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोनों, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों तथा निदेशालयों की सहायता से इसको सौंपे गए कार्यों को पूरा करता है। बोर्ड यह भी सुनिश्चित करता है कि विदेश एवं अंतर्देशीय यात्रा पर कर कानून के अनुसार प्रशासित की जाये और वसूली एजेंसियां वसूल किए गए करों को तत्काल राजकोष में जमा करा दें ।

3.1.2 सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (निवारक) के जोन

देश भर में इस समय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के 23 जोन हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैः दिल्ली, चण्डीगढ,कोलकाता, भुवनेश्वर, शिलॉग,लखनऊ, मेरठ, राँची, मुंबई-I मुंबई-II , जयपुर, भोपाल, पूणे, नागपुर, वड़ोदरा, अहमदाबाद, बंगलौर, मैसूर, कोची,हैदराबाद, विशाखापटनम, चेन्नई, और कोयम्बटुर। इन जोनों के अध्यक्ष मुख्य आयुक्त होते हैं।

सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (निवारक) के ग्यारह अनन्यतया जोन हैं जिसके अध्यक्ष मुख्य आयुक्त होते हैं। वे हैं दिल्ली, मुंबई-I , मुंबई-II, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, अहमदाबाद, दिल्ली सीमा शुल्क (निवारक), पटना-सीमा शुल्क (निवारक) मुंबई-III सीमा शुल्क और चेन्नई सीमा शुल्क (निवारक) ।

3.1.3 सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तालय

देश भर में 93 आयुक्तालय निम्नानुसार है जो मुख्यतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने का कार्य करता है। इनमें से कुछ आयुक्तालय अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सीमा शुल्क और तस्करी रोधी कार्य भी देखते हैं। ये प्रादेशिक यूनिटों के रुप में संगठित है जो आमतौर पर किसी राज्य अथवा महानगर क्षेत्र के भाग अथवा सम्पूर्ण का विस्तार करते हैं ।

ये 93 आयुक्तालय निम्नानुसार हैं : दिल्ली-I, दिल्ली-II, दिल्ली-IV, (फरीदाबाद), दिल्ली-III (गुड़गॉव), पंचकुला, रोहतक, चण्डीगढ़, जालन्धर, लुधियाना, जम्मू और कश्मीर, कोलकाता-I,कोलकाता-II ,कोलकाता-III,

कोलकाता-IV, कोलकाता-V, कोलकाता-VI, कोलकाता-VII, बोलपुर, सिलीगुड़ी, हल्दिया, भुवनेश्वर-I, भुवनेश्वर-II, शिलॉंग, डिब्रुगढ़, कानुपर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ-I, मेरठ-II, गाजियाबाद, नोएडा, जमशेदपुर, पटना, राँची, मुंबई-I, मुंबई-II, मुंबई-III, मुंबई-IV , मुंबई-V, थाणे-I, थाणे-II, बेलापुर, रायगढ, जयपुर-I, जयपुर-II, भोपाल, इंदौर, रायपुर , पुणे-I, पुणे-II, पुणे-III, गोवा, औरंगाबाद, नासिक, नागपुर, वड़ोदरा-I, वड़ोदरा-II, वापी, सूरत-I, सूरत-II, दमण, अहमदाबाद-I, अहमदाबाद-II, बंगलौर-II, बंगलौर-III, मैसूर, मंगलौर, बेलगाम, कोची, तिरुवन्नतपुरम, कोजीकोड, हैदराबाद-I, हैदराबाद-II, हैदराबाद-III, हैदराबाद-IV, तिरुपति, गुन्टुर, विशाखापटनम-I, विशाखापटनम-II, चेन्नई-I, चेन्नई-II, चेन्नई-III, चेन्नई-IV, पॉंडीचेरी, तिरुचिरापल्ली, सेलम, मुदरई और तिरुनेलावेली

3.1.4 सेवाकर आयुक्तालयः

मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, अहमदाबाद तथा बंगलौर में स्थित छः अनन्यतया सेवाकर आयुक्तालयों ने दिनांक 14 सितम्बर, 2004 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

3.1.5 सीमा शुल्क और सीमा शुल्क (निवारक) के आयुक्तालय

ये आयुक्तालय, जो कि कुल 35 हैं, देशभर में फैले हुए हैं ।

ये आयुक्तालय कुल 35 हैं, जो देशभर में फैले हुए हैं। इन आयुक्तालयों को निम्नलिखत कार्य सौंपे गये हैं : -

(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबद्ध अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करना जिसमें उनके क्षेत्राधिकारों में सीमा शुल्क लगाना और संग्रहण करना तथा प्रवर्तन कार्य शामिल हैं ।

(ii) तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए तटीय और भू-सीमाओं की निगरानी करना। इन आयुक्तालयों को उनके तस्करी-रोधी कार्य और संवेदनशील तटीय क्षेत्रों की निगरानी में मदद देने के लिए बोर्ड के पास मेरीन और दूरसंचार विंग उपलब्ध हैं।

ये 35 कार्यालय देश भर में फैले हुए हैं, जो निम्नानुसार हैं : दिल्ली (एयर कार्गो आयात एवं सामान्य) , मुंबई (सामान्य) मुंबई (निर्यात) , मुंबई (आयात), न्हावा शेवा (आयात एवं मुलुन्ड सी एफ एस) न्हावा शेवा (निर्यात) ,मुंबई एयरकार्गो (आयात) ,मुंबई एयर कार्गो (निर्यात) मुंबई (विमानपतन) , पूर्णे सीमा-शुल्क, कोलकाता (विमानपतन) ,कोलकाता (पतन) , चेन्नई (विमानपतन एवं एयर कार्गो), चेन्नई पतन (निर्यात) , चेन्नई पतन (आयात) , बंगलौर, मंगलौर, कोची, अहमदाबाद, कान्दला, विशाखापटनम, अमृतसर सीमा शुल्क (निवारक), जोधपुर सीमा शुल्क (निवारक), दिल्ली सीमा शुल्क (निवारक), पटना सीमाशुल्क (निवारक), लखनऊ सीमा शुल्क (निवारक), मुंबई सीमा शुल्क (निवारक), तुतीकोरिन, तिरुचिरापल्ली, पश्चिमी बंगाल सीमाशुल्क (निवारक) कोलकाता, शिलॉंग सीमा शुल्क (निवारक) और जामनगर सीमा शुल्क (निवारक)।

3.1.6 अपील एवं कर वसूली मशीनरी :

इस समय 54 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तय(अपील) (आयुक्त सहित) (टी ए आर) और 6 सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) है। अपीलीय मशीनरी जिसमें आयुक्त (अपील) शामिल हैं, सीमा शुल्क अधिनियम, 1944 और सेवाकर कानूनों के अंतर्गत आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से नीचे के रैंक के अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील का कार्य देखते हैं।

3.1.7 आयुक्त (न्यायिनर्णयन)

इस समय अखिल भारतीय उपशाखाओं और उच्च राजस्व मूल्य वाले मामलों का निर्णय करने के लिए 12 आयुक्त (न्याय निर्णयन) के मद हैं। ये आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ सीमा शुल्क के मामले देखते हैं। सीमा शुल्क आयुक्त के छः पदों को इसके दिनांक 25.4.2005 से क्षेत्रीय कार्यालयों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में पुनःतैनाती की गई है।

3.1.8 संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय

प्रशासनिक और कार्यपालक कार्यों के निष्पादन में पुनर्गठित ढाँचे में निम्नलिखित संबंद्ध/अधीनस्थ कार्यालय बोर्ड की सहायता करते हैं : -

महानिदेशालय/निदेशालय

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय
2. राजस्व आसूचना निदेशालय
3. निरीक्षण निदेशालय
4. आवास एवं कल्याण निदेशालय
5. राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वापक अकादमी
6. सतर्कता निदेशालय
7. प्रणाली निदेशालय
8. आँकड़ा प्रबंध निदेशालय
9. लेखा परीक्षण निदेशालय
10. रक्षोपाय निदेशालय
11. निर्यात संवर्द्धन निदेशालय
12. सेवाकर निदेशालय
13. मूल्यांकन निदेशालय
14. प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय
15. संगठन एवं कार्मिक प्रबंध निदेशालय
16. संभार तंत्र निदेशालय
17. विधिक कार्य निदेशालय
18. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय
19. केन्द्रीय राजस्व रासायनिक प्रयोगशाला

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन इन 19 कार्यालयों के कार्य संक्षेप में अनुबंध में दिए गए हैं

3.2 दिनांक 1.10.2005 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के कुल स्वीकृति एवं कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या ।

क्रम सं.	समूह	शाखा	स्वीकृति सं.	कार्यरत सं.	रिक्ति	अभ्युक्तियाँ
1.	''क''	मुख्य कार्यालय	2464	1927	537	स्वीकृति संख्या एवं कार्यरत संख्या में बोर्ड का आबंटित 12 उपायुक्त/सहायक आयुक्त के पद शामिल हैं।
		अन्य	198	88	110	सहायक निदेशक (लागत) शामिल
		योग	2662	2015	647	
2.	''ख''	मुख्य कार्यालय	14132	13048	1084	
		अन्य	349	219	130	
		योग	14481	13267	1214	
3.	'' ग''	मुख्य कार्यालय	32585	26464	6121	
		अन्य	2984	2161	823	
		योग	35569	28625	6944	
4.	''घ''	मुख्य कार्यालय	12550	12470	80	
		अन्य	1957	1722	235	
		योग	14507	14192	315	
कुल योग		**मुख्य कार्यालय**	**61731**	**53909**	**7822**	
		अन्य	**5488**	**4190**	**1298**	
		योग	**67219**	**58099**	**9120**	

* *सी बी एन/सी सी एफ संख्या सहित*

3.3 अप्रत्यक्ष कर

सीमा शुल्क और संघीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर केन्द्र सरकार के कर राजस्व के मुख्य स्रोत हैं ।

(क) सीमा शुल्क

विभागीय रिकार्ड पर आधारित वर्ष 2003-2004 तथा 2004-05 के दौरान सीमा शुल्क से प्राप्त राजस्व नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

2003-04		2004-05 (अस्थायी)	
बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली
49350	48613	54250	57566

वर्ष 2005-06के लिए बजट अनुमान 53182 करोड़ रु. के हैं जिसकी तुलना में वसूली (दिसंबर, 2005 तक) 47715 करोड़ रु. (अनंतिम) की है ।

वर्ष 2005-06 के बजट में आरंभ किये गये प्रमुख परिवर्तन और सीमा शुल्कों में बजट पश्चात परिवर्तन

1. बजटीय परिवर्तन

टैरिफों को कम करने की जारी प्रक्रिया के एक भाग के रुप में गैर कृषि उत्पादों पर सीमा-शुल्क की उच्चतम दर को वर्ष 2005-2006 में कम करके 20% से 15% कर दिया गया । इस परिवर्तन के साथ तीन प्रमुख मूल्यानुसार दरें 5% ,10% और 15% हैं। सीमा शुल्कों में किए गए अन्य प्रमुख परितर्वतन निम्नानुसार हैं :

(क) भारत में आयातित सभी वस्तुओं पर 4% अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के लिए समर्थकारी शक्तियां ली गई है। इसके उद्ग्रहण का उद्देश्य बिक्री कर, प्रस्तावित राज्य वैट, केन्द्रीय बिक्री कर जो भारत में माल की बिक्री, खरीद अथवा परिवहन पर लागू होता है, जैसे आंतरिक करों के लिए आंशिक रुप से प्रतिपूर्ति करना है। इसी शुरुआत के साथ यह अतिरिक्त शुल्क सूचना प्रौद्योगिकी करार बंछित वस्तुओं पर और इलैक्ट्रानिक/सूचना प्रौद्योगकी वस्तुओं जिन्हें सीमा शुल्क से छूट दी गई है के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट निविष्टियों/ कच्ची सामग्रियों पर ही लगाई गई थी। विनिर्माता इस शुल्क का क्रेडिट लेने और अपने तैयार उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान में इसका उपयोग में समर्थ होंगे ।

(ख) देशी उद्योगों का बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक और धातुओं के अर्द्धतैयार रुपों अर्थात स्टेनलेस स्टील, अन्य मिश्रण इस्पात और लौह मिश्रण; एल्यूमिनियम; ताम्बा; जस्ता; टिन और अध्याय 81 की मूल धातुएं (जैसे टंगस्टन, मैगनिशियम, कोबाल्ट, टिटानियम, आदि) पर सीमा शल्क को 15% से कम करके 10% तक कर दिया गया। सीसे पर सीमा शुल्क कम करके 15% से 5% कर दिया गया । निस्तप्त स्फटिक मिट्टी पर सीमा शुल्क का कम करके 20% से 10 कर दिया गया ।

(ग) इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस उद्योग के लिए कतिपय विनिर्दिष्टयों पर सीमा शुल्क का कम करके 15% से 10 कर दिया गया ।

(घ) कृषि और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 30.4.2005 तक विनिर्दिष्ट पौधरोपण मशीनरी पर 5% की सीमा शुल्क की रियायती दर ३ शून्य सी वी डी को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया । बगीचा सहित पुष्प काटने वाले पर सीमा शुल्क को बढ़ा करके 30% से 60% कर दिया गया। रिफ्रेजेटेड माल परिवहन वाहनों पर सीमा शुल्क को कम करके 20% से 10 कर दिया गया ।

(ड.) अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी और औषधीय क्षेत्र के लिए 9 विनिर्दिष्ट उपकरणों पर सीमा शुल्क का कम करके 20% से 5% कर दिया गया । सरकार अथवा सी एस आई आर द्वारा वितपोषित किसी अनुसंधान एवं विकास परियोजना के लिए किसी कंपनी के लिए कारखानागत माल और कच्ची सामग्री पर इस समय उपलब्ध सीमा शुल्क की छूट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं विकास संगठन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वित पोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तक भी बढ़ाया गया है।

(च) शून्य शुल्क पर सूचना प्रौद्योगिकी करार बंधित वस्तुओं के आयातों के साथ घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धा में समर्थ बनाने के लिए समाप्ति उपयोग की शर्त के अध्यधीन सूचना प्रौद्योगिकी करार बंधित वस्तुओं के विनिर्माण के लिए सभी निविष्टियों तक सीमा शुल्क का विस्तार कर दिया । सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट कारखानागत माल पर सीमा शुल्क छूट को कुछ और कारखानागत मालों के लिए बढ़ाया गया। शीर्षक 9001 की ऑप्टिकल फाइबरों/बन्डलों और ऑप्टिकल फाइबर केबलों पर सीमा शुल्क को कम करके 20% से 10% कर दिया गया । दिनांक 31.3.2005 तक विनिर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क उपकरण और उसके पुर्जों को जब दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा आयातित किया गया हो, पर सीमा शुल्क छूट को बिना किसी समय सीमा के जारी रखा गया ।

(छ) पेट्रोलियम क्षेत्र का सीमा शुल्क ढाँचे को युक्तिसंगत बनाया गया है। कच्चे पेट्रोलियम पर शुल्क के कम करके 10% से 15%; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केरोसीन पर 5% से शून्य; घरेलू उपयोग के लिए एल पी जी पर 5% से शुन्य ; मोटर स्पीरिट (पेट्रोल) पर 15% से 10% उच्च गति डीजल तेल पर 15% से 10% और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर 20% से 10% किया गया है। इसके अलावा मोटर स्पीटिट और उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमा शुल्क बढ़ाकर 1.5 रु. प्रति लीटर से 2 रु. प्रति लीटर किया गया ।

(ज) ईथीलीन के पोलीमर, पोलीप्रोपाइलीन और प्रोपीलीन कोपोलीमर्स, पोलीमर्स और स्टाइरीन के कोपालाइमर्स तथा विनायल क्लोराइड के पोलीमरों पर सीमा शुल्क को कम करके 15% से 10% किया गया । ईथीलीन, प्रोपीलीन, बुटीलीन, बुटा डीन, बेंजीन, टोलुइन, ओ-क्साइलीन, स्टाइरीन, ईथील्बेंजीन, ईथाईलीन डिक्लोराइड, विनी क्लोराइड मोनोमर और एक्राइलोनाइट्रील पर सीमा शुल्क को कम करके 10% से 5% किया गया। शीर्षक 2901 से 2904 के अंतर्गत आने वाले अन्य कार्बनिक रसायनों पर सीमा शुल्क को कम करके 10% तक किया गया । इसके अलावा ईथाइल विनायल एसेटेट पर सीमा शुल्क को कम करके 20% से 10% किया गया । सीरे और औद्योगिक (डिनेचरड) इथाइल एम्कोहल के लिए शुल्कों कम करके 15% से 10% किया गया ।

(झ) कास्टिक सोडा को इस समय उपलब्ध मोनो अथवा बाईपोलर मेमब्रान इलेक्ट्रोलाइजरों और उसके पुर्जो पर 5% सीमा शुल्क का विस्तार कास्टिक पोटाश उद्योग तक किया गया । चमड़े/जुता उद्योग में उपयोग के लिए प्रकल्पित विनिर्दिष्ट माल पर 5% सीमा शुल्क की रियायती दर को 7 और विनिर्दिष्ट मशीनरी तक बढ़ाया गया । प्रिटिंग प्रैस के लिए विनिर्दिष्ट पुर्जों पर सीमा शुल्क को कम करके 20% से 10% किया गया । विनिर्दिष्ट वस्त्र मशीनरी और कच्ची सामग्री तथा ऐसी मशीनरी के विनिर्माण के लिए पुर्जों पर सीमा शुल्क को कम करके 20% से 10% किया गया । इनलैण्ड कन्टेनर डिपो (आई सी डी) /कन्टेनर फ्रेट स्टेशन (सी एफ एस) में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी/उपकरण पर सीमा शुल्क को कम करके 20% से 10% किया गया ।

(ञ) ताँबा और जस्ता की राख और अवशिष्टों पर सीमा शुल्क को कम करके 15% से 10% किया गया। शीर्षक 38.15 के कैटेलिस्टों पर सीमा शुल्क को कम करके 15% से 10% किया गया । अधिक राख वाले (12% अथवा उससे अधिक) कुकिंग कोयला पर सीमा शुल्क को कम करके 15% से 5% किया गया । बोरोन पिन्ड पर सीमा शुल्क का कम करके 15% से 5% किया गया ।

(ट) वित्त अधिनियम, 2003 में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि की संपूर्ति के लिए आयातित कच्चे तेल पर शुल्क 50रु. प्रति मीट्रिक टन, और पोलिएस्टर फिलामेंट धागे, मोटर कार, बहुउपयोगी वाहनों और द्विपहिए पर 1S शुल्क लगाया गया । यह उद्ग्रहण एक वर्ष (दिनांक 29.12.2004 तक) के लिए वैध था और अनुवर्ती रुप से दिनांक 31.3.2005 तक बढ़ाया गया । यह उद्ग्रहण बिना समय सीमा के बढ़ाया गया ।

II बजट के बाद के परिवर्तन

(क) एडवान्सड जेट ट्रेनर (हॉक-115 वाई) और एडोर मोर्क 871-07 इंजिनों की मशीनरी, उपकरणों, औजारों, संघटकों और कल पुर्जों, अनुषंगियों, कम्प्यूटर साफ्टवेयर, मॉक अपों और मॉडलों जो विनिर्माण अथवा मरम्मत/ ओवरहाल के लिए अपेक्षित है और इन्टरमीडिएट जेट ट्रेनर (एच जे टी -36) के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु अपेक्षित कारखानागत उपकरणों पर सीमा शुल्कों से छूट दी गई थी ।

(ख) गैर परम्परागत (अपशिष्ट) सामग्रियों उपयोग में लेते हुए विद्युत परियोजना की आरंभिक स्थापना हेतु मशीनरी एवं उपकरणों के लिए 5% की रियायती सीमा शुल्क दर का प्रावधान किया गया ।

(ग) मैसर्स रत्नागिरि गैस एवं विद्युत कं. लि. के दाभोल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए आयातित एल एन जी पर सीमा शुल्क से 5 वर्ष की अवधि के लिए छूट दी गई। दामोल के लिए एल एन जी को सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई । एसिड श्रेणी की फ्लुसस्पार के लिए 5% की रियायती सीमा शुल्क का प्रावधान किया गया। वसायुक्त एल्कोहल पर सीमा शुल्क को 20% से कम करके 15% किया गया ।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

विभागीय रिकार्डों पर आधारित वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान संघीय उत्पाद शुल्कों से राजस्व (राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित न किये गये उपकरों को छोड़कर) नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रूपयों में)

2003-04		2004-05 (अनंतिम)	
बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली
96396	90907	108500	98621

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमान (राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित न किये जा रहे उपकरों को छोड़कर) 120768 करोड़ रु. है जिसकी तुलना में वसूली दिसम्बर, 2005 तक) 75,620 करोड़ रु. (अनंतिम) है (राजस्व विभाग द्वारा नियंत्रित न किये जा रहे उपकरों को छोड़कर)।

बजट 2005-06 में आरंभ किये गये प्रमुख परिवर्तन और उत्पाद शुल्क पर बजट के बाद परिवर्तन

I. बजटीय परिवर्तन

(क) संसाधन बढ़ाने के एक उपाय के रुप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को वितपोषण देने के लिए पान मसाला और कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर सरचार्ज द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। यह अतिरिक्त शुल्क सिगरेट पर विहित विनिर्दिष्ट दरों पर और पान मसाला एवं बिड़ी को छोड़कर अन्य तम्बाकू उत्पादों पर संदेय उत्पाद शुल्कों की सामान्य दरों के योग के 10% के बराबर दर पर प्रभारित किया जाना है।

(ख) मोजेक टाइलों पर सेनवेट क्रेडिट के साथ 8% उत्पाद शुल्क लगाया गया था । सड़क ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रेक्टरों (1800 सी सी के अधिक क्षमता वाले इंजिनों के) पर 16% उत्पाद शुल्क लगाया गया । इसके अलावा ब्राँडशूदा आभूषणों पर 2% उत्पाद शुल्क लगाया गया । लोहा और इस्पात पर उत्पाद शुल्क को बढ़ा करके 12% से 16% किया गया । सीरे पर उत्पाद शुल्क को बढ़ा करके 500 रु. प्रति मीट्रक टन से 1000 रु. प्रति मीट्रिक टन किया गया जो अनुवर्ती रुप से कम करके 750 रु. प्रति मीट्रक टन कर दिया गया ।

(ग) एक राहत उपाय के रुप में एयर कन्डीशनरों,टायरों, ट्यूबों और फ्लैपों पर उत्पाद शुल्क को कम करके 24% से 16% मशीनयुक्त और अर्द्ध-मशीनयुक्त क्षेत्रों द्वारा बनाई गई माचीसों पर 16% से 12% और केकों एवं पेस्टरी तथा नकली आभूषण पर 16% से 8% किया गया । परिष्कृत खाद्य तेलों पर उत्पाद शुल्क 1 रु. प्रति कि.ग्रा. और वनस्पति, बेकरी शोर्टेनिंग और इन्टर-एस्टेरफाड, रिएस्टेरफाइड, इलेडिनाजज्ड वसा को 1.25 रु. प्रति कि.ग्रा. की छूट दी गई । चाय को 1 रु. प्रति कि.ग्रा. अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट दी गई। इलेक्ट्रोनिक दूग्ध वसा और ठोस गैर-वसा टेस्टर पर उत्पाद शुल्क को कम करके 16% से 8% किया गया ।

(घ) वस्त्र क्षेत्र में लागत कम करने के लिए पोलीएस्टर टेक्सचरड यार्न सहित पोलीएस्टर फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क को कम करके 24% से 16% किया गया और स्वतंत्र प्रोसेसरों द्वारा बाहर से खरीदे गये यार्न से विनिर्मित संसाधित फिलामेंट यार्न (पोलीएस्टर फिलामेंट यार्न सहित) के लिए 8S का वैकल्पिक शुल्क विहित किया गया।

(ड.) पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क की दरों को युक्तिसंगत बनाया गया। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 23% + 7.50 रु. प्रति लीटर से संशोधित करके 8% + 5.00 रु. प्रति लीटर किया गया । इसी तरह से डीजल पर उत्पाद शुल्क को 8% अ1.50 रु. प्रति लीटर से संशोधित करके 8% + 3.25 रु. प्रति लीटर किया गया । हल्के डीजल तेल पर मूल उत्पाद शुल्क को 16% + 1 .50 रु. प्रति लीटर से संशोधित करके 16% + 2.50 रु. प्रति लीटर किया गया । केरोसीन (पी डी एस) और घरेलू उपयोग हेतु एल पी जी को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई ।

(च) लघु उद्योग क्षेत्र में छूट की योग्यता को निर्धारित करने के लिए गत वित्त वर्ष में निकासियों का मूल्य 3 करोड़ रु. से बढ़ा करके 4 करोड़ रु. किया गया । छूट स्कीम जिसमें 1 करोड़ रु. तक निकासियों के लिए सेनवेट क्रेडिट के साथ सामान्य दर के 60S रियायती दर का प्रावधान था, को वापस ले लिया गया ।

(छ) वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि की संपूर्ति के लिए पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न, मोटर कार, बहु-उपयोगी वाहनों और द्विपहियों पर 1% शुल्क लगाया गया और घरेलू कच्चे तेल पर 50रु. प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगाया गया । यह उद्ग्रहण एक वर्ष (दिनांक 29.2.2004 तक) के लिए वैध था और अनुवर्ती रुप से दिनांक 31.3.2005 तक बढ़ाया गया । यह उद्ग्रहण बिना किसी समय-सीमा के बढ़ाया गया ।

II बजट के बाद के परिवर्तन

* वायु से चलने वाले विद्युत जेनेरेटर के लिए रोटोर ब्लेडों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।
* भारतीय रेलवे से संबंधित फैक्टरी द्वारा विनिर्मित और रेलवे लोकोमोटिव रिक-डीशनिंग के लिए प्रयुक्त आंतरिक दहन इंजिनों के पुर्जों को उत्पाद शुल्क से छूट दिया गया है।
* पुनः संसाधित प्लास्टिक सामग्रियां का अपशिष्ट माल से जब विनिर्माण किया गया हो, पर छूट को वापस ले लिया गया ।
* सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में घरों (आवासीय) के निर्माण के प्रयुक्त सीमेंट और इस्पात को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई ।
* कृषि/जैस.अपशिष्ट एवं मुर्गी कचरा जैसे गैर-परम्परागत सामग्रियों का उपयोग करते हुए विद्युत उत्पादन करने वाले विद्युत संयंत्रों के लिए उपकरणों और मशीनों को उत्पाद शुल्क से छूट दिया गया ।
* पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिन्दुस्तान पेपर निगम की यूनिटों को उत्पाद शुल्क में पचास प्रतिशत की रियायत को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया ।

(ग) सेवाकर

विभागीय रिकार्डों पर आधारित वर्ष 2003-04 और 2004-2005 के दौरान सेवाकर से राजस्व के दौरान सेवाकर से राजस्व नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रूपयों में)

2003-04		2004-05 (अनंतिम)	
बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली
8000	**7891**	**14150**	**14199**

वर्ष 2005-2006 के लिए बजट अनुमान 17500 करोड़ रु. का है जिसकी तुलना में वसूली (दिसम्बर, 2005 तक) 13782 करोड़ रु.(अनंतिम) की हुई ।

वर्ष 2005-2006 के बजट में आरंभ किए गए प्रमुख परिवर्तन और सेवाकर में बजट के बाद के परिवर्तन

I बजटीय परिवर्तन

(क) सेवाकर की दर को बढ़ा करके 8% से 10% करना ।

(ख) उन लघु सेवा प्रदाताओं के लिए छूट की स्कीम जिनकी की गत वित्त वर्ष के दौरान प्रदान की गई कराधेय सेवाओं को कुल मूल्य 4 लाख रु. तक हो। उक्त छूट स्कीम 1 अप्रैल, 2005 से लागू है।

(ग) किसी विनिर्माता से प्राप्त निविष्टियों से उत्पादन माल को और अंतिम उत्पाद के आगे विनिर्माण के लिए उसी विनिर्माता को परिणामी उत्पाद भेजने जिसकी उत्पादन शुल्क के भुगतान पर निकासी की गई हो, वाले व्यक्ति के लिए सेवाकर से छूट ।

(घ) मौजूदा कराधेय सेवाओं में निम्नलिखित नौ नई सेवाएं जोड़ी गई ।

(1) पाइप लाइन और अन्य माध्यम से माल का परिवहन ;

(2) कृषि, सिंचाई और वाटरशैड विकास के लिए दी गई सेवाओं को छोड़कर स्थल तैयारी और निकासी, खुदाई,अर्थमुविंग और गिराने के कार्य की सेवाए ;

(3) नदियों, पतनों, बंदरगाहों, बैकवाटरों और मुहानों की ड्रेजिंग सेवाएं;

(4) सरकारी विभागों को छोड़कर सर्वेक्षण और नक्शे तैयार करना;

(5) कृषि, उद्यान, पशुपालन अथवा डेयरी से संबंधित सेवाओं को छोड़कर सफाई सेवाएं;

(6) क्लबों अथवा संघों की सदस्यता;

(7) पैकेजिंग सेवाएं;

(8) डाक सूची का संकलन और भेजना; और

(9) इसके साथ-साथ सामान्य क्षेत्रों और अन्य सुविधाओं वालो बारह से अधिक आवासीय गृहों अथवा अपार्टमेन्टों वाले आवासीय परिसरों का निर्माण;

इसके अलावा नीचे स्पष्ट किए गए अनुसार मौजूदा सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा हैः

* ऐसे भवन अथवा सिविल निर्माण के पुनरुद्धार ऐसे भवन अथवा सिविल निर्माण के पूरा होने के बाद और साजसज्जा सेवाओं, निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन, पुनरुद्धार अथवा पाइपलाइन अथवा संनाली की बहाली को शामिल करने के लिए वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा;
* विनिर्दिष्ट स्थापन सेवाओं को शामिल करने के लिए इरेक्शन, आरम्भण अथवा स्थापन सेवाएं ;
* किसी संविदा अथवा करार के भाग के रुप में लिए गए रिकन्डीशनिंग अथवा बहाली सहित अचल संपतियों के रखरखाव अथवा प्रबंधन, रखरखाव अथवा मरम्मत को शामिल करने के लिए रखरखाव अथवा मरम्मत सेवाए;
* बहुप्रणाली संचालक से प्रसारण एजेंसियों द्वारा वसूला गया प्रभार अथवा ग्राहकों के डाइरेक्ट टू होम (डी टी एच) सिग्नलों के प्रावधान को शामिल करने प्रसारण सेवाएं ;
* साउण्ड मिक्सिंग अथवा री-मिक्सिंग जैसी किसी मीडिया पर आवास की रिकार्डिंग को शामिल करने जिसमें उत्पादन के बाद की सेवाएं शामिल हैं, के लिए साउण्ड रिकार्डिंग;
* किसी मीडिया पर किसी कार्यक्रकम, घटना अथवा कार्य की रिकार्डिंग को शामिल करने जिसमें उत्पादन के बाद की सेवाएं शामिल हैं, वीडियों टेप का उत्पादन ;
* मोटर कार, द्विपहिए और हल्के वाहनों की रिकन्डीशनिंग अथवा बहाली को शामिल करने के लिए प्राधिकृत सेवा स्टेशन द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवाएं ;
* ब्यूटी पार्लरों द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं को शामिल करने के लिए ब्यूटी पार्लर सेवा;
* मानव शक्ति की अस्थाई अथवा अन्य पूर्ति को शामिल करने के लिए मानव शक्ति भर्ती सेवा;
* उन सभी करारों जिसके द्वारा फ्रान्चीजर के साथ पहचान किये गये माल की बिक्री अथवा विनिर्माण में फ्रान्चीजर प्रतिनिधित्व अधिकार प्रदान करता है को शामिल करने के लिए फ्रांचीजी सेवाएं;
* मुवक्किल के लिए अथवा उसकी तरफ से माल के उत्पादन अथवा संसाधन को शामिल करने के लिए कारोबार सहायक सेवा;
* ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किराया अथवा अन्य तरीके से प्रदान किए गए किसी स्थान अथवा परिसरों से खानपान को शामिल करने के लिए बाध्य खानपान सेवा ।

II बजट के बाद के परिवर्तनः
निम्न लिखित सेवाकर से छूट दी गई

- पतन अथवा अन्य पतनों के निर्माण के संबंध में किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक निर्माण सेवा ।
- सड़क, विमानपत्तनों, रेलवे,परिवहन टर्मिनलों, ब्रिज, सुरंगों, बाँध, पत्तनों अथवा अन्य पतनों के निर्माण कार्य के दौरान अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रदान की गई स्थल निर्माण और क्लीरेंस,खुदाई और मिट्टी हटाने और तुड़ाई और अन्य ऐसे समान क्रियाकलाप ।
- आवास परिसर के निर्माण से इतना सेवाकर जो प्रभारित सकल राशि के तेतीस प्रतिशत पर गणित सेवाकर से अधिक हो, बशर्ते इस सेवा को प्रदान करने प्रयुक्त निविष्टि अथवा कारखानागत माल क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया हो ।
- रत्नों की कटाई और पोलिश अथवा सोने और अन्य मूल्यावान धातुओं की साधारण और मीनाकारी किये गये आभूषण के निर्माण कार्य के दौरान किसी मुवक्किल के लिए अथवा उसकी तरफ से लिए गये माल का उत्पादन अथवा संसाधन ।
- भारत के बाहर किसी पतन में जहाज कार्य के निपटान, भारत के बाहर किसी जहाज में लाये गये माल निपटान अथवा भण्डारण कार्य अथवा जहाजों के कार्य अथवा किसी जहाज में लाये गये माल के निपटान से संबंधित प्रदान की गई विनिर्दिष्ट कराधेय सेवायें बशर्ते ऐसी सेवाएं जहाज जो विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत अथवा व्यापारिक जहाजरानी अधिनियम, 1958 के अंतर्गत चार्टेड अथवा लाइसेंसशुदा हो और ऐसी जहाज किसी भारतीय नागरिक, कंपनी अथवा किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निकाय के स्वामित्व अथवा सनदी हो, जिसका अपने कारोबार का प्रधान स्थान भारत में हो अथवा पंजीकृत सहकारी समिति हो, की यात्रा के दौरान भारत से बाहर किसी अनिवासी द्वारा प्रदान की गई हो और जिसका उपयोग भारत से बाहर किया गया हो ।
- निविष्टि सेवा वितरक और कोई सेवा प्रदाता जिसकी किसी वित्तीय वर्ष में कराधेय सेवा का कुल मूल्य तीन लाख रुपये से अधिक हो ।

विमान द्वारा माल के निर्यात के परिवहन के संबंध में किसी विमान संचालक द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं को सेवाकर से पूर्णतया छूट दी गई है।

3.4.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रक्रियाओं का सरलीकरण

1. लघु उद्योग क्षेत्र के विनिर्माताओं के लिए मदद केन्द्रों की स्थापना के लिए दिनांक 13 मई, 2005 का परिपत्र सं. 815/12/2005-के.उ.शु. को जारी किया गया था। इसमें यह विहित किया गया है कि अपर/संयुक्त आयुक्त के अंतर्गत प्रत्येक आयुक्तालय में कम से कम एक मदद केन्द्र की स्थापना करना । उक्त मदद केन्द्र में स्थानीय लद्यु उद्योग संघ,क्षेत्र के विनिर्दिष्ट उद्योग संघ, आई सी ए आई/आई सी डब्ल्यू ए के स्थानीय अध्याय और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और स्थानीय क्षेत्र में सेवाकर के मामले, यदि कोई हो, से संबंधित गैर सरकारी संगठनों क प्राधिकृत प्रतिनिधि शामिल होंगे । मदद केन्द्र का प्राथमिक उद्धेश्य सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर से संबंधित सभी मामलों उनका मार्ग दर्शन करने और शिक्षित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करके ईमानदार करदाता छोटे निर्धारिती आयातक और निर्यातक/सेवा प्रदाता को मदद देना है। केन्द्र उन्हें उनके अधिकारों और दायित्वों के साथ-साथ कर अनुपालना के लाभ और गैर-अनुपालना के परिणामों से भी अवगत करायेंगे ।

2. दिनांक 15 जुलाई, 2005 के परिपत्र सं.818/15/2005-के.उ.शु. को सक्षम अधिकारी द्वारा ई आर-1 और ई आर-3 विवरणियों की संवीक्षा के ढंग को विहित करने के लिए जारी किया गया है। यह अपेक्षित है कि नियम 12 के उपनियम (1) के अंतर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक द्वारा प्राप्त सभी विवरणियों की उनके द्वारा संवीक्षा की जायेगी ताकि निर्धारित शुल्क सत्यता की जाँच की जा सके । प्रभार रेंज में तैनात निरीक्षक संवीक्षा कार्य में उनकी मदद करेंगे । उक्त संवीक्षा दो चरणों में की जायेगी अर्थात्षविवरणी की संवीक्षाष और निर्धारण की संवीक्षा । दोनों चरण विवरणी प्राप्त करने की तारीख से तीन माह के भीतर पूरे किये जाने चाहिए । यह भी अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक छः माह में डिवीजन के प्रभारी उपायुक्त/सहायक आयुक्त विवरणियों के यूनिटों की संवीक्षा की जायेगी जिससे 1 करोड़ रु. 5 करोड़ रु. वार्षिक पी एल ए राजस्व मिलेगा । संवीक्षा की गई विववरणियों की संख्या जिसमें उसकी टिप्पणियां शामिल हों, की एक रिपोर्ट ऐसी संवीक्षा के अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक आयुक्त को भेजी जायेगी ।

इसी तरह से प्रत्येक छः माह में डिवीजन के प्रभारी अपर/सहायक आयुक्त विवरणियों की यूनिटों की संवीक्षा करेंगे जिससे 5 करोड़ रु. से अधिक वार्षिक पी एल ए राजस्व मिलेगा । जब कभी आवश्यक होगा वह बीजकों और अभिलेखों सहित संबद्ध दस्तावेजों की माँग करेगा तथा निर्धारण की सत्यता की संवीक्षा करेंगे। उनकी टिप्पणी सहित संवीक्षा की गई विवरणियों की संख्या की

एक रिपोर्ट ऐसी संवीक्षा के माह के अनुवर्ती माह की 15 तारीख तक आयुक्त को भेजी जायेगी ।

3. दिनांक 7 नवम्बर, 2005 के परिपत्र सं. 821/18/2005 को सनदी/लागत लेखाकारों की सेवाओं की उपयोग करके डेस्क समीक्षा के लिए मामलों के चयन के लिए दिशा -निर्देश देने के जारी किया गया है। इसमें व्यवस्था है कि उनकी सेवाएं बहुत बड़े निर्धारितियों जिसमें उन जटिल लेखांकन प्रणालियों और बड़े लेनदेन अर्थात् बहुस्थानिक यूनिटों की लेखा-परीक्षा शामिल हैं, के मामले की लेखा-परीक्षा के लिए परामर्शदात्री हैसियत में काम में ली जाती हों। चयन की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान दोनों ने अपने लेखाकारों के एक पैनल की पहचान की हैजित सेवाओं को उपयोग में लिया जा सकता है।

4. दिनांक 16 मई, 2005 की अधिसूचना सं. 26/2005-के.उ.शु. (गै.टै.) को जारी किया गया है जिसमें ई आर-1 और ई आर-3 विवरणियों को दायर करने के लिए नये प्रारुप को विहित किया गया है। यह इन विवरणियों को सरल और यौक्तिक बनाने के लिए किया गया है।

5. सेनवैट ऋण नियमावली, 2004 में ये प्रावधान किए गए हैं कि

(क) यदि कारखानागत माल को रद्दी माल और कतरनों के रुप में मंजूर किया जाता है और कतरनों के रुप में मंजूर किया जाता है तो उत्पादक कारोबार मूल्य पर उद्ग्राह्य शुल्क के बराबर राशि का भुगतान करेगा ।

(ख) स्पष्टीकरण देते हुए यह स्पष्ट किया गया था कि छूट प्राप्त माल अथवा छूट प्राप्त सेवाओं के उत्पादन के लिए विशिष्ट तौर पर प्रयुक्त निवेशों अथवा निवेश सेवाओं पर ऋण की अनुमति नहीं होगी ।

6. केन्द्र सरकार ने दिनांक 30.12.2005 की अधिसूचना सं. 37/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) के जरिए सरकारी राजपत्र में नियमों के प्रकाशन की तिथि अर्थात् 30 दिसम्बर, 2005 से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपराध प्रशमन) निमयावली, 2005 को लागू कर दिया है। प्रशमन राशि के भुगतान पर अपराधों के प्रशमन क उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया से बचना और विवादों के शीघ्र कानूनी प्रक्रिया से बचना और विवादों को शीघ्र निपटारे को प्रोत्साहन देना है। निर्धारिती जिसके विरुद्ध शुल्क अपवंचन का मामला शुरु किया जाता है, मुख्य आयुक्तों को आवेदन कर सकता है जिसे विहित दंडो के लिए निर्धारिती के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाहियों को माफ करने की शक्ति प्रदान की गई है।

7. वापसी/छूट के दावों की मंजूरी और उनकी पूर्व लेखा परीक्षा उत्तर लेखा परीक्षा से संबंधित नई प्रक्रिया 1 मार्च, 2005 के परिपत्र सं. 809/6/2005-के.उ.शु. के जरिए विहित की गई है। यह विहित किया गया है कि सभी वापसी/छूट मंजूरी के आदेश अनिवार्य रुप से मूल आदेश के रुप में जारी किए जाने चाहिए । वापसी/छूट के दावों की मंजूरी के लिए जारी मूल आदेशों को संख्याबद्ध करने के लिए 'आर' प्रत्यय के साथ पृथक श्रेणी का उपयोग किया जा सकता है। 5 लाख रु. अथवा इससे अधिक की राशि वाले सभी वापसी/छूट के दावों की क्षेत्राधिकारी आयुक्त के स्तर पर पूर्व लेखा परीक्षा की जानी चाहिए। वापसी/छूट के दावों की उत्तर लेखा-परीक्षा/पूर्व लेखा परीक्षा के लिए उप/सहायक आयुक्त लेखा परीक्षा, एक अधीक्षक और अपेक्षित निरीक्षकों के साथ एक प्रकोष्ठ का गठन किया जा सकता है जो पूरी तरह अपर/संयुक्त आयुक्त (लेखा परीक्षा) के पर्यवेक्षण में होगा) प्रकोष्ठ को भुगतान की तिथि से तीन महीनों की अवधि बीतने से पूर्व उत्तर लेखा परीक्षा पूरी कर लेनी चाहिए।

3.4.2 नवाचारी उपाय

व्यापार और उद्योग को सुकर बनाने के लिए 1 जुलाई, 2005 से छोटे कर भुगतान कर्ताओं के लिए सहायता केन्द्रों की स्थापना की गई है।

इस स्कीम की मुख्य विशेषताएँ निम्नप्रकार हैं : -

(क) स्थानीय व्यापार संघों की सहभागिता से लोक-निजी साझेदारी

(ख) ये केन्द्र व्यापार संघों, आदि द्वारा प्रदान किए गए गैर सरकारी परिसरों में स्थित हैं।

(ग) प्रिंट मीडिया में व्यापक प्रचार अभियान शुरु किया गया ।

बड़ी करदाता इकाइयाँ

व्यापार सुकर बनाने के उपाय के तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया की तर्ज पर प्रथम चरण में बड़ी कर दाता इकाइयाँ 5 बड़े शहरों अर्थात दिल्ली, मुंबई,कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर में स्थापित की जा रही है।

3.5 अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत मुकदमेबाजी

1. बोर्ड का विधायी प्रकोष्ठ प्राथमिक तौर पर अप्रत्यक्ष करों अर्थात् सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से उद्भूत मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों के निपटान के लिए जिम्मेदार है । इस प्रकोष्ठ को पूरे देश में विभिन्न न्यायालयों तथा अधिकरणों में विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजकों और विशेष काउंसलों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है ।

2. दिनांक 30-9-2005 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राजस्व निम्नानुसार है :-

न्यायालय का नाम	मामलों की कुल संख्या	राशि (करोड़ रु में)
उच्चतम न्यायालय	2014	4109.49
उच्च न्यायालय	8906	4163.7

3. मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाने तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में मामलों की देखरेख के लिए विधि मंत्रालय के साथ बेहतर समन्वय के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाने के लिए वित्त मंत्री एवं सचिव (राजस्व) के सक्रिय समर्थन एवं निर्देशों से विभिन्न प्रवर्तक कदम उठाए गए । आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए समय-समय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग, विधि मंत्रालय तथा विधि अधिकारियों के बीच विभिन्न आवधिक बैठकें आयोजित की गई ।

4. इस वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय ने गुजरात अम्बुजा सीमेंट बनाम भारत संघ तथा आर.सी. टोबैको बनाम भारत संघ के मामलों में कराधान संविधि के तहत भूतलक्षी विधायन की वैधता स्पष्ट रूप से बनाए रखी है। आर.सी. टोबैको बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की तम्बाकू इकाइयों से उत्पाद शुल्क छूट वापस लेने को सही ठहराते हुए निर्धारितियों द्वारा उनको प्रतिदाय की गई राशि की वसूली के विरुद्ध दिए गए तर्कों को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि यदि भारत संघ वस्तुतः कर की वसूली नहीं कर सका तो यह उसके लिए बहुत महंगी जीत होगी ।

3.6 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया 31-10-2004 के 11,553 करोड़ रूपए की तुलना में दिनांक 31-10-2005 की स्थिति के अनुसार 13,130 करोड़ रूपये (अनंतिम) थे ।

3.7 लेखा परीक्षा - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 2005 की रिपोर्ट संख्या 11 में, व्यय विभाग की दिनांक 7-12-2005 की का.ज्ञा.फा.सं. 2100/ई-सम./2003 के साथ संलग्न टिप्पणी में यथा उल्लिखित, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर के संबंध में टिप्पणियां/आपत्तियां की गई हैं ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उपर्युक्त रिपोर्ट (अर्थात 2005 की 11) से पहले, इसमें आने वाले अधिकांश मामले इस मंत्रालय में प्रारूप लेखा परीक्षा पैरा अथवा प्रणाली समीक्षा पैरा (प्रारूप) के रूप में प्राप्त किए जाते थे । इन लेखा परीक्षा पैरों तथा रिपोर्ट संख्या 2005 की 11 की इस मंत्रालय में विधिवत जांच पड़ताल की गई है और उचित कार्रवाई की गई है और ऐसे अधिकांश मामलों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को मंत्रालय का जवाब भेजा जा चुका है ।

मंत्रालय को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर मामलों के संबंध में प्रति वर्ष औसतन 250 से 290 तक प्रारूप लेखा परीक्षा पैरा प्राप्त होते हैं जिनके उत्तर समयबद्ध आधार पर प्रस्तुत करने होते हैं । नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा पैरा में शामिल सभी लेखा परीक्षा पैरों पर की गई कार्रवाई की टिप्पणियां (ए टी एन) भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करनी होती हैं ।

चालू वर्ष के दौरान, कुल 288 प्रारूप लेखा परीक्षा पैरा प्राप्त हुए और अभी तक 245 प्रारूप लेखा परीक्षा पैरों पर मंत्रालय की टिप्पणियां नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजी जा चुकी हैं ।

इसी अवधि के दौरान, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या 2004 की 11 की सभी तीनों प्रणाली मूल्यांकनों के संबंध में मंत्रालय के उत्तर लेखा परीक्षा को भेजे जा चुके हैं जो 100% निपटान दर्शाता है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय ने लोक सभा सचिवालय को दो अग्रिम प्रश्नावलियों के उत्तर भेजे ।

वर्ष 2005-06 के दौरान, लंबित लेखा परीक्षाओं पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी प्रस्तुत करने तथा पिछले वर्षों के लेखा परीक्षा पैरों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की विधीक्षित टिप्पणियों/अतिरिक्त पेक्षणों के उत्तर भेजने के लिए संयुक्त प्रयास किए गए । विभिन्न लेखा परीक्षा पैरों में सम्मिलित 100 प्रारूप लेखा परीक्षा पैरों के संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई टिप्पणियां लेखा परीक्षा को प्रस्तुत की गई जो 45% निपटान दर्शाता है । इसके अतिरिक्त, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कुल मिलाकर 24 लेखा परीक्षा पैरों का अंतिम रूप से निपटान किया गया ।

महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणी के सारांश में उललिखित विशिष्ट मामलों पर टिप्पणियां

व्यक्तियों एवं माल के परिवहन के लिए मोटर वाहनों पर उत्पाद शुल्क की समीक्षा के संबंध में मंत्रालय ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सूचित किया है कि मोटर वाहनों पर उत्पाद शुल्क में कमी उत्पाद शुल्क दरों में असमानता में कमी लाने के लिए की गई थी । शुल्क में कमी तथा मूल्य में कमी के बीच न तो कोई प्रत्यक्ष संबंध है और न ही शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप मूल्य में कमी सुनिश्चित करने का कोई वैधानिक प्रावधान है । इसके अतिरिक्त, किसी उत्पाद का मूल्य कच्चे माल की लागत, श्रम, विद्युत तथा ब्याज लागत इत्यादि सहित विभिन्न कारकों का फलन है । उत्पाद शुल्क तो केवल एक तत्व है ।

उत्पाद शुल्क लेखा परीक्षा-2000 की कार्यप्रणाली की समीक्षा के संबंध में, लेखा परीक्षा द्वारा यह बात ध्यान में लाई गई है कि निर्धारितियों की प्रोफाईल के डाटा बेस का सृजन पूर्ण नहीं था । मंत्रालय ने यह उत्तर दिया है कि अधिकांश आयुक्तालयों के संबंध में डाटा बेस तथा निर्धारितियों की प्रोफाईल का सृजन पूर्ण हो गया है तथा अन्य के संबंध में यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है । लेखा परीक्षा को यह भी सूचित किया गया था कि ई.ए.2000 कार्यविधि के तहत की गई लेखा परीक्षाओं के मामले में प्रति लेखा परीक्षा औसत खोज तथा प्रति लेखा परीक्षा औसत वसूली पुरानी कार्यविधि के तहत की गई लेखा परीक्षाओं की तुलना में कहीं ज्यादा है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह बात भी उजागर की है कि लघु योजना श्रेणी से संबंधित छूट अधिसूचना में, 3 करोड़ रूपये की पात्रता सीमा की गणना हेतु ब्रांड वाले और निर्यात माल से संबंधित अपवर्जन खंड को लगातार बनाए रखने से बड़े विनिर्माताओं ने शुल्क छूट के अनचाहे लाभ प्राप्त करके इसका फायदा उठाया है । मंत्रालय ने लेखा परीक्षा को यह जवाब दिया है कि चूंकि ब्रांड वाले माल (अर्थात लघु श्रेणी उद्योग छूट हेतु पात्र) की निकासियों पर पूरा उत्पाद शुल्क प्रभारित किया जाता है और इनको शामिल करने से लघु श्रेणी उद्योगों का क्षमता उपयोग प्रभावित होता, इसलिए इनको निकासियों के समग्र मूल्य से बाहर रखना जारी रखने का निर्णय लिया गया । इसी प्रकार, विनिर्यातों हेतु निकासी किए गए माल का मूल्य शामिल करने से लघु श्रेणी उद्योगों की निर्यातों में योगदान की क्षमता प्रभावित होती और इसलिए इनको निकासियों के समग्र मूल्य से बाहर रखना जारी रखने का निर्णय लिया गया । सरकार की भावना विनिर्माताओं को अपने ब्रांड विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने की थी ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह भी इंगित किया है कि विभाग द्वारा सर्वेक्षणों एवं छापों के माध्यम से अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं को कर दायरे में लाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। विभाग ने उन लोगों के लिए एक विशेष योजना भी शुरुकी थी जो स्वैच्छिक रूप से पंजीकरण करवाना चाहते थे, इस योजना को ''पंजीकरण हेतु असाधारण मैत्री योजना'' के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं को सेवा कर दायरे में लाने के लिए अन्य उपाय जैसे कि सेवा कर पंजीकरण करवाने हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन एवं सेवा कर पंजीकरण मेलों का आयोजन भी किए गए । सेवा कर मामलों के प्रशासन को अखिल भारतीय आधार पर और सुदृढ़ करने के एक उपाय के रूप में बोर्ड ने दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर तथा अहमदाबाद में छह अनन्य सेवा कर आयुक्तालयों की स्थापना की है ।

जहां तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इस टिप्पणी का संबंध है कि पंजीकृत सेवा प्रदाताओं की विवरणियों की मानीटरिंग प्रभावी ढंग से नहीं की गई है, मंत्रालय ने यह जवाब दिया है कि ऐसे अधिकांश मामलों में जिनमें निर्धारितियों ने विवरणियां प्रस्तुत नहीं की थीं, पत्र/कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं । परिणामस्वरूप बहुत से चूककर्ताओं ने अपनी विवरणियां दायर कर दी हैं।

अनंतिम निर्धारण - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

दिनांक 31.10.2005 की स्थिति के अनुसार लम्बित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अनंतिम निर्धारण मामले एवं उनमें अंतर्गस्त राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है;

(करोड़ रूपयों में)

मामलों की सं.	अंतर्ग्रस्त राशि	3 माह से कम	3 से 6 माह	6 से 12 माह	1 से 3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा
630	369.5	107	79	82	140	222

3.8 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क की समीक्षा शाखा

वर्ष के दौरान निष्पादन एवं उपलब्धियां

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड का न्यायिक प्रकोष्ठ तथा समीक्षा शाखा सीस्टेट आदेशों के विरूद्ध उच्चतम न्यायालयों में दायर की गई विभागीय अपीलों की देखरेख करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विरूद्ध विभागीय विवादों के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष विभागीय मामले प्रस्तुत करने में भी सदस्य (एल.एंड.जे.) के कार्यालय की सहायता करते हैं ।

(1) अभी हाल ही में सभी अपीलीय मंचों पर विभागीय अपीलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक सोचा समझा प्रयास किया गया है । इसमें मुख्य जोर मात्रा में कमी लाने तथा विभागीय मामलों को बचाने पर ध्यान केंद्रित करने पर दिया जा रहा है ।

(2) वित्त अधिनियम, 2005-06 में, सीस्टेट के समक्ष अपीलें दायर करने की दृष्टि से न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में आयुक्तों के आदेशों की समीक्षा की शक्तियां अब केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35ख तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 29क के तहत मुख्य आयुक्तों की समिति को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं । मुख्य आयुक्तों की समिति संगत नियमों के तहत अधिसूचित की गई है ।

(3) यह मुकदमेबाजी की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा छुटपुट अपीलों से बचने की ओर उठाया गया एक कदम है ।

(4) इसी समय, उच्चतम न्यायालय में समय पर जवाब देने के लिए एक नियंत्रण तंत्र स्थापित किया गया है ताकि विलंब के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विभाग के मामले खारिज न किये जाएं । पूर्व के सभी आदेशों/परिपत्रों का अधिक्रमण करते हुए बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में सीस्टेट के आदेश के विरूद्ध अपीलें दायर करने में हुई प्रगति को सरल व कारगर बनाने के लिए दिनांक 13.10.2005 को अनुदेश सं. 819/16/2005-के.उ.शु. जारी किया है ।

वर्ष 2004-05 के दौरान निष्पादन

1. *विभागीय अपीलें*

वर्ष	प्राप्त हुए सी.ए. प्रस्तावों की संख्या	दायर अपीलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जहां सीस्टेट आदेश स्वीकार नहीं किए गए
2004-05	736	322	414

2. पार्टियों की अपीलें -

वर्ष	अपीलों की संख्या
2004-05	116

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ विभागीय विवाद

(क) सी ओ डी प्रस्तावों का प्रक्रमणः-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	कुल	निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या	अन्त शेष
2004-05	90	230	320	293	27

(ख) सी ओ डी बैठकों में प्रगति :-

वर्ष	बैठकों की संख्या	सा.क्षे.उ. के मामले	विभागीय मामले	अनुमति प्राप्त सा.क्षे.उ. मामले	अनुमति प्राप्त विभागीय मामले
2004-05	23	347	106	243	27

गत वर्ष के निष्पादन/उपलब्धियां

1. विभागीय अपील

वर्ष	फाइल की गई अपीलों की संख्या	उन मामलों की संख्या जहां सीस्टेट आदेश स्वीकार नहीं किए गए
2001-02	383	133
2002-03	248	298
2003-04	294	467

2. पार्टी अपीलें

वर्ष	अपीलों की संख्या
2001-02	140
2002-03	123
2003-04	111

3.सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ विभागीय विवाद

(क) सी ओ डी प्रस्तावों का प्रक्रमण :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	कुल	निपटाए गए प्रस्तावों की संख्या	अन्त शेष
2002-02	-	132	132	75	57
2002003	57	64	121	79	42
2003-04	42	232	274	214	60

(ख) सी ओ डी बैठकों में प्रगति :-

वर्ष	बैठकों की संख्या	सा.क्षे.उ. के मामले	विभागीय मामले	अनुमति प्राप्त सा.क्षे.उ. मामले	अनुमति प्राप्त विभागीय मामले
2001-02	19	248	33	222	16
2002-03	22	240	85	130	14
2003-04	24	286	110	173	24

3.9 सीमा शुल्क

सीमा शुल्क राजस्व बकाये

* दिनांक 30-11-2005 की स्थिति के अनुसार सीमा शुल्क राजस्व बकाये (पुष्ट मांगें) 4209.76 करोड़ रूपए थे । राजस्व बकायों पर सतत निगरानी रखी जाती है और उनकी समय से वसूली हेतु सभी प्रयास किए जाते हैं।
* आयातित धातु क्रेप की निकासी हेतु दिशानिर्देश देने के लिए परिपत्र संख्या 24/2005-सी.शु. दिनांक 02-06-2005, परिपत्र संख्या 32/2005-सी.शु. दिनांक 28-07-2005,परिपत्र संख्या 35/2005-सी.शु. दिनांक 22-08-2005 तथा परिपत्र संख्या 40/2005-सी.शु. दिनांक 03-10-2005 जारी किए गए ।
* कंटेनरों के संचलन के संबंध में परिपत्र संख्या 31/2005-सी.शु. दिनांक 25-07-2005 जारी किया गया है ।
* परिपत्र संख्या 42/2005-सी.शु. दिनांक 24-11-2005 तथा परिपत्र संख्या 43/2005-सी.शु. दिनांक 24-11-2005 के माध्यम से जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रक्रिया की शुरूआत तथा प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम की शुरूआत हुई है ।
* आयात मालसूची दाखिल करने के संबंध में परिपत्र संख्या 44/2005-सी.शु. दिनांक 24-11-2005 जारी किया गया है ।
* परिपत्र संख्या 45/2005-सी.शु. दिनांक 24-11-2005 द्वारा नौपरिवहन कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी से छूट दी गई है ।
* दिनांक 24-11-2005 के परिपत्र संख्या 46/2क005-सी.शु. में एस एम टी पी अनुमति के बिना दूर दराज के प्रविष्टि पत्तनों से कार्गो के स्वचालित संचलन का प्रावधान किया गया है ।
* अभिरक्षा एवं नौकान्तरण हेतु सरलीकृत बांड माड्यूल के संबंध में दिनांक 24-11-2005 को परिपत्र संख्या 47/2005-सी.शु. जारी किया गया है ।
* लावारिश कार्गो की निकासी के संबंध में दिनांक 01-12-2005 को परिपत्र संख्या 50/2005-सी.शु. जारी किया गया है ।
* रावथा, ओंगले तथा मंडीदीप में अन्तर्देशीय आधान डिपो स्थापित करने के लिए क्रमशः अधिसूचना संख्या 44/2005-सी.शु. (एन टी) दिनांक 06-06-2005, अधिसूचना संख्या 44/2005-सी.शु. (एन टी), दिनांक 06-06-2005 तथा अधिसूचना संख्या 53/2005-सी.शु. (एन टी) दिनांक 14-07-2005 जारी की गई हैं ।

तदर्थ छूट आदेश

* 1-4-2005 से 29-12-2005 की अवधि के दौरान, 34 तदर्थ छूट आदेश जारी किये गये । इस पर माफ किया गया कुल राजस्व 11.18 करोड़ (लगभग) था ।
* फा.सं. 4956/07/2005-सी.शु. ज्रू, दिनांक 26 सितम्बर, 2005 से विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शुल्क-मुक्त दुकानों से वस्तुएं खरीदने हेतु अनुमति दी गई ।
* आयात/निर्यात मालसूची (विमान) विनियम, 1976 को संशोधित करने के संबंध में दिनांक 30 अगस्त, 2005 को अधिसूचना संख्या 75/2005-सी.शु. (गै.टै.) जारी की गई जिसमें एयरलाइन द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के संबंध में अग्रिम सूचना इकट्ठी करने की दृष्टि से एयरलाइन्सों के लिए यात्रियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करना आवश्यक किया गया है ।
* आयात/निर्यात मालसूची (विमान) विनियम, 1976 को संशोधित करने के संबंध में दिनांक 30 अगस्त, 2005 को अधिसूचना संख्या 75/2005-सी.शु. (गै.टै.) जारी की गई ।
* आयात माल की निकासी के लिए ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी के पंजीकरण हेतु सरलीकृत प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 09-12-2005 को अधिसूचना संख्या 51/2005-सी.शु. (गै.टे.) जारी की गई ।
* दिनांक 21.11.94 की अधिसूचना सं. 63/94-सी.शु.(गै.टै.) को संशोधित करते हुए दिनांक 8 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना सं. 31/2005-सी.शु.(गै.टै.) जारी की गई
* दिनांक 21-11-94 की अधिसूचना संख्या 62/94-सी.शु. (गै.टै.)को संशोधित करते हुए दिनांक 20 अपैल, 2005 की अधिसूचना संख्या 33/2005-सी.शु. (गै.टे.) जारी की गई ।

* दिनांक 21.11.94 की अधिसूचना सं. 61/94-सी.शु.(गै.टै.) को संशोधित करते हुए दिनांक 1 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना सं. 71/2005-सी.शु.(गै.टै.) जारी की गई ।

* दिनांक 21-11-94 की अधिसूचना संख्वया 61/94-सी.शु. (गै.टे.) को संशोधित करते हुए दिनांक 4 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 90/2005-सी.शु. (गै.टे.)जारी की गई है ।

* दिनांक 21-11-94 की अधिसूचना संख्या 62/94-सी.शु. (गै.टे.) को संशोधित करते हुए दिनांक 4 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 91/2005-सी.शु. (गै.टे.)जारी की गई ।

* दिनांक 21-11-94 की अधिसूचना संख्या 61/94-सी.शु. (गै.टे.) को संशोधित करते हुए दिनांक 10 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 92/2005-सी.शु. (गै.टे.)जारी की गई ।

* दिनांक 21-11-94 की अधिसूचना संख्या 62/94-सी.शु. (गै.टे.) को संशोधित करते हुए दिनांक 10 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 93/2005-सी.शु. (गै.टे.)जारी की गई ।

* दिनांक 21-11-94 की अधिसूचना संख्या 63/94-सी.शु. (गै.टे.) को संशोधित करते हुए दिनांक 27 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना संख्या 97/2005-सी.शु. (गै.टे.)जारी की गई ।

* दिनांक 21-11-94 की अधिसूचना संख्या 61/94-सी.शु. (गै.टे.) को संशोधित करते हुए दिनांक 9 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 108/2005-सी.शु. (गै.टे.)जारी की गई ।

* दिनांक 28 सितम्बर, 2005 के परिपत्र सं. 38 /2005-सी.शु. के द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के तहत भंडारित माल के पुनर्निर्यात पर ब्याज से छूट दी गई है ।

* दिनांक 11 जनवरी, 2005 का परिपत्र सं. 1/2005-सी.शु.- इसमें वे 10 कार्यसूची मदें शामिल हैं जिन पर 22 एवं 23 जनवरी, 2004 को कोलकाता तथा 13 से 15 मई, 2004 को शिलांग में समपन्न सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तों के टैरिफ सम्मेलन में विचार किया गया था। ये मुह नीचे दिये गये हैं :-

(i) समायोजन बार्ज के रूप में उन्नत पंटून का वर्गीकरण : चूंकि नौचालन इसके मुख्य कार्य का आनुषांगिक कार्य है इसलिए इसे 8905 के तहत वर्गीकृत करने का निर्णय लिया गया है ।

(ii) सेल्यूलर फोन के पुर्जों का वर्गीकरण - यदि समस्त पुर्जो को एक ही परेषण में आयातित किया जाता है तो इसे नियमानुसार एक सम्पूर्ण हेंड सेट के रूप में 85252017 के तहत वर्गीकृत किया जाएगा इसलिए यह दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना सं. 21/2002-सी.शु. के क्रम सं. 319 अथवा 320 के तहत लाभ का पात्र नहीं होगा ।

(iii) वस्त्र उद्योग में प्रयोग किए जाने हेतु दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना सं. 21/2002-सी.शु. के तहत सामान्य उपयोग लेबलिंग मशीन की पात्रता : यह निर्णय लिया गया है कि ' सामान्य उपयोग लेबलिंग मशीन' का वस्त्र उद्योग में भी उपयोग हो सके तो यह दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना सं. 21/2002-सी.शु. के क्रम सं. 250 के तहत छूट की पात्र थी ।

(iv) इंजनों पर लगाए जाने के पश्चात निर्यातित तथा पुनः आयातित इंजेक्शन पम्प तथा इंजेक्टर्स के लिए अधिसूचना सं. 94/96-सी.शु. के तहत छूट की पात्रताः बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि इंजनों पर लगाए जाने के बाद निर्यातित तथा पुनः आयातित फ्यूल इंजेक्शन पम्प तथा इंजेक्टर्स दिनांक 16.12.96 की अधिसूचना सं. 94/96-सी.शु. के दायरे में नहीं आते हैं ।

(v) ए.सी.टी. टेस्ट ट्यूब्स का आयात - ए.सी.टी. मशीन के आनुषंगिक उपकरणों के रूप में लाभ (अधिसूचना सं. 21/2002-सी.शु., दिनांक 1.3.2002, क्रम सं.363ख): बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि ए.सी.टी. टेस्ट ट्यूब्स दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना सं. 21/2002-सी.शु. क्रम सं. 363ख (सूची 37, क्रम सं. 59) के तहत छूट की पात्र हैं ।

(vi) लाल दंत मंजन के विनिर्माण में प्रयुक्त ''दंतमुक्ता'' पर दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना सं. 6/2002-के.उ.शु.(क्रम सं. 63) के लाभ की स्वीकार्यताः बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि ''दंतमुक्ता'' अधिसूचना सं. 6/2002-के.उ.शु., दिनांक 1.3.2002, क्रम सं. 63 के तहत लाभ का पात्र नहीं है।

(vii) पोत के साथ आपूर्ति किए गए 'इंफ्लेटेबल लाइफ राफ्ट तथा लाइफ जैकेट नामक मदों के लिए अधिसूचना सं. 21/2002-सी.शु. (क्रम सं.356) के तहत छूट की स्वीकार्यता : बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि इंफ्लेटेबल लाइफ जैकेट तथा लाइफ राफ्ट को जलयानों के विनिर्माण का एक आवश्यक घटक मानते हुए इनके आयात पर संदर्भित अधिसूचना(ओं) का लाभ मिलेगा ।

(viii) दिनांक 29.8.1970 की यथा संशोधित अधिसूचना सं. 80/70-सी.शु. के तहत छूट की गुंजाइश : बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 29.8.1970 की अधिसूचना सं. 80/70-सी.शु. का लाभ कंपनियों अथवा वाणिज्यिक संगठनों द्वारा वारंटी के अंतर्गत बदले गए सामानों के आयात पर नहीं दिया जाएगा ।

(ix) पुनःरोलिंग हेतु प्रयुक्त स्टील रेलों का सी.टी.एच.7204 अथवा 7302 के तहत वर्गीकरण तथा क्या इनका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हैः तद्नुसार बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि पुनः रोलिंग हेतु प्रयुक्त स्टील रेलों को सी.टी.एच. 7204 के तहत उचित रूप से वर्गीकृत किया गया है और इनका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है ।

(x) मोबाइल पैन / पैन ड्राइव का वर्गीकरण : मोबाइल पैन / पैन ड्राइव के वर्गीकरण के संबंध में 1 जुलाई,2005 के परिपत्र सं. 28/2005-सी.शु. के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि पैन का आवश्यक कार्य स्टोरेज ॐ ड्राइव फंक्शनों द्वारा निभाया जाता है । इसलिए, संपूर्ण सेट का उचित वर्गीकरण टैरिफ मद 84717090 के तहत आएगा जिसके अंतर्गत स्टोरेज यूनिट आती हैं ।

(xi) हीट सिंक के साथ सी पी यू कूलर पंखे का वर्गीकरण : दिनांक 21 सितम्बर, 2005 के परिपत्र संख्या 36/2005-सी.शु. के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि हीट सिंक के साथ सी पी यू कूलर फैन के वर्गीकरण को संशोधित करके टैरिफ मद 84145910 के बजाय उप-शीर्षक 8473.30 के तहत कर दिया गया है ।

(xii) बोरिक अम्ल का आयात : बोरिक अम्ल के आयात के संदर्भ में दिनांक 6 सितम्बर, 2005 के परिपत्र संख्या 37/2005-सी.शु. के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि बोर्ड का दिनांक 28 अक्तूबर, 2005 का परिपत्र संख्या उस सीमा तक संशोधित हो गया है जहां गैर कीटनाशी उपयोग हेतु बोरिक अम्ल के आयात की अनुमति नोडल प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर कृषि मंत्रालय के तहत केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड एवं पंजीकरण समिति (सी आई बी एंड आर सी) द्वारा जारी किए गए आयात परमिट के आधार पर ही दी जा सकती है ।

(xiii) एक साथ आयातित कम्प्यूटर केसिंग तथा पावर सप्लाई यूनिट : एक साथ आयातित कम्प्यूटर केसिंग तथा पावर सप्लाई यूनिट पर दिनांक 1.3.2002 की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमा शुल्क, क्र.सं. 276 का लाभ देने के संबंध में दिनांक 3 अक्तूबर, 2005 के परिपत्र संख्या 39/2005-सी.शु. के तहत यह स्पष्ट किया गया था कि माल को फार्म में यथा प्रस्तुत के रूप में वर्गीकृत करना होगा और जी आई आर के नियम 2(क) को किसी अधिसूचना के लाभ की अनुमति देने/न देने के लिए तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि छूट अधिसूचना सीमा शुल्क टैरिफ के किसी विशेष शीर्षक के तहत मद के वर्गीकरण पर आधारित न हो । वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ व्याख्या की सामान्य नियमावली के नियम 2(क) को लागू किया जा सकता है ।

(xiv) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क क की उप धारा (2) के तहत दाखिल किए गए आवेदनों का निपटान : अधिसूचना संख्या 37/2005-सी.शु. (गै.टे.), दिनांक 5 मई, 2005 : सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क क की उप-धारा (2) के तहत दाखिल किए गए

आवेदनों के निपटान के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क (प्रतिअदायगी) के सहायक आयुक्त/उप आयुक्त के कार्यों का निर्वाह करने और शक्तियों का उपयोग करने हेतु सीमा शुल्क आयुक्तालय (आयात), मुम्बई में सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त/उप आयुक्त, समूह 2 ख - 1 की नियुक्ति करना ।

(xv) दिनांक 20 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 80/2005-सी.शु. (गै.टे.) श्री डी.एस. श्रा, मुख्य आयुक्त की महानिदेशक (रक्षोपाय) के रूप में नियुक्ति ।

(xvi) दिनांक 20 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना संख्या 81/2005-सी.शु. (गै.टे.) : श्री डी.एस. श्रा, मुख्य आयुक्त की महानिदेशक (विशिष्ट रक्षोपाय) के रूप में नियुक्ति ।

(xvii) आयातों एवं निर्यातों को सुकर बनाने के लिए की गई पहल : इस वर्ष के दौरान आयातों एवं निर्यातों को सुकर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए हैं । राजस्व हित से समझौता किए बिना प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर जोर दिया गया है । सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 2005.06 के लिए नई प्रति अदायगी दरें अधिसूचित करना । नयी अखिल औद्योगिक शुल्क प्रतिअदायगी सूची 5 मई, 2005 से प्रभावी हुई । इस अनुसूची को प्रयोक्ता-मित्र बनाने के लिए इसमें अधिसूचना सं. 77/2005-सी.शु.(गै.टै.), दिनांक 2.9.2005, 82/2005-सी.शु.(गै.टै.), दिनांक 26.9.2005, 101/2005-सी.शु.(गै.टै.), दिनांक 17.11.2005 तथा 102/2005-सी.शु.(गै.टै.), दिनांक 18.11.2005 के तहत संशोधन किए गए हैं ।

(xviii) *निर्यातें को समर्थन देने एवं प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात संवर्धन योजनाएं :* सरकार ने निर्यातों को समर्थन देने एवं प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सी निर्यात संवर्धन योजनाएं बनाई हैं । नीतिगत ढांचा, विदेश व्यापार नीति, 2004-09 में निर्धारित किया गया है जबकि योजना संबंधी प्रक्रियाओं का प्रक्रिया हैंड बुक भाग-रू, 2004-09 में विस्तृत विवरण दिया गया है। राजस्व विभाग ने विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के उपबंधों तथा विदेश व्यापार नीति 2004-09 के वार्षिक परिशिष्ट में की गई नीतिगत पहल के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं ।

सीमा शुल्क स्कंध के प्रति अदायगी प्रभाग द्वारा की गई पहलें एवं प्रक्रियात्मक सरलीकरण उपाय

(i) शुल्क प्रति अदायगी की अखिल उद्योग दरों के संबंध में नीतिगत पहलें :

वर्ष 2005-06 के लिए नई शुल्क प्रतिअदायगी दरें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों उद्योग एवं व्यापार संघों एवं अन्य पणधारियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात निर्धारित की गई हैं ।

प्रतिअदायगी दरें अन्य बातों के साथ-साथ निविष्टियों के प्रचलित मूल्यों, डी.जी.एफ.टी. द्वारा प्रकाशित मानक विशिष्ट/निर्गम प्रति मानकों (एस.आई.ओ.एन.) कुल निविष्टि उपभोग में आयातकों का हिस्सा तथा शुल्क की लागू दरों सहित कतिपय विस्तृत पैरामीटरों के आधार पर निश्चित की जाती हैं । चूंकि शिक्षा उपकर उत्पाद एवं सीमा शुल्कें के रूप में संगृहीत किया जा रहा है इसलिए शिक्षा उपकर के तत्व को प्रतिअदायगी दरों में विभक्त कर दिया गया है । एच.एस.डी. / फर्नेस तेल पर शुल्क भार को भी प्रतिअदायगी गणना के कारकों में विभक्त कर दिया गया है ।

एक सुविचारित नीतिगत निर्णय के रूप में कुछ अपवादों को छोड़कर, समस्त निर्यात उत्पादों पर दरें पूर्व की विशिष्ट दरों अर्थात मीट्रिक टन / किलोग्राम इत्यादि के बदले यथामूल्यों के रूप में व्यक्त की जाती हैं । हालांकि भार आधारित प्रतिअदायगी के दुरूपयोग की कम संभावना व्यक्त की गई है फिर भी यथामूल्य दरों के दोहरे गुण हैं एक तो यह निर्यातकों के लिए उचित हैं और दूसरे यह मूल्यवर्धित मदों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के नीतिगत उद्देश्य को भी पूरा करती हैं । नई प्रतिअदायगी सूची को 4 अंकीय स्तर पर एच. एस. नाम पद्धति के पूर्णतः अनुरूप बनाया गया है । एक ओर तो मुख्य निर्यात मदों के लिए प्रतिअदायगी दरें 4 अंक / 6 अंक / 8 अंक स्तर पर निश्चित की गई हैं वहीं दूसरी ओर अन्य मदों के लिए प्रतिअदायगी दरें निर्धारित करने के लिए, पूर्व दृष्टांतों एवं सुविधा के आधार पर, एक मिश्रित वर्गीकरण का उपयोग किया गया है । बहुत से मामलों में एक अवशिष्ट प्रविष्टि भी बनाई गई है ताकि कोई भी निर्यात मद किसी विशिष्ट शीर्षक से छूटने न पाए ।

नई प्रतिअदायगी अनुसूची में अब 2620 प्रविष्टियों शामिल हैं जिसमें 685 प्रविष्टियां 4-अंकीय स्तर की हैं जबकि 1935 प्रविष्टियां छह अंकीय / 8 - अंकीय/संशोधित छह / आठ अंकीय स्तर की हैं । यद्यपि कुल प्रविष्टियों की संख्या केवल 2620 है लेकिन इन प्रविष्टियों के अंतर्गत आने वाले विनिर्मित उत्पादों की संख्या इस आंकड़े से कई गुणा ज्यादा है । उत्पाद दायरे के अनुसार नई अनुसूची का दायरा पिछली अनुसूची के दायरे, जिसमें केवल 1050 प्रविष्टियां ही हैं, से कहीं, ज्यादा व्यापक है । नई अनुसूची के दायरे में अब रसायन, प्लास्टिक , वस्त्र तथा स्टील एवं मशीनरी क्षेत्र के बहुत से नए उत्पाद शामिल हो गए हैं । पारदर्शिता एवं व्यापक कवरेज के अतिरिक्त, अब माफ किए गए राजस्व के आंकड़ों को टैरिफ लाइन-वार समेकित करना आसान हो जाएगा । अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के साथ सम्पर्क इसके बाद से सहज हो जाएगा ।

(ii) ऐसे मामलों में जिनमें निर्यात उत्पाद की कोई भी अखिल उद्योग प्रतिअदायगी दर नहीं होती अथवा जिनमें अधिसूचित की गई अखिल उद्योग दर निर्यातकों द्वारा निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर दिये गये सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए अपर्याप्त मानी जाती है, वहां प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 6 एवं 7 की शर्तों के अनुसार शुल्क प्रतिअदायगी की ब्रांड दर प्रदान की जाती है ।

हाल ही के महीनों में, ब्रांड दरों के निर्धारण में अत्यधिक विलंब का आरोप लगाते हुए उद्योग एवं व्यापार जगत की ओर से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । ब्रांड दर आवेदन के त्वरित निपटान हेतु संशोधित सरलीकृत योजना की सुविधा चयनित श्रेणी के निम्नलिखित निर्यातकों को भी दी गई है : (क) ऐसे सभी निर्यातक जिनका चालू अथवा पिछले वित्तीय वर्ष का निर्यात कारोबार (भौतिक निर्यात) पांच करोड़ रूपये हो तथा जिनका पिछले तीन वर्षों का निर्यात रिकार्ड अच्छा रहा हो :(ख) सार्वजनिक तंत्र के उपक्रमः (ग) स्टार निर्यात गृहः (घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत ऐसे विनिर्माता-निर्यातक जो पिछले दो वर्षों से निर्यात कर रहे हैं और जिनका पिछले वर्ष न्यूनतम निर्यात एक करोड़ रूपये अथवा इससे अधिक हो : (ड.) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के साथ पंजीकृत ऐसे विनिर्माता - निर्यातक जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एक करोड़ रूपये या इससे अधिक का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चुकाया है । संशोधित सरलीकृत योजना का मूल भाव यह है कि प्रतिअदायगी दरें आकड़ों का पूर्व सत्यापन (जो आवेदक एवं चार्टड एकाउंटटेंट / चार्टड इंजीनियर, लागत लेखाकार द्वारा विधीवत रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित होना चाहिए) किये बिना निश्चित की जानी हैं तथा निर्यातक अनंतिम ब्रांड दर पत्रों द्वारा संबंधित सीमा शुल्क गृहों से स्वीकार्य मानी जानी वाली प्रतिअदायगी दर का दावा करने के लिए प्राधिकृत होगा । प्रस्तुत आंकड़ों की प्रमाणिकता की जांच के लिए विभाग द्वारा इनकी कार्योत्तर जांच की जा सकेगी तथा निश्चित की गई दरें भी ऐसे कार्योत्तर सत्यापन के आधार पर संशोधित की जा सकती हैं ।

अन्य निर्यातकों के मामले में, अर्थात इन पांच श्रेणियों से इतर निर्यातक, ब्रांड दर निश्चित करने की सामान्य प्रक्रिया लागू होगी । यह निर्णय लिया गया है कि सत्यापन एवं ब्रांड दरों के निर्धारण के लंबित रहते इन निर्यातकों को नियम-7(विशेष ब्रांड दर) के तहत दाखिल किए गए आवेदनों के संदर्भ में अखिल उद्योग दर प्रदान की जा सकती है ।

लंबित दावों के निपटान हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया है । मुख्य आयुक्तों से इस ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है ताकि लंबित दावों को घटाकर संभव सीमा तक कम से कम किया जा सके ।

(iii) निर्यात दस्तावेजीकरण में कमी - विभिन्न घोषणा पत्रों की समाप्ति

व्यवसाय एवं उद्योग जगत से प्राप्त इन अभ्यावेदनों को देखते हुए कि वर्तमान निर्यात दस्तावेजीकरण प्रक्रिया जटिल एवं बोझिल है तथा यह कि इस प्रणाली के अंतर्गत निर्यातकों को सीमा शुल्क के पास बहुत से दस्तावेज एवं घोषणा पत्र जमा करवाने होते हैं इससे विलंब होता है और जिससे सौदा लागत में वृद्धि होती है, सरकार ने इस समस्या के हर एक पहलू का अध्ययन करने तथा अपनी सिफारिशें देने के लिए मुख्य सीमा शुल्क, दिल्ली की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया था । इस उप समिति की सिफारिशों के अनुवर्तन में, दिनांक 5.8.2005 के परिपत्र सं. 34/2005-सी.शु. के तहत व्यापार को सुकर बनाने की दृष्टि से प्रतिअदायगी एवं विभिन्न निर्यात संवर्धन

योजनाओं के तहत निर्यातकों द्वारा दाखिल किए जाने वाले 36 घोषणा पत्रों में से 21 घोषणा पत्र समाप्त कर दिए गए हैं ।

(iv) निर्यात माल की अस्थायी निर्मुक्ति

बोर्ड के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि कभी-कभी निर्यात हेतु प्रविष्टित माल को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मात्रा, मूल्य इत्यादि की गलत घोषणा के लिए निरुद्ध अथवा जब्त कर लिया जाता है । ऐसे माल को जांच-पड़ताल, न्याय-निर्णयन अथवा अपील कार्यवाहियों के लंबित रहते अस्थायी आधार पर भी निर्यात की अनुमति नहीं दी जाती है । तथापि, इन कार्यवाहियों के पूरा होने में काफी समय लग जाता है और माल का क्षरण हो जाता है जिससे उनका अंतरनिहित मूल्य नष्ट हो जाता है । परिणामस्वरूप, अभिरक्षकों को डेमरेज प्रभार का भुगतान तथा निर्यातकों को निर्यात लाभ जैसे मुद्दे खड़े हो जाते हैं । माल को निरुद्ध अथवा जब्त किए जाने से पत्तनों आई.सी.डी. इत्यादि पर भीड़-भाड़ भी हो जाती है ।

निर्यात माल की जब्तगी से जुड़ी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि प्रतिबंधित/निषिद्ध माल को छोड़कर जब्त माल को अस्थायी आधार पर निर्मुक्त कर दिया जाना चाहिए और एक बंधपत्र भरने पर उसके निर्यात की अनुमति दे दी जानी चाहिए।

(v) विदेश व्यापार नीति 2004-2009, विदेश व्यापार नीति 2004-2009 का वार्षिक अनुपूरक तथा प्रतिअदायगी अनुसूची का कार्यान्वयन :

1 विदेश व्यापार नीति के तहत घोषित की गई टारगेट प्लस योजना को प्रचालनीय बनाने के लिए अधिसूचना संख्या 32/2005-सी.शु. दिनांक 08-04-2005 जारी की गई थी । इस योजना के तहत स्टार निर्यात गृहों को वृद्धिशील निर्यातों के आधार पर शुल्क क्रेडिट के रूप में इनाम दिया जाता है । इस योजना का उद्देश्य निर्यातों की वृद्धि में तेजी लाने में सहायता देने का है।

2 2005-06 से नई प्रतिअदायगी दरों को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना संख्या 36/2005-सी.शु.(गै.टै.) जारी की गई थी । नई अखिल उद्योग शुल्क प्रतिअदायगी योजना 5 मई, 2005 से प्रवृत्त हुई । प्रतिअदायगी दरों एवं सीमाओं को संशोधित करने तथा इस अनुसूची को प्रयोक्ता-मित्र बनाने के लिए अधिसूचना संख्या 36/2005-सी.शु.(गै.टै.), दिनांक 02-05-2005 को अधिसूचना संख्या 101/2005-सी.शु.(गै.टै.), दिनांक 17-11-2005 तथा अधिसूचना संख्या 102/2005-सी.शु.(गै.टै.), दिनांक 18-11-2005 द्वारा संशोधित किया गया था ।

3 विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के तहत घोषित विशेष कृषि उपज योजना (विशेष कृषि उपज योजना) को प्रचालनीय बनाने के लिए अधिसूचना संख्या 41/2005-सी.शु., दिनांक 09-05-2005 जारी की गई थी । इस योजना के अंतर्गत फलों सब्जियों, फूलों, गौण वन उपज, डेयरी, कुक्कुट पालन एवं उनके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यातक निर्यातों के एफ ओ बी मूल्य के 5% के बराबर शुल्क क्रेडिट परची के पात्र हो जाते हैं । इस योजना का उद्देश्य उपर्युक्त कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने में सहायता प्रदान करने का है ।

4 विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं का पोरबन्दर समुद्री पत्तन, राजासांसी (अमृतसर) विमानपत्तन तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 76(क) के तहत अधिसूचित समस्त विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) तक विस्तार करने के लिए अधिसूचना संख्या 46/2005-सी.शु., दिनांक 17-05-2005 जारी की गई थी । इस अधिसूचनास के द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के वार्षिक अनुपूरक में घोषित नीतिगत उपबंधों को कार्यशील बनाने के लिए विभिन्न अधिसूचनाओं को संशोधित किया गया है ।

5 अधिसूचना संख्या 21/2002-सी.शु., दिनांक 01-03-2002 को संशोधित करने के लिए अधिसूचना संख्या 47/2005-सी.शु., दिनांक 17-05-2005 जारी की गई थी ताकि समुद्री भोजन के प्रसंस्करण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट माल पर शुल्क छूट दी जा सके ।

6 निर्यात संवर्धन योजना का अंतर्देशीय आधान डिपो, तूतीकोरीन तक विस्तार करने के लिए अधिसूचना संख्या 77/2005-सी.शु., दिनांक 22-08-2005 जारी की गई थी ।

7 शुल्क पात्रता पास बुक स्कीम के अंतर्गत उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने की शर्त पर भारत में आयातित माल को सीमा शुल्क से मुक्त करने के लिए दिनांक 04-10-2005 को अधिसूचना संख्या 89/2005-सीमा शुल्क जारी की गई थी । यह अधिसूचना दिनांक 31-12-2005 तक वैध है ।

8 लखनऊ(अमौसी) स्थित एयरपोर्ट, कुंडली, भदोही और रायपुर स्थित आई सी डी, नेपालगंज रोड, अगरतला और सूतरखंडी स्थित भू सीमा शुल्क कार्यालयों और अमृतसर रेल कार्गो में विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के संचालन को संशोधित करने के लिए दिनांक 17-11-2005 को अधिसूचना संख्या 97/2005-सीमा शुल्क जारी की गई थी । इस अधिसूचना में शुल्क मुक्त ऋण पात्रता स्कीम के अंतर्गत पूर्व में दिनांक 01-04-2003 को जारी अधिसूचना संख्या 53/2003-सीमा शुल्क को भी संशोधित किया गया है ताकि शुल्क मुक्त ऋण पात्रता स्कीम लाइसेंस में डेबिट के जरिए प्रतिअदायगी अथवा सेनवेट लाभ उपलब्ध कराया जा सके ।

लेखा परीक्षा - सीमा शुल्क

अन्तर्देशीय आधान डिपो की समीक्षा

लोक लेखा समिति द्वारा समीक्षा की मौखिक सुनवाई शुरु की गई और उसे पूरा कर लिया गया है । मौखिक सुनवाई के बाद की गई कार्रवाई संबंधी नोट को लोक लेखा समिति के पास भेज दी गई है ।

बकायों की वसूली की समीक्षा

लोक लेखा समिति द्वारा समीक्षा को वृहत प्रश्नावली के रूप में बदल दिया गया । मंत्रालय ने वृहत प्रश्नावली का उत्तर दे दिया है ।

3.10 तस्करीरोधी

(क) वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान जब्ती मामलों, सीमा शुल्क अपवंचन मामलों, वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों में अखिल भारतीय आधार पर तस्कररोधी और डी.आर.आई. निम्न प्रकार है :-

जब्ती मामले

(स्पष्ट तस्करी मामले)

(करोड़ रुपयो में)

वर्ष	अखिल भारतीय (डी.आई.सहित)		डी.आर.आई.		अखिल भारत के % के रूप मे डी.आर.आई. कार्य निष्पादन
	मामलों की संख्या	जब्त माल का मूल्य	मामलों की संख्या	जब्त माल का मूल्य	
2004-05	45424	859.30	293	402.40	46.82
2005-06 (नवम्बर तक)	24112	458.97	230	148.66	32.38

सीमा शुल्क अपवंचन के मामले

(आंकड़े जारी कारण बताओ नोटिस पर आधारित)

(मूल्य करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अखिल भारतीय (डी.आई.सहित)		डी.आर.आई.		अखिल भारत के % के रूप मे डी.आर.आई. कार्य निष्पादन
	मामलों की संख्या	मांगा गया शुल्क	मामलों की संख्या	मांगा गया शुल्क	
2004-05	1036	1080.40	430	881.20	81.56
2005-06 (नवम्बर तक)	417	593.97	113	431.72	73

चयनित वस्तुओं की जब्तियां

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	वस्तु	2004-05		2005-06 (नवम्बर तक)	
		अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई
I.	सोना	1.61	0.00	0.59	0.00
II.	विदेशी मुद्रा	17.55	0.72	3.02	1.10
III.	नार्कोटिक्स औषधियां	46.27	24.63	20.67	10.76
IV.	इलेक्ट्रानिक सामान	21.63	32.69	28.23	23.06
V.	कंप्यूटर/पुर्जे	2.22	0.08	3.17	0.28
VI.	फेब्रिक्स/रेशम धागा आदि	29.19	8.14	3.50	3.35
VII.	बियरिंग्स	11.11	10.39	0.01	0.00
VIII.	हीरा	4.28	1.17	0.89	0.70
IX.	भारतीय मुद्रा	7.57	0.26	1.52	1.48
X.	घड़ियां/पुर्जे	4.00	0.55	0.69	0.39
XI.	मशीनरी/पुर्जे	106.79	48.22	4.46	3.89
XII.	वाहन/वेसल/एयर-क्राफ्टस	21.76	1.47	39.81	36.00
XIII.	भारतीय जाली मुद्रा	0.47	0.47	0.04	0.00
	विविध	584.85	288.11	352.37	l67.65
	कुल	593.97	402.40	593.97	593.97

(*) 15.53 करोड़ रु. का रेड सेंडर वुड शामिल है।

अपवंचन रोधी कार्य-निष्पादन (स्कीम क्रम में)

(जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के आधार पर)

(करोड रु में)

क्रम संख्या	स्कीम	2004-05		2005-06 (नवम्बर, 05 तक)	
		अखिल भारत	डीआरआई	अखिल भारत	डीआरआई
1.	कम मूल्य आकलन	121.78	84.25	25.22	17.36
2.	गलत घोषणा	88.41	34.60	67.64	59.00
3.	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	107.13	72.06	144.65	67.10
4.	डीईपीबी का दुरूपयोग	277.52	267.65	30.04	25.43
5.	ईपीसीजी का दुरूपयोग	7.16	5.99	3.24	0.00
6.	ईओयू/ईपीजैड/एसईजैड का दुरूपयोग	324.64	305.17	225.80	207.01
7.	लक्षित उपयोग एवं अन्य अधिसूचना का दुरूपयोग	56.16	45.00	22.31	11.45
8.	प्रतिअदायगी	62.80	37.96	54.43	30.76
	वसूल किया गया शुल्क	234.21	154.47	103.04	49.99

वर्ष 2004-05 और 2005-06 (नवम्बर, 2005 तक) के दौरान जब्ती मामलों में डी आर आई एवं अखिल भारत का तस्कर रोधी कार्य-निष्पादन

(करोड़ रु में)

मुख्य आयुक्तालय	जब्ती मामले	
	कार्य-निष्पादन 2004-05	कार्य-निष्पादन 2005-06 (नवम्बर 05 तक)
डीआरआई	402.20	148.66
अहमदाबाद सीमा शुल्क	86.43	91.14
बंगलौर सीमा शुल्क	23.40	5.50
चेन्नई सीमा शुल्क	67.74	49.52
चेन्नई सीमा शुल्क (पूर्व)	15.36	5.30
दिल्ली सीमा शुल्क	28.72	46.68
दिल्ली सीमा शुल्क (पूर्व)	9.36	4.38
कोलकाता सीमा शुल्क	36.42	16.51
मुम्बई-I सीमा शुल्क	42.41	4.47
मुम्बई-II सीमा शुल्क	28.63	34.17
मुम्बई-III सीमा शुल्क	46.49	10.70
पटना सीमा शुल्क (पूर्व)	16.87	16.77
कोचिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क*	6.30	0.76
विशाखापट्टनम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क	2.20	0.06
पुणे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	5.83	0.42
शिलांग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	30.45	23.77
भोपाल केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	1.38	0.05
हैदराबाद केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क*	8.80	0.05
नागपुर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	0.10	0.00
भुवनेश्वर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	0.02	0.00
अन्य**	0.00	0.06
कुल	**859.31**	**593.97**

* *आंकड़े सितम्बर '05 तक के हैं (रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई)*

** *रांची, लखनऊ मेरठ (0.06 करोड़ रु सितम्बर '05 तक)*

वर्ष 2004-05 और 2005-06 (नवम्बर 2005 तक) के दौरान वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामलों में डी आर आई और अखिल भारत तस्कर-रोधी कार्य निष्पादन

(करोड़ रु में)

मुख्य आयुक्तालय	वाणिज्यिक धोखाधड़ी के मामले	
	कार्य-निष्पादन 2004-05	कार्य-निष्पादन 2005-06 (नवम्बर 05 तक)
डी आर आई	881.20	431.72
अहमदाबाद सीमा शुल्क	26.52	23.74
बंगलौर सीमा शुल्क	22.57	72.92
चेन्नई सीमा शुल्क	3.70	2.47
चेन्नई सीमा शुल्क (पूर्व)	8.34	1.11
दिल्ली सीमा शुल्क	10.91	4.98
दिल्ली सीमा शुल्क (पूर्व)।	33.40	1.04
कोलकाता सीमा शुल्क	12.03	26.84
मुम्बई-I सीमा शुल्क	1.51	1.07
मुम्बई-II सीमा शुल्क	17.38	9.86
मुम्बई-III सीमा शुल्क	33.21	2.88
पटना सीमा शुल्क (पूर्व)	0.00	0.00
कोचिन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क*	0.00	2.07
विशाखापट्टनम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क	2.21	0.12
पुणे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	0.00	0.00
शिलांग केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	0.00	0.00
भोपाल केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	0.00	0.00
हैदराबाद केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क*	23.30	2.89
नागपुर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	4.09	0.08
भुवनेश्वर केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क	0.00	0.00
अन्य**	0.05	10.18
कुल	**1080.4**	**593.97**

* *आंकड़े सितम्बर '05 तक के हैं (रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई)*

** *रांची, लखनऊ मेरठ*

अखिल भारतीय आधार पर तथा डीआरआई द्वारा वसूल किया गया शुल्क

(करोड़ रु में)

वर्ष	अखिल भारत	डी.आर.आई.	डीआईआई के कार्य निष्पादन का %
2004-05	234.21	154.47	65.95
2005-06 (नवम्बर तक)	103.04	49.99	48.51

डी आर आई द्वारा नारकोटिक औषधियों की जब्तियां (कि.ग्रा.)

औषधि का नाम	2004	2005(नवम्बर '05 तक)
हेरोइन	87.165	114.348
गांजा	27442.15	15156.30
हशीश	2804.50	1443.00

ख) दिनांक 1-4-2005 से दिनांक 21-12-2005 तक की अवधि के दौरान तस्कररोधी उपस्कर की प्राप्ति

क) ट्रक/आधान जांच प्रणाली

जवाहरलाल नेहरु पोर्ट, न्हावा शेवा में दो आधान जांच मशीनों को लगाने की एक प्रायोगिक परियोजना पूरी कर ली गई । परियोजना के भाग के रूप में एक एक्स-रे आधारित नियत प्रणाली लगाई गई और दिनांक 17-06-2005 को इसे चालू किया गया । एक गामा रे आधारित चल जांच मशीन पहले ही लगाई जा चुकी है । दो जांच मशीनें 39.58 करोड़ रूपए की उपस्कर लागत से पहले ही लगाई जा चुकी हैं ।

(ख) एक्सरे सामान जांच प्रणाली

वर्तमान समय में देश में विभिन्न स्थानों पर 135 एक्स-रे सामान मशीनें कार्य कर रही हैं । सभी मशीनें मैसर्स ई.सी.आई.एल., रेपिस्कन आपूर्तिकर्ता के पास केन्द्रायकृत वार्षिक रख-रखाव ठेके के अंतर्गत रहीं । 58 एक्स-रे सामान मशीनों को प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है ।

कुछ स्थानों पर मशीनों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए दो मशीनें- एक सी.एफ.एस. जे.एन.पी.टी., न्हावा शेवा से यू.बी. सेंटर, कारीपुर और दूसरी यू.बी. सेंटर कारीपुर से कालीकट एयरपोर्ट स्थानांतरित कर दी गईं । एक और मशीन सी.सी. अमृतसर (अट्टारी रेल) से सी.सी., जे.एंड के. (जे.एंड के. और पी.ओ.के. के बीच उरी भू-सीमा शुल्क स्टेशन के लिए) स्थानांतरित की गई है ।

(ग) डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर

विभिन्न सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में 10 डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाए गए ।

(घ) वाहन

वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान डी.आर.आई. और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 25 एम्बेसडर कारें, 2 मारुति जिप्सियों / जीपों और 12 हीरो होंडा मोटरसाइकिलों की खरीद के लिए विशेष उपस्कर निधि से कुल 12790000 रूपये की राशि जारी की गई है ।

(ड.) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि संशोधन/नई स्कीमें

(I) उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 200 छात्रवृत्तियां प्रदान करने की स्कीम निम्न प्रकार संशोधित की गई हैं :

(i) छात्रवृत्ति की राशि संशोधित कर 18 हजार रूपये अथवा प्रतिवर्ष भुगतान किया गया कुल शिक्षण शुल्क, जो भी कम हो, कर दी गई है,

(ii) संशोधित स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्तियों के लिए पात्रता के लिए ग्रुप 'क' के बच्चों को भी शामिल कर दिया गया है, बशर्ते कि अधिकारी का वार्षिक वेतन 3.5 लाख रूपये से कम हो ।

परीक्षाओं की सूची में 3 और अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं को शामिल कर दिया गया । इस प्रकार स्कीम के अंतर्गत अब अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं की संख्या 8 की बजाय 11 है ।

(II) विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों की ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए मेघावी विद्यार्थियों को एककालिक नकद पुरस्कार प्रदान करने की स्कीम निम्न प्रकार संशोधित कर दी गई है :

(i) प्रत्येक संवर्ग में उपलब्ध पुरस्कारों की संख्या से पात्र बच्चों की संख्या अधिक होने पर पुरस्कार राशि सभी पात्र बच्चों के बीच समान रूप से वितरित की जानी चाहिए, बशर्ते कि ग्रुप 'घ' के कर्मचारियों के बच्चे को न्यूनतम नकद पुरस्कार 2500 रूपये प्राप्त हो ।

(ii) शैक्षिक वर्ग 2004-05 से दिवंगत अधिकारियों/ कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी स्कीम लागू होगी । इन बच्चों के मामलों में आवेदन अग्रेषित करने वाले क्षेत्रीय आयुक्त वही होंगे जिनके कार्यालय से दिवंगत अधिकारी का परिवार पेंशन ले रहा है अथवा क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्र में परिवार रह रहा है ।

(च) समुद्रीय जहाज

विभाग के पास 106 जहाज हैं जिनमें 17 सी.पी.सी., 07 सी.ए.सी., 12 सी.पी.एल., 67 सी.पी.टी. और 03 सी.पी.डी. शामिल हैं । ये जहाज समुद्रीय आयुक्तालयों को तस्कर-रोधी कार्य संचालन के लिए दिए गए हैं ।

सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित 153.85 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर 109 जहाज प्राप्त करने के लिए दिनांक 15.6.2005 को विश्व स्तरीय निविदा जारी की गई थी । 15 सितम्बर, 2005 को बोलियां प्राप्त हुईं ।

(घ) एफ.आर.बी.एम. अधिनियम

विभाग में तस्कररोधी उपस्कर और वाहनों के रूप में परिसम्पत्तियों (2लाख रु से अधिक के दर्ज मूल्य की) को सूचीबद्ध करते हुए एक परिसम्पत्ति रजिस्टर तैयार किया गया है । ऐसी परिसम्पत्तियों का कुल दर्ज मूल्य लगभग 167 करोड़ रूपए है ।

(ग) तस्कर रोधी इकाई के कार्य

* सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत खोज, जब्ती, गिरफ्तारी और अभियोजन से संबंधित सभी नीतिगत मामले, सूचनाकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार और पकड़े गए/जब्त माल का निपटान ।
* मंत्रियों, संसद सदस्यों, आदि के वी.आई.पी. पत्र और खोज/जब्ती/ गिरफ्तारी, आदि तथा पकड़े गए/जब्त माल के निपटान के संबंध में आम लोगों से प्राप्त पत्र/शिकायतें ।
* खोज/जब्ती/गिरफ्तारी/अभियोजन, सूचनाकर्ताओं और सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार, पकड़े गए/जब्त माल के निपटान से संबंधित लेखा परीक्षा/ पैरा ।
* स्पष्ट तस्करी के मामलों में जब्तियों, सीमा शुल्क अपवंचन मामलों का पता लगाने और पकड़े गए/जब्त मामलों के निपटान के संबंध में डी जी आई आर/मुख्य आयुक्तों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण ।
* तस्कर रोधी कार्य संचालनों, तस्करी की प्रवृत्ति और किए गए तस्कर रोधी उपायों के संबंध में डी जी आर आई/मुख्य आयुक्तों से प्राप्त मासिक/ आवधिक रिपोर्टों का विश्लेषण और मूल्यांकन ।
* सी ओ आई एन इकाइयों से प्राप्त रिपोर्टों का विश्लेषण और मूल्यांकन ।
* पकड़े गए/जब्त माल के निपटान के संबंध में मुख्य आयुक्तों से प्राप्त मासिक/आवधिक रिपोर्टों का विश्लेषण और मूल्यांकन ।
* खोज, जब्ती, गिरफ्तारी, पुरस्कारों और अन्य विविध तस्कर रोधी मामलों के संबंध में न्यायालय के मामले ।
* तस्कर रोधी मामलों के संबंध में अन्य मंत्रालयों/विभागों/अनुभागों से प्राप्त पत्र ।
* संसदीय समिति के लिए तस्कर रोधी मामलों पर सामग्रियों को तैयार करना ।
* सी.बी.ई.सी.के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए एक्स.बी.आई.एस./मेटल डिटेक्टरों/बायनाकुलरों आदि जैसे तस्कर रोधी उपस्कर प्राप्त करना ।
* समुद्रीय जहाजों और आधान जांच मशीनों को प्राप्त करना।
* संसद सदस्यों/अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को एन.पी.बी. सीमा शुल्क जब्त हथियारों का आवंटन ।
* मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार, अधिष्ठापन समारोह का आयोजन।
* अध्याय IVक और IVख के अन्तर्गत अधिसूचित और विनिर्दिष्ट माल के संबंध में व्यापार संगठनों आदि से अभ्यावेदन ।

3.11 मुद्रण, प्रकाशन और प्रचार

प्रचार और जन संपर्क निदेशालय जो सी बी ई सी का एक सम्बद्ध कार्यालय है, का प्रधान आयुक्त होता है जो इस निदेशालय का सम्पूर्ण प्रभावी होता है और उनके पास सभी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार होते हैं । इसके अलावा, प्रशासनिक गठन में दो अपर/संयुक्त आयुक्त और तीन सहायक आयुक्त होते हैं जो अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं ।

निदेशालय का कोई क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय नहीं है ।

इस निदेशालय को सौंपे गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण अनुबन्ध में दिया गया है ।

3.12 निरीक्षण महानिदेशालय (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के कार्यकलाप

इस महानिदेशालय को सौंपे गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है जो निम्नलिखित क्षेत्रीय इकाइयों पर नियंत्रण रखता है ।

1. एन.आर.यू. - उत्तरी क्षेत्रीय इकाई, दिल्ली ।
2. एस.आर.यू. - दक्षिणी क्षेत्रीय इकाई, चेन्नई ।
3. ई.आर.यू. - पूर्वी क्षेत्रीय इकाई, कोलकाता ।
4. सी.आर.यू.- केन्द्रीय क्षेत्रीय इकाई, हैदराबाद ।
5. डब्लयू.आर.यू.- पश्चिमी क्षेत्रीय इकाई, मुम्बई ।

सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षण महानिदेशालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों और सम्पूर्ण देश में स्थित सीमा शुल्क कार्यालयों का निरीक्षण करता है । निदेशालय की क्षेत्रीय इकाइयां तैयार वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के अनुसार अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करती हैं ।

वर्ष 2005 के दौरान सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षाएं (दिनांक 23-12-2005)

(i) 29 सितम्बर, 2005 को सीमा शुल्क गृह लाइसेंसिंग विनियमन परीक्षा ।

एनएसीईएन, चेन्नई द्वारानिम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित की गईं जिनमें डीजीआईसीसीई और इसकी कैडर इकाइयों (परीक्षा केन्द्र डीजीआईसीसीई, नई दिल्ली) से उम्मीदवार बैठे ।

(ii) इंस्पेक्टर गेड में पदोन्नति के लिए दिनांक 05-01-2005 और 06-01-2005 को आयोजित विभागीय परीक्षा ।

(iii) वरिष्ठ कर सहायक के गेड में पदोन्नति के लिए दिनांक 7-1-2005 को आयोजित विभागीय परीक्षा ।

(iv) इंस्पेक्टर गेड में पदोन्नति के लिए दिनांक 12-07-2005 और 13-07-2005 को आयोजित विभागीय परीक्षा ।

वर्ष 2005-2006 (30 नवम्बर, 2005 तक) के दौरान डीजीआईसीसीई द्वारा किए गए निरीक्षण

डीजीआईसीसीई का एक महत्वपूर्ण कार्य आयुक्तालयों द्वारा स्वयं किए जाने वाले आंतरिक निरीक्षणों के अलावा आयुक्तालय मुख्यालय और मंडल कार्यालयों जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यालयों का निरीक्षण करना है ।

वर्ष 2005-2006 (30 नवम्बर, 2005 तक) के दौरान निदेशालय के मुख्यालय ने सम्पूर्ण देश में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में निरीक्षण किए जिन्हें नीचे की सारणी में दर्शाया गया है :

क्र.सं.	निरीक्षण की तिथियां	आयुक्तालय का नाम
1	24-5-2005 से 31-5-2005	कोलकाता-VI
2	27-7-2005 से 3-8-2005	बंगलौर-I
3	5-9-2005 से 9-9-05	जयपुर-II
4	26-9-05 से 30-9-05	चेन्नई-III
5	17-10-05 से 21-10-05	कानपुर
6	28-11-05 से 2-12-05	भोपाल
7	8-8-05 से 13-8-05	औरंगाबाद
8	3-10-05 से 7-10-05	फरीदाबाद
9	13-11-05 से 18-11-05	विशाखापट्टनम-I
10	5-12-05 से 9-12-05	रांची
11	अगस्त, 2005	दिल्ली-I
12	17-10-2005 से 21-10-2005	पुणे-I

निरीक्षण रिपोर्टें अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित आयुक्तालयों को भेजी जाती हैं । रांची, विशाखापट्टनम और पुणे के संबंध में निरीक्षण रिपोर्टें को तैयार किया जा रहा है / अंतिम रूप दिया जा रहा है और इन्हें शीघ्र ही भेज दिया जाएगा ।

निदेशालय द्वारा अध्ययन और रिपोर्टें

डीजीआईसीसीई 93 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों से प्राप्त मासिक तकनीकी रिपोर्टों का संकलन करता है और आगे की कार्रवाई के लिए विश्लेषण के साथ उन्हें बोर्ड के पास भेजता है । रिपोर्टों में निम्नलिखित कार्य मदों पर सांख्यिकीय आंकड़ों सहित सूचना होती है;

1. राजस्व का बकाया
2. न्यायालय के मामले
3. अभियोजन के मामले
4. अधिनिर्णय
5. अनन्तिम मूल्यांकन
6. सी ई आर ए आपत्तियां
7. आंतरिक लेखा परीक्षा आपत्तियां
8. कॉल बुक मामले
9. वापसी
10. अपुष्ट मांगें

एक वर्ष से अधिक समय तक लम्बित मासिक अधिनिर्णय रिपोर्ट और एक करोड़ रूपए से अधिक के राजस्व मामलों को भी संकलित कर बोर्ड के पास भेजा जा रहा है ।

इस अवधि के दौरान तीन अध्ययन किए गए हैं और निष्कर्षों तथा सिफारिशों के साथ बोर्ड को रिपोर्टें सौंपी गईं । ये निम्न प्रकार हैं :-

1) शुल्क मुक्त सीमा शुल्क दुकान के लिए सिगरेटों की मंजूरी;
2) कराधान विधान संशोधन विधेयक, 2005 और बजट पूर्व अध्ययन तथा वस्तु मैनुअल;
3) रेंज अधिकारियों के कार्य एवं दायित्व (प्रक्रियाधीन-सौंपे जाने के लिए सम्भावित);
4) वस्तु मैनुअल पर रिपोर्टें

नेपाल और भूटान

डीजीआईसीसीई नेपाल और भूटान के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट से संबंधित कार्य देखता है । अपैल, 2005 से 15 दिसम्बर, 2005 तक 84.19 करोड़ रु की राशि के 33,687 बीजकों पर कार्यवाही की गई है । कुल मिलाकर वर्ष के दौरान 65,000 बीजकों पर कार्यवाही किऐ जाने की आशा है। महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा भूटान की यात्रा के बाद 50 करोड़ रुभूटान को वापस करने संबंधी कार्य को भी अंतिम रूप दिया गया ।

डीजीआईसीसीई के सीमा शुल्क विंग का कार्य-निष्पादन

निम्नलिखित को तैयार करना और सौंपना:-

(क) अखिल भारतीय आधार पर कार्य के विभिन्न मदों के संबंध में बोर्ड को सीमा शुल्क मासिक तकनीकी रिपोर्ट ।

(ख) एक करोड़ रु से अधिक की राशि वाले और एक वर्ष से अधिक समय वाले अधिनिर्णय मामलो पर रिपोर्ट ।

(ग) एटीए कार्नेट पर त्रैमासिक रिपोर्ट ।

निरीक्षण :-

निदेशालय मुख्यालय के सीमा शुल्क विंग द्वारा वर्ष 2005 के दौरान दिसम्बर, 2005 तक किए गए निरीक्षणों की सूची-

क्रम सं.	निरीक्षण की तिथियां	आयुक्तालय का नाम
1.	11.4.05 से 25.4.05	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, गुड़गावं
2.	25.7.05 से 5.8.05	कोलकाता सीमा शुल्क

3.	2.9.05 से 7.9.05	यू.ए.बी. सहित दिल्ली विमानपत्तन
4	19.9.05 से 23.9.05	एफ.पी.ओ.दिल्ली
5.	26.9.05 से 30.9.05	दिल्ली निर्यात
6.	3.10.05 से 7.10.05	अमृतसर आयुक्तालय
7.	17.10.05 से 21.10.05	चेन्नई (आयात)
8.	24.10.05 से 28.10.05	जोधपुर (पी)
9.	14.11.05 से 18.11.05	जयपुर (एयर कार्गो और विमान पत्तन)

डीजीआईसीसीई में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

निरीक्षण महानिदेशालय सीबीईसी का एक संबद्ध कार्यालय है । संविधान और राजभाषा नियमों की अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से कार्यालय में एक हिन्दी कोष्ठ का गठन किया गया है। जिसमें एक सहायक निदेशक (रा.भा.), एक वरिष्ठ अनुवादक और दो कनिष्ठ अनुवादक हैं । यह कोष्ठ डीजीआईसीसीई के मुख्यालय के कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में संलग्न है और यह मंत्रालय/बोर्ड और 155 संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों के बीच समन्वय के लिए भी मुख्य एजेंसी का काम करता है ।

हिन्दी कोष्ठ की निम्नलिखित मुख्य उपलब्धियां हैं :

* डीजीआईसीसीई के अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी के सभी अनुवाद कार्य जिसमें सामान्य आदेशों/ परिपत्रों और रिपोर्टों, आदि का अनुवाद शामिल है ।
* राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य के रूप में त्रैमासिक बैठक में शामिल होना तथा सीबीईसी के मुख्यालय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी की प्रगति की सूचना देना ।
* प्रत्येक तिमाही में डीजीआईसीसीई की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाई गई जिसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की स्थिति और वार्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों की समीक्षा की गई ।
* हिंदी में दैनिक कार्य करने का प्रशिक्षण देने के लिए दिनांक 14 से 15.12.05 तक एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।
* हिंदी टंकण / हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों/ सदस्यों को प्रायोजित किया गया ।
* हिंदी टिप्पण और प्रारूप को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यालय में भारत सरकार की नकद पुरस्कार स्कीम कार्यान्वित की जाती है और प्रत्येक वर्ष वार्षिक समारोह में नकद पुरस्कार वितरित किए जाते हैं ।
* कार्यालय में हिंदी दिवस / सप्ताह मनाया गया जिसके दौरान टिप्पण-प्रारूप, हिंदी निबंध, आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में विजेताओं को अंत में समापन समारोह में पुरस्कार और नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित पुरस्कार वितरण राजेन्द्र भवन, नई दिल्ली में किया गया ।
* डीजीआई कार्यालय राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित कार्यालय है और 3 अनुभागों स्थापना, लेखा और सीमा शुल्क अनुभाग को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है ।
* डीजीआईसीसीई के सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदी में प्रवीण हैं और वे वास्तव में अपना कार्य राजभाषा में करते हैं और हिंदी में उनके द्वारा किए गए कार्य की सूचना समय-समय पर सहायक निदेशक (रा.भा.) के माध्यम से एडीजी / डीजी को दी जाती है । हिंदी कार्य पर निरंतर निगरानी के परिणामस्वरूप संपूर्ण पत्राचार 79% तक पहुंच गया । हिंदी में 50% टिप्पण का लक्ष्य पूरा किया गया है । अधिकतर अनुभाग फाइलों में 50 प्रतिशत से अधिक टिप्पण हिंदी में कर रहे हैं ।
* निदेशालय को वित्त मंत्रालय से इस वर्ष राजभाषा शील्ड भी प्राप्त हुआ है।
* हिंदी कोष्ठ ने विभिन्न आयुक्तालयों और निदेशालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 2005 में 38 निरीक्षण किया है । 9 नियम पुस्तिकाएं हिंदी में प्रकाशित की गइनथ हैं और 3 नियम पुस्तिकाएं केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में अनुवाद प्रक्रिया के अधीन हैं ।

अनुबंध

उल्लेखित 3.1.8

पुनर्गठित संरचना के तहत केन्द्रीय उत्पाद शल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के संबद्ध /अधीनस्थ कार्यालय एवं संक्षिप्त में उनके कार्य

क्रम सं.	कार्यालय का नाम	कार्य
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय	(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अपवंचन के संबंध में आसूचना एकत्र करना, संकलित करना तथा उसका प्रसार करना; (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के लिए सुभेद्य वस्तुओं के मूल्य ढांचे, विपणन पद्धतियों तथा वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना; (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में आयकर आदि जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना; (घ) अंतर आयुक्तालय विस्तार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में जांच करना; और (ड.) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन की कार्य पद्धति के बारे में सलाह देना तथा खामियों को दूर करने की दृष्टि से उचित उपचारी उपायों, प्रक्रियाओं तथा प्रचलनों के संबंध में बोर्ड और आयुक्तालयों को सलाह देना ।
2.	आसूचना निदेशालय	(क) तस्करी के बारे में आसूचना का अध्ययन एवं इसका प्रसार करना; (ख) तस्करों के संगठित गिरोहों तथा तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों का पता लगाना, उनके विरुद्ध आसूचना एकत्र करना तथा उनकी गतिशीलता रोकना; (ग) आसूचना को एकत्र करने तथा अंतः आयुक्तालयों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले महत्वपूर्ण मामलों की गहराई से जांच करने के लिए भारत तथा विदेश में आसूचना तथा प्रवर्तन कार्यों में लगी एजेंसियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना; (घ) संदिग्ध व्यक्तियों तथा निषिद्ध माल को पकड़ने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क करना, तस्करी के सामयिक तथा संभावित तरीकों का अंदाजा लगाना; (ड) मंत्रालय को तस्करी रोधी उपायों से संबंधित सभी मामलों में परामर्श देना तथा कमियों को दूर करने की दृष्टि से कानूनों, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों को तैयार करना या इन्हें संशोधित करना; और (च) ऐसे अन्य सभी मामलों के बारे में कार्यवाही करना, जो मंत्रालय अथवा बोर्ड द्वारा निदेशालय को जांच के लिए सौंपे गए हों।
3.	निरीक्षण निदेशालय	(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के अपवंचन के संबंध में आसूचना एकत्र करना, संकलित करना तथा उसका प्रसार करना; (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के लिए सुभेद्य वस्तुओं के मूल्य ढांचे, विपणन पद्धतियों तथा वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करना;

	(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में आयकर आदि जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना; (घ) अंतर आयुक्तालय विस्तार वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के मामलों में जांच करना; और (ड.) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन की कार्य पद्धति के बारे में सलाह देना तथा खामियों को दूर करने की दृष्टि से उचित उपचारी उपायों, प्रक्रियाओं तथा प्रचलनों के संबंध में बोर्ड और आयुक्तालयों को सलाह देना ।	अध्ययन संबंधी योजनाएं और पाठयक्रम तैयार करके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को कार्यान्वित करना; और (ग) संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पड़ोसी देशों से सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिकारियों के अध्ययन दौरों की व्यवस्था करना ।
4. आवास और कल्याण निदेशालय	(क) बोर्ड, मंत्रालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को मॉनीटर करना और समन्वय स्थापित करना; (ख) परियोजना प्रस्ताव के निर्धारण में क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करना; (ग) समेकित एवं वास्तुकलात्मक आयोजना एवं भवन निर्माण डिजाइनों के मानकीकरण के संबंध में तकनीकी सहयोग देकर अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय कार्यालयों को सहयोग देना; (घ) लेखा एवं प्रलेखन प्रणाली के लिए प्रक्रियाएं बनाना; (ड) अतिक्रमित और परित्यक्त सम्पत्तियों की समस्याओं के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना; (च) भावी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के लिए आवास मैनुअलों को तैयार करना और उन्हें संकलित करना; (छ) क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के विषय में सूचित करते रहना; (ज) विभिन्न परियोजनाओं के संदर्भ में भवन निर्माण विज्ञान पर उनका मार्ग दर्शन लेने के लिए केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के साथ नियमित समन्वय सम्पर्क बनाए रखना और नियत समय सीमा में उच्च कोटि का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए हाउसिंग बोर्ड वास्तुकारों और भवन निर्माताओं के साथ सम्पर्क और समन्वय बनाना; (झ) बागवानी और अन्य पर्यावरणीय योजनाओं को अपना कर विभाग को पर्यावरण अनुकूल योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित करना; और (ञ) पुस्तकालय, अतिथि गृह, रिसार्ट/हालीडे होम्स,कांफ्रेस रुम, खेल का मैदान, गोदाम, गैराज आदि के निर्माण /अधिग्रहण संबंधी उपायों पर कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना ।	6. सतर्कता निदेशालय	(क) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता मामलों की मानीटरिंग करना; (ख) संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की उचित निगरानी रखना; और (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना निदेशालय और आयुक्तालयों की सतर्कता शाखाओं के साथ घनिष्ठ ताल-मेल रखना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सतर्कता और भ्रष्टाचार रोधी कार्यक्रम सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स कार्यालयों के सभी आयुक्तालयों में क्रियान्वित किए जाएं ।
5. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा नार्कोटिक्स राष्ट्रीय अकादमी	(क) सीधी भर्ती वाले अधिकारियों को प्रशिक्षण देने तथा विभागीय अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना; (ख) सीधी भर्ती वाले तथा विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण नीतियां तैयार करने में सहायता करना तथा	7. पद्धति निदेशालय	केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर हार्डवेयर अधिग्रहण करने, साफ्टवेअर का विकास और रख-रखाव, कार्मिकों का प्रशिक्षण और कम्प्यूटरीकरण संबंधी बजट व्यय मॉनीटर करने सहित सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं के सभी पहलुओं का ध्यान रखना ।
		8. डाटा प्रबंध निदेशालय	(i) अप्रत्यक्ष करों से राजस्व वसूली संबंधी डाटा और सांख्यिकी एकत्र करना और समेकित करना और मंत्रालय और बोर्ड को बजट अनुमानों के पूर्वानुमान में सलाह देना; और (ii) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित राजस्व, बकायों, अभिग्रहणों, अदालती मामलों आदि के संबंध में सांख्यिकीय बुलेटिनों और सांख्यिकीय वार्षिकी के संकलन हेतु आंकड़े एकत्र करना ।
		9. लेखा परीक्षा निदेशालय	(क) लेखा परीक्षा तकनीकों और प्रक्रियाओं के विकास और उनमें सुधार करने के विषय में निदेश देना; (ख) आवधिक समीक्षाओं द्वारा नई लेखा परीक्षा प्रणाली का प्रभावी और सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करना; (ग) बाह्य एजेंसियों और विभाग के अन्दर अन्य कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करना; (घ) कर अनुपालन में सुधार के लिए उपाय सुझाना; (ड.) लेखा परीक्षा मानकों और निर्धारिती संतुष्टि के स्तर का पता लगाना; (च) सही डाटा बेस विकसित करने के लिए नीति बनाना और साथ ही लेखा परीक्षा को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए लेखा परीक्षकों की कार्य कुशलता में वृद्धि करना; (छ) नीति निर्माण में बोर्ड को सहायता और सलाह देना और स्थानीय स्तरों पर लेखा परीक्षा की योजना, समन्वय और निरीक्षण

	में मार्गदर्शन करना तथा कार्यकारी निर्देश देना; (ज) संगत सूचना को एकत्र करना और उसका प्रसार करना; (झ) इ ए 2000 लेखा परीक्षा एवं संबंधित परियोजनाएं जैसे कि जोखिम प्रबंधन सी.ए.ए.पी.लेखा परीक्षा आदि को लागू करना।
10. रक्षोपाय निदेशालय	(क) भारत में किसी वस्तु के बढ़ते हुए आयातों के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति के खतरे की मौजूदगी की जांच करना; (ख) रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए वस्तु की पहचान करना; (ग) विनिर्दिष्ट देश से किसी वस्तु के बढ़े हुए आयातों के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को "गभीर क्षति" अथवा "गंभीर क्षति का खतरा" के संबंध में निष्कर्षों, अनन्तिम अथवा अन्यथा, को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना; (घ) सिफारिश करनाः (i) शुल्क की उस राशि के संबंध में, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को क्षति अथवा क्षति के खतरे को हटाने के लिए पर्याप्त हो। (ii) रक्षोपाय शुल्क लगाने की अवधि और जहां सिफारिश की गई अवधि एक वर्ष से अधिक हो वहां सकारात्मक समायोजना को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त उत्तरोत्तर उदारीकरण की सिफारिश करना। (iii) रक्षोपाय शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना ।
11. निर्यात संवर्द्धन निदेशालय	(क) वास्तविक निर्यातकों को पेश आ रही कठिनाईयों से निपटने के लिए निर्यात की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्यात संवर्द्धन कांउसिलों के साथ बातचीत करना; (ख) निर्यात से संबंधित संबद्ध एजेंसियों के साथ गहरे संबंध स्थापित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक निर्यातक बिना किसी कठिनाई के निर्यात योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें; (ग) मासिक और त्रैमासिक विवरणियों जैसे कि परित्यक्त शुल्क विवरण, प्रतिअदायगी की अदायगी संबंधी विवरण और त्रैमासिक प्रतिअदायगी भुगतान विवरण के जरिए क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्य-निष्पादन को मॉनीटर करना तथा इन सब की तुलना करना और उन्हें संकलित करना ताकि मंत्रालय नीति की समीक्षा कर सके; (घ) मौजूदा विधिक प्रावधानों/नियमों तथा प्रक्रियाओं की दक्षता की जांच संबंधी अध्ययन करना और किए जाने वाले परिवर्तनों के विषय में मंत्रालय को सुझाव, यदि कोई हो, देना; (ड.) संबंधित आयुक्तालयों द्वारा निर्धारित ब्रांड दरों की उत्तर लेखा परीक्षा करना और चयनित मामलों का स्वतन्त्र रुप से अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों की सहायता से भौतिक सत्यापन करना;
	(च) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अंतर्गत अनुमत शुल्क मुक्त आयातों के चयनित मामलों की उत्तर लेखा परीक्षा करना; और (छ) बोर्ड और अन्य संगत अनुभागों, जो कि शतप्रतिशत ई.ओ.यू/ई.पी.जेड.इकाइयों/ एस.ई.जेड इकाइयों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी पार्कों और रत्नों और आभूषणों के निर्यात से संबंधित योजनाओं का कार्य देखते हैं, के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करना ।
12. सेवा कर निदेशालय	(क) सेवा कर की वसूली और उसके निर्धारण पर निगरानी रखना; (ख) क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवा कर के कार्यान्वयन का अध्ययन करना और राजस्व वसूलियां बढ़ाने के उपायों का सुझाव देना; (ग) कानून और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना; (घ) डाटा बेस बनाना; और (ड.) आयुक्तालयों में सेवा कर प्रकोष्ठों का निरीक्षण करना ।
13. मूल्यांकन निदेशालय	(क) सीमा शुल्क मूल्यांकन के बारे में विश्व व्यापार संगठन करार को लागू करने और उस पर निगरानी रखने के कार्य में बोर्ड को सहायता और परामर्श देना; (ख) पूर्व उदाहरणों, प्रकाशित मूल्य सूचना अथवा अन्य प्रमाणिक स्रोतों से प्राप्त मूल्यों का उपयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक माल के संबंध में एक व्यापक मूल्यांकन डाटा बेस तैयार करना; (ग) अवमूल्यांकन का पता लगाने और उसकी रोकथाम करने और साथ ही निर्धारणों को शीघ्र अंतिम रुप देने के लिए आन लाइन पर देखने और दैनिक निर्धारण में सहायता देने के एक साधन के रुप में सभी सीमा शुल्क कार्यालयों को सतत आधार पर मूल्य सूचना प्रसारित करना; (घ) विभिन्न सीमा शुल्क कार्यालयों की मूल्यांकन पद्धतियों पर निगरानी रखना और महत्वपूर्ण एवं नयी मूल्य निर्धारण पद्धतियों के बारे में बोर्ड को सूचित करना और जहां कहीं आवश्यकता हो वहां सुधारात्मक नीति तथा अन्य उपाय सुझाना; (ड.) अन्य सीमा शुल्क प्रशासनों के मूल्यांकन निदेशालय और विदेश में तैनात सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ संपर्क बनाना; और (च) संवदेनशील वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रवृत्तियों और ट्रांस-नेशनल नियमों (उदाहरण के लिए अंतरण संबंधी मूल्य निर्धारण) और विदेशी सहयोग से चल रहे भारतीय उद्यमों की मूल्य निर्धारण पद्धतियों का अध्ययन करना और सुनियोजित अव-मूल्यांकन और मूल्यांकन संबंधी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए पद्धति विकसित करने में सहायता देना; (छ) यह निश्चय करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण करना कि मूल्यांकन निदेशालय द्वारा विकसित किए गए मूल्यांकन

	प्रतिमानों को संपूर्ण देश में एक समान रुप से लागू किया जा रहा है ।
14. प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय	(क) सांविधिक और विभागीय मैन्युअलों को तैयार, संशोधित और प्रकाशित करना; (ख) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के तकनीकी और प्रशासनिक मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशों को समेकित करना; (ग) अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालयों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन करना; (घ) शुद्धि सूचियों, आदि के जरिए सभी विभागीय मैन्युअलों को अद्यतन बनाना; और (ड.) विवरणिकाओं, पोस्टरों, होर्डिंगों, रेडियो, टेलीविजन और प्रेस मीडिया के जरिए अप्रत्यक्ष करों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रचार करना ।
15. संगठन और कार्मिक प्रबंध निदेशालय	सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नारकोटिक्स कार्यालयों के लिए जन शक्ति संबंधी योजना सहित प्रबंध सेवाओं के अलावा पद्धति अध्ययन, कार्य प्रमापन और स्टाफ रखने से संबंधित कार्यों को देखना ।
16. संभार तंत्र निदेशालय	(क) आयुक्तालयों और सुगम्य क्षेत्रों में तस्करी रोधी कार्य के लिए तैनात किए गए कर्मचारियों की कारगरता की जांच करना, निर्धारण करना और मूल्यांकन करना; (ख) विभिन्न आयुक्तालयों में न्यायनिर्णयन, अभियोजन तथा मुखबिरों तथा अधिकारियों को इनाम देने संबंधी मामलों में प्रगति पर नजर रखना, समन्वय करना और मूल्यांकन करना तथा अभियोजन संबंधी मामलों में जब्तशुदा माल के निपटान की प्रगति पर नजर रखना; (ग) विभिन्न आयुक्तालयों में तस्करी रोधी कार्य के लिए अपेक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, उपस्करों, वाहनों, जलयानों, संचार तथा अन्य स्रोतों की आवश्यकता का मूल्यांकन करना, उनकी प्रचालनात्मक कार्यकुशलता का अंदाजा लगाना; और
17. विधिक कार्य निदेशालय	(क) बोर्ड के विधिक और न्यायिक कार्य को मॉनीटर करने के लिए नोडल एजेंसी के रुप में कार्य करना; (ख) ट्रिब्यूनल की विभिन्न पीठों द्वारा निर्णित सभी मामलों का डाटा बेस तैयार करना और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से मामलों को मॉनीटर करना कि क्षेत्रीय कार्यालय केवल पात्र मामलों में ही अपील दायर करने की सिफारिश करें ना कि उन मामलों में जिनमें पहले ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और इसे विभाग द्वारा स्वीकार किया जा चुका है; (ग) यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ट्रिब्यूनल के सभी आदेशों की जांच की जाती है और जहां कही आवश्यक हो वहां अपील दायर करने के लिए समयबद्ध प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जाता है और आदेश की स्वीकृति से संबंधित रिपोर्ट मुख्य आयुक्त को भेजी जाती है; (घ) विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों, जिन्हें विभाग द्वारा अंततः स्वीकार कर लिया गया है, और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के विषय में क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित करना ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहले से ही निपटाये गये मामलों पर अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सके; (ड.) विभिन्न उच्च न्यायालयों में पड़े अनिर्णित मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करना। अपीलीय/प्रतिवादी आयुक्त उच्च न्यायालय मामलों से संबंधित डाटा बेस तैयार करने और उसे अद्यतन करने में निदेशालय को सहयोग करेंगे । (च) क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीड बैक के आधार विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए स्थायी काउंसिलों/पैनल काउंसिलों के पैनल तैयार करना। तथापि, निदेशालय की भूमिका सिफारिश करने तक ही सीमित होगी तथा पैनल के अनुमोदन/स्थायी काउंसिलों की नियुक्त के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रालय का ही होगा । (छ) प्रतिष्ठित वकीलों का अनुमोदित पैनल बनाना जोकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों और प्रशासनिक मामलों की पूरी जानकारी रखते हों, जो सरकार के नियमित पैनल में न भी हों परन्तु उन्हें महत्वपूर्ण मामलों के निपटान के लिए विभाग द्वारा रखा जा सकता है।
18. मुख्य विभागीय प्रतिनिधि का कार्यालय (सीडीआर)	(क) ट्रिब्यूनल रजिस्ट्री से मामलों की कारण सूची प्राप्त करना और विभागीय प्रतिनिधियों के बीच केस फाइल वितरित करना; (ख) सीस्टेट की पीठों के समक्ष सभी सूचीबद्ध मामलों में विभागीय प्रतिनिधियों के प्रभावी प्रतिनिधित्व को मॉनीटर करना; (ग) संबंधित आयुक्तालयों से समन्वय करना और प्रति आपत्ति, स्पष्टीकरण और पुष्टिकरण करना; (घ) अध्यक्ष, सीस्टेट के साथ समन्वय स्थापित करना; और (ड.) विभागीय प्रतिनिधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना और सी.डी.आर कार्यालय, जिसमें उसके मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं, से संबंधित प्रशासनिक मामलों को देखना ।
19. केन्द्रीय राजस्व रासायनिक प्रयोगशाला	माल के नमूनों का विश्लेषण करना तथा विभिन्न प्रकार के माल की प्रकृति, विशिष्टताओं और संगठन के संबंध में बोर्ड तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों को तकनीकी परामर्श देना ।

4. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

4.1 संगठन और कार्य

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर संरचना में शीर्ष निकाय है । इसमें 59729 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कार्यबल है जिसमें से लगभग 16.89% समूह "क" और "ख" के राजपत्रित अधिकारी और शेष समूह "ग" और "घ" के अराजपत्रित कर्मचारी हैं ।

बोर्ड में निम्नलिखित संबंद्ध कार्यालय हैं :-

(i) आयकर निदेशालय (गवेषणा, सांख्यिकी, प्रकाशन एवं जन सम्पर्क)

(ii) आयकर निदेशालय (वसूली)

(iii) आयकर निदेशालय (लेखा परीक्षा)

(iv) आयकर निदेशालय (आयकर)

(v) आयकर निदेशालय (संगठन और प्रबंधन सेवाएं)

(vi) आयकर निदेशालय (पद्धति)

(vii) आयकर निदेशालय (जाँच)

(viii) आयकर निदेशालय (सतर्कता)

(ix) आयकर निदेशालय (छूट)

(x) आयकर निदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान)

(xi) आयकर निदेशालय (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)

(xii) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)

सम्पूर्ण देश में तैनात मुख्य आयकर आयुक्त क्षेत्रीय स्तरों पर प्रत्यक्ष करों के निर्धारण एवं वसूली के प्रभारी हैं । इसके अतिरिक्त आयकर महानिदेशक (जांच) के पास क्षेत्रीय आधार पर जांच तंत्र का संपूर्ण प्रभार है जिसका उद्देश्य कर-अपवंचन की रोकथाम करना और लेखा बाह्य रकम को बाहर निकालना है। मुख्य आयकर आयुक्तों / आयकर महानिदेशकों की सहायता उनके क्षेत्राधिकार में आयकर आयुक्तों / आयकर निदेशकों के द्वारा की जाती है । इसमें प्रथम अपीलीय तंत्र भी है जिसमें कर निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटान के कार्य को निष्पन्न करने के लिए आयकर आयुक्त (अपील) शामिल है ।

आयकर विभाग में व्यापक सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापक कम्प्यूटरीकरण एवं उसे शामिल करने संबंधी कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है । इस प्रक्रिया से संभावित लाभ, करदाताओं की मैत्रीपूर्ण व्यवस्था, अत्यधिक विस्तृत कर आधार, बेहतर पर्यवेक्षण, और सबसे बढ़कर सरकार के लिए अधिक राजस्व का संग्रहण है।

4.2 सम्मेलन

मुख्य आयकर आयुक्तों एवं आयकर महानिदेशकों का 21वाँ सम्मेलन दिनांक 6 एवं 7 जुलाई, 2005 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था । केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में, अधिकारियों पर ज़ोर दिया कि वे आयकर विभाग के दीर्घकालीन दृष्टिकोण का ध्यान रखें । उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि अन्य विकसित देशों की तरह प्रत्यक्ष कर व्यापक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहे हैं तथा ये भारत सरकार के राजस्व में प्रमुख रूप से योगदान करेंगे । अतः आयकर विभाग को इस चुनौती तथा दायित्व का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

4.3 प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति

करदाताओं तथा आयकर अधिकारियों के बीच आपसी सामंजस्य को प्रोत्साहित करने एवं प्रत्यक्ष करों से संबंधित सामान्य प्रकृति की कठिनाइयों को दूर करने संबंधी उपायों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से दिल्ली में एक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति (सी डी टी ए सी) तथा महत्वपूर्ण केन्द्रों पर 61 क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियाँ हैं । व्यापार एवं व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधि भी इन समितियों के लिए नामित किए जाते हैं । इन समितियों का कार्यकाल इनके गठन की तारीख से दो वर्ष का होता है ।

केन्द्रीय वित्त मंत्री केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति का अध्यक्ष होते हैं । सचिव (राजस्व), अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा सदस्य (राजस्व एवं कर आधार का विस्तार) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसके सरकारी सदस्य होते हैं । इसके गैर-सरकारी सदस्यों में चार संसद सदस्य : प्रत्येक सदन से दो तथा फिक्की, एसोचैम इत्यादि जैसे वाणिज्य एवं उद्योग के प्रतिनिधि, अधिवक्ता तथा अन्य व्यावसायिक व्यक्ति हाते हैं ।

4.4 राजस्व (वसूली)

1. वित्त वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 और 2005-06 के दौरान बजट अनुमान और प्रत्यक्ष करों की वास्तविक वसूली दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

	2003-2004		2004-2005		2005-2006		
	बजट अनुमान	वसूली 2003-04	बजट अनुमान	वसूली 2004-05	नवम्बर 2004 तक वसूली	बजट अनुमान	नवम्बर, 2005 तक वसूली (अनंतिम)
निगम कर	51499	63562	88,436	83,581	31,741	1,10573	39,437
आयकर	44070	41386	50,929	47,514	25,057	66,239	31,798
अन्य कर	145	140	145	823	197	265	228
योग	95714	105088	1,39,510	1,31,918	56,994	1,77,077	71,646

टिप्पणी : *वर्ष 2005-06 के व्यक्तिगत आयकर वसूलियों में अनुषंगी लाभकर, प्रतिभूति संव्यवहार कर तथा बैंककारी नकदी संव्यवहार कर शामिल हैं ।*

गत वर्ष की तदनुरुपी अवधि में 56,944 करोड़ रुपये की वसूली की तुलना में नवम्बर, 2005 तक निगम कर एवं व्यक्तिगत आयकर की कुल वसूली 71,464 करोड़ रुपये की है। नवम्बर, 2005 तक निगम कर की वसूली में 24.25% की वृद्धि दर्ज की गई है और नवम्बर, 2005 तक व्यक्तिगत आयकर की वसूली में गत वर्ष की वसूली की तुलना में 26.9% की वृद्धि दर्ज की गई है । प्रत्यक्ष कर वसूलियों की समग्र वृद्धि 25.39% है ।

4.5 कर अपवंचन पर रोकथाम करने के निमित्त उपाय :

सरकार, कर अपवंचन तथा लेखा बाह्य धन के संचयन को रोकने के लिए सतत प्रयास कर रही है । इस उद्देश्य के अनुसरण में, सुव्यवस्थित सर्वेक्षण कार्यवाही, समुचित मामलों में तलाशी केन्द्रीय सूचना शाखाओं द्वारा सूचना का चरणबद्ध ढंग से सत्यापन एवं अनेक चुनिंदा मामलों की संवीक्षा का कार्य सतत आधार पर किया जाता है ।

उपर्युक्त कार्य को करने के लिए जांच स्कंध की क्षेत्रीय इकाइयाँ 14 आयकर महानिदेशकों की अध्यक्षता में कार्य करती हैं, जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, अहमदाबाद, लखनऊ, बंगलौर, हैदराबाद, कोचीन, पुणे, जयपुर, पटना, चंडीगढ़ और भोपाल में स्थित हैं । उनके कार्यों में मामलों की जाँच एवं वित्तीय लेन देनों से संबंधित सूचना का सत्यापन करना शामिल है । देश के विभिन्न भागों में स्थित आयकर निदेशकों (जाँच) तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा उनकी सहायता की जाती है । तीन मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्रीय) हैं जिनमें से दो मुम्बई में तैनात हैं तथा एक दिल्ली में ।

गत तीन वित्त वर्षों के दौरान की गई तलाशियों में प्राप्त परिणामों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है :

तलाशियों के परिणाम

वित्त वर्ष	वारंटों की संख्या	जब्त की गई संपत्ति का मूल्य
2002-2003	4902	515.87
2003-2004	2492	231.37
2004-2005	2377	202.28
2005-2006* (30.11.2005 तक)	1559*	195.49*

प्रत्यक्ष कर कानूनों के अंतर्गत अपराधों के संबंध में अभियोजन की व्यवस्था की गई है । अपराधों के शमन के लिए भी प्रावधान है जिनके लिए अभियोजन चलाया गया/चलाए जाने की संभावना है ।

गत तीन वित्त वर्षों के दौरान अभियोजन से संबंधित आंकड़े निम्नवत हैं:

वित्त वर्ष	शुरु की गई अभियोजन कार्यवाही	निर्णीत कार्यवाहियों की संख्या	कार्यवाहियों की सख्या जिनमें दोष सिद्ध किया गया	अपशमित कार्यवाहियों की संख्या	दोषमुक्त कार्यवाहियों की संख्या
2002-2003	102	433	18	11	404
2003-2004	37	115	12	55	48
2004-2005	103	350	1	262	87
2005-2006*	**255**	**34**	**1**	**4**	**29**
(30.11.2005 तक)					

* *आंकड़े अनंतिम हैं।*

4.6 कर आधार को व्यापक बनाना

गत सात वर्षों के दौरान कर-निर्धारितियों की संख्या

क्रमांक	वित्त वर्ष	वित्त वर्ष के 31 मार्च को कर-निर्धारितियों की कुल संख्या *(लाख में)*
1.	1998-1999	186.11
2.	1999-2000	214.29
3.	2000-2001	247.37
4.	2001-2002	283.75
5.	2002-2003	300.19
6.	2003-2004	301.78
7.	2004-2005	308.08

कर आधार को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से वित्त अधिनियम, 2005 में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(क) धारा 139 का संशोधन किया गया है ताकि फर्मों द्वारा विवरणियों को दाखिल किया जाना अनिवार्य बनाया जा सके चाहे उन्हें आय हुई हो अथवा क्षति ।

(ख) उन मामलों में विवरणियों को अनिवार्य रूप से दाखिल करने का प्रावधान किया जा सके जहाँ अध्याय VI-क के अंतर्गत कटौतियों एवं धारा 10 क, 10 ख, अथवा 10 ख क के अंतर्गत छूट की अनुमति देने के पश्चात् सकल कुल आय कर प्रभार्य न होने वाली अधिकतम आय से अधिक है ।

(ग) किसी पूर्व वर्ष में विद्युत के उपभोग पर 50,000/-रूपए से अधिक के व्यय को छः में से एक स्कीम के अंतर्गत विवरण दाखिल करने के लिए एक मानदंड के रूप में शामिल किया जा सके । सेल्युलर फोन की ग्राहकी को छः में से एक स्कीम के अंतर्गत विवरणी दाखिल करने के मानदंड से अलग रखा गया है ।

मूल्यांकन प्रकोष्ठ

मूल्यांकन प्रकोष्ठ : मूल्यांकन प्रकोष्ठों को निम्नलिखित के संबंध में सांविधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं :-

(i) आयकर अधिनियम के अंतर्गत कर निर्धारण के निमित्त निर्माण की लागत का निर्धारण।

(ii) उन जब्त संपत्तियों का उचित बाज़ार मूल्य निर्धारित करना जिनकी कर बकायों की वसूली के लिए नीलामी की गई है ।

1 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार मूल्यांकन प्रकोष्ठ में 746 मामले लंबित थे । वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 864 मामले प्राप्त किए गए थे तथा 31 दिसम्बर, 2005 तक 804 मामले निपटाए गए थे ।

अन्य करों की वसूली को दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े करोड़ रुपए में)

कर की प्रकृति	2003-04 वसूली	2004-05 वसूली	2005-06 नवम्बर, 2005 तक वसूली
धन कर	136.61	143.88	195.88
उपहार कर	0.85	1.98	2.79
व्यय कर	49.51	37.00	11.21
प्रतिभूति संव्यवहार कर		589.60	1520.23

4.7 कर-निर्धारणों का निपटान और धनवापसी के दावे

गत कुछेक वर्षों के दौरान निर्धारणों का कार्यभार और उनका निपटान निम्नानुसार है :-

निर्धारण वर्ष	निपटान के लिए निर्धारण (लाखों में)	निपटान (लाखों में)
1998-1999	184.30	85.54
1999-2000	274.02	143.60
2000-2001	314.06	188.59
2001-2002	367.26	201.27
2002-2003	380.16	348.25
2003-2004	273.67	215.78
2004-2005	267.37	207.09

धनराशि वापसियों के दावों का शीघ्र निपटान किया जा रहा है। गत कुछेक वर्षों के आकड़ों से यह सिद्ध होगा :-

वित्त वर्ष	दावों की संख्या	निपटान
1998-1999	204318	107600
1999-2000	470013	315583
2000-2001	433409	300397
2001-2002	492468	175883
2002-2003	735155	515427
2003-2004	446990	323375
2004-2005	404477	303747

गत कुछेक वर्षों में अपीलीय और नज़रसानी आदेशों और उनके निपटान की संख्या निम्नवत् है :-

वित्त वर्ष	अपीलीय और नज़रसानी आदेशों की संख्या	निपटान
1998-1999	43852	40072
1999-2000	46082	42120
2000-2001	43668	40412
2001-2002	30744	26712
2002-2003	68501	43520
2003-2004	49085	46386
2004-2005	52705	48043

बोर्ड ने कर-निर्धारणों को शीघ्र पूरा करने और धनवापसी के दावों को तत्काल निपटाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे और इन मामलों में विलम्ब को समाप्त करने के निमित्त कारगार उपाय करने की आवश्यकता हेतु मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त पर सतत रुप से दबाव डालता रहा है। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसी धनवापसियों के मूल्य का ध्यान किये बिना सभी धनवापसियां इसके निर्धारण की तारीख से 15 दिन के भीतर पंजीकृत रसीदी डाक सहित प्रेषित की जानी चाहिए ।

4.8 धनवापसी के दावों को दाखिल करने में विलम्ब को माफ करना - धनवापसी के दावे कर-निर्धारण वर्षों, जिससे दावा संबंधित है, की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर दाखिल किये जाने अपेक्षित होते हैं । बोर्ड ने आयकर अधिनियम की धारा 119(2) (ख) के अन्तर्गत विलम्ब को माफ करने का अधिकार दिया है यदि वह किसी मामले में वास्तविक कठिनाई को दूर करने के लिए वाछंनीय अथवा समीचीन समझता है । गत कुछेक वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदन पत्रों की संख्या नीचे दी गई है :-

वित्त वर्ष	दावों की संख्या	निपटान
1998-1999	106	87
1999-2000	517	290
2000-2001	389	256
2001-2002	363	59
2002-2003	404	195
2003-2004	139	440
2004-2005	164	33
2005-2006 (दिसंबर, 2005 तक)*	63	08

4.9 प्रशासन और आयकर अधिनियम,1961 की विनिर्दिष्ट धाराओं की व्याख्या

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में आयकर निर्धारण-I को आयकर अधिनियम, 1961 की विनिर्दिष्ट धाराओं के प्रशासन एवं व्याख्या का कार्य सौंपा गया है । इनमें से प्रमुख कार्य आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अंतर्गत परिभाषाओं, छूटों, वेतन, गृह-संपत्ति से आय तथा अध्याय VI क के अंतर्गत कटौतियों, छूटों एवं राहतों के संबंध में हैं । इसे विभिन्न आयकर प्राधिकारियों के लिए क्षेत्राधिकार के निर्धारण, नए आयकर कार्यालयों को खोलने तथा मामलों के हस्तांतरण का दायित्व भी सौंपा गया है । इसके अतिरिक्त, यह देश में आयकर विभाग की विद्यमानता में वृद्धि करने के लिए सदैव बढ़ रही माँग की देखभाल करता है तथा आयकर अधिनियम, 1961 के विभिन्न प्रावधानों के इस्तेमाल के माध्यम से देश के सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों की कारगर उपलब्धि को भी देखता है।

1. धर्मार्थ और अन्य संस्थाओं/कोषों/संगठनों की अधिसूचना

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड धारा 10(23 ग) के अंतर्गत विभिन्न धर्मार्थ, धार्मिक, शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थाओं को अधिसूचित करता है ताकि विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये गये समाज कल्याण और कल्याणकारी कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा सके । 01.01.05 से 31.12.05 की अवधि के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23 ग),(iv), (v), (vi) ,(viक) के अंतर्गत कुल 62 अधिसूचनाएं/आदेश जारी किये गये थे ।

2. खेलों को प्रोत्साहन

01.01.05 से 31.12.05 की अवधि के दौरान आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत कुल 3 अधिसूचनाएं जारी की गई ।

3. नागर विमानन क्षेत्र का संवर्धन

नागर विमानन क्षेत्र को बढावा देने के उद्देश्य से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10(15क) के अनुसार प्रतिबंधों के अध्यधीन विदेशी सरकार अथवा किसी विदेशी उद्यम से पट्टे पर एयरक्राफ्ट लेने के लिए किये गये किसी भुगतान के संबंध में छूट प्रदान करता है । 01.01.05 से 31.12.05 की अवधि के दौरान पट्टे पर एयर क्राफ्ट प्राप्त करने के लिए कुल सत्रह अनुमोदन किए गए थे ।

4 व्यष्टि उपलब्धियों को प्रोत्साहन

आयकर अधिनियम,1961 की धारा 10(17क) में किये गये किसी भुगतान, चाहे वह पुरस्कार के रुप में नगदी अथवा वस्तु के रुप में हो परन्तु उक्त पुरस्कार सार्वजनिक हित में संस्थापित किये गये हों और उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, के संबंध में छूट का प्रावधान किया गया है । 01.01.05 से 31.12.05 की अवधि के दौरान कुल 5 पुरस्कारों में अनुमोदन प्रदान किया गया था ।

5 सरकारी प्रतिभूतियों/ लाभांशों पर ब्याज की कटौती

धारा 80ठ कतिपय प्रतिभूतियों, लाभांशों पर ब्याज के संबंध में कटौतियों पर कार्रवाई करती है; धारा 80 झ क कुछेक मामलों में औद्योगिक उपक्रमों आदि से प्राप्त लाभ एवं अनुलाभों के बारे में कटौतियों पर कार्रवाई करती है; और धारा 10(15)(xvi)(ज) कतिपय प्रतिभूतियों (कर मुक्त) के ब्याज पर छूट से संबंधित है । इन धाराओं के अंतर्गत कुल 18 अधिसूचनाएं जारी की गई थीं।

6 नए आयकर कार्यालय खोलना - 01.01.05 से 31.12.05 की अवधि के दौरान, नए आयकर कार्यालय खोलने संबंधी प्रस्ताव को अन्तिम रुप दिया गया है तथा दो मामलों में आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया है ।

7 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 120(1)(2) के अंतर्गत मुख्य आयकर आयुक्तों/आयुक्तों के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना :

आयकर विभाग का वर्ष 2001 में पुनर्गठन किया गया है ताकि उदारीकरण के पश्चात् युग की चुनौतियों का सामना किया जा सके । चूँकि क्षेत्राधिकार प्रदान करना आयकर निर्धारण-I अनुभाग का कार्य क्षेत्र है इसलिए मुख्य आयुक्तों / आयकर महानिदेशकों / आयुक्तों तथा आयकर निदेशकों के विभिन्न स्तर के अधिकारियों के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित करते हुए आदेश जारी किए गए । 1.1.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान 13 अधिसूचनाएं जारी की गईं ।

8. सितम्बर, 2005 से धारा 10 (23 छ) (वर्णमाला आर ज़ैड) के अंतर्गत आदेश

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 छ) लाभांशों, ब्याज अथवा अवसंरचनात्मक विकास के कारोबार में लगे किसी उद्यम / उपक्रम में निवेश से प्राप्त दीर्घकालिक पूँजीगत अभिलाभ से संबंधित हैं । 1.1.2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान 4 आदेश जारी किए गए ।

9. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 छ (2)(ख) के अंतर्गत अधिसूचना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 छ (2) (ख) के अंतर्गत भारत भर में प्रसिद्ध मंदिरों को किए गए दान के लिए दानकर्ता को कटौती उपलब्ध है । इस धारा के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की गई है ।

4.10 अपीलें :

अपीलें दायर करने के लिए उच्च आर्थिक सीमा निर्धारित की गई है जिसके फरस्वरूप वित्त वर्ष 2003-04 तथा वित्त वर्ष 2005 के दौरान आयकर विभाग द्वारा दायर की गई अपीलों में काफी कमी आई जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

	वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान	वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान
आयकर अपीलीय अधिकरण	29582	33440
उच्च न्यायालय	5998	4320
उच्चतम न्यायालय	237	392

4.11 विधान

वित्त अधिनियम, 2005

- आयकर दाताओं पर कर के बोझ में उल्लेखनीय रूप से कमी लाने के लिए बुनियादी छूट सीमा बढ़ाकर 1 लाख रू., महिलाओं के लिए 1.35 लाख रू. तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.85 लाख रू. की गई है। इसके अलावा कराधान के लिए आय के स्लैब को निम्नवत विस्तारित किया गया है :-

1 लाख रू. से 1.50 लाख रू.	10%
1.50 लाख रू. से 2.50 लाख रू.	20%
50 लाख रू. से अधिक	30%

अगर आय 10 लाख रू. से अधिक होगी तो व्यक्तियों, अविभाजित हिंदू परिवारों, व्यक्ति संघों तथा व्यष्टि निकायों के मामले में 10% की दर से अधिभार लिया जाएगा ।

अधिक छूट सीमा तथा विस्तृत कर स्लैब को ध्यान में रखकर वेतन आय के विरूद्ध मानक कटौती वापस ले ली गई है ।

- घरेलू कंपनियों के लिए निगम कर की दर 35% से घटाकर 30% की गई है ताकि पूँजी की एक्स -एंटी लागत घटे तथा आधुनिकीकरण एवं विस्तार के लिए अधिक आंतरिक उद्भूत उपलब्ध हो । इसके अलावा फर्मों के लिए कर की दर 35% से घटाकर 30% की गइ है । घरेलू कंपनियों और फर्मों पर 10% की दर से अधिभार लगाया गया है ।

- वित्तीय बचतों पर कराधान के संबंध में समान बर्ताव के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

  * धारा 88, 88 ख और 88 ग के तहत सभी मौजूदा छूटों को वापस ले लिया गया है ।

  * यह प्रावधान किया गया है कि धारा 88 के तहत छूट के लिए अब तक पात्र वित्तीय संस्थाओं में निवेश अब 1 लाख रू. की समग्र सीमा के साथ् नई धारा 80 ग के तहत आय से कटौती के लिए पात्र होगा । इसके अलावा मकान ऋण की अदायगी, शिक्षण शुल्क, भविष्य निधि अंशदान भुगतान आदि पर सेक्टर संबंधी सीमा हटा ली गई है ।

- धारा 80 ठ के तहत कतिपय प्रतिभूतियों आदि पर ब्याज के संबंध में प्रदत्त कटौती वापस ले ली गई है ।

- नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदत्त या प्रदत्त समझी गई सुविधाओं, विशेषाधिकारों अथवा सुविधाओं पर कर लगाने के लिए अनुषंगी लाभ कर ऐसे अनुषंगी लाभों के मूल्य पर 30% की दर से लगेगा जिनका भुगतान नियोक्ता करेगा ।

- कराधार को व्यापार बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(क) फर्मों, चाहे उन्हें आय हो या हानि, द्वारा विवरणी भरना अनिवार्य बनाने के लिए धारा 139 को संशोधित किया गया है ।

(ख) जहाँ सकल कुल आय अध्याय VI-क के तहत कटौती तथा धारा 10 क, 10 अथवा 10ख क के तहत छूट प्रदान करने के पहले अधिकतम गैर कराधेय से अधिक होगी वहाँ भी विवरणी भरना अनिवार्य किया गया है ।

(ग) 6 में से 1 योजना के तहत किसी पूर्ववर्ती वर्ष में विद्युत उपभोग पर 50,000 रू. से अधिक व्यय को विवरणी दायर करने के लिए एक मापदंड के रूप में शामिल किया गया है । 6 में से 1 योजना के तहत सेल्यूलर फोन की ग्राहकी को विवरणी दायर करने की कसौटी से बाहर कर दिया गया है ।

- उच्चतर अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए धारा 80 ड. में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतर अध्ययन के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की समूची राशि आठ वर्षों के लिए कटौती के रूप में अनुमत होगी ।

- जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए धारा 80 झ ख (4) के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजनार्थ जम्मू-कश्मीर में उद्योग लगाने की समय सीमा बढ़ाकर 31.3.2007 कर दी गई है ।

- यौक्तिकरण और सरलीकरण के निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(क) यह प्रावधान किया गया है कि धारा 115 ञ ख के तहत संदत्त एम ए टी के लिए क्रेडिट परवर्ती वर्षों में उत्पन्न होने वाली कर देयता के विरूद्ध प्रदान की जाएगी ।

(ख) धारा 10 के खंड (4) के उप खंड (ii) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान हो सके कि अनिवासी (विदेशी) खाता पर ब्याज पर छूट जारी रहे ।

(ग) धारा 10 के खंड 15 के उप खंड (IV) को इस बात का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि वेदेशी मुद्रा निक्षेप पर ब्याज को कर से छूट जारी रहे ।

(घ) 1.4.2006 से पूर्व किए गए पट्टा करार के लिए एयरक्राफ्ट अथवा एयरक्राफ्ट इंजन अधिगृहीत करते समय संदत्त पट्टा किराए पर छूट को चालू करना।

(ड.) धारा 115क को इस बात का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि 1.6.2005 को या इससे पहले किए गए करार के संबंध में अनिवासी के मामले में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस और रायल्टी के रूप में आय पर 10% की दर से कर लगेगा ।

(च) धारा 80 झ क को इस बात का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत गठित किए गए तथा किसी अवसंरचनात्मक सुविधा का प्रावधान, विकास और अनुरक्षण करने वाले प्राधिकरण उक्त धारा के तहत 10 वर्ष की अवधि के लिए लाभ पर 100% छूट पाने के लिए पात्र होंगे ।

(छ) कमतीकृत कर दरों, पूँजीगत माल की कीमत में कम मुद्रास्फीति, परिवर्धित आंतरिक उद्भूतों आदि को ध्यान में रखकर मूल्यह्रास की दरों को तर्कसंगत बनाया गया है । अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यह्रास की दर को घटाकर 15% किया गया है ।

(ज) 1.4.2005 के बाद अधिग्रहीत नए संयंत्र एवं मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यह्रास बढ़ाकर 20% किया गया है ।

(झ) धारा 35 घ घ क को इस बात का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन पर किसी नियोक्ता द्वारा भुगतान करने के वास्ते किया गया समूचा व्यय कटौती के रूप में अनुमत है, भले ही यह व्यय एक समयांतराल में किया गया हो।

(ञ) टन भार कर योजना के लिए अर्हक पोत की परिभाषा में लाने के लिए अपमर्जक ।

(ट) धारा 43 के खंड (5) को इस बात का प्रावधान करने के लिए संशोधित किया गया है कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अवकलजों में व्यापार को सट्टा कारोबार नहीं माना जाएगा ।

(ठ) टी डी एस/टी सी एस डीमैट प्रावधानों को एक वर्ष तक आस्थगित किया गया है तथा अब 1.4.2006 को अथवा इसके बाद काटे गए/संग्रहीत किए गए करों पर लागू होगा ।

(ड) लघु ट्रक प्रचालकों की कठिनाइयों का उपशमन करने के लिए धारा 194 क की उप धारा (3) को संशोधित करके अधिकतम दो ट्रकों के स्वामित्व वाले ट्रक प्रचालकों को टी डी एस से छूट प्रदान की गई है ।

* एक नई धारा 72 कक इस बात का प्रावधान करने के लिए अन्तःस्थापित की गई है कि अगर केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत योजना के अनुसरण में किसी बैंककारी कम्पनी का किसी बैंककारी संस्था के साथ समामेलन हो जाता है तो समामेलन करने वाली बैंककारी कम्पनी की संचित हानि और असमाहित मूल्यह्रास का समामेलित बैंककारी संस्था में अग्रेनेतीकरण अनुमत होगा ।

* यह प्रावधान किया गया है कि ज़ीरो कूपन बॉंड, जो स्टॉक इन ट्रेड न हो, के अन्तरण से आय को पूंजी अभिलाभ माना जाएगा ।

* अन्य व्यक्ति के मामले में तलाशी निर्धारण के लिए समय सीमा को तर्क संगत बनाने के लिए धारा 153 ख को संशोधित किया गया है । यह प्रावधान किया गया है कि अन्य व्यक्ति के मामले में पिछले वर्ष जिसमें धारा 132 के तहत तलाशी की जाती है अथवा धारा 132क के तहत मांग की जाती है, के लिए संगत निर्धारण वर्ष के पूर्ववर्ती छः वर्षों के संबंध में और पिछले वर्ष जिसमें तलाशी की जाती है अथवा धारा 132 क के तहत मांग की जाती है, के संबंध में कर निर्धारण के लिए समय सीमा वित्त वर्ष जिसमें धारा 132के तहत तलाशी के लिए अथवा धारा 132 क के तहत मांग के लिए प्राधिकार पत्र निष्पादित किया गया था, के अंत से दो वर्ष अथवा ऐसे व्यक्ति के ऊपर अधिकार क्षेत्र रखने वाले निर्धारण अधिकारी को जिस वित्तीय वर्ष में जब्त की गई लेखाबही, दस्तावेज या परिसम्पत्तियां अथवा मांग सौपी जाए उसके अंत से एक वर्ष होगी । इसके अलावा, इस बात का प्रावधान करने के लिए धारा 153ग की उपधारा (1) में एक नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया है कि ऐसे अन्य व्यक्ति के मामले में, धारा 153 क के दूसरे परन्तुक में धारा 132 के तहत तलाशी शुरू करने की तारीख का संदर्भ जब्त की गई लेखाबही या दस्तावेज या परिसम्पत्ति प्राप्त करने अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग भेजे जाने की तारीख के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा ।

* वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

  (क) 31.3.2007 तक ड्रग, जैव प्रौद्योगिकी, दूरसंचार उपकरण, कम्प्यूटर, भेषज के व्यवसाय में लगी कम्पनियों द्वारा अंतर्गृह अनुसंधान पर किए गए व्यय की 150% कटौती को अनुमत करने के लिए समय सीमा को बढ़ाते हुए धारा 35 (2कख) को संशोधित किया गया है।

  (ख) इस बात का प्रावधान करने के लिए धारा 80झख की उपधारा (8क) को संशोधित किया गया है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का कार्य करने वाली किसी कम्पनी के लिए 100% कटौती अनुमत होगी जहाँ ऐसी कम्पनी विहित प्राधिकरण द्वारा 1.4.2007 से पूर्व अनुमोदित होगी ।

* कर अपवंचन रोकने के लिए दो नए उपाय किए गए हैं :-

(क) निम्नलिखित मूल्य के कराधेय बैंककारी नकद लेन देन पर 0.1% की दर से बैंककारी नकद लेन देन कर के नाम से एक नई लेवी :

(i) किसी एकल दिवस को किसी अनुसूचित बैंक के किसी खाते (बचत खाता से भिन्न) से किसी व्यक्ति अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा 25000 रूपए और अन्य व्यक्तियों द्वारा 100000 रूपए से अधिक का नकद आहरण ।

(ii) किसी एकल दिवस को किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के नकदीकरण पर किसी व्यष्टि अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा 25000 रूपए और अन्य व्यष्टियों द्वारा 100000 रूपए से अधिक की प्राप्ति ।

(ख) 5000 रूपए से कम का ब्याज भुगतान किए जाने वाले निपेक्षों के संबंध में बैंकों, सहकारी समितियों और सार्वजनिक कम्पनियों (अधिमानतः भारत में भवन निमार्ण अथवा क्रय के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगी) द्वारा तिमाही विवरणियां प्रस्तुत करने का प्रावधान करने के लिए एक नई धारा 206क अन्तःस्थापित की गई है ।

अतिरिक्त संसाधनों को गति प्रदान करने के लिए, प्रतिभूति विनिमय कर की दर बढ़ कर निम्नानुसार 33.33% हो गई :-

1) एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में निष्पन्न एक कंपनी ने इक्विटी शेयर अथ्वा इक्विटी ओन्मुख कोष की एक इकाई के सुपुर्दगी आधारित लेन-देनों के मूल्य पर 0.1% की दर से जिसे क्रेता के द्वारा अदा किया जाना है ।

2) एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में निष्पन्न एक कंपनी ने इक्विटी शेयर अथवा इक्विटी ओन्मुख कोष की एक इकाई के सुपुर्दगी आधारित लेन-देनों के मूल्य पर 0.1% की दर से जिसे विक्रेता के द्वारा अदा किया जाना है।

3) एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में निष्पन्न एक कंपनी में इक्विटी शेयर अथवा इक्विटीओन्मुख कोष की एक इकाई के गैर-सुपुर्दगी आधारित लेन-देनों के मूल्य पर 0.02% की दर से जिसे कि विक्रेता के द्वारा अदा किया जाना है ।

4) एक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज भविष्य के लिए विकल्प होने के नाते डेरीवेटिव्स के लेन-देनों के मूल्य पर 0.0133% की दर पर,

5) एक इक्विटीओन्मुख कोष की म्युचुअल फंड को बिक्री के लेन-देनों के मूल्य पर 0.2% की दर से ।

बजट 2005-06 की घोषणाओं पर की गई कार्रवाई

(I) कराधान की ई ई टी प्रणाली की शुरूआत करने के लिए वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि इस संबंध में विचार करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी । इसके अनुसरण में एक ई ई टी समिति, दिनांक 5.8.2005 के आदेश के अंतर्गत गठित की गई थी । समिति ने दिनांक 28.11.2005 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था, जिस पर सरकार विचार कर रही है ।

(II) बजट भाषण के पैरा 177 में, वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सरकार से यह आपेक्षित है, वह ऐसी विशिष्ट योजनाएं लागू करे जिससे काला धन एवं परिसंपत्तियाँ उजागर हो सकें।

(क) निम्नलिखित कराधेय बैंकिंग लेन-देनों के मूल्य पर 0.1% की दर से एक नया उद्ग्रहण नामतः बैंककारी नगर संव्यवयहार कर लगाया गया हैः

(i) किसी व्यष्टि अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किसी एकल दिवस को किसी अनुसूचित बैंक के किसी खाते (बचत खाते से भिन्न) से 25,000रू. से अधिक का नकदी आहरण तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा 1,00,000रू.;

(ii) किसी एकल दिवस को किसी अनुसूचित बैंक में किसी व्यष्टि अथवा अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा 25,000 रू. से अधिक एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा 1,00,000 रू. की सावधि जमाराशियों के नकदीकरण पर नकदी की रसीद।

बैंककारी नकद संव्यवहार कर नियमावली को दिनांक 30.5.2005 की अधिसूचना का.आ.सं. 77 (अ) के तहत अधिसूचित किया गया है ।

(ख) एक नई धारा 206क अन्तःस्थापित की गई है ताकि, निक्षेपों जहाँ संदत्त किया गया ब्याज 5000रू. से कम है, के संबंध में बैंकों, सहकारी समितियों, तथ सार्वजनिक कंपनियों (भारत में भवन निर्माण के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के कारोबार में मुख्य रूप से व्यस्त) द्वारा तिमाही विवरणियाँ दायर करने का प्रावधान किया जा सके ।

सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 के अंतर्गत स्रोत पर कर की कटौती ना करने की तिमाही विवरणी दायर करने के निमित्त दिनांक 28.6.2005 की अधिसूचना क.आ.सं. 896 (अ) जारी किया है ।

वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार संशोधित तथा सरलीकृत आय कर विधेयक के मसौदे को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है ।

4.12 विदेश कर प्रभाग

दोहरे कराधन का परिहार संबंधी अभिसमय

क. सामान्य उद्देश्य

(क) दोहरा कराधान दो अथवा अधिक राज्यों में उसी विषय-वस्तु के संबंध में तथा समान अवधि के लिए उसी करदाता पर समतुल्य करों के अधिरोपण के परिणामस्वरूप होता है । दो राज्यों के मध्य द्विपक्षीय कर संधि के लिखत के माध्यम से इस दोहरे कराधान से बचने का प्रयास किया जाता है । दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय में दो राज्यों के मध्य आय की विभिन्न श्रेणियों, जिसमें कारोबार आय, ब्याज, लाभांश, तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, पूँजीगत अभिलाभ, पेंशन शामिल है, से कर राजस्व के बंटवारे के लिए वितरक नियमों का एक सेट होता है । इन दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों को दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय के रूप में संदर्भित किया जाता है । ये दो देशों के मध्य अच्छे वाणिज्यिक संबंधों के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं तथा इनसे विदेशी निवेशों को आकर्षित करने तथा पूरे विश्व में व्यापार तथा निवेश में विरूपण से बचने में सहायता मिलती है ।

(i) दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमय दो संविदाकारी राज्यों के मध्य एक द्विपक्षीय करार है तथा यह दोहरे कराधान के परिहार, कराधान से राहत, सूचना के आदान-प्रदान एवं करों के संग्रह में सहायता के संबंध में आपसी करार को दर्शाता है । वे पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित हैं। दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों में पारस्परिक करार पर प्रक्रिया के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का प्रावधान है ।

ख. जनवरी, 2005 से दिसम्बर, 2005 तक की अवधि के दौरान निष्पादन/कटौतियां

जून, 2003 और उससे आगे एफ टी एण्ड टी आर प्रभाग को दो प्रभागों अर्थात एफ टी एण्ड टी आर-I प्रभाग तथा एफ टी आर-II प्रभाग में, बाँटा गया है । उक्त अवधि के दौरान इन प्रभागों का निष्पादन/उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं ।

1. **एफ टी एण्ड टी आर-I प्रभाग**

(i) व्यापक दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों/दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमयों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आइसलैंड, लक्जम्बर्ग एवं लिथुआनिया से आए हुए शिष्टमंडलों के साथ बातचीत सम्पन्न हुई ।

(ii) विद्यमान दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों/दोहरे कराधान के परिहार संबधी अभिसमयों के कतिपय अनुच्छेदों के संशोधनों के लिए रोमानिया, ग्रीक एवं जापान के साथ बातचीत सम्पन्न हुई । जापान के साथ एक संशोधनकारी प्रोतोकॉल को अंतिम रूप दिया जा चुका है एवं अधिकारिक स्तर पर इसकी शुरूआत हो चुकी है । यह प्रोतोकॉल दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश, विशेष तौर पर सॉफ्टवेयर सेवाओं के क्षेत्र में बढ़ावा देगा ।

(iii) हंगरी के साथ पुनः बातचीत की शुरूआत की गई, संधि को दिनांक 31.3.2005 को अधिसूचित किया गया ।

(iv) जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपसी करार प्रक्रिया के अंतर्गत बैठकें संपन्न हुईं । आपसी करार प्रक्रिया एक समय साध्य प्रक्रिया है चूँकि दो सरकारों के अधिकारी इसमें शामिल होते हैं एवं यह दो प्रभुत्वसंपन्न देशों के कराधान अधिकारों की व्याख्या से संबंधित है एवं समझौते को आपसी स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए ।

(v) सूचना के आदान-प्रदान के अंतर्गत 106 मामलों में विभिन्न कर प्राधिकारियों से अनुरोध् किए गए हैं । क्षेत्रीय प्राधिकारियों के द्वारा कर निर्धारण एवं जाँच के दौरान प्राप्त की गई जानकारी का उपयोग किया गया है । कुछ मामलों में भारत में कर का संग्रहण किया गया एवं इसे विदेशी कर प्राधिकारियों को उनके देशों के करदाताओं के कर बकाए के लिए सौंप दिया गया है ।

2. **एफ टी एवं टी आर -II प्रभाग**

(i) कर मामलों में दोहरे कराधान के परिहार एवं आपसी प्रशासनिक सहयोग पर दक्षेस सीमित बहुपक्षीय करार पर वर्ष 2005 में दिनांक 12 से 13 नवम्बर के मध्य ढाका में संपन्न तेरहवें शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे । यह सीमित बहुपक्षीय करार भारत के द्वारा निष्पन्न किए गए करारों में अपनी तरह का पहला करार है क्योंकि भारत के द्वारा निष्पन्न अन्य सभी दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों / दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमयों की प्रकृति द्विपक्षीय है । यह सीमित बहुपक्षीय करार दक्षेस के सदस्य देशों के मध्य आपसी प्रशासनिक सहयोग एवं कर मामलों में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा ।

(ii) भारत एवं सिंगापुर के मध्य विद्यमान दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार को संशोधित करने के लिए दिनांक 29 जून, 2005 को एक प्रोतोकॉल पर भारत एवं सिंगापुर के मध्य एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार के एक भाग के रूप में हस्ताक्षर किए गए ।

(iii) भारत एवं श्रीलंका के मध्य व्यापक आर्थिक सहभागिता करार के एक भाग के रूप में भारत एवं श्रीलंका के मध्य विद्यमान दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार पर पुनर्विचार करने के लिए बातचीत सम्पन्न हुई ।

(iv) व्यापक दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों / दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमयों को निष्पन्न करने के लिए बोत्स्वाना, चिली, ईरान, कुवैत,साउदी अरब, सेनेगल, उरूग्वे और वेनेन्जुएला के शिष्ट मंडलों के साथ बातचीत सम्पन्न हुई । कुवैत के साथ बातचीत को अंतिम रूप दिया जा चुका है एवं करार को अधिकारिक स्तर पर लाया गया है । दक्षिण कोरिया, तंजानिया एवं जाम्बिया के साथ भी विद्यमान दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों / दोहरे कराधान के परिहार संबंधी अभिसमयों की समीक्षा करने के लिए इस अवधि के दौरान बातचीत सम्पन्न हुई है ।

ग. भारत के अधिसूचित डी टी ए ए / डी टी ए सी की प्रस्थिति

आज की तारीख में भारत ने आय के सभी स्रोतों को शामिल करते हुए 69 देशों के साथ व्यापक डी टी ए ए / डी टी ए सी अधिसूचित किया है । इसी तरह भारत के 10 देशों के साथ सीमित हवाई एवं शिपिंग करार हैं ।

4.13 लेखा परीक्षा और लोक लेखा समिति

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समावेशन हेतु प्रस्तावित प्रारूप पैराग्राफ (डी पी) और सिस्टम मूल्यांकन की ए एंड पी ए सी प्रभाग में जाँच की जा रही है । इनके संबंध में मंत्रालय की टिप्पणियाँ (क्षेत्र प्राधिकरणों की टिप्पणियों के साथ परामर्श करके संकलित) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजी जाती हैं । यह प्रभाग अग्रिम प्रश्नावली तथा समिति द्वारा लिए गए मौखिक साक्ष्य के बाद उत्पन्न प्रश्नों का जवाब देकर लोक लेखा समिति को भी सूचना उपलब्ध कराता है ।

वर्ष 2005 (1 जनवरी, 2005 से 31 दिसंबर, 2005) के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने वर्ष 2004-05 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेशन हेतु प्रस्तावित 675 प्रारूप पैराओं पर मंत्रालय की टिप्पणियों की माँग की है । इस वर्ष के दौरान 65 प्रारूप पैराओं के जवाब पहले ही भेजे जा चुके हैं । वर्ष 2005 (मार्च 2004 को समाप्त वर्ष) की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट सं. 12 एवं 13 संसद के सम्मुख 16.5.2005 को प्रस्तुत की गई । वर्ष 2003-04 की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट (2005 की सं. 12) में 885 प्रारूप पैरा शामिल किए गए । इन पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ आयकर निदेशालय (लेखा परीक्षा) के परामर्श से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भेजी जा रही हैं ।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्षवार 1 जनवरी, से 31 दिसंबर, 2005 के दौरान की गई कार्रवाई रिपोर्ट/प्रारूप पैरा का निपटान नीचे दिया गया है:

लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष	उत्तरित डीपी की संख्या	सीएंडएजी को भेजे गए एटीएन/ संशोधित एटीएन की संख्या	सीएंडएजी की विधिक्षण टिप्पणियाँ प्राप्त करने से उपरांत मॉनीटरिंग सेल को भेजे गए एटीएन की संख्या
1997-1998	शून्य	शून्य	1
1998-1999	4	शून्य	12
1999-2000	3	17	29
2000-2001	27	19	56
2001-2002	54	51	55
2002-2003	91	319	599
2003-2004	612	106	शून्य
2004-2005	65	शून्य	शून्य
जोड़	**856**	**512**	**752**

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने निम्नलिखित विषयों पर वर्ष, 2006 की सी एंड ए जी रिपोर्ट सं. 7 में समावेशन हेतु तीन प्रारूप प्रणली समीक्षाएं अग्रेषित की हैं :

(क) सारांश निर्धारण योजना की दक्षता और संवीक्षा हेतु मामलों के चयन की प्रक्रिया

(ख) तलाशी एवं जब्ती अभियानों की कारगरता

(ग) राजस्व विभाग के ए एस टी सिस्टम की निष्पादन लेखा परीक्षा

उपर्युक्त प्रारूप प्रणाली समीक्षाओं के प्रारंभिक उत्तर सी एंड ए जी के कार्यालय को भेजे गए हैं । दो प्रारूप समीक्षाएं टिप्पणी के लिए संबंधित मुख्य आयकर आयुक्तों/क्षेत्र संस्थापनों को परिचालित की गई हैं । वर्ष के दौरान वर्ष 2004 की सी एंड ए जी रिपोर्ट सं. 13 में समाविष्ट "सिविल निर्माण के व्यवसाय का कर निर्धारण" पर प्रणाली समीक्षा का जवाब सी एंड ए जी को भेजा गया ।

लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने जनवरी, 2005 के माह में "निजी स्कूलों, कॉलेजों एवं कोचिंग सेंटरों का कर निर्धारण" से संबंधित वर्ष 2004 की सी एंड ए जी रिपोर्ट सं. 13 के अध्याय 3 के पैरा 3.17.1, 3.17.2, 3.17.3, 3.19 और 3.24.1 पर विभाग का साक्ष्य लिया। इस विषय पर पी ए सी की चौदहवीं रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) 3 अगस्त, 2005 को लोक सभा को प्रस्तुत की गई । पी ए सी की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने "आयकर विभाग के पुनर्गठन के माध्यम से दक्षता में सुधार की प्रस्थिति" पर प्रणाली मूल्यांकन से संबंधित वर्ष 2005 की सी एंड ए जी रिपोर्ट सं. 13 के अध्याय 1 पर जुलाई, 2005 में विभाग का एक बार फिर साक्ष्य लिया । यह कार्य संतोषप्रद ढंग से किया गया

इसके अलावा, "आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रतिदाय" से संबंधित पी ए सी की 55वीं रिपोर्ट (13वीं लोक सभा) पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी पर पी ए सी की 15 वीं. रिपोर्ट (14वीं लोक सभा) लोक सभा सचिवालय से प्राप्त की गई है । इस पर टिप्पणियाँ मंगाई गई हैं ।

मैसर्स पिलकाम के मामले में 13वीं लोक सभा की पी ए सी की 53वीं रिपोर्ट के दो पैराओं अर्थात पैरा 2.3 और 6.3 से संबंधित ए टी एन को लोक सभा सचिवालय को भेजा गया ।

वर्ष के दौरान "दोहरा कराधान परिहार करारों के संदर्भ में अनिवासी कराधान के कुछ पहलू" पर समीक्षा के संबंध में लोक सभा सचिविलय से अग्रिम प्रश्नावली प्राप्त की गई । इस पर अग्रिम प्रश्नावली का जवाब लोक सभा सचिवालय को भेजा गया । इसके अलावा निम्नलिखित विषय पर वर्ष 2004 के दौरान प्राप्त दो और अग्रिम प्रश्नावलियों के जवाब भी लोक सभा सचिवालय को प्रस्तुत किए गए :

(i) आयकर अधिनियम के विशेष प्रावधान (धारा 115 ञ क/ञख) के तहत कंपिनयों के कराधान की योजना का प्रचालन

(ii) सिविल निर्माण के व्यवसाय का कर निर्धारण

विनिर्दिष्ट प्राधिकरण की 114वीं और 115वीं बैठक क्रमशः 10.1.2005 और 18.10.2005 को आयोजित की गई जिसमें 8 मामलों पर चर्चा हुई तथा इनमें से 3 मामलों को अनुमोदन के लिए संस्तुत किया गया, एक मामले को अस्वीकृत किया गया तथा 4 मामलों को आस्थगित किया गया ।

इसके अलावा सी एंड ए जी की विभिन्न रिपोर्टों में शामिल प्रारूप पैराओं पर सी एंड ए जी के कार्यालय से अनेक जवाब भी प्राप्त हुए हैं । इस अवधि में कई जवाबों के भी उत्तर भेजे गए ।

4.14 आयकर निदेशालय (आयकर)

आयकर निदेशालय (आयकर) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सी बी डी टी का एक संबद्ध कार्यालय है । इसके मुखिया आयकर निदेशक हैं जो आयकर आयुक्त के रैंक के अधिकारी होते हैं । इसमें दो प्रकोष्ठ नामतः निरीक्षण प्रकोष्ठ और परीक्षा प्रकोष्ठ हैं ।

निरीक्षण प्रकोष्ठ

निरीक्षण की वर्तमान पद्धति में रेंज या इसके समतुल्य संस्थापन बनियादी यूनिट हैं जिनका निरीक्षण आयकर आयुक्त द्वारा किया जाता है । अन्य संस्थापनों में उनके समकक्षी अर्थात आयकर निदेशक (अन्वेषण), आयकर निदेशक (छूट) आदि रेंज स्तरीय संस्थापनों का निरीक्षण करते हैं । निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा मुख्य आयकर आयुक्तों अथवा आयकर महानिदेशकों द्वारा की जाती है ।

इस समय एक वित्तीय वर्ष में दो श्रेणी के निरीक्षण किए जाते हैं अर्थात प्रणाली निरीक्षण जिसमें रिकार्डों का निरीक्षण तथा विभिन्न अनुषंगी कार्यवाहियों यथा संशोधन का निपटान माँग निपटान, अपील प्रभाव का निपटान आदि शामिल होते हैं और कर निधार्रण गुणवत्ता का निरीक्षण जैसे कि कर निर्धारण, वसूली, अन्वेषण, आई टी ए टी के सम्मुख विभाग के मामलों का प्रतिनिधित्व आदि ।

सी सी आई टी/डी जी आई टी द्वारा समीक्षा के उपरांत निरीक्षण रिपोर्टों को आयकर नपिदेशालय (आयकर) को अग्रेषित किया जाता है जो निरीक्षणों की प्रगति का अनुवीक्षण करता है, निरीक्षण रिपोर्टों की जाँच एवं समीक्षा करता है । यह सी बी डी टी की तरफ से 'वार्षिक निरीक्षण समीक्षा' भी तैयार करके प्रकाशित करता है ।

1999-2000 से लेकर 31.12.2005 तक किए गए निरीक्षणों का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

वित्त वर्ष	प्राप्त रिपोर्टों की संख्या	संवीक्षा की गई रिपोर्टों की संख्या
1999-2000	678	305
2000-2001	673	351
2001-2002	314	175
2002-2003	615	450
2003-2004	2800	387
2004-2005	3091	-
2005-2006 (14.12.2005 तक)	1818	328

निरीक्षण की नई पद्धति से दृश्य सुधार आया है तथा इससे क्षेत्र संस्थापनों द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या में मात्रात्मक वृद्धि प्राप्त करने में भी मदद मिली है ।

परीक्षा प्रकोष्ठ

अप्रैल, 2005 से दिसंबर, 2005 तक की अवधि के दौरान परीक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित निष्पादन एवं उपलब्धियों के मुख्य अंश नीचे दीए गए हैं :-

(i) जी पी प्रभु समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आलोक में (i) मंत्रालयीय स्टाफ (ii) आयकर निरीक्षकों और (iii) आयकर अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षा नियमावली-2004 हेतु विस्तृत पाठ्यविवरण तैयार करने के वास्ते अप्रैल, 2005 में श्री अब्राहम पोतेन, सी आई टी (टी डी एस), चेन्नई की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई । पोतेन समिति ने मई, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । निदेशालय ने इसकी जाँच की तथा कुछ संशोधनों के साथ इसे विचारार्थ बोर्ड को अग्रेषित किया ।

(ii) वर्ष के दौरान इन संवर्गों के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसके लिए परीक्षा नियमावली सी बी डी टी द्वारा तैयार की जा रही है ।

(iii) 58वें एवं इसके आगे के बैचों की ए सी आई टी (प्रोब) विभागीय परीक्षा के लिए नियमावली एवं पाठ्य विवरण को वर्ष 2005-06 के दौरान अंतिम रूप दिया गया ।

(iv) 56वें एवं 57वें बैचों के लिए ए सी आई टी (प्रोब) की पूरक विभागीय परीक्षा जुलाई, 2005 में आयोजित की गई तथा अगस्त, 2005 में परिणाम घोषित किए गए ।

(v) ए सी आई टी (प्रोब) के लिए पहली विभागीय परीक्षा - 58वाँ बैच अगस्त/सितम्बर, 2005 में आयोजित की गई तथा नवम्बर, 2005 में परिणाम घोषित किए गए ।

परीक्षा प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य आयकर विभाग के आई आर एस (प्रोब) तथा अन्य राजपत्रित एवं अराजपत्रित स्टाफ के लिए विभगीय परीक्षा का संचालन करना है । विभाग के विभिन्न संवर्गों हेतु परीक्षा आयोजित करने तथा उनके परिणाम घोषित करने के अलावा परीक्षा प्रकोष्ठ विभिन्न परीक्षाओं के नियमों एवं पाठ्य विवरणों की समीक्षा एवं निर्वचन का कार्य भी करता है, विभागीय परीक्षाओं से संबंधित सरकार की नीति को लागू करता है तथा निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की शिकायतों एवं अभ्यावेदनों पर भी कार्रवाई करता है ।

निदेशालय द्वारा आयकर विभाग के आई आर एस (प्रोब) के लिए तथा स्टाफ सदस्यों के लिए विभागीय परीक्षा का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है । निदेशालय निष्पक्ष ढंग से परीक्षा आयोजित करने का श्रेय ले सकता है । निदेशालय आयकर के क्षेत्र में नई प्रगति को ध्यान में रखते हुए परीक्षा नियमों तथा नीति/पाठ्य विवरण की भी निरंतर समीक्षा करता रहा है।

4.15 आयकर निदेशालय (लेखा परीक्षा)

I आंतरिक लेखा परीक्षा का कार्यकरण

(i) आंतरिक श्रृंखला लेखा परीक्षा की नई प्रणाली

आंतरिक लेखा परीक्षा की नई प्रणाली में एक सतत प्रक्रिया के रूप में "श्रृंखला आधार"पर लेखा पिरीक्षा का संचालन किया जा रहा है । आयकर (रेंज) के अपर/संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी तथा कर निर्धारण अधिकारी लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षिती के दोहरे कार्य करते हैं । वर्ष के दौरान श्रृंखला लेखा परीक्षा प्रणाली को और प्रभावी तथा गुणवत्ता उन्मुख बनाने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं ।

(ii) निदेशालय द्वारा ऑडिट कार्य का निरीक्षण : ऑडिट के निष्पादन पर चर्चा करने के लिए सी सी आई टी के मुम्बई, लखनऊ और पुणे क्षेत्रों में सी आई टी/अपर सी आई टी के साथ बैठकें की गईं ।

(iii) वर्ष के दौरान सितम्बर, 2005 तक विभाग द्वारा अनियमितता के 453 मामलों का पता लगाया गया जिसमें 2950021 (000) रू. का कर प्रभाव शामिल था ।

पिछले दो वित्त वर्षों के निष्पादन के साथ अप्रैल से सितम्बर, 2005 की अवधि के दौरान निष्पादन का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :-

		2003-2004	2004-2005	2005-2006 (सितम्बर, 05 तक)
1	आंतरिक लेखा परीक्षा मामलों की कुल संख्या जिनमें गल्तियां (भारी) पाई गईं	4009 (बकाया) 1142 (वर्तमान)	3869 (बकाया) 1479 (वर्तमान)	2916 (बकाया) 453 (वर्तमान)
2	उपर्युक्त (1) का राजस्व प्रभाव (हज़ार में)	17957780 (बकाया) 1411190 (वर्तमान)	6777065 (बकाया) 2633127 (वर्तमान)	4574275 (बकाया) 2950021 (वर्तमान)
3	निपटाई गई आंतरिक लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या			
	(क) भारी (बकाया + वर्तमान)	1466	2432	548
	(ख) लघु (बकाया + वर्तमान)	4910	6796	1713
4	उपर्युक्त (3) का राजस्व प्रभाव (हजार में)			
	(क) भारी (बकाया + वर्तमान)	2756338	4851682	587860
	(ख) लघु (बकाया + वर्तमान)	64149	67201	18935

II राजस्व ऑडिट से संबंधित कार्य की प्रोसेसिंग

(i) **सी एंड ए जी रिपोर्ट 2003-04** : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2003-04 की रिपोर्ट में शामिल 795 प्रारूप पैराओं का विश्लेषण किया गया । 542 मामलों में ऑडिट आपत्तियों के संबंध में सी बी डी टी के निर्णय प्राप्त हुए जिनमें से 406 मामलों में बोर्ड ने आपत्तियों को स्वीकार किया था तथा 136 मामालों में आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया । इन मामलों में सी बी डी टी को की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ भेजी जा रही हैं ।

(ii) **सी एंड ए जी रिपोर्ट 2004-05** : नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2004-05 की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित 593 प्रारूप पैराओं को प्राप्त किया गया तथा बोर्ड के स्तर पर ये प्रक्रियाधीन हैं । जैसे ही प्रारूप पैरा की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में सी बी डी टी द्वारा सूचित किया जाएगा, इस निदेशालय द्वारा ए टी एन को अंतिम रूप दिया जाएगा ।

(iii) **समीक्षा और प्रकाशन** : 2005-06 के दौरान मार्च, जून और सितम्बर, 2005 को समाप्त तिमाहियों की 15 तिमाही समीक्षाएं तैयार की गईं। इनमें से 6 समीक्षाएं आंतरिक ऑडिट आपत्तियों से संबंधित थीं, 6 समीक्षाएं प्राप्ति ऑडिट आपत्तियों से संबंधित थीं तथा शेष 3 समीक्षाएं ऑडिट योग्य मामलों से संबंधित थीं जिनमें उनके निपटान और भारी एवं लघु ऑडिट आपत्तियों के निपटान की स्थिति का उल्लेख था ।

(iv) **विवरण XVI:** सी एंड ए जी की वर्ष 2004-05 की रिपोर्ट में समावेशन हेतु सांख्यिकीय डाटा (विवरण XVI) बोर्ड को भेजा गया ।

निदेशालय लोक लेखा समिति को दिए जाने वाले जवाब तैयार करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने में भी बोर्ड और राजस्व विभाग की मदद कर रहा है ।

4.16 आयकर निदेशालय (वसूली)

(i) आयकर निदेशालय (वसूली) का सृजन 1978 में किया गया । बढ़ते जा रहे कर बकायों से चिंतित होकर बोर्ड ने इस निदेशालय का गठन करने का निर्णय लिया ताकि 1 करोड़ रू. तथा इससे अधिक के बकाया मांग के मामलों में तिमाही डोज़ियर तैयार किया जाए और इन मामलों में वसूली की प्रगति का अनुवीक्षण हो सके ।

(ii) निदेशालय के मुख्य कार्य निम्नवत् हैं :

- कर निर्धारण का कार्य करने वाले सभी सी सी आई टी/डी जी आई टी प्रभारियों से 1 करोड़ रू. तथा इससे अधिक (फिल्म उद्योग से संबंधित मामलों में 1 लाख रू. तथा इससे अधिक) के कर बकाया मामलों से संबंधित डोज़ियर का संग्रहण ।
- डोज़ियर की समीक्षा, उन पर टिप्पणी एवं सुझाव तैयार करना तथा क्षेत्र संस्थापनों को इन्हें सूचित करना ।
- डोज़ियर मामलों में वसूली की प्रगति का अनुवीक्षण ।
- सी बी डी टी द्वारा उच्च माँग मामलों के अनुवीक्षण के लिए 25 करोड़ रू. तथा इससे अधिक के डोज़ियरों के विश्लेषण की तिमाही रिपोर्ट तैयार करना ।
- संग्रहण को गति प्रदान करने/कर बकाया को कम करने के लिए क्षेत्र कार्यालयों का निरीक्षण ।
- साख्यिकीय डाटा का संग्रहण एवं संकलन तथा बकाया माँग पर विभिन्न संसदीय प्रश्नों का जवाब बनाने के लिए सी बी डी टी को सामग्री प्रस्तुत करना ।
- सी सी आई टी प्रभारियों से प्राप्त बकाया माँग के बट्टे खाते और स्केलिंग डाऊन से संबंधित प्रस्तावों की प्रोसेसिंग ।
- एस आई सी ए अधिनियम, 1985 के तहत बीमार औद्योगिक कंपनियों को कोई कर राहत अथवा रियायत के लिए विभाग की सहमति प्रदान करने के लिए बी आई एफ आर/ए ए आइ एफ आर की प्रोसेसिंग ।

(iii) 2004-05 के दौरान बकाया माँग की वसूली हेतु विशेष अभियान चलाया गया । इस अभियान के तहत अपीली प्राधिकरणों तथा समझौता आयोग के सम्मुख लंबित विवादित माँगों के त्वरित निपटान पर बल दिया गया। विशेष अभियान को क्रियान्वित करने के लिए अगस्त, 2004 में एक कार्य बल गठित किया गया । विशेष अभियान के फलस्वरूप 2004-05 के दौरान विभाग ने अब तक का सर्वाधिक संग्रहण एवं बकायों में कमी प्राप्त की । बकाया माँग घटकर 27169 करोड़ रू. रह गई जो पिछले वर्ष की तुलना में 39% अधिक है। 7083 करोड़ रू. का नकद संग्रहण ही 28% अधिक है तथा 20086 करोड़ रूपए की अपीलों के निपटान द्वारा कमी 43% अधिक है ।

नकद संग्रहण और बकाया में कमी (करोड़ रुपए में)

अवधि	नकद संग्रहण	अपील आदि के निपटान के जरिए कमी	कुल
वित्त वर्ष 2003-04	5540	14014	19554
वित्त वर्ष 2004-05	7083	20086	27169
वित्तीय वर्ष 2003-04 की तुलना में प्रतिशत बढ़ोतरी	27.85%	43.33%	38.94%

(iii) बकायों के संग्रहण हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी विशेष अभियान जारी रहा । 31 मई, 2005 की स्थिति के अनुसार बकाया में माँग की स्थिति निम्नवत् थी :-

31 मई 2005 की स्थिति के अनुसार बकाया में माँग का सारांश

क	1 अप्रैल, 2005 की स्थिति के अनुसार बकाया में माँग	99320
ख	31 मई, 2005 तक कमी	816
ग	31 मई, 2005 तक संग्रहण	854
घ	31 मई, 2005 की स्थिति के अनुसार बकाया में शेष माँग	97650
ड.	ऐसी माँग जिनकी वसूली की सम्भावना	
	शून्य अथवा न्यून है अधिसूचित व्यक्ति, घोटालों के मामले	28356
	कोई परिसंपत्ति नहीं, बट्टे खाते डालना आदि लंबित	18974
	बी आई एफ आर कंपनियाँ तथा परिसमापन में कंपनियाँ	7814
	संरक्षी माँग तथा विवादित मुद्दों को जिंदा रखने के लिए उठाई गई माँग	8281
	कुल	63425
च	माँग जो फिलहाल असंग्रहणीय है किंतु, उसे मॉनीटर किया जाएगा, जैसे कि स्थगन, किस्तों, लंबित स्थगन आदेशों, आई टी एस सी के सम्मुख मामलों आदि के तहत शामिल माँगें	18412
छ	संग्रहणीय माँग जिसमें 2004-05 के दौरान उठाई गई माँग में से 13645 करोड़ रू. शामिल हैं	15813

4.17 आयकर निदेशालय (आर एस पी एंड पी आर)

आयकर निदेशालय (अनुसंधान, सांख्यिकी, प्रशासन और जन सम्पर्क) पूरे देश में आयकर विभाग में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, प्रचार एवं जन सम्पर्क, मुद्रण एवं प्रकाशन तथा सांख्यिकी संकलन के लिए जिम्मेदार है ।

1.4.2005 से 15.12.2005 के दौरान इस निदेशालय द्वारा किए गए कुछेक महत्वपूर्ण कार्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जन सम्पर्क

* प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों यथा स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) , आयकर विवरणी दायर करने की नियत तिथि के संबंध में प्रचार का कार्य किया गया । इस अवधि के दौरान तीन प्रमुख अभियान चलाए गए । पहला सहायता केंद्रों से संबंधित था, दूसरा अक्तूबर के महीने में दाखिल करने का कार्य बंद कर देने वालों तथा गैर-दाखिलकर्ताओं पर केंद्रित था तथा तीसरा अभियान 15 दिसंबर की किस्त के लिए अग्रिम कर भुगतान से संबंधित है । ये प्रचार अभियान काफी प्रभावी एवं सराहनीय रहे ।

* प्रशासनिक हैंडबुक, 2006 संकलन के अधीन है तथा मुद्रण के लिए जा रही है ।

* निदेशालय ने पूरे देश में आम जनता और आयकर विभाग के क्षेत्र कार्यालयों को बेचने एवं वितरण के लिए करदाता सूचना श्रृंखला की पुस्तिकाओं को अद्यतनीकृत एवं संशोधित किया ।

मुद्रण और प्रकाशन

* भारत सरकार के मुद्रणालयों के माध्यम से इस वर्ष से लागू किए गए 6 नए टी डी एस फार्मों सहित विभिन्न सांविधिक एवं गैर-सांविधिक फार्म, चालान फार्में, ए सी आर फार्मों की 15 करोड़ से अधिक प्रतियाँ मुद्रित की गईं तथा इन्हें नियमित समयबद्ध ढंग से अधिकृत ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से देश में स्थित सभी क्षेत्र कार्यालयों को वितरित किया गया । इस वर्ष नई मुद्रण पूर्व सतत कंप्यूटरीकृत प्रतिदाय लेखनसामग्री को इंडिया सिक्योरिटी प्रेस (नासिक) के माध्यम से मुद्रित कराया गया है तथा प्रेस द्वारा सीधे इन्हें विभिन्न संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयुक्तों को आपूर्त किया जा रहा है ।

* बेहतर करदाता अनुपालना को बढ़ावा देने की नई पहल के क्रम में वर्ण अंक क्रम में तथा बार कोड रूप में करदाताओं के नाम, पता और पैन/टैन के साथ चालान मुद्रित कराए गए तथा आयकर विभाग के साथ कर निर्धारित सभी कंपनियों और फर्मों और ऐसे कर कटौतीकर्ताओं को भेजे गए जिनका टैन डाटाबेस विभाग के पास उपलबध है ।

* तलाश सुविधा के साथ समाविष्ट कंपैक्ट डिस्क वर्जन में पिछले साल विकसित 1.4.1987 से 30.9.2004 तक के के. प्र. क. बोर्ड के परिपत्रों एवं अनुदेशों से युक्त डाइजेस्ट को अद्यतनीकृत किया जा रहा है तथा देश के क्षेत्र अधिकारियों को आपूर्त किया जाएगा ।

* पहले संकलित किए गए दोहरे कराधान करार के संग्रह को अद्यतन किया गया है तथा भारत सरकार के मुद्रणालयों में यह मुद्रणाधीन है ।

* अंग्रेज़ी और हिंदी में आयकर अधिनियम, 2005, आयकर नियमावली, 2005 संपत्ति कर अधिनियम, 2005, और संपत्ति कर नियमावली, 2005 को मुद्रित करके पूरे देश में क्षेत्र अधिकारियों को बाँटा गया है ।

* इस वर्ष सदस्यों के हिंदी में भी नाम के साथ आई आर एस सिविल सूची, 2005 निकाली जा रही है । इसके अलावा सदस्यों की विषय वार योग्यता और गृह राज्य संबंधी सूचना को भी शामिल किया जा रहा है । आई आर एस, सिविल सूची, 2005 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परामर्श से संकलित किया गया है तथा देश के सभी अधिकारियों को वितरित किए जाने के लिए इसे मुद्रित किया जा रहा है ।

* वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए कार्य योजना, जिसे पहले परिपत्र के रूप में उपलब्ध कराया गया था, को पुस्तिका के रूप में मुद्रित कराकर पूरे देश में सभी अधिकारियों को वितरित किया गया है ।

* वित्त अधिनियम (संख्या 2) 2004 के प्रावधानों से संबंधित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अंग्रेज़ी और हिंदी में मुद्रित कराई गईं तथा इन्हें सभी क्षेत्र अधिकारियों को वितरित किया गया ।

* अनुषंगी लाभ कर (अंगेज़ी) परिपत्र सं. 8 पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ मुद्रित एवं वितरित की गईं ।

* "लीगल आस्पेक्ट्स फॉर इन्कम टैक्स असेस्मेंट" और "कंप्लीशन ऑफ असेस्मेंट प्रोसीडिंग्स एंड ड्राफ्टिंग ऑफ असेस्मेंट आर्डर्ससम आस्पेक्ट्स" नामक प्रकाशन मुद्रित कराकर क्षेत्र अधिकारियों को बाँटे गए।

* केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बुलेटिन, डाइरेक्ट टैक्स बुलेटिन और क्वाटरली टैक्स बुलेटिन का नियमित रूप से मुद्रण सभी क्षेत्र अधिकारियों को वितरित करने के लिए किया जा रहा है ।

अनुसंधान और सांख्यिकी प्रकोष्ठ

निदेशालय (आर एस पी एंड पी आर) का अनुसंधान एवं सांख्यिकी प्रकोष्ठ प्रबंध सूचना प्रणाली (एम आई एस) को चलाने के लिए अपेक्षित विभिन्न सांख्यिकियों के संग्रहण और संकलन के लिए आयकर विभाग का नोडल प्राधिकरण है । इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रकोष्ठ ने क्षेत्र यूनिटों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 2004-05 के लिए निम्नलिखित रिपोर्टों को संकलित एवं जारी किया :

* अपील सांख्यिकी पर मासिक रिपोर्ट

* आयकर, निगम कर तथा अन्य करों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट

* कृषि आय को गैर-कृषि आय के साथ जोड़ने पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट

* आई टी ए टी / एच सी / एस सी के सम्मुख अपीलों, संदर्भों तथा रिटों पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट

* 10,000 रू. तथा इससे कम की बकाया मांग के बट्टे खाते पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट

* 100 शीर्ष आयकर तथा संपत्ति कर दाताओं की वार्षिक रिपोर्ट

* नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए प्रत्यक्ष करों पर वार्षिक रिपोर्ट

* कंपनी और गैर-कंपनी प्रोफाइल पर वार्षिक रिपोर्ट : वर्ष 2001-02 के लिए निकाली गई रिपोर्ट को विभिन्न तालिकाओं में कतिपय परिवर्तन और संशोधन करने के लिए संशोधित किया गया । परवर्ती वर्षों की रिपोर्ट संकलित करने के लिए प्रयास जारी हैं जिसके लिए प्रत्यक्ष कर निदेशालय (सिस्टम) से संपर्क स्थापित किया गया है ताकि निर्धारण डाटाबेस से सूचना चुनने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके ।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने हेतु आयकर निदेशालय (आर एस पी एंड पी आर) के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के राजभाषा प्रभाग द्वारा 1.4.2005 से 15.12.2005 के दौरान किए गए कार्यों पर संक्षिप्त रिपोर्ट

* सदस्य (पी) की अध्यक्षता में इस अवधि के दौरान सी बी डी टी के राजभाषा प्रभाग के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन तिमाही बैठकें क्रमशः 24.3.2005, 5.7.2005 और 26.9.2005 को आयोजित की गईं जिनमें संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर आयुक्तों/उनके प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन, इस नीति के लिए वार्षिक कर्यक्रम, हिंदी भाषा/आशुलिपि/टंकण प्रशिक्षण आदि पर चर्चा की गई।

* इस अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति ने सी सी आई टी, सूरत और पुणे के कार्यालयों तथा सी आई टी, मैसूर और दीमापुर के कार्यालयों तथा अपर आयकर आयुक्त, श्रीनगर का निरीक्षण किया । इस निदेशालय ने प्रश्नावली तैयार करने में सहायता प्रदान की तथा संबंधित कार्यालयों द्वारा समिति को दिए गए आश्वासनों के संबंध में पत्राचार का कार्य किया। इन निरीक्षण बैठकों में आयकर निदेशक (आर एस पी एंड पी आर) तथा उप निदेशक (राजभाषा) ने बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया ।

* उप निदेशक (राजभाषा) (मुख्यालय प्रशासन) तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) (मुख्यालय प्रशासन) ने हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के संबंध में विभिन्न कार्यालयों अर्थात सी सी आई टी, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, जोधपुर, एन ए डी टी, नागपुर और जे सी आई टी, कुरनूल का निरीक्षण किया ।

* आयकर विभाग के सहायक निदेशक (राजभाषा)/ हिंदी अनुवादकों के लिए दो तीन दिवसीय अखिल भारतीय सेमिनार क्रमशः दार्जिलिंग (नवम्बर, 2005) और पंचमढ़ी (अप्रैल, 2005) में आयोजित किए गए ।

* डी पी सी की बैठकें बुलाई गईं । दो वरिष्ठ अनुवादकों को सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर तथा एक कनिष्ठ अनुवादक को वरिष्ठ अनुवादक के पद पर पदोन्नत किया गया ।

* नए मानदंडों के मुताबिक आयकर विभाग के राजभाषा संवर्ग हेतु हिंदी के 900 अतिरिक्त पदों की गणना की गई तथा 1/3 (300) पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा उप निदेशक (राजभाषा) के पाँच विद्यमान पदों मे से दो पदों को संयुक्त निदेशक (राजभाषा) तथा सहायक निदेशक (राजभाषा) के 19 पदों को उप निदेशक (राजभाषा) के पद के रूप में स्तरोन्नत करने के संबंध में बोर्ड को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

* प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक निदेशक के 7 पदों को भरने के लिए 5.12.2005 को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन किया गया। चालू माह के दौरान नियुक्ति के प्रस्ताव भेजे जाएंगे ।

* इस निदेशालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन तिमाही बैठकें 16.3.2005, 23.6.2005 और 29.9.2005 को आयोजित की गईं ।

* इस निदेशालय में 16.6.2005, 25.8.2005 और 20.9.2005 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

* प्रत्यक्ष कर शब्दावली के अद्यतन संस्करण की पांडुलिपि तैयार की गई है तथा यह मुद्रणाधीन है ।

* राजभाषा प्रकोष्ठ के नैमित्तिक कार्य यथा हिंदी पखवाड़े का आयोजन, हिंदी कार्यशाला का आयोजन, हिंदी में टिप्पण एवं प्रारूपण का कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करना, अनुदेश परिचालित करना और बैठकें आयोजित करना, आदि किए गए ।

4.18 आयकर निदेशालय (ओ एंड एम एस)

यह निदेशालय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का संबद्ध कार्यालय है तथा सी बी डी टी के आंतरिक परामर्शदाता के रूप में अन्य नीति प्रबंध सेवाएं उपलब्ध कराने के अलावा कार्यविधियों, प्रशासनिक प्रणालियों तथा कार्य/पद स्थापन मानदंडों की निरंतर समीक्षा करता है ।

निदेशालय मासिक आधार पर नकद संग्रहण, बकाया में कमी तथा निगम कर/आयकर की वर्तमान माँग को दर्शाने वाले सी ए पी-I विवरणों तथा उत्तरोत्तर कार्यभार एवं आयकर निर्धारणों के निपटान को दर्शाने वाले सी ए पी-II के माध्यम से कार्य योजना में निर्धारित लक्ष्यों के साथ क्षेत्र अधिकारियों के निष्पादन की नियमित मानीटरिंग के ज़रिए केंद्रीय कार्य योजना की समीक्षा भी करता है । यह निदेशालय तिमाही आधार पर सदस्यों के साथ क्षेत्र अधिकारियों के निष्पादन की भी मानीटरिंग करता है ।

पूरे किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है :-

(i) आयकर विभाग में सूचना भेजने के विभिन्न प्रपत्रों का संशोधन ।

(ii) विभिन्न संवर्ग नियंत्रक मुख्य आयकर आयुक्तों के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों के संस्वीकृत एवं भरे गए पदों के संबंध में अर्धवार्षिक विवरणों का संकलन ।

(iii) बोर्ड की अपेक्षानुसार सभी सी सी आई टी/डी जी आई टी (अन्वेषण) के संबंध में सी ए पी-I और सी ए पी-II के विभिन्न पैरामीटरों को उजागर करते हुए विभिन्न तुलनात्मक सांख्यकीय विवरणों/तालिकाओं को तैयार करना ।

(iv) "आयकर विभाग में नियमों एवं कार्यविधियों का सरलीकरण तथा फार्मों की संख्या में कमी" पर रिपोर्ट तैयार करना ।

(v) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षानुसार आयकर विभाग में सी पी आई ओ / ए सी पी आई ओ की संरचना तैयार करना ।

(vi) आयकर विभाग में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग ।

(vii) सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों/ प्रश्नों/ शंकाओं का निवारण क्योंकि डी ओ एम एस को इस अधिनियम से संबंधित शंकाओं आदि के निवारण हेतु नोडल प्राधिकरण घोषित किया गया है ।

4.19 आयकर महानिदेशालय (सतर्कता)

आयकर विभाग के सतर्कता ढाँचे के मुखिया आयकर महानिदेशक (सतर्कता) हैं जो आयकर विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं । महानिदेशालय का मुख्यालय दिल्ली में है । उनके अधीन चार आयकर निदेशालय(सतर्कता) हैं जो आयकर निदेशक (सतर्कता) की अध्यक्षता में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी अंचलों का कामकाज देखते हैं जिनके मुख्यालय क्रमशः दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में हैं । ये चार आयकर निदेशक (सतर्कता) सतर्कता से संबंधित मामलों के लिए अपने-अपने अंचल के उप मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं ।

आयकर महानिदेशालय (सतर्कता) सी बी टी डी के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में है तथा आयकर विभाग के मुख्यतः राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध सतर्कता मामलों पर कार्यवाही की निगरानी करता है ।

सतर्कता मामलों से संबंधित सूचना के बुनियादी स्रोत हैं- जन सदस्यों से प्राप्त हस्ताक्षरित शिकायतें, वी आई पी हवाले, सी वी सी से हवाले तथा अन्य विभाग / एजेंसियाँ, आवधिक निरीक्षण आदि ।

1.1.2005 से 30.11.2005 की अवधि के संबंध में राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सांख्यिकी तालिका में दी गई है ।

शिकायतें

	01.01.05 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	माह के अंत तक प्राप्त	उत्तरोत्तर निपटान (माह के अंत तक)	अंत शेष
सीवीसी से प्राप्त	33	138	78	93
अन्य	587	1682	1479	790

सीवीसी के परामर्श पर की गई कार्रवाई

चरण	किस्म	01.01.05 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	माह के अंत तक प्राप्त	उत्तरोत्तर निपटान (माह के अंत तक)	अंत शेष
I	मुख्य	52	52	56	48
	लघु	22	7	10	19
II	मुख्य	37	18	6	49
	लघू	-	4	3	1

विभागीय जांच

	01.01.05 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक शेष	माह के अंत तक प्राप्त	उत्तरोत्तर निपटान (माह के अंत तक)	अंत शेष
सीडीआई द्वारा अपने जांच	12	21	1	32
अधिकारी द्वारा	103	12	24	91

जांच पड़ताल

	जनवरी, 2005 तक	माह के अंत तक	स्वीकृत की गई कार्रवाई (प्रगामी)			
			मुख्य	लघु	अन्य	समाप्ति
मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जांच पड़ताल रिपोर्ट	शून्य	63	31	3	11	18

अभियोजन संस्वीकृत्तियां

01.01.2005 तक कुल लम्बिता	माह के अन्त तक प्राप्ति	माह के दौरान दी गई स्वीकृति	प्रगामी निपटान	लम्बिता
5	6	-	6	5

कार्यविधि को सरल एवं कारगर बनाने तथा अपने क्षेत्र पदाधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए हर साल राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर सतर्कता सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं । आरोप पत्र तैयार करना, शिकायतों का अन्वेषण, निषेधात्मक सतर्कता, जाँच कार्यवाही, सतर्कता निरीक्षण और सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 आदि जैसे महत्व के मुद्दों को निरंतर उदारीकरण और और हाल में लागू किए गए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की पृष्ठभूमि में कार्य संस्कृति में लोकाचार के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए चर्चा के लिए लिया गया ।

4.20 आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण)

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी भारत में आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की एक शीर्ष संस्था है । इसका मूल कार्य भारतीय राजस्व सेवा के कार्य भार ग्रहण किए हुए अधिकारियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है । यह अकादमी अपने 8 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों तथा 26 अनुसचिवीय कर्मचारी प्रशिक्षण एककों के साथ समन्वय करके आयकर विभाग तथा अन्य भारतीय एवं विदेशी संगठनों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करती है ।

इस अकादमी में अध्यक्ष आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण) हैं जिनकी सहायता दो अपर महानिदेशक तथा अन्य अधिकारियों की एक टीम जिसमें छः अपर निदेशक, एक संयुक्त निदेशक, तीन उप निदेशक, चार सहायक निदेशक तथा दो सहायक निदेशक (राजभाषा) शामिल हैं, करते हैं ।

इस अकादमी के आठ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान जो बंगलौर, कोलकाता, हजारीबाग, लखनऊ, मुम्बई, चेन्नई, चंडीगढ़ तथा अहमदाबाद में हैं तथा 26 अनुसचिवीय स्टाफ प्रशिक्षण एकक हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं । क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यक्ष आयकर आयुक्त होते हैं जिनकी सहायता अपर आयकर आयुक्त/ संयुक्त आयकर आयुक्त, उप आयकर आयुक्त तथा आयकर अधिकारी स्तर के अधिकारी करते हैं । वे अपने क्षेत्र के अनुसचिवीय स्टाफ प्रशिक्षण एककों के कार्य की निगरानी भी करते हैं ।

भारतीय राजस्व सेवा के प्रशिक्षार्थी अधिकारियों के लिए भर्ती पाठ्यक्रम के अतिरिक्त, यह अकादमी विभिन्न स्तर के अधिकारियों के लिए अनेक पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करती है । इन पाठ्यक्रमों में कराधान, कानून तथा अन्य संबंधित विषयों जिनमें कई प्रबंध विकास कार्यक्रम शामिल हैं, पर विभिन्न पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं । इस अकादमी ने कार्य स्थल पर महिला-पुरूष, सार्वजनिक जीवन में मानवीय मूल्य, छवि निर्माण तथा नागरिक मांग पत्र और राजभाषा संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रशिक्षणार्थियों को सम्प्रेरित करने के लिए ठोस प्रचार किया है । उपर्युक्त विषयों पर सभी दीर्घकालिक पाठ्यक्रम से सत्र आयोजित किए जाते हैं ।

इन हाउस तथा गेस्ट संकाय दोनों द्वारा दिए गए व्याख्यान के अतिरिक्त पेनल विचार-विमर्श, मामले का अध्ययन, सामूहिक विचार विमर्श, कार्यशाला, सेमिनार, भूमिका अदा करना तथा सिमुलेशन अभ्यास और ट्यूटोरियल्स इन प्रशिक्षण पद्धतियों में शामिल हैं ।

4.21 आयकर महादिनेशालय (छूट)

आयकर महानिदेशक आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं अर्थात धारा 10 (23 ग) (iv), (v), (vi), (vi क) , धारा 35 (i)(ii) तथा (iii), धारा 10 (17क) धारा 80 छ (2) (v) के अंतर्गत छूट प्रदान करने से संबंधित आयकर अधिनियम, 1961 में की गई परिकल्पना के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है ।

आयकर महानिदेशक (छूट) का कार्यालय नई दिल्ली में है जिसका अधिकार क्षेत्र बंगलौर, हैदराबाद, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद तथा दिल्ली स्थित सात आयकर निदेशालयों पर है ।

31.3.2005 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निपटान की स्थिति निम्नवत् है :-

(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (i)(ii) तथा (iii) के अंतर्गत अधिसूचना के लिए प्रक्रियाबद्ध मामले तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजी गई रिपोर्ट	95
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग)(iv) तथा (v) के अंतर्गत अधिसूचना के लिए प्रक्रियाबद्ध मामले तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भेजी गई रिपोर्ट	53
(iii)	आयकर अधिनियम की धारा 10 (23ग) (vi) तथा (vi क) के अंतर्गत प्रक्रियाबद्ध मामले तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को जारी की गई अधिसूचना/भेजी गई रिपोर्ट	80
(iv)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (3) के तहत विभिन्न निदेशालयों द्वारा पूरे किए गए संवीक्षित मामलों की कुल सं.	1160

4.22 अंतर्राष्ट्रीय कराधान निदेशालय

देश में आर्थिक कार्यकलापों में बहु राष्ट्रीय समूहों की बढ़ती हुई सहभागिता से उन्हीं बहुराष्ट्रीय समूहों से संबंधित दो अथवा अधिक उद्यमों के मध्य किए गए लेन देनों से उद्भूत होने वाले नए तथा जटिल मुद्दे उत्पन्न हो गए हैं। भारत में कारोबार करने वाले ऐसे एद्यमों द्वारा प्राप्त लाभों को प्रभारित तथा ऐसे अन्तर्संमूह संव्यवहार में संदत्त कीमतों में हेरा फेरी करके बहुराष्ट्रीय समूहों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप कर राजस्व का क्षरण होता है ।

ऐसे बहुराष्ट्रीय उद्यमों में एक विस्तृत संविधिक ढाँचा, जिसके फलस्वरूप भारत में तर्क संगत, उचित तथा समान लाभों एवं करों की संगणना की जाती है, को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्त अधिनियम 2001 के द्वारा एक धारा 92 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित की गई है, तथा आयकर अधिनियम में नई धाराएं 92क तथा 92च लागू की गई हैं । नई अन्तरण मूल निर्धारण विनियमनों को रेखांकित करने वाले मूलभूत आशय का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय लेन देनों में प्रभारित अथवा संदत्त कीमतों में हेराफेरी करके जिसके द्वारा देश के कराधान का क्षरण होता है, लाभों को बाहर जाने से रोकना है ।

इस कार्य को करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 14 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या (का.आ. 881(अ)) के तहत दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई तथा बंगलौर में अन्तर्राष्ट्रीय कराधान निदेशालय की स्थापना की गई । इन स्थानों पर विदेशी कम्पनियों के कार्य कलापों के केन्द्र पर विचार करते हुए पांच केन्द्रों का चयन किया गया है । इन निदेशालयों को विदेशी कम्पनियों तथा अन्य गैर निवासियों के कर-निर्धारण तथा उनको किए गए भुगतानों से कर को रोकने के संबंधित सभी कार्य सौंपें गए ।

वित्त अधिनियम 2001 के द्वारा विस्तृत अन्तरण मूल्य निर्धारण विनियमनों को लागू करने के उपरान्त बोर्ड ने अन्तरण मूल्य निर्धारण लेखा परीक्षा के जटिल कार्यों को विशेष प्रकोष्ठ द्वारा कराने का निर्णय लिया । तदनुसार वर्ष 2002 में पाँच केन्द्रों पर अन्तरण मूल्य निर्धारण निदेशालयों की स्थापना की गई ।

4.23 अवसंरचना निदेशालय

अवसंरचना निदेशालय, निदेशालय की अवसंरचना के विकास तथा देश भर में परिसम्पत्ति प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है । इन कार्यों में अखिल भारतीय स्तर पर निर्माण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन शामिल है । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ भू-अधिग्रहण, निर्माण तथा कार्यालय एवं आवासीय भवनों का क्रय, आवासीय परिसरों को किराए पर लेना, मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा विभागीय भवनों के अनुरक्षण का कार्य शामिल है ।

क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अवसंरचना प्रस्तावों पर इस निदेशालय द्वारा कार्रवाई की गई तथा प्रशासनिक एवं व्यय मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकरण (आन्तरिक वित्त एकक, स्थाई वित्त समिति एवं गैर-योजनागत व्यय समिति) को सिफारिश की गई । इसके अतिरिक्त इस निदेशालय ने कार्यालय तथा आवासीय स्थलों के क्रय के लिए बजट का निर्माण किया, संसदीय प्रश्नों विशिष्ट व्यक्तियों तथा संसद सदस्यों के पत्रों, न्यायालय मामलों तथा अन्य विविध मामलों पर कार्यवाही की।

4.24 निदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान)

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दिनांक 30 मई, 2005 की अधिसूचना सं0 1/2005 के अनुसार निदेशालय (विधिक) का सृजन किया गया है ।

इस निदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान) द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों से सभी विशेष अनुमति याचिका प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। इन प्रस्तावों की जांच करने के उपरान्त विशेष अनुमति याचिका दायर करने की उपयुक्तता के संबंध में विशिष्ट टिप्पणियों के साथ फाइलें सदस्य (ए एण्ड जे) को प्रस्तुत की जाती हैं । सदस्य (ए एण्ड जे) का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त विशेष अनुमति याचिका दायर करने के लिए आगे की कार्यवाही हेतु फाइलें वित्त मंत्री को भेजी जाती हैं । विशेष अनुमति याचिकओं की सुनवाई के दौरान सभी अनुवर्ती कार्रवाइयाँ निदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान) द्वारा की जाती है। इस निदेशालय ने 26 सितम्बर 2005 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है । निदेशालय (विधिक एवं अनुसंधान) में विशेष अनुमति याचिकाओं का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है । 26.9.2005 से आज तक इस निदेशालय ने 407 विशेष अनुमति याचिकाओं के मामलों पर कार्रवाई की है ।

4.25 आयकर निदेशालय (प्रणाली)

चालू वित्त वर्ष के दौरान इस निदेशालय का निष्पादन एवं गतिविधियाँ अध्याय 23-"ई गवर्नेंस" के "केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में ई-गवर्नेंस" के अन्तर्गत दी गई हैं ।

5. स्वापक नियंत्रण प्रभाग

भारत में औषधि कानून के प्रवर्तन के लिए सांविधिक ढांचे को परिभाषित करने के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985(एन डी पी एस अधिनियम 1985) के प्रशासन के लिए राजस्व विभाग उत्तरदायी है। अफीम की खेती, पोस्तों के विनिर्माण और औषध की समस्या से निपटने के लिए पहले तीन अलग-अलग प्राधिकरणों की स्थापना की गई थी । इन तीन प्राधिकरणों के नाम इस प्रकार हैं-

(क) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सी0बी0एन0)

(ख) सरकारी अफीम एवं क्षारोध कार्य (जी0ओ0ए0डब्ल्यू0), मुख्य नियंत्रक फैक्टरी (सी.सी.एफ.) के अंतर्गत नीमच और गाजीपुर

(ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन0सी0बी0)

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो का प्रशासनिक नियंत्रण अब वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग से गृह मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया है । अन्य दो संगठन नामतः केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सी0बी0एन0) तथा सरकारी अफीम और क्षारोध कार्य (जी0ओ0ए0डब्ल्यू0) वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में स्वापक नियंत्रण प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं ।

क. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (के.स्वा.ब्यू.) :

कार्यभार/कार्यसंचालन -

1. वैध अफीम की खेती के बारे में-

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 5 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत, भारत सरकार ने अपनी अफीम-पोस्त की खेती और अफीम के उत्पादन के कार्य की देख-रेख के लिए स्वापक आयुक्त की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की स्थापना की है । केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर अफीम की आवश्यकता का निर्धारण किया जाता है और अन्य संबंधित संगठनों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तार से सलाह मशवरा करने के बाद भारत सरकार किसी फसल वर्ष के लिए अफीम की नीति की घोषणा करती है जिसमें अन्य चीजों के साथ अफीम की खेती करने वालों को लाइसेंस देने के लिए सामान्य शर्तें तथा निबंधन और अफीम की खेती के लिए लाइसेन्स दिए जाने के लिए अपेक्षित क्षेत्र शामिल हैं ।

अफीम पोस्त की वैध खेती मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान राज्यों के अधिसूचित भूभागों में की जाती है । फसल वर्ष 2004-05 के दौरान में 70 डिग्री संसक्ति पर 439 टन अफीम प्राप्त की गई थी । फसल वर्ष 2004-05 के लिए मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश से प्राप्त अनन्तिम परिणामों के आधार पर 70 डिग्री संसक्ति पर औसत फसल क्रमशः 58.56, 53.85 और 43.15 किलोग्राम/हैक्टेयर थी । फसल वर्ष 2004-05 के दौरान 70 डिग्री संसक्ति (अनन्तिम) पर अखिल भारतीय स्तर पर औसत फसल 56.4 कि0ग्रा0 प्रति हैक्टेयर थी पूर्ववर्ती फसल वर्ष 2003-2004 की तुलना में अखिल भारतीय औसत फसल 2 कि0ग्रा0 कम है ।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने फसल वर्ष 2005-06 में कुल 7250 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 72480 कृषकों को लाइसेंस दिए ।

स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों तथा पुरोगामी रसायनों के व्यापार पर नियंत्रण

भारत संयुक्त राष्ट्र का स्वापक औषधि कन्वेंशन, 1961, मनःप्रभावी पदार्थ कन्वेंशन, 1971 और स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरूद्ध कन्वेंशन, 1988 का हस्ताक्षरकर्ता हैं ।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के विनिर्माण के विनियमन तथा स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों तथा पुरोगामी रसायनों के आयात और निर्यात और इन्हें वैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हटाने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए भी उत्तरदायी है । केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों तथा पुरोगामी रसायनों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कार्रवाई करता है ।

भारत में स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के माध्यमों से स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों तथा पुरोगामी रसायनों पर नियंत्रण रखा जाता है । भारत में स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों (उनके अतिरिक्त जो निषिद्व हैं) को, स्वापक आयुक्त द्वारा जारी आयात प्रमाणपत्र के तहत आयातित किया जा सकता है । इसी प्रकार, स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों का भारत से बाहर निर्यात, स्वापक आयुक्त द्वारा जारी निर्यात अनुज्ञप्ति के तहत ही किया जा सकता है ।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो एक सक्षम प्राधिकारी के रूप में देश के भीतर और बाहर स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों तथा पुरोगामी रसायनों के आयात एवं निर्यात हेतु आयात प्रमाण पत्र, निर्यात अनुज्ञप्ति तथा अनापत्ति प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए उत्तरदायी है । स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों तथा उनके पुरोगामी रसायनों की संवेदनशील प्रकृति पर विचार करते हुए आयात प्रमाण पत्र/ निर्यात अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है ।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 का प्रवर्तन

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो (सी बी एन) स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों और पुरोगामी रसायनों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए कार्रवाई करता है । यह औषधि संबंधी अपराधों की जॉच तथा उनसे संबंधित अभियोजन, समपहरण और जब्ती के लिए अवैध रूप से औषधि के अवैध व्यापार से अर्जित संपत्ति का पता लगाने और उस संपत्ति पर रोक लगाने की कार्रवाई भी करता है ।

वर्ष 2005 के दौरान (30.11.05 तक) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो द्वारा की गई वित्तीय जांच के परिणामस्वरूप, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1985 के तहत चार मामलों में नशीले पदार्थों का गैर कानूनी धंधा करने वाले और उनके रिश्तेदारों की 1,36,02,175/- रू0 की चल अचल सम्पत्ति जब्त की गई ।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने पी आई टी एन डी पी एस, अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत औषधि के अवैध व्यापार करने वालों को निरूद्ध करने के लिए भी कार्रवाई की है और वर्ष 2005 के दौरान (30.11.05 तक) निरूद्ध करने वाले प्राधिकारी के आदेशों द्वारा 12 व्यक्तियों को निरूद्ध किया गया था। 11 व्यक्तियों के विरूद्ध नजरबंदी की सलाहकार बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई है जबकि एक व्यक्ति के संबंध में नजरबंदी आदेश को रद्द कर दिया गया था ।

वर्ष 2005 के दौरान (30 नवम्बर, 2005 तक) 89 किलोग्राम अफीम, 15 किलोग्राम हेरोइन, 15 किलोग्राम मार्फीन, 2 किलोग्राम चरस, 2323 किलोग्राम गांजा और 6243 किलोग्राम पोस्त का छिलका, 214 लीटर ऐसेटिक एनहाइड्राइड की कुल मात्रा जब्त की गई थी और एन डी पी ए अधिनियम, 1985 के तहत विभिन्न अपराधों के अंतर्गत 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की उपलब्धियाँ

(i) वैध अफीम पोस्त की खेती के प्राक्कलन के लिए सैटेलाइट इमेजरी और पोस्त की फसल को नुकसान

अंतरिक्ष विभाग, हैदराबाद के अंतर्गत उन्नत डाटा अनुसंधान संस्थान के सहयोग से केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने भारतीय दूर-संवेदी संस्थान के जरिए वैध कृषि के अंतर्गत अफीम पोस्त का पता लगाने और उसके आकलन के लिए एक अग्रगामी परियोजना का कार्य हाथ में लिया है । इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के कारण अफीम पोस्त की खेती के नुकसान की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग करते हुए परीक्षण किए जा रहे हैं । इस तकनीक का प्रयोग वर्ष 2005 में प्रायोगिक पैमाने पर ओला वृष्टि/वर्षा, जो मार्च, 2005 में राजस्थान के कुछ भागों में हुई थी, के कारण अफीम पोस्त की फसल को क्षति की सीमा, यदि कोई हो, का निर्धारण करने के लिए भी किया गया है ।

(ii) अफीम पोस्त के कृषकों के लिए स्मार्ट कार्ड परियोजना का कार्यान्वयन

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने अफीम पोस्त के कृषकों के लिए स्मार्ट कार्ड परियोजना के कार्यान्वयन की परियोजना शुरू की है । कृषकों के स्मार्ट कार्ड में एक माइक्रोचिप होगा जिसमें लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र, फसल क्षेत्र उत्पादित अफीम और कृषकों को दी गई कीमत आदि के संबंध में कृषकों के पिछले कार्य निष्पादन के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़े निहित हैं । कृषि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण और आगे आंकड़ों के संग्रहण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए आंकड़ों के पारेषण की प्रक्रिया को डिजीटाइस करने की स्मार्ट कार्ड परियोजना का चित्तौड़गढ़-I और नीमच-I के दो अफीम प्रभागों में फसल वर्ष 2004-05 के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है । परियोजना का मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्य में स्थित 17 अफीम प्रभागों को शामिल करने के लिए विस्तार किया जा रहा है ।

एक बार परियोजना के कार्यान्वित हो जाने पर विभिन्न कृषि कार्यों का परिवीक्षण किया जा सकेगा और नियंत्रणों को सुदृढ़ करने के लिए मनुष्यों और संसाधानों के अधितकतम आवंटन सहित नीति स्तर पर निणयों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकेगा ।

(iii) संयुक्त वैध अफीम पोस्त सर्वेक्षण (जे एम ओ पी एस)

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो ने अफीम गोंद की फसल का प्राक्कलन करने के प्रणाली विज्ञान का विकास करने के क्षेत्र में और यह पता लगाने के लिए कि फसल किस प्रकार केपसूल मात्रा आकार पर निर्भर है तथा मौसम की स्थिति, मिट्टी का प्रकार, जलवायु संबंधी जोन, आर्द्रता और तापमान आदि जैसे अन्य घटकों का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक परियोजना भी शुरू की है । अफीम की उपज पर विभिन्न कारकों और पैरामीटरों के प्रभाव की जांच के लिए अमरीकी और भारतीय कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से जे एल ओ पी एस प्रयोग किए जा रहे हैं । ऐसे जे एल ओ पी एस प्रयोग मौजूदा फसल वर्ष 2005-06 के दौरान आयोजित किए गए हैं ।

(iv) केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो में लोक शिकायत स्थापना का कार्यकरण

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो पोस्त की खेती के लाइसेंसों से संबंधित कार्यों को देखता है । अफीम पोस्त कृषकों की विभिन्न शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से नीमच, कोटा और लखनऊ स्थित स्वापक उपायुक्त के मुख्यालयों में सार्वजनिक शिकायत समिति कार्य कर रही है । इस समिति की बैठक की आवर्तिता तिमाही है और कृषि मौसम में यह मासिक है ।

(v) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वित किया गया है । केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अधिसूचित किया गया है । केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो के विस्तृत कार्य और किए

गए कार्यों के विभिन्न पहलू केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो की वेबसाइट एच टी टीपीः/ सीबीएन. एनआईसी. इन पर भी उपलब्ध है ।

(ख) शासकीय अफीम और क्षारोध कार्य(जी0ओ0ए0डब्ल्यू0/मुख्य नियंत्रक फैक्टरियाँ)

सरकारी अफीम एवं क्षारोध फैक्टरियां निर्यात प्रयोजनार्थ कच्ची अफीम को तैयार करने तथा गाजीपुर (उ. प्र.) तथा नीमच (म. प्र.) में अपनी दो फैक्टरियों अर्थात् सरकारी अफीम एवं क्षारोध कार्य (जी ओ ए डब्ल्यू) के माध्यम से स्वापक क्षारोध / सक्रिय औषधीय अवयवों के विनिर्माण के कार्य में लगी हुई हैं । सरकारी अफीम एवं ऐल्कालॉइड वर्क्स में बनाए गए उत्पाद मुख्य रुप से खांसी के सीरप, दर्द निवारकों तथा अत्यंत बीमार कैंसर रोगियों और एच0 आई0 वी0 के मरीजों के लिए गोलियां तैयार करने हेतु भारत के औषधीय उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाते हैं । सरकारी अफीम और क्षारोध कारखाने 1970 में भारत सरकार द्वारा गठित और अधिसूचित एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रबंध समिति द्वारा प्रशासित होते हैं जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अपर सचिव (राजस्व) हैं । आयुक्त/संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी फैक्ट्रियों का मुख्य नियंत्रक होता है जो संगठन का प्रमुख होता है । दोनों फैक्टरियों में प्रत्येक का प्रबंध अपर आयुक्त/ निदेशक के स्तर के महाप्रबंधक द्वारा किया जाता है । फैक्टरियों के विपणन तथा वित्त प्रकोष्ठ नई दिल्ली में अवस्थित हैं । प्रत्येक फैक्टरी की दो इकाइयां हैं- अफीम फैक्टरी तथा ऐल्कॉयड कार्य । अफीम की फैक्टरियां, खेतों से अफीम की प्राप्ति, निर्यात तथा घरेलू उपभोग के लिए इसके भंडारण और निर्माण का कार्य करती हैं । क्षारोध कार्य औषधीय उद्योग की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कच्ची अफीम को औषधकोशीय ग्रेडों के क्षारोध में संसाधित करने के काम में लगे हैं। जी ओ ए डब्ल्यू के अफीम तथा अल्कालॉयड संयत्रों में कुल 1400 कार्मिकों का कार्यबल है । सीधे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कार्मिकों के अतिरिक्त कार्यबल में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला से लिए गए अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल हैं । इन फैक्टरियों के सुरक्षा पहलुओं से सबंधित कार्य गृह मंत्रालय के अंतर्गत अर्द्धसैनिक बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (केऔसुब) द्वारा देखे जाते हैं ।

चालू वर्ष 2005-2006 के अप्रैल से नवम्बर, की अवधि के दौरान उपलब्धियां निम्नानुसार हैं-

सी सी एफ संगठन की उपलब्धि

नवम्बर, 2005 के महीने तक और पिछले वर्ष अर्थात 2004 की इसी अवधि के लिए तुलनात्मक आंकड़े

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	नवम्बर तक वास्तविक उत्पादन		पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
			2004-05	2005-06	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क. उत्पादन				
1	90 डिग्री सेन्टीग्रेड पर निर्यात हेतु अफीम को सुखाना	मी.ट.	261	263	1
2	औषधि विनिर्माण :				
	क) कोडीन सल्फेट	कि. ग्रा.	—-	203	100
	ख) मारफीन साल्ट	कि. ग्रा.	37	26	- 30
	ग) कोडीन फास्फेट	कि. ग्रा.	5338	5733	7
	घ) डायोनीन	कि. ग्रा.	42	203	383
	ढ) शुद्ध थेबैन	कि. ग्रा.	352	226	- 26
	च) नास्कोपाइन बीपी	कि. ग्रा.	481	1711	256
	छ) फोलोकोडाइन	कि. ग्रा.	—-	5	100
	ज) आईएमओ पाउडर	कि. ग्रा.	1055	1040	- 1
	झ) आईएमओ केक	कि. ग्रा.	517	967	87
	योग (2)		**7822**	**10114**	**29**

ख. बिक्रियां

क्रम संख्या	विवरण	2004-05		2005-06	
		मात्रा (कि.ग्रा. में)	(रु./करोड़)	मात्रा (कि.ग्रा. मे)	(रु./करोड़)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संशक्ति आधार पर अफीम का निर्यात	117913	45.65	321284	104.10
2	औषधि की घरेलू (संशक्ति आधार पर)				
	क) कोडीन सल्फेट	54	0.20	120	0.44
	ख) मारफीन लवण	49	020	35	0.14
	ग) कोडीन फास्फेट	8819	29.10	13533	44.57
	घ) डायोनीन	242	1.04	211	0.91
	ड) शुद्ध थेबैन	280	1.19	350	1.49
	च) पापावेराइन	102	0.04	297	0.06
	छ) नास्कोपाइन बीपी	813	1.79	1727	3.97
	ज) पोलोकोडाइन	—-	—-	5	0.03
	झ) आईएमओ पावडर	661	0.23	1437	0.53
	ञ) आईएमओ केक	963	0.30	1081	0.34
	योग	11983	34.09	18796	52.48
	कुल जोड़ (1+2)	**129896**	**79.74**	**340080**	**156.58**

ग. अफीम का देशवार निर्यात

90 डिग्री से0 पर (मात्रा मी. टन में)

इकाई	सं.रा.अमे.	फ्रांस	जर्मनी	जापान	ईरान	जोड़
2004-05						
गाजीपुर	0	0	0	55	0	55
नीमच	52	0	1	0	10	63
जोड़	**52**	**0**	**1**	**55**	**10**	**118**
2005-06						
गाजीपुर	34	0	0	50	0	84
नीमच	237	0	0	0	0	237
जोड़	**271**	**0**	**0**	**50**	**0**	**321**

घ. वसूली के आधार पर राजस्घव प्राप्तियां

(रुपये करोड़ों में)

इकाई	अफीम फैक्टरी	क्षारोध कार्य	जोड़
2004-05			
गाजीपुर	23.94	12.15	36.09
नीमच	43.86	22.16	66.02
जोड़	**67.80**	**34.31**	**102.11**
2005-06			
गाजीपुर	10.42	10.04	20.46
नीमच	61.86	41.74	103.60
जोड़	**72.28**	**51.78**	**124.06**

अफीम/अल्कालॉयड के संसाधन के कारण फैक्टरियों में होने वाले वायु तथा जल प्रदूषण को संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा निर्धारित विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करके कड़े नियंत्रण में रखा जाता है । व्यर्थ पदाथों का निपटान संबंधित बोर्डों द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों तथा अनुदेशों द्वारा किया जाता है । दोनो फैक्टरियों में व्यर्थ पदार्थ शोधन संयत्र प्रचालन कार्य कर रहे हैं ।

6. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो

संगठन एवं कार्यकलाप

ब्यूरो के अध्यक्ष विशेष सचिव एवं महानिदेशक है जिनको उपमहानिदेशक, संयुक्त सचिव (कोफेपोसा) सहायक महानिदेशक, अवर सचिव, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एवं अन्य स्टाफ कार्य में सहायता करता है। ब्यूरो के अधिकारियों एवं स्टाफ की संस्वीकृत संख्या 113 है।

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो का चार्टर दो पक्षों, अर्थात पहला आर्थिक आसूचना परिषद (ई आई सी) के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करना और आर्थिक आसूचना (इकोइनट) संबंधी दूसरे पक्ष पर ध्यान केन्द्रित करने का अधिदेश करता है। इस अधिदेश के आलोक में ब्यूरो के कार्यकलापों का बल आर्थिक अपराधों को निपटाने वाली विभिन्न प्रवर्तन और अन्वेषण एजेंसियों के बीच प्रचालनात्मक समन्वय पर है। ब्यूरो इकोइनट के सभी स्रोतों से आसूचना रिपोर्टों को प्राप्त करता है मिलाता है विश्लेषण करता है और इनका उपयोगकर्ताओं/उपभोक्ताओं/निर्णयदाताओं के बीच प्रचार करता है। ब्यूरो आर्थिक अपराधों के विभिन्न पहलुओं की और ऐसे अपराधों के नये प्रकारों के उद्‌गम की निगरानी करता है, क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों (क्षे0आ0आ0स0) के कार्यकलापों का समन्वय करता है और कोफेपोसा अधिनियम को क्रियान्वित करता है। यह राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी आयोजित करता है।

ब्यूरो 18 क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों (क्षे0आ0आ0स0) का पर्यवेक्षण करता है और इनके कार्यकलापों की निगरानी करता है जो क्षेत्रीय स्तर पर नोडल एजेंसियां है और क्षेत्रीय स्तर पर आर्थिक अपराधों को निपटाने वाली विभिन्न प्रवर्तन एवं अन्वेषण एजेंसियों के बीच समन्वयन कार्य हेतु गठित की गई हैं।

ब्यूरो का निष्पादन

क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति के संशोधित अधिदेश के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति के घटक सदस्यों के बीच सघन समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति की मौजूदा समन्वय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है। नियमित अन्तराल पर बैठकें आयोजित करने के लिए और प्रतिनिधित्व करने वाले विभाग/एजेंसियों से पदनामित अधिकारियों द्वारा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों की बैठकों की आवृत्ति में सुधार हुआ है। सूचना के आदान-प्रदान में और क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों में आदान-प्रदान की जा रही सूचना की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।

चालू वित्तीय वर्ष (जनवरी-2006 तक) के दौरान ब्यूरो द्वारा किए गए मुख्य कार्य

* विभिन्न आसूचना और नीतिगत विषयों पर विचार करने के लिए दिनांक 12.4.2005 को विशेष सचिव एवं महानिदेशक केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की अध्यक्षता में अन्तः एजेंसी समूह के अधिकारियों की केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में एक बैठक हुई। आर्थिक आसूचना परिषद (ई आई सी) से संबंधित आसूचना उपकरणों पर सिफारिशें कार्यकारी समूह के पास विचारार्थ प्रस्तुत की गई है।

* आर्थिक आसूचना परिषद (ई आई सी) से संबंधित आसूचना उपकरण पर कार्यकारी समूह की राजस्व सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 10.6.2005 को एक बैठक हुई थी और ई0आई0सी0 के विचारार्थ कार्यसूची को अन्तिम रूप दिया था।

* विशेष सचिव एवं महानिदेशक, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो ने दिनांक 15.7.2005 को मुम्बई में आयोजित संयोजकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में सभी आयकर महानिदेशकों (जांच)/मुख्य आयुक्तों (सी0शु0 एवं के0उ0शु0) ने अपनी-अपनी क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों में अपने अपने संयोजक की हैसियत से भाग लिया बैठक में सभी क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समितियों के विभिन्न समस्याओं और चालू विषयों पर चर्चा की गई।

* आर्थिक आसूचना परिषद की दिनांक 23.11.2005 को आयोजित बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की जिसमें विभिन्न संस्थागत और नीतिगत विषयों पर चर्चा की गई थी। बैठक में आर्थिक आसूचना परिषद के सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा भी भाग लिया गया।

* आर्थिक आसूचना परिषद की बैठक के दौरान माननीय वित्त मंत्री के निदेशानुसार विभिन्न आसूचना एजेंसियों का एक नोडल समूह केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो की छत्रछाया में बनाया गया है। ब्यूरो का मुख्य कार्य आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न आर्थिक एजेंसियों के बीच वर्द्धित समन्वय को सुनिश्चित करना है। विभिन्न आसूचना एजेंसियों के बीच अपरिपक्व सूचना के आदान-प्रदान हेतु ब्यूरो द्वारा एक प्रोटोकाल तैयार किया गया है। विभिन्न एजेंसियों से सूचना नियमित रूप से प्राप्त की जा रही है और ब्यूरो द्वारा उसे संगत एजेंसियों को प्रसारित की जा रही है। केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो में नोडल अधिकारियों की पहली बैठक दिनांक 15.12.2005 को आयोजित की गई थी और दूसरी बैठक दिनांक 17.1.2006 को आयोजित की गई थी।

* ब्यूरो ने राजस्व आसूचना निदेशालय, सभी मंडलों के सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्तों, सीमा सुरक्षा बल और सभी राज्यों के मुख्य वन संरक्षक के साथ यह मामला उठाया कि वे पर्यावरण एवं वन संबंधी विशेषकर विभिन्न जंगली जन्तुओं और पौधों के सीमा-पार अवैध व्यापार, खतरनाक छीजन के अवैध आयात और ढेर लगाने, खतरनाक रसायनों के विनिर्माण तथा परिवहन पर निगरानी रखने, विदेशी समुद्री पौधों और जलीय जन्तुओं की तस्करी संबंधी आवधिक रिपोर्टें/आसूचनाएं भेजें।

* कथित विषयवस्तु पर एन0एस0सी0एस0 द्वारा सदंर्भित विशिष्ट मुद्दों पर प्राप्त निविष्टियों तथा रिपोर्टों के आधार पर जाली भारतीय मुद्रा नोटों की जब्ती के महत्वपूर्ण मामलों के बारे में और जाली भारतीय मुद्रा नोटों के मुद्रण तस्करी एवं परिचालन के रूझान के बारे में ब्यूरो एन0एस0एस0सी0 को समय-समय पर सूचना उपलब्ध कराता रहा है। केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो भी जाली भारतीय मुद्रा नोटों के मुद्रण, तस्करी एवं परिचालन के रूझान के बारे में भी सूचना देता रहा है जो विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त सूचना पर आधारित होता है और उसके बारे में एन0एस0सी0एस0 को भी सूचित करता है।

* ब्यूरो का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों से जब्ती/अपराध रिपोर्टें प्राप्त करना जारी रहा। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक ब्यूरो ने उत्पाद शुल्क की 131 रिपोर्टें और सीमा शुल्क की 32 रिपोर्टें संबंधित क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति को अपनी अपनी बैठकों में उठाने के लिए प्रेषित की है।

* ब्यूरो, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर के क्षेत्रीय कार्यालयों से भी आसूचना प्राप्त करता है। आसूचना की इन मदों की अखिल भारतीय प्रभाव और नीतिगत परिवर्तनों हेतु जांच की जाती है। तत्पश्चात वे उपयुक्त परामर्श सहित संगत कार्यालयों नामतः डी0जी0सी0ई0आई, राजस्व आसूचना निदेशालय, और के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड, के0प्र0कर बोर्ड को कार्यप्रणाली परिपत्र जारी करने, अन्य कार्रवाई इत्यादि के लिए प्रेषित किए जाते हैं।

कोफेपोसा अधिनियम का प्रशासन

राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी सहित कोफेपोसा अधिनियम, 1974 का समग्र प्रशासन, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो द्वारा निष्पादित कार्यों में से एक है। गत कुछ वर्षों के दौरान आरम्भ की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बावजूद आर्थिक कानूनों के उल्लंघनों के कार्य होते ही रहते हैं। कोफोपोसा अधिनियम, 1974 (विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम) तस्करी की लड़ाई और विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी के विरूद्ध एक अवरोधक के रूप में कार्य करता है। दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 के दौरान केन्द्रीय सरकार के विशेष रूप से सशक्त अधिकारियों

द्वारा 12 नजरबंदी आदेश जारी किए गए थे। इस अवधि के दौरान तथापि, पन्द्रह व्यक्तियों को वास्तव में नजरबंद किया गया जिनमें वे शामिल थे जिनके लिए केन्द्रीय सरकार के विशेष रूप से सशक्त अधिकारियों द्वारा इस वर्ष और गत वर्ष के दौरान नजरबंदी आदेश जारी किए गए थे।

बुलेटिन/प्रकाशन

ब्यूरा "न्यूजलैटर एवं इन्टेलिजेन्स डाइजेस्ट" प्रकाशित करता है जिसमें सविस्तार आर्थिक अपराधों में रूझानों का संकलन शामिल होता है, जो आर्थिक मामलों को निपटाने वाली विभिन्न संस्थाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के एक लाभदायक संदर्भ सामग्री है।

वर्ष के अन्त में "आर्थिक रूझानों अपराधों एवं विश्लेषण का संग्रह" के रूप में एक समेकित प्रकाशन निकाला जाता है जो अभी चल रहा है।

पर्यावरण पर प्रभाव डालने संबंधी मामलों के प्रकाशित करने के लिए ब्यूरो द्वारा एनविरोसकॉन का आवधिक प्रकाशन लिया जाता है।

प्रशिक्षण

आसूचना एकत्र करने की तकनीक इत्यादि में राजस्व विभाग के अधिकारियों की अन्वेषणात्मक कुशलता को बढ़ाने के लिए ब्यूरो ने विभिन्न विशिष्टीकृत प्रशिक्षण संस्थाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। वर्ष 2005-06 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए थे -

* राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में "बीमा क्षेत्र में विनियमन एवं धोखाधड़ी"
* सरदार वल्लभभाई पटेल पुलिस अकादमी, हैदराबाद में "साइबर अपराध"
* पूंजी बाजार के भारतीय संस्थान, मुम्बई में "वित्तीय एवं पूंजीगत बाजार में आर्थिक अपराध का अन्वेषण"
* स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में "बैंककारी प्रचालन एवं वित्तीय कानून प्रवर्तन"
* सेना आसूचना एवं प्रशिक्षण निदेशालय पुणे में "आसूचना एकत्रण एवं आसूचना ट्रेडक्राफ्ट"
* मंत्रिमंडल सचिवालय प्रशिक्षण संस्थान, गुड़गांव में "आसूचना एकत्रण एवं आसूचना ट्रेडक्राफ्ट"

पेपर

ब्यूरो ने भारत में इलैक्ट्रानिक छीजन के आयात का गहन रूप से अध्ययन किया है। "इंडिया-दी फेवरिट ई-वेस्ट डेस्टीनेशन" नामक अध्ययन रिपोर्ट की प्रति निम्नलिखित को प्रस्तुत की गई थी।

(i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(ii) महानिदेशक, विदेश व्यापार और

(iii) निदेशक, एन0एस0सी0एस0

महानिदेशक, विदेश व्यापार के कार्यालय से ब्यूरो द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर डी0जी0एफ0टी0 ने उक्त अध्ययन रिपोर्ट पर नवम्बर, 2005 में वाणिज्य विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और राजस्व विभाग की टिप्पणियां/विचार मंगवाए गए हैं।

जीव जन्तु और वनस्पति की खतरे में पड़ी नस्लों के अवैध व्यापार सम्बन्धी सूचना का ब्यूरो द्वारा संबंधित एजेंसियों के साथ आदान-प्रदान किया जाता है।

लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियां

दिनांक 25 जनवरी, 2006 की स्थिति के अनुसार कोई लेखा परीक्षा पैरा लंबित नहीं है।

7. प्रवर्तन निदेशालय

संगठन और कार्यकलापः

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम,1947 के प्रावधानों के उल्लंघनों की जांच पड़ताल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में की गई थी। विदेशी मुद्रा अधिनियम,1973 के निरसन के बाद निदेशालय को विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम(फेमा), 1999 के अंतर्गत मुख्यतया जांच पड़ताल और न्यायनिर्णयन एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, धन शोधन निवारणअधिनियम(ध0शो0नि0अ0) 2002 दिनांक 1.7.05 से प्रवृत्त हुआ है और इस निदेशालय को इसका प्रवर्तन सौंपा गया है। निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत व्यापक नियमावली तैयार की है जिसे अब 1.7.2005 से अधिसूचित किया गया है।

वर्तमान में निदेशालय के अहमदाबाद, बंगलौर, चैन्नई, दिल्ली, जालंधर, कोलकाता और मुम्बई में सात क्षोत्रीय कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, निदेशालय के आगरा, कोजीकोड (कालीकट), गुवाहाटी, पणजी, हैदराबाद, जयपुर, तिरूअनंतपुरम और वाराणसी, श्रीनगर में उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मुदरै में भी एक क्षेत्रीय एकक है।

निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम में परिवर्तन के संदर्भ में मंत्रालय को एक पुनर्संगठन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और धन शोधन निवारण अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में दायित्व दिया गया है।

निदेशालय के मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार हैं :-

(i) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के उपबंधों के उल्लंघन से संबंधित आसूचना को एकत्र करना और उसका विकास करना, उसका प्रचार करना। आसूचना जानकारी अन्य केन्द्रीय और राज्य आसूचना एजेंसियों, शिकायतों आदि जैसे विभिन्न संसाधनों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं।

(ii) 'हवाला' विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी, निर्यात से होने वाली आय की वसूली न होना, विदेशी मुद्रा का गैर प्रत्यावर्तन जैसी गतिविधियों से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के उपबंधों के संदेहास्पद उल्लंघनों और ' फेमा' 1999 के अधीन उल्लंघनों के अन्य रूपों की जांच पड़ताल करना।

(iii) तत्कालीन विदेशी मुद्रा विनयमन अधिनियम 1973 और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के उल्लंघन के मामलों का न्यायनिर्णयन।

(iv) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर अधिरोपित शास्तियों को वसूल करना।

(v) तत्कालीन फेरा,1973 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन, अपीलों और अभियोजना मामलों को देखना।

(vi) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (कोफेपासा) के अधीन मामलों पर कार्रवाई करना और निरूद्ध करने के लिए सिफारिश करना।

(vii) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराधों की आय को रोकने और जब्ती के अतिरिक्त धन शोधन निवारण अधिनियम के अपराधी के विरूद्ध सर्वेक्षण, तलाशी, अभिग्रहण, गिरफ्तारी, अभियोजन कार्रवाई आदि करना।

(viii) धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्तियों के अंतरण के संबंध में साथ ही अपराध की आय की कुर्की/जब्ती के संबंध में संविदाकारी राज्यों से/को आपसी कानूनी सहायता उपलब्ध कराना और लेना।

वर्ष 2005-06 के दौरान निष्पादन और उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2005-06 (नवम्बर तक) के दौरान उपलब्धियों की विशेषताएं निम्नानुसार हैं-

(i) फेरा 1973, के न्यायनिर्णयन मामले-

439 फेरा मामलों का न्यायनिर्णयन किया गया है।

(ii) फेमा,1999 के न्यायनिर्णयन मामलें

362 फेमा मामलों का न्यायनिर्णयन किया गया।

(iii) फेरा, 1973 के अंतर्गत शास्ति की वसूली वर्ष 2005-06(नवम्बर तक) के दौरान कुल 627.65 लाख रूपये की शास्ति वसूल की गई।

(iv) फेमा,1999 के अंतर्गत शास्ति की वसूलीः

न्यायनिर्णियन मामलों में फेमा 1999 के अंतर्गत वसूली गई शास्ति 74.97 लाख रूपये है।

(v) फेरा,1973 के अंतर्गत भारतीय मुद्रा की जब्तीः

(क) जब्त की गई 241.01 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करा दी गई।

(ख) इसके अतिरिक्त, न्यायनिर्णयन आदेशों के पारित हो जाने के परिणाम-स्वरूप 90.40 लाख रु0 की विदेशी मुद्रा राशि को जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। उस राशि की जब्ती और केन्द्र सरकार के खाते में उसे जमा किया जाना कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

(vi) फेरा,1973 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की जब्ती

(क) जब्त की गई 174.29 लाख रूपये की विदेशी मुद्रा केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करा दी गई।

(ख) इसके अतिरिक्त, न्यायनिर्णयन आदेशों के पारित हो जाने के परिणाम-स्वरूप 07.47 लाख रु0 की विदेशी मुद्रा राशि को जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। उस राशि की जब्ती और केन्द्र सरकार के खाते में उसे जमा किए जाने की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

(vii) फेमा, 1999 के अंतर्गत भारतीय मुद्रा की जब्ती

(क) 88.36 लाख रु0 की जब्त की गई भारतीय मुद्रा की राशि केन्द्र सरकार के खाते में जमा करा दी गई है।

(ख) इसके अतिरिक्त न्यायनिर्णयन आदेशों के पारित हो जाने के परिणामस्वरूप 89.67 लाख रु0 की विदेशी मुद्रा की राशि को जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस राशि की जब्ती और उसे केन्द्र सरकार के खाते में जमा किया जाना कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

(viii) फेमा, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की जब्ती

(क) 16.89 लाख रु0 की विदेशी मुद्रा की राशि केन्द्र सरकार के खाते में जमा करा दी गई है।

(ख) इसके अतिरिक्त, न्यायनिर्णयन आदेशों के पारित हो जाने के परिणामस्वरूप 11.17 लाख रु0 की विदेशी मुद्रा को जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इस राशि की जब्ती और उसे केन्द्र सरकार के खाते में जमा कराने की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगी।

(ix) फेमा, 1999 के अंतर्गत पूछताछ का निपटान

1307 पूछताछ के मामलों का निपटान किया गया है।

(x) फेरा, 1973 के अंतर्गत अभियोजन मामलों का निपटान निपटाए गए गए अभियोजन मामलों की संख्या 149 थी।

वर्ष 2004-05(नवम्बर तक) वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशालय के विभिन्न क्रियाकलापों से संबंधित सांख्यिकी सूचना को अनुबंध 'क' में दर्शाया गया है।

निदेशालय ने प्रदूषण के उपशमन और अन्य पर्यावरण संरक्षण उपायों के लिए प्रयास किए हैं। निदेशालय ने कार्यालय परिसरों में धूम्रपान के विरूद्ध अपने अभियान को गहन करने का प्रयास किया है और सी0एन0जी0 किट लगाने आदि उपकरणों द्वारा भी वाहनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाया है।

अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2004-05 (नवम्बर तक) के दौरान
निदेशालय की विभिन्न गतिविधियों
से संबंधित सांख्यकीय सूचना

क.	तलाशियां और जब्तियाँ	फेमा			
1.	ली गई तलाशियां			106	
2.	जब्त विदेशी मुद्रा (रु0 लाखों में)			24.93	
3.	जब्त भारतीय मुद्रा (रु0 लाखों में)			708.23	
ख.	**अन्वेषण**				
1.	आरंभ की गई			915	
2.	निपटाई गई			1307	
3.	बकाया			5650	
4.	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस (करोड़ रु0 में)			547	
5.	जारी किए गए कारण बताओ नोटिस में अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रु0 में)			73.93	
ग.	**न्याय निर्णयन**	**फेरा**		**फेमा**	**कुल**
1.	न्याय निर्णयन मामले	439	+	362	801
2.	न्याय निर्णयन के लिए बकाया मामले	3905	+	847	4752
3.	विदेशी मुद्रा की जब्ती (रु0 लाखों में)	07.47	+	11.17	18.64
4.	भारतीय मुद्रा की जब्ती (रु0 लाखों में)	90.40	+	89.6 7	180.07
घ.	**शास्तियाँ**				
1.	लगाई गई (रु0 लाखों में)	57808.57	+	1707.49	59516.06
2.	वसूली गई(रु0 लाखों में)	627.65	+	74.97	702.62
3.	बकाया	536335.73	+	23615.92	559951.65

क.	तलाशियां और जब्तियाँ	फेमा			
ड.	**कोफेपासा**				
1.	जारी किए गए आदेश	शून्य	+	02	02
2.	नज़रबन्द किए गए	03	+	02	05
च.	**अभियोजन**				
I.	**निपटाए गए**	**149**			
1.	दोषसिद्धि	42			
2.	दोष मुक्त	08			
3.	उन्मोचन	10			
4.	वापसी	09			
5.	अन्यथा निपटाए गए	80			
II.	**लंबित**	**4717**			

8. गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण के लिए व्यवस्था

समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों और विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों की गैर-कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्तियों के समपहरण के लिए तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (सफेम (फोप)ए) उपबंध करता है। स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस. अधिनियम) अथवा किसी दूसरे देश के किसी समनुरूपी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के निवारण अधिनियम, 1988 तथा जम्मू एवं कश्मीर में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थों में अवैध व्यापार का निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत नजरबंद व्यक्तियों की गैर कानूनी रुप से अभिग्रहीत सम्पत्ति का पता लगाने, खरीद फरोख्त पर रोक लगाने, जब्ती और समपहरण के लिए उपबंध करता है।

गैर कानूनी रुप से अर्जित सम्पत्ति के समपहरण का कार्य निष्पादित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम उपबंध करता है। सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ और मुम्बई में स्थित हैं। सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों के प्रति अपीलों को सुनने के लिए तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम और स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम एक अपीलीय फोरम नामतः समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण की स्थापना की परिकल्पना करते हैं। समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण नई दिल्ली में स्थित है। समपहृत सम्पत्ति अपीलीय अधिकरण के एक अध्यक्ष होते हैं जो उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हों अथवा रहे हो अथवा होने के पात्र हों और दो सदस्य होते हैं जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से नियुक्त किए जाते हैं जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर से कम के नहीं होते हैं।

वित्त वर्ष 2005-2006 (सितम्बर 2005 तक) के दौरान सक्षम प्राधिकारियों ने 17 मामलों में कुल 57.65 लाख रुपए के मूल्य की सम्पत्ति समपहृत की है। वर्ष 2000-2001 से 2005-2006 (सितम्बर, 2005 तक) तक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रवर्तन एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टो की संख्या, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिसों की संख्या और इसमें संलिप्त सम्पत्ति का मूल्य, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समपहरण के लिए जारी किए गए आदेशों की संख्या और इसमें संलिप्त सम्पत्ति का मूल्य और बेची गई सम्पत्ति की बिक्री से हुई आय के मूल्य का वर्षवार विवरण नीचे अनुलग्नक में दिया गया है

समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण में 1 अप्रैल 2005 से 31 दिसम्बर, 2005 तक की अवधि के दौरान सफेम (फोप) ए के तहत 33 अपीलें और 47 विविध याचिकाएं तथा एन डी पी एस अधिनियम के तहत 31 अपीलें और 30 विविध याचिकाएं दर्ज की गईं। उपर्युक्त अवधि के दौरान केवल 94 अपीलों/ विविध याचिकाओं का निपटान किया गया।

अनुलग्नक

एन डी पी एस अधिनियम तथा सफेम(फोप) अधिनियम के तहत गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्ति का सम्पहरण

वित्तीय वर्ष	प्रवर्तन एजेन्सियों से प्राप्त रिपोर्टों की संख्या	समपहरण के लिए जारी किए गए नोटिसों की संख्या उसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य		जारी किए गए समपहरण आदेशों की संख्या उसमें शामिल सम्पत्ति का मूल्य		बेची गई सम्पत्ति की बिक्री आय का मूल्य (रूपये लाखों में)
		संख्या	मूल्य (रूपये लाखों में)	संख्या	मूल्य (रूपये लाखों में)	
2000-2001	491	159	2755	103	1662	201
2001-02	228	89	7223.12	50	3202.39	107
2002-03	995	72	1269.22	53	2498.60	18
2003-2004	1180	97	1547.75	25	977.01.	51.60
2004-2005	1357	162	3251.64.	25	650.93	73.67
2005-2006*	931	136	2117.58	17	157.65	167.26

* *अक्तूबर, 2005 तक।*

9. बिक्री कर अनुभाग

9.1 राजस्व विभाग का बिक्री कर अनुभाग वस्तुओं की अंतर्राज्जीय बिक्री पर लगाए गए केन्द्रीय बिक्री कर से संबंधित विधायी कार्य को देखता है। इसके अतिरिक्त, बिक्री कर अनुभाग भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 से संबंधित मामलों, राज्य स्तरीय मूल्यवर्धित कर (वैट) सेवाओं पर कर लगाने संबंधी सेवा कर विधायन तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (बिक्री कर के एवज में) से संबंधित मामलों को भी देखता है।

राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट)

9.2 राज्य वैट को लागू करना राज्य स्तर पर अत्यधिक उल्लेखनीय कर सुधार उपाय है। मौजूदा समय में क्रियान्वित किया जा रहा राज्य वैट, राज्यों की मौजूदा बिक्री कर प्रणालियों को प्रतिस्थापित करने के लिए है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्ट 54 के तहत किसी राज्य के अंदर वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर कर राज्य का विषय है। बिक्री कर सुधारों/राज्य वैट से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए भारत सरकार ने राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति (ई सी) गठित की है। राज्य वैट को क्रियान्वित करने का निर्णय 18 जून, 2004 को हुई अधिकार-प्राप्त समिति की बैठक में लिया गया था, जिसमें राज्यों के बीच 1 अप्रैल, 2005 में वैट लागू करने के लिए मोटे-तौर पर सर्वसम्मति हुई थी। तदनुसार, 31 दिसम्बर, 2005 तक 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वैट लागू किया गया है। 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी वैट लागू करना है। ये राज्य हैं : उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पाण्डिचेरी। शेष दो संघ राज्य क्षेत्र (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप) बिक्री कर/वैट नहीं लगाते हैं।

9.3 चूंकि बिक्री कर/वैट राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्र सरकार वैट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं :

(क) वैट को लागू करने के कारण संभावित राजस्व हानि के लिए राज्यों के प्रतिपूर्ति की अदायगी के लिए पैकेज की घोषणा की गई है।

(ख) माडल वैट बिल तैयार करवाया गया था और राज्यों के बीच परिचालित किया गया था ताकि उनको उनके वैट विधेयक तैयार करने में सहायता मिल सके। ।

(ग) 11 पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया की जा रही है ताकि वे वैट कम्प्यूटरीकरण और अन्य आवश्यक उपाय करने में समर्थ हो सकें।

(घ) वैट के लिए प्रचार अभियान करने के लिए अधिकार-प्राप्त समिति के साथ-साथ राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया करायी जा रही है।

(ड) टी आई एन एक्स एस वाई एस परियोजना के लिए 50 प्रतिशत निधियन भी मुहैया किया जा रहा है।

9.4 वैट के कार्यान्वयन का आरम्भिक अनुभव काफी उत्साहजनक रहा है। नई प्रणाली को व्यवसासी समुदाय के साथ-साथ आम जनता ने आमतौर पर अनुकूल रूप से लिया है। वैट का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में राजस्व संग्रहण की आरम्भिक प्रवृत्ति काफी उत्साहजनक रही है। वैट के कार्यान्वयन के पहले 7 महीनों (अप्रैल-अक्तूबर, 2005) के दौरा वैट का कार्यान्वयन करने वाले राज्यों ने कर राजस्व में लगभग 14.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है, जो कि इन राज्यों के लिए पिछले 5 वर्षों के लिए कर राजस्व के सी एस जी आर की तुलना में अधिक है।

9.5 इस अवस्था में चिन्ता का एक प्रमुख मुद्दा यह है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिन्होंने अभी तक वैट कार्यान्वित नहीं किया है, अति शीघ्र इसे कार्यान्वित करें। वैट प्रणाली के बहुत से लाभ जैसे पूरे देश भर में सरल और एक समान कर संरचना और परिणामी समान बजार का विकास पूर्ण रूप से तभी उपलब्ध होगा जब सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वैट कार्यान्वित करेंगे। अधिकार प्राप्त समिति इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वैट कार्यान्वित करने के लिए समझाने की प्रक्रिया में है।

केन्द्रीय बिक्री कर (सी एस टी) अधिनियम, 1956

9.6 सूची-I (संघ सूची) की प्रविष्टि 92 क केन्द्रीय सरकार को वस्तुओं की अन्तरराज्जीय बिक्री पर कर लगाने का अधिकार देती है। इसके अलावा, अनुच्छेद 269 (3) संसद को अन्तरराज्जीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद निर्धारित करने के लिए सिद्धान्त तैयार करने का अधिकार देता है। इसी प्रकार, संविधान का अनुच्छेद 286 (2) संसद को किसी राज्य के बाहर अथवा भारत में आयात अथवा निर्यात के दौरान वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद कब होती है निर्धारित करने के लिए सिद्धान्त तैयार करने का अधिकार देता है। इसके अलावा, संविधान का अनुच्छेद 286(3) संसद को अन्तरराज्जीय व्यापार अथवा वाणिज्य में कानून द्वारा संसद द्वारा घोषित की गई विशेष महत्व की वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर राज्यों द्वारा कर लगाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत करता है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 वस्तुओं की अन्तरराज्जीय बिक्री पर कर लगाता है और सिद्धान्त तैयार करता है तथा संविधान द्वारा प्रदत्त उपयुक्त अधिकारों के अनुसार प्रतिबंध लगाता है। यद्यपि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 केन्द्रीय अधिनियम है फिर भी राज्य सरकारें भारत के संविधान के अनुच्छेद 269 के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर वसूल करती है और प्रतिफल का विनियोग करती हैं। भारत सरकार ने केन्द्रीय बिक्री कर अधिनयम, 1956 की धारा 13(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार) नियम, 1957 भी तैयार किए हैं।

9.7 वर्ष 2005-06 के दौरान सीएसटी अधिनियम, 1956 और उसके तहत बनाए गए नियमों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं जिनका उद्देश्य अधिनियम/नियमों के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को दूर करना है:

(क) वित्त अधिनियम, 2005 के द्वारा सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 2, 5, 6 और 13 में संशोधन किए गए हैं ताकि बिक्री कर कानून और "सामान्य बिक्री कर कानून" शब्द में "मूल्य वर्धित कर कानून" शब्द का प्रावधान किया जा सके। धारा 5 को संशोधित किया गया है ताकि धारा 5(3) में उल्लिखित निर्यातों के संबंध में छूट प्राप्त करने के लिए फार्म 'ज' के प्रस्तुत करने को अनिवार्य बनाया जा सके और नामित भारतीय वाहक द्वारा उसकी अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए खरीदे गए विमानन टरबाइन ईंधन के संबंध में कर छूट के लिए भी व्यवस्था की जा सके। राजनयिक मिशनों को कर से छूट प्रदान करने के लिए तंत्र को सरल बनाने के लिए धारा 6 का संशोधन किया गया है।

(ख) केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण और कारोबार) नियमावली 1957 को भी संशोधित किया गया था ताकि केन्द्रीय बक्री कर अधिनियम, 1956 में किए गए उपर्युक्त संशोधनों के कारण अपेक्षित पररिणामी परिवर्तन किया जा सके। इसके अलावा, नियमों में संशेधन किए गए थे ताकि फार्म 'ग' को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करने की बजाए तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने और संगत अवधि के अंत से फार्म ' ग' और अन्य घोषणा फार्मों को भी प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा सके। यह राज्यों की सिफारिश पर किया गया था ताकि अन्तरराज्यीय लेन-देनों के सावधानीपूर्वक परिवीक्षण में सुविधा मिल सके।

(ग) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 को केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 2005 के माध्यम से संशोधित किया गया है ताकि अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 6क के तहत अपीलें से निपटने के लिए अधिनियम के अध्याय-VI के उपबंधों के तहत गठित केन्द्रीय बिक्री कर अपील प्राधिकरण के कार्य को सरल और कारगर बनाया जा सके।

सेवा कर

9.8 "सेवा क्षेत्र" में पूरे विश्व भर में तेजी से वृद्वि हुई है और भारत इस वैश्विक प्रृवृत्ति के प्रति अपवाद नहीं रहा है। इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 52 प्रतिशत है। भारत में सेवाओं का कराधान वित्त अधिनियम, 2004 के माध्यम से शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से कर पर 5 प्रतिशत की दर से लगाया गया था। चूंकि भारत के संविधान की सातवीं

अनुसूची में सेवाओं पर कर लगाने का विशेष रूप से उल्लेख न तो केन्द्रीय सूची में किया गया है और न ही राज्य सूची में किया गया है। इसलिए, भारत सरकार ने सेवाओं का कराधान केन्द्रीय सूची की प्रविष्टि 97 के आधार पर शुरू किया गया था अर्थात "सूची II अथवा III में न बताया गया कोई अन्य मामला जिसमें दोनों सूचियों में से किसी एक में न बताया गया कोई कर शामिल है"। सेवा कर का प्रतिफल वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 के अनुसार केन्द्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। कराधान के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान क्रमशः विस्तार हुआ है। मौजूदा समय में यह कर 80 सेवाओं पर लगाया जा रहा है और कर की दर बढ़कर 10 प्रतिशत तक (इसके अतिरिक्त शिक्षा उपकर) हो गई है।

9.9 इस तत्य को ध्यान में रखते हुए कि सेवा क्षेत्र भविष्य में केन्द्रीय/राज्य सरकारों के लिए कर राजस्वों का प्रमुख स्रोत होने वाला है, इसलिए, यह उचित समझा गया कि सेवा कर लगाने, वसूलने और वितरण के लिए भारत के संविधान में विशेष उपबंध होना चाहिए। तदनुसार, सेवा कर से संबंधित संविधान (अट्ठासीवां) संशोधन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था। नए संविधानात्मक उपबंधों में यह अपेक्षा होती है कि भारत सरकार और राज्यों के बीच सेवा कर को वसूलने और विनियोग करने के लिए सिद्धान्तों को तय करने के लिए एक अलग केन्द्रीय कानून अधिनियमित किया जाए। इस संबंध में 30 नवम्बर, 2004 को केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वित्त मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी। तथापि, इस विषय पर राज्यों के बीच विचारों में व्यापक भिन्नता को देखते हुए, मामले को अंतिम रूप देने के लिए राज्यों के साथ परामर्श जारी है। चूंकि केन्द्रीय कानून अभी अधिनियमित किया जाना है, इसलिए संविधान (अट्ठासीवां) संशोधन अधिनियम 2005 के उपबंधों के अभी प्रवृत्त नहीं किया गया है और सेवा कर लगाने , वसूलने और विनियोग इस संशोधन से पूर्व मौजूद उपबंधों द्वारा शामिल होता रहेगा।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

9.10 चीनी, तम्बाकू तथा वस्त्रों पर बिक्री कर की एवज में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (ए डी ई) 1957 से लगाया जा रहा है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों की निवल प्राप्तियों को बाद में आने वाले वित्त आयोगों की सिफारिश किए गए सिद्धान्तों के अनुरूप राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। अनुरोध पर, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के उनके हिस्से को प्रभावित किए बिना चीनी, वस्त्र तथा तम्बाकू पर 4% तक की दर पर बिक्री कर की वसूली करने के लिए राज्य सरकारों को समर्थ बनाने हेतु वित्त अधिनियम, 2003 के द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) में एक संशोधन किया गया था। अब तक, यह संशोधन प्रवृत्त नहीं हुआ है। अधिकार-प्राप्त समिति इन मदों पर वैट लगाने के समय और ढंग पर विचार-विमर्श कर रहा है और इस संबंध में आगे की कार्रवाई अधिकार-प्राप्त समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर की जाएगी।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

9.11 भारत के संविधान के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क (परन्तु इसमें स्टाम्प शुल्क की दरें शामिल नहीं) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 44 के तहत आते है। इस प्रकार, केन्द्र और राज्यों दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की शक्तियां हैं। केन्द्रीय सरकार के पास प्रविष्टि 91 में विनिर्दिष्ट 10 साधनों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दरों को निर्धारित करने की शक्तियां हैं, जबकि राज्यों के पास शेष साधनों के सबंध में राज्य सूची के प्रविष्टि 63 की वजह से शक्तियां हैं। स्टाम्प शुल्क के राजस्व राज्य, जिसमें यह लगाया जाता हे, द्वारा वसूल और विनियोजित किया जाता है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 स्टाम्पों से संबंधित केन्द्रीय कानून निर्धारित करता हे।

9.12 वर्ष 2005-06 के दौरान भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाईयों को दूर किया जा सके।

(क) वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा एक नई धारा 8ख जोड़ी गई है ताकि मान्यता-प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों की निगमीकरण और पृथक्कीकृत करने की स्कीमों और संबद्ध साधनों पर स्टाम्प शुल्क न लगाने की व्यवस्था की जा सके। ऐसा स्टाक एक्सचेंजों के निगमीकरण और पृथक्कीकृत करने की प्रक्रिया में सुविधा देने के लिए किया गया है।

(ख) वाणिज्यिक पेपर के संबंध में स्टाम्प शुल्क को युक्ति-युक्त बनाने के उद्देश्य से ताकि किस हस्ती अथवा ये जारी किए गए हैं ध्यान दिए बिना समान रूप से लागू किए जाने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धरा 9 के तहत आवश्यक आदेश जारी किए गए थे।

10. आर्थिक सुरक्षा एकक

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पी एम एल ए) 1.7.2005 से लागू हुआ है। धन शोधन निवारण अधिनियम भारत में धन शोधन का निवारण तीन मुख्य उद्देश्यों से कर रहा हैः- धन शोधन के निवारण एवं नियंत्रण, शोधित धन से प्राप्त की गई संपत्ति का अधिग्रहण एवं जब्ती और भारत में धन शोधन से जुड़े अन्य किसी अन्य मुद्दे को देखना। इस अधिनियम के अंतर्गत नियम 1.7.2005 को अधिसूचित कर दिया गया है। निदेशक वित्तीय आसूचना एकक-भारत को और निदेशक प्रवर्तन निदेशालय को अधिनियम के संगत प्रावधानों के अंतर्गत शाक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

11. वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफ.आई.यू.-आई एन डी)

पृष्ठभूमि

भारत सरकार दिनांक 18 नवम्बर, 2004 के आदेशों द्वारा प्रवर्तन/आसूचना एजेंसियों को संदिग्ध वित्तीय लेन-देनों से संबंधित सूचना प्राप्त करने, प्रोसेस करने, विश्लेषण करने और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में वित्तीय आसूचना एकक-भारत (एफ.आई.यू.-आई एन डी) की स्थापना की है।

संगठन

एफ0आई0यू0-आई0एन0डी0 एक स्वतंत्र निकाय के रूप में वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक आसूचना परिषद (ई आई सी) को सीधे रिपोर्ट करता है। यह एक बहु अनुशासनिक निकाय है और इसकी स्वीकृत कार्मिक संख्या 43 है तथा इसमें अधिकारी विभिन्न संगठनों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी बी डी टी) ,केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी बी ई सी) , भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ,भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), , विधि कार्य विभाग और आसूचना एजेंसियों से लिए गए हैं।

एफ आई यू-आई एन डी के कार्य

एफ आई यू-आई एन डी का मुख्य कार्य नकद और संदिग्ध लेने-देनों की रिपोर्ट प्राप्त करना, इनका विश्लेषण करना और जैसा उचित हो, विदेशी वित्तीय आसूचना एककों सहित कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों को कार्रवाई करने योग्य सूचना का प्रसार करना है। एफ आई यूआई एन डी के कार्य इस प्रकार है-

(i) सूचना संग्रहणः बैंकिंग कम्पनियों, वित्तीय संस्थाओं और प्रतिभूति बाजार के मध्यवर्तियों से नकद लेन-देन रिपोर्टें (सी टी आर) और संदिग्ध लेन-देन रिपोर्टें (एस टी आर) प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय प्राप्ति बिन्दु के रूप में कार्य करता है।

(ii) आंकड़ों का विश्लेषणः धन शोधन के संदेह होने का सुझाव देने वाले लेन-देनों के ढांचे को उघाड़ने की सूचना का विश्लेषण करना।

(iii) सूचना साझा करनाः विनियामककारी एजेंसियों (भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी आदि) ,आसूचना/प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी वित्तीय आसूचना एककों के साथ सूचना आपस में विनिमय करना।

(iv) धन शोधन का मुकाबला करनाः धन शोधन और संबंधित अपराधों का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के संग्रहण और साझा करने को समन्वित और सुदृढ़ बनाना।

(v) अनुसंधान और विश्लेषणः धन शोधन की प्रवृत्तियों, वर्गीकरण और घटनाक्रमों संबंधी सामरिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान और परिवीक्षण करना।

एफ आई यू -आई एन डी को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी, वित्तीय संस्था और प्रतिभूति बाजार के मध्यवर्तियों पर एफ आई यू-आई एन डी को निम्नलिखित की सूचना प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करता हैः-

(i) दस लाख रूपए से अधिक अथवा विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष मूल्य के सभी नकद लेन-देन ;

(ii) एक दूसरे से सम्पूर्ण रूप से संबद्ध नकद लेन-देनों की सभी श्रृंखलाएं जो दस लाख रूपए से नीचे अथवा विदेशी मुद्रा में इसके समकक्ष मूल्यांकित की गई है, जहां लेन-देनों की ऐसी श्रृंखलाएं एक महीने के अंदर हुई हैं।

(iii) सभी नकद लेन-देन जिनमें जाली अथवा नकली करेंसी नोटों अथवा बैंक नोटों का असली नोटों के रूप में प्रयोग किया गया है और जहां किसी मूल्यवान प्रतिभूति की कोई जालसाजी हुई है ;

(iv) सभी संदिग्ध लेन-देन चाहे नकद में अथवा नकद में न किए गए हों।

निष्पादन और उपलब्धियां

निदेशक (एफ आई यू- आई एन डी) मार्च, 2005 में नियुक्त किया गया था और पांच अधिकारियों के कोर दल ने नवम्बर, 2005 में कार्यभार ग्रहण किया। इस छोटी सी अवधि के दौरान, एफ आई यू-आई एन डी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपलब्धियों की प्राप्ति की हैः

(i) एफ आई यू-आई एन डी के लिए वस्तुपरक अवसंरचना होटल सम्राट में स्थापित की गई है।

(ii) कम्प्यूटर नेटवर्क आदि सहित बुनियादी तकनीकी अवसंरचना खरीद ली गई है और इसे प्रचालनात्मक बनाया गया है।

(iii) आर बी आई/बैंकों/सेबी के साथ परामर्श करके रिपोर्ट करने के प्रारूपों को अंतिम रूप दिया गया है।

(iv) इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना देने के लिए डाटा अवसंरचना को अंतिम रूप दिया गया है।

(v) एफ आई यू-आई एन डी वेबसाइट के लिए विषयवस्तु को अंतिम रूप दे दिया गया है। एफ आई यू-आई एन डी की वेबसाइट जनवरी, 2006 में शुरू की जाएगी।

(vi) कार्रवाईयां शुरू की गई हैं और इनमें से कुछ को पूरा किया गया है ताकि जनवरी, 2006 से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/मध्यवर्तियों द्वारा रिपोर्ट दाखिल करने को सुनिश्चित किया जा सके।

12. एकीकृत वित्त प्रभाग

एकीकृत वित्त प्रभाग में तीन एकक हैं जो वित्त से संबंधित कार्य करते हैं और एक एकक नामतः आंतरिक कार्य अध्ययन एकक (आ0का0अ0ए0) है।

एकीकृत वित्त एकक

1. राजस्व विभाग और उसके सम्बद्ध कार्यालयों अर्थात केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, मुख्य नियंत्रक फैक्टरी , केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो, वित्तीय आसूचना एकक(वि0आ0ए0भा0) प्रवर्तन निदेशालय, सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, समझौता आयोग, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण इत्यादि और साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड (के0उ0शु0एवं सी0शु0बो0) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (के0प्र0क0बो0) के क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी व्यय एवं वित्तीय प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई। वित्त प्रभाग में विभिन्न व्यय प्रस्तावों और वित्तीय प्रस्तावों की नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संवीक्षा की गई और निपटान किया गयाः-

(क) राजस्व विभाग केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए रिहायशी आवासों के प्रस्ताव।

(ख) विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों की विदेश में प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव।

(ग) राजस्व विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों जिसमें प्रवर्तन निदेशालय, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो का पुनगर्ठन केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्मिकों की पुनः तैनाती शामिल है। इस सब का पुनर्संरचना।

(घ) राजस्व विभाग और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों और सीमा शुल्क एवं आयकर क्षेत्रीय कार्यालयों के व्यापक कंप्यूटरीकरण से संबंधित प्रस्ताव।

(ड.) वैट उद्देश्य के लिए राज्यों के कम्प्यूटरीकरण और वैट लागू करने के कारण राज्यों को राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति सहित वैट लागू करने संबंधी प्रस्ताव।

(च) धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत नवगठित वित्तीय आसूचना एकक -भारत को अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव जिसमें कार्यालय के लिए स्थान का किराए पर लेने और कार्यालय के कंप्यूटरीकरण शामिल है।

(छ) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान और केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड के लिए अनुदान सहायता से संबंधित प्रस्ताव।

(ज) गैर-योजना व्यय समिति(गै0यो0व्य0स0)/सी0सी0ई0ए0के लिए प्रस्ताव।

(झ) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कल्याण निधि से संबंधित प्रस्ताव।

2. राजस्व विभाग के व्यय बजट - मांग सं0 42, प्रत्यक्ष कर-मांग सं0 43 और अप्रत्यक्ष कर- मांग सं0 44 को तैयार किया गया और उसका समेकन किया गया। सभी अनुदानों के सारांशीकृत ब्यौरे इस प्रकार हैः-

(रू0 करोड़ों में)

		2005-06 बजट अनुमान	2005-06 संशोधित अनुमान
(i) मांग सं0 42-राजस्व विभाग	राजस्व	5374.21	2830.54
	पूंजी	5.05	1.46
	कुल	5379.26	2832.00
(ii) मांग सं0 43-प्रत्यक्ष कर	राजस्व	1166.00	1205.04
	पूंजी	84.00	22.44
	कुल	1250.00	1227.48
(iii) मांग सं0 44- अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	1458.67	1449.16
	पूंजी	188.73	17.84
	कुल	1647.40	1467.00

3. इन तीन मांगों के तहत व्यय की प्रगति की मासिक/तिमाही आधार पर समीक्षा की गई थी। इसके अतिरिक्त, अग्रिम नामतः गृह निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम, कंप्यूटर अग्रिम इत्यादि से संबंधित बजट का आबंटन और पुनरीक्षण भी किया गया।

4. एकीकृत वित्त प्रभाग महत्वपूर्ण व्यय योजनाओं के प्रतिपादन प्रस्तावों उसके प्रारंभिक स्तर से ध्यान दे रहा है और लेखा परीक्षा आपत्तियों का निपटान, निरीक्षण रिपोर्टों/लेखा परीक्षा पैरा स्थायी समिति की रिपोर्ट पर भी निगरानी कर रहा है। यह सरकारी आर्थिक मितव्ययता के अनुदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई और उनका कार्यान्वयन कर रहा है और वित्त मामलों पर प्रशासनिक प्रभाग को सलाह दे रहा है।

विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के विकासात्मक परिणाम को आंकने के लिए एक तंत्र बनाना।

5. यह महसूस किया गया है कि विकासात्मक कार्यक्रमों की गुणवत्ता को अवधारणात्मक डिजाइन और परिणामक उन्मुखी कार्यान्वयन के द्वारा सुधारना। तदनुसार, सरकार ने 2005-06 में प्लान स्कीम के लिए परिणात्मक बजट लाने का निर्णय किया है। यह भी निर्णय किया गया है कि 2006-07 में भी गैर योजना स्कीमों के लिए 'परिणात्मक बजट' लाया जाए। राजस्व विभाग में कोई योजना स्कीम नहीं है। सभी बजट प्रावधानों गैर योजना के लिए है और अतएव 2005-06 में कोई परिणात्मक बजट राजस्व विभाग के अंतर्गत अनुदानों के संबंध में नहीं बनाया गया। तथापि, वर्ष 2006-07 के लिए परिणात्मक बजट की तैयारी के लिए विभाग ने परिणात्मक बजट 2006-07 को बनाने के लिए कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक

राजस्व विभाग के आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक (आ0का0अ0ए0) ने प्रशासन में सुधार तथा कार्यकुशलता, स्वच्छता लाने के लिए और लागत में मितव्ययिता लाने के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों के प्रसार हेतु नोडल एजेन्सी के रूप में वर्ष 2005-2006 के दौरान राजस्व विभाग के अन्तर्गत संगठनों में प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रयास जारी रखे हैं। एकक ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग एवं व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार से निम्नलिखित क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखाः-

(i) आदेश/अनुदेशों का संकलन और समेकन करना।

(ii) नियमों व विनियमों और मैनुअलों की समीक्षा।

(iii) आवधिक रिपोर्टों और विवरणियों की समीक्षा।

(iv) रिकार्ड प्रबंधन

(v) लंबित मामलों के निपटान की प्रगति का अनुवीक्षण करना।

(vi) राजस्व विभाग में अनुभागों का वार्षिक निरीक्षण

(vii) राजस्व विभाग के सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का कार्य अध्ययन और एस आई यू रिपोर्ट का कार्यान्वयन।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित पदों के सृजन/जारी रखने के प्रस्तावों को लागत वसूली आधार पर एकक में संवीक्षा की गई थी।

आंतरिक कार्य अध्ययन एकक ने विभाग के अनुभागों/शाखाओं को संगठन एवं प्रबध निरीक्षणों के दायरे में लाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।

राजस्व विभाग में लंबित अतिविशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित संदर्भों के निपटान की प्रगति को विभाग में संबंधित अधिकारियों के साथ क्रमशः सचिव(राजस्व) और अपर सचिव(राजस्व) की अध्यक्षता में होने वाली समीक्षा बैठकों में मॉनीटर किया गया है। अति विशिष्ट व्यक्तियों से संबंधित संदर्भों की लंबित स्थिति को संकलित करके प्रत्येक पखवाड़े में वित्त राज्य मंत्री (राजस्व) और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को परिचालित किया जाता है। इससे अति विशिष्ट व्यक्तियों के मामले की बकाया को पर्याप्त रूप से कम किया गया है।

13. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के अंतर्गत एक पूर्ण राजभाषा प्रभाग है जो राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों आदि का कार्यान्वयन करता है। इस प्रभाग के प्रमुख निदेशक (राजभाषा) हैं जो चार हिन्दी अनुभागों के माध्यम से राजभाषा संबंधी कार्य करते हैं। प्रत्येक अनुभाग का प्रमुख एक सहायक निदेशक होता है और दो उप निदेशक इन चारों अनुभागों का पर्यवेक्षण करते हैं। संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी कार्य और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं अनुदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है। विभाग का अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी का सम्पूर्ण अनुवाद कार्य भी हिन्दी प्रभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

यह विभाग राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित है। 12 अनुभागों को अपना सरकारी काम हिन्दी में करने के लिए उक्त नियमावली के नियम 8 (4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।

वर्ष 2005-06 के दौरान राजभाषा प्रभागः-

(क) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) की अपेक्षानुसार सभी दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए गए,

(ख) सभी अधिसूचनाएं, संसदीय प्रश्नों के उत्तर और आश्वासन द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराए गए,

(ग) मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणियों और मासिक सारांश का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया गया,और

(घ) दोहरे कराधान को रोकने के लिए अनेक देशों के साथ किए गए करारों का भी हिन्दी अनुवाद किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति और हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित अन्तराल पर आयोजित की गईं। इन बैठकों में संघ की राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु किये जाने वाले उपायों पर सदस्यों ने विचार विमर्श किया। इस विभाग के एक प्रतिनिधि ने दिल्ली स्थित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी भाग लिया।

राजस्व विभाग और व्यय विभागों की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर दिया गया है।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण

विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष 2005-2006 के दौरान अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों के निरीक्षण किए गए और उन्हें अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु उत्साहित किया गया। वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने विभाग के इंदौर, चण्डीगढ़,ऐजवाल, पुणे, दीमापुर, श्रीनगर और डिंडीगुल्ल स्थित कार्यालयों का निरीक्षण किया तथा उनके कामकाज में राजभाषा हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु बहुमूल्य सुझाव दिए।

हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव तथा अपर सचिव(राजस्व) महोदय की ओर से अपीलें जारी की गईं जिनमें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपना दिन प्रतिदिन का सरकारी कामकाज अधिकाधिक हिन्दी में करने का आग्रह किया गया।

14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2005 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी टंकण,हिन्दी टिप्पण एवं मसौदा आलेखन, निबंध लेखन, हिन्दी स्लोगन,आशु भाषण प्रश्नमंच, समूह "घ" कर्मचारियों के लिए हिन्दी श्रुतलेख जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे।

हिन्दी योजनाएं

राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिन्दी में टिप्पण और मसौदा आलेखन के लिए कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग में अल्पकालिक पुरस्कार योजना भी चलाई जा रही है। विनिर्दिष्ट समयावधि के दौरान हिन्दी में सर्वोत्तम और अधिकतम कार्य करने वाले अनुभाग को शील्ड दी जाती है तथा विनिर्दिष्ट समयावधि के दौरान हिन्दी में अधिकतम कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार के रूप में 1000/-रूपये और 700/-रूपये के पुरस्कार दिए जाते हैं। दिल्ली स्थित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी इसी प्रकार की योजना चलाई जा रही है।

हिन्दी में सृजनात्मक और मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के लिए विभाग द्वारा आयकर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क तथा स्वापक पदार्थ जैसे विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन एवं समीक्षा के लिए दो प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। प्रत्येक वर्ग में (अर्थात हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन तथा समीक्षा) विजेताओं के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं।

प्रशिक्षण

वर्ष 2005-06 के दौरान हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान न रखने वाले 3 अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी कक्षाओं अर्थात् प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ में प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। इसी प्रकार रिपोर्ट की अवधि में 17 अवर श्रेणी लिपिकों और 21 आशुलिपिकों को भी क्रमशः हिन्दी टंकण तथा हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया।

14. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी0एन0भगवती की अध्यक्षता में वर्ष 1992 के आरंभ में गठित समिति खेल, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन हेतु और प्रदूषण नियंत्रण के लिए परियोजनाओं की आयकर अधिनियम

की धारा 35 क ग के अंतर्गत अधिसूचना हेतु केन्द्रीय सरकार सिफारिश करती है। अनुमोदित परियोजनाओं के लिए दान के माध्यम धन पोषण होता है जिस पर दानकर्त्ता आयकर कानून के अंतर्गत 100 प्रतिशत कर छूट के लिए पात्र हैं।

2. राष्ट्रीय समिति तीन वर्षों की अवधि के लिए गठित की जाती है और इसमें कुल 14 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य 13 सदस्य जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से लोक महत्ता के होते हैं। इसके सचिवालयी कार्यालय में निम्नलिखित शामिल होते हैं :-

सचिव(राष्ट्रीय समिति)

उप सचिव(राष्ट्रीय समिति) एवं

अनुभाग अधिकारी

3. समिति सदस्यों के नाम

1.	न्यायमूर्ति श्री एस0पी0 भारूचा (अध्यक्ष)	मुम्बई
2.	डा0 जतिन डे	लखनऊ
3.	डा0 तुषार कांजीलाल	कोलकाता
4.	सुश्री अतिया हबीब किदवई	नई दिल्ली
5.	डा0 नन्दिनी आज़ाद	नई दिल्ली
6.	श्रीमती वीणा सिंह	नई दिल्ली
7.	सुश्री इनाक्षी गाँगुली ठुकराल	नई दिल्ली
8.	डा0 कांचना कमलनाथन	कृष्णागिरी (तमिलनाडू)
9.	मेजर एच0पी0एस0अहलुवालिया	नई दिल्ली
10.	डा0 सुखदेव थोरट	नई दिल्ली
11.	श्री असद आर0 रहमानी	मुम्बई
12.	श्री माइकल फरेरा	मुम्बई
13.	श्री पवन कुमार शर्मा	गुवाहाटी

गत वर्ष के दौरान निष्पादन/उपलब्धि

गत वर्ष अर्थात् 2004 के दौरान प्राप्त हुए कुल आवेदनों की संख्या 409 है। सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण संवर्धन हेतु राष्ट्रीय समिति ने दिसम्बर,2004 से नवम्बर,2005 तक अपनी छः कारोबारी बैठकें आयोजित की हैं और कुल 547 मामलों पर विचार किया/का निपटान किया जिनमें से 144 मामले परियोजना की कुल 1178.13 करोड़ रूपए की लागत पर अनुमोदित किए गए थे।

15. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण

1. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण की स्थापना तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (सफेमा) के अंतर्गत हुई थी इसने दिनांक 03.01.1977 से कार्य करना आरम्भ किया। तत्पश्चात, अधिकरण का गठन स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन.डी.पी.एस.) के तहत वर्ष 1989 में संशोधन के पश्चात अपील अधिकरण के रूप में किया गया।

2. अधिकरण में एक अध्यक्ष (जो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के एक न्यायधीश हों या रह चुके है) और दो सदस्य (जो सामान्यतः भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के होते हैं) होते हैं। यह अधिकरण दिल्ली में स्थित है इसकी कोई पीठ कहीं और नहीं है। तथापि, अधिकरण उपयुक्त अधिनियमों के उपबंधों के तहत लोगों के आवास के निकट न्याय प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न जगहों में शिविर बैठकें आयोजित करता है।

3. अधिकरण, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अथवा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दोषी अथवा कोफेपोसा, 1974 अथवा पी0आई0टी0एन0डी0एस0 अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत निरूद्ध व्यक्तियों की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों और अपने सम्बंधियों और सहयोगियों के नामों में ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित सम्पत्तियों के समपहरण के लिए और एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की अवैध रूप से अर्जित सम्पत्तियों को रोकने अथवा जब्ती के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों द्वारा पारित किए गए अन्य आदेशों अथवा दायर किए गए संबंधित मामलों और समपहरण अपीलों की सुनवाई करता है।

4. अपीलें और याचिकाएं अध्यक्ष द्वारा गठित कम से कम दो सदस्यों की बनी पीठों द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। इस समय न्यायमूर्ति श्री ए0के0 श्रीवास्तव द्वारा अधिकरण की अध्यक्षता की जा रही है जो इलाहाबाद और दिल्ली न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश हैं।

5. समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31.12.2005 की अवधि के दौरान साफेम के अधीन 33 अपीलें और 47 विविध याचिकाएं एवं स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन 31 अपले और 30 विविध याचिकाएं दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान 94 अपीलें और विविध याचिकाओं का निपटान किया गया।

16. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण

सीमा शुल्क अधिनियम 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम,1968 के तहत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर विभाग के प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपील सुनने के लिए एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध कराने के लिए सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अपील अधिकरण का सृजन किया गया था। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम अब निरस्त कर दिया गया है। इस समय सेवा कर अपीलों को शामिल किया गया है। एंटी डंपिंग मामलों में वाणिज्य मंत्रालय के पदनामित प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए भी अधिकरण के पास क्षेत्राधिकार है। अधिकरण की प्रधान पीठ के साथ-साथ मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और अन्य क्षेत्रीय पीठें मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई और बंगलौर में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद (गुजारात) में एक नयी खंड पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होता है। छोटे मामले जिनमें दस लाख रूपये तक के वित्तीय दावे अंतर्ग्रस्त होते हैं उनके निपटान में तेजी लाने के लिए एक एकल सदस्य की पीठ का गठन किया है। अधिकरण वर्गीकरण और मूल्यांकन संबंधी मामलों में अपीलीय प्राधिकरण है। अधिकरण के आदेश के विरूद्ध अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी जाती है।

वित्त अधिनियम 1995 के द्वारा संशोधन के परिणामस्वरूप विशेष पीठों और अन्य पीठों के बीच भेद को समाप्त कर दिया था और अब दो या अधिक सदस्यों वाली कोई भी पीठ उन सभी मामलों की सुनवाई करने के लिए सक्षम है एंटी डंपिग मामलों को छोड़कर जिनकी सुनवाई पहले दिल्ली में की जा रही थी।

माननीय अध्यक्ष की संस्वीकृत संख्या एक है, दो उपाध्यक्ष हैं और सदस्यों की संख्या 18, कुल 21 हैं। इस समय सदस्यों के पांच पद रिक्त हैं। संगठनात्मक चार्ट अलग से संलग्न है।

विभिन्न बाधाओं के बावजूद जिनमें सदस्यों की रिक्तियां भी शामिल हैं पिछले वर्ष की तुलना में अपीलों के निपटान में वृद्धि हुई है। चालू वर्ष (2005-2006) में अधिकरण ने 8 महीने के अन्दर 12335 अपीलों का निपटान किया है।

दाखिल और निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार हैः-

वर्ष	अपीलों को दाखिल करना	अपीलों का निपटान
2004-20005	18626	15429
अप्रैल 05 से नवम्बर, 05	11181	12335

अधिकरण सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और ऐंटी डंपिग के मामलों में अपीलों की सुनवाई करने के लिए एक अर्द्ध न्यायिक अपीलीय निकाय है और उत्तर-पूर्व क्षेत्रों आदि में अपील अधिकरण की कोई भी पीठ स्थित नहीं है। अतः इस मुद्दे पर अधिकरण के पास कोई सूचना नहीं है।

17. आयकर समझौता आयोग

आयकर व धनकर मामलों के निपटाने के लिए आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 19-ए तथा धनकर अधिनियम 1957 के अध्याय 5-ए के अधीन आयकर समझौता आयोग का गठन दिनांक 1.4.1976 को किया गया।

आयकर समझौता आयोग की चार न्यायपीठें निम्न प्रकार से हैं-

1. प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली
2. अतिरिक्त न्यायपीठ मुम्बई
3. अतिरिक्त न्यायपीठ कोलकाता
4. अतिरिक्त न्यायपीठ चेन्नई

प्रधान न्यायपीठ में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य है प्रत्येक अतिरिक्त न्यायपीठ में एक उपाध्यक्ष, तथा दो अन्य सदस्य होते हैं प्रधान न्यायपीठ में सभापति अध्यक्ष होता है तथा अतिरिक्त न्यायपीठों सभापति उपाध्यक्ष होता है।

प्रत्येक समझौता आवेदन में कई निर्धारण वर्षों की आय तथा धन का परिकलन सम्मिलित होता है। वर्ष 2004-2005 और 2005-06 (जनवरी, 2006 तक) लम्बित तथा निपटाये गये मामलों के आंकड़े (सभी न्यायपीठों की समेकित रिपोर्ट) तथा तात्कालिक पूर्व जॉच वर्षों की रिपोर्ट नीचे अनुबंध में दी गई है। अधिकतर मामलें तलाशी तथा अभिग्रहण तथा जांच की जटिलता लिए हुए हैं। सामान्य तौर पर संभवतः सर्वोच्च न्यायालय स्तर तक के दीर्घकालिक मुकदमें भी इन मामलों में सम्मिलित होते होंगे।

अनुबन्ध

समझौता आयोग (आयकर और धनकर) द्वारा आवतियों और आवेदनों के निपटान का समेकित विवरण पत्र

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में अर्थात पहली अप्रैल से दाखिले हेतु लम्बित मामले	वित्तीय वर्ष के आरम्भ अर्थात पहली अप्रैल से दाखिल लम्बित मामलों की संख्या	वित्तीय वर्ष के आरम्भ अर्थात पहली अप्रैल से लंबित मामलों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन	उच्च न्यायालय या समझौता आयोग के आदेश के कारण वृद्धि	निपटारे (2ग+3) के लिए कुल	धारा 245घ (1)/22घ(1) के अंतर्गत दाखिल मामले	वर्ष के दौरान निपटारा-रद्द मामले	वर्ष के दौरान निपटारा-दाखिल मामले जिनका निपटान किया गया	कुल लंबित मामलों में कमी (5ख+5ग)	वित्तीय वर्ष के अंत में शेष लंबित-दाखिले हेतु लंबित	वित्तीय वर्ष के अंत में शेष लंबित-दाखिल लंबित मामले	कुल
1	2(क)	2(ख)	2(ग)	3	3(क)	4	5(क)	5(ख)	5(ग)	6	7(क)	7(ख)	7(ग)
2004-05	707	2119	2826	434	...	3260	317	159	214	373	665	2222	2887
2005-06 (जनवरी 2005 तक)	707	2119	2826	350	...	3176	215	129	149	278	713	2185	2898

18. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग

कार्यकलाप एवं कार्यकरण

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 32 के अन्तर्गत दिनांक 9.6.99 की अधिसूचना सं0 40/99-सी0एक्स (एन0टी0) और 41/99-सी0एक्स (एन0टी0) के द्वारा सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग का गठन किया है। आयोग की प्रधान पीठ अध्यक्ष की अध्यक्षता में नई दिल्ली में स्थित है और चैन्नई, मुम्बई और कोलकाता में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रत्येक पीठ में 2 सदस्यों सहित 3 अतिरिक्त पीठें हैं। आयोग की वर्तमान संस्वीकृति संख्या 116 अधिकारी और कर्मचारी हैं जिसमें से मुम्बई और दिल्ली प्रत्येक के लिए 30 तथा चैन्नई और कोलकाता प्रत्येक के लिए 28 हैं। आयोग राजस्व विभाग में वित्त मंत्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में कार्य करता है।

समझौता आयोग की स्थापना का मूल उद्देश्य विवादों में संलिप्त सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क के भुगतानों को शीघ्र करना है ताकि महंगी व समय लेने वाली मुकदमें की प्रक्रिया को टाला जा सके और उन करदाताओं, जिन्होंने शुल्क के भुगतान का अपवंचन किया है को साफ निकलने के लिए एक अवसर दिया जा सके। इसलिए समझौता आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के रूपमें स्थापत किया गया है जिसमें 'सत्य निष्ठा एवं उत्कृष्ट योग्यता' अनुभवी कर अधिकारियों को लिया गया है, जो व्यापार एवं उद्योग में एक विश्वास को बनाने में सक्षम है और जिन्हें 'राजस्व हित' को परिभाषित करने व सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रकार समझौता आयोग ने कर विवादों को विपरीत दृष्टिकोण के माध्यम से उन्हें लम्बा खींचने के बजाय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के अन्तर्गत समझौते की भावना से शीघ्र निपटाने के लिए एक चैनल उपलब्ध कराने हेतु एक अवसर प्रदान किया है। कोई भी निर्धारिती आयातक या निर्यातक जो कर विवाद को समझौता आयोग के द्वारा निपटाने का इच्छुक है उसे स्वेच्छा से समझौता आयोग के क्षेत्राधिकार में प्रार्थना करनी होगी जिसमें उसे उसके द्वारा स्वीकृत शुल्क देनदारी का पूर्ण व सत्य प्रकटन करना होगा और इसी क्रम में इसके लिए सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत उसे शस्ति, ब्याज एवं दण्ड से पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से छूट प्रदान करने के लिए और उपर्युक्त अधिनियमों तथा केन्द्रीय अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन से छूट देने के लिए समझौता आयोग को शक्ति प्राप्त है।

वर्ष 2005-06 (नवम्बर, 05 तक) के दौरान निष्पादन एवं उपलब्धियों की विशेषताएँ :

वर्ष 2005-06 के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या (नवम्बर 2005 तक)	**वर्ष 2005-06 के दौरान निपटाए गए आवेदनों की संख्या (नवम्बर 2005 तक)**	**वर्ष 2005-06 के दौरान निपटाया गया शुल्क (नवम्बर 2005 तक) (रुपए करोड़ों में)**
886	934 (गत वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए परन्तु चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए आवेदन शामिल है)	93.47

वर्ष 2004-05 के दौरान निष्पादन/उपलब्धियां

वर्ष	**प्राप्त आवेदनों की संख्या**	**निपटाए गए आवेदनों की संख्या**	**निपटाया गया शुल्क (रुपए करोड़ों में)**
1999-2000	3	1	-
2000-01	328	174	21.28
2001-02	559	216	26.64
2002-03	656	470	187.51
2003-04	753	572	114.04
2004-05	1273	1349	181.25
2005-06 (नवम्बर तक)	886	934	93.47
कुल	**4458**	**3715**	**624.19**

19. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आयकर) वित्त मंत्रालय के तहत अर्द्ध न्यायिक निकाय है, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसकी स्थापना 1.6.1993 से वित्त अधिनियम,1993 द्वारा आयकर अधिनियम,1961 में जोड़े गए अध्याय XIX-ख के उपबंधों के के अनुसार 1993 में की गई थी। प्राधिकरण विदेशी कंपनियों और अनिवासी भारतीयों द्वारा जारी अथवा पूर्ण प्रस्तावित लेन-देनों से संबंधित उठाए गए कराधान पर बाध्यकारी विनिर्णय देता है। यह सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों में जो आवश्यक अनापत्ति के अधीन होते हैं विनिर्णय देता है।

प्राधिकरण अपने प्रारंभ से काफी अधिक सक्रिय रहा है और उद्योग में इसकी अत्यधिक मांग है। प्राधिकरण मुख्य रूप से दोहरे कराधान परिहार करार और अन्य कराधा मुद्दे जैसे स्थायी संस्थापन, व्यवसाय संपर्क, ई-कामर्स तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेदश सहित आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की व्याख्या का कार्य करता है। उद्योग से यह पुनर्निवेशन यह है कि भारत में विदेशी निवेश बढ़ने से निवेशकों के लिए यह परम आवश्यक हो गया है कि उनके प्रस्तावित लेन-देनों और उद्यमों की कर संबंधी देनदारियों का अग्रिम रूप से पता लगाया जाए। यह गर्व का विषय है कि हाल के अग्रिम विनिर्णयों में से कुछ की पूर्व में और हाल के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों जैसे कि वियना और दिल्ली में आई एफ ए सम्मेलन (जनवरी, 2006 में आयोजित) और मुम्बई में हुआ बी एम ए अंतर्राष्ट्रीय कर सम्मेलन (दिसम्बर, 2005) में अनुकूल रूप से चर्चा की गई है।

संगठनात्मक ढांचा

प्राधिकरण की अध्यक्षता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है और भारत सरकार के अपर सचिव स्तर के ही सदस्य होते हैं जिनमें से प्रत्येक भारतीय राजस्व सेवा तथा भारतीय विधिक सेवा से होते हैं। यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जिसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। प्राधिकरण की सहायता के लिए सचिवालय होता है जिसके प्रमुख आयकर आयुक्त होते हैं जिन्हें प्राधिकरण का सचिव पदनामित किया गया है।

कार्य

18.4 अनिवासी या विनिर्दिष्ट श्रेणी के निवासी जो आयकर के संबंध में अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के इच्छुक हैं, विहित प्रपत्र में संव्यवहारों से संबंधित तथ्यों और वह प्रश्न जिसका उन्हें अग्रिम विनिर्णय चाहिए इनका ब्यौरा देते हुए आवेदन दे सकते हैं। आवेदन की जाँच के बाद और पदनामित आयकर आयुक्त की रिपोर्ट तथा जहाँ कहीं संगत रिकार्ड उपलब्ध हों, उन्हें प्राप्त कर, प्राधिकरण लिखित में स्वीकार करते हुए या आवेदन अस्वीकृत करते हुए आदेश पारित करता है। परन्तु कोई भी आवेदन, आवेदक को सुने जाने का अवसर दिए बिना अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। विनिर्णय कर प्राधिकारियों और आवेदक पर बाध्यकारी होता है विनिर्णय के विरूद्ध किसी अपील की व्यवस्था नहीं है। महत्वपूर्ण विनिर्णय जिनमें कर कानूनों और भारत तथा विदेशों के मध्य हुए दोहरे कराधान शामिल हैं की व्याख्या, को कर पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है।

निष्पादन

(i) प्राधिकरण ने अब तक विधि और तथ्यों के जटिल प्रश्नों पर 462 से अधिक मामलों में विनिर्णय घोषित किए हैं जिन्होंने अनिवासियों को भारत में अपने निवेश उद्यमों में सुविधा दी है। प्राधिकरण के समक्ष आने वाले बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनमें सामान्यतः उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपलब्ध नहीं है। यद्यपि उच्चाधिकार प्राप्त प्राधिकारी से प्राप्त होने वाले विनिर्णय केवल आवेदक के मामले में बाध्यकारी हैं, फिर भी विनिर्णयों का विश्वासोत्पादक मूल्य है और उनकी प्रयोज्यता को किसी अन्य मामले में उन्हीं अथवा मिलते-जुलते तथ्यों को नकारा नहीं जा सकता। यह कानूनी उपबंधों के लागू करने में एकरूपता प्राप्त करने और कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने में भी सहायता देता है। इन विशेषताओं की अद्वितीयता के कारण भारत में अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण की स्थापना का सभी व्यक्तियों द्वारा सही दिशा में उठाए गए कदम के रूप में स्वागत किया है।

(ii) प्राधिकरण के आंरभ से 31.01.2006 तक निष्पादन के संबंध में सांख्यकीय सूचना नीचे की सारणी में दी गई हैः-

वित्त वर्ष	अथ बकाया	प्राप्त आवेदन	कुल	निर्णय	सी/एफ
1993-94	शून्य	05	05	शून्य	05
1994-95	05	15	20	06	14
1995-96	14	66	80	42	38
1996-97	38	66	104	55	49
1997-98	49	69	118	75	43
1998-99	43	47	90	37	53
1999-2000	52	31	84	48	36
2000-2001	36	39	75	25	50
2001-2002	50	55	105	31	74
2002-2003	74	16	90	18	72
2003-2004	72	26	98	36	62
2004-2005	62	23	85	65	20
2005-06 (31.01.06 तक)	20	19	39	24	15

निपटान आंकड़े देने वाला बार चार्ट निम्नानुसार हैः

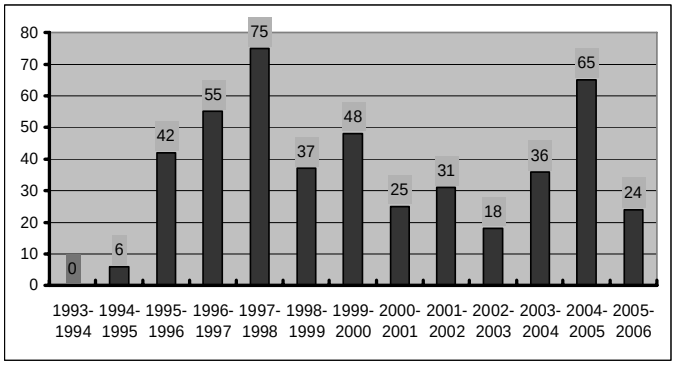

उपर्युक्त के अलावा, धारा 245 आर (2) के तहत बड़ी संख्या में आवेदनों की सुनवायी की गई है और आदेश पारित किए गए हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग के क्षेत्रों और अनिवासी भारतीयों में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की जागरूकता बढ़ाना

18.5अग्रिम विनिर्णय प्राधिरण (ए ए आर) के माध्यम से विदेशी निवेशकों को उपलब्ध सुविधा की जानकारी को व्यापक बनाने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा बहुत से सक्रिय और हितकर प्रयास किए गए हैं। यहां तक कि पिछले एक वर्ष के दौरान सचिव (ए ए आर) द्वारा माननीय अध्यक्ष के निदेशों के तहत बहुत से प्रभावशाली प्रस्तुतीकरण दिए गए हैं।

क. मुम्बई मैनेजमेंट एसोसिएशन और ओ ई सी डी द्वारा दिसम्बर, 2005 में अंतर्राष्ट्रीय कराधान सम्मेलन में एक सत्र अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष मुद्दों एवं मामलों पर अन्यतम रूप से रखा गया था।

ख. दिल्ली में प्रतिष्ठित भारत अमरीकी सम्मेलन में आई एफ ए द्वारा मूल्य अंतरण पर आयोजित सत्र में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के अनेक मामलों पर चर्चा की गई तथा माननीय अध्यक्ष ने मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की।

ग. जनवरी, 2006 में हुए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के कार्यकरण और प्रदत्त सुविधाओं का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए पुस्तिका वितरित की गई।

घ. 30 जनवरी, 2006 को अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण की सरकारी वेबसाइट अर्थात डब्ल्यू डब्ल्यू. ए ए आर. गो. का उद्घाटन किया गया। यह वेबसाइट संवादात्मक है एवं इसमें अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के कार्यकरण के संबंध में सभी विवरण निहित है। अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण द्वारा अधिघोषित किए गए सभी महत्वपूर्ण विनिर्णय इस वेबसाइट पर दिए गए हैं।

ड. अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के बारे में भारत के प्रवासियों के साथ साथ अप्रवासियों के बीच जागरूकता को और अधिक फैलाने के लिए महत्वपूर्ण समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए थे।

दोहरे कराधान के परिहार के करारों के अग्रिम विनिर्णय आदि से संबंधित अंतराष्ट्रीय कर सम्मेलनों में ए ए आर का प्रतिनिधित्व

अग्रिम विनिर्णय की प्रणाली एक रूप में अथवा दूसरे रूप में विश्व के कम से कम 57 देशों में प्रचलन में है। इन देशों में भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्वीडन, आस्ट्रेलिया और कनाडा शामिल हैं। हमारे इनमें से अधिकांश देशों के साथ दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार हैं। प्राधिकरण को इनमें से बहुत से देशों से आवेदकों से अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन भी प्राप्त होते रहे हैं।

प्राधिकरण के हाल के विनिर्णयों की विवक्षा

बहुत से देशों में अग्रिम विनिर्णय प्रणाली का स्पष्टतया नए निवेशों को आकर्षित करने के उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है भावी निवेशक, जो विभिन्न स्थानों में निवेश को आंकता है, ऐसे देश की ओर आकर्षित हो सकता है जो अग्रिम रूप से समुचित कर व्यवहार की निश्चितता प्रदान करेगा।

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण ने मोर्गन स्टेनले (ए ए आर/611/2003) और फाइडेलिट एडवाइजर (ए ए आर/566/2002) के मामले में हाल के दो विनिर्णयों में निर्णय दिया कि शेयर दलाल, शेयरों के अभिरक्षक और इन अनिवासी कम्पनियों के बैंकरों को यद्यपि भारत में आधारित हैं, को भारत में स्थायी संस्थापन कम्पनियों के रूप में नहीं माना जा सकता, इसलिए डेरीवेटिव और शेयरों में स्टाक एक्सचेंजों में कारोबार में उनके व्यवसाय से अर्जित आय भारत में कराधेय नहीं थी।

विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों द्वारा भारतीय शेयर बाजार में निवेश की हाल की प्रवृत्ति कर विभाग के साथ-साथ विदेशी निवेशकों के लिए इन विनिर्णयों के बढ़ते हुए महत्व का द्योतक है।

ई-कामर्स का मुद्दा डन एंड ब्राडस्ट्रीट के मामले में आया जिसमें यह विनिर्णय दिया गया था कि आवेदक द्वारा प्रचालित किए जा रहे कम्प्यूटर का सर्वर भारत में स्थायी संस्थापन नहीं बनता है, इसलिए बी आई आर की आपूर्ति से इस कम्पनी को होनी वाली आय भारत में कराधेय नहीं थी।

अब्दुल रज्जाक ए मेमन के मामले में विनिर्णय दोहरे गैर-कराधान की समस्या को उजागर करता है। यह नोट किया गया है कि यद्यपि कर संधिया दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन के निराकरण के लिए सम्पन्न की गई थी, फिर भी इनके फलस्वरूप अकसर दोहरा गैर-कराधान हुआ है। इस मामले में आवेदक,व्यष्टि भारतीय राष्ट्रीय यू ए ई का निवासी, द्वारा धारित शेयरों डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के रूप में चल परिसम्पत्ति के भारत में किए गए हस्तान्तरण से पूंजीगत लाभ भारत में कराधेय नहीं होंगे। यह माना गया था कि भारत एवं संयुक्त अरब अमीरात के मध्य करार लागू होने से पूर्व या आवेदक के अप्रवासी बनने से पूर्व, या क्या आवेदक ने अप्रवासी बनने के बाद चल परिसम्पत्ति अर्जित की है या भारत की गैर प्रत्यावर्तन योग्य निधि से डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों के रूप में चल परिसम्पत्ति के अर्जन जैसे कारकों-पूंजीगत लाभों में कराधान के उद्देश्य से असंगत थे।

रोटन कम्पनी, कोरिया एवं मित्सुबिशी कम्पनी जापान के मामले में यह माना गया कि "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क" को "व्यापारिक लाभ" के रूप में मानते हुए उस पर कर नहीं लगाया जा सकता।

लेखा परीक्षा आपत्तियां

इस प्राधिकरण के संबंध में राजस्व लेखा परीक्षा पैरा में कोई प्रमुख पैरा नहीं है। छोटी आपत्तियां तकनीकी और उपचारात्मक स्वरूप की थी ओर आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाईयां पहले ही की जा चुकी हैं।

20. अग्रिम विनिर्णय हेतु प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क)

कार्यकलाप एवं कार्यकरण

देश में विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए अभी हाल ही की अवधि में भारत सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। भारत में निवेश उद्यम सम्बन्धी सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर मामलों पर बाध्यकारी विनिर्णय पहले ही देने के लिए अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर) की स्थापना एक ऐसा ही उपाय है। वर्ष 1999, 2003 और 2005 के वित्त अधिनियमों के माध्यम से इसके अपने-अपने संविधान में अग्रिम विनिर्णय संबंधी कानूनी प्रावधान आरम्भ किए गए हैं। अग्रिम विनिर्णय की योजना ने एफ0डी0आई0 पर अपेक्षाकृत अधिक महत्व के सन्दर्भ में अधिक और विशेष महत्व प्राप्त किया है।

अग्रिम विनिर्णय हेतु प्राधिकरण (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर) एक उच्चस्तरीय अर्ध निकाय है जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत न्यायाधीश और तकनीकी और कानूनी मामलों का व्यापक अनुभव रखने वाले दो सदस्य (अपर सचिव स्तर के) होते हैं। वर्तमान माननीय न्यायमूर्ति श्री एस0एस0एम0 कादरी अध्यक्ष हैं और श्री सोमनाथ पाल (भारतीय राजस्व सेवा) और डा0बी0ए0 अग्रवाल, अपर सचिव , विधि मंत्रालय, प्राधिकरण के सदस्य हैं। प्राधिकरण का कार्यकाल होटल सम्राट, (चौथ तल), कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में स्थित है।

अग्रिम विनिर्णय की योजना के अन्तर्गत निवेशकों की निम्नलिखित श्रेणियों अग्रिम विनिर्णय हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं: -

(i) किसी अनिवासी अथवा किसी निवासी के साथ भारत में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने वाला कोई अनिवासी निवेशक;

(ii) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक भारतीय कम्पनी जिसकी धारक कम्पनी कोई विदेशी कम्पनी है, जो व्यक्ति अथवा जो कम्पनी जैसा भी मामला हो, भारत में कोई कारोबारी गतिविधि करने के लिए प्रस्ताव करता है, किसी ऐसे अनिवासी के सहयोग से भारत में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने वाले कोई निवासी;

(iii) भारत में कोई संयुक्त उद्यम;

(iv) केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस सन्दर्भ में जैसा विनिर्दिष्ट करती है, व्यक्तयों की ऐसी श्रेणी अथवा वर्ग के अन्दर आने वाला कोई निवासी।

* इस प्रावधान के अन्तर्गत भारत गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अन्तर्गत सिंगापुर गणराज्य से माल आयात करने के लिए प्रस्ताव करने वाले किसी निवासी को दिनांक 29.7.05 की अधिसूचना सं0 69/2005-सी0शु0 (एन0टी0) के द्वारा एक स्वतंत्र आवेदक अधिसूचित किया गया है।

निम्नलिखित के संबंध में विनिर्णय प्राप्त किया जा सकता है : -

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ आधिनियम, 1985 के अन्तर्गत माल का और वित्त अधिनियम, 1994 (सेवाकर) के अध्याय v के अन्तर्गत कराधेय सेवाओं का वर्गीकरण;

(ii) सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत मूल्यांकन के सिद्धान्त;

(iii) सीमा शुल्क अधिनियम,1962, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 के अन्तर्गत जारी की गई, शुल्क की दरें प्रदर्शित करने वाली अधिसूचनाओं और वित्त अधिनियम 1944 के अध्याय v के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं की प्रयोज्यता;

(iv) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून (के0भू0व0कर)के अन्तर्गत निविष्ट कर क्रेडिट की ग्राह्यता;

(v) वित्तं अधिनियम, 1944 के अध्याय v क के अन्तर्गत सेवा कर के क्रेडिट की ग्राहयता;

(vi) वित्त अधिनियम 1944 के अन्तर्गत सेवा कर प्रभारण के लिए कराधेय सेवाओं का मूल्यांकन;

(vii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत अधिसूचित नियमावली की शर्तां के अनुसार माल के उद्गम और उससे संबंधित मामले निर्धारण;

(viii) सी0ई0सी0ए0 के अन्तर्गत सिंगापुर से माल का आयात।

अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया सामान्य, कम खर्चीली और पारदर्शी है। प्रत्येक आवेदन के साथ केवल 2500/-रुपए डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवाने होते हैं। विनिर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत तीव्र है, क्योंकि प्राधिकरण को सांविधिक रूप से एक आवेदन की प्राप्ति के 90 दिनों के अन्दर निर्णय देना होता है। प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का मौका दिए जाने के बाद और अन्य स्वीकृत न्यायिक मानदण्डों के अनुसरण में विनिर्णय अधिघोषित किए जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा अधिघोषित अग्रिम विनिर्णय माल और सेवाओं के कर निर्धारण में कार्यरत विभागीय अधिकारयों और आवेदक के लिए बाध्यकारी होता है, इस प्रकार परवर्ती विवादों एवं मुकदमों की सम्भावनों को समाप्त करते हैं। एक आवेदक के संबंध में दिया गया विनिर्णय केवल उस आवेदक के मामले में बाध्यकारी है। इसके अतिरिक्त अग्रिम विनिर्णय सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर कानून के अन्तर्गत न तो विभाग द्वारा अथवा न ही आवेदक द्वारा अपील करने योग्य है। कानून अथवा तथ्यों जिन पर विनिर्णय अधिघोषित किया गया था, में कोई परिवर्तन होने तक अग्रिम विनिर्णय वैध रहता है।

अग्रिम विनिर्णय, सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत 'गतिविधि' अर्थात् 'आयात' अथवा 'निर्यात' केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत माल के 'उत्पादन' अथवा 'विनिर्माण' और आवेदक द्वारा प्रस्तावित ली जाने /प्रदान की जाने वाली सेवा कर कानून के अन्तर्गत 'कराधेय सेवाओं' के सम्बन्ध में शुल्क देयता के लिए पहले से ही उल्लेख करेगा। (सेवा कर कानून केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारयों द्वारा देखा जाता है)

वर्ष के दैरान निष्पदान और उपलब्धियां

अग्रिम विनिर्णय से सम्बन्धित सांविधिक उपबन्धों के अनुसार आवेदनों का शीघ्र निपटान प्राधिकरण का यू0एस0पी0 है। दिनांक 1.4.05 से 15.12.05 तक की अवधि के दौरान अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के इच्छुक कुल 52 आवेदन प्राप्त किए गए थे। प्राधिकरण द्वारा निर्णय दिए गए कुल आवेदनों की संख्या 59 थी जिसमें 7 आवेदन गत अवधि से लम्बित थी। आज तक 14 आवेदन लम्बित हैं।

सीमा शुल्क कानून से संबंधित 27, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित एक और सेवा कर कानून संबंधी दो आवेदनों में अग्रिम विनिर्णय दिया गया है। सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून से संबंधित एक-एक अर्थात् कुल दो मामलों में अन्तिम आदेश जारी किए गए थे। सीमा शुल्क कानून के संबंध में 13 आवेदनों में सुनवाई पूरी की गई है जिनमें निर्णय सुरक्षित रखा गया है।

प्राधिकरण की वेबसाइट-डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.सी.बी.ई.सी.गव.इन/ सी.ए.ई./ ए.ए.आर.एच.टी.एम. को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। वेबसाइट में निम्नलिखित नई चीजें जोड़ी गई है : -

(क) वित्त अधिनियम, 2005 में उल्लिखित अग्रिम विनिर्णय संबंधी उपबन्धों के संशोधन;

(ख) प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी अद्यतन अग्रिम विनिर्णय और आदेश भी उपयुक्त रूप से वेबसाइट में डाले गए हैं।

(ग) प्राधिकरण से सम्बन्धित सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यथानिर्धारित बारह मैनुअलों को विधिवत् रूप से तैयार किया गया और इस प्रयोजन हेतु निर्धारित समय सीमा से बहुत पहले ही लोड कर दिया गया है।

(घ) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पी0आई0ओ0 की नियुक्ति को भी सम्यक् रूप से अधिसूचित किया गया था और वेबसाइट तथा प्राधिकरण के सूचना पट पर प्रदर्शित किया गया था।

(ड.) प्राधिकरण द्वारा प्रशासित कानूनों का संग्रह और सभी अग्रिम विनिर्णयों और आदेशों का संकलन भी प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है।

गत वर्ष तक निष्पादन एवं उपलब्धियां

प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2002-03 में कार्य करना आरम्भ कर दिया था। सीमा शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली 2002 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली, 2002 दिनांक 23.8.2002 की क्रमशः अधिसूचना संख्या 55/2002-सी0शु0 (एन0टी0) और संख्या 28/2002-के0उ0शु0 (एन0टी0) द्वारा अधिसूचित की गई थीं। सेवा कर (अग्रिम विनिर्णय) नियमावली दिनांक 23.7.03 की अधिसूचना सं0 17/2003-सेवा कर (एन0टी0) के द्वारा अधिसूचित की गई थी। प्राधिकरण के कार्यकरण को विनियमित करने की प्रक्रिया दिनांक 21.3.2003 की अधिसूचना सं0 1/2003-ए0ए0आर0 के तहत जारी की गई अग्रिम विनिर्णय (प्रक्रियात्मक) नियमावली 2003 के तहत निर्धारित की गई थी। अग्रिम विनिर्णय के दायरे में विस्तार और प्राप्त किए गए अनुभव के परिणाम स्वरूप इन नियमों का सरलीकरण किया गया था और दिनांक 7.01.2005 की अधिसूचना सं0 1/2005 के तहत जारी की गई अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर) प्रक्रिया विनियम 2005 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

अग्रिम विनिर्णय प्राप्त करने के लिए पहला आवेदन दिनांक 20.11.2002 को प्राप्त हुआ था। दिनांक 20.11.2002 से 31.3.2005 तक की अवधि के दौरान 23 आवेदन प्राप्त किए गए थे जिनमें से 6 मामलों में (5 सीमा शुल्क सम्बन्धी और 1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी) विनिर्णय अधिघोषित किया गया था। इस अवधि के दैरान 10 मामलों में (4 सीमा शुल्क संबंधी और तीन-तीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर संबंधी) भी अन्तिम आदेश जारी किए गए थे। दिनांक 31.3.2005 को 7 आवेदन लम्बित थे।

प्राधिकरण के बारे में मूल एवं आवश्यक सूचना सम्बन्धी ब्रोशर मुद्रित करवाए गए और देश में उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रमुख चैम्बरों, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों एवं देश में स्थित दूतावासों तथा उच्चायोगों के बीच इस उद्देश्य से वितरित/परिचालित किए गए कि इस नए संगठन के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके जिसको सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर कानून के अन्तर्गत एक पूर्णतः नए विचार के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अहमदाबाद, बंगलौर एवं इलाहाबाद जैसे औद्योगिक /वाणिज्यिक शहरों के अतिरिक्त भारत में सभी महानगरीय में वाणिज्य एवं उद्योग के चैम्बर्स के साथ बैठकें एवं संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.सी.बी.ई.सी गव.इन सी.ए.ई.ए.ए.आर.एच.टी.एम. को भी इस अवधि के दौरान आरम्भ किया गया था। एफ0ए0क्यू0 के साथ साथ प्राधिकरण से संबंधी सांविधिक उपबन्धों नियमों और विनियमों के इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों की जागरूकता एवं सूचना के लिए लोड किया गया था।

21 सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, (2005 की सं0 2) सदन के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और इसे राष्ट्रपति जी की सहमति 15 जून, 2005 को प्राप्त हुई और यह 12 अक्तूबर, 2005 को प्रवृत्त हो गया है (अर्थात इसके अधिनियम के 120 दिन)। अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।

प्रशासन में खुलापन, पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करने के उदेश्य से आर टी आई अधिनयम अधिनिमित किया गया है, जो भारत के किसी नागरिक को सरकारी प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना प्राप्त करने में समर्थ बनाता है। अधिनयम में यथा परिभाषित शब्द "सरकारी प्राधिकरण " का तात्पर्य है कोई प्राधिकरण् अथवा निकाय अथवा स्वतः - सरकारी स्थापना की संस्था अथवा संविधान द्वारा अथवा उसके तहत गठित से है। यह सरकारी प्राधिकारियों पर बाध्यता डालता हैं कि सूचना के लिए पहुंच प्रदान की जाए और सूचना की कतिपय श्रेणियों को इसके अधिनियमित किए जाने के 120 दिन के अंदर प्रकाशित किया जाए।

सूचना (i) निरीक्षण, (ii) किन्हीं रिंकार्डों की सत्यापित प्रतियों, (iii) डिसकेट, फ्लापी अथवा किसी अन्य विधि से अथवा प्रिंटआउट जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य उपकरण में भरी गई है , से प्राप्त की जा सकती है। धारा 2(च) में परिभाषित " सूचना " शब्द का अर्थ है कोई सामग्री किसी रूप में जिसमें रिकार्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, विचार, सतह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लाग बुक, संविदा, रिपोर्ट, पेपर, नमूने, माडल, किसी इलेक्ट्रानिक रूप में डाटा सामग्री और किसी निजी निकाय से संबंधित सूचना जिसे वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य कानून के तहत किसी सरकारी प्राधिकारी द्वारा पहुंचा जा सकता है।

सरकारी प्राधिकारी

अधिनियम सूचना की पहुंच को प्रदान करने के लिए मशीनरी निर्धारित करता है। सरकारी प्राधिकारयों की यह जिम्मेवारी है कि इसके अधिनियमन के 100 दिनों के अंदर लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित करें। ये अधिकारी नागरिकों से सूचना के लिए अनुरोधों से निपटने और उन्हें सूचना प्राप्त करने में मदद देने के लिए जिम्मेदार हैं।

अधिनियम के तहत एक सरकारी प्राधिकारी से दूसरे सरकारी प्राधिकारी को, जो अनुरोध की विषय-वस्तु से संबंधित है, अंतरण का प्रावधान है।

अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (I) में यथा उल्लिखित सूचना की कतिपय श्रेणियों को अधिनियमन के 120 दिन के अन्दर सरकारी प्राधिकारयों द्वारा प्रकाशित किया जाना है। इसमें, अन्यों के साथ, संगठन के विवरणों से संबंधित सूचना; कार्य और डयूटियां; अधिकारियों और कर्मचारियों की शाक्तियां और डयूटियां; निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाएं; किसी संगठन द्वारा धारित किए गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण; प्रत्येक संगठन को आवंटिंत बजट आदि शामिल है।

आर टी आई अधिनियम की धारा 8 और 9 के सूचना से छूट की श्रेणियाँ

सूचना की कतिपय श्रेणियों को अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत प्रकटन से छूट दी गई है। इनसे, अन्यों के साथ-साथ सूचना जिससे राज्य की सुरक्षा राज्य के सामरिक, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हित अपराधों का पता लगाने और जाँच पड़ताल शामिल है, को प्रभावित करने की आशंका है और व्यापार अथवा वाणज्जियक गोपनीयता तथा वैयक्तिक सूचना जिसका लोक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है एवं किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अनावश्यक हमला हो सकता है उसे भी प्रकटन से छूट प्राप्त है। तथापि, प्रदान की गई छूटें सम्पूर्ण नहीं है और सूचना के रोकने को लोक हित प्रकटन के विरूद्ध सन्तुलित किया जाना चाहिए।

सूचना प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोधों के अनुपालन के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। और यह अनुरोध दाखिल करने की तारीख से कुल पैतालीस दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, जैसा भी मामला हो, कारण लिखित में दर्ज किए जाने चाहिए।

शुल्कों का निर्धारण

दिनांक 16 सितम्बर, 2005 की अधिसूचना द्वारा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 के तहत सूचना की विभिन्न श्रेणियां प्रस्तुत करने के लिए शुल्कों की विभिन्न दरें निर्धारित की है। जिन्हें 27 अक्तूबर, 2005 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था।

सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ सरकारी प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय 10/-रूपये नकद /चैक/डिमांड ड्राफ्ट का आवेदन शुल्क संलग्न किया जाएगाः-

(i) सूचना के प्रति पृष्ठ (ए-4/ए-3 आकार के पेपर) के लिए 2/-रूपये, अथवा

(ii) बड़े आकार के पेपर में प्रतिलिपि का वास्तविक लागत मूल्य अथवा

(iii) नमूना/ मॉडल के लिए वास्तविक लागत, अथवा

(iv) रिकार्डों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं, और बाद के प्रत्येक घंटे के लिए पांच रूपये का शुल्क अथवा

(v) डिसकेट/फ्लापी में प्रदान की गई सूचना के लिए 50/-रूपए , अथवा

(vi) फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए 2/-रूपए , आदि

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी(सी पी आई ओ)

अधिनियम की धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम तय करती है। केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के तहत अनुरोध प्राप्त होने पर, जितनी जल्दी संभव हो सकता है और किसी भी दशा में विनिर्दिष्ट समय-सीमा में, या तो निर्धारित शुल्क की अदायगी पर सूचना प्रदान करेंगे अथवा धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी एक के कारण अनुरोध को खारिज करेंगे।

आर टी आई अधिनियम के तहत अपील

कोई व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट समय के अंदर निर्णय प्राप्त नहीं करता अथवा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से खिन्न है, वह ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रैंक से वरिष्ठ है, को अपील कर सकता है। दूसरी अपील केन्द्रीय सूचना आयोग को भी जाएगी। केन्दीय सूचना आयोग को प्रतिदिन दो सौ पचास रूपए का अर्थदण्ड लगाने का अधिकार प्राप्त है। तथापि, ऐसे अर्थदण्ड की कुल राशि पच्चीस हजार रूपए से अधिक नहीं होगी यदि केन्द्रीय सूचना आयोग का यह मत है कि सी पी आई ओ ने बिना किसी समुचित कारण के सूचना के लिए आवेदन को प्राप्त करने से मना कर दिया अथवा विनिर्दिष्ट समय के अंदर सूचना प्रस्तुत नहीं की है अथवा सूचना के लिए अनुरोध को कपटपूर्ण इरादे अथवा जानबूझकर गलत, अपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना दी है अथवा सूचना को नष्ट किया है अथवा सूचना प्रस्तुत करने में किसी ढंग से बाधित किया है।

आर टी आई अधिनियम से कतिपय संगठनों को दी गई छूट

अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट आसूचना और सुरक्षा एजेंसियों को इसके दायरे से मुक्त रखा गया है। दूसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 24 प्रकट करती है कि अधिनियम राजस्व विभाग के निम्नलिखित संगठनों पर लागू नहीं होगा।

(i) राजस्व आसूचना निदेशालय
(ii) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
(iii) प्रवर्तन निदेशालय
(iv) वित्तीय आसूचना एकक,भारत

यद्धपि उपरोक्त चार संगठन अधिनियम के तहत मुक्त हैं, फिर भी इन संगठनों को भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवधिकार उल्लंघनों से संबंधित सूचना प्रदान करनी होगी।

की गई कार्रवाई

I. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम

राजस्व मुख्यालय

निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया जा चुका हैः-

क्र0सं0	नाम, पदनाम और पता
1.	श्रीमती अनुजा सारंगी, निदेशक(तकनीकी समन्वय /समन्वय)
2.	श्री एल0के0 गुप्ता, निदेशक(बिक्री कर)
3.	श्री मुकुल सिंगल, निदेशक(मुख्यालय)
4.	श्री के0के0 सबरवाल, निदेशक(वित्त/डी0टी0)
5.	श्रीमती मधु शर्मा, निदेशक(राजभाषा)
6.	श्री पी0वी0 सुब्बा राव, उप सचिव(राष्ट्रीय समिति)
7.	श्री संजय सिंह, उप वित्तीय सलाहकार(वित्त/ई0सी0)
8.	श्री वी0पी0 भारद्वाज,उप सचिव(प्रशा0)
9.	श्री के0एस0 शर्मा, उप सचिव(पीआईटीएनडीपीएस)
10.	श्री एस0के0 सिंह,उप सचिव(संसद और प्राप्ति एंव प्रेषण)
11.	श्री आर0एल0 मीणा, एस0टी0ओ0(आर0ए0)

राजस्व मुख्यालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों ने सी0पी0आई0ओ0/सी0ए0पी0आई0ओ0 को नामित किया है। संयुक्त सचिव(राजस्व), वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(।) के तहत पहली अपील सुनवाई के प्रयोजन हेतु अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

बिक्री कर अनुभाग

बिक्री कर अनुभाग के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर सूचना नियमावली प्रकाशित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के तहत आवश्यक कार्रवाई की गई है। इन नियमावलियों को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया गया है ताकि आम जनता की आसनी से पहुंच को सुविधाजनक बनाया जा सके। सूचना को समय-समय पर अद्यतन बनाया जा रहा है। इसके अलावा, अनुभाग में सभी रिकार्डों को उचित ढंग से रखा जा रहा है ताकि जब भी सूचना मांगी जाए, इसे शीघ्रता से प्रस्तुत किया जा सके। 31 दिसम्बर, 2005 तक बिक्री कर अनुभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ii) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

जहां तक सी बी डी टी को संबध है, अधिनियम के तहत अपेक्षित स्थापना स्थापित की गई है। सी बी टी डी मुख्यालयों में 21 सी पी आई ओ नामित किए गए हैं और अपील प्राधिकारी भी नामित किए गए हैं। राजस्व विभाग के प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग को आर टी आई अधिनियम के तहत आवेदन प्राप्त करने और इसे तत्काल सी पी आई ओ को प्रेषित करने के लिए नामित किया गया है।

सी बी डी टी के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में आर टी आई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं।

(iii) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के मुख्यालय में कार्यालय के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया जा चुका हैः -

क्र0सं0	नाम(सर्व/श्री)	पदनाम
1.	एम.एम. पारथीबेन	निदेशक (सीमा शुल्क)
2.	मोहन कुमार सिंह	निदेशक (आई सी डी)
3.	सुश्री प्रिया वी.के. सिंह	उप सचिव (तस्करी रोधी)
4.	डा0 एम. सुब्रहमनियम	उप सचिव (प्रतिअदायगी)
5.	अभय कुमार श्रीवास्तव	उप सचिव (सीएक्स-1/4)
6.	सतीश के0 अग्रवाल	निदेशक (सीएक्स-3/9)
7.	सुश्री एच0आर0प्रिया	निदेशक(सीएक्स-6/8)
8.	रवीन्द्र स्वरूप	निदेशक (कर अनुसंधान एकक)
9.	सुश्री संगीता शर्मा	निदेशक(पुनरीक्षा)
10.	जगदीश सिंह	ओ एस डी(लीगल)
11.	महेश रस्तोगी	ओ एस डी(पी ए सी)
12.	अशोक चक्रवर्ती	उप सचिव(प्रशा-।।)
13.	एस0पी0 सिंह	उप सचिव(प्रशा-।।क/ख)
14.	आर0एस0मीणा	निदेशक(प्रशा-IV/IVक/प्रशा0-VII(ई0सी0))
15.	वी.के. शर्मा	उप सचिव (प्रशा0-V)

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों और निदेशालयों और निदेशालयों में सी पी आई ओ और सी ए पी आई ओ को नामित किया गया है।

II . आर0टी0आई अधिनियम की धारा 4(।)(ख) के तहत सूचना तैयार करना

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और राजस्व मुख्यालय ने आर टी आई अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (।) के तहत विनिर्धारित सूचना की श्रेणियां तैयार की हैं और उनकी अपनी सरकारी वेबसाइट भी लोड किया है।

III. अधिनियम से कतिपय संगठनों को छूट देने के लिए प्रस्ताव

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे से निम्नलिखित संगठनों को छूट देने का अनुरोध किया गया था -

(i) वित्तीय आसूचना एकक, भारत

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय

(iii) आयकर (जॉच-पड़ताल) महानिदेशालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी की है और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की दूसरी अनुसूची में "वित्तीय आसूचना एकक" भारत को शामिल किया है।

दूसरी अनुसूची में आयकर (जाँच-पड़ताल) महानिदेशालय को शामिल करने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने मत व्यक्त किया है कि उप-धारा 8(।) (छ) और (ज) में निहित छूटे आयकर जाँच-पड़ताल महानिदेशालय के हितों को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त हैं और इसको देखते हुए यह आवश्यक नहीं होगा कि महानिदेशालयों को दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाए। तथापि, विभाग ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अनुरोध किया है कि इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रत्युत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

IV. राजस्व विभाग के लिए आर टी आई मामलों में प्राप्ति अधिकारी को नामित करना

अनुभाग अधिकारी (प्राप्ति एवं प्रेषण) को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत राजस्व विभाग से सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से सभी अनुरोधों को प्राप्त करने के लिए प्राप्ति अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वह ऐसे अनुरोधों को प्राप्त करने , उनको पंजीकृत करने और लाल स्याही से स्टाम्प लगाने और संबंधित सी पी आई ओ को जहां तक संभव होगा उसी दिन आगे की कार्रवाई के लिए भेजने के लिए जिम्मेदार होगा। वह इस प्रयोजन के लिए एक अलग प्राप्ति रजिस्टर बनाएगा।

V. राजस्व विभाग के लिए आर टी आई मामलों में प्रेषण अधिकारी को नामित करना

अनुभाग अधिकारी (प्राप्ति एवं प्रेषण-प्रेषण) को प्रेषण अधिकारी के रूप में नामित किया जा चुका है। वह नामित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सी पी आई ओ) से प्राप्त आर टी आई मामलों से संबंधित पत्रों को पाने वाले को स्पीड पोस्ट द्वारा जहां तक संभव हो उसी दिन प्रेषण का उचित रिकार्ड रखने के पश्चात तत्काल प्रेषण का जिम्मेदार होगा। वह इस प्रयोजन के लिए प्रेषण रजिस्टर भी बनाएगा।

VI . प्रशिक्षण नियमावली

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के लिए आयकर विभाग प्रशिक्षण निदेशालय, प्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय अकादमी, नागपुर ने प्रशिक्षण नियमावली प्रकाशित की है। सी पी आई ओ/सी ए पी आई ओ को प्रशिक्षण देने के लिए कुछ कार्याशालाएं आयोजित करने के साथ-साथ सामान्य उपबंधों और रिकार्ड प्रबंध करने पर सभी अधिकारियों और स्टाफ के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए हैं।

VII. आन्तरिक प्रक्रिया

आर टी आई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के प्रकटन के लिए आवेदन/अनुरोध से निपटने के लिए राजस्व विभाग (मुख्यालय) में अपनाए जाने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तैयार की है। इसी प्रकार, प्राप्ति, संचलन पर नजर रखने और सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त सूचना के लिए अनुरोधों को प्रोसेस करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत निदेशालयों के लिए प्रक्रिया तैयार की जा चुकी है।

सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न फार्मेट तैयार किए गए हैं।

22. वित्त मंत्री के बजट भाषण, 2005-06 के माध्यम से घोषित राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण नीति संबंधी पहलों को कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई

राजस्व विभाग (मुख्यालय)

एन सी एम पी के तहत घोषित नीति संबंधी पहले :

एनसीएमपी के तहत यह बताया गया था कि "संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन सरकार सभी आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक गृह कार्य पूरा कने के पश्चात् वैट को शीघ्र लागू करने के लिए वचनबद्ध है, विशेष रूप से मुद्दों जैसे सेवा क्षेत्र का कराधान और राज्यों को प्रतिपूर्ति।"

इस नीति संबंधी घोषणा पर पहले ही आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। राज्य वैट 1 अप्रैल , 2005 से पहले ही क्रियान्वित किया जा चुका है। 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पहले ही वैट क्रियान्वित कर दिया है। चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए, केन्द्र सरकार सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभा रही है। केन्द्र सरकार कर सुधार की इस प्रक्रिया को और आगे ले जाने के लिए इस भूमिका को जारी रखने के लिए वचनबद्ध है।

बजट भाषण , 2005-06 में घोषित नीति संबंधी पहलें :

बजट भाषण के पैरा-89 में वाणिज्जिक पेपर को जारी करने पर स्टाम्प शुल्कों को युक्ति-युक्त बनाने के बारे में उल्लेख किया गया है, यह ऐसे इस ढंग से किया जाएगा कि सभी मामलों में एकसमान रूप से लागू हो। इसे पहले ही भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 के तहत अधिसूचना जारी करने के माध्यम में कायान्वित किया जा चुका है।

बजट-भाषण के पैरा-95 में राज्य वैट के कार्यान्वयन के बारे में उल्लेख किया गया है। यह बताया गया है कि केन्द्र सरकार ने अपने पूरे समर्थन का आश्वासन दिया है और इस बात के लिए भी सहमत हो गई है कि किसी राजस्व हानि की दशा में सहमत फार्मूले के अनुसार राज्यों को प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। राज्य वैट 1 अप्रैल, 2005 से कार्यान्वित किया जा चुका है। केन्द्र सरकार ने वैट को लागू करने के कारण राजस्व हानि, यदि कोई हो, के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति देने के लिए तंत्र को भी कार्यान्वित किया है। तदनुसार, राज्यों को प्रतिपूर्ति जारी की जा रही है।

2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

भारत में एल0टी0यू0 की स्थापना

अन्तराष्ट्रीय प्रथा का पालन करते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने 2005-06 के बजट भाषण में देश में एल टी यू स्थापित करने के प्रस्ताव की घोषण की जो उत्पाद शुल्क,निगम कर/आयकर और सेवा कर अदा करने वाली सभी बड़ी हस्तियों के लिए एक ही स्थान पर सुविधा केन्द्र के रूप में कार्य करेगा।

इस प्रस्ताव पर सरकार में पहले ही कार्य किया जा चुका है और उद्योग निकायों/संघों के साथ व्यापक चर्चा की गई हैं। यह निर्णय लिया गया है कि एल टी यू एक चरणबद्ध ढंग से स्थापित किए जाएंगे और शुरु में देश के बड़े शहरों नामतः बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई में स्थापित किए जाएंगे। सभी बड़े करदाता (एक पैन आधारित हस्तियां) जिन्होंने पी एल ए के माध्यम से वर्ष 2004-2005 में 5 करोड़ रूपए अथवा अधिक का उत्पाद शुल्क अदा किया है और जिनके आयकर का निर्धारण इन पांच शहरों में से किसी में भी होता है, उनका स्क्म में भाग लेने का स्वागत है। एल टी यू के वित्तीय वर्ष 2005-06 के शुरू में स्थापित होने की संभावना है।

प्रस्तावित एल टी यू की विशेषताएं

एल टी यू स्वतः पूर्ण इकाइयां होंगी जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर/ निगम कर और सेवा कर से संबंधित सभी मामलों के लिए एक ही स्थान पर निकासी के रूप में कार्य करेंगी। हस्तियां अपनी उत्पाद शुल्क विवरणी, आयकर/निगम कर विवरणी और सेवा कर विवरणी एक साझा स्थान अर्थात् एल टी यू में दाखिल कर सकेंगी और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए इन सभी करों का निर्धारण केवल एल टी यू में किया जाएगा।

एल टी यू में आयकर विभाग और सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी कार्य करेंगे, जिनका इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से चयन और प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रत्येक एल टी यू की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त के स्तर के अधिकारी द्वारा की जाएगी। एल टी यू की आई एस ओ 9001-2000 प्रमाणन वाले आधुनिक कार्यालयों के रूप में की जाएगी और इनमें विवरणियों आदि को इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल करने के लिए कम्प्यूटरीकृत सुविधाओं के साथ करदाताओं के लिए स्टेट-आफ -दी आर्ट की सुविधाएं होंगी।

एल टी यू के तहत सुविधाएं

एल टी यू में करदाताओं को निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया करायी जाएगीः

- सभी करों की ई-फाइलिंग और ई-भुगतान के लिए चौबीसों घंटे सुविधा;
- करदाता बिना किसी नए पंजीकरण के एकल बिन्दु पर सभी तीनों विवरणियां दाखिल कर सकेंगे;
- तुरन्त और समयबद्ध निर्णय लेने की प्रणाली;
- तुरन्त शिकायत दूर करना;
- वापसियां तेजी से प्रोसेस की जाएंगी;
- सभी एल टी यू के लिए व्यापार नोटिस केन्द्रीय रूप से जारी किए जाएंगे;
- कर-निर्धारण प्रथाओं में एकरूपता;
- सभी मामलों में तेजी से, कुशल और अड़चन रहित सेवा;
- मौजूदा सुविधाएं जैसे निर्यात निकासी, कार्गो की कारखाना भराई और भांडागारण सुविधाएं मौजूदा समय की तरह उत्पाद इकाइयों के निकट क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदान की जाती रहेंगी।

वित्त अधिनियम, 2005

आयकर-दाताओं पर कर बोझ को काफी कम करने के उद्देश्य से बुनियादी कर छूट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए, महिलाओं के लिए 1.35 लाख रुपए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1.85 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा, कराधान के लिए आय स्लैबों को निम्नानुसार व्यापक बनाया गया है :

1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए	-10%
1.50 लाख रुपए से 2.50 लाख रुपए	-20%
2.50 लाख रुपए से अधिक	-30%

वैयक्तिकों, हिन्दू अभिभाज्य परिवारों, व्यक्तियों के संघ और व्यक्तियों के निकाय के मामले में 10 लाख रुपए से अधिक आय होने पर 10% की दर से अधिभार लगाया जाएगा। ऊंची छूट की सीमाओं और व्यापक कर स्लैबों को देखते हुए वेतन आय से मानक कटौती को हटा लिया गया है।

* निगम कर दर (घरेलू कंपनियों के लिए) 35% से कम करके 30% कर दी गई है ताकि पूंजी की पहले से बढ़ी हुई लागत को कम किया जा सके और आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए अधिक आंतरिक संभूतियों का प्रावधान किया जा सके। इसके अलावा फर्मों के लिए कर दर को 35% से कम करके 30% कर दिया गया है। घरेलू कमपनियों और फर्मों पर 10% की दर से अधिभार लगाया गया है।
* वित्तीय बचतों के कराधान को समरूपी व्यवहार प्रदान करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं।
  * धारा 88, 88ख और 88 ग के तहत सभी मौजूदा छूटों को हटा लिया गया है।
  * यह प्रावधान किया गया है कि वित्तीय साधनों में निवेश जो पहले धारा 88 के तक तहत छूट का पात्र था अब 1 लाख रुपए की समग्र अधिकतम सीमा तक नई धारा 80 ग के तहत आय से कटौती के लिए पात्र होगा। इसके अलावा, ऋण वापसी अदायगी, ट्यूशन फीस, भविष्य निधि भुगतान में अंशदान आदि पर क्षेत्रीय अधिकतम सीमा हटा दी गई है।

* धारा 80ठ के तहत कतिपय प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में दी गई कटौती को हटा लिया गया है।

* नियोजक द्वारा कर्मचारियों को दी जा रही अथवा दी गई मानी गई विशेष सुविधाएं या सहुलियत अथवा सुख सुविधाओं पर कर लगाने के लिए सीमांत फायदा कर शुरु किया गया है। सीमांत फायदा कर ऐसे सीमांत फायदों के मूल्य पर 30% की दर से लगाया जाएगा और नियोजक द्वारा अदा किया जाएगा।

* कर आधार को विस्तृत करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :

(क) धारा 139 संशोधित की गई है ताकि फर्मों , चाहे उनकी आय हो अथवा हानि, द्वारा विवरणी को दाखिल करने को अनिवार्य करने की व्यवस्था की जाए सके।

(ख) ऐसे मामलों जिनमें अध्याय VI-क के तहत कटौतियों की अनुमति देने से पहले और धारा 10क, 10 ख अथवा 10 ख क के अधीन छूट देने पर कुल सकल आय की अधिकतम राशि से कम जो कर के प्रभार योग्य नहीं है, उनमें विवरणी को अनिवार्य रूप से दाखिल करने का प्रावधान किया गया है।

(ग) किसी पूर्ववर्ती वर्ष में बिजली उपभोग कर 50000/- रुपए से अधिक व्यय को 1/6 स्कीम के तहत विवरणी दाखिल करने के लिए पद्धति के रूप में शामिल किया गया है। सेल्युलर फोन के लिए अंशदाताओं को 1/6 स्कीम के तहत विवरणी दाखिल करने की पद्धति से निकाल दिया गया है।

* उच्च अध्ययन के लक्ष्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह प्रावधान किया गया है धारा 80ड. के तहत उच्च अध्ययन के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज की संपूर्ण राशि की आठ वर्ष के लिए कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

* जम्मू व कश्मीर राज्य में औद्योगिक विकास के संवर्धन के उद्देश्य से धारा 80-। ख(4) के तहत कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिए जम्मू व कश्मीर में उद्योग की स्थापना के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 31.03.2007 कर दिया गया है।

* युक्ति-युक्त बनाने और सरल करने के निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(क) यह प्रावधान किया गया है कि धारा 115 ट ख के तहत अदा किए गए एम ए टी के लिए क्रेडिट कर देनदारी, जो बाद के वर्षों में उठती है, के विरुद्ध प्रदान किया जाएगा।

(ख) घारा 10 के खंड (4)के उप-खण्ड (ii) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अनिवासी (बाह्य) खाता में ब्याज पर छूट मिलती रहेगी।

(ग) धारा 10 के खंड (15) के उप-खण्ड (iv) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि देशी करेंसी जमा राशियों पर ब्याज कर से मुक्त बना रहेगा।

(घ) 1.4.2006 से पहले किए गए पट्टा करारों के लिए वायुयान अथवा वायुयान ईंजन का अधिग्रहण करते समय अदा किए गए पट्टा किराए पर छूट को बहाल किया गया है।

(ड.) धारा 115 क को संशोधित किया गया है ताकि 1.6.2005 को अथवा उसके पश्चात् किए गए करार के संबंध में अनिवासी के मामले में रायल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के द्वारा अर्जित आय पर 10% की दर से कर लगेगा।

(च) धारा 80-1क संशोधित की गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण और असंरचना सुविधा का प्रचालन, विकास और अनुरक्षण कर रहे है उक्त घारा के तहत 10 वर्ष की अवधि के लिए लाभों की शत-प्रतिशत कटौती के लिए पात्र होंगे।

(छ) कम कर दरों, पूंजीगत माल के मूल्यों में कम मुद्रास्फीति, बढ़ी हुई आंतरिक संभूतियों आदि को देखते हुए मूल्यह्रास की दरों को युक्ति-युक्त बनाया गया है। अन्य बातों के अलावा, संयंत्र और मशीनरी पर मूल्यह्रास की दर को कम करके 15% कर दिया गया है।

(ज) 1.4.2005 के पश्चात् प्राप्त किए गए नए संयंत्र और मशीनरी पर अतिरिक्त मूल्यह्रास को बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

(झ) धारा 35 घ घ क संशोधित की गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन पर नियोजक द्वारा भुगतान करने के लिए किए संपूर्ण व्यय की कटौती के रूप में अनुमति दी जाए, यहाँ तक कि यदि ऐसा व्यय लम्बी समयावधि के दौरान किया गया है।

(ञ) निकर्षण पोत टन भार कर स्कीम के लिए अर्हता प्राप्त पोत की परिभाषा के तहत आएंगे।

(ट) धारा 43 के खण्ड (5) को संशोधित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज पर डेरिवेटिव में कारोबार को सट्टात्मक लेनदेन नहीं माना जाएगा।

(ठ) टी डी एस/टी सी एम डीमेट उपबन्धों को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब ये 1.4.2006 को अथवा उसके पश्चात् कटौती किए गए /वसूल किए गए करों के लिए लागू होंगे।

(ड) छोटे ट्रक प्रचालकों की कठिनाइयों के कम करने की उद्देश्य से धारा 194 ग की उप-धारा (3) संशोधित की गई है और दो ट्रक के स्वामित्व वाले ट्रक प्रचालकों को टी डी एस से छूट दी गई है।

* एक नई धारा 72 कक जोड़ी गई है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि जहां एक बैंकिंग कम्पनी के केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत स्कीम के अनुसार बैंकिंग संस्था के साथ विलय हो गई है, उसमें विलय होने वाली बैंकिंग कम्पनी की आगे लाई गई संचित हानि और अनुवशोषित मूल्यह्रास को बैंकिंग संस्था में विलय की अनुमति होगी।

* ये प्रावधान किया गया है कि जीरो कूपन बॉड के अंतरण से आय , जो सौदे में स्टॉक नहीं है, को पूंजीगत अभिलाभ माना जाएगा।

* धारा 153 ख संशोधित की गई है ताकि दूसरे व्यक्ति के मामले में तलाशी कर-निर्धारण के लिए समय सीमा को युक्ति-युक्त बनाया जाए। यह प्रावधान किया गया है कि दूसरे व्यक्ति कि मामले में सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती 6 वर्षों के संबंध में समय सीमा उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है और पूर्ववर्ती वर्ष के , जिसमें धारा 132 क के अधीन तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, अंत से दो वर्ष होगी, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132 क के अधीन अध्यपेक्षा निष्पादित की गई थी अथवा उस वित्तीय वर्ष के , जिसमें अभिगृहित या अध्यपेक्षित लेखा बाहियां या दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती है , अंत से एक वर्ष होगी। इसके अलावा, धारा 153 ग की उप-धारा(1) के लिए नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया है ताकि ये प्रावधान किया जा सके कि ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में धारा 153 क के दूसरे परन्तुक में धारा 132 के अधीन तलाशी आरम्भ करने या धारा 132 के अधीन अध्यपेक्षा के प्रति निर्देश का ये अर्थ लगाया जाए कि वो ऐसे व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बाहियों या दस्तावेजों या आस्तियों को प्राप्त करने की तारीख के प्रति निर्देश हैं।

* वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के संवर्धन के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(क) धारा 35 (2क ख) को संशोधित करके औषधियाँ ,बायो प्रौद्योगिकी, दूरसंचार उपस्कर, भेषजों आदि के कारोबार में लगी कम्पनियों द्वारा आंतरिक अनुसंधान पर व्यय की 150% की कटौती की अनुमति की समय सीमा को बढ़ाकर 31.3.2007 कर दिया गया है।

(ख) धारा 80-1ख की उप-धारा (8क) को संशोधित किया गया है ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास का कार्य कर रही कम्पनी, जहां ऐसी कंपनी को प्राधिकारी द्वारा 1.4.2007 से पहले विनिर्धारित किया गया है, को शत-प्रतिशत कटौती का प्रावधान किया जा सके।

* कर अपवंचन को रोकने के उद्देश्य से दो नए उपाय किए गए हैं :

(क) एक नया कर नामतः बैंकिंग नकद लेन-देन कर निम्नलिखित बैंकिंग लेन-देनों के मूल्य पर 0.1% की दर से लगाया गया है :

(i) किसी अनुसूचित बैंक के पास खाते (बचत खाते को छोड़कर) से किसी एकल दिन को किसी वैयक्तिक अथवा हिन्दू अभिभाज्य परिवार द्वारा 25,000रु0 से अधिक और अन्य व्यक्तियों द्वारा 1,00,000रु0 की नकद निकासी।

(ii) किसी अनुसूचित बैंक से किसी वैयक्तिक अथवा एच यू एफ द्वारा 25,000रु0 से अधिक और अन्य व्यक्तियों द्वारा 1,00,000 रु0 से अधिक किसी एकल दिन को सावधि जमा भुनाने पर नकद प्राप्ति।

(ख) एक नई धारा 206 क जोड़ी गई है ताकि ऐसी जमा राशियों, जिनमें अदा किया गया ब्याज 5,000/-रु0 से कम है, के लिए बैकों, सहकारी संस्थाओं और सार्वजनिक कम्पनियों (जो मुख्यतः भारत में मकानों के निर्माण अथवा खरीद के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने कारोबार कर रही है) द्वारा त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया जा सके।

* अतिरिक्त संशाधनों को जुटाने के उपाय के रूप में प्रतिभूति लेन-देन कर के लिए दरों को निम्नानुसार 33.33% तक बढ़ाया गया है।

(i) क्रेता द्वारा संदत्त की जाने वाली , मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रविष्ट कम्पनी के साधारण शेयर या किसी साम्य उन्मुख निधि की इकाई की प्रदान आधारित खरीद के सँव्यवहारों के मूल्य पर 0.1 प्रतिशत की दर से।

(ii) विक्रेता द्वारा संदत्त की जाने वाली, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रविष्ट कम्पनी के साधारण शेयर या किसी साम्य उन्मुख निधि की ईकाई की अपरिदान आधारित खरीद के सम्व्यवहारों के मूल्य पर 0.1 प्रतिशत की दर से।

(iii) विक्रेता द्वारा संदत्त की जाने वाली, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रविष्ट कम्पनी के साधारण शेयर या किसी साम्य उन्मुख निधि की ईकाई की अप्रदान आधारित खरीद के सम्व्यवहारों के मूल्य पर 0.02 प्रतिशत की दर से।

(iv) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेन्ज में प्रविष्ट विकल्प या भविष्य व्युत्पन्नों के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.0133% की दर से।

(v) किसी साम्या उत्मुख निधि की ईकाई को पारस्परिक निधि को बिक्री के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.2% की दर से।

बजट 2005-06 में की गई घोषणाओं पर की गई कार्रवाई

(I) कराधान की ई ई टी प्रणाली में परिवर्तन के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि इसके लिए योजना तैयार करने के लिए समिति गठित की जाएगी। इसके अनुसरण में ई ई टी समिति दिनांक 5.8.2005 के आदेश द्वारा गठित की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 28.11.2005 को प्रस्तुत कर दी है जो सरकार के विचाराधीन है।

(II) बजट भाषण के पैरा 177 में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एन सी एम पी) सरकार से काले धन और आस्तियों का पता लगाने के लिए विशेष स्कीमें शुरू करने की अपेक्षा करता हैः

(क) एक नया कर नामतः बैंकिंग नकद लेन-देन कर निम्नलिखित बैंकिंग लेन-देनों के मूल्य पर 0.1% की दर से लगाया गया हैः

(i) किसी अनुसूचित बैंक के पास खाते (बचत खाते को छोड़कर) से किसी एकल दिन को किसी वैयक्तिक अथवा हिन्दु अभिभाज्य परिवार द्वारा 25,000 रूपए से अधिक और अन्य व्यक्तियों द्वारा 1,00,000 रूपए की नकद निकासी;

(ii) किसी अनुसूचित बैंक से किसी वैयक्तिक अथवा एच यू एफ द्वारा 25,000 रूपए से अधिक और अन्य व्यक्तियों द्वारा 1,00,000 रूपए से अधिक किसी एकल दिन को सावधि जमा भुनाने पर नकद प्राप्ति। बी सी टी टी नियमावली, 2005 अधिसूचना सां0आ0 77(अ) दिनांक 30.5.2005 द्वारा अधिसूचित की गई है।

(ख) एक नई धारा 206क जोड़ी गई है ताकि ऐसी जमाराशियों , जिनमें अदा किया गया ब्याज 5000/-रूपए से कम है, के लिए बैंकों , सहकारी संस्थाओं और सार्वजनिक कम्पनियों(जो मुख्यतः भारत में मकानों के निर्माण अथवा खरीद के लिए दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने का करोबार कर रही हैं) द्वारा त्रैमासिक विवरणियां प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान किया जा सके।

सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 क के तहत स्रोत पर न कटौती करने की त्रैमासिक विवरणी दाखिल करने के उद्देश्य से सां0आ0सं0 896(अ) दिनांक 28.6.2005 जारी की हैं।

(iii) वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुरूप संशोधित और सरल किए गए आयकर विधेयक के लिए मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समूह गठित किया गया है।

23. ई प्रशासन गतिविधियां

(क) राजस्व मुख्यालय

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आरम्भ की गई राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (एन ई जी पी) के अन्तर्गत राजस्व विभाग "वाणिज्यिक करों" पर एक मिशन मोड परियोजना (एम0एम0पी0) का समन्वय कर रहा है जो राज्य करों के क्षेत्र में ई-प्रशासन की एक महत्वपूर्ण शुरूआत है। विभाग अन्य राज्यों के परामर्श से इस परियोजना के लिए एक विस्तृत स्कीम को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

राजस्व विभाग के सचिवालय हेतु आयकर स्वतः चालन योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के विचार से राजस्व विभाग में आवश्यक प्रचालन प्रणाली एवं प्रयोग किए जाने वाले साफ्टवेयर सहित 110 कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। विभाग के कम्प्यूटरीकरण के विशिष्ट उद्देश्य प्रभावी नीति निर्धारण हेतु यंत्र उपलब्ध कराना, कम प्रक्रियात्मक अवधि के माध्यम से कुशल एवं पारदर्शी प्रशासन तैयार करना और कुशल निगरानी तथा पर्यवेक्षी तन्त्र तैयार करना हैं। पूरे स्टाफ के लिए कम्प्यूटर उपलब्ध कराने और कम्प्यूटरों पर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी है ताकि ऑनलाईन कार्यकरण प्रणाली पर धीरे धीरे अन्तरित किया जा सके।

(ख) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

"परिदृश्य 2010"-करदाता सेवाओं का ई0 प्रेषण

1. परिदृश्य 2010

परिदृश्य आलेख 2010 में विभाग ने गुणवत्ता करदाता सेवा की एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की है। इस संबंध में "आयकर कार्यालय में पहुँचे बिना अपनी साधारण कर बाध्यताओं को सुविधाजनक तरीके से पूरा करने के लिए करदाताओं को सक्षम बनाना" के रूप में विभाग के मुख्य उद्देश्य को परिभाषित किया गया है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है:-

सुविधाएँ (इंटरनेट के माध्यम से कार्य करने की सुविधा सहित) स्थापित करना ताकि कर दाता अपने-अपने घरों/ कार्यालयों से निम्नलिखित कार्य कर सकें।

(i) प्रपत्रों इत्यादि सहित प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी सारी सूचना प्राप्त करना।

(ii) पैन आवेदन दायर करना और मांग पर पैन प्राप्त करना।

(iii) आय/स्रोत पर कर कटौती की विवरणियां तैयार करना एवं दायर करना।

(iv) करों को अदा करना और उसकी स्थिति का पता लगाना।

(v) अपने बैंक खातों में क्रेडिट के द्वारा वापसियां प्राप्त करना।

(vi) जहां व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है, उसको छोड़कर पूछताछ सम्बन्धी सभी निर्धारणों का उत्तर देना।

(vii) याचिका दायर करना और उसकी स्थिति का पता लगाना।

2. आयकर विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के मुख्य तीन घटक हैः-

(1) कर दाता सेवाओं का ई0 प्रेषण

(2) विभागीय कम्प्यूटर अवसंरचना का संवर्धन।

(3) कर सूचना संजाल (टिन) की स्थापना।

3. कर दाता सेवाओं का ई0 प्रेषण

3.1 वेब पर कर सूचना का प्रसारण

(i) विभाग की वेबसाइट- डब्ल्यू.डब्ल्यू.इन्कमटेक्सइंडिया.गव.इन प्रत्यक्ष कर कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं,एफ0ए0 क्यू0 इत्यादि की विस्तृत सूचना और सभी फार्मों चालानों को डाउनलोड करने की तथा विवरणी तैयार करने का साफ्टवेयर इत्यादि उपलब्ध कराती है।

(ii) वेबसाइट देखने वालों की संख्या मार्च, 2005 में 1.30 करोड़ से अधिक हो गई थी। वेबसाइट देखने वालों की औसत संख्या लगभग 4 लाख प्रतिदिन है।

3.2 पैन सम्बंधी सेवाएं-

(i) वित्तीय वर्ष 2004-05 में 63 लाख से अधिक अर्थात प्रति मास 5 लाख से अधिक पैन आबंटित किए गए थे। औसत प्रतीक्षा अवधि 15 दिनों से कम हो गई है। दिनांक 31.3.05 तक आबंटित पैनों की कुल संख्या 3.82 करोड़ तक थी। दिनांक 20.12.05 तक यह 4.18 करोड़ तक बढ़ गई है। पैनों का वर्षवार आबंटन निम्नानुसार है:-

वर्ष 2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-2005
आबंटन 23,00218	26,78,764	58,74,623	44,60,038	63,73,028

(ii) पैन संबंधी निम्नलिखित सेवाएं इन्टरनेट पर उपलब्ध कराई गई है:-

(क) पैन आवेदनों को लाइन पर दायर करना।

(ख) पैन का "तत्काल" आबंटन।

(ग) पैन आवेदनों की स्थिति का वेब पर पता लगाना

(घ) "आयकर सम्पर्क केन्द्र" (ए0एस0के0) (0124-2438000) कॉल सेन्टर सहित पैन शिकायतों को निपटाना।

3.3. आयकर की विवरणियों को ऑनलाइन तैयार करना।

कारोबारी आय न रखने वाले करदाताओं द्वारा अपनी विवरणियों को तैयार करने हेतु मुफ्त साफ्टवेयर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

3.4 आय की विवरणियों को ई-रूप से दायर करनाः-

मध्यवर्त्तियों के माध्यम से आय की विवरणियों का इलैक्ट्रानिक रूप से दायर करने और डिजिटल हस्ताक्षर के अन्तर्गत पात्र करदाताओं द्वारा सीधे इन्टरनेट पर दायर करने हेतु कार्यकरण निर्धारित करदाताओं के लिए 60 स्टेशनों पर नेटवर्क पर प्रचालनात्मक हो गया है।

3.5 कर का ई-भुगतान

(i) इन्टरनेट के माध्यम से करों का भुगतानः

इन्टरनेट के माध्यम से करों के भुगतान हेतु सुविधा स्थापित की गई है। टिन की वेबसाइट अर्थात डब्ल्यू.डब्ल्यू.टिन.एन.एस.डी.एल.कॉम. पर ब्यौरा उपलब्ध है।

(ii) पूर्व मुद्रित पैन सहित खाली चालानः

नाम सहित पूर्व मुद्रित चालानों एवं पैन/टैन को डाउनलोड करने की सुविधा वेबसाइट एच0टी0टी0पी0/इन्कमटेक्स इंडिया ई फाइलिंग.गव.इन पर उपलब्ध है।

(iii) बैंकों में अदा किए कर का विचार- इन्टरनेट के माध्यम से कर के भुगतान की जॉच करने की सुविधा वेबसाइट एच टी टी पी// टिन.एन एस डी एल.कॉम पर उपलब्ध हैं।

3.6 ***विवरणियों पर शीघ्र कार्रवाई और वापसियों को जारी करनाः*** वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान कम्प्यूटरों पर 2 करोड़ से अधिक विवरणियों पर कार्रवाई की गई है। संगत आंकड़े निम्नानुसार है -

वित्तीय वर्ष	नेटवर्क कम्प्यूटरों पर संसाधित विवरणियां	स्टैंड एलोन कम्प्यूटरों पर संसाधित विवरणियां	कम्प्यूटरों पर संसाधित विवरणियों की संख्या	वापसी जारी किए गए चैक (लाखों में)
2001-02	10,58,288	4,25,584	14,83,872	26.72
2002-03	92,85,705	86,41,337	1,79,27,042	39.87
2003-04	1,06,99,279	96,94,397	2,03,93,676	56.66
2004-05	1,23,63,549	80,18,443	2,03,81,992	39.77

3.7 ***वापसियों को इलैक्ट्रानिक रूप से जमा करनाः*** वेतनभोगी करदाताओं के लिए करदाताओं के बैंक खाते में वापसी को इलैक्ट्रानिक रूप से जमा करने हेतु सुविधा मार्च, 2004 में 12 शहरों में आरम्भ की गई है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से अन्य शहरों तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

3.8 टी0डी0एस0 विवरणियों को इलैक्ट्रानिक रूप से दायर करना

दिनांक 3.12.05 तक प्राप्त ई टी डी एस0 विवरणियों के ब्यौरे निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष के लिए टी0डी0एस0 विवरणियां	प्राप्त ई-टी0डी0एस0 विवरणियां	ई-टी0डी0एस0विवरणियों में शामिल संव्यवहार
2002-03	1,28,421	4,58,04,279
2003-04	3,25,157	7,80,03,841
2004-05	4,95,971	10,25,65,943
2005-06 (पहली तिमाही)	2,47,792	2,01,43,887
2005-06 (दूसरी तिमाही)	2,11,200	2,32,44,563

3.9 संवीक्षा हेतु कम्प्यूटर की सहायता से मामलों का चयन

संवीक्षा हेतु जोखिम आधारित कम्प्यूटर की सहायता से मामलों के चयन की प्रणाली वित्तीय 2004-05 के दौरान नेटवर्क 60 स्टेनशनों पर आरंभ की गई है। यह प्रणाली संवीक्षा हेतु स्वविवेक आधारित मामलों के चयन को समाप्त करेगी। जून 2006 तक सभी शहरों में एक बार आयकर नेटवर्क के पहुंच जाने के बाद इस प्रणाली को सभी शहरों तक पहुंचाने का प्रस्ताव है।

4. विभागीय कम्प्यूटर संरचना का संवर्धन

निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है-

4.1 ***एकल राष्ट्रीय डाटा बेस की स्थापनाः***- वर्तमान में उपयोग में लाए जाने वाले साफ्टवेयर को दो स्तरों से तीन स्तरों में बदलना और 36 क्षेत्रीय डाटाबेसों का एकल राष्ट्रीय डाटा बेस में समेकन प्रगति पर है। यह निम्नलिखित कार्यकरण को सक्षम बनाएगाः-

(क) कहीं भी किसी भी समय परिकलन;

(ख) क्षेत्राधिकार मुक्त दायर करना / संसाधित करना ;

(ग) अखिल भारतीय डाटा मिलान ;

(घ) केन्द्रीकृत एम आई एस रिपोर्ट करना।

4.2 एकल राष्ट्रीय डाटा बेस समाहित करने के लिए उपयुक्त कारोबारी निरंतरता और आपदा राहत स्थान सहित राष्ट्रीय डाटा केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। निविदा प्रक्रिया आरंभ कर ली गई है। बैंच मार्क सूट निर्माणाधीन है। पूरा करने की संभावित तारीख 30.6.2006 है।

4.3 सम्पूर्ण देश के 510 शहरों में 742 आयकर कार्यालयों को जोड़ने के लिए अखिल भारतीय अप्रत्यक्ष निजी नेटवर्क (वी पी एन) स्थापित किया जा रहा है। निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और नेटवर्किंग का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया गया है। पूरा करने की निर्धारित तारीख 31.1.2006 है यह बारह हजार विभागीय प्रयोगकर्ताओं को 99 प्रतिशत सुनिश्चित समय के साथ ज्यादा सुरक्षित नेटवर्क में एकल राष्ट्रीय डाटा बेस के साथ जोड़ेगा।

4.4 वैयक्तिक कम्प्यूटरों की आपूर्ति

8800 से अधिक वैयक्तिक कम्प्यूटर अधिकारियों एवं स्टाफ को उपलब्ध कराए गए हैं।

5. कर सूचना संजाल की स्थापना-

5.1 कर सूचना संजाल (टिन) विभाग से बाहर स्थापित किया गया है। यह निम्नलिखित सूचना से संबंधित भंडार के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि0 (एन0एस0डी0एल0) के द्वारा संचालित की जा रही है:-

(i) ऑन लाइन कर लेखांकन कर प्रणाली (ओ0एल0टी0ए0एस0) के अन्तर्गत बैंकों से ऑनलाइन पर आने वाले कर भुगतान।

(ii) इलेक्ट्रानिक रूप से दायर की गई और पेपर पर दायर की गई तथा टिन पर अंकित टी0डी0एस0 विवरणियों से आने वाली कर कटौतियां।

(iii) वार्षिक सूचना विवरणियों के माध्यम से आने वाले ऊंची कीमत वाले वित्तीय संव्यवहार।

अगस्त 2005 से टिन के साथ पैन का उपयोग प्रमुख पहचानकर्ता के रूप में करते हुए इन विवरणियों को इलेक्ट्रानिक प्रपत्र में दायर करना आरंभ कर दिया गया है। इन विवरणियों में उपलब्ध सूचना का उपयोग कर आधार को विस्तृत करने के लिए आसूचना आधार पर संवीक्षा हेतु मामलों का कम्प्यूटरीकृत चयन कर आधारों को सघन बनाने के लिए किया जाएगा।

5.2 ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओ0एल0 टी0 ए0एस0) -

ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली ने दिनांक 1.6.2004 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष करों को एकत्र करने के लिए जिम्मेवार 34 पदनामित बैंकों की लगभग 12 हजार 9 सौ शाखाएं टी0ञ3 आधार पर टिन के माध्यम से विभाग को ऑन लाइन कर भुगतान की सूचना संप्रेषित कर रही है। भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। चालानों की संख्या 7 से घटाकर 3 कर दी गई है। पूर्व मुद्रित पैन और नाम सहित खाली बार कोडबद्ध चालानों को पैन के उपयोग की सुविधा प्रदान करने हेतु कम्पनियां, फर्मों और टी0डी0एस0 कटौती करने वालों को भेजे गए है।

5.3 टी0डी0एस0 /टी0सी0एस0 कार्यों का कम्प्यूटरीकरण -

टिन, टी0डी0एस0/टी0सी0एस0 विवरणियों को ई-दायर करने तथा कागज वाली टी0डी0एस0 विवरणियों को संख्या देने के लिए सुविधा प्रदान कर रहा है। पैन को एक महत्वपूर्ण पहचानकर्ता के रूप में उपयोग करते हुए टी0डी0एस0 विवरणी में उपलब्ध कटौती किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में सूचना का प्रयोग कर आधार के विस्तार हेतु किया जा सकता है। चरण-2 में टिन के माध्यम से टी0डी0एस0 प्रमाणपत्रों को समाप्त करने के लिए सुविधाएं स्थापित की जा रही है।

5.4 वार्षिक सूचना विवरणियां -

क्रेडिट कार्ड कंपनियों, बैंकों अचल संपत्तियों के पंजीयक, म्यूच्यूअल फंडस इत्यादि जैसी वित्तीय गतिविधियों की प्रमुख शाखाओं द्वारा उच्च मूल्य वाले वित्तीय संव्यवहारों की वार्षिक सूचना विवरणियों को दायर करने के लिए योजना को इस वर्ष से प्रचालनात्मक बना दिया गया है। ये विवरिणियों पैन को प्रमुख पहचानकर्ता के रूप में दर्शाते हुए विभिन्न पार्टियों द्वारा किए गए विशिष्ट उच्च मूल्य वाले वित्तीय संव्यवहारों को पार्टी-वार ब्यौरे देते हुए टिन सहित इलैक्ट्रानिक मीडियम पर दायर किए जाने है। दिनांक 11.12.05 तक कुल 1833 वार्षिक सूचना विवरणियाँ दायर की गई है उनका ब्यौरा निम्नानुसार है।

संव्यवहार की प्रकृति	संव्यवहारों की संख्या	बताई गई राशि (रूपये)
बैंक में नकद जमा > 10 लाख रूपये	443,541	41,100 करोड़
क्रेडिट कार्ड के भुगतान > 2 लाख रूपये	362,660	5,833 करोड़
म्यूच्यूल फंड में प्राप्तियां > 2 लाख	611,232	765,696 करोड़
बंधपत्रों/ ऋणपत्रों के लिए > 5 लाख रूपये प्राप्तियों	22,868	89,806 करोड़
कम्पनियों में शेयरों के लिए > लाख रूपये प्राप्तियां	138,277	72,498 करोड़
अचल सम्पत्ति की > 30 लाख रूपये खरीद	6,391	4,997 करोड़
अचल सम्पत्ति की बिक्री > 30 लाख रूपये	8,655	4,114 करोड़
भारतीय रिजर्व बैंक से बंधपत्रों की > 5 लाख रूपये खरीद	73,638	161,133 करोड़
योग	**1,667,262**	**1,145,177 करोड़**

इन विवरणियों में उपलब्ध सूचना का प्रयोग कर आधार को विस्तृत करने, आसूचना आधार पर संवीक्षा के लिए मामलों का कम्प्यूटरीकृत चयन करने और कर आधार को सघन बनाने के लिए किया जाएगा।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा पहले से क्रियान्वित एवं जो क्रियान्वयनधीन हैं वे परियोजनाएं राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना के प्रस्तावित परिदृश्य में सम्मिलित है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा ली गई बहुतायत परियोजनाएं आयातकों एवं निर्यातकों, विनिर्माताओं, एवं सेवा प्रदाताओं जैसे कारोबार उपयोगकर्ताओं को लक्षित करती है और इन प्रयासों में विभाग निम्नलिखित सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित है-

* "सिंगल विंडो" इन्टरफेस के माध्यम से सेवाओं का नागरिक केन्द्रित प्रेषण।
* "कभी भी कहीं भी" आधार पर सेवाएं प्रदान करना।
* पारदर्शिता एवं जवाबदेही को शुरू करना।
* प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
* संव्यवहार लागत में कमी।
* मैनुअल इन्टरफेस को न्यूनतम करना।
* स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना।
* विभिन्न कर प्रणालियों के बीच सहक्रिया।

इन्टरनेट पर और विभिन्न सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभाग की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जाते हैं। एकीकृत प्रक्रियाओं के द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में में आर-पार करने के द्वारा और बैंकों, एयरलाइनों, अभिरक्षकों इत्यादि जैसी साझेदार एजेंसियों के साथ एकीकरण के द्वारा भी एकीकृत सेवा का प्रयास किया जा रहा है।

पूरी की गई परियोजनाओं का ब्यौरा-

क्रम सं0	गतिविधि	संक्षिप्त विवरण
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की विवरणियों को ऑन लाइन दायर करना	के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड के पास इन्टरनेट पर अपनी अपनी के0उ0शु0 विवरणियां दायर करने के लिए करदाताओं को सक्षम बनाना।
2.	सेवा कर विवरणियों को ऑन लाइन दायर करना	इन्टरनेट पर अपनी अपनी के0उ0शु0 विवरणियां दायर करने के लिए करदाताओं को सक्षम बनाना।
3.	प्रति अदायगी का इलेक्ट्रानिक क्रेडिट	बकाया राशि को पदनामित बैंक के पास अपने खाते में इलेक्ट्रानिक क्रेडिट के माध्यम से करदाताओं को सक्षम बनाना।
4.	अप्रत्यक्ष करों से संबंधित सूचना को वेब के माध्यम से प्रसारित करना।	सी0शु0, के0उ0शु0 एवं सेवा कर कानून, प्रपत्रों इत्यादि से संबंधित अद्यतन सूचना को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करने के लिए करदाताओं को सक्षम बनाना।
5.	आई0सी0ई0जी0ए0टी0ई0 के साथ आयातक/ निर्यातक कोड का स्तर	करदाता को इन्टरनेट पर यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाना कि क्या विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी किया गया उसका आइ0ई0सी0 (आयातक/ निर्यातक कोड) आई0सी0ई0जी0ए0टी0ई0 को प्रेषित किया गया है।
6.	आई0सी0ई0जी0ए0टी0ई0 के साथ ऑन लाइन पंजीकरण	विभाग के साथ इलैक्ट्रानिक रूप से संव्यवहार करने हेतु ऑनलाइन पंजीयन करने के लिए करदाता को सक्षम बनाना।
7.	सीमा शुल्क प्रलेखों को ऑनलाइन दायर करना।	अपने-अपने सीमा शुल्क प्रलेखों को इन्टरनेट पद दायर करने के लिए करदाताओं को सक्षम बनाना। वर्ष 2004-05 के दौरान 94 प्रतिशत आयात प्रलेख और 92 प्रतिशत निर्यात प्रलेखन स्वतःचालित स्थानों पर इलेक्ट्रानिक रूप से संसाधित किए गए थे।
8.	वेब पर सीमा शुल्क प्रलेखों की स्थिति का पता लगाना	अपने अपने सीमा शुल्क प्रलेखों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए करदाताओं को सक्षम बनाना।
9.	आई0सी0ई0जी0ए0टी0ई0 संव्यवहार के लिए हेल्पलाइन सुविधा	विभाग के साथ आई0सी0ई0जी0ए0टी0ई0 के माध्यम से संव्यहवार करने में करदाताओं के समक्ष आने वाली समस्याओं के लिए एक हेल्पलाइन उपलब्ध कराना।

चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा संक्षेप में निम्नानुसार है -

क्रम सं0	गतिविधि	संक्षिप्त विवरण
1.	सीमा शुल्क अनुमोदन में डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र	इंटरनेट पर संव्यवहारों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क अनुमोदन में डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों के कार्यान्वयन हेतु प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने पांच वर्षों का एक लाइसेंस प्राप्त किया है। डिजीटल प्रमाणपत्रों की जारी करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।
2.	के0उ0शु0 एवं सेवा कर का स्वतःचालन (एस0सी0ई0एस0)	इस परियोजना का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से संबंधित सम्पूर्ण कारोबार प्रक्रिया में स्वतःचालित कार्यप्रवाह प्रायोज्यता विकसित करने का लक्ष्य है जिसमें, पंजीयन, विवरणियों, दावों, सूचना इत्यादि को दायर करना एवं संसाधित करना, उत्पाद शुल्क संबंधी निर्यात प्रलेखों को दायर करना तथा संसाधित करना, विवाद प्रस्तावों, लेखा परीक्षा का स्वतःचालित अनुश्रवण इत्यादि शामिल है। साफ्टवेयर का विकास संबंधी कार्य प्रगति पर है।
3.	विभाग में कम्प्यूटर संरचना का संवर्धन।	राष्ट्रीय डाटा केन्द्र डाटा प्रतिकृति एवं आपदा राहत साइट से 245 शहरों में, 550 भवनों में 20,000 उपयोगकर्ताओं को जोड़ने वाले अखिल भारतीय वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना। यह के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड के अधिकारियों को राष्ट्रीय डाटा केन्द्र से आपदा राहत साइट से जोड़ेगा। इस परियोजना के वर्ष 2006-07 तक पूरा होने के संभावना है।
.		के0उ0शु0 एवं सी0शु0 प्रणाली का उपयोग करने वाले सभी विभागीय एवं बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए परिकलन, डाटा भंडारण , संरचना सुरक्षा प्रणाली प्रबंधन एवं इससे संबंधित कार्यकरणों की केन्द्रीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस परियोजना के वर्ष 2006-07 पूरा होने की संभावना है।
		के0उ0शु0 एवं सीमा शुल्क बोर्ड के सभी उपयोगकर्ताओं को वैयक्तिक कम्प्यूटर/टर्मिनल उपलब्ध कराना जिसमें एक सुरक्षित तरीके में केन्द्रीय परिकलन सुविधा भी उपलब्ध होगी इस परियोजना के वर्ष 2006-07 तक पूरा होने की संभावना है।

विश्लेषण एवं सूचना देने के लिए केन्द्रीय आंकड़ा दृश्य (सी ई डी वी ए आर) की स्थापना- सभी प्रयोजनों हेतु साफ सुथरा एवं सुसंगत अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों का एकल स्रोत उपलब्ध कराने के लिए इसमें निर्मित अनुकूल क्षमता सहित सभी उपयोगकर्ताओं के उपयोग हेतु सक्षम वेब उपलब्ध कराने के लिए ए पी आई एस एवं स्वतःचालन कोरियर तथा बाह्य स्रोतों से नए आवेदनों से आंकड़े लाने के लिए के0उ0शु0 एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा मंत्रालय का वेयर हाऊस के0उ0शु0 एवं सीमा शुल्क बोर्ड के वरिष्ठ प्रबंधन को सूचित नीति निर्धारण तथा निर्णय समर्थन हेतु सभी अप्रत्यक्ष कर आंकड़ों का एक समेकित राष्ट्रीय परिदृश्य (पैन आधारित पहचान कर्ताओं के उपयोग से) प्रस्तुत करेगा। इस परियोजना के वर्ष 2006-07 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

वर्ष 2003-04 के दौरान ई डी आई प्रणाली में दायर की गई एवं संसाधित की गई आयात एवं निर्यात धोषणाओं के 87 प्रतिशत सहित 23 स्वतःचालित सीमा शुल्क स्थानों की तुलना में इस वर्ष संसाधन 34 मुख्य सीमा शुल्क स्थानों पर 92 प्रतिशत तक बढ़ गया है। तथापि, शेष सीमा शुल्क गृहों को समेकन परियोजना के अंतर्गत समाहित किया जाएगा। वर्तमान में यह परियोजना चल रही है और वित्त मंत्रालय में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पर्यवेक्षित की जा रही है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड की परियोजनाओं ने निम्नलिखित विशेषताओं के कारण माल के पारदर्शी निर्धारण की प्रक्रिया में भी सहायता की हैः-

(क) टेली पूछताछ प्रणाली, स्पर्श स्क्रीन किओस्क्स एस एम एस, टी वी मानीटरों और स्थानीय वेबसाइट पर आलेख स्थिति के प्रदर्शन के माध्यम से आलेख स्थिति सूचना व्यापार द्वारा लदानों की निगरानी में बेहतर पारदर्शिता की ओर ले जाएगा।

(ख) आईसगेट पर डाक्यूमेंट खोजना, स्थिति का पता लगाना और सहायता डेस्क के माध्यम से पारदर्शिता लाना।

(ग) विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू.डब्ल्यू सी बी ई सी. गव. इन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू आई सी ई जी ए टी . गव. इन के माध्यम से सूचना का प्रसारण।

इसके अतिरिक्त प्रणाली उन्नयन के लिए और ई-मोड की तरफ अग्रसर होने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए जा रहे हैं-

(i) कारगों की शीघ्र निकासी को बढ़ावा देने के लिए आयातकों/निर्यातकों को न्यून जोखिम की सुविधा देने के लिए और अधिक जोखिम वाले मामलों में प्रभावी प्रवर्तन प्रदान करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली और सीमा शुल्क अनुमोदन में परवर्ती लेखा परीक्षा पर आधारित स्वतः निर्धारण की शुरूआत। यह प्रणाली सहार एयर कारगों पर मुम्बई पर पहल के रूप में क्रियान्वित की गई है और इस पहल के सफलता पूर्वक पूरा होने के बाद अन्य स्वतःचालित सीमा शुल्क स्थानों पर लागू की जाएगी। और

(ii) फरवरी 2005 में सी सी ई ए द्वारा अनुमोदित समेकन परियोजना के अंतर्गत 35 अतिरिक्त स्थानों को स्वतःचालन के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया गया है। समेकन परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की जा रही है। आई0 आई0 टी0 दिल्ली को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

परियोजना के व्युत्पाद निम्नलिखित है-

(क) मौजूदा और प्रस्तावित आई0टी0 अवसंरचना का समेकन।

(ख) के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड के सभी कार्यालयों को जोड़ने वाली सघन नेटवर्किंग।

(ग) के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड की सभी मुख्य गतिविधियों को समेटने वाली सीमा शु0 के0उ0शु0 एवं सेवा कर के लिए वेब आधारित अनुप्रयोग का विकास।

(घ) के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड तथा वित्त मंत्रालय की सूचना एवं विश्लेषणात्मक सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डाटा वेयर हाऊस की स्थापना।

(ड.) के0उ0शु0 एवं सी0शु0 बोर्ड और इसके अधिकारियों को संप्रेषण तथा सूचना के अन्तः आदान-प्रदान हेतु सक्षम बनाने हेतु इंटरनेट सेवाओं की स्थापना।

स्टाफ तथा व्यापार एवं उद्योग जगत के सदस्यों को स्वतःचालान कार्यक्रम के प्रति सुग्राही बनाने हेतु आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं इन उपायों में शामिल हैं-

(क) प्रचार एवं जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा प्रचार -

(ख) आयुक्तालयों द्वारा विस्तृत सार्वजनिक नोटिसों, व्यापार नोटिसों को जारी करना ,

(ग) ई-प्रशासन पर व्यापार एवं उद्योग जगत के हित के प्रक्रियाओं को ब्यौरा देने वाले कार्यालय, और

(घ) सी0शु0 के0उ0शु0 एवं सेवा कर प्रक्रियाओं के स्वतः चालन के संबंध में व्यापार एवं उद्योग जगत के सदस्यों को सुग्राही बनाने हेतु विभाग द्वारा कार्यशालाऐं एवं संगोष्ठियां।

(घ) अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (के0उ0शु0 सीमा शुल्क एवं सेवाकर)

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का कार्यालय कम्प्यूटर एवं इंटरनेट की सुविधा से पूर्णतः सुसज्जित है प्राधिकरण के कार्यों से संबंधित पूर्ण ब्यौरा वेब साइट डब्ल्यू डब्ल्यू.डब्ल्यू सी बी ईसी.गव.इन/सी ई ए/ ए ए आर एचटी एम पर उपलब्ध है। व्यापार उद्योग जगत और आवेदक इस प्राधिकरण के बारे में सारी जानकारी इन्टरनेट पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्राधिकरण का व्यापार तथा उद्योग जगत एवं आवेदकों के साथ पत्राचार ई-मेल पर होता है और साथ ही ई-मेल पर प्राप्त पूछताछ का उत्तर भी ई-मेल से ही दिया जाता है।

(ड.) सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग

सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग से संबंधित सूचना वित्त मंत्रालय की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू. फिन मिन निक. इन पर पहले ही उपलब्ध है।

(च) सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण

अधिकरण की वेबसाइट अगस्त 2003 में आरंभ की गई थी और अब इसका उद्देश्य क्षेत्रीय पीठों सहित सभी पीठों की सूचियों तथा रोस्टर का इसमें प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकरण के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण का कार्य चल रहा है।

(छ) मुख्य नियंत्रक फैक्टरी

मुख्य नियंत्रक फैक्टरी का संगठन कम्प्यूटर से सुसज्जित है और इन्टरनेट के माध्यम से जुड़ा है तथा ई-प्रशासन की सुविधा देने के लिए प्रत्येक अधिकारी-वार ई-मेल पते बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003-04 के दौरान अफीम के नमूनों को कम्प्यूटर के माध्यम से लिया गया था और जिला अफीम अधिकारियों को चालान ई-मेल पर भेजे गए थे। चालू उन्नयन के दौरान दो उत्पादन कार्यों विशेषकर मानव संसाधन विभाग और श्रम प्रबंधन मुद्दों के लिए एक बहुत बड़ा कम्प्यूटर नेटवर्क परिकल्पित है।

ज. प्रवर्तन निदेशालय

प्रवर्तन निदेशालय के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में तीन लैन (स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क है) जो राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा विकसित किए गए हैं। पहला विंडोज- एन0 टी0 आधारित लेन है, जिसमें 11 ग्राहक है और मुख्यालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया है। जबकि अन्य 2 यूनिक्स

आधारित लैन है (कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय से 1 प्रचालन) जिसमें 16 टर्मिनल है, जो विभिन्न स्थानों पर स्थित है। उपर उल्लिखित लेनों का ब्यौरा निम्नानुसार है-

यूनिक्स आधारित लैन-

इस लैन के लिए अनुप्रयोग साफ्टवेयर किसी भी टर्मिनल से केन्द्रीय डाटा बेस में डाटा भरने की सुविधा प्रदान करने के लिए एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त इस लेन पर अंग्रेजी और हिन्दी में शब्द संसाधन हेतु साफ्टवेयर उपलब्ध है इसके अतिरिक्त एन0आई0सी0 द्वारा ही विकसित तीन और विभिन्न डाटा बेस है जो निम्नलिखित है -

(i) सभी अन्वेषण एवं आसूचना फाइलें (मामले) इस डाटाबेस में है और इस डाटा बेस को अद्यतन बनाने के लिए इसे नियमित रूप से भरा जाता है।

(ii) प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली में कार्यरत सभी कर्मचारियों की वैयक्तिक सूचना डाटाबेस/स्टाफ के वेतन एवं वैयक्तिक दावों इत्यादि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र द्वारा केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के लिए विकसित डाटा बेस प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज किए गए 10,00,000/- रूपए अथवा विदेशी मुद्रा में समतुल्य से अधिक राशि वाले सभी मामलों के तथ्यों को भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

विंडोज-एन0टी0 आधारित लैन

उपर्युक्त लैन के अतिरिक्त हमारे कार्यालय में हमारे पास 11 वैयक्तिक कम्प्यूटर है जो सभी वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं। यह तंत्र, विंडोज-एन0टी0 लैन के माध्यम से आपस में भी जुड़ा हुआ है और इस नेटवर्क का एक प्रोक्सी सर्वर कम्प्यूटर कक्ष में रखा हुआ है। यह तंत्र एम एस आफिस प्रोफेशन से भरा हुआ है और पूरे सरकारी कार्यालय के प्रयोग में लाया जा रहा है। चूंकि एन आई सी द्वारा उपलब्ध कराए गए आर एफ लिंक के माध्यम से इस पूरी प्रणाली में इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध है सरकारी पत्राचार के लिए ई-मेल की सुविधा का सदुपयोग किया जा रहा है।

सभी मंडलीय कार्यालय एवं उपमंडलीय कम्प्यूटरों से सुसज्जित हैं। ये कम्प्यूटर शब्द संसाधन एवं आंकड़ों के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं। और ई-मेल के माध्यम से अन्तःमंडलीय एवं अन्तःविभागीय सम्पर्क में भी सहायता कर रहे हैं। इन्टरनेट का उपयोग हमारे कार्यालय सूचना एवं आसूचना के विकास के लिए किया जा रहा है। कम्प्यूटर प्रवर्तन निदेशालय के सभी कार्यालयों में बजटीय एवं सांख्यिकीय आंकड़ें तैयार करने में बहुत उपयोगी एवं प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं।

प्रस्तावित कम्प्यूटरीकरण एवं आंकड़ा आधार का विकास

निदेशालय ने मंत्रालय को एक विस्तृत कम्प्यूटरीकरण योजना प्रस्तुत की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आंकड़ें/आसूचना को एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्रसार करने के लिए एक मुख्य कम्प्यूटर कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव निहित है। केन्द्रीय सर्वर, आर बी आई, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो , सी पी0 वी0 (एम ई ए) , सेबी, सीमा शुल्क, आयकर राज्य पुलिस विभागों, सी0बी0आई, पोलनेट, एन सी आर बी एवं एफ आई यू0 जैसी विनियामक एजेंसियों और अन्य कानून प्रवर्तन के आंकड़ें आधारित नेटवर्क के साथ भी जुड़ा होगा।

स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से सभी मंडलीय/उपमंडलीय कार्यालयों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्क तथा उनकों एन आई सी /एन आई सी एस आई के द्वारा विस्तृत क्षेत्रीय नेटवर्क अर्थात वैन के माध्यम से केन्द्रीय सर्वर (मुख्यालय) से भी जोड़ने का भी प्रस्ताव है।

वेबसाइट विकास

प्रवर्तन निदेशालय का "आर्थिक अपराधों से निपटने वाली निवारक एजेंसियां" नामक शीर्ष के अंतर्गत एक वेब पेज है। जो कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की मुख्य साइट के अन्तर्गत है जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के सभी कार्यालयों की सम्पर्क सूचना तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों सहित विस्तृत सूचना शामिल है। यह वेब पेज हमारे लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित किया गया है। निदेशालय का वेबसाइट को शीघ्र ही विकसित करने का प्रस्ताव है जिसमें नियमों/विनियमों एवं अनुदेशों सहित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम संबंधी तथा धन शोधन निवारण अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों संबंधी विस्तृत जानकारी शामिल की जाएगी।

24. लोक शिकायत निवारण तंत्र

राजस्व मुख्यालय

निदेशक (समन्वय) को राजस्व मुख्यालय से संबंधित लोक/स्टाफ शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यह सूचना राजस्व विभाग के अधीन सभी अधिकारियों/अनुभागों के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग में भी व्यापक रूप से परिचालित की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित शिकायतें प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित महिलाओं की शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने के लिए एक महिला सेल बनाया गया है। विभाग में प्राप्त सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

आयकर विभाग के पास एक तीन स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र निम्नानुसार हैः

(i) केन्द्रीय शिकायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन है। यह प्रकोष्ठ भारत सरकार के निदेशक की श्रेणी के एक अधिकारी के अधीन सीधे कार्य करता है।

(ii) क्षेत्रीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ प्रत्येक मुख्य आयकर आयुक्त/ महा निदेशक आयकर के अधीन है। कोलकत्ता और मुम्बई जैसी जगहों में जहां एक से अधिक मुख्य आयुक्त हैं क्षेत्रीय शिकायत प्रकोष्ठ मुख्य आयुक्त-II के अधीन कार्य करता है।

(iii) जहां पर कोई मुख्य आयुक्त अथवा महा निदेशक तैनात नहीं है, शिकायत प्रकोष्ठ आयकर आयुक्त के अधीन कार्य करता है।

संबंधित आयुक्त के अधीन कार्यरत शिकायत प्रकोष्ठ को आवेदन सादे कागज पर शिकायत याचिका की जा सकती है अथवा शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित आयुक्त के अधीन कार्यरत शिकायत प्रकोष्ठ को संक्षिप्त में शिकायत का उल्लेख करते हुए संबंधित अधिकारी तक सीधे पहुंचा जा सकता है।

यदि शिकायत का यथानिर्दिष्ट आवेदन करने के एक महीने के बाद निवारण नहीं किया जाता है तो आवेदक संबंधित मुख्य आयुक्त आयकर के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय शिकायत प्रकोष्ठ कार्य को शिकायत भेज सकते हैं। इन प्रकोष्ठों के प्रभारी नोडल अधिकारियों को रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त ये जनता को सहायता और शिकायत याचिकाएं प्राप्त करने के लिए सुविधा काउन्टर हैं।

यदि शिकायत का दो महिने के अंदर क्षेत्रीय शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा निवारण नहीं किया जाता तो अध्यक्ष,के0प्र0क0बो0 के अधीन कार्यरत केन्द्रीय शिकायत प्रकोष्ठ को आवेदन भेज सकता है। केन्द्रीय शिकायत प्रकोष्ठ निदेशक(मुख्यालय,) के0प्र0क0बोर्ड द्वारा चलाया जाता है।

आवेदक को अपना नाम, पता और स्थायी खाता संख्या देना चाहिए ताकि शिकायत प्रकोष्ठ यदि अपेक्षित हो,उनसे आगे पत्र व्यवहार कर सके।

केन्द्रीय शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैः-

वित्त वर्ष 2004-05	537
वित्त वर्ष 2004-05	616
वित्त वर्ष 2004-05	625
वित्त वर्ष 2005-06 (अक्तूबर,05 तक)	292

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

के0उ0शु0 तथा सी0 शु0 शुल्क बोर्ड में लोक एवं स्टाफ शिकायतों के निपटान हेतु लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है तथा यह

निदेशक (प्रशा.) जिन्हें बोर्ड में शिकायत अधिकारी नामित किया गया है,उन की निगरानी में कार्य करता है। के0उ0शु0 एवं सीमा शुल्क बोर्ड तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय जिसके अंतर्गत संपूर्ण देश के के0उ0शु0 तथा सी0 शु0 आयुक्तालय आते हैं, जिनका विभिन्न वर्गों के लोगों अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर यात्रियों, आयातकों,निर्यातकों, के0उ0शु0 अदा करने वाली औद्योगिक इकाइयों तथा सेवा कर दाताओं के साथ नियमित सम्पर्क होता है। बोर्ड तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में मुख्यतः जनता की पूर्वोक्त श्रेणियों, विभाग के कर्मचारियों तथा अधिकारियों से शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। ऐसी शिकायतों/ अभ्यावेदनों के निपटान हेतु बोर्ड के पास एक प्रभावशील प्रणाली है। आयुक्तालय के स्तर पर एक लोक शिकायत समिति है जिसे व्यापारी वर्ग के विशिष्ट अभ्यावेदनों के निपटान के लिए नियमित रूप से बैठकें करने का निदेश दिया गया है। सभी आयुक्तालयों को परामर्श दिया गया है कि वे आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों के साथ ओपन हाउस की बैठकें नियमित रूप से करें तथा शीघ्र समाधान के लिए बोर्ड के साथ सबके हित के मामलों पर कार्रवाई के लिए इस मंच का उपयोग करें। ऐसी समितियो की गतिविधियो की निगरानी के लिए इन बैठकों के कार्यवृत्त बोर्ड को भेजे जाने होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक आयुक्तालय ने व्यापारी वर्ग की किसी भी शिकायत को निपटाने के लिए, आयुक्तालय में तथा नीचे के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक लोक शिकायत अधिकारी नामित किया गया है। जैसा कि नागरिक चार्टर में उल्लिखित है, आयुक्तालयों को सलाह दी गई है कि व्यापारी वर्ग से पत्रों/अभ्यावेदनों की पावती भेजे तथा यह सुनिश्चित करें कि उनका शीघ्रतापूर्वक उत्तर दिया जाए। पर्यवेक्षक अधिकारियों को सलाह दी गयी है कि कार्यकारी दिवसों में व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों से सम्पर्क हेतु उपलब्ध रहें तथा उनके द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों को देखें।

अपीलीय तंत्र, जिसमें मुख्यतः बड़ी संख्या में आयुक्त (अपीलें) शामिल हैं वे न्याय निर्णयन प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध व्यापारी वर्ग द्वारा दायर की गयी अपीलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चत करें। अपीलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए अब आयुक्त (अपीलें) की संख्या काफी अधिक बढ़ा दी गयी हैं जो कि सवंर्ग की पुनः संरचना का एक भाग है।

प्रचार तथा जनसंपर्क निदेशक ई-मेल के माध्यम से भी शिकायतों को प्राप्त करते हैं इनकी पावती प्रेषित की जाती है तथा इन शिकायतों पर तुरन्त कार्रवाई की जाती है।

मुख्य नियंत्रक फैक्टरीज(सी सी एफ)

मुख्य नियंत्रक फैक्टरीज में लोक शिकायतों का तुरंत निपटान किया जाता है। इससे महत्वपूर्ण यह है कि श्रमिकों की शिकायतों का तेजी से निपटान किया जाता है और प्रबंधन और श्रमिकों के बीच संबंध संतुलित एवं सौहार्दपूर्ण है। अत्यधिक संशोधित निवारण से मनोबल और उत्पाद दोनों बढ़े हैं।

25. उत्तर पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम का विकास

उत्तर पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम में मूल्यवर्धित कर के कम्प्यूटरीकरण के लिए विभाग तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है जो कि मूल्यवर्धित कर के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु नितांत अपेक्षित है। वास्तव में महानिदेशक प्रणाली, के0उ0शु0 सी0 शु0 बोर्ड 6 उत्तर पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर जहां कम्प्यूटरीकरण पहले ही पूरा हो चुका है) में मूल्यवर्धित कर के कम्प्यूटरीकरण के लिए टी सी एस के माध्यम से एक टर्न की परियोजना और सिक्किम में मूल्यवर्धित कर के कम्प्यूटरीकरण के लिए एन0आई0सी0 के माध्यम से एक अन्य परियोजना क्रियान्वित की जा रही इन परियोजनाओं की कुल लागत 12.50 करोड़ बनती है। ये परियोजनाएं पूरे होने के अग्रिम चरण में है इन परियोजनाओं पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक लगभग 7.55 करोड़ रूपए का कुल व्यय किया जा चुका है।

26. महिलाओं से संबंधित बजट/महिला सशक्तिकरण

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

दिनांक 01.4.2005 से 31.12.2005 तक की अवधि के दौरान, विभाग की प्रतिष्ठित महिलाओं और जिन कर्मचारियों की सेवा काल के दौरान मृत्यु हुई है उनकी पत्नियों के 25 मामलों में वित्तीय सहायता देने के लिए अनुग्रह के रूप में 24,00,000/-रूपये(केवल चौबीस लाख रूपये) की राशि दी गई।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

महिलाओं के साथ भेद-भाव या कार्य स्थल में उनके उत्पीड़न का कोई मामला बोर्ड के ध्यान में नहीं आया है राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर, उसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न महिला संबंधी मामलों के बाबत अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए सेमिनार किए जा रहे हैं ताकि कार्यालय स्थल पर संतुलित और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जा सके इससे विभाग में महिला और पुरुषों के प्रबंधन से जुड़े मामलों को सावधानीपूर्वक और प्रभावशाली ढ़ंग से निपटाने में नेतृत्व का विकास करने में सहायता मिलती है। सामान्यतः समस्याओं पर विभाग के मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला प्रशिक्षण योजना और अनुसंधान केन्द्र, एल0बी0 एस0 राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के साथ समन्वय में महिला संवदेनशीलता पर एक तीन दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था।

आयकर अदाकर्ताओं पर कर के बोझ को महत्वपूर्ण तरीके से कम करने के उद्देश्य से वित्त अधिनियम,2005 द्वारा 65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए मूल छूट की सीमा 1.35 लाख रूपए तक बढ़ा दी गई।

27. विकलांग क्षेत्र और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए किए गए कार्य।

राजस्व विभाग(मुख्यालय)

राजस्व विभाग(मुख्यालय) और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालयों में पदोन्नति कोटा के अलावा सीधी भर्ती कोटा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए समूह ग और घ में सात बकाया आरक्षित रिक्तियां भरी गई।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

1. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पदोन्नति कोटा के अतिरिक्त सीधी भर्ती कोटा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए समूह ख,ग और घ में छह सौ पच्चीस पिछली बकाया आरक्षित रिक्तियां भरी गयी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

वर्ष 2004-05 के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीधी भर्ती की आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों के रूप में 930 पदों की पहचान की गयी। पदोन्नति कोटे में, पहचानी गई बकाया रिक्तियां 1492 पद की थी। इन रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्रम सं0	पदों का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1.	निरीक्षक(केन्द्रीय उ0शु0)	163	175
2.	निरीक्षक(पी0ओ)	68	37
3.	निरीक्षक(जांच)	05	02
4.	कर सहायक	125	67
5.	आशुलिपिक,ग्रेड III	23	18
6.	ड्राईवर,ग्रेड III	10	07
7.	हिन्दी टाइपिस्ट	01	0
8.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	02	01
9.	ओ0टी0सी	01	02
10.	सिपाही	100	115
11.	सफाईवाला/झाड़ूबरदार	02	04
12.	अन्य	0	02
	कुल	**500**	**430**

निरीक्षक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), निरीक्षक(पी0ओ0), निरीक्षक(जांच) के पद स्नातक स्तर की परीक्षा,2004 के माध्यम से भरे जाने थे। इसके अन्तिम परिणाम पहले ही घोषित हो चुके हैं और निरीक्षक (जांच) के लिए सफल उम्मीदवार 103 अनुसूचित जातियों और 114 अनुसूचित जनजातियों के डोजियर, निरीक्षक(पी0ओ0) में, 47 अनु0जाति और 36 अनु0जनजाति की फाइलें कर्मचारी चयन आयोग से प्राप्त हो चुकी हैं। सभी उम्मीदवारों के डोजियर प्राप्त होने पर आबंटन किया जाएगा।

I. दिनांक 11.12.2005 को आयोजित विशेष भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयकर सहायक की रिक्तियां भरी जाएंगी, इसके परिणाम अभी प्रतीक्षित हैं।

I. तीन ड्राइवर, एक हिन्दी टाइपिस्ट, एक कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक और 21 सिपाही पदों को अनुसूचित जाति वर्ग से भरा गया है और सिपाही के 58 पदों और सफाई कर्ता का पद अनुसूचित जनजाति से भरा गया। शेष पद की पूर्ति के संबंध में कार्रवाई के संबंध में पहल पहले ही की गई है।

पदोन्नति पद(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)

समूह	पिछली बकाया रिक्तियां 1.7.2004 की स्थिति के अनुसार	भरी गई पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या	पिछली रिक्तियों की संख्या अभी भरी जानी हैं।
क	02	—	02
ख	376	94	282
ग	870	301	569
घ	246	59	187
कुल	**1494**	**454**	**1040**

एक समय की छूट देने के बावजूद भी उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण शेष रिक्तियां नहीं भरी गई।

28. केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड

पुर्नगठित केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड की प्रथम बैठक दिनांक 23 अगस्त, 2005 को श्री बरजिन्दर सिंह, अध्यक्ष केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अध्यक्ष केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में वार्षिक कार्य योजना और 45.50 लाख रूपये के खर्च दर्शाने वाला बजट अनुमान में चर्चा की गई और उसे अनुमोदित कर दिया गया।

सरकार द्वारा 34 लाख रूपए का अनुदान स्वीकृत किया गया और शेष राशि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निष्पादन पुरस्कार निधि की गर्वनिंग बाडी द्वारा अनुमानित व्यय पूरा करने के लिए दी जाएगी।

गत वर्ष की भांति, उप क्षेत्र/क्षेत्रीय खेलकूद और सांस्कृतिक समारोह का आयोजन नवम्बर अंत में पूरा किया गया। अखिल भारतीय खेलकूद समारोह दिनांक 19 से 21 दिसम्बर, 2005 तक जयपुर में आयोजित किया गया और अखिल भारतीय सांस्कृतिक समारोह 17 जनवरी से 19 जनवरी, 2006 तक कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है।

पूर्व आयोजित और अभी आयोजित किए जाने वाले प्रतियोगिताओं को दर्शाते हुए विस्तृत चार्ट निम्नानुसार हैः-

क्रम सं0	प्रतियोगिता का नाम	स्थान	आयोजन
1.	केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड संस्थागत टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता	अहमदाबाद	22 और 23 सितम्बर, 2005
2.	अखिल भारतीय साहित्यिक कार्यशाला	शिमला	20 और 21 अक्तूबर, 05
3.	अखिल भारतीय सांस्कृतिक कार्यशाला	पणजी (गोआ)	10 और 11 नवम्बर, 2005
4.	आमंत्रण गोल्फ खेलकूद प्रतियोगिता	मुम्बई	25 नवम्बर, 2005
5.	अखिल भारतीय खेलकूद समारोह	जयपुर	19-21 दिसम्बर, 05
6.	अखिल भारतीय सांस्कृतिक समारोह	कोलकाता	17-19 जनवरी, 06

इन प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त राष्ट्रीय/अखिल भारतीय/प्रतियोगितओं में राजस्व विभाग से टीमें /खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।

अभी आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगिताएं-

1. केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड आमंत्रण बेडमिन्टन खेल प्रतियोगिता (कोच्ची)
2. केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड आमंत्रण लॉन टेनिस प्रतियोगिता (चेन्नई/मदुरई)
3. स्थापना दिवस का आयोजन (दिल्ली)
4. केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड अन्तरराज्जीय क्रिकेट टूर्नामेंट (कोलकाता)
5. केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड अन्तरराज्जीय बालीबाल टूर्नामेंट (कोलकाता)
6. अखिल भारतीय तैराकी प्रतियोगिता (कोलकाता)

(यह प्रतियोगिता अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के हिस्से के रूप में जयपुर में आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि शीतकाल मौसम के कारण जयपुर में तरणताल की अनुपलब्धता थी)

केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड प्रतियोगिता के स्तर में सुधार करने तथा और अधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड की कुछ प्रतियोगिताओं के दौरान नकद प्रोत्साहन शुरू करने का प्रस्ताव कर रहा है। हाल ही में सम्पन्न अखिल भारतीय राजस्व खेलकूद समारोह उद्घाटन समारोह के दौरान केन्द्रीय राजस्व खेलकूद बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रत्येक खिलाड़ी को 5000/-रूपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की जो नया राष्ट्रीय रिकार्ड स्थापित करेगा।

क्षेत्रीय समितियां और प्रतिगिता आयोजकों को आज तक दी गई निधियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है -

क्रम सं0	प्रतियोगिता एवं प्रतियोगता आयोजक	दी गई राशि
1.	के0रा0खे0बो0आंमत्रण टेबल टेनिस टूर्नामेंट मु0आयुक्त आयकर अहमदाबाद	75,000/-रूपये
2.	अखिल भारतीय साहित्यिक कार्यालय आयकर आयुक्त-शिमला	1,00,000/-रूपये
3.	अखिल भारतीय सांस्कृतिक कार्यशाला मुख्य आयकर आयुक्त- पणजी(गोआ)	1,00,000/-रूपये
4.	आमंत्रण गोल्फ प्रतियोगिता-मुम्बई मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क-मुम्बई	75,000/-रूपये
5.	अखिल भारतीय राजस्व खेलकूद समारोह मुख्य आयकर आयुक्त,जयपुर	8,50,000/-रूपये
6.	अखिल भारतीय सांस्कृतिक समारोह, मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क - कोलकाता	4,00,000/-रूपये
7	उप क्षेत्र/क्षेत्रीय खेलकूद सांस्कृतिक समारोह के लिए क्षेत्रीय समितियां	18,00,000/-रूपये

अध्याय - IV

विनिवेश विभाग

कार्य और संगठनात्मक ढांचा

विनिवेश विभाग की स्थापना दिनांक 10 दिसम्बर 1999 की अधिसूचना सं. सी.डी./551/99 के तहत की गई थी। दिनांक 06 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. सी.डी.442/2001 के तहत विनिवेश विभाग को विनिवेश मंत्रालय के रूप में नया नाम दिया गया था। दिनांक 27 मई, 2004 की अधिसूचना सं.सीडी-160/2004 के तहत विनिवेश मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग में बदल दिया गया था और इसे निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :-

(क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित सभी मामले।

(ख) पुनर्गठन सहित विनिवेश के तरीकों पर विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर निर्णय लेना।

(ग) परामर्शदाताओं की नियुक्ति, शेयरों का मूल्य निर्धारण और विनिवेश के अन्य निबंधनों और शर्तों सहित विनिवेश संबंधी निर्णयों को लागू करना।

(घ) विनिवेश आयोग।

(ड.) केवल सरकार की इक्विटी के विनिवेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

(च) राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा कराए गए विनिवेश से प्राप्त अर्थागम के उपयोग से संबंधित वित्तीय नीति।

2. सरकार की नीति में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप विनिवेश आयोग का कार्यकाल आगे और नहीं बढ़ाया गया तथा 31 अक्तूबर, 2004 से इसे समाप्त कर दिया गया था।

3. श्री ए.के. जैन ने 25 अप्रैल 2005 को विनिवेश सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया था।

4. विनिवेश विभाग के सचिव की सहायता के लिए तीन संयुक्त सचिव हैं। राष्ट्रीय निवेश कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के एक पद की भी मंजूरी प्रदान की गई है। विभाग डेस्क अफसर पद्धति पर कार्य करता है तथा विनिवेश संबंधी कार्य न्यूनतम अवर सचिव स्तर पर निष्पादित किया जाता है।

5. संगठनात्मक ढांचा

संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट-1 में दिया गया है।

6. विनिवेश नीति

सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में सरकार की नीति की रूप-रेखा दी गई है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी का विनिवेश शामिल है। इस संबंध में राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(क) सरकार एक ऐसे सुदृढ़ और प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है जिसके सामाजिक उद्देश्यों को उसके वाणिज्यिक क्रियाकलापों द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन इसके लिए चयनात्मकता और एक अनुकूल फोकस की आवश्यकता है। सरकार प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में कार्य करने वाली सफल, लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता सौंपने के लिए वचनबद्ध है। लाभ कमाने वाली कंपनियों का सामान्यतः निजीकरण नहीं किया जाएगा।

(ख) निजीकरण संबंधी समस्त विचार-विमर्श मामला दर मामला आधार पर पारदर्शी और परामर्शी तरीके से किया जाएगा। सरकार मौजूदा 'नवरत्न' कंपनियों को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखेगी जबकि ये कंपनियां संसाधन पूंजी बाजार से जुटाएंगी। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों का आधुनिकीकरण और पुनर्संरचना करने तथा रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा लेकिन लगातार घाटे में चल रही कंपनियों को, सभी कामगारों को उनकी न्यायसंगत बकाया राशियां और मुआवजे मिल जाने के बाद या तो बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा। सरकार, उन कंपनियों के चहुंमुखी विकास के लिए निजी उद्योग को शामिल करेगी, जिनके पुनरूद्धार की संभावना है।

(ग) सरकार का यह मत है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्द्धा बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए। यह किसी भी एकाधिकार के प्रादुर्भाव का समर्थन नहीं करेगी जिससे प्रतियोगिता सीमित होती है। इसका यह भी मत है कि निजीकरण और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच सीधा संबंध होना चाहिए - उदाहरण के लिए निजीकरण से जुटाए गए राजस्व का उपयोग निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए करना। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को संसाधन जुटाने और खुदरा निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. विनिवेश से जुटाए गए अर्थागम

जनवरी 2006 में सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी 18.28% अवशिष्ट शेयरधारिता में से 8% इक्विटी की बिक्री सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों और बैंकों को की थी। सरकार को इस बिक्री से 1567.60 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त हुई।

8. राष्ट्रीय निवेश कोष

सरकार ने एक राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन किया है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त अर्थागम को जमा कराया जाएगा। राष्ट्रीय निवेश कोष को भारत की संचित निधि से अलग रखा जाएगा और संग्रह को कम किए बिना स्थायी आय प्रदान करने के लिए इस कोष की प्रबन्ध व्यवस्था चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र के म्युच्युअल फण्डों द्वारा व्यावसायिक तौर पर की जाएगी।

राष्ट्रीय निवेश कोष से होने वाली वार्षिक आय के 75% हिस्से का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की उन चुनिन्दा योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए किया जाएगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार को बढ़ावा दें। राष्ट्रीय निवेश कोष की शेष 25% वार्षिक आय का उपयोग उन लाभप्रद तथा पुनरूद्धार योग्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा जो पर्याप्त आय प्रदान करते हैं ताकि विस्तार/विविधिकरण के वित्त पोषण के लिए उनके पूंजी आधार को बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय निवेश कोष का संचालन चयनित कोष प्रबंधकों द्वारा विभागीय प्रबंधन योजना की 'स्वैच्छिक पद्धति' के तहत किया जाएगा, जो सेबी के दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती है। राष्ट्रीय निवेश कोष के क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण, राष्ट्रीय निवेश कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय निवेश कोष के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार इस समय एक संयुक्त सचिव द्वारा धारित है। सरकार द्वारा तीन सदस्यों के एक अंशकालिक सलाहकार बोर्ड का भी गठन किया गया है। यह बोर्ड राष्ट्रीय निवेश कोष के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श देगा।

9. राजभाषा नीति

राजभाषा से संबंधित समस्त कार्यों को निष्पादित करने के लिए विभाग में राजभाषा संबंधी सम्पूर्ण इकाई है।

10. ई-गवर्नेन्स

सभी अधिकारियों और वैयक्तिक सहायकों को अपेक्षित सॉफ्टवेयर सहित पर्सनल कम्प्यूटर प्रदान किए गए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क भी सक्रिय है। एनआईसी के माध्यम से सभी अधिकारियों के लिए 24 घंटे इन्टरनेट सुविधा भी उपलब्ध है। सभी अधिकारियों को ई-मेल आईडी नम्बर दिए गए हैं। अधिकारी एवं कर्मचारी एनआईसी से समय-समय पर कम्प्यूटर संचालन का प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे हैं।

विभाग की वेबसाइट (www.divest.nic.in) में विनिवेश सौदों से संबंधित नीति, दिशा-निर्देश, प्रक्रिया और प्रगति संबंधी डाटा और जानकारी (द्विभाषी रूप में) के साथ-साथ विभाग के मैन्युअल भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मुहैय्या कराया जा सकता है। इस वेबसाइट को सतत रूप से अद्यतन किया जाता है। सभी विज्ञापनों को जब समाचार पत्रों आदि में जारी किया जाता है तो साथ-साथ इन्हें वेबसाइट पर भी डाल दिया जाता है। विभाग के प्रकाशन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

11. शिकायत निवारण

प्रशासन प्रभारी संयुक्त सचिव को लोक शिकायत निदेशक के रूप में नामित किया गया है। फिर भी, विभाग को आबंटित कार्य की प्रकृति के कारण आमतौर पर प्रत्यक्षतः जनसाधारण के साथ कार्रवाई नहीं की जाती।

12. सतर्कता तंत्र

विनिवेश से संबंधित मामलों की आरम्भिक जांच-पड़ताल और उन पर कार्रवाई अवर सचिव/उप सचिव/निदेशक के स्तर पर की जाती है। कार्मिक, प्रशासन, सुरक्षा, सामान्य सेवाओं और सतर्कता से संबंधित मामलों पर कार्रवाई विविध क्रियाकलाप सेवा अनुभाग द्वारा की जाती है। प्रशासन स्कन्ध, जिसमें सतर्कता भी शामिल है, का कार्य एक संयुक्त सचिव द्वारा निष्पादित किया जाता है।

वर्ष के दौरान तीन अनुशासनात्मक मामलों पर कार्रवाई आरम्भ की गई।

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुपालन में इस विभाग ने निर्दिष्ट मैन्युअल तैयार किए हैं और इन्हें वेबसाइट पर डाल दिया गया है। विभाग ने केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति भी की है और इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्रदान करने के अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए अपेक्षित तंत्र स्थापित किया है।

14. लेखापरीक्षा संबंधी पैरा/आपत्तियां

(क) विनिवेश सौदों से संबंधित

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2005 की अपनी रिपोर्ट संख्या 2 में होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया (एचसीआई) की दो होटल इकाइयों के विनिवेश के संबंध में टीका-टिप्पणियां की है। इन टीका-टिप्पणियों का सारांश नीचे दिया गया है :-

मुम्बई स्थित एचसीआई के होटलों की बिक्री : दो होटलों, जुहू संतूर तथा एयरपोर्ट संतूर, के बिक्री सौदों को प्रतिस्पर्द्धा के लाभ के बिना एकल बोलियों के आधार पर अन्तिम रूप दिया गया था। एयरपोर्ट संतूर की सम्पत्तियों के मूल्यांकन तथा आरक्षित मूल्य के निर्धारण के दौरान लगाए गए पूर्वानुमान अन्य मामलों में मंत्रालय द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं थे। बिक्री में सहायता के लिए जुहू संतूर के बोलीदाता को बार-बार समय विस्तार तथा छूटों की अनुमति दी गई थी।

(ख) विभाग के लेखों से संबंधित

वर्ष के दौरान, विभाग के 1999-2002 की अवधि के लेखों की लेखापरीक्षा से संबंधित तीन लेखापरीक्षा टीका-टिप्पणियां अनिर्णित पड़ी रही हैं। प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक के कार्यालय ने वर्ष 2002-03 के लेखों की लेखापरीक्षा की है। प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक के कार्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में विभाग के लेखों के संबंध में 10 टीका-टिप्पणियां शामिल हैं। इनके परिशोधन/सुधार की कार्रवाई की जा रही है।

विनिवेश विभाग (06.01.2006 की स्थिति के अनुसार)

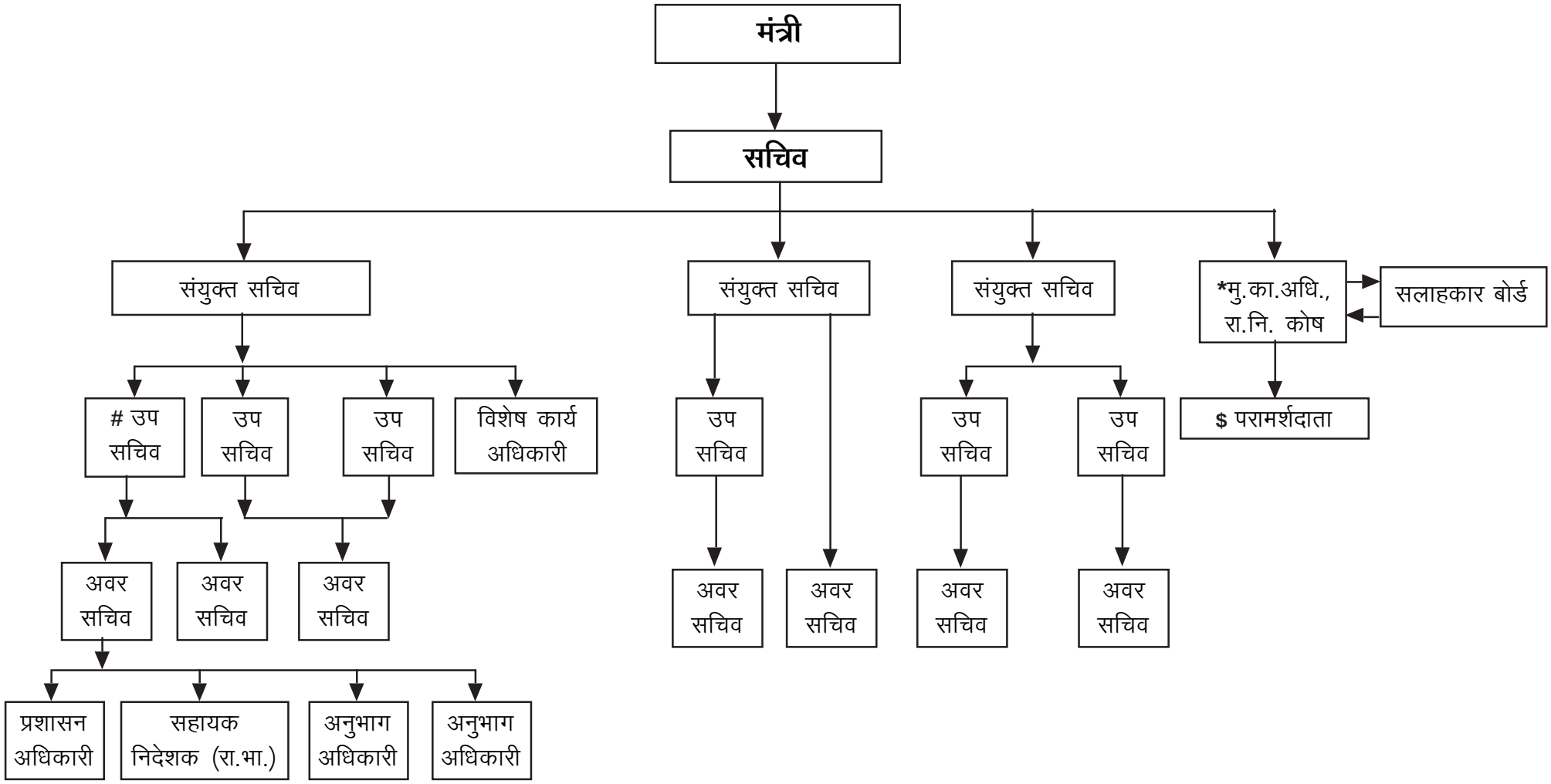

* रिक्त: यह कार्यभार किसी एक संयुक्त सचिव द्वारा निख़ादित किया जा रहा है
\# दो संयुक्त सचिवों को रिपोर्ट करते हैं
$ रिक्त

अनुबंध

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक में नियंत्रण प्रणालियां: भा.प्र.मु., नाशिक ने संघ/राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्थानीय निकायों के लिए प्रतिभूति कागजात एवं स्टैम्पो की छपाई और आपूर्ति के प्रबंधन को केवल एक विक्रेता की अभिवृत्ति से किया, जबकि उसे सरकार की ओर से एक अत्यधिक जोखिमपूर्ण संप्रभुता संपन्न कार्य दिया गया था। संघ/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों एवं प्राधिकरणों को स्टैम्प एवं स्टैम्प पेपरों की मांग, छपाई और आपूर्ति की संपूर्ण प्रक्रिया का इसने उचित जोखिम मूल्यांकन नहीं किया।

स्टैम्प पेपरों के संबंध में मांगकर्ताओं के उद्देयों एवं भा.प्र.मु. के बीच संपर्क का अत्यधिक अभाव था, जो भा.प्र.मु. की जोखिमों के प्रति गैर-संवेदनशीलता का एक आंशिक कारण बना।

भा.प्र.मु. हमेशा ही राज्य सरकारों एवं अन्य मांगकर्ता एजेन्सियों द्वारा मांगी गई मात्रा से बहुत ही कम संख्या में स्टैम्पों और स्टैम्प पेपरों का मुद्रण एवं आपूर्ति करता रहा तथा उसे मांगकर्ताओं की इस समस्या से कभी काई सरोकार नहीं रहा कि वे आधे से भी कम स्टैम्पों और स्टैम्प पेपरों से कैसे काम चलाएंगे। भा.प्र.मु. के दस्तावेजों में उत्पादन योजना की कोई कारगर प्रणाली विद्यमान नहीं थी, जिससे यह उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत मांगपत्रों से काफी पिछड़ गया।

भा.प्र.मु. में स्टैम्पों के उत्पादन एवं आपूर्ति के विभिन्न स्तरों पर जुड़ी हुई जोखिम की अवधारणा प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं थी तथा इसकी प्रतिभूति पेपर की उत्पादक मिलें, जो अधिकतर निजी क्षेत्र में थी तथा डांडी रोल जोकि पेपरों में वाटरमार्क सुरक्षा विशेषताओं को लागू करने की पद्धति है और स्टैम्पों की कमी तथा चोरी सहित पेपर के उत्पादन तथा आपूर्ति प्रक्रिया पर कम नियंत्रण था।

निपटान की जाने वाली मीनों और उपकरणों को इस तरह से खंडित करने में, ताकि वे फिर से एकत्र कर काम में न लाई जा सकें, की संभावनाओं को समाप्त करना तो दूर, भा.प्र.मु. प्रबंधन ने सफल बोली लगाने वाले के 10 प्रतिनिधियों को दो महीनों तक प्रिंटिंग मीनों के खंडन कार्य को देखने की अनुमति देकर, मीनरी के दुरूपयोग को बढ़ावा दिया। इसने मुद्रण एवं छिद्रण मीनें एक ही फर्म, मेसर्स यूनिक एंटरप्राइज़ेस को बेचीं और ऐसा करने में उसने इसके जोखिमों का मूल्यांकन नहीं किया।

भूल संकेतों पर भा.प्र.मु. प्रबन्धन की संवेदनीलता बहुत ही कम थी और प्रभावी सीख प्रणाली मौजूद नहीं थी। भा.प्र.मु. परिसर एवं मार्गस्थ में चोरी, डांडी रोल्स गायब होना तथा सत्यापन के लिए जांच एजेन्सियों से प्राप्त संदिगध दस्तावेजों की जांच से पता लगे कई नकली स्टैम्पों के रूप में उभरने वाले भूल संकेतों के बावजूद, भा.प्र.मु. उचित उपाय करने में विफल रहा।

भा.प्र.मु. से व्यापक जानकारी के अभाव में स्टैम्पों और स्टैम्प पेपरों के बड़े पैमाने पर जाली होने की स्थिति में उनको मांग, मुद्रण एवं आपूर्ति के संबंध में बचाव उपायों के पर्याप्त एवं कारगर होने का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 14)

जन संचार अभियान पर अप्राधिकृत व्ययः वित्त मंत्रालय ने निधियों के विपथन के माध्यम से जन संचार अभियान पर 63.23 करोड़ रूपए का व्यय करने से पूर्व संसद से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। जबकि यह गतिविधि वार्षिक बजट में अपेक्षित नहीं थी और इसलिए यह नई सेवा/सेवा का नया साधन था।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 2)

निष्क्रिय निधियां और दाण्डिक ब्याज की कम वसूलीः भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (भा.प्र.वि.बो.) की आवकताओं का उचित निर्धारण किए बिना, उसी वर्ष में खर्च करने के लिए, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 1998-99 के अंतिम माह में भा.प्र.वि.बो. को 4.86 करोड़ रूपए जारी किए जिसके परिणामस्वरूप 28 माह तक 2.93 करोड़ रूपए निष्क्रिय रहे। मंत्रालय ने दंड ब्याज के प्रति 35.85 लाख रूपए की भी वसूली की।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 2)

बैकिंग विभाग

सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड ने कर्जों के संवितरण से पहले उधार लेने वालों के प्रत्यायकों की अपर्याप्त संवीक्षा तथा कर्जो के उपयोग की त्रुटिपूर्ण मानीटरिंग के कारण 8.79 करोड़ रूपए की हानि उठाई। इसके अतिरिक्त 6.40 करोड़ रूपये के कर्जे वसूली के लिए संदिग्ध रहे।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 1.1.1)
वाणिज्यिक

एक नए ग्राहक को वित्तीय सुरक्षा खंड में ढील प्रदान करके कर्ज और इसकी इक्विटी में निवेा के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने में अनुचित समर्थन प्रदान करने के कारण भारतीय औद्योगिक निवेा बैंक लिमिटेड ने वसूली के लिए संदिग्ध 9.65 करोड़ रूपए का उधार दिया जो 3.15 करोड़ रूपये की राशि के उस पर ब्याज की हानि के अलावा था तथा कम्पनी ने कर्जदार की इक्विटी में 2 करोड रूपए के निवेश की हानि उठाई है।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 1.2.1)
वाणिज्यिक

अधिकारियों से भावी मांग के वास्तविक निर्धारण के बिना गाजियाबाद में अधिकारियों के लिए रिहायी आवास अधिगृहीत करने के भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड के निर्णय के कारण 1.55 करोड़ रूपए का अवरोधन हुआ।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 1.2.2)
वाणिज्यिक

बीमा विभाग

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनियमित व्ययः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा और जोखिम प्रबंधन संस्थान को अनियमित रूप से 11.00 करोड़ रूपए अंतरित किए।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 4)

नवीकरण शुल्क का परिहार्य प्रत्यर्पणः बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का पूर्वव्यापी प्रभाव से नवीकरण शुल्क 0.2 प्रतिशत से घटकर 0.1 प्रतिशत करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण 8.94 करोड़ रूपए का अनियमित प्रत्यपर्ण हुआ।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 4)

भारतीय सामान्य बीमा निगम

अपर्याप्त अनुसरण के साथ न्यून प्रतिभूतियों की स्वीकृति जुडने के कारण भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा दिए गए 206.67 करोड़ रूपये (ब्याज सहित) के कर्जे अशोध्य हो गए तथा वसूली सन्दहेपूर्ण हो गई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.1.1)
वाणिज्यिक

राष्ट्रीय इन्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

नेशनल इन्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने पॉलिसी के नवीकरण के समय प्रतिकूल दावा अनुपात के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित न करने के कारण 2.17 करोड़ रूपये की राशि के प्रीमियम की हानि उठाई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.2.1)
वाणिज्यिक

सम्भावित अधिकतम हानि के जोखिम का समय पर निर्धारण करने में कम्पनी की विफलता के कारण मुख्य बीमाकर्ता तथा सह बीमाकर्ता को 1.78 करोड़ रूपये की हानि हुई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.2.2)
वाणिज्यिक

वास्तुकार की नियुक्ति तथा अभिन्यास योजना तथा आन्तरिक सजावट ठेका देने में विलम्ब के कारण किराये पर लिए गए भवन में कब्जा न किए गए स्थान के लिए पट्टा किराये तथा नगरपालिका करों के भुगतान के लिए 1.03 करोड़ रूपये का व्यय व्यर्थ हो गया।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.2.3)
वाणिज्यिक

टैरिफ सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित लोडिंग न अपनाने के कारण कम्पनी को 32.62 लाख रूपये के प्रीमियम की हानि हुई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.2.4)
वाणिज्यिक

दी न्यू इण्डिया एयोरेंस कम्पनी लिमिटेड

दी न्यू इण्डिया एयोरेंस कम्पनी लिमिटेड ने पूर्व के प्रतिकूल दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की पर्याप्त लोडिंग किए बिना 2001-02 से 2003-04 के वर्षों की अवधि के लिए आन्ध्र प्रदेा सरकार को समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसियां जारी की। इसके परिणामस्वरूप 87.75 करोड़ रूपये राजस्व की हानि हुई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.3.1)
वाणिज्यिक

अधिग्रहण किए गए नए परिसर के आन्तरिक सजावट के ठेके को अंतिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 4.19 करोड़ रूपये की निधियों का अवरोधन हुआ तथा अवरूद्व पूंजी पर 91.90 लाख रूपये के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.3.2)
वाणिज्यिक

अनुपयुक्त योजना तैयार करने के कारण कम्पनी के अपने खाली परिसर का उपयोग करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप 3.27 करोड़ रूपये के किराया प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.3.3)
वाणिज्यिक

न्यू इण्डिया एयोरेंस कम्पनी लिमिटेड ने बीमा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में पक्ष प्रचार तथा मेडिक्लेम पालिसियां अधिप्राप्त करने के लिए बीमा एजेन्टों से इतर व्यक्तियों द्वारा वहन किये गए व्यय के भाग की प्रतिपूर्ति की, परिणामतः 1.05 करोड़ रूपये का अनियमित भुगतान हुआ।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.3.4)
वाणिज्यिक

मुख्यालय के अनुदेशों के उल्लंघन में मण्डल कार्यालय ने न्यूनतर प्रीमियम प्रभारित किया परिणामतः 74.19 लाख रूपये की हानि हुई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.3.5)
वाणिज्यिक

मै. हनिल इरा टैक्सटाईल लिमिटेड को जारी की गई पॉलिसी के लिए पुनः बीमा कवर प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब के कारण कम्पनी ने 51.81 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.3.6)
वाणिज्यिक

ज्वैलर्स ब्लॉक इन्योरेंस पालिसियों पर "एड आन कवर्स " जैसे बाढ़, तूफान तथा झांझावात तथा भूकम्प के लिए रेटिंग लगाने के कारण कम्पनी ने 46.43 लाख रूपये का प्रीमियम गंवा दिया।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.3.7)
वाणिज्यिक

दि ओरियेंटल इंयोरेंा कम्पनी लिमिटेड

निर्धारित दरों पर प्रीमियम प्रभारित करने की विफलता तथा पालिसी दस्तावेज में एक विशेष शर्त को शामिल न करने के कारण कि प्रभारित किया गया प्रीमियम अंनतिम था तथा टी ए सी द्वारा अंतिम रेटिंग/अनुमोदन के अध्यधीन था इसके परिणामस्वरूप 4.29 करोड़ रूपये के प्रीमियम की वसूली हुई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.4.1)
वाणिज्यिक

गलत टैरिफ तथा परिणामी प्रीमियम की न्यूनतर दर लागू करने के कारण कम्पनी ने 2.84 करोड़ रूपये की हानि उठाई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.4.2)
वाणिज्यिक

कम्पनी द्वारा दावे के निपटान में विलम्ब के परिणामस्वरूप 27.90 लाख रूपये के परिहार्य मुकदमे बाजी के व्ययो के अतिरिक्त 1.63 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.4.3)
वाणिज्यिक

कम्पनी ने लाभ की कमी के दावे को, जो अस्वीकार्य था, का निपटान किया परिणामतः 58.73 लाख रूपये की हानि हुई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.4.4)
वाणिज्यिक

ऑरियन्टल इन्योरेंस कम्पनी (कम्पनी) ने दिशा निर्देशों के अनुसार प्रीमियम भारण नहीं किया परिणामस्वरूप 17.54 लाख रूपये के प्रीमियम ही हानि हुई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.4.5)
वाणिज्यिक

यूनाइटेड इण्डिया इन्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

अधिक छूट अनुमत करने, प्रतिकूल दावा अनुपात के सम्बन्ध में प्रीमियम का भारण न करने के कारण कम्पनी ने 3.67 करोड़ रूपये की हानि उठाई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.5.1)
वाणिज्यिक

प्रतिकूल दावा अनुभव के कारण प्रीमियम के भारण से बचने के लिए, कम्पनी ने वार्षिक नवीकरण की प्रथा के विपरीत लघु अवधि नवीकरण पालिसी जारी की तथा आल इण्डिया फायर टैरिफ रेम्यूलेान को घेर लिया। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को 50.52 लाख रूपये की हानि हुई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.5.2)
वाणिज्यिक

कम्पनी की पालिसी में समूह मेडिक्लेम के गलत शामिल करने तथा प्रतिकूल दावे के उद्देय से प्रीमियम के भारण न करने के कारण कम्पनी ने 42.29 लाख रूपये की हानि उठाई।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.5.3)
वाणिज्यिक

सामान्य बीमा कम्पनियां

लेखापरीक्षा में नमूना जांच से, अधिक बट्टा अनुमत करने, प्रीमियम की गलत दरें लागू करने, अधिक प्रतिदाय अनुमत करने, परिवहन सवांहक/पुनः बीमाकर्ताओ से हानि/दावे की गैर वसूली इत्यादि के कारण 27 मामलों में सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा कुल 3.30 करोड़ रूपये की गैर/कम वसूली का पता चला जैसा कि परिशिष्ट-II मे विवरण दिया गया है। इनमे से लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने (मई 1999-नवम्बर 2003) पर 3.03 करोड़ रूपये की वसूली हो गई थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 3 का पैरा 9.6.1)
वाणिज्यिक

राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड
ओरिएंटल इंयोरेंस कम्पनी लिमिटेड
बीमा कम्पनियों द्वारा मोबाइल हैंडसैटों का जोखिम कवर करने के लिए विोष श्रेणी की बीमा पालिसियां

(i) मोबाइल हैंडसैटों पर विशेष आकस्मिकता नीतियों (एस सी पी) की समीक्षा से पता चला कि राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड (एन आई सी) और ओरिएन्टल इंयोरेंस कम्पनी लिमिटेड (ओ आई सी) ने अन्तर्ग्रस्त जोखिम घटक और अन्य तकनीकी पहलुओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किए बिना मोबाइल हैंडसैटों से सम्बद्ध जोखिमों का बीमांकन किया जिसके परिणामस्वरूप इन कम्पनियों को भारी हानियां हुई। लेखापरीक्षा द्वारा एक विलेषण में पता चला कि जारी की गई एस सी पी विवेकी बीमांकन दिाानिर्देशों के न अपनाने के कारण बीमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा किए बिना बीमाकृत की अपेक्षाओं से मेल खाने के लिए प्रारम्भ में सोच निकाली गईं।

(ii) पुनः बीमा सुरक्षा प्राप्त करने, आई आर डी ए/जी आई पी एस ए दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिचित करने और लदान खंड को शामिल न करने की प्रबन्धन की ओर से विफलता से कम्पनी 2002-03 से 2004-05 के दौरान जारी किए गए सभी एस सी पी में अपनी हानियों को कम करने के अवसर से वंचित रह गयी जिसके परिणामस्वरूप 142.63 करोड़ रूपए की राशि की भारी हानि हुई (एन आई सी 126.58 करोड़ रूपए और ओ आई सी 16.05 करोड़ रूपए) और जी आई सी को 41.37 करोड़ रूपए की राशि की हानि हुई।

(iii) आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली, जो कम्पनी में मौजूद थी, अपर्याप्त थी और इसे सुदृढ़ किए जाने की आवयकता थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 4)
वाणिज्यिक

राजस्व विभाग

सीमा शुल्क

इस प्रतिवेदन में तीन समीक्षाएं तथा 251 पैराग्राफ हैं जिनमें 7430.74 करोड़ रूपए के सीमशुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण अन्तर्ग्रस्त है। प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का नीचे उल्लेख किया गया हैः

2003-04 के दौरान सीमा शुल्क से 48,613 करोड़ रूपए की वास्तविक प्राप्तियां संग्रहीत की गई थी जो बजट अनुमानों से 737 करोड़ रू. कम थी। वर्ष के दौरान विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क की छोड़ी गई राशि 39,704 करोड़ रूपए थी जो कि कुल सीमशुल्क प्राप्तियों का 82 प्रतिशत थी।

आयात सामान्य मालसूची (आई जी एम)/निर्यात सामान्य मालसूची (ई जी एम) पर समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चलाः

24 कमिश्नरियों में आयात विभाग (आई डी) से मालसूची निपटान विभाग (एम सी डी) द्वारा 14,093 आई जी एम की प्राप्ति न होने से उनके भाग पर समन्वय/प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव का पता चला। आई जी एम/ई जी एम की प्राप्ति न होने/देर से होने के लिए शास्ति का अनुद्ग्रहण 63.23 करोड़ रूपए का था। 23 कमिश्नरियों में 1999 की तुलना में 2002 के अन्त तक एम सी डी पर आई जी एम के विलम्ब में वृद्धि 94 प्रतिशत थी। 82,505 आई जी एम के कालवार विलेषण से पता चला कि 15 सीमाशुल्क गृहों में 42 प्रतिशत तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। आई जी एम के बन्द न होने/दावा न किए गए, निकासी न किए गए माल के निपटान न होने और जहां आगम पत्र दाखिल किए गए थे वहां शुल्क का भुगतान न होने के कारण 280.66 करोड़ रूपए का राजस्व अवरूद्ध हुआ। चार कमिश्नरियों में, 430 आई जी एम, जिनमें 71.06 करोड़ रूपए के बंध-पत्र निष्पादित किए गए थे, उतराई प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण निपटान हेतु लम्बित थे। कम उतारे गए माल के लिए 17.05 करोड़ रूपए की ाास्ति और उठाईगीरी किए गए माल के लिए 1.09 करोड़ रूपए के शुल्क के अनुद्ग्रहण के कारण राजस्व की हानि हुई। पांच कमिशनरियों में 19,420 आई जी एम के संबंध में 11,600 आऊट-टर्न-विवरण (ओ टी एस), एम सी डी द्वारा प्राप्त नहीं किए गए थे। 31 दिसम्बर 2003 को दो कमिशनरियों में 30,386 कॉल लैटर (एल ओ सी) बकाया थे। 23 कमिश्नरियों में, 2002 के अन्त तक 91,900 ई जी एम बन्द होने के लिए लम्बित थे। आठ सीमशुल्क गृहों में 14322 दाखिल नहीं किए गए थे और 2721 तीन सीमशुल्क गृहों में देर से दाखिल किए गए थे।

इस समीक्षा में आई जी एम/ई जी एम दाखिल करने/बन्द करने, एल ओ सी जारी करने में एम सी डी मैनुअल के प्रावधानों से विचलन, ओ टी एस की सामायिक प्राप्ति, कम उतारे गए और चोरी किए गए माल के लिए शास्ति के अनुदग्रहण के संबंध में सीमशुल्क के प्रावधानों को लागू करने के लिए बनाए गए नियमों और क्रियाविधियों के उल्लंघन के कई उदाहरण शामिल किए गए हैं। मॉनीटरिंग के अभाव और अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र के कारण भारी मात्रा में राजस्व की रक्षा नहीं ही हो सकी। इसलिए लेखापरीक्षा यह सिफरिश करता है कि विभाग अधिनियम और मैनुअल में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुपालन में सुधार करें और अपने आन्तरिक नियंत्रण को मज़बूत करें।

इनलैंड कंटेनर डिपुओं (आई सी डी) पर समीक्षा से पता चला किः

आयात नौभार के भंडारण हेतु अभिरक्षकों द्वारा बांड/बैंक गारंटी (बी जी) का निष्पादन न करने/दोषपूर्ण निष्पादन करने, निर्यात नौभार के वाहनान्तरण हेतु संवाहकों द्वारा, बी जी का नवीकरण न किए जाने और आई सी डी/कंटेनर भाड़ा स्टेान(सी एफ एस) पर माल की अपर्याप्त बीमा कवरेज के कारण हानि, उठाईगीरी के प्रति 2400 करोड़ रूपए का सीमाशुल्क राजस्व असुरक्षित रहा।

अदावित/निकासी न किए गए/ज़ब्त किए गए, आयातित/निर्यात माल का निपटान न किए गए माल में 287.96 करोड़ रूपए के सीमशुल्क राजस्व का अवरोधन शामिल था।

अदावित/निकासी न किए गए और ज़ब्त किए गए माल के निपटान में विलम्ब और अभिरक्षकों के अन्यायोचित निर्णय के कारण 2.96 करोड़ रूपए की हानि हुई। उतराई प्रमाणपत्रों की प्राप्ति न होने के कारण बंधपत्र ज़ब्त न करने के कारण विभाग 12.49 करोड़ रूपए का शुल्क बचाने में विफल रहा। अप्रैल 2000 और मार्च 2003 के बीच किए गए निर्यात हेतु 90 दिन के अन्दर नौपरिवहन बिलों की अन्तरण प्रतियों की प्राप्ति न होने के कारण 344 करोड़ रूपए की फिरती की वसूली आवयक हो गई। दस कमिश्नरियों के 27 आई सी डी में की गई नमूना जाँच से कंटेनरों के समाधान की प्रणाली के अभाव का पता चला। न तो प्रवेाद्वार पत्तन ने और न ही अभिरक्षकों ने आवधिक विवरण प्रस्तुत किए। पांच कमिश्नरियों में शुल्क के भुगतान के बिना आयात किए गए 2404 कंटेनरों के पुनः निर्यात में विफलता के कारण 23.57 करोड़ रूपए की राशि के शुल्क की वसूली आवश्यक हो गई।

इस समीक्षा मं बंधपत्र/बी जी की कमी, अपर्याप्त बीमा कवरेज, अदावित/क्लीयर न किए गए, चुराए गए माल के निपटान न करने/देर से निपटान करने, नीलाम किए गए माल पर सीमाशुल्क की वसूली न करने/देर से करने, लदान प्रमाण पत्रों की प्राप्ति न होने, ट्रेकिंग सिस्टम में कमी आदि के नियमों के उल्लंघन के कई उदाहरणों का पता चला। प्रत्यक्ष जांच अथवा अन्य किसी माध्यम से मॉनीटरिंग तन्त्र कमज़ोर था। ट्रेकिंग के उद्देय से ई डी आई प्रणाली का अपर्याप्त प्रयोग स्पष्ट था। आई सी डी में पड़े अदावित/निकासी न किए गए, चुराए गए माल के बड़ी मात्रा में निपटान न किए जाने की दृष्टि से लेखापरीक्षा समुचित मशीनरी द्वारा आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली और लम्बे समय से लम्बित संचंयों की समयबद्ध निकासी की सिफारि करता है।

राजस्व के बकाया की वसूली पर एक अन्य समीक्षा से पता चला किः

31 दिसम्बर 2003 को लम्बित 34 कमिश्नरियों में 1539.02 करोड़ रूपए के 7345 पुष्टिकृत मांग के मामलों में से, 412.24 करोड़ रूपए के 4230 मामले तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। इन कमिश्नरियों में निर्धारित राजस्व में से अवरूद्ध राजस्व बकाया 32.36 प्रतिशत थे। उनहत्तर प्रतिशत विलम्बन विभाग के पास पड़ा था। 127.79 करोड़ रूपए के 1844 मामलों में वसूली कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी यद्यपि कोई अपीलें लम्बित नहीं थी। राजस्व की शीघ्र वसूली के लिए प्रत्येक कमिनरी में एक विोष वसूली सैल के सृजन के द्वारा परिकल्पित लाभ परिपक्व नहीं हुए थे। एक हजार तीन सौ छियानबे मामलों में 321.54 करोड़ रूपए के विलम्बन की गलत रिपोर्टिंग पाई गई थी जो रिपोर्टिंग/मानीटरिंग तन्त्र की विफलता को दर्शाती थी। अट्ठारह कमिश्नरियों में 7345 मामलों में से केवल 3347 मामलों में अधिनियम के अन्तर्गत प्रमाणपत्र कार्रवाई की गई थी जिसमें एक से 15 वर्ष का विलम्ब हुआ था और उसमें 270.70 करोड़ रूपए शामिल थे, जिसमें से केवल 10.50 करोड़ रूपए वसूल किए गए थे। चार कमिश्नरियों में 307.40 करोड़ रूपए के 835 मामलों में सम्पत्ति की कुर्की नियमावली के प्रावधानों का सहारा लेने की विफलता देखी गई थी। आठ हजार पाँच सौ उन्नसठ मामलों में लगाई गई 281.65 करोड़ रूपए की शास्तियां उगाही हेतु लम्बित थी, जिनमें से 6909 मामलों में 147.21 करोड़ रूपए,जो 52 प्रतिशत बनते थे, तीन वर्ष से अधिक से बकाया थे।

इस समीक्षा से प्रणाली की विफलता और बकाया की वसूली में कमज़ोर मानीटरिंग का पता चलता है। सांविधिक ढांचे की उपलब्धता के बाबजूद अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई न करने अथवा विलम्ब से कार्रवाई करने, और व्यक्तिगत शास्तियों की वसूली करने अथवा सम्पत्ति कुर्क करने के लिए धीमी प्रमाणक कार्रवाई देखी गई थी। परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में बकाया दुगुने हो गए थे। इसलिए लेखापरीक्षा विशेष वसूल सैलों को क्रियाील बनाने, वसूली की निगरानी के लिए पक्के आन्तरिक नियंत्रण और संविधान के अन्तर्गत प्रभावी विभागीय कार्रवाई, यदि पर्याप्त वसूली सुनिचित करनी है, की सिफारिश करता है।

समीक्षाओं के अतिरिक्त प्रतिवेदन में गलत वर्गीकरण के कारण निर्धारण में अनियमितताओं, छूट की गलत स्वीकृति, कम मूल्यांकन, अतिरिक्त शुल्क के अनुदग्रहण, त्रुटिपूर्ण निर्यात गृहों से वसूली न करने और 941.10 करोड़ रूपए राशि की अन्य अनियमितताओं का भी ज़िकर किया गया है। विभाग/मंत्रालय ने उन्हें भेजे गए 251 पैराग्राफों में से 177 पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का उत्तर दिया है और 10.06 करोड़ रू. की वसूली सूचित की है। चार सौ तरेपन अन्य मामले जिनमें 69.07 लाख रूपए का शुल्क अन्तर्ग्रस्त था, विभाग को सूचित किए गए थे। विभाग ने आपत्तियां स्वीकार कर ली हैं और 452 मामलों में 60.03 लाख रूपए की वसूली सूचित की है।

(2005 की प्रतिवेदन सं. 10)
अप्रत्यक्ष कर (सीमाशुल्क)

केन्द्रीय उत्पादशुल्क

वास्तविक संग्रहण वर्षानुवर्ष बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों से कम रहे। इसके बावजूद सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत करने के दौरान आाान्वित अनुमान लगाना जारी रहा। बजट अनुमान 2003-04 बढ़कर 96,396 करोड़ रूपए हो गया जिसमें बजट अनुमानों की तुलना में 5.76 प्रतिशत, संशोधित अनुमान की तुलना में 10.8 प्रतिशत और 2002-03 के वास्तविक संग्रहणों की तुलना में 17.50 प्रतिशत की वृद्धि रही। संग्रहणं बजट अनुमानों से 6,006 करोड़ रूपए तक या 6.23 प्रतिशत तक कम रहे और संशोधित अनुमानों से 1,460 करोड़ रूपए या 1.58 प्रतिशत तक कम रहे।

प्रतिवेदन में दो समीक्षाओं पर टिप्पणी की गई थी। 'व्यक्तियों और माल के परिवहन के लिए मोटर वाहनों पर उत्पादुल्क पर समीक्षा' से पता चला कि उत्पादशुल्क में कमी का निवल उत्पादुल्क संग्रहण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। बिक्री में वृद्धि दोनों कमियों के अनुरूप नहीं थी। शुल्क कटौतियों का बड़ा भाग विलासिता क्षेत्र के निर्माताओं के पास रहने, सामान्य लेन-देन मूल्य के बजाए 'सहमत कीमत' पर उत्पाद शुल्क के भुगतान, लेन-देन मूल्य से कम राशि पर शुल्क के भुगतान जिनमें 644.44 करोड़ रूपए की वित्तीय विवक्षा शामिल थी, के कारण घटे हुए शुल्क के लाभ उपभोक्ताओं को पर्याप्त रूप से नहीं दिए गए थे।

उत्पादुल्क लेखापरीक्षा - 2000 के कार्यचालन पर समीक्षा से पता चला कि निर्धारिती की रूपरेखा के डाटाबेस का सृजन अधूरा था। गैर अनिवार्य इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई थी। इकाईयों की अपर्याप्त और विषय कवरेज, समुचित चयन का अभाव, कमिनर स्तर पर कार्यान्वयन में त्रुटियां और त्रुटिपूर्ण नियंत्रण वातावरण देखे गए थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अन्य बातों के विषय में भी बताया गया था जैसेः-

सामान्य लघु योजना से सम्बन्धित छूट अधिसूचनाओं में 3 करोड़ रूपए की पात्रता सीमा की गणना के प्रयोजनार्थ ब्रांड नाम वाले तथा निर्यात माल से सम्बन्धित अपवर्जन खंड के निरन्तर प्रतिधारण ने वर्ष 1999-2000 से 2003-04 के दौरान 40.41 करोड़ रूपए की राशि की शुल्क छूट का अनभिप्रेत लाभ अर्जित करने में 278 बड़े विनिर्माताओं को समर्थ बनाया।

(अप्रत्यक्ष कर (केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सेवा कर)-2005 की प्रतिवेदन संख्या 11 का पैराग्राफ 4.3)

माडवेट/सेनवेट क्रेडिट के उठाए गए गलत लाभ की राशि 312.49 करोड़ रूपए थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 11 का पैराग्राफ 6)
अप्रत्यक्ष कर (केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सेवा कर)

सेवा कर

परामर्शी इंजीनियरों की सेवाओं, वास्तुकारों की सेवाओं और आन्तरिक सज्जाकारों की सेवाओं पर सेवा कर पर समीक्षा से पता चला कि विभाग द्वारा अपंजीकृत सेवा प्रादाताओं को कर जाल में लाने के लिए किए गए उपाय अप्रभावी और अपर्याप्त सिद्ध हुए। पंजीकृत सेवा प्रादाताओं से प्राप्त विवरणियों की अप्रभावी

मानीटरिंग के भी प्रमाण थे। कुल राजस्व प्रभाव 518.63 करोड़ रूपए का था।

लेखापरीक्षा ने सेवा कर का भुगतान/वसूली न करने, सेवा कर से बचने, विदेशी सलहकारों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर के अनुद्ग्रहण और सेवा कर के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज की उगाही न करने से संबंधित 20 पैराग्राफ सूचित किए जिनमें 17.56 करोड़ रू. का राजस्व शामिल था।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 11)
अप्रत्यक्ष कर (केन्द्रीय उत्पादुल्क एवं सेवा कर)

प्रत्यक्ष कर

ड्राफ्ट पैराग्राफों पर बोर्ड के उत्तरः 2003-04 के दौरान, मंत्रालय को जारी किए गए 931 ड्राफ्ट पैराग्राफों में से, केवल 96 ड्राफ्ट पैराग्राफों के मामले में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पूर्व केवल 96 ड्राफ्ट पैराग्राफों के मामले में उत्तर प्राप्त हुए थे, जो जारी किए गए कुल ड्राफ्ट पैराग्राफों का केवल 10 प्रतिशत बनता है।

(2005 के प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय I का पैरा 1.6)
प्रत्यक्ष कर

बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां : 31 मार्च 2004 को, 19,869.73 करोड़ रूपए के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 77,211 अभ्युक्तियां (1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 के बीच सम्प्रेषित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को छोड़ कर) अन्तिम कार्रवाई हेतु लम्बित थी।

(2005 के प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय I का पैरा 1.9.1)
प्रत्यक्ष कर

लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किए गए अभिलेखः निर्धारण, संग्रहण पर प्रभावी जांच बनाए रखने और करों के उचित आबंटन और इस बात की जांच करने कि विनियमों और क्रियाविधियों का पालन किया जा रहा है, के विचार से राजस्व लेखापरीक्षा में निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की जाती है। विभाग के लिए यह आवयक है कि वह लेखापरीक्षा को जल्दी अभिलेख प्रस्तुत करे तथा सुसंगत सूचना भेजे। 31 मार्च 2004 को, विभाग ने 25,227 मामले प्रस्तुत किए जो पिछली लेखापरीक्षाओं के दौरान प्रस्तुत न किए गए मामलों का 70.35 प्रतिशत थे और 2003-04 में फिर लेखापरीक्षा से मांग की जिनमें आन्ध्र प्रदेा, कर्नाटक, मध्य प्रदेा, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र प्रभारों में 3 अथवा अधिक निरन्तर लेखापरीक्षा चक्रों में प्रस्तुत न किए गए 69 मामले शामिल थे। परिणामस्वरूप उन मामलों की लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय I का पैरा 1.14)

आन्तरिक लेखापरीक्षाः यद्यपि नया चेन सिस्टम शुरू करने के पचाश्त् आन्तरिक लेखापरीक्षा का श्रमबल 1079 प्रतिशत बढ़ा था, तथापि 2003-04 में लेखापरीक्षा किए जाने वाले कुल मामलों के संदर्भ में 62.47 प्रतिशत की कमी हुई थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय I का पैरा सं. 1.12)
प्रत्यक्ष कर

कालातीत उपचारी कार्रवाईः 1755 मामलों में 109.52 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हुई थी क्योंकि उपचारी कार्रवाई समय पर नहीं की गई थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय I का पैरा सं. 1.11)
प्रत्यक्ष कर

कर संग्रहणः प्रत्यक्ष कर संग्रहण 18.02 प्रतिशत की वृद्धि की चक्रवर्द्धी वार्षिक दर पर 1999-00 में 57,959 करोड़ रूपए से बढ़ कर 2003-04 में 1,05,089 करोड़ रूपए हो गए थे।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय रूरू का पैरा 2.5,तालिका 2.4)
प्रत्यक्ष कर

निर्धारणों की स्थितिः संवीक्षा निर्धारणों का निपटान 2002-03 में 19 प्रतिशत की तुलना में देय निर्धारणों के 51 प्रतिशत तक बढ़ गया परन्तु संक्षिप्त मामलों का निपटान 2002-03 में 92 प्रतिशत की तुलना में निपटान हेतु देय कुल संक्षिप्त निर्धारणों के 79 प्रतिशत तक कम हो गया।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय II का पैरा 2.9,तालिका 2.11)
प्रत्यक्ष कर

प्रतिदाय पर गलत ब्याज लगानाः 6,268.07 करोड़ रूपए की राशि के प्रतिदायों पर ब्याज पर व्यय राजस्व के कटौती के रूप में माना गया जबकि ब्याज का संग्रहण कभी भी पहली बार में नहीं किया गया और 2002-03 के लिए बजट अनुमानों में 'प्रतिदायों पर ब्याज' के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया जोकि भारत सरकार के आदेशों/संहितीय प्रावधानों के उल्लंघन में है।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय II का पैरा 2.15)
प्रत्यक्ष कर

बकाया भागः 31 मार्च 2004 को 1,93,106 करोड़ रूपए की कुल मांग की 88,017 करोड़ रूपए की असंगृहीत राशि, में पूर्व वर्षों की 57,064 करोड़ रूपए की मांग तथा चालू वर्ष 2003-04 से संबंधित 30,953 करोड़ रूपए की मांग शामिल थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 के अध्याय II का पैरा 2.10,तालिका 2.13)
प्रत्यक्ष कर

(i) तमिलनाडु, सेन्ट्रल II चेन्नई प्रभार में मै. एस्सार ईन्वेस्टमैंट लिमि. का निर्धारण वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारण संवीक्षा के पश्चात पूरा हुआ था। निर्धारिती ने पूर्णतया अपने स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी को 240 करोड़ रूपए पर 400 लाख ेयर वारंट हस्तान्तरित किये। शेयर जो कि लघु अवधि

के लिए रोके रखे गए थे का हस्तान्तरण कुछ अन्य नहीं बल्कि कारबार परिसम्पत्तियों (अर्थात विक्रेय में स्टॉक) की बिक्री था और इसलिए "कारबार आय " शीर्ष के अन्तर्गत कर योग्य था। निर्धारण अधिकारी ने 240 करोड़ रूपए की राशि की बिक्री आय का कारबार आय के रूप में निर्धारण करने में गलती की जिस के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 210.75 करोड़ रू. के कर प्रभाव को अन्तर्ग्रत करते हुए उतनी ही राशि का अवनिर्धारण हुआ। विभाग ने मार्च 2001 में निर्धारण में संशोधन किया था तथा 254.45 करोड़ रूपए की अतिरिक्त मांग की गई थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 का पैरा 3.9.1)
प्रत्यक्ष कर

(ii) पचिम बंगाल II, कोलकाता प्रभार में बैंकिंग कम्पनी मै. यूको बैंक के निर्धारण वर्ष 2000-01 का निर्धारण संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया गया था। निर्धारिती को 221.08 करोड़ रूपए के समंजन और निर्धारण वर्ष 1993-94 से संबंधित 88.17 करोड़ रूपए की हानि की अपेक्षित राशि की अनुमति देने के बजाए निर्धारण वर्ष 1993-94 से संबंधित 373.97 करोड़ रू. की हानि को अग्रेनीत करने की अनुमति प्रदान की गई थी। कुल कर प्रभाव 143.98 करोड़ रू. के संभावित कर प्रभाव सहित 195.15 करोड़ रू. परिकलित किया गया था। विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली है।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 का पैरा 3.14.2)
प्रत्यक्ष कर

(iii) तमिलनाडु, सेन्ट्रल II , चेन्नई प्रभार में निर्धारण वर्ष 1996-97 हेतु एक व्यष्टि सुश्री सुशीला रामास्वामी के आयकर निर्धारण को मार्च 2003 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया था। 6,25,000 अमरीकी डालर को भारतीय रूपये में परिवर्तित करते समय परिवर्तन दर एक डालर हेतु 30 रूपये की लागू दर के बजाय प्रति डालर 3 रूपये की दर गलत रूप से लागू की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप 1.69 करोड़ रूपए की आय का अवनिर्धारण हुआ जिससे ब्याज सहित 2.51 करोड़ रूपये का कर अन्तर्ग्रस्त था। विभाग ने 2.51 करोड़ रूपये की माँग करते हुए उपचारी कार्रवाई पूरी की।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 का पैरा 4.15.1)
प्रत्यक्ष कर

(iv) पटना केन्द्रीय प्रभार, बिहार में एक फर्म मै. छोटानागपुर कैटलफील्ड सप्लाई कं.रांची का निर्धारण वर्ष 1995-96 के लिए प्रारम्भ में संवीक्षा के पश्चात् किया गया निर्धारण संशोधित किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने गलती से 40 प्रतिशत की प्रभार्य दर के बजाय 35 प्रतिशत की दर पर आयकर प्रभारित किया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 2.36 करोड़ रू. का कर कम प्रभारित हुआ। विभाग ने अभ्युक्ति स्वीकार कर ली थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 का पैरा 4.7.1)
प्रत्यक्ष कर

(v) दिल्ला-V प्रभार में एक बैंक मैसर्ज ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स का निर्धारण वर्ष 1999-2000 के लिए ब्याज कर निर्धारण संवीक्षा के पश्चात् पूरा किया था। प्रभार्य ब्याज की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने 223.38 करोड़ रूपए की उस ब्याज आय को शामिल नहीं किया जो डिबेंचरों/ बांडों पर ब्याज के रूप में उपचित हुए। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित 6.61 करोड़ रूपए के ब्याज कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 का पैरा 5.18.4)
प्रत्यक्ष कर

चयनित पच-वी डी आई एस- 1997 निर्धारणों में "अनुवर्ती कार्रवाई " की प्रास्थति एवं पर्याप्तता

(vi) लेखापरीक्षा ने 2000 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 12 ए में वी डी आई एस 1997 पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर चयनित पच-वी डी आई एस - 1997 निर्धारणों में "अनुवर्ती कार्रवाई " की प्रास्थिति एवं पर्याप्तता के एक मूल्यांकन का प्रयास किया।

(vii) वी डी आई एस, 1997 के अन्तर्गत घोषणा करने वाले नये निर्धारितियों के 78 प्रतिशत और लेखापरीक्षा द्वारा अध्ययन हेतु चयनित के सम्बन्ध में न तो विवरणियाँ निर्धारण अधिकारियों के पास उपलब्ध थीं न ही निर्धारण अधिकारियों ने यह सुनिचित करने के लिए कि घोषणाकर्त्ता कर जाल में रहे कोई कार्रवाई/सर्वेक्षण किया।

(viii) लेखारीक्षा के ध्यान में आया कि उपचारी कार्रवाई मात्र 86 मामलों में की गई थी जहाँ प्रमाण-पत्र 268 घोषणाकर्त्ताओं को जारी नहीं किए गए थे जिन्होंने कर का भुगतान नहीं किया। अन्तर्ग्रस्त कर प्रभाव 171.25 करोड़ रूपए का था।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 12 का अध्याय VI)
प्रत्यक्ष कर

प्रणाली समीक्षाएं

आयकर विभाग के "पुनर्गठन " के द्वारा दक्षता के सुधार की प्रास्थिति

(ix) लेखापरीक्षा ने संघ मंत्रीमंडल द्वारा अगस्त 2000 में अपने पुनर्गठन के प्रस्ताव के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप दक्षता और उत्पादकता के सुधार की प्रास्थिति की जांच की।

(x) समग्र प्रत्यक्ष कर संग्रहण में वृद्धि हुई थी, परन्तु वह पच-निर्धारण संग्रहणों के बजाए पूर्वनिर्धारण संग्रहण में वृद्धि के कारण थी, जिसने विभाग के बढ़े हुए कार्यबल के निर्धारण, जांच पड़ताल अथवा वसूली कौशल की जांच नहीं की।

(xi) विभाग के पुनर्गठन के पश्चात् दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि का जो सीधा कारण था उससे करों के संग्रहण में वृद्धि की सीमा का पता लगाना सम्भव नहीं था क्योंकि विशिष्ट और समर्थित आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

(xii) बोर्ड ने स्टॉक फाईलरों की संख्या को घटाने और उनकी मॉनीटरिंग और उनसे प्राप्य राजस्व की उगाही के लिए न तो कोई एकरूप नीति निर्धारित की और न ही लागू की।

(xiii) प्रतिदायों पर दिए गए ब्याज की राशि 1999-2000 और 2003-04 के बीच 300 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। प्रतिदायों की प्रतिशतता के रूप में प्रतिदायों

पर दिया गया ब्याज, इस अवधि के दौरान 10.36 से बढ़ कर 18.26 हो गया। प्रतिदायों के भुगतान में औसत विलम्ब 1996-97 में लगभग 8 महीने से बढ़ कर 1999-2000 में 10.36 महीने और फिर 2003-04 में 27.38 महीने हो गया।

(xiv) आन्तरिक लेखापरीक्षा के नए सिस्टम को शुरू करने के बावजूद, लक्ष्य के संदर्भ में कमी की प्रतिशतता पुनर्गठन से पूर्व की अवधि की तुलना में पुनर्गठन के पश्चात् बढ़ी थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 13 का अध्याय I)
प्रत्यक्ष कर

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत चयनित कटौतियों और छूटों के प्राासन एवं कार्यान्वयन की दक्षता और प्रभावकारिता

(xv) लेखापरीक्षा ने राजस्व के हितों की सुरक्षा के लिए विधि, नियमों और क्रियाविधियें की पर्याप्तता की जाँच करने के मद्देनजर आय कर अधिनियम की धारा 32,35,80-एच एच डी, 80-एच एच एफ 80-आई ए और 80 आई बी के अधीन प्रदान की गई छः प्रकार की कटौतियों और छूटों के प्रशासन और कार्यान्वयन की समीक्षा की।

(xvi) लेखापरीक्षा ने तीन निर्धारण वर्षों मे फैले लगभग 1.3 लाख निर्धारणों की नमूना जाँच की और 624 करोड़ रूपये के कर प्रभाव से अन्तर्ग्रस्त 760 मामलों में गलतियाँ पाई। इनमें से 452 संक्षिप्त निर्धारण थे जहाँ अन्तर्ग्रस्त कर प्रभाव 341 करोड़ रूपये था जो कुल कर प्रभाव के लगभग 52 प्रतिशत का द्योतक है।

(xvii) इसके अतिरिक्त विधि में कमी जैसे 'पर्यटक,' 'संयंत्र,' औजार, 'विनिर्माण और उत्पादन' सॉफ्टवेअर के निर्यात के लिए कटौती प्रदान करने से पूर्वत 'शुल्क फिरती' प्राप्तियों, को अस्वीकार न करना, को परिभाषित नहीं किया गया और इस प्रकार 33 मामलों में 35 करोड़ रूपए का राजस्व अन्तर्ग्रस्त था।

(xviii) समीक्षा से पता चला कि अधिनियम के अन्तर्गत चयनित कटौतियों और छूटों के प्राासन और कार्यान्वयन से उनके किसी मूल उद्देयों की प्राप्ति में प्रभावी रूप से सहायता नहीं मिल सकी और मुकदमेंबाजी हुई और राजस्व की हानि हुई। उनके उद्देयों की तुलना में अधिनियम के चयनित प्रावधानों के निष्पादन का निष्पक्ष रूप से निर्धारण करने के लिए विभाग में कोई तन्त्र उपलब्ध नहीं था।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 13 का अध्याय II)
प्रत्यक्ष कर

दोहरा कराधान परिहार्य करारों के संदर्भ में अनिवासी कराधान के कुछ पहलू

(xix) लेखापरीक्षा में चयनित देों और अनिवासियों के कराधान के साथ दोहरा कराधान परिहार करारों (डी टी ए ए) के प्रशासन और कार्यान्वयन के कुछ पहलुओं की समीक्षा की गयी जिसमें परस्पर करार क्रियाविधि, सूचना का आदान-प्रदान और कर संग्रहण में सहायता जैसे विशेष और अन्य मुद्दों में समुद्री कारबार शामिल है।

(xx) 12 चुने हुए डी टी ए ए के एक तुलनात्मक अध्ययन में पता चला कि अस्तित्व की निम्नतम अवसीमा अवधि के आधार पर एक स्थायी स्थापना (पी ई) के अस्तित्व को परिभाषित करने में कोई एकरूपता या संगतता नहीं थी।

(xxi) परस्पर करार क्रियाविधि (एम ए पी) मामलों की नमूना जांच में पता चला कि बोर्ड और निर्धारण अधिकारियों के बीच अपर्याप्त समन्वय था जिसके परिणामस्वरूप अपील प्राधिकारियों ने सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए समाधानों पर विपरीत मत दिया।

(xxii) तेरह मामले दो से पांच वर्षों तक की अवधियों के लिए समाधान के लिए लम्बित थे जिसके परिणामस्वरूप 425.42 करोड़ रूपए का राजस्व अवरूद्ध हुआ। राजस्व के समर्थन में चार एम ए पी मामलों में प्राप्त हुए समाधान के कार्यान्वयन न करने के परिणामस्वरूप 102.50 करोड़ रूपए के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 13 का अध्याय III)
प्रत्यक्ष कर

विनिवेश विभाग

मुम्बई में भा.हो.नि. के होटलों की बिक्रीः जुहू सेन्टौर तथा एयरपोर्ट सेन्टौर दो होटोलों की बिक्री कार्य-सम्पादन को प्रतियोगिता का लाभ उठाए बिना एकमात्र बोली के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था। सम्पत्तियों के मूल्यांकन के दौरान पूर्वधारणा तथा एयरपोर्ट सेन्टौर के आरक्षित मूल्य निर्धारण में तथा मंत्रालय द्वारा दूसरे मामलों में अपनायी गई प्रक्रियाओं में विसंगतियां थी। बिक्री को सुसाध्य बनाने के लिए जुहू सेन्टौर के बोलीकर्ता को समय बढ़ाने तथा रियायत देने की निरन्तर अनुमति दी गई थी।

(2005 की प्रतिवेदन संख्या 2)